ाला, खंड 9, अंक 18

शुक्रवार, 18 अगस्त, 2000

27 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर, सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

डॉ॰ राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

[त्रयोदश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 18, शुक्रवार, 18 अगस्त, 2000/27 श्रावण, 1992 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	361 से 363 और 364	3–29
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	365 से 380	29–55
अतारांकित प्रश्न संख्या	3997 से 4226	55–452
सभा पटल पर रखे गए पत्र		453–464, 507
राज्य सभा से संदेश		463
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
विवरण		463
याचिका का प्रस्तुतीकरण		464
सभा का कार्य		464–468
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		493–506
विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये के मूल्य में कथित गिरावट		
श्री किरीट सोमैया		493, 494–497
श्री यशवन्त सिन्हा		493–494, 501–506
श्री नारायण दत्त तिवारी		497–500
डॉ. नीतिश सेनगुप्ता		500–501
कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		506–507
नियम 193 के अधीन चर्चा		507–521
देश में भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार		
श्री लाल कृष्ण आडवाणी		508–520
गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में ग्राम सभा की भागीदारी के बारे में संकल्प		521–555
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय		521–523
श्री हरीभाऊ शंकर महाले		523–524
श्री महेश्वर सिंह		524–528

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

श्री गिरधारी लाल भार्गव. 528–530

श्री पवन कुमार बंसल. 530–531

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी. 531–533

श्री शीश राम ओला. 533–534

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया. 535

श्री सुरेश रामराव जाधव. 535–537

श्री रामदास आठवले. 537–538

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह. 538–540

श्री सुभाष महरिया. 540–546

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह. 546–553, 555

सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बारे में संकल्प

श्री ई. अहमद. 555–562

आधे घंटे की चर्चा 562–574

भारत–इजराइल संबंध

श्रीमती श्यामा सिंह. 562–564

प्रो. रासा सिंह रावत. 564–565

श्री खरबेल स्वाइं. 565–566

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति. 566

श्री मणि शंकर अय्यर. 567–569

श्री जसवंत सिंह. 570–572

लोक सभा

शुक्रवार, 18 अगस्त, 2000/27 श्रावण 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गई है। हम उस रिपोर्ट पर सभा में चर्चा करेंगे. ..*(व्यवधान)* हम यह जानना चाहेंगे कि क्या इस पर चर्चा होगी या नहीं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको विशेषाधिकार हनन मामले का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में अपोलो हॉस्पीटल ने जिस तरह से श्री कुमारमंगलम के मामले को डील किया है, वे मौत से जूझ रहे हैं। मैं इस मामले को उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार हनन का मामला है जिस प्रकार से यह घटना हुई है।. ..*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, दिल्ली में जिस तरह से अपोलो हॉस्पीटल काम कर रहा है..

अध्यक्ष महोदय : आप सब को ज़ीरो ऑवर में सुनेंगे। क्वश्चन ऑवर पब्लिक इम्पोर्टेंस का है।

[अनुवाद]

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हम उस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे या नहीं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर आप प्रश्न काल में व्यवधान डालेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, इन मामलों को उठाने की एक प्रक्रिया है। आप इन्हें प्रश्न काल में नहीं उठा सकते हैं। अगर आपका अविलम्बनीय लोक महत्त्व का कोई विषय है तो आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं परन्तु प्रश्न काल में नहीं। उसके लिए एक स्थापित पद्धति है। कृपया प्रश्न काल में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे रैली में जाने से रोका गया।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आपका प्रस्ताव मेरे कंसीड्रेशन में है। कल भी आपके मैम्बर्स ने मैटर रेज़ किया था। ज़ीरो ऑवर में बोल सकते हैं। आपको मौका मिलेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार हनन का मामला पहले लिया जाता है। इसको आप पहले ले लीजिये, हम बैठ जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप ज़ीरो ऑवर में रेज कर सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप जीरो ऑवर में विशेषाधिकार का मामला पहले ले लीजिये।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, हम अध्यक्षपीठ से निर्देश

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहते हैं कि क्या हम इस सत्र में ग्यारहवीं वित्त आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे या नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 361

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ और सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल है। यह भविष्य में भी जारी रहना चाहिए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

आईटीडीसी के होटलों का विस्तार

+

*361. **श्रीमती जसकौर मीणा** :

श्री रामशकल :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने देश में होटलों के विस्तार हेतु सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीणा : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया है किन्तु मेरी चिन्ता यह है कि पर्यटन क्षेत्र में विकास की काफी संभावनायें हैं। विश्वविख्यात ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं वन सम्पदा से युक्त यह देश विदेशी और देशी सैलानियों को अपनी ओर प्रतिवर्ष आकर्षित कर रहा है। ऐसी स्थिति में आई.टी.डी.सी. होटल के विस्तार की कोई योजना नहीं है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास निजी होटल व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री अनंत कुमार : अध्यक्ष जी, आई.टी.डी.सी. होटल विस्तार के लिये हम योजना नहीं बना सकते क्योंकि डिसइनवैस्टमेंट हो रहा है। इस कारण हमने डिसीज़न लिया है और हम एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं तथा इसके लिये ग्लोबल एडवाइजर नियुक्त किया गया है।

श्रीमती जसकौर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार प्रतिवर्ष अपने वाले सैलानियों की सुविधा हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार : महोदय, वास्तव में देश में विभिन्न होटलों में पर्यटकों की संख्या पूरी नहीं है। निजी क्षेत्र के होटलों में यह केवल 56 प्रतिशत ही है और आई.टी.डी.सी. के होटलों में यह और भी कम है।

इसलिए, हम स्थिति को संभाल सकते हैं।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न की सूची में एक अन्य नाम भी है। आपको यह बात समझनी चाहिए।

श्री रामशकल अनुपस्थित।

अब, श्री फ्रांसिस जॉर्ज।

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज : मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में यह कहा गया है कि सरकार तीर्थ स्थानों के आस–पास पर्यटन संबंधी आधार भूत सुविधाओं का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। महोदय, केरल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार : महोदय, हम अभी भी पहले प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। वह दूसरे प्रश्न पर पहुंच गए हैं।....*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज : मैंने केवल पहले प्रश्न के लिए ही अनुपूरक प्रश्न पूछा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अनुपूरक प्रश्न अब पूछ सकते हैं।

श्री अनन्त कुमार : मंदिरों से संबंधित प्रश्न पहला प्रश्न नही है।...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज : इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह यहां पहले प्रश्न के रूप में दिया गया है। मुझे खेद है। मैं यह प्रश्न अगली बार पूछूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत के महत्वपूर्ण मंदिरों को तीर्थस्थानों में बदलने के संबंध में...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, श्री प्रभुनाथ सिंह जी दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, पहला प्रश्न आई.टी.डी.सी. के बारे में है और उसका सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अब, प्रो. उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा पहले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर से यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि निजी क्षेत्र के होटलों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के होटलों में काफी कम लोग आते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। आई.टी.डी.सी. के होटलों में अच्छी व्यवस्था नहीं होती। इसी कारण आई.टी.डी.सी. के होटलों में काफी कम लोग आते हैं।

आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पर्यटकों को, जो कि अधिकतर यहां आते हैं, नाममात्र की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सरकार वहां की सेवा में सुधार करने के लिए क्या उपाय कर रही है ताकि वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़े तथा आई.टी.डी.सी. के होटल अर्थक्षम भी बनें ? मैं समझता हूं कि अगर ये उपाय नहीं किए जाते हैं तो आपको उन्हें बन्द करना होगा। आन्ध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में आई.टी.डी.सी के और होटल खोलने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री अनन्त कुमार : महोदय, यह प्रश्न आई. टी.डी.सी के होटलों में आने वाले पर्यटकों की संख्या के बारे में है। आई.टी.डी.सी. के होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों में अधिकतर संख्या तीर्थ यात्रियों की नहीं होती है। क्योंकि आई.टी.डी.सी. के होटल स्टार होटल हैं –पंच तारा होटल और तीन तारा होटल हैं – जो देश भर में फैले हुए हैं। इनकी संख्या 26 है। यह चूजे और अंडे की स्थिति है। भारत सरकार ने इन होटलों में विनिवेश करने का निर्णय लिया है ताकि ये अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय और संगठनात्मक पुनर्संरचना, उन्नयन और आधुनिकीकरण का सहारा ले सकें।...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : यात्री निवास के बारे में क्या कहना है ?...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार : यात्री निवास आई.टी.डी.सी. के अधीन नहीं आते। ये अलग और भिन्न हैं। वास्तव में, आधारभूत सुविधा विकास योजना में, भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को धन, संसाधन और धन का आबंटन करती है जो बदले में यात्री निवास और यात्रिकाएं बनाते हैं। आई.टी.डी.सी. के विशिष्ट काम है– एक, 26 होटल, दो, शुल्क मुक्त दुकानें; और तीन, अशोक टूरर्स और ट्रैवल्स।

अध्यक्ष महोदय : श्री छत्रपाल सिंह।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इस होटलों में सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे उनकी अर्थक्षमता में सुधार किया जा सके। मेरे प्रश्न का मुख्य विषय यही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री छत्रपाल सिंह, कृपया एक मिनट रुकिए।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन टूरिस्ट स्थानों पर न प्राइवेट होटल हैं और न आई.टी.डी.सी. के होटल हैं, क्या वहा सर्वे कराकर नये होटल खोलने की कोई योजना है ?

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, माननीय मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। आप इन होटलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री अनंत कुमार : अगर आप मुझे अनुमति देते हैं तो मैं माननीय सदस्य द्वारा उत्साहपूर्वक पूछे गए प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्थिति यह है कि हमारे सिर पर हमेशा तलवार लटकती रहती है अर्थात् बाजार में यही भावना है कि आई.टी.डी.सी. के होटलों का विनिवेश किया जा रहा है और उनका विनिवेश किया भी जा रहा है। हमने जुलाई में एक विश्व स्तर के सलाहकार की नियुक्ति की थी। जब विश्व स्तर के सलाहकार की नियुक्ति की गई और जब वह माननीय वित्त मंत्री की योजनाओं के लिए कार्य करने लगा कि इसे एक वर्ष के अंदर विनिवेश किया जाना चाहिए तो निश्चित रूप से होटलों में ठहरने वालों की संख्या में कमी आई। इसका कारण है कि वे संगोष्ठियों और दौरा कार्यक्रमों के लिए जो भी बुकिंग स्टार होटलों में करना चाहते हैं वे तीन सालों या दो सालों या एक साल पूर्व कर लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि आई.टी.डी.सी. में विनिवेश हो रहा है या जब उन्हें लगता है कि यह इस प्रक्रिया के अधीन है और उन्हें इसका पता नहीं लगेगा कि ये होटल एक या दो वर्षों के बाद किसके हाथों मे चले जाएंगे तो वे लोग निजी होटलों से संपर्क करते हैं। अब स्थिति ऐसी हो गई है। इसके बावजूद हमने होटलों के विकास के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इस पर काम चल रहा है। इसलिए पिछले छह महीनों से 26 होटलों में से 13 होटलों में आने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। माननीय सदस्य प्रोफेसर उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु के प्रश्न का मेरा यही उत्तर है।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य छत्रपाल सिंह जी ने पूछा है कि आई.टी.डी.सी. होटल्स का ऐक्सपैन्शन हम क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आई.टी.डी.सी. में डिसइनवैस्टमेंट हो रहा है, इसलिए हम कोई ऐक्सपैन्शन का प्लान शुरू नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो : आई.टी.डी.सी को मिनी रत्न का दर्जा मिल गया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या पिछले दो वर्षों के दौरान आई.टी.डी.सी. के कारोबार में कमी आई है ? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है। मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में गत 6 महीनों के दौरान कितना प्रचालन लाभ हुआ है ?

श्री अनंत कुमार : वास्तव में गत तीन वर्षों के दौरान आई.टी.डी.सी. का लाभ कम हो रहा है। गत दो वर्षों के दौरान हमें हानि हुई है। परंतु इस वर्ष लाभ की प्रवृति है। इस सम्माननीय सदन को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आई.टी.डी.सी. के साथ प्रत्येक होटल ने समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता–ज्ञापन के अनुसार हमें वर्ष 2000–2001 के अंत तक 18 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में हम 12.50 करोड़ रुपये के लाभ की आशा कर रहे हैं। होटल प्रभाग, अशोक ट्रेवल्स और टूर तथा शुल्क मुक्त दुकानों से भी लाभ होने की पूरी–पूरी संभावना है।

श्री के. मलयसामी : महोदय, मुझे यह सूचना मिली है कि भारत में होटल उद्योग में काफी संभावनाएं हैं। अब तक ऐसी संभावना के केवल 12–13 प्रतिशत का ही उपयोग किया जा सका है। अगर ऐसी बात है तो ऐसे संभावित क्षेत्र की संभाव्यता का लाभ अभी तक क्यों नहीं उठाया जा सका है ? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

यह मानकर कि सरकार की वर्तमान नीति विनिवेश की है, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वह निजीकरण या निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात सोच सकती है ताकि परियोजना के आरम्भ से ही उन क्षेत्रों का लाभ उठाने में निजी क्षेत्र को शामिल किया जा सके जिनका पहले लाभ नहीं उठाया जा सका था।

तीसरे, आई.टी.डी.सी.के होटलों के विपरीत जब निजी क्षेत्र के होटल अच्छा कारोबार कर रहे हैं तो हम विनिवेश क्यों करें क्या यह कुप्रबंध के कारण है या अप्रभावी प्रबंधन के कारण है ?

श्री अनन्त कुमार : पिछले दो वर्षों से भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पिछले वर्ष यह 2.35 मिलियन थी। इस वर्ष, यह 2.48 मिलियन है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कारगिल युद्ध और 2–3 चुनाव होने के बावजूद उनकी संख्या में वृद्धि हुई है।

श्री के. मलयसामी : निजी क्षेत्र के होटल अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिर सरकारी होटल क्यों नहीं ?

श्री अनन्त कुमार : मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। दूसरे, जहां तक घरेलू पर्यटन का संबंध है, क्योंकि उन्हें भी होटल आवास, अपने बजट के अनुसार आवास, यात्री निवासों और यात्रिकाओं की आवश्यकता है, इनमें काफी सुधार हुआ है। पिछले वर्ष 165 मिलियन घरेलू पर्यटकों ने भ्रमण किया। इस सम्माननीय सभा में यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष देश भर में 175 मिलियन पर्यटक आएंगे।

श्री वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई विनिवेश की नीति को हमें गौण क्षेत्रों से हटाकर निजी प्रबंधन को देना चाहिए। इसलिए, आई. टी.डी.सी. के विनिवेश का कार्य किया गया है। 1997 में ही विनिवेश आयोग ने सिफारिश की थी कि बंगलौर और दिल्ली में प्रमुख संपत्ति प्रबंधन लीज संविदा पर दी जानी चाहिए जबकि अन्य संपत्तियां अलग करके उनका शत–प्रतिशत विनिवेश किया जाना चाहिए। होटलों में भीड़–भाड़ और होटलों के कार्य में वृद्धि का संबंध सीधे पर्यटकों के आगमन से है। दोनों ही कार्य हो रहे हैं। हमें सितारा होटलों में 1,12,000 से अधिक कमरों की आवश्यकता है। हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना है। हम इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मंदिरों का पर्यटक स्थलों के रूप में विकास

***362. श्री सुरेश चन्देल** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के प्रसिद्ध मंदिरों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन दल ने हिमाचल प्रदेश के कतिपय विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का इसके अनुरूप विकास किए जाने की भी सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है और हिमाचल प्रदेश के किन–किन मंदिरों का इसके अनुरूप विकास किया गया है अथवा विकास किए जाने का प्रस्ताव है ?

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग में मंदिरों को विकसित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, तीर्थ स्थलों के आस-पास पर्यटक अवसंरचना के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। तदनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को राज्य के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के आस-पास पर्यटक सुविधाएं विकसित करने के लिए 219.41 लाख रुपए की 10 पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गयी थी। परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्रम सं.	परियोजना/योजना का नाम	राशि (लाख रुपए में)
1.	जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में चामुण्डा देवी में सराय का निर्माण	08.23
2.	नन्दी जिले में रेवलसर में पर्यटक सराय	12.05
3.	हटकोटी, जिला शिमला में पर्यटक लॉज	17.00
4.	चिन्तपूर्णी, जिला ऊना में पर्यटक लॉज	10.00
5.	ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा में पर्यटक सुविधाएं	12.70
6.	ज्वालामुखी में यात्री निवास	27.19
7.	पोंटासाहिब, जिला सिरमोर में पर्यटक परिसर	27.11
8.	दिओतसिद्ध, जिला हमीरपुर में यात्री निवास	15.00
9.	सिरमोर जिले में रेनूका के लिए एकीकृत पर्यटन विकास योजना	50.00
10.	मण्डी जिले में पराशर झील क्षेत्र का विकास	40.13
	कुल	219.41

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जो जवाब आया है वह बड़ा नकारात्मक है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत के लोगों का तीर्थाटन करने का स्वभाव वर्षों पुराना है और तीर्थाटन ही यातायात का आधार रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यहां के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, यह तीर्थाटन यातायात का आधार है, पर्यटन का आधार है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इस तरह का अध्ययन दल भविष्य में गठित करने की योजना है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आज भी चाहे अजमेर शरीफ हो या वैष्णो देवी का मंदिर हो, लाखों लोग यहां से वहां जाते हैं। हमारे लोगों की भावना वहां के जल, जंगल और जमीन को प्रदूषित करने की नहीं होती, बल्कि वे श्रद्धा के सुमन अर्पित करने वहां जाते हैं। इस भावना को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी इस तरह का अध्ययन दल गठित करने और उन स्थलों को और अधिक विकसित करने के लिए कोई योजना बनाएंगे ?

श्री अनन्त कुमार : 1992 में एक अध्ययन दल की नियुक्ति हुई थी और हम तीर्थस्थानों की अभिवृद्धि और प्रगति के लिए एक तीर्थस्थान विकास बोर्ड बना रहे हैं।

श्री सुरेश चन्देल : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के जिन स्थलों के लिए उन्होंने 2 करोड़ 19 लाख रुपया दिया है, वह लगभग 10 स्थानों के विकास के लिए दिया है। मुझे लगता है कि यह राशि बहुत कम है। क्या मंत्री महोदय इस राशि को बढ़ाएंगे ?

यहां दिल्ली में छतरपुर का एक मंदिर है जहां लगभग 500 करोड़ रुपये की संपत्ति है और वहां के जो महंत थे, उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखा था कि इसको टेकओवर कर लिया जाए। वहां के ट्रस्टीज़ जिस तरह से आपस में उलझ रहे हैं, क्या उसको टेकओवर करके अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है ?

श्री अनन्त कुमार : हिमाचल प्रदेश में जो तीर्थस्थान हैं, उनके विकास के लिए यदि कोई नया प्रस्ताव आएगा तो हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे।

छतरपुर के मंदिर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मंदिरों का टेकओवर पर्यटन विभाग का काम नहीं है और यदि तीर्थस्थानों के अगल-बगल में जो पर्यटकों और भक्तों के लिए सुविधा चाहिए, उसके लिए हमें जो करना चाहिए, वह करने के लिए हम तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज : महोदय, वास्तव में भारत सरकार का पर्यटन विभाग इस देश के प्रमुख मंदिरों के आस–पास पर्यटन का विकास कर रहा है।

महोदय, केरल में सबरीमाला प्रमुख तीर्थस्थल है। आप प्रत्येक वर्ष सबरीमाला जाते हैं। आप जानते हैं कि उस मंदिर में तथा इसके आस–पास पर्यटकों की कितनी भीड़ होती है।

मुझे माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह समझ आया है कि प्रमुख मंदिरों के आस–पास पर्यटन की क्षमता का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया है। मैंने देखा है कि केवल हिमाचल प्रदेश के संबंध में ही अध्ययन किया गया है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इस अध्ययन दल द्वारा पूरे भारत मे अध्ययन कराने की सोच रहे हैं और क्या वह सबरी माला मंदिर के आस–पास पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की सोच रहे हैं ?

श्री अनंत कुमार : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ जल्दी ही सबरीमाला जाऊंगा. ....*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज : आपका स्वागत है....*(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार : पिछले आठ वर्षों के दौरान 89 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है और देश भर में विभिन्न तीर्थ स्थानों पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर पूरी होने वाली हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके भ्रमण के लिए भगवान और मंदिर को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा ?...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : समस्या पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ है। वे जमीन नहीं देते...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : मैंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। जहां तक सबरीमाला का संबंध है हमने गुरुवयूर में पर्यटन लॉज के लिए 49.50 लाख रुपए दिये हैं...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज : मैं सबरीमाला की बात कर रहा हूं। सबरीमाला और गुरुवयूर दोनों अलग स्थान हैं...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : जहां तक सबरीमाला में पर्यटन सुविधा केन्द्र के निर्माण किये जाने का संबंध है हमने इसके लिए 1.04 करोड़ रुपए भी दिए हैं।

श्री पी.सी. थामस : यह उत्तर बहुत छोटा है।...*(व्यवधान)*

डॉ. रंजीत कुमार पांजा : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत में न केवल मंदिर बल्कि विभिन्न धार्मिक समूहों के पूजा के अलग–अलग अनेक स्थान भी हैं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री ने भारत के पर्यटन मानचित्र पर पूजा के इन स्थानों को ऐतिहासिक महत्त्व, सांस्कृतिक और वास्तुकला सौंदर्य की दृष्टि से शामिल करने की कोई योजना बनाई है। कम–से–कम विदेशियों को हमारे देश में अनेकता में एकता की झलक तो मिल सके।

श्री अनंत कुमार : महोदय, इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्य को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि मैंने अभी तक अपने उत्तर में मंदिर शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया है। मैं बहुत सोच समझकर और जानबूझकर तीर्थस्थल का प्रयोग कर रहा हूं। मेरी शब्दावली में तीर्थस्थलों में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जैन मंदिर, बौद्ध मठ और अन्य धार्मिक स्थान शामिल हैं।

महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यह इस देश में विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने का मुख्य तरीका है क्योंकि भारत में पर्यटन का मुख्य आधार सांस्कृतिक पर्यटन है। कई वर्षों से हम पूजा के स्थानों या मंदिरों के उत्थान के लिए बिल्कुल धन नहीं दे रहे हैं। परंतु हम उन तीर्थस्थलों में तीर्थ यात्रियों और भक्तों तथा पर्यटकों की सुविधाओं के लिए धन आबंटित कर रहे हैं। इसलिए यह भारत सरकार या पर्यटन विभाग का अधिकार नहीं है कि मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे या जैन मंदिर या बौद्ध मठ का निर्माण करे बल्कि उन क्षेत्रों में सुविधाओं का विकास करे।

श्री शिवराज वि. पाटील : हम पर्यटन पर चर्चा करते रहे हैं परंतु दुर्भाग्यवश हम घरेलू पर्यटकों की अपेक्षा विदेशी पर्यटकों पर जोर देते रहे हैं। अभी–अभी माननीय मंत्री ने सभा को सूचना दी है कि हमारे देश में 175 मिलियन घरेलू पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। विदेशी पर्यटन से हमें विदेशी मुद्रा मिलती है परंतु घरेलू पर्यटन से हमें रोजगार मिलता है। एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब देश के एक भाग से लोग देश के दूसरे भागों में यात्रा करते हैं तो राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी तीर्थ स्थान पहाड़ों और जंगलों में बने हुए हैं तथा वहां प्राकृतिक सुंदरता है, तो जो कोई भी वहां जाता है उसे एक तरह

की खुशी, उत्साह और मानसिक शांति मिलती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के लिए यह जरूरी है कि घरेलू पर्यटन पर अधिक रुपया खर्च करे। परंतु हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में केवल 216 लाख रुपया ही खर्च किया गया है और मुझे विश्वास है कि इतनी कम राशि अन्य राज्यों में भी खर्च की जाती है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा घरेलू पर्यटन से होने वाले लाभ को देखते हुए क्या हम इस संबंध में कुछ अधिक करेंगे, क्या भारत सरकार कुछ अधिक खर्च करेगी, क्या इस समय विनिवेश कर रही भारत सरकार राज्य सरकारों से आधारभूत सुविधाओं पर अधिक खर्च करने को कहेगी और क्या भारत सरकार इन सभी स्थानों पर घरेलू पर्यटकों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र से कहेगी ? अगर हम ऐसा नहीं करते तो मैं समझता हूं कि पर्यटन संबंधी हमारी नीति असफल हो जाएगी। केवल विदेशी पर्यटन पर जोर देना ही काफी नहीं होगा। हमें घरेलू पर्यटन की सुविधाओं का विकास करना होगा। इससे आखिर में विदेशी पर्यटन को ही मदद मिलेगी। क्या भारत सरकार इस तरह की कोई नीति बनाएगी, इसको कायम रखेगी और इसको लागू करेगी ?

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं श्री शिवराज पाटिल से पूरी तरह सहमत हूं कि यद्यपि पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का तीसरा बड़ा स्रोत है फिर भी माननीय वित्त मंत्री की कृपा दृष्टि और ध्यान इस क्षेत्र की ओर नहीं गया है। पर्यटन का योजना आबंटन 135 करोड़ रुपया है। मैं यहां—क्योंकि मुझे आशा है कि सभी सदस्य इसकी प्रशंसा करेंगे— यह उल्लेख करना चाहता हूं कि 135 करोड़ रुपए के योजना आबंटन तथा विभिन्न राज्य सरकारों को समान राशि का आबंटन करके पर्यटन को 13,041.81 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा राजस्व प्राप्त हुआ है अर्थात् 3350.69 मिलियन अमेरिकी डालर। सबसे पहले वस्त्र उद्योग 44,000 करोड़ रुपए, दूसरे 22,500 करोड़ रुपए के साथ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, तीसरे 13,000 करोड़ रुपए पर पर्यटन उद्योग आता है। एक और बात है कि वस्त्र तथा सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य विभिन्न निर्माण उद्योग, जिसमें निर्यात होता है वह आयात का साधन है परंतु यही एक मात्र क्षेत्र है जहां आयात की संभावना है और हमें विदेशी मुद्रा मिल रही है।

देश में घरेलू पर्यटन के प्रश्न की बात करते हुए मैं राजस्व मंत्री श्री धनंजय कुमार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हर वर्ष हम 277.91 करोड़ रुपए कर राजस्व लेते हैं परंतु यह पर्यटन के लिए किया गया आबंटन नहीं है। परंतु इसका आधा भाग आबंटन के लिए है। इससे रोजगार को बढ़ाने के काफी अवसर मिलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री ताराचन्द साहू।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? हरेक व्यक्ति पर्यटन के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा है। पर्यटन केन्द्रों पर मंदिरों के विकास से संबंधित प्रश्न है। कृपया प्रश्न भी समझिए। प्रश्न काल के दौरान पूरी पर्यटन नीति पर चर्चा की गई है। प्रश्न पर्यटन केन्द्रों में मंदिरों के विकास से संबंधित है।

श्री अनंत कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना उत्तर पूरा करना चाहता हूं।

महोदय, घरेलू पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास किए जाने के संबंध में हम दो निश्चित कार्य कर रहे हैं। पहला, हम एक पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने की सोच रहे हैं, जो देश भर के सभी तीर्थ स्थानों में सुविधाओं के उन्नयन, विकास और आधुनिकीकरण का उत्तरदायित्व संभालेगा। दूसरा, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष की तरह पर्यटन विकास कोष बनाने की आवश्यकता है, जिसमें किए जाने वाले योगदान पर वित्तमंत्री जी की कृपा से आयकर में शत–प्रतिशत छूट दी जा सकती है और कॉरपोरेट क्षेत्र इसमें भाग ले सकता है और धन इकट्ठा कर सकता है। हमने एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया है और उस दृष्टिकोण पत्र के अनुसार देश के पर्यटन क्षेत्र में तेजी लाने के लिए अगले दस वर्षों में 48,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द साहू : अध्यक्ष महोदय, विश्व के पर्यटक जब भारत की ओर आते हैं तो भारत के वर्तमान स्वरूप को देखने के लिए नहीं आते, भारत के अतीत को देखने के लिए आते हैं। दुनिया के सारे देशों में वहां का भूत हार चुका है, वर्तमान शासन कर रहा है।

[अनुवाद]

भूत का स्थान वर्तमान ने ले लिया है और यहां वर्तमान शासन कर रहा है।

[हिन्दी]

यह केवल भारत है जहां आज भी अपने वर्तमान के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भूतकाल संघर्ष कर रहा है। इसलिए जो भी पर्यटक भारत की ओर आकर्षित होते हैं, वे भारत के वर्तमान को देखने के लिए नहीं होते। हमने 45–50 सालों में कुछ नहीं किया कि भारत के वर्तमान को देखने के लिए विश्व के पर्यटक आएं। भारत का प्राचीन ऐसा समृद्ध है कि उसे देखने के लिए पर्यटक आते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विषय पर चिन्ता कर रही

है कि जितने पौराणिक, ऐतिहासिक और भारत के अन्य प्राचीनकालीन अवशेष हैं, उनके संवर्द्धन के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ताकि पर्यटक बड़ी संख्या में वहां आ सकें और भारत को और अधिक विदेशी मुद्रा मिल सके ?

श्री अनन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग से सहमत हूं कि अतीत को देखने के लिए पर्यटक आते हैं और सांस्कृतिक पर्यटन हमारा मेनस्टे है। मैं दूसरे भाग से सहमत नहीं हूं कि वर्तमान को देखने के लिए कोई नहीं आएगा। वर्तमान में भी बहुत ऐचीवमैंट्स किए हुए हैं। भारत सरकार की टूरीज़्म में इम्प्रूवमेंट करने की लगातार कोशिश है। इसलिए हम प्लान बनाते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं।

कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. धनीराम शांडिल्य : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की विशाल सांस्कृतिक विरासत और इन वर्षों में धरेलू पर्यटकों के साथ–साथ विदेशी पर्यटकों द्वारा प्रदर्शित की गई गहरी रुचि को देखते हुए अपनी सम्पूर्ण क्षमता को कार्यान्वित करने के लिए क्या कोई विस्तृत आधारों वाली नीति की रूप रेखा तैयार की गई है। क्या सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति तैयार की गई है जिसके द्वारा हम बेरोजगारी के संकट को कम करने के लिए घरेलू पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटकों को भी आकृष्ट कर सकें, जैसा कि श्री शिवराज पाटील द्वारा लाया गया ? अधिकतर देशों में चाहे वो विकरित हों या विकासशील हों हम देखते हैं कि इस तरह के पर्यटन से उनको काफी ज्यादा आय का अर्जन हो रहा है। यदि हम अपनी इस क्षमता को साकार रूप देते हैं तो मेरे विचार से हम बेरोजगारी के इस संकट को कम कर सकते हैं। पहला तो यह है। दूसरा, हम विभिन्न राज्यों को दिशा–निर्देश भी जारी कर सकते हैं। इसलिए, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास ऐसी कोई नीति है ?

श्री अनंत कुमार : महोदय, एक व्यापक पर्यटन विकास नीति विचाराधीन है जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ–साथ राज्य और केन्द्र के बीच सहयोग पर काफी बल दिया गया है। मैं रोजगार की संभावना के बारे में माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। वर्ष 1998–99 में 147.90 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार और 201.10 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हुआ था। इस प्रकार, 340.09 लाख लोगों को रोजगार मिला था। इसका मतलब है कि अकेले पर्यटन क्षेत्र के द्वारा लगभग 4 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कृषि और वस्त्र के बाद पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की जबर्दस्त संभावना हो सकती है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चूंकि आप खजुराहो का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसलिए आपको अनुमति दी जा रही है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यहां मंदिरों पर आधारित पर्यटनस्थलों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि न केवल मैं उस क्षेत्र से प्रतिनिधि हूं, जहां विश्वप्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर हैं, बल्कि मेरा जन्म भी वहां हुआ है। पिछले अनेक वर्षों में मैंने उन मंदिरों के विकास के पूरे इतिहास को अपनी आंखों से देखा है। मैं एक बहुत महत्त्वपूर्ण और तकनीकी पक्ष की ओर मंत्री जी, आपका ध्यान आकर्षित करके प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या हो रहा है कि ये मंदिर सेंडस्टोन से बने हुए हैं और खजुराहो के उन मंदिरों के बनाने में कोई गारा या मसाला नहीं मिलाया गया है। वे इंटरलॉकिंग सिस्टम से बने हैं। पिछले वर्षों में आर्कोलोजी डिपार्टमेंट से, पुरातत्व विभाग के द्वारा इन मंदिरों की सफाई का काम अनेक वर्षों से शुरू किया गया है। इस पर एक अध्ययन की रिपोर्ट छपी है। शायद आप तक पहुंची हो या न पहुंची हो, अगर न पहुंची हो तो मंगाकर पढ़ लीजिएगा। उसमें जो रसायन, जो केमीकल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वे रसायन सेंडस्टोन के अन्दर जहां पर इंटरलॉकिंग जोइंट्स हैं, उसके अन्दर वह उसे ध्वस्त कर रहे हैं और यह खतरा पैदा हो रहा है कि हमारे पास जो इतनी बड़ी विश्व सम्पदा है, धरोहर है, कहीं ऐसा न हो कि गलत रसायनों के इस्तेमाल के कारण वह सम्पदा ध्वस्त हो जाये। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पर मंत्री जी एक अध्ययन करवाएंगे और क्या एक एक्सपर्ट्स की टीम, जिसमें रसायन विशेषज्ञ भी हों, वे भी इसमें शामिल किये जायें। इस पर पूरी विस्तृत जांच हो। न केवल खजुराहो के, बल्कि सेंडस्टोन पर आधारित जो भी मंदिर जहां बने हैं, इस देश में, जिससे ये प्रमुख पर्यटनस्थल ध्वस्त न होने पायें।

श्री अनन्त कुमार : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी भारतीय पुरातत्व, आर्केलोजिकल मोनूमेंट्स के प्रिवेंशन और कंजर्वेशन के बारे में है,

[अनुवाद]

हमारे यहां सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला

है जो पूरे देश में स्थित विभिन्न पुरातात्विक स्मारकों का वैज्ञानिक तरीके से परिरक्षण और संरक्षण का काम कर रही है। इस आशय का कोई प्रतिवेदन सरकार के समक्ष नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यह हो रहा है, आप रिपोर्ट मंगवा लीजिए और कृपा करके वहां टीम भेजिये। आप जांच करवा लीजिए, नहीं कराएंगे तो यह अभूतपूर्व सम्पदा नष्ट हो जायेगी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं इस सभा को आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार देश की पुरातात्विक विरासत का संरक्षण, परिरक्षण और उनको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, भारत में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं। इससे बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। इस प्रतिष्ठित सभा में मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, वह पर्यटन के माध्यम से अर्जित किए जाने वाले राजस्व पर विचार किए बिना ही कहा है, इस आमदनी की तुलना में पर्यटन क्षेत्र को दिया जाने वाला बजट आबंटन भी बहुत थोड़ा है। यही एकमात्र क्षेत्र है जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होता है। आप गोवा का उदाहरण लें। गोवा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। इसलिए, महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि पर्यटन के लिए भी वैसा ही कुछ करें जैसा हम डीजल एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से कर प्राप्त कर रहे हैं और उससे होने वाले राजस्व को राष्ट्रीय राजमार्गों में लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : येरननायडूजी, प्रश्न का संबंध मंदिरों के विकास से है। कृपया इसका ध्यान रखें।

श्री के. येरननायडू : महोदय, मैं पर्यटन की बात कर रहा हूं और इसमें सभी चीजें शामिल हैं। जब तक पर्यटन के लिए बजट प्रावधानों में वृद्धि नहीं की जाती है, हम इस देश में पर्यटन का विकास कैसे कर सकते हैं ? यहां तक कि पर्यटन के लिए किया जाने वाला केन्द्रीय बजटीय प्रावधान कुछ राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन के लिए आबंटित किए गए बजटीय प्रावधानों से भी कम होता है। मेरे दृष्टिकोण से, सभा को एक संकल्प पारित कर सरकार से पर्यटन बजट को बढ़ाने के लिए कहना चाहिए। बजट में वृद्धि किए बगैर, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए; मंत्री महोदय को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री अनंत कुमार : श्री येरननायडू जी का सुझाव स्वीकार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 363

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : आपने पहले क्वश्चन में मेरा नाम पुकारा था, जबकि हमने दूसरे के लिए दिया हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, दूसरे प्रश्न में आपको मौका मिलेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमने कहां पूछा, हमने तो दूसरे के लिए पूछा था।

[अनुवाद]

आयकर अधिनियम

***363. श्री सुबोध मोहिते :**

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयकर अधिनियम में सुधार करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयकर विभाग ने यह निर्णय किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी नए मामलों की छानबीन नहीं की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आयकर विभाग के पास ऐसे कितने मामले लंम्बित पड़े हैं जिनमें मुकदमा चल रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार द्वारा आयकर अधिनियम की निरन्तर समीक्षा की जा रही है और वित्त अधिनियमों एवं आयकर (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से आवश्यक संशोधन किये जाते हैं। जिसके फलस्वरूप आयकर अधिनियम में सुधार करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि चालू व्रित्त वर्ष के दौरान संवीक्षा के लिए मामलों का चयन अनिवार्य श्रेणी के मामलों जैसे तलाशी और जब्ती निर्धारण, सर्वेक्षण निर्धारणों, पुनः खोले गए मामलों अलग रखे गए मामलों, न्यायालय के आदेश के अनुसरण में निर्धारण और केन्द्रीय मंडलों में निर्धारित किये गये मामलों तक ही सीमित रखा जाएगा। कर–निर्धारण अधिकारियों द्वारा संवीक्षा के लिए किसी अन्य मामलों के नेमी चयन को आस्थगित रखा गया है। तथापि, उच्च राजस्व की सम्भाव्यता के विशेष मामलों में, मामलों को मुख्य आयकर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से संवीक्षा के लिए लिया जा सकता है। वित्त वर्ष 2000–2001 के लिए विभाग की कार्य योजना में करों की वसूली एवं कम्प्यूटरीकरण को वर्ष के कार्य की मदों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विचार किया गया है। इस संदर्भ में संवीक्षा कार्य को उपर्युक्त मामलों तक ही सीमित रखा गया है।

(ङ) दिनांक 31.5.2000 की स्थिति के अनुसार आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष आयकर विभाग के पास 122300 अपीलें लम्बित पड़ी हुई हैं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे पूरी बात रखने का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप केवल पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : थोड़ा बैकग्राऊंड बनाना पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह भी कि आप प्रश्न काल में कुछ भी पढ़ नहीं सकते हैं।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, यह वित्तीय सुरक्षा का मामला है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि वे सतत् रूप से आयकर अधिनियम की समीक्षा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मेरा सवाल यह है कि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को इनकम टैक्स एक्ट मीट नहीं करता इसलिए रिव्यू कर रहे हैं। यह हमारी आवश्यकता है। मैं यहां पर दो फैक्टर रखना चाहता हूं :

[अनुवाद]

महोदय, यह आज के समय की मांग है क्योंकि भारतीय राष्ट्रिकों के साथ किए गये व्यवहार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा विदेशी संस्थानों के साथ किए गए व्यवहार में अंतर है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक 'बाह्य कारकों पर नियंत्रण रखना' है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 13 अप्रैल, 2000 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र अवैध है। महोदय, मेरे पास सबूत है। प्रमाणीकरण नियम, 1958 में यह लिखित रूप से दिया गया है कि परिपत्र पर केवल केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष ही हस्ताक्षर कर सकता है। मेरे पास प्रमाणीकरण नियम, 1958 है और मैं इसे माननीय मंत्री जी को दिखा सकता हूं।

[हिन्दी]

इस सर्कुलर के पीछे साजिश है, 10 अप्रैल को इनकम टैक्स के नोटिस दिए गए और 13 अप्रैल को यह सर्कुलर निकाला गया, जिसकी वजह से नेशनल रेवेन्यू का अरबों रुपये का लॉस हुआ है। इस सर्कुलर में क्या है ?

[अनुवाद]

परिपत्र के द्वारा संधि में संशोधन किया गया है। संधि का अनुच्छेद 13(2) उस परिपत्र के संबंध में लागू होता है। तथापि, वह परिपत्र संधि के अनुच्छेद 13(4) को शामिल करता है जो इस मामले में लागू नहीं होता है। मेरे पास संधि की प्रति भी है। जब

[हिन्दी]

मंत्री जी बोल रहे हैं कि टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे,

[अनुवाद]

मेरा पहला सवाल यह है कि क्या आयकर अधिनियम की समीक्षा करने के दौरान माननीय मंत्री जी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों की समीक्षा करने पर विचार करेंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न है....

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, भारत में कर कानूनों का ऐतिहासिक रूप से बड़ा ही सुनिश्चित और सुस्पष्ट सामाजिक–आर्थिक उद्देश्य है। महोदय, कर छूटों या रियायतों का बड़ा ही विस्तृत घेरा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियमों की सतत् रूप से समीक्षा का कार्य करना इस विभाग का उद्यम है। वास्तव में, वर्ष 1996 में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया था और उस विशेषज्ञ समूह ने एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, और उस विशेषज्ञ

समूह द्वारा की गई अधिकतर सिफारिशों को क्रियान्वित करने के प्रयास किए गए हैं।

पुनः, डॉ. पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता में एक और विशेषय समूह गठित किया गया है। यह विशेषज्ञ समूह सरकार को मुख्यतः 7.5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि दर के साथ दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधन जुटाने में सुधार करने की सिफारिशों और व्यावहारिक नीति संबंधी पहल के संबंध में सुझाव देगा। विशेषज्ञ समूह को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नवम्बर, 2000 तक का समय दिया गया है। प्रतिवेदन जब कभी भी प्रस्तुत किया जाएगा, हम उसकी जांच करेंगे और सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, उन्होंने प्रश्न का जवाब नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)* मेरा प्रश्न था कि क्या 13 अप्रैल को जारी परिपत्र प्रमाणीकरण नियमों के अनुसार अवैध था या नहीं। यह मेरा प्रश्न है। ...*(व्यवधान)* मेरे प्रश्न का जवाब कहीं नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रिप्लाई दे रहे हैं, आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार : जहां तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सन्दर्भ का संबंध है, मैं जोर देते हुए कहूंगा कि परिपत्र कानून के प्रावधानों के अनुसार और कानून की स्वीकृति से जारी किया गया था।

अब, माननीय मंत्री जी कुछ दिशा–निर्देशों, जिनके माध्यम से परिपत्र को प्रमाणित करना होगा, की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। मैं सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि परिपत्र को कानून और नियमों के अनुसार प्रमाणित किया गया था।...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, हमें इस पर आधे घंटे की चर्चा अवश्य करवानी चाहिए, मंत्री जी ने श्री मोहिते के प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया। श्री मोहिते ने एक अत्यधिक महत्त्व का प्रश्न उठाया है. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध मोहिते, कृपया दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय मेरे पास नियमों और विनियमों की एक अधिप्रमाणित प्रति है। इस परिपत्र को विशेष कार्य अधिकारी ने हस्ताक्षरित किया है जबकि उसके पास ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, हमें इस पर आधे घंटे की चर्चा अवश्य करवानी चाहिए। आयकर विभाग में होने वाला यह सबसे बड़ा घोटाला है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम चाहते हैं कि इस पर आधे घंटे की एक चर्चा हो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया के अनुसार, कृपया, श्री सुबोध मोहिते को दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मंत्री जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह बड़ा घोटाला है और हमें इस पर सभा में आधे घंटे की चर्चा करनी ही चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, वास्तव में ही मेरे पास नियमों और विनियमों की प्रति है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार को सभी तथ्य स्पष्ट करने चाहिए। हमें इस पर आधे घंटे की चर्चा अवश्य करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने दो और तभी हम इसके बारे में निर्णय करेंगे।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि परिपत्र वैध है। नियम संसद द्वारा बनाए जाते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध मोहिते आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता क्योंकि मुझे पहले प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

वित्तमंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं जब पिछले सत्र में वित्त विधेयक को यहां चर्चा के लिए लाया गया था तब यहां पर कुछ सदस्यों ने भारत–मारीशस दोहरी कराधान परिवर्जन संधि का प्रश्न उठाया था। मैंने इस अवसर पर अपने उत्तर में संधि के विभिन्न उपबन्धों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। जिस परिपत्र का जिक्र माननीय सदस्य ने किया वह उस समय भी अस्तित्व में था जब मैं वाद–विवाद का उत्तर दे रहा था। यद्यपि मुझे तत्परता से यह भी कहना है कि चाहे इस पर आधे घंटे की चर्चा हो या कोई

अन्य चर्चा, इसके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन बातों को उचित परिप्रेक्ष्य में करते हुए मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत–मारीशस दुहरी कराधान परिहार सन्धि पर हस्ताक्षर 1982 में किए गए थे। हमने भारतीय शेयर बाजारों को विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश किए जाने के लिए वर्ष 1993 में खोला था। उस दौरान मारीशस ने अपने कर संबंधी कानूनों को परिशोधित किया था।...*(व्यवधान)* महोदय, इस बावत मेरी बात अवश्य सुनी जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते : महोदय मेरे पास परिपत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध है....*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैं इसी परिपत्र पर आ रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं और आप उन्हें बाधित कर रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मुझे जो कुछ भी इस बारे में कहना है उसे पूरा कहने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री जी उत्तर दे रहें हैं तब इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए, श्री बसुदेव आचार्य, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, हम इस पर कब चर्चा करेंगे ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के अलावा, कार्यवाही–वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री यशवंत सिन्हा : जब हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार में आने और निवेश करने की अनुमति दी तब 1993 में ही यहां किए गए संशोधनों के अनुरूप ही मारिशस ने अपने कर–कानूनों में संशोधन किया। उसने अपने आप को कुछ निश्चित कर रियायत युक्त अपतटीय बैंकिंग सुविधाओं वाला द्वीप घोषित किया। अक्टूबर 1993 में मुम्बई आयकर आयुक्त से इस सन्धि से उठे कतिपम मुद्दों के बारे में जिक्र आया और बोर्ड ने इस बारे में स्पष्टीकरण जारी कर दिया था, मैंने इन सभी बातों की चर्चा यहां की थी। तत्पश्चात्, इस स्पष्टोकरण की सूचना समाचार पत्रों में आने पर तत्कालीन सरकार ने इस स्पष्टीकरण के बिलकुल विपरीत स्पष्टीकरण मार्च 1994 में जारी कर दिया कि जिन कम्पनियों पर मारिशस में कर लगा दिया गया है उन पर भारत में कर नहीं लगेगा। अब एक मात्र बात जिसका स्पष्टीकरण 13 अप्रैल के परिपत्र ने किया है और जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है कि परिपत्र के अनुसार जिस कम्पनी पर मारिशस में कर लगाया जाएगा दुहरे कराधान परिवर्जन समझौते के तहत उस पर भारत में कर नहीं लगेगा और यदि मारिशस सरकार इस संबंध में प्रमाण पत्र जारी करेगी तो हम उसको मान लेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो हम इस पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा किए जाने की अनुमति देता हूं। अब हमें प्रश्न संख्या 364 पर आना चाहिए, श्री अजय सिंह चौटाला।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह गम्भीर मामला है, यह सबसे बड़ा कांड है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस पर आधे घंटे की चर्चा करने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे दी है, आपने आधे घंटे की चर्चा की मांग की थी और इस पर मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने इसकी अनुमति दी है। तब, आप पुनः शोरगुल क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में श्री अजय सिंह चौटाला के अनुपूरक प्रश्न के अलावा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आधे घंटे की चर्चा करने की

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुमति दे दी है। आपने इसकी माग की थी और सरकार इसके लिए राजी हो गई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं। श्री मणि शंकर अय्यर और श्री दासमुंशी ने आधे घंटे की चर्चा की मांग की थी, सरकार इसके लिए राजी हो गई है और अध्यक्षपीठ ने इसकी अनुमति दे दी है। फिर, पुनः शोरगुल क्यों कर रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु, यह 'प्रश्न काल' का समय है और कृपया, आपको समझना चाहिए कि 'प्रश्नकाल' को बाधित नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि इसकी एक प्रक्रिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? क्या 'प्रश्न काल' के दौरान मामले उठाने का तरीका ऐसा है ? आपने आधे घंटे की चर्चा की मांग की थी। मंत्री जी इसके लिए पहले ही सहमत हो गए हैं और अध्यक्ष पीठ ने भी इसकी अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आय में विदेशी निवेश

***364. श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय में विदेशी निवेश और विदेशी ऋण का प्रतिशत कितना था;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हमारे देश में अधिकतम निवेश करने वाले पांच प्रमुख देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निवेश की शर्तें क्या हैं;

(घ) विदेशी निवेश और ऋण का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में विदेशी निवेश और विदेशी ऋण की भूमिका को कम करने हेतु घरेलू संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इसके संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रति विदेशी निवेश तथा विदेशी ऋण का अनुपात निम्नांकित है :

वर्ष	विदेशी निवेश/ सकल घरेलू उत्पाद	विदेशी ऋण/ सकल घरेलू उत्पाद
1996–97	1.60	24.70
1997–98	1.32	24.40
1998–99	0.57	23.50
1999–2000	1.16*	22.30*

*अनन्तिम

(ख) विगत तीन वर्षों में अधिकतम विदेशी निवेश अनुमोदनों वाले 5 प्रमुख देशों का विवरण निम्नांकित है :

(अनुमोदन–आंकड़े करोड़ रुपए में, कैलेण्डर वर्ष–वार)

देश	1997	1998	1999	2000 (मार्च तक)	जोड़
सयुक्त राज्य अमेरिका	13570	3562	3575	756	21463
मारिशस	10428	3166	3803	480	17877
यूनाइटेड किंग्डम	4491	3201	2963	195	10850
दक्षिणी कोरिया	1956	368	3649	26	5999
जापान	1906	1283	1595	174	4958

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) विदेशी निवेशों की अनुमति एक लघु निषेधात्मक सूची के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में दी जाती है। सभी निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार तथा देशीय कानूनों एवं क्षेत्रीय मानकों के अध्यधीन होते हैं, तथा जहां भी आवश्यक होता है, इनकी यथोचित जांच की जाती है तथा अनुमोदन किया जाता है।

(घ) हमारी अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेशों तथा उधार का प्रभाव सीमित है, जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि निवेश दर घरेलू बचतों की दर से केवल मामूली रूप से ज्यादा है। आंकड़े निम्नांकित हैं :

चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बचत तथा निवेश

वर्ष	बचत %	निवेश %
1996–97	23.3	24.6
1997–98	24.7	26.2
1998–99	22.3	23.4

(ङ) राष्ट्रीय आय में विदेशी निवेशों तथा अन्य उधारों की भूमिका बिल्कुल सीमित है। आठवीं योजना (1992–97) में सकल निवेशों में विदेशी स्रोतों का हिस्सा मात्र 4.4 प्रतिशत था। शेष 95.6 प्रतिशत निवेश का वित्तपोषण घरेलू संसाधनों से किया गया। नवीं योजना (1997–2002) में विदेशी स्रोतों का हिस्सा सकल निवेश के मात्र 7.45 प्रतिशत होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया, मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज सभा को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चौटाला को बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : महोदय, सदस्य को कोई मौका नहीं दिया गया है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपने पूर्व के प्रश्न में दूसरे सदस्य को मौका नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा कि उत्तर में दिया है, विश्व बैंक, आई.एम.एफ. और एन.आर.आई. का कितना–कितना हिस्सा... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस तरह के प्रश्न को कैसे निपटाया जा सकता है ? *(व्यवधान)* प्रश्नों की सूची में दूसरे नाम वाले सदस्य को भी आंमत्रित किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत कम है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक, आई एम एफ और एन आर आई का कितना–कितना हिस्सा किस–किस क्षेत्र में अर्थात् कृषि उद्योग एवं मानव संसाधन विकास आदि में है ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का उन्हें अधिकार है...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां : महोदय, कृपया उन्हें एक मौका दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह सदस्य का अधिकार है ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के. येरननायडू : महोदय, वे अन्य दलों के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्नों को पूछने के लिए कह रहे हैं...*(व्यवधान)* यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)* आपने पहले ही विनिर्णय दे दिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक, आईएमएफ और एनआरआई का कितना–कितना हिस्सा किस–किस क्षेत्र में अर्थात् कृषि उद्योग एवं मानव संसाधन विकास आदि में है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इस बारे में स्पष्ट जानना चाहता हूं ?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : महोदय, उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनके पास पूछने के लिए कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच समझौता

***365. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की पहल पर भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने और कृषि, जैव–प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात के संवर्धन के लिए विश्लेषणात्मक और नीति उन्मुख अध्ययन करने हेतु हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा इस संबंध में अब तक हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम चलाने के लिए सेन्टर फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। 31 जुलाई, 2000 को हस्ताक्षरित इस समझौता ज्ञापन में दोनों संगठनों के बीच पारस्परिक रूप से तय किए जाने वाले क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का प्रावधान है। अनुसंधान के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों में शामिल हैं : विभिन्न भारतीय निर्यात क्षेत्रों की आसन्न वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता संबंधी समस्याएं, विश्व व्यापार में, खासकर कृषि आधारित उद्योगों, ज्ञान आधारित उद्योगों जैसे क्षेत्रों में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए अपेक्षित उपाय, चीन, दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों तथा भारत इत्यादि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन।

(ग) आईआईएफटी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के बीच हुए प्रारम्भिक विचार–विमर्श में चालू वर्ष के लिए अनुसंधान प्राथमिकताओं के रूप में कृषि और वस्त्र उद्योग से संबंधित मुद्दों का पता लगाया गया है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन की बकाया राशि

***366. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न प्राइवेट कार्यक्रम निर्माताओं पर दूरदर्शन की कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें प्राइवेट निर्माताओं ने दूरदर्शन को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है और अपनी कंपनियों के नाम बदलकर कार्यक्रमों के निर्माण के लिये दूरदर्शन से पुनः ठेके प्राप्त कर लिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) दिनांक 16.8.2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न निजी निर्माताओं/एजेंसियों पर दूरदर्शन के बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ऐसा कोई दृष्टांत उनके नोटिस में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांक 16.8.2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न निजी निर्माताओं/एजेंसियों पर दूरदर्शन की बकाया राशि

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	16.8.2000 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि (रु. लाख में)
1	2	3
1.	आलिया प्रोडक्शंस	60
2.	ए.बी.सी.एल.	2032
3.	एड फैक्टर एडवर्टाइजिंग	7
4.	एडवान्स टी.वी. नेटवर्क	248
5.	आनन्द एडवर्टाइजिंग	140
6.	ए.[illegible].सी.ए.	60
7.	बा.वाई. पाध्या	13
8.	बालाजी टेलीफिल्म्स	25
9.	बी.ए.जी. फिल्म्स	15
10.	विधान एडवर्टाइजिंग	11
11.	चैत्र एडवर्टाइजिंग	3
12.	सिनेमा विजन	14
13.	क्लेरिऑन एडवर्टाइजिंग	30
14.	कॉन्सेप्ट एडवर्टाइजिंग	208
15.	कान्ट्रेक्ट एडवर्टाइजिंग	10
16.	कॉपी डैरक	15
17.	कॉरम कम्युनिकेशन्स	21
18.	क्रेयोन एडवर्टाइजिंग	6
19.	क्रिएटिव आई	300
20.	डाउनमोड एडवर्टाइजिंग	536
21.	दृष्टि इंडिया	350
22.	इन्टरप्राइज एडवर्टाइजिंग	20
23.	एवरेस्ट एडवर्टाइजिंग	20
24.	फिल्म क्राफ्ट	225
25.	फ्यूचर कम्युनिकेशन्स	10
26.	जी.एन. कम्युनिकेशन्स	25
27.	गोल्ड वीडियो	5
28.	गुरूजी एडवर्टाइजिंग	150
29.	हाई डेफिनिशन टी.वी.	3
30.	एच.टी.ए.	50
31.	हंसा विजन	122
32.	इन्नोविजन फिल्म एंड टी.वी. डिस्ट	25
33.	जेटियार पब्लि.	25
34.	जया एडवर्टाइजिंग	54
35.	जॉस्टिन कम्युनिकेशन्स	42
36.	किने स्कोप	70
37.	के.एल.आई.	40
38.	लिंटास	2
39.	मा बोजेल	10
40.	मैग्ना विजन	108
41.	मार्केट मूवर्स	329
42.	मैजिक बाक्स	14
43.	मीडिया एशिया	146
44.	मल्टी चैनल	1500
45.	नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन	2
46.	एन.सी.वाई.पी.	61
47.	नीरजा फिल्म्स	46
48.	एन.एफ.डी.सी.	2960
49.	निम्बस कम्युनिकेशन्स	612

1	2	3
50.	न्यूमेरो यू.एन.ओ.	183
51.	पी.एन.सी.	212
52.	पास इन्टरनेशनल	30
53.	पेन "ए" ट्रेट	4
54.	प्लस चैनल	1205
55.	प्रोमिनेन्ट	72
56.	प्राइम टाइम मीडिया	11
57.	राधा पब्लिसिटी	18
58.	आर.के.स्वामी	5
59.	श्री माधव	800 (400 बैंक गांरटी द्वारा संरक्षित)
60.	ट्रिटॉन कम्युनिकेशन्स	89
61.	युनीवर्सल	88
62.	यूरानस	130 (80 बैंक गांरटी द्वारा संरक्षित)
63.	यू.टी.वी.	45
64.	विज्ञापन	12
65.	डब्ल्यू.डी.कन्ज्यूमर	25 (विवादित)
66.	वर्ल्ड मीडिया	38 (विवादित)
67.	वर्ल्डकॉम एम/एम	58
	कुल	13805

खाद्य नीति

***367. श्री सुकदेव पासवाम :**

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक** वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने खाद्य नीति के बारे में सरकार को कतिपय सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों के क्रियान्वयन हेतु एक कार्ययोजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्ययोजना की रूपरेखा क्या है; और

(ङ) इसे किस तारीख से क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। खाद्य राजसहायता के बढ़ते हुए बिल को स्वीकार्य स्तर तक नियंत्रित रखने के लिए व्यय सुधार आयोग ने "खाद्य राजसहायता" पर अपनी रिपोर्ट में उस सिफारिश के अलावा कई सिफारिशें की हैं जो गेहूं और चावल के संबंध में भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत के निर्धारण से सीधे संबंधित है। सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) यद्यपि, गेहूं और चावल की आर्थिक लागत का पुनर्समायोजन/संशोधन करने संबंधी आयोग की सिफारिश सरकार ने पहले ही स्वीकार कर ली हैं और यह 25.7.2000 से क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे गेहूं और चावल की आर्थिक लागत संशोधित हो गई हैं जो गेहूं के लिए 830/- रुपये प्रति क्विंटल और चावल के लिए 1130/- रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष के शुरू में गेहूं की अनुमानित लागत 900/- रुपये प्रति क्विंटल और चावल के लिए 1180/- रुपये प्रति क्विंटल थी तथापि, आयोग की अन्य सिफारिशों में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व अंतरमंत्रालयीय/विभागीय परामर्श करना और राज्य सरकारों आदि के साथ भी परामर्श करना आवश्यक बताया गया है।

विवरण

व्यय सुधार आयोग की वे सिफारिशें जिनके लिए राज्य सरकारों/ मंत्रालयों/विभागों आदि के साथ परामर्श करना अपेक्षित है।

1. राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड देने और पारदर्शी तरीके से उनके लिए दिए जाने वाले लाभ उन तक पहुंचाने के लिए प्रमुख प्रयास करने होंगे।

2. हर समय 10 मिलियन टन—4 मिलियन टन गेहूं और 6 मिलियन टन चावल का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक बनाए रखना होगा।

3. वसूली नीति पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक होने के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अपेक्षित स्टॉक से अधिक स्टॉक

रखने की लागत को बजट में उपभोक्ता राजसहायता की बजाय उत्पादक राजसहायता के रूप में दर्शाया जा सकता है।

4. खाद्यान्नों के व्यापार–वसूली, भंडारण और निर्यात में राज्य सरकारों तथा प्राइवेट क्षेत्र को संगठित और बड़े पैमाने पर शामिल करना जिसके लिए प्रत्येक वर्ष प्रभावी न्यूनतम समर्थन मूल्य में की जाने वाली वृद्धि को उचित रखा जाए।

5. आगामी वसूली मौसमों में धान/चावल और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को उसी स्तर पर रोक कर रखना जिस स्तर पर वह पिछले वसूली मौसम के लिए निर्धारित किया गया था और इसमें कोई और वृद्धि किए बिना कृषि लागत और मूल्य आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा संस्तुत मूल्यों को स्वीकार करना।

6. अधिशेष खाद्यान्न उत्पादन वाली राज्य सरकारों और प्राइवेट क्षेत्र को खाद्यान्न खरीदने, बेचने और प्रत्येक वर्ष 3 मिलियन टन तक चावल तथा 5 मिलियन टन तक गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जा सकती है और यह नीति कम–से–कम 15 वर्षों तक अपरिवर्तनीय बनी रहेगी और किसी वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट होने से घरेलू खपत की आवश्यकताएं आयात से पूरी की जाएंगी।

7. न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय वसूली मूल्य लाया जाए जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, राज्यों द्वारा लगाए जा सकने वाले उचित कर और अन्य लेवियां शामिल की जाएंगी। इस प्रकार यह राज्यों पर छोड़ दिया जाए कि वे इस बारे में निर्णय करें कि वे करों और लेवियों के माध्यम से क्या रखना चाहती हैं और किसानों को क्या देना चाहती हैं।

8. लेवी के रास्ते चावल की वसूली को प्रोत्साहित करना।

9. केवल एक दर रखी जाए जैसा कि गेहूं के मामले में है और केवल एक किस्म रखी जाए।

10. आने वाले मौसम से पूर्व गुणवत्ता मानक को सीमित रखने के संदर्भ में संशोधित लेवी मूल्य निर्धारित किया जाए और लेवी प्रतिशतता मिल मालिकों की इच्छा के अनुसार 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच कहीं भी रखी जाए।

11. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, जो आर्थिक लागत को कम करने के उपाय सुझाने के लिए फिलहाल अध्ययन कर रहा है, द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के संबंध में लागत कम करने के सभी उपायों पर तीव्र कार्रवाई की जाए।

12. चावल की वसूली के लिए सिंथेटिक बोरियों का उपयोग करना।

13. जो राज्य गरीबी रेखा से नीचे के लिए किए गए आबंटन से अधिक मात्रा का वितरण करते हैं उन्हें गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए राजसहायताप्राप्त दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की बजाय नकद भुगतान किया जाए। इससे राज्य अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न सीधे अथवा व्यापारियों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी लागत पर खरीद सकेंगे जो भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत से कम बैठ सकती है।

14. केवल गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची गई मात्राएं और विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए किए गए आबंटन तथा आर्थिक लागत पर की गई बिक्री को वितरण लागत निर्धारित करने के लिए हिसाब में लेना चाहिए।

[अनुवाद]

अटारी सीमा पर तस्करी

***368. श्री आर.एल. भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सवारी" आपरेटरों द्वारा अटारी सीमा पर तस्करी का धंधा किया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अटारी के उपायुक्त ने दिसम्बर, 1998 में इस संबंध में मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) इस समय उपलब्ध आसूचना/रिपोर्टों से इस बात का पता नहीं चलता है कि "सवारी आपरेटरों" द्वारा अटारी रोड पर तस्करी की जा रही है। फिर भी, पिछले दिनों समय–समय पर ऐसी रिपोर्टें मिलती रही थीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही समझौता

एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले कुछेक यात्रियों द्वारा वाणिज्यिक मात्राओं में अर्थात् असबाब नियमावली के अंतर्गत अनुमत सीमा से अधिक मात्रा में असबाब लाने के लिए शुल्क मुक्त असबाब छूट की सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा था। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त यात्रियों के लिए इन वस्तुओं की खरीद, सीमाशुल्क और ऐसी वस्तुओं पर देय अन्य राशियों के भुगतान के लिए आवश्यक वित्त पोषण की और बाद में इन वस्तुओं के निपटान की व्यवस्था तथाकथित रूप से उन कुछेक अन्य व्यक्तियों द्वारा स्थानीय एजेंटों/रेलवे कुलियों की सहायता/मिलीभगत से की जाती थी जिन्हें "सवारी आपरेटर" कहा जाता है। जो यात्री ऐसी गतिविधि में संलिप्त होते थे उन्हें वाहक के रूप में कार्य करने के लिए कथित रूप से कुछ पारिश्रमिक मिला करता था। किन्तु, कठोर निवारक उपाय करने के साथ–साथ भारी विमोचन जुर्माना और अर्थदण्ड लगाने जैसे नियंत्रणों को कड़ा बनाने के कारण यात्रियों द्वारा असबाब छूट की सुविधा का दुरुपयोग करने की घटनाओं में काफी कमी आई है।

(ग) और (घ) जी, हां। तत्कालीन सीमा शुल्क उपायुक्त, अमृतसर द्वारा मार्च, 1999 में मंत्रालय को इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजी गई थी। उक्त रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ–साथ कुछेक सवारी आपरेटरों द्वारा समझौता एक्सप्रैस के जरिये निषिद्ध माल की तस्करी के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली और उनकी गतिविधियों का उल्लेख किया गया था। उक्त रिपोर्ट के अनुसरण में, सरकार ने गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय के परामर्श से कई निवारक उपाय किए हैं ताकि अटारी रेल, अमृतसर पर यात्री निकासी के मामले में नियंत्रणों को कड़ा बनाया जा सके और यात्रियों द्वारा निषिद्ध माल को वाणिज्यिक मात्रा में लाने/तस्करी करने की घटनाओं की रोकथाम की जा सके। अमृतसर स्थित सीमा शुल्क विभाग की तस्करी–रोधी और सतर्कता स्थापना को भी सुदृढ़ कर दिया गया है। इस संबंध में किए गए कुछेक महत्त्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(i) अटारी रेल, अमृतसर के प्लेटफार्म नं. 2 और 3 पर रेलवे कुलियों के प्रवेश पर रोक लगाना;

(ii) अटारी गांव में सवारी ऑपरेटरों अथवा उनके एजेंटों के प्रवेश पर स्थानीय पुलिस की सहायता से कड़ी निगरानी रखी जाती है;

(iii) सवारी ऑपरेटरों के साथ प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मचारियों की किसी सांठगांठ पर नजर रखने के लिए सीमाशुल्क, अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध (रॉ) और आसूचना ब्यूरो अधिकारियों की निकास के सभी द्वारों पर संयुक्त रूप से तैनाती करना;

(iv) अटारी रेलवे स्टेशन पर सीमा शुल्क, आप्रवासन, आसूचना ब्यूरो और पुलिस जैसी तैनात की गई विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के बीच नियमित रूप से संयुक्त समन्वय बैठकों का आयोजन करना;

(v) असबाब की जांच के लिए चार एक्सरे असबाब मशीनों की स्थापना करना;

(vi) देश में आने वाले यात्रियों द्वारा आयातित असबाब की शत–प्रतिशत वास्तविक जांच करना और असबाब एक्सरे मशीनों द्वारा जांच करना;

(vii) असबाब नियमावली के अंतर्गत अनुमत सीमा से अधिक आयातित असबाब पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत शत–प्रतिशत विमोचन जुर्माना और 25 प्रतिशत वैयक्तिक अर्थदण्ड लगाना;

(viii) पाकिस्तान से भूमार्ग से आने वाले यात्रियों ओर पर्यटकों के संबंध में शुल्क मुक्त असबाब छूट की सीमा को 12000/– रुपए से घटाकर 3000/– रु. करना; और

(ix) सीमा शुल्क, जी.आर.पी. और आप्रवासन अधिकारियों द्वारा समझौता एक्सप्रेस की संयुक्त रूप से तलाशी लेना।

बीमा क्षेत्र में सुधार

***369. श्री पी.एस. गढ़वी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीमा क्षेत्र में सुधार के संबंध में मल्होत्रा समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) समिति की उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और क्रियान्वित कर दिया गया है/क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इससे बीमा क्षेत्र को किस सीमा तक बढावा मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब पाटील) : (क) और (ख) श्री आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में बीमा के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया है और बीमा क्षेत्र के उदारीकरण, बीमा कारोबार के विनियमन, एलआईसी, जीआईसी और उसकी अनुषंगी कम्पनियों की पुनर्संरचना, बीमा निधियों के निवेश, ग्रामीण बीमा, बीमा पालिसी के मूल्य–निर्धारण, बीमा से जुड़े मध्यवर्तियों का व्यावसायीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नयन इत्यादि से संबंधित सिफारिशें की हैं।

चूंकि मल्होत्रा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के दूरगामी परिणाम होंगे, इसलिए बीमा क्षेत्र में सुधार आरंभ करते समय इन्हें ध्यान में रखने का निर्णय लिया गया। इन सिफारिशों के अनुसरण में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण गठित किया गया है। इस प्राधिकरण को इस अधिनियम के जरिए बीमा पालिसी-धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग को विनियमित करने, संवर्धित करने और उसका व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने तथा उनके साथ संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों के संबंध में अधिकार दिए गए हैं।

(ग) बीमा क्षेत्र के खुलने से, जो कि सुधारों का एक हिस्सा है, यह आशा की जाती है कि जीवन और साधारण बीमा दोनों की कवरेज तथा व्यापार में सुधार होगा। इसके अलावा, अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की संभावना है तथा अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए अतिरिक्त निधियां भी उपलब्ध होंगी।

बाउंस्ड चैक

***370. श्री अन्नासाहेब एम.के.पाटील :**

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाउंस्ड चैक संबंधी मामलों के निपटान हेतु एक विशेष न्यायालय का गतन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने भी बाउंस्ड चैकों के बढ़ते हुए मामलों से निपटने हेतु उपाय सुझाने वाला एक ज्ञापन सौंपा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय उद्योग परिसंघ ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 में संशोधन का सुझाव देते हुए विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय के विधि कार्य विभाग को दिनांक 19. 6.2000 को एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ साथ, सुझाव दिया गया है कि (क) अदत्त चैकों के मामले में भुगतान की मांग हेतु 15 दिनों की निर्धारित सीमा को हटाने के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138(ख) में संशोधन किया जाए और (ख) अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में कार्रवाई के लिए एक विशेष न्यायालय गठित किया जाना चाहिए। ऐसे सुझाव समाज की आवश्यकताओं के लिए अधिक अनुकूल आर्थिक कानून बनाने की चालू प्रक्रिया में लाभदायक निविष्टि होते हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व

***371. श्री विजय गोयल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आठ माह के दौरान दूरदर्शन को विभिन्न कार्यक्रमों से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान अर्जित किए गए राजस्व से यह कितना कम या अधिक है;

(ग) उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निजी चैनलों की तुलना में दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या बढ़ी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1999 से जुलाई, 2000 तक की अवधि के दौरान, दूरदर्शन ने 450.20 करोड़ रुपये का वाणिज्यिक राजस्व अर्जित किया। पिछले वर्ष की संगत अवधि अर्थात दिसम्बर, 1998 से जुलाई, 1999 के दौरान दूरदर्शन ने 271 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था। इस प्रकार, राजस्व 179.20 करोड़ रुपये अधिक रहा है।

(ग) इस वृद्धि का मुख्य कारण पुरानी बकाया देय राशियों की वसूली एवं उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों का प्रसारण, वाणिज्यिक दर सूची को तर्कसंगत बनाना, अवकाश दिवसों तथा शनिवार को फीचर फिल्मों का प्रसारण शुरू करना और अतिरिक्त समय-स्लॉट (चंक्स) उपलब्ध कराना है।

(घ) और (ङ) दूरदर्शन द्वारा अपनी दर्शक संख्या में सुधार करने हेतु किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या में निश्चित रुप से काफी वृद्धि हुई है और इसके प्रति विज्ञापकों में पुनः भरोसा पैदा हुआ है। टी.ए.एम. द्वारा किए गए विशेष मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, जून, 1999 तथा जनवरी, 2000 के बीच दर्शकों की संख्या में कुल-मिलाकर 26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस अवधि के दौरान डीडी-1, देश के सभी भागों में सबसे

अधिक देखा जाने वाला चैनल था। किसी एक घर विशेष में, किसी दर्शक ने डीडी–1 कार्यक्रमों को देखने में एक दिन में 54 मिनट व्यतीत किए जबकि जी तथा सोनी के कार्यक्रमों को देखने में उसने केवल 07 मिनट व्यतीत किए।

[अनुवाद]

केबल नेटवर्क को उद्योग का दर्जा दिया जाना

***372. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केबल नेटवर्क को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा केबल ऑपरेटरों के पास काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्कों की प्रतिष्ठापना एवं उनके प्रचालन को पहले ही लघु सेवा एवं व्यापार उद्यमों का दर्जा दे दिया गया है।

(ख) अन्य किसी व्यापार उद्यम/प्रतिष्ठान की भांति केबल आपरेटरों के पास कार्यरत कर्मचारियों के हितों का ध्यान देश के विभिन्न श्रम कानूनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार रखा जाना है।

नशीले पदार्थों की तस्करी

***373. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी के कितने मामले पंजीकृत किए गए;

(ख) कितनी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए;

(ग) क्या हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नशीले पदार्थों के बारे में कोई विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में लिए गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) महोदय, वर्ष 1998 और 1999 के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी के कुल 25475 मामले पंजीकृत किए गए थे।

(ख) उक्त अवधि के दौरान 3666 कि.ग्रा. अफीम, 55 कि.ग्रा. मार्फीन, 1516 कि.ग्रा. हेरोइन, 108334 कि.ग्रा. गांजा, 13497 कि.ग्रा. हशीश, 2 कि.ग्रा. कोकीन, 2731 कि.ग्रा. मेथाकालोन तथा 285 वर्ग "पेपर" एल.एस.डी. जब्त की गई थी।

(ग) विश्व में नशाखोरी की समस्या का प्रतिकार करने के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का 20वां विशेष अधिवेशन दिनांक 8 से 10 जून, 1998 तक न्यूयार्क में आयोजित किया गया था।

(घ) विशेष अधिवेशन में कई संकल्प पारित किए गए थे जिनमें अन्य बातों पर विचार के साथ–साथ नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित निम्नलिखित कार्रवाई करना भी शामिल था :

(i) संयुक्त राष्ट्र संघ के तीन अभिसमय अर्थात् स्वापक औषधियों के विरुद्ध 1961 के एकल अभिसमय, मनः प्रभावी पदार्थों के विरुद्ध 1971 के अभिसमय तथा स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध 1988 के अभिसमय को लागू करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय विधान को स्वीकार करना।

(ii) एम्फेटामिन किस्म के स्टिमुलेन्टों तथा उनके विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों के अवैध विनिर्माण, व्यापार तथा दुरुप्रयोग के विरुद्ध कार्ययोजना को लागू करने के लिए सन् 2003 तक राष्ट्रीय विधान तथा कार्यक्रमों को स्थापित करना अथवा उन्हें सुदृढ बनाना।

(iii) सन् 2008 तक सिंथेटिक नशीले पदार्थों सहित मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध विनिर्माण, विपणन तथा व्यापार और उनके विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली साम्रगियों के पथान्तरण की घटनाओं को समाप्त करना अथवा उनमें भारी कमी करना।

(iv) नशीले पदार्थों की फसलों को समाप्त करने तथा अवैध नशीले पदार्थों की फसलों को नष्ट करने के लिए एवं वैकल्पिक विकास के संबंध में अनतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना।

[हिन्दी]

सुपर बाजार

***374. श्री जे.एस. बराड़ :**

श्री रामजी लाल सुमन :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार स्थापित करने का उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें आज तक कुल कितना निवेश किया गया है।

(घ) देश में कितने खुदरा–विक्रय केन्द्र खोले गए हैं और वर्ष 1999–2000 के दौरान कुल कितनी राशि की बिक्री की गई;

(ङ) क्या सरकार उपभोक्ताओं को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं करा सकी है;

(च) यदि हां, इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) कारोबार की तुलना में अधिक कर्मचारी होना, आवश्यकताओं की तुलना में कार्यशील पूंजी का पर्याप्त न होना, उधार के आधार पर सप्लाई की कमी होना, बकाए का वसूली न होना, नियत लागतों और मजदूरी के बिलों के स्तर में वृद्धि, अनियमितताएं और उसके साथ ही पर्यवेक्षण तथा प्रबंधन में व्यावसायिकता की कमी जैसे अनेक कारण हैं, जिनकी वजह से सुपर बाजार उन सभी उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर सका, जिनके लिए उसकी स्थापना की गई थी।

(ग) भारत सरकार द्वारा सुपर बाजार, दिल्ली को दिए गए धन तथा सुपर बाजार दिल्ली, द्वारा अब तक लौटाए गए धन का विवरण इस प्रकार है :

(लाख रुपए में)

	अंश पूंजी	ऋण	राजसहायता	योग
(i) भारत सरकार द्वारा दिया गया धन	282.84	348.74	99.83	731.41
(ii) सुपर बाजार द्वारा लौटाया गया धन	166.35	312.10	–	478.45
(iii) अब तक शेष राशि (राजसहायता को छोड़कर)	116.49	36.64	–	153.13

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि देश में उसके 152 बिक्री केन्द्र हैं और 1999–2000 के दौरान उसकी 83.01 करोड़ रुपए की बिक्री (लेखापरीक्षित नहीं) हुई।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए बाजार मूल्य से कम मूल्य पर चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल तथा खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं का मासिक आधार पर आबंटन करती है। इसके अलावा सरकार अनाज, प्रमुख दालों तथा खाद्य तेलों, चीनी, चाय, नमक, आलू, प्याज आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की सामान्य मूल्य स्थिति पर कड़ी निगरानी रखती है। कम आपूर्ति वाली वस्तुओं का आयात किया जा रहा है ताकि खुले बाजार में उनकी उपलब्धता की अनुपूर्ति की जा सके। जब कभी आवश्यकता होती है, सरकार द्वारा बाजार दखल कार्रवाई की जा रही है, ताकि आम आदमी को उचित मूल्यों पर वस्तु की उपलभ्यता सुनिश्चित की जा सके।

[अनुवाद]

निर्यात/आयात

***375. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :**

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश के कुल निर्यात में गिरावट आई है और आयात में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन–किन वस्तुओं का निर्यात घटा है;

(घ) निर्यात बढ़ाने और आयात घटाने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) आयात–निर्यात की स्थिति के कारण विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में देश की वर्तमान स्थिति कैसी है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, नहीं। निर्यात केवल वर्ष 1998–99 में गिरे जबकि ये अमरीकी डालर के रूप में 11.6% पर सकारात्मक थे और वर्ष 1999–2000 के 11.3% के लक्ष्य–आंकड़े से अधिक थे। वर्ष 1998–99 में आयात वृद्धि दर कम थी और 1999–2000 में यूएस डालर के रूप में लगभग 10% थी। नीचे दी गई सारणी में निर्यात और आयातों के ब्यौरे तथा वृद्धि दर में प्रतिशत परिवर्तन दिए गए हैं :

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात (% परिवर्तन)	आयात (% परिवर्तन)
1998–99	33219(–5.1)	42389 (2.2)
1999–2000*	37538 (11.6)	46154 (10.2)

*अनन्तिम

वर्ष 1998–99 में निर्यातों में गिरावट अन्तर्राष्ट्रीय कारकों जैसे विश्व बाजार में मंदी, दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों, रूस तथा कुछ लैटिन अमरीकी देशों में आर्थिक संकट, अवस्थापना संबंधी कठिनाइयां, अन्य रुकावटें जैसे कम इकाई मूल्य वसूली तथा कम उत्पादन के कारण आई। विश्व व्यापार परिदृश्य में परिवर्तन और सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों से 1999–2000 में निर्यातों में वृद्धि हुई और 2000–01 की प्रथम तिमाही के लिए निर्यात वृद्धि दर पिछले वर्ष की सदृश अवधि की तुलना में यूएस डालर के रूप में 27.65% है। जिन प्रमुख वस्तु समूहों ने पिछले दो वर्षों के दौरान नकारात्मक निर्यात वृद्धि दर्ज की है, वे थे–बागान, कृषि तथा सम्बद्ध उत्पाद, लौह अयस्क, प्रसंस्कृत खनिज, चमड़ा तथा उससे बने उत्पाद, खेल सामान, परियोजना सामान इत्यादि।

(घ) निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। हमारे निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में शामिल हैं क्रियाविधियों का सरलीकरण तथा एक्जिम नीति में यथा उल्लिखित अन्य उपाय, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय पहल और थ्रस्ट क्षेत्रों तथा फोकस क्षेत्रों की पहचान। आयात घरेलू उद्योग की कच्चे माल, ईंधन और पूंजीगत वस्तुओं के लिए अनिवार्य मांगों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं।

(ङ) निर्यात–आयात स्थिति के कारण प्रभावित विदेशी मुद्रा संतुलन, व्यापार घाटे से प्रदर्शित होता है। वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के लिए व्यापार घाटे के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	व्यापार संतुलन
1998–99	–9170
1999–2000	–8616

खनिजों का निर्यात

*376. **श्री सवशीभाई मकवाना :**

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान खनिजों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान गुजरात, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों से खनिजों के निर्यात में भारी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष खनिज–वार और देश–वार किन–किन खनिजों का निर्यात किया गया और इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(च) सरकार द्वारा खनिजों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(छ) किस–किस देश ने भारत से खनिज आयात करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आठवीं योजनावधि (1992–93, 1996–97) के दौरान वार्षिक लक्ष्य तथा कार्य–निष्पादन निम्नानुसार है :

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	लक्ष्य	कार्य–निष्पादन
1992–93	अनु.	697.16
1993–94	अनु.	888.15
1994–95	अनु.	998.32
1995–96	1129.0*	1175.01
1996–97	1361.3*	1145.9

(अनु.–अनुपलब्ध) (स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस)

*निर्यात एवं आयात संबंधी आंकड़ों का संग्रह राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है और इसके राज्य–वार आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

लक्ष्यों का निर्धारण अग्रिम रूप से करोड़ रुपए में किया जाता है और इसे औसत विनिमय दर के आधार पर अमरीकी डालर में परिवर्तित किया जाता है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए खनिजों के ब्यौरे इसके गंतव्य स्थान तथा अर्जित किए गए राजस्व के साथ नीचे दिए गए हैं :

(मात्रा : मिलियन टन में; मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

निर्यात किए गए खनिज	1997–98		1998–99		1999–2000 (अनंतिम)		प्रमुख देश
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
लौह अयस्क	29.50	476.16	22.27	384.00	16.14	265.56	आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चाईनीज ताईपेई, चीन जन.गण., फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया ईरान, इटली, जापान, कोरिया, नीदरलैण्ड, पाकिस्तान, रोमानिया, यू.के.।
अभ्रक	0.05	10.77	0.05	10.30	0.02	9.44	बेल्जियम, चीन जन.गण., जर्मनी, जापान, कोरिया, नीदरलैण्ड, नार्वे, रूस, यू.के., यूएसए।
कोयला	0.54	23.78	0.82	33.52	1.11	25.57	बंगलादेश, इंडोनेशिया, नेपाल।
प्रसंस्कृत खनिज	एन.एम. *	336.60	एन.एम. *	253.15	एन.एम. *	231.70	आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चाईनीज ताईपेई, चीन जन.गण., डेनमार्क, जर्मनी, हांगकांग, इटली, जापान, मलेशिया, नीदरलैण्ड, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, यूके, यूएसए।
अन्य अयस्क एवं खनिज	एन.एम. *	213.50	एन.एम. *	212.47	एन.एम. *	374.42	आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेल्जियम, चाई– नीज ताईपेई, चीन जन.गण., जर्मनी, हांगकांग, इटली, जापान, केरिया, नीदरलैण्ड, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, यूके, यूएसए।

(एन.एम. नहीं रखे जाते है) (स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस) *डीजीसीआई एण्ड एस केवल मूल्य–वार आंकड़े ही रखता है।

(च) खनिज के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास में निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं :

* ग्रेनाइट की पहचान एक "थरस्ट क्षेत्र" के रूप में की गई है और उसे थरस्ट क्षेत्र घोषित किया गया है और खान मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के परामर्श से ग्रेनाइट के बाधा मुक्त निर्यात के लिए आवश्यक उपाय शुरू किए गए हैं।
* निर्यात अभिमुख इकाइयों (ईओयू) के उत्पादन, भंडारण, निकासी एवं उक्त इकाइयों को तथा उनसे वस्तुओं के आवागमन, सामग्री एवं संघटकों पर से वास्तविक नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है।
* ग्रेनाइट ईओयू को ईओयू योजना के तहत मशीनरी, औजार तथा उपभोज्य सामग्री के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

- निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ईपीसीजी) योजना के तहत खनन एवं उत्खनन उपकरणों के आयात के लिए आरम्भिक सीमा का उदारीकरण किया गया है।
- खान मंत्रालय ने लघु खनिज विनियमन एवं विकास नियम के संशोधन अधिसूचित किए हैं जिनमें ग्रेनाइट क्षेत्र में लीज/रॉयल्टी/डेड–रेन्ट इत्यादि के लिए संभावित लाइसेंसों हेतु पूरे देश में एक समान नीति का प्रावधान है।
- निजी निर्यातकों को यह अनुमति दी गई है कि जब उच्च ग्रेड के लौह अयस्क की उपलब्धता घरेलू मांग से अधिक हो तब से अच्छी प्रतिस्पर्धा लाने के लिए इसका निर्यात करें।

(छ) खनिजों के निर्यात के लिए परम्परागत बाजारों, अर्थात् जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, हांगकांग, ताईवान के अलावा हाल ही में चीन, पाकिस्तान तथा मध्यपूर्व के देशों ने भारत से खनिजों के आयात के लिए अपनी इच्छाएं जाहिए की हैं।

सिंथेटिक धागे/वस्त्र पर पाटन-रोधी शुल्क

***377. श्री राम मोहन गाड्डे :**

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, जे.सी.टी., आई.आर.एस.एफ. और जे.के.सिंथेटिक ने सस्ते सिंथेटिक धागे/वस्त्रों के बढ़ते हुए आयात पर पाटन–रोधी शुल्क लगाने के लिए सरकार से मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घरेलू सिंथेटिक उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) एक्रीलिक फाइबर, नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक और पोलिस्टर स्टेपल फाइबर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध करते हुए जो याचिकाएं प्राप्त हुई हैं उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

उत्पाद	याचिकाकर्त्ता का नाम	देश
1. एक्रीलिक फाइबर	इंडियन एक्रीलिक लिमि. एण्ड पशुपति एक्रीलोन लिमि.	यू एस ए, थाइलैंड और कोरिया गणराज्य
2. एक्रीलिक फाइबर	इंडियन एक्रीलिक लिमि.	इटली, स्पेन, पुर्तगाल और जापान
3. एक्रीलिक फाइबर	इंडियन एक्रीलिक लिमि.	मैक्सिको
4. एक्रीलिक फाइबर	एक्रीलिक विनिर्माता एसोसिएशन का मंच	तुर्की
5. एक्रीलिक फाइबर	एक्रीलिक विनिर्माता एसोसिएशन का मंच	ताइवान
6. नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक	एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर	इंडोनेशिया, कोरिया गण., थाइलैंड और ताइवान
7. पोलिस्टर स्टेपल फाइबर	इण्डो रामा सिंथेटिक्स लि. (आई आर एस एल) जिसका समर्थन एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज (ए एस एफ आई) (इसके सदस्य के रूप में आई आर एस एल, मै. जे सी टी, मै. जे के सिंथेटिक्स, मै. मोडर्न पैट्रोफिल्स और मै. आर आई एल सहित)	इंडोनेशिया, कोरिया गण., थाइलैंड एवं ताइवान

सभी मामलों में उचित जांच के बाद पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी।

(ख) और (ग) वित्त मन्त्रालय ने एक्रीलिक फाइबर के आयात से जुड़े सभी मामलों में और नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक के मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाया था। तथापि, पोलिस्टर स्टेपल फाइबर पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया था क्योंकि आयातों में काफी गिरावट आ गई जबकि घरेलू उत्पादन, क्षमता उपयोग और उत्पादक के मार्जिन में काफी सुधार हुआ।

(घ) और (ङ) घरेलू सिंथेटिक फाइबर उद्योग के उत्पादन और खपत के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(आंकड़े 000, मी.टन में)

	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000
उत्पादन	980	1248	1379	1478
खपत	1034	1260	1408	1505

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू सिंथेटिक फाइबर उद्योग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। तथापि आयात टैरिफों में कमी होने से घरेलू उद्योग की विदेशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप उन इकाईयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जिन्होंने किफायत के मानदण्ड नहीं अपनाए हैं और/अथवा जो आधुनिकीकृत नहीं हैं।

व्यापार समझौते

***378. श्री रामसेठ ठाकुर :**

श्री शिवाजी माने :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 के दौरान जून, 2000 तक द्विपक्षीय व्यापार और विभिन्न वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों, मसालों और नकदी फसलों का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा हस्ताक्षरित व्यापार समझौतों और समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो यह कितना बढ़ा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) डब्ल्यूटीओ के तहत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के संदर्भ से बाहर भारत द्वारा 1.4.99 और 30.6.2000 के बीच हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षीय व्यापार करार तंजानियां, मारिशस, पुर्तगाल, सूडान तथा तुनीशिया के साथ किए गए हैं। इन करारों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(i) भारत और पुर्तगाल के बीच आर्थिक और औद्योगिक सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर 31.1.2000 को लिस्बन में हमारे विदेशी मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री द्वारा किए गए। इस करार में, अन्य बातों के साथ–साथ, परस्पर परममित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करने संयुक्त उद्यमों, मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता, प्रौद्योगिकी का आदान–प्रदान, सूचना का आदान–प्रदान आदि जैसे उपायों के जरिए व्यापार और निवेश के दुतरफा प्रवाह सहित द्विपक्षीय अर्थिक सम्बन्धों को पुनः लागू करने का प्रावधान है।

(ii) भारत और तंजानिया के बीच व्यापार करार पर हस्ताक्षर 14.1.2000 को दार–ए–सलाम में किए गए थे और भारत तथा मारिशस के बीच एक अन्य व्यापार करार पर हस्ताक्षर 10.3.2000 को पोर्टलुइस, मारिशस में किए गए। इन दोनों व्यापार करारों का उद्देश्य परस्पर हित और लाभ के आधार पर संविदाकारी पक्षों के बीच व्यापार में वृद्धि करना है। तथापि, व्यापार करारों में न तो विशेष रूप से व्यापार करने वाली मदों की सूची दी गई थी ओर न ही विशेषरूप से खाद्य मदों और खासकर मसालों के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(iii) जून, 2000 में भारत ने सूडान के साथ एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए और सितम्बर, 1994 में हस्ताक्षरित भारत तथा तुनीशिया के बीच मौजूदा व्यापार करार को द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए जून, 2000 में फिर से वैधता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, कृषि के क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ 7 करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए जिनके ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं :

हस्ताक्षर करने की तारीख	देश	विषय
15.4.99	नीदरलैंड	पौध संगरोध सम्बन्धी मामले
16.4.99	रूस	पशु चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग
22.1.2000	बंगलादेश	कृषि
18.2.2000	कम्बोडिया	कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिक पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग
31.3.2000	तुर्की	कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादन, तथा कृषि प्रसंस्करण तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग
5.4.2000	तुनीशिया	कृषि के क्षेत्र में सहयोग
2.5.2000	उजबेकिस्तान	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग

(ख) चूंकि ये करार/समझौता ज्ञापन हाल ही में सम्पन्न हुए हैं, इसलिए उनके परिणामों का मूल्यांकन अभी संभव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां

***379. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों की समस्या से निपटने हेतु परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 1998–99 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि उच्च स्तर की अनुपयोज्य आस्तियों वाले बैंकों को प्रायोगिक आधार पर आस्ति पुर्निर्माण कम्पनियां (एआरसी) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक या अधिक आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों की स्थापना के प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार किया था। आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों की स्थापना के तौर–तरीकों पर विचार किया जा रहा है।

निर्यात वृद्धि/व्यापार घाटा

***380. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात में अप्रैल–मई, 2000 के दौरान अच्छी खासी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान वर्ष 1999–2000 की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में क्षेत्र–वार कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई;

(ग) क्या इसी अवधि के दौरान आयात में भी काफी वृद्धि हुई है और व्यापार घाटा भी बढ़कर 1.1 बिलियन डालर हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं; और

(ङ) निर्यात संवर्धन तथा आयात कम करने और भविष्य में व्यापार घाटे पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, हां। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कलकत्ता से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों, के अनुसार, अप्रैल–जून, 2000–2001 के दौरान निर्यात वृद्धि 10194.34 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है, जो अप्रैल–जून, 1999–2000 के दौरान हुई 7986.28 मिलियन अमरीकी डालर के वृद्धि स्तर की तुलना में 27.65% अधिक है। इसी अवधि के दौरान आयात 10355.66 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 13177.09 मिलियन अमरीकी डालर के हो गए, जो 27.25% की वृद्धि दर्शाते हैं। अप्रैल–जून, 2000–2001 के लिए व्यापार घाटा अप्रैल–जून, 1999–2000 के दौरान हुएं 2369.37 मिलियन अमरीकी डालर के घाटे की तुलना में 2982.75 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

अप्रैल 2000–2001 की अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस से उपलब्ध नवीनतम अलग–अलग अनन्तिम निर्यात आंकड़ों के अनुसार, निम्न मामलों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है – चावल (14.4%), गिरी और बीज (22%) समुद्री उत्पाद (14.2%), अयस्क एवं खनिज (40.3%), रसायन एवं संबद्ध उत्पाद (18.6%), रत्न एवं आभूषण (7.5%), इंजीनियरिंग सामान (47.7%), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर (16.5%), वस्त्र (8.0%), और कालीन (7.7%) इत्यादि। जिन मामलों में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है, वे हैं – कॉफी (–42%), तम्बाकू (-19.6%) और हस्तशिल्प (-1.6%) इत्यादि।

(घ) और (ङ) घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री, ईंधन और पूंजीगत वस्तुओं की अनिवार्य मांगों को पूरा करने के लिए आयात किए जाते हैं। इसलिए, व्यापार घाटे को कम करने के लिए निर्यात संवर्धन पर जोर दिया जाता है, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है। निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन उपाय लगातार किए जा रहे हैं। इन उपायों में शामिल हैं, क्रियाविधियों का सरलीकरण और एक्जिम नीति में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य उपायों के अलावा, व्यापार घाटे के अंतर को कम करने के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय उपाय करना और थ्रस्ट सेक्टरों और फोकस क्षेत्रों की पहचान करना।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ (एन.सी.सी.एफ.) के पास दर्ज आपूर्तिकर्ता

3997. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ (एन सी सी एफ) की दिल्ली शाखा के पास कितने आपूर्तिकर्ता दर्ज हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ (एन सी सी एफ) द्वारा वस्तु समूह–वार कितनी बिक्री की गई और कितना लाभ अर्जित किया गया ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उनकी दिल्ली शाखा के पास 204 सप्लायर पंजीकृत हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की वस्तु समूह–वार कुल बिक्री तथा अर्जित निवल लाभ का विवरण नीचे दिया गया है :

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

वस्तु समूह	1997–98	1998–99	1999–2000
किराना	70.68	80.89	53.26
लेवी चीनी	53.18	56.47	59.60
सामान्य पण्य वस्तु	108.63	120.47	153.59
कपड़ा	7.60	9.36	10.62
जब्त की गई वस्तुएं	14.01	24.93	33.25
निर्यात	1.67	5.42	2.68
कुल	255.77	297.54	313.00
निवल लाभ	0.60	0.94	3.01

खाद्य पौष्टिकता कार्यक्रम

3998. **श्री जय प्रकाश** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पौष्टिकता कार्यक्रम की अनुपस्थिति में, अधिकतर जनसंख्या गंभीर बीमारियों जैसे, रक्ताल्पता, रतौंधी आदि से प्रभावित है;

(ख) क्या खाद्य पौष्टिकता संबंधी कोई विधान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आटा, अनाज इत्यादि जैसे खाद्यों की पौष्टिकता संबंधी नीति अपनाने तथा उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये राजसहायता प्राप्त दरों पर बेचना आवश्यक महसूस करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, देश में मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पर नियंत्रण करने के लिए सरकार कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है जिसमें सम्पूरण पुष्टीकरण और खाद्य विविधता की नीति मौजूद है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन आयोडीनयुक्त नमक और आयरन पुष्ट नमक के मानक निर्दिष्ट किए गए हैं।

(ग) और (घ) जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं की बजाय पुष्ट आटे का वितरण करने का संबंध है, ऐसा करना प्रचालन की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है क्योंकि वितरण शृंखला लम्बी है और उत्पाद की 'शेल्फ–लाइफ' बहुत कम

है। इसके अलावा केन्द्रीय पूल में देश की आबादी की खपत के लिए गेहूं/गेहूं उत्पाद का बहुत थोड़ा भाग होता है। इसके अलावा आटा देश के केवल उत्तरी राज्यों में लोकप्रिय है। कुछ राज्य सरकारें स्थानीय तरजीह को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आटे का वितरण कर रही हैं।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद

3999. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की कितनी बार बैठकें हुईं;

(ख) क्या स्थायी कार्य-दल का गठन कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य-दल के विचारणीय विषय क्या हैं;

(घ) क्या कार्य-दल के निष्कर्षों को केंद्रीय परिषद के समक्ष विचार करने हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) विगत तीन पंचांग वर्षों के दौरान केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 31.5.98 और 28.10.98 को दो बार बैठकें हुई हैं।

(ख) और (ग) उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिशों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने और परिषद के कार्य के बारे में सुझाव देने के लिए उक्त परिषद के सदस्यों में से एक स्थायी कार्य-दल का गठन करने की व्यवस्था की गई है। स्थायी कार्य-दल का पुनर्गठित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों में से सदस्य लेकर 11.5.2000 को पुनर्गठन किया गया। इसमें सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों सहित 15 सदस्य हैं।

(घ) और (ङ) स्थायी कार्य दल के विचारों को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के समक्ष रखा जाता है। पुनर्गठित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अभी बैठक नहीं हुई है।

[हिन्दी]

घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

4000. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में देश में घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में कुछ कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं तथा सुरक्षा प्रदान करने, पर्यटक स्थलों का समग्र विकास करने तथा उन्हें आकर्षक बनाने हेतु क्या योजनाएं हैं;

(घ) सरकार द्वारा पर्यटकों को देश के ग्रामीण प्राकृतिक वातावरण तथा लोक संस्कृति की ओर आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन विशेषताओं को उजागर करने हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पर्यटकों को सुविधाएं देने तथा उनकी सुरक्षा करने और पर्यटक स्थलों का विकास करने आदि सहित किसी भी राज्य में पर्यटन का विकास करना, मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को, उनसे विचार-विमर्श करके प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। परियोजनाओं में – चुनिंदा/अभिनिर्धारित मेले और उत्सवों, ग्रामीण शिल्प मेलों का संवर्धन करना, ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं और साहसिक पर्यटन कार्यकलापों का विकास आदि शामिल है।

पर्यटन विभाग ने केन्द्र, राज्य सरकारों और निजी सेक्टर के संयुक्त प्रयासों से पर्यटन के विकास तथा संवर्धन के लिए 25 यात्रा परिपथों तथा 12 गंतव्यस्थलों का अभिनिर्धारण किया है। इनमें से अधिकांश ग्रामीण तथा प्राकृतिक क्षेत्रों में हैं।

[अनुवाद]

केरल के बैंकों को नाबार्ड ऋण

4001. श्री टी. गोविन्दन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य के सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों को पुनर्वित्तीयन सुविधाएं प्रदान करने के लिए नाबार्ड को निर्देश देने और सहकारी संस्थाओं के जनतांत्रिक

कार्यकरण को जोखिम में डालने वाले ऐसे प्रतिबंधित व्यवहार आरोपित न करने के लिए नाबार्ड को सुझाव देने के लिए केरल राज्य/जिला सहकारी बैंकों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अर्जित/ व्यय की गई विदेशी मुद्रा

4002. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सेवा प्रदान करने और माल की सप्लाई करने से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा उपस्करों, सामग्री के आयात पर और सेवा संबंधी गठबन्धनों पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के जिन अधिकारियों ने विदेशों का भ्रमण किया, उनके नाम व पदनाम क्या हैं और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी एकक

4003. श्री राम टहल चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक स्थापित करने के लिए बिहार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एककों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) निर्यात अभिमुख इकाई (ई ओ यू) योजना के तहत, आवेदन निर्यात प्रसंस्करण जोन (ई पी जेड) के संबद्ध विकास आयुक्त द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अभी तक बीस (20) ई ओ यू को बिहार में इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया है। इनमें से नौ (9) इकाइयां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं तथा चार (4) कार्यान्वयन के अधीन हैं। शेष सात (7) इकाइयों के संबंध में इनकी स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई मुख्य रूप से उद्यमियों द्वारा की जानी है क्योंकि इन इकाइयों की स्थापना निजी उद्यमियों द्वारा की जानी है।

[अनुवाद]

चीनी की खुली बिक्री

4004. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को खुली बिक्री के लिए चीनी जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार और 1999-2000 के दौरान जारी की गई चीनी की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) सरकार प्रत्येक मास चीनी मिलों को मुक्त बिक्री की चीनी का कोटा रिलीज करती है।

(ख) चीनी मौसम 1999-2000 (अक्टूबर-सितम्बर) के दौरान, अगस्त 2000 तक चीनी मिलों को रिलीज की गई मुक्त बिक्री की चीनी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चीनी मौसम 1999-2000 (अक्टूबर-सितम्बर) के दौरान अगस्त, 2000 तक रिलीज की गई मुक्त बिक्री की चीनी का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	मात्रा (टन में)
1	2	3
1.	पंजाब	210529.1
2.	हरियाणा	247582.9
3.	राजस्थान	8725.2
4.	उत्तर प्रदेश	2352297.5
5.	मध्य प्रदेश	48832.6
6.	गुजरात	595353.0

7.	महाराष्ट्र	3241954.0
8.	बिहार	182703.0
9.	असम	1418.2
10.	उड़ीसा	33817.3
11.	पश्चिम बंगाल	2739.2
12.	आंध्र प्रदेश	674147.6
13.	कर्नाटक	732840.0
14.	तमिलनाडु	1038843.4
15.	पांडिचेरी	22151.8
16.	केरल	5818.3
17.	गोवा	9133.3

[हिन्दी]

प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जन्मशताब्दियां

4005. श्री रामदास आठवले : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रतिष्ठित व्यक्तियों के कितने वार्षिक समारोह तथा जन्मशताब्दी समारोह मनाए गये; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक समारोह पर कितना व्यय किया गया ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.स.	शताब्दी समारोह का नाम	किया गया व्यय (रुपए)
1	2	3
	वर्ष 1997-98	
1.	श्री वी.के.कृष्ण मेनन का जन्म शताब्दी समारोह	12,92,850
2.	भगवान रमण का जन्म शताब्दी समारोह	1,10,30,218
3.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जन्म शताब्दी समारोह	3,14,29,726
4.	डॉ. जाकिर हुसैन का जन्म शताब्दी समारोह	19,16,796
	वर्ष 1998-99	
5.	सन्त कबीर का जन्म शताब्दी समारोह	6,69,926
6.	श्री गुलजारी लाल नंदा का जन्म शताब्दी समारोह	1,75,00,000
	वर्ष 1999-2000	
7.	काजी नजरूल इस्लाम का जन्म शताब्दी समारोह	24,50,134
8.	दो संगीतज्ञों अर्थात उस्ताद बाबा अल्लाउद्दीन खान एवं श्री मुसिरि सुब्रामणिया अय्यर की जन्म शताब्दी	1,90,000

जन्म शताब्दी समारोहों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को संस्वीकृत अनुदान

क्र.स.	संगठन का नाम	शताब्दी समारोह का नाम	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4
वर्ष 1997-98			
1.	फिराक शताब्दी समारोह समिति, इलाहाबाद	उर्दू कवि फिराक गोरखपुरी	1.00 लाख रुपए
2.	केरल संगीत नाटक अकादेमी, केरल	चेमबाई वैद्यनाथ	1.00 लाख रुपए
3.	श्री एस.आर.वेंकट रमण जन्म शताब्दी समागेह, चेन्नई	श्री एस.आर. वेंकट रमण	20,000 रुपए

1	2	3	4
4.	आलमी उर्दू सम्मेलन फिराक गोरखपुरी शताब्दी समारोह, नई दिल्ली	फिराक गोरखपुरी	1.00 लाख रुपए
5.	किन्नेरा आर्ट थियेटर, हैदराबाद	देवीकाओक्कु वानकट कृष्णा शास्त्री शताब्दी	1.00 लाख रुपए
6.	श्रीमत अनिर्वण जन्म शताब्दी समारोह समिति कलकत्ता	श्रीमत अनिर्वण	1.00 लाख रुपए
7.	भाषा संगम, इलाहाबाद	उपन्यासकार नानक सिंह	50,000 रुपए
8.	मेहरान, नई दिल्ली	प्रो. मंघाराम यू. मल्कानी	37,500 रुपए
9.	नटराज नाट्य नृत्य संगीत कला परिषद, बिहार	रत्ननाथ सरशार	40,000 रुपए
10.	भारतीय संस्कृति कला सेवा संस्थान, बिहार	अवनिन्द्र नाथ ठाकुर	20,000 रुपए
11.	श्रुति फाउण्डेशन, मद्रास	ई. कृष्णा अय्यर	1.00 लाख रुपए
12.	स्वरालय, नई दिल्ली	श्री चेमबाई वैद्यनाथ भागवफारा	75,000 रुपए
13.	पर्कसिव आर्ट्स सेंटर, बंगलौर	मुदिकोनदोन वेंकटरमण अय्यर	50,000 रुपए
14.	आचार्य शिवपूजन सहाय स्मारक न्यास, पटना	आचार्य शिव पूजन सहाय	40,000 रुपए
वर्ष 1998-99			
15.	नटराज नाट्य नृत्य संगीत कला परिषद्, बिहार	विष्णु दिगम्बर पुष्कर की जन्म शताब्दी	20,000 रुपए
16.	मां गंगाजी नाट्य कला संगम, बिहार	जवरेचंद मेघानी की जन्म शताब्दी	20,000 रुपए
17.	राकेश नाट्य कला संस्थान, सहरसा, बिहार	स्वामी हरिदास की शताब्दी	30,000 रुपए
18.	राकेश नाट्य कला संस्थन, सहरसा, बिहार	सरदार पी.एम. अदिकेस्वलू की शताब्दी	10,000 रुपए
19.	मां गंगाजी नाट्य कला संस्थान, बिहार	डॉ. अमूल्यधान मुखर्जी	10,000 रुपए
20.	भारतीय संस्कृति एवं कला सेवा संस्थान, बिहार	बंकिम मुखर्जी	10,000 रुपए
21.	भारतीय संस्कृति एवं कला सेवा संस्थान, बिहार	हंस मेहता	10,000 रुपए
22.	इंडिया इंटरनेशनल रूरल कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली	श्री कृष्ण अय्यर	50,000 रुपए
23.	महिला नाटक मण्डली, बंगलौर	श्री सुब्बाराव	10,000 रुपए
24.	आघाती कला केन्द्र, बंगलौर	श्री टी. एन. राजा रत्नम पिल्लई	37,500 रुपए
25.	डॉ. लक्ष्मी नारायण दुबे अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा और संस्कृति प्रतिष्ठान, सागर	बालकृष्ण शर्मा नवीन	50,000 रुपए
26.	रामकृष्ण मिशन खेतरी, राजस्थान	स्वामी विवेकानन्द की खेत्री यात्रा	10,000 रुपए

1	2	3	4
27.	सरस्वती वागोयाकरा न्यास, चेन्नई	श्री तिरूवदुदुराई राजारथनम पिल्लै	50,000 रुपए
28.	सृजन संस्थान, वाराणसी	पं. बालकृष्ण शर्मा नवीन	20,000 रुपए
29	रंग यात्रा, लखनऊ	उदय शंकर भट्ट	50,000 रुपए
30.	रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवोदिता गर्ल्स स्कूल, कलकत्ता	भारत में सिस्टर निवेदिता के आगमन का शताब्दी समारोह	1.00 लाख रुपए
वर्ष 1999-2000			
31.	भारतीय संस्कृति एवं कला सेवा संस्थान, बिहार	श्री बलवंत रे मेहता की जन्म शताब्दी	80,000 रुपए
32.	राकेश नाट्य कला संस्थान, बिहार	रामकृष्ण राव की जन्म शताब्दी	50,000 रुपए
33.	राजा चेत सिंह शोध संस्थान, वाराणसी	अमर शहीद श्री उधम सिंह की शताब्दी	15,000 रुपए
34.	प्राच्य वाणी महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल	काजी नजरूल इस्लाम, श्री कबिजीवनआनंददास और ताराशंकर बंद्योपाध्याय	20,000 रुपए
35.	श्री रामचंद्र मिशन शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश	महात्मा राम चन्द्र जी महाराज की जन्म शताब्दी	50,000 रुपए
36.	मित्र मण्डली तरूण समाज समिति, भरत पुर	महाराजा किशन सिंह की जन्म शताब्दी	35,000 रुपए
37.	एशिया, नई दिल्ली	डॉ. बरगुला रामकृष्णराव	7,500 रुपए
38.	वाराणसी नाट्य परिषद, वाराणसी	लाला जगत नारायण की जन्म शताब्दी	15,000 रुपए
39.	रंग यात्रा, लखनऊ	श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी की जन्भ शताब्दी	15,000 रुपए
40.	जीवन राय मेमोरियल वेल्फेयर इंस्टीट्यूट, शिलांग	यू बाबू जीवन राय की जयंती	37,500 रुपए
41.	नबीन शर्मा जन्म शताब्दी समारोह समिति, गुवाहाटी	शिशुप्राण नबीन शर्मा का शताब्दी समारोह	37,500 रुपए
42.	भारतीय संस्कृति एवं कला सेवा संस्थान, बिहार	डॉ. तेलोडे मैसकरेंहस की जन्म शताब्दी	56,250 रू.
43.	भारतीय संस्कृति एवं कला सेवा संस्थान, बिहार	लीला राय की जन्म शताब्दी	37,500 रू.
44.	राजा चेत सिंह शोध संस्थान, वाराणसी	पं. बचन शर्मा की जन्म शताब्दी	56,250 रू.
45.	नटराज नाट्य नृत्य संगीत कला परिषद, बिहार	विजया लक्ष्मी पंडित की जन्म शताब्दी	37,500 रू.
46.	राकेश नाट्य कला संस्थान, बिहार	एस.के.पाटील की जन्म शताब्दी	37,500 रू.
47.	लोहिया अध्ययन केन्द्र, नागपुर	रामवृक्ष बेनीपुरी की जन्म शताब्दी	41,250 रू.

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

4006. श्री रघुनाथ झा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री 2 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1267 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा बताई गई कमियों के कारणों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के भंडार डिपुओं में खुले स्थान पर पड़ा काफी मात्रा में खाद्यान्न जुलाई, 2000 में हुई दो दिन की वर्षा के कारण खराब हो गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम ने केवल सात क्षेत्रों की जांच पूरी की है। शेष 12 क्षेत्रों की जांच की जा रही है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा जांच पूरी कर लेने के पश्चात् ही अंतिम परिणाम प्राप्त होंगे।

(ग) जुलाई, 2000 में हुई वर्षा के दौरान दिल्ली क्षेत्र में खुले भंडारण में गेहूं की कोई मात्रा क्षतिग्रस्त नहीं हुई।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

वाणिज्यिक कर की एक समान न्यूनतम दर

4007. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने वाणिज्यिक करों की एक समान दर लागू नहीं की और 10 जुलाई, 2000 तक रिपोर्ट नहीं दी तो उनकी वार्षिक योजना सहायता में से 25 प्रतिशत की कटौती कर ली जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन–कौन से राज्यों ने रिपोर्ट सौंप दी है और कौन–कौन से राज्यों ने आदेशों का पालन नहीं किया है; और

(ग) आदेशों का पालन न करने वाली राज्य सरकारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) दिनांक 16.11.1999 को सम्पन्न हुए राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि सभी राज्य तथा संघशासित क्षेत्र बिक्री कर की न्यूनतम एक समान दरें लागू करेंगे। बाद में दिनांक 22.6.2000 को सम्पन्न हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में, सर्वसम्पत्ति से यह निर्णय लिया गया था कि न्यूनतम दरें लागू न करने वाले संबंधित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की केन्द्रीय योजना सहायता में से 25 प्रतिशत की कटौती क ली जाएगी। इन सुधारों को मानीटर करने के लिए गठित 9 राज के वित्त मंत्रियों की अधिकार–प्राप्त समिति ने बाद में यह सूचित कि है कि सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने उन निर्णयों का अनुपाल किया है। इसलिए किसी भी राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र के विरु कोई कार्रवाई किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंजाब नेशनल बैंक का न्यू बैंक ऑफ इण्डिया के साथ विलय

4008. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इण्डिया – पंजाब नेशन बैंक के विलय का प्रयोग करने के बाद जिसने पंजाब नेशनल बै के समक्ष बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर दी थीं; बैंकों के विलय प्रस्ताव को ठण्डे बस्ते में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक की इन समस्या के कारणों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय का कोई प्रस्ताव इ समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। न्यू बैंक आफ इंडि के पंजाब नेशनल बैंक के साथ समामेलन के फलस्वरूप इन बैं की शाखाओं का निर्बाध एवं सफल एकीकरण हुआ, जिससे पंज नेशनल बैंक को पूर्ववर्ती न्यू बैंक आफ इंडिया की पूंजी एवं पूर्वव न्यू बैंक आफ इंडिया की शाखाओं के परिचालन में काफी सुधार ल में हुए घाटों को बट्टे खाते डालने के बाद वर्ष 1993–1994 में शु लाभ हुआ।

बंद पड़ी फैक्टरी को पुनः चालू करना

4009. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृ करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स होरी रिफरेक्टरी एंड सिरेमिक्स वर्क्स के पु चालू करने संबंधी मामला बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित पड़ा

(ख) यदि हां, तो फैक्टरी की वित्तीय देयताएं अ परिसम्पत्तियां कितनी हैं;

(ग) इसके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(घ) बी.आई.एफ.आर. द्वारा इस फैक्टरी को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेत का निर्यात

4010. श्री पोन राधाकृष्णन : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'इलमोनाइट, मोनाजाइट, जिरकॉन, थोरियम और र्‌यूटाइल' जैसी विभिन्न प्रकार की रेतों का निर्यात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है;

(ग) क्या कन्याकुमारी में थोरियम आधारित कोई उद्योग आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित परियोजना कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग ने सूचित किया है कि थोरियम एक रेत नहीं है। जिन देशों को थोरियम को छोड़कर सामानों का निर्यात किया जाता है वे निम्नानुसार हैं :

इल्मोनाइट	यू एस ए, नार्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी इत्यादि
जिरकोन	दुबई, चीन इत्यादि
मोनाजाइट	चीन
रूटाइल	नेपाल, सऊदी अरब इत्यादि।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर के उद्यमियों को आई.डी.बी.आई. सहायता

4011. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जम्मू और कश्मीर के उद्यमियों से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कितने आवेदन प्राप्त किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जम्मू और कश्मीर के उद्योगों को आई.डी.बी.आई. द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष वित्त योजना के अंतर्गत आई डी बी आई द्वारा प्राप्त, मंजूर और नामंजूर आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	आवेदन		
	प्राप्त	मंजूर	अस्वीकृत
1997–98	शून्य	शून्य	शून्य
1998–99	1*	–	शून्य
1999–00	2	2	शून्य

* 'ग' श्रेणी के आवेदन जिसकी सिर्फ जांच होनी है।

(ग) पिछले तीन वर्ष के प्रत्येक वर्ष के दौरान, जम्मू और कश्मीर में उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष वित्त योजना के अंतर्गत आई डी बी आई द्वारा मंजूर और संवितरित सहायता निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)

वर्ष	मंजूरी	संवितरण*
1997–98	@ 400	100
1998–99	–	100
1999–00	4148	4200

@ मंजूरियां पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदनों से संबंधित हैं।

* संवितरण पिछले वर्षों के दौरान हुई मंजूरियों से संबंधित हैं।

कपड़ा तैयार करने वाली मशीनों का विनिर्माण

4012. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में कपड़ा तैयार करने

वाली मशीनों के विनिर्माण में लगे उद्योगों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान उच्च गुणवत्ता की कपड़ा तैयार करने वाली मशीनों को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(घ) पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 1998–99 के दौरान कपड़ा तैयार करने वाली मशीनों के विनिर्माण में अनुमानतः कितनी कमी आई है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) दि फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ने बताया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान बहुत सारी छोटी इकाइयां और 6 बड़ी इकाइयां बंद हो गई हैं। बताये गये कारणों में, क्रयादेशों की कमी और आयात से प्रतिस्पर्धा का होना रहा है। वर्ष 1998–99 के दौरान टेक्सटाइल मशीनरी का उत्पादन 1997–98 में 1500.71 करोड़ रुपये के मुकाबले 1135.91 करोड़ रुपये था। सरकार ने टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री का समग्र रूप से विकास करने के लिए 1.4.1999 से एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) आरंभ की है। यह आशा की जाती है कि इस योजना से स्वदेशीय उत्पादन और टेक्सटाइल मशीनरी की बिक्री करने में मदद मिलेगी।

भारत ऑप्थल्मिक ग्लास लिमिटेड को बंद किया जाना

4013. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने भारत ऑप्थल्मिक ग्लास लिमिटेड को बंद करने के लिए 25 करोड़ रुपए आबंटित किया था जबकि इसके लिए 20 करोड़ रुपया ही पर्याप्त था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ऑप्थल्मिक ग्लास लिमिटेड के बंद होने के कारण 1500 मीट्रिक टन ग्लास का आयात करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) सरकार ने बीओजीएल के कर्मचारियों को वौल्यैन्ट्री सेप्रेशन मुहैया कराने के लिए लगभग 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। तथापि, सरकार ने हाल ही में विशेषज्ञ ग्रुप की सिफारिशों के अनुसार बीओजीएल की पुनरुद्धार योजना को ऑपरेटिंग एजेंसी द्वारा मसौदा पुनरुद्धार स्कीम तैयार करने के लिए बीआईएफआर को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में घाटा

4014. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इस समय कितने होटल चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या प्रायः सभी होटल घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी होटल–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथिनुसार भारत–सरकार के विभिन्न विभागों के विरुद्ध इन होटलों की कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन होटलों की आय में बढ़ोत्तरी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम इस समय देश में अपने स्वामित्व में 26 होटलों का संचालन कर रहा है। वर्ष 1999–2000 के दौरान केवल दो होटलों ने ही लाभ अर्जित किया। लाभप्रदता संबंधी होटल–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) दिनांक 31.3.2000 तक सरकारी विभागों द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम को देय कुल बकाया राशि 6.06 करोड़ रुपए (अनन्तिम) थी।

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने होटलों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु किए गए/किए जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं :

(i) सक्रिय विपणन प्रयास;

(ii) पर्यटन उत्पादों को समकालीन एवं स्पर्धात्मक बनाने के लिए उनमें सुधार पर बल दिया जाना;

(iii) बाजार संचालित मूल्य प्रस्तुत करने के लिए लचीली नीति अपनाना;

(iv) मितव्ययिता;

(v) बकाया देनदारियों की वसूली।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
विगत तीन वर्षों के दौरान होटलों की लाभप्रदता के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	यूनिट का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	आगरा अशोक, आगरा	– 72.50	– 112.43	– 133.39
2.	एयरपोर्ट कलकत्ता	127.57	– 128.95	– 439.59
3.	अशोक बंगलौर	168.03	– 95.60	– 117.04
4.	अशोक नई दिल्ली	1390.41	1.32	– 832.84
5.	इन्द्रप्रस्थ होटल	– 63.21	– 143.17	– 181.08
6.	औरंगाबाद अशोक	– 55.41	– 88.94	– 90.33
7.	बोधगया अशोक	2.51	1.00	– 12.85
8.	हसन अशोक	18.20	12.96	– 28.21
9.	जयपुर अशोक	– 84.09	– 139.73	– 147.65
10.	जम्मू अशोक	– 25.15	– 49.10	– 70.46
11.	जनपथ होटल	89.88	– 91.42	– 241.90
12.	कलिंग अशोक	– 29.78	– 39.93	– 112.34
13.	कनिष्क होटल	462.71	– 51.01	– 640.51
14.	खजुराहो अशोक	– 62.21	– 82.98	– 73.51
15.	के.ऐ.बी.आर., कोवलम	174.00	79.93	– 175.32
16.	एल.एम.पी.एच., मैसूर	204.02	194.89	60.91
17.	एल.वी.पी.एच, उदयपुर	111.26	– 36.44	– 72.39
18.	लोधी होटल	127.21	– 26.99	– 80.24
19.	मदुरै अशोक	– 18.59	– 34.19	– 47.77
20.	मनाली अशोक	– 27.67	– 33.39	– 24.97
21.	पाटलीपुत्र अशोक	10.16	1.02	– 28.78
22.	कुतुब होटल	396.46	98.34	73.55
23.	रणजीत होटल	– 167.93	– 212.64	– 221.23
24.	सम्राट होटल	80.27	– 263.83	– 161.76
25.	टी.ए.बी.आर., मामल्लापुरम	9.28	– 10.53	– 6.94
26.	वाराणसी अशोक	– 90.90	– 118.32	– 154.53
	जोड़	2674.53	– 1370.13	– 3961.17

[अनुवाद]

पांचवां वेतन आयोग

4015. डॉ. एस. वेणुगोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के कारण वरिष्ठ और अधीनस्थ रैंक के अधिकारियों जो 3000–5000 के वेतनमान में थे 10000–15200 रुपए के वेतनमान में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा भेजे गए ऐसे मामले पिछले दो वर्षों से विसंगति संबंधी समिति के कार्यान्वयन प्रकोष्ठ में लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पर निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वेतनमानों को तर्कसंगत बनाने के उपाय के रूप में पांचवें वेतन आयोग ने विभिन्न पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय करके सामान्य प्रतिस्थापन वेतनमानों की सिफारिश की थी। परिणामतः 3000–3625 रुपए, 3000–4500 रुपए और 3000–5000 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमानों को 10000–15200 रुपए के सामान्य वेतनमान से प्रतिस्थापित कर दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम में सेवानिवृत्ति की उम्र को पूर्व स्थिति में लाना

4016. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में सेवानिवृत्ति की उम्र कों पूर्व स्थिति में लाने के संबंध में सरकार के फैसले के विरुद्ध किसी कर्मचारी फोरम/अधिकारियों के फोरम से सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो फोरम ने कौन–सी आपत्तियां उठाई हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने, भारत पर्यटन विकास निगम में सेवानिवृत्ति की आयु पूर्व स्थिति में लाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जो सरकार के विचाराधीन है। कुछ कर्मचारी संघों आदि ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है तो कुछ अन्य ने इसका विरोध किया है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, कनाडा

4017. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1994 के पश्चात् वित्तपोषित "सीडीआरओएम ऑफ एशियन इन्फार्मेशन ऑन हेल्थ एंड दि एन्वायरनमेंट" नामक परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, कनाडा द्वारा जिन्हें धनराशि प्रदान की गई उन संगठन/संगठनों के नाम और पते क्या हैं और परियोजना में भाग लेने वाले भारतीय और अन्य एशियाई देशों के संगठनों के पते क्या–क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : "स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित एशियाई जानकारी की सीडी–रोम" नामक परियोजना के लिए धनराशि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान (निसकोम) सीएसआईआर (सीएसआईआर का पूर्व प्रकाशन और सूचना निदेशालय) को मुहैया कराई गई थी। संगठनों के नाम और पते जिन्होंने इस परियोजना में भाग लिया, निम्नानुसार हैं :

1. एशियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एआईटी), बैंकाक, थाईलैण्ड।
2. एशियन अलायंस ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्नोलॉजी (एप्रोटैक, एशिया), मनीला, फिलीपीन्स।
3. राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निसकोम), नई दिल्ली, भारत।
4. एशियन पैसिफिक इन्फारमेशन नेटवर्क ऑन मेडिसिनल एण्ड एरोमैटिक प्लान्ट्स (एपिनमैप), फिलीपीन्स।
5. दि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस), सिंगापुर।
6. इन्टरनेशनल सेन्टर फार डायरियल डिजीज़िज, बंगलादेश (आईसीडीडीआर–बी) ढाका, बंगलादेश।
7. एसईएएमईएओ–टी आरपीओएमईडी रीजनल सेन्टर फॉर ट्रापिकल मेडिसिन, थाईलैण्ड।
8. नेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर दि इम्प्रूवमेन्ट ऑफ वर्किंग कन्डीशन्स एण्ड इन्वायरमेंट (नाइस), बैंकाक, थाईलैण्ड।
9. नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेडीशनल मेडिसिन एण्ड बैनलियोलॉजी, उलान बाटर, मंगोलिया।

रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड

4018. श्री किरीट सोमैया : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड, मुलुंद, मुम्बई में आग की घटना की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या कामगार संगठन ने भी रिचर्डसन एण्ड क्रूडास के उच्च प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है;

(ङ) क्या सरकार को प्रबंधकों द्वारा भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद, पक्षपात करने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ज) सरकार द्वारा कंपनी की कार्यकुशलता में सुधार करने और श्रमिकों के लाभ के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

(घ) से (च) जी, हां। शिकायतें स्थल कार्यों के उत्पादन, कार्य की उप–ठेकेदारी, प्रबंधन संवर्ग के कार्मिकों की भर्ती इत्यादि से संबंधित हैं।

(छ) जांच पड़ताल आरंभ कर दी गई है।

(ज) सरकार ने कंपनी के संबंध में बीआईएफ आर द्वारा 1995 में स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेज के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए विभिन्न छूट और राहत दी है। कंपनी ने 1996–97 में कारोबार कर 7.45 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। सरकारी काउंटर गारंटी के जरिये वीआरएस के कार्यान्वियन के लिए निधियां जुटाने और क्रयादेश प्राप्त करने के लिए सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में डोंडाइचा शहर में एल.पी.टी.

4019. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नंदूरबार जिले में **डोंडाइचा शहर** के लिए कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्टेशन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्टेशन पर काम अभी तक जमीन की अनुपलब्धता के कारण शुरू नहीं हो सका है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त स्टेशन के लिए जमीन कब तक उपलब्ध करा ली जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कर का अपवंचन

4020. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत–सी चावल निर्यातक कंपनियों ने विभिन्न बहानों के अन्तर्गत कर का अपवंचन किया है और इनमें से कुछ की सरकारी एजेंसियों द्वारा शिनाख्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें राज्य–वार कुल कितनी कंपनियां संलिप्त पाई गईं;

(ग) सरकार द्वारा इन त्रुटिकर्त्ता कंपनियों के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कंपनियों द्वारा कितनी बार "फेरा" और "कोफेपोसा" कानूनों का उल्लंघन किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) चावल का निर्यात कर रहीं दो कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तथाकथित उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कोफेपोसा अधिनियम कम्पनियों से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में एल.पी.टी./एच.पी.टी.

4021. श्री राजो सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में स्थान–वार कितने कम शक्ति के ट्रांसमीटर और उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित किये गये हैं/किये जाने वाले हैं;

(ख) स्थान–वार कितने एल.पी.टी./एच.पी.टी. अधूरे पड़े हैं;

(ग) वहां इनसे प्रसारण कब तक शुरू कर दिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार इस राज्य को सुविधायें मुहैया कराके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किये गये हैं; और

(च) राज्य में रेडियो और दूरदर्शन की स्थिति सुधारने और उनको आधुनिक बनाने के लिये क्या योजनायें तैयार की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) बिहार में कार्यरत भिन्न–भिन्न क्षमताओं के 56 ट्रांसमीटरों तथा कार्यान्वयनाधीन 10 ट्रांसमीटर परियोजनाओं का स्थान–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कार्यान्वयनाधीन दस परियोजनाओं को नौवीं योजनावधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से पूरा करने तथा चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(घ) और (ङ) बिहार में दूरदर्शन की क्षेत्र–वार तथा जनसंख्या–वार कवरेज क्रमशः 94.4% तथा 94.2% है, जो क्षेत्रवार 75.4% तथा जनसंख्या–वार 88.2% के राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है।

(च) जमशेदपुर में विविध भारती सेवाओं के लिए मौजूदा 1

कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर को 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर से बदलने का कार्य पूरा हो गया है और इसे शीघ्र ही चालू किया जा रहा है। साथ ही, रांची में एक आधुनिक दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित किया गया है और इसे शीघ्र ही चालू किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अलावा 8 अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों की क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विवरण

मौजूदा	कार्यान्वयनाधीन
1	2
उ.श.ट्रा. (6)	**उ.श.ट्रां. (4)**
डाल्टनगंज	जमशेदपुर
कटिहार	पटना (डी डी 2)
मुजफ्फरपुर	रांची (डी डी 2)
पटना	मुजफ्फपुर
रांची (डी डी 1)	
रांची (डी डी 2)	
अ.श.ट्रा (47)	**अ.श.ट्रा. (5)**
औरंगाबाद	चतरा
बेगूसराय	रामगढ़
बेतिया	किशनगंज
भागलपुर	जमशेदपुर (डी डी 2)
बोकारो	धनबाद (डी डी 2)
ब्राहवा	
बक्सर	
चाइबासा	
दरभंगा	
दाउदनगर	
देवघर	
धनबाद	
दुमका	
फारबेसगंज	
गया	
घाटशिला	
गिरीडीह	
गोड्डा	
गोपालगंज	
गुमला	
हजारीबाग	
जमशेदपुर	
जमुई	
खगरिया	
कोडरमा	
लखीसराय	
लोहरदागा	
मधेपुरा	
मधुबनी	
मोतिहारी	
मुंगेर	
मुशबानी	
नवादा	
नोमुंडी	
फूलपरास	
राक्सौल	
रोसेरा	
सहरसा	
सरायकेला	
सासाराम	

1	2
शेखपुरा	
सिकन्दरा	
सिमरी बख्तियार	
सीतामढ़ी	
सिवान	
सुपौल	
पटना (डी डी 2)	
अ.अ.श.ट्रा. (2)	**अ.अ.श.ट्रां. (1)**
सिमदेगा	रामगढ़ हिल
गढ़वा (डी डी 2)	
ट्रांसपोजर (1)	
रामगढ़ हिल	

[अनुवाद]

अनुप्रयोज्य आस्तियां समाप्त करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार

4022. श्री ए. ब्रह्मनैया :

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की अनुप्रयोज्य आस्तियां समाप्त करने पर उन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) हालांकि अनुपयोज्य आस्तियों को कम करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तथापि प्रोत्साहनों के जरिए अच्छे कार्य निष्पादन को पुरस्कृत करने के लिए उपयुक्त योजना बनाने हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।

एन.आई.पी.एफ. पी. द्वारा सर्वेक्षण

4023. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी (एन.आई.पी.एफ.पी.) केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के बारे में अध्ययन करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन.आई.पी.एफ.पी. ने केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के कार्यक्रम में विलम्ब होने के खतरों के प्रति आगाह किया है;

(ग) एन.आई.पी.एफ.पी. द्वारा इंगित किए गए खतरों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस सुझावों का अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने भारत में अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर कराधान का अध्ययन करने का कार्य सार्वजनिक वित्त एवं नीति सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्थान (एन आई पी एफ एण्ड पी) को सौंपा है। सार्वजनिक वित्त एवं नीति संबंधी राष्ट्रीय संस्थान से अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि केन्द्रीय बिक्री कर की ऊंची दर सांझा बाजार बनाने में आड़े आती है। इसका सोपानी प्रभाव होता है, इससे अन्तर क्षेत्राधिकारिक समानता का उल्लंघन होता है तथा यह संसाधन आबंटन को विकृत करती है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय बिक्री कर प्रणाली में संशोधनों पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 9 राज्यों के वित्त–मंत्रियों की एक अधिकारप्राप्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने सभी राज्यों के वित्त सचिवों की एक समिति से "भारत में अन्तर्राज्यीय बिक्रियों संबंधी कराधान संशोधन पर "सार्वजनिक वित्त एवं नीति संबंधी राष्ट्रीय संस्थान द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों की जांच करने तथा अधिकारप्राप्त समिति को परामर्श देने के लिए कहा है।

सरकारी कर्मचारियों को बोनस

4024. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों और केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकायों के अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस/अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु निर्धारित पात्रता सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के सभी अराजपत्रित कर्मचारी परिलब्धियों के किसी मौद्रिक परिसीमन के बिना बोनस पाने के हकदार हैं। अतः बोनस के भुगतान के लिए ऐसे कर्मचारियों की पात्रता सीमा बढ़ाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी/दूरदर्शन के नए केन्द्र स्थापित करना

4025. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों को स्थापित करने के संबंध में कोई नीतिपरक मानदण्ड तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान—वार और राज्य—वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्धारित समयावधि के भीतर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) नए रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन केन्द्र को स्थापित करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले विभिन्न कारक — क्षेत्र में मौजूदा कवरेज नए केन्द्र की परिणामी कवरेज की सीमा, दूरदराज, जनजातीय, पिछड़े, पहाड़ी तथा संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों को सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्कता है। इसके अलावा किसी स्थान के आर्थिक तथा सांस्कृतिक महत्व को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) नौवीं योजना में रिले ट्रांसमीटरों सहित 103 रेडियो स्टेशन तथा 259 नए टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। ये परियोजनाएं 8वीं योजना की पिछड़ी हुई परियोजनाओं के अलावा थी।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ परामर्श से परियोजनाओं के क्रियान्वयन की विभिन्न स्तरों पर नियंत्रित रूप से मानीटरिंग की जाती है। बाधाओं को पहचाना जाता है और मामले को संबंधित एजेंसियों जैसे राज्यों सरकारों, सिविल प्राधिकरणों के साथ उठाकर इन्हें शीघ्र दूर किया जाता है।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदें

4026. डॉ. (श्रीमती) सुधा यादव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्वीकरण और उदारीकरण के संदर्भ में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कुछ मदें आरक्षित रखी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के साथ गुणवत्ता के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं;

(घ) यदि हां, तो इन मदों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित रखने का क्या औचित्य है; और

(ङ) लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता में किस तरह सुधार किया जा सकता है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) लघु क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए सरकार की नीति के अनुरूप, इस समय लघु क्षेत्र में अनन्य विनिर्माण के लिए 812 मदें आरक्षित हैं। ये मदें भारत के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की समय—समय पर यथा संशोधित तारीख 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 477(अ) में सूचीबद्ध हैं।

(ग) जी, नहीं। लघु क्षेत्र का निर्यात निष्पादन 1995—96 के 36,470 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998—99 में 48,979 करोड़ रुपये हो गया है, जो यह संकेत देता है कि लघु क्षेत्र में उत्पादित वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय मानक की हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी विभागों को बिजली के सामानों की आपूर्ति

4027. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभागों को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा निर्धारित आपूर्ति किए जाने वाले कुछ इलेक्ट्रिक सामान जैसे पंखे, गीजर्स, हीट कन्वेक्टर्स, ट्यूब लाइट्स, इलेक्ट्रानिक बल्ब आदि मानक ब्रांडों और दरों के नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सरकारी विभागों को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा निर्धारित लोकप्रिय और प्रतिष्ठित ब्रांड तथा दरें ही आपूर्ति की जाएं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) तदर्थ खरीदों के विकेन्द्रीकरण के बाद डीजीएसएंडडी की मुख्य भूमिका विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपेक्षित सामान्य उपयोग की मदों के लिए दर–संविदा तय करने तक सीमित रह गई है। डीजीएसएंडडी द्वारा दर–संविदा दरों का निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) में दिए गए दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए खुली निविदा, विज्ञापन, निविदा पूछताछ के आधार पर सामान्यीकृत विनिर्देशनों के लिए किया जाता है। जीएफआर के उपबंध के तहत सरकारी खरीद सामान्यतया खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से की जानी चाहिए। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे डीजीएसएंडडी की दर–संविदाओं के अन्तर्गत आने वाली मदों की खरीद के लिए डीजीएसएंडडी की दर–संविदा का उपयोग करें। तथापि जी एफ आर में यह भी व्यवस्था की गई है कि तत्काल जरूरत के सभी मामलों में, जहां ऐसी दर–संविदा के प्रचालन के माध्यम से डीजीएसएंडडी की दर–संविदा वाली मदों की आपूर्ति होने में विलम्ब होने की संभावना हो, वहां उक्त मदों को खुले बाजार से खरीदा जा सकता है जब तक ऐसी मदों पर दी जाने वाली कीमतें दर–संविदा में दी गई कीमतों से अधिक न हो बशर्ते कि ये खरीद एक समय में 20,000/– रुपए से अधिक और वर्ष में एक लाख रुपए से अधिक न हों।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि डीजीएसएंडडी द्वारा एक मूल्य–सीमा के भीतर समानांतर दर–संविदाएं तय की जाती हैं ताकि अनेक आपूर्तिकर्त्ताओं को शामिल किया जा सके। ये समानांतर दर–संविदाएं ऐसी मदों के लिए तय की जाती हैं जिनमें प्रश्न के पैरा (क) में उल्लिखित मदें भी शामिल हैं। ये संविदाएं ऐसी सभी पात्र फर्मों को उनके ब्रांड का भेदभाव किए बिना प्रदान की जाती हैं जिनकी उद्धृत कीमतें किसी विशेष मद के लिए दर–संविदा प्रदान करने के लिए उपयुक्त पाई गई कीमतों के दायरे में होती हैं।

[हिन्दी]

हवाला

4028. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाला के माध्यम से एक विशाल धनराशि देश से बाहर भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः माह के दौरान इसमें कितने लोग शामिल पाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) गत छः महीनों के दौरान हवाला लेन–देन में 33 व्यक्ति संलिप्त पाए गए। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलाशियां ली गई हैं और कानून के संगत उपबंधों के अन्तर्गत इन व्यक्तियों को दर्ज कर लिया गया है। इसमें लगभग 24.78 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है।

[अनुवाद]

डिब्बाबन्द सामग्री पर विवरण दर्शाना

4029. श्री तिरूनावकरसू :

श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय डिब्बाबंद सामग्रियों का विवरण उनके पैकेट पर नहीं लिखा होता;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि किसी भी पैकेट में रखी सामग्री का विवरण उस पैकेट पर भी लिखा हो;

(ग) क्या सरकार डिब्बाबंद सामग्री के विनियमन के संबंध में एक उपयुक्त कानून लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक तैयार/क्रियान्वित कर लिया जाएगा ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में अन्य बातों के अलावा, पैकेज पर या उस पर लगाई गई चेपी पर वस्तु के नाम की घोषणा करने की अपेक्षा की गई है। इसका अनुपालन न किए जाने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) उक्त नियमों में अन्य बातों के साथ–साथ पैकेज पर उस पर या लगाई गई चेपी पर निम्नलिखित अनिवार्य सूचना की घोषणा करने की अपेक्षा की गई है। विनिर्माता/पैकर का नाम तथा पता, वस्तु का नाम, निवल मात्रा, पैकिंग का महीना और वर्ष, पैकेज का खुदरा बिक्री मूल्य। ये नियम औषधियों पर लागू नहीं होते जिनको

औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के द्वारा विनियमित किया जाता है।

चिकित्सा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4030. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और भूमंडलीकरण के नाम पर सरकार होमियोपैथी औषधियों और खाद्य उत्पादों का निर्माण करने वाली उन ऐसी मौजूदा कंपनियों की विदेशी इक्विटी में वृद्धि करने के लिए अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रही है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार घटिया और नकली उत्पादों का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने की अनुमति दी जा रही है; और

(ग) उक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध विश्व स्वास्थ्य संगठन से विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बावजूद उन्हें अनुमति प्रदान करने के पीछे क्या औचित्य है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) से (ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से होमियोपैथिक दवाइयों और खाद्य उत्पादों के निर्माण के लिए दी जाती है। प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखकर उस मंत्रालय से संबंधित प्रस्तावों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करे।

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अनियमितताएं

4031. श्री रामजीवन सिंह :

श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने उनके मंत्रालय को निजी पार्टियों से कोयला खरीद के मामले में भारी अनियमितताओं में संलिप्त सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है

(ग) क्या सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निगमित सामग्री प्रबन्धन विभाग की लेखापरीक्षा का आदेश दिया गया था किन्तु उसे बीच में ही अचानक सनकीपन में बंद कर दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरंभ करने की सलाह दी है। सरकार मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

(ग) और (घ) निगमित कार्यालय के सामग्री प्रबन्धन विभाग के लेखापरीक्षा को बंद नहीं किया गया परन्तु चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की एक स्वतन्त्र फर्म ने किया है।

बैंक कर्मचारियों हेतु पेंशन

4032. श्री राधा मोहन सिंह :

श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

श्री के. येरननायडू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है और कर्मचारियों से विकल्प मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक में कितने कर्मचारियों ने पेंशन योजना को स्वीकार किया है;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ सहयोगी बैंकों ने अपने प्रधान कार्यालय को कुछ कर्मचारियों के विकल्पों को अग्रेषित नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उन कर्मचारियों, जिनके विकल्पों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) पेंशन का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की बैंक-वार संख्या निम्नानुसार है :

क्रम सं.	बैंक का नाम	कर्मचारियों की संख्या
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	11,678
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	11,340
3.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	4,914
4.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	6,535
5.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	7,056
6.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4,456
7.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	8,272

(ग) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर तथा स्टेट बैंक आफ इन्दौर को अपने कुछ कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के अनुसार उनके 11 कर्मचारियों ने यह अभ्यावेदन दिया था कि यद्यपि उन्होंने समय पर अपने पेंशन विकल्प दे दिये थे लेकिन उन्हें प्रधान कार्यालय के पेंशन कक्ष में प्राप्त/दर्ज नहीं किया था। बताया गया है कि बैंक ने संबंधित कर्मचारियों को यह सूचित किया है कि चूंकि समय पर उनके पेंशन विकल्प प्राप्त नहीं हुए थे इसलिए पेंशन विनियमों के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उनके 14 कर्मचारियों के पेंशन संबंधी सहमति पत्रों को संबंधित शाखाओं द्वारा असावधानीवश प्रधान कार्यालय को समय पर नहीं अग्रेषित किया गया था। बैंक के पेंशन फंड न्यासी बोर्ड ने 28.7.2000 को आयोजित अपनी बैठक में उक्त 14 कर्मचारियों के पेंशन विकल्पों को स्वीकृति के लिए अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया के शेयरों की एयर फ्रांस द्वारा खरीद

4033. डॉ. अशोक पटेल : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर फ्रांस का विचार एयर इंडिया के शेयर खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अंतर्गत बैंकों द्वारा धोखाधड़ी

4034. श्री आर.एस. पाटिल :

श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अंतर्गत स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए एक लाख रुपये का ऋण रियायती दर पर प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999–2000 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य–वार कितने अभ्यर्थियों को ऋण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जुलाई, 2000 के हिन्दी दैनिक 'जनसत्ता' में "प्रधानमंत्री रोजगार की योजना हड़प गये दलाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी कितनी घटनाएं प्रकाश में आयी हैं और वर्ष 1999 से आज की तिथि तक इन पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण का भुगतान अभ्यर्थी को कर दिया जाए, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) सब्सिडी–सम्बद्ध ऋण योजना है जो देश में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व–रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। पी एम आर वाई का उद्देश्य सेवा क्षेत्र के लिए 1.00 लाख रुपए, अन्य कार्यकलापों (ऋण समिश्र प्रकृति का हो) के लिए 2.00 लाख रुपए और यदि दो अथवा अधिक पात्र व्यक्ति साझेदारी में एक दूसरे के साथ हैं तो उनके लिए 10.00 लाख रुपए तक की परियोजना लागत वाले उद्योग, सेवा और कारोबार क्षेत्रों में स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने में पात्र युवकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर में कोई रियायत नहीं दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1999–2000 के दौरान पी

एम आर वाई के अंतर्गत उपलब्ध कराये गए ऋण आवेदनों की राज्य–वार संख्या का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। माननीय सदस्य द्वारा संदर्भित समाचार–मद में, किसी विशिष्ट मामले में पी एम आर वाई के अंतर्गत ऋण के संवितरण में कतिपय अनियमितताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने शिकायत की जांच की थी जिसने सूचित किया है कि इस विशिष्ट मामले में 95,000 रुपए के ऋण की मंजूरी दी गई थी, इसमें से 63,500 रुपए दो किश्तों में संवितरित किए गए थे। तथापि बैंक के अधिकारियों द्वारा संवितरण के पश्चात की गई जांच में यह देखा गया कि उधारकर्ता ने ऋण राशि का दुरुपयोग किया था।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1999–2000 के दौरान पी एम आर वाई योजना के अंतर्गत आवेदकों/उधारकर्त्ताओं से इस प्रकार की 92 शिकायतें प्राप्त हुईं। आर बी आई के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त इन शिकायतों की जांच के लिए इन्हें क्षेत्रीय कार्यालय को प्रसंस्कृत तथा अग्रेषित किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय, सम्बद्ध बैंक शाखा में जांच के पश्चात इन शिकायतों को वर्तमान पी एम आर वाई के मार्ग–निर्देशों के अनुसार उपयुक्त तरीके से निपटता है।

(च) इस योजना के तहत मंजूर किया गए ऋण के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ–साथ ये शामिल हैं – उपलब्धि के लिए तय त्रैमासिक लक्ष्य का निर्धारण 1999–2000 के दौरान 31.12.2000 तक की स्थिति के अनुसार दी गई मंजूरी के लिए संवितरणों को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख का पुनर्निर्धारण, बैंकों/जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा आवधिक निरीक्षण तथा ऋण राशि से सृजित आस्तियों का उचित रख–रखाव सुनिश्चित करने के लिए बैंकों द्वारा संवितरण–पश्चात निरीक्षण। बैंकों से नियमित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जा रहा है कि अपेक्षाकृत अधिक सतर्कता बरतकर वे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकें।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत आवेदकों की संख्या जिन्हें ऋण उपलब्ध करवाया गया

(रुपए लाख में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवेदकों की संख्या	संवितरित राशि
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
हरियाणा	3845	2247.24
हिमाचल प्रदेश	1690	1122.60
जम्मू एवं कश्मीर	772	618.41
पंजाब	6622	4158.22
राजस्थान	7339	3962.23
चण्डीगढ़	42	29.59
दिल्ली	502	305.93
पूर्वोत्तर क्षेत्र		
असम	2176	1492.06
मणिपुर	40	13.79
मेघालय	107	72.08
नागालैंड	20	16.59
त्रिपुरा	41	25.57
अरुणाचल प्रदेश	22	14.88
मिजोरम	1	0.95
सिक्किम	38	21.76
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	5388	4138.99
उड़ीसा	569	299.38
पं. बंगाल	1758	886.83
अंडमान एवं निकोबार	92	66.29
मध्य क्षेत्र		
मध्य प्रदेश	10765	7499.45
उत्तर प्रदेश	29110	18090.13
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात	9615	4490.64
महाराष्ट्र	20956	12169.07
दमन एवं दीव	16	8.21

1	2	3
गोवा	380	356.52
दादरा एंड नगर हवेली	25	19.12
दक्षिणी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	9757	5709.69
कर्नाटक	7418	4743.16
केरल	10026	5483.44
तमिलनाडु	9142	4886.26
लक्षद्वीप	19	18.88
पाण्डिचेरी	206	104.37
योग	138499	83071.94

[अनुवाद]

विनिवेश/निजीकरण के संबंध में सरकारी नीति

4035. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश/निजीकरण करने के संबंध में सरकारी नीति को मद्देनजर रखते हुए, कई विदेशी कंपनियों ने इस योजना में विशेषकर तेल शोधक, कारखानों, विद्युत, संचार, गन्वेषण और वितरण के क्षेत्र में सम्बद्ध परिचालनों आदि सहित अपनी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी कंपनियों को मुनाफे को आगे निवेश किए बिना परिचालन संबंधी मुनाफे की शत–प्रतिशत राशि को देश में बाहर ले जाने की अनुमति मिलेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपयुक्त कदम उठाने का है कि कम–से–कम अगले पांच वर्षों तक मुनाफे की पूरी राशि देश से बाहर न ले जाई जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) विनिवेश के परिणामस्वरूप विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी इक्विटी घट जाती है। कंपनी विशेष के तथ्यों तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत और विनिवेश की घोषित नीति को अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में विभिन्न विधियों यथा अनुकूल बिक्री, घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शेयरों की पेशकश आदि के माध्यम से सरकारी इक्विटी कम की जाती है। विनिवेश के दौरान पेशकश किए गए शेयरों की खरीद के लिए पात्र बोलीदाता/संस्थाएं, जिनमें विदेशी कंपनियां शामिल हैं, विनिवेश की पद्धति के आधार पर अपनी रुचि दिखाती हैं। विचाराधीन विनिवेशों में कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अपनी रुचि प्रदर्शित की है।

(ख) से (घ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत विदेशी निवेशकों को लाभ तथा लाभांशों के प्रेषण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

[हिन्दी]

बिहार और महाराष्ट्र हेतु प्रति व्यक्ति आबंटन

4036. मोहम्मद अनवारूल हक :

श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और महाराष्ट्र को योजना आयोग और वित्त आयोग द्वारा किया गया प्रति व्यक्ति आबंटन देश में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे कम है;

(ख) क्या आई.डी.बी.आई. द्वारा किया गया आबंटन भी नगण्य है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) योजना आयोग द्वारा राज्य योजना परिव्यय का अनुमोदन राज्य के निजी संसाधनों और गाडगिल मुखर्जी फार्मूले, जो जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति आय निष्पादन और विशेष समस्याओं को ध्यान में रखता है, के तहत आबंटित केन्द्रीय सहायता के आधार पर किया जाता है। ग्यारहवें वित्त आयोग, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में सदन में पेश की गई थी, ने एक दूसरे के मुकाबले राज्यों को अंतरण जनसंख्या, आय, क्षेत्रफल, मूलभूत ढांचा सूचकांक, कर प्रयास और राजकोषीय अनुशासन के आधार पर किया है। इस प्रकार योजना आयोग के आबंटन तथा वित्त आयोग अवार्ड दोनों में ही एक दूसरे के मुकाबले राज्यों को हिस्सा देते समय कई आर्थिक सूचकांकों को ध्यान में रखा जाता है। विवरण-I में राज्यों के लिए नवम योजना परिव्यय का विवरण दिया गया है, विवरण-II राज्यों को केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी, राजस्व

घाटा अनुदानों, उन्नयन और विशेष समस्या अनुदानों, स्थानीय निकाय अनुदानों आदि की ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को दर्शाता है।

(ख) से (घ) राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की स्कीमों में केवल एक सामर्थ्यवान प्रावधान के तौर पर ही सभी वित्तीय संस्थानों (आई.डी.बी.आई. समेत) से विनिमेय ऋण सम्मिलित हैं। राज्य सरकारों को चाहिए कि इन संस्थाओं के दिशा–निर्देशों और प्रस्तावित स्कीमों की वित्तीय व्यवहार्यता के तहत परियोजना आधारित सहायता के लिए विचार विनिमय करें।

विवरण-I

नवम योजना परिव्यय (1997–2002)

(करोड़ रुपयों में)

क्र.स.	राज्य	योजना परिव्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25150.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3569.89
3.	असम	8983.93
4.	बिहार	16680.00
5.	गोवा	1500.00
6.	गुजरात	28000.00
7.	हरियाणा	9310.00
8.	हिमाचल प्रदेश	5700.00
9.	जम्मू और कश्मीर	9500.00
10.	कर्नाटक	23400.00
11.	केरल	16100.00
12.	मध्य प्रदेश	20075.00
13.	महाराष्ट्र	36700.00
14.	मणिपुर	2426.69
15.	मेघालय	2500.62
16.	मिजोरम	1618.51
17.	नागालैंड	2006.43
18.	उड़ीसा	15000.00
19.	पंजाब	11500.00
20.	राजस्थान	22525.83
21.	सिक्किम	1600.00
22.	तमिलनाडु	25000.00
23.	त्रिपुरा	2577.39
24.	उत्तर प्रदेश	46340.00
25.	पश्चिम बंगाल	16900.00
	जोड़	354664.29

विवरण-II

ग्यारहवें वित्त आयोग (2000–2005) द्वारा संस्तुत आकलित कुल अंतरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं. राज्य	करों व अधिभारों में हिस्सा	गैर–योजनागत राजस्व घाटा अनुदान	उन्नयन और विशेष समस्याएं	स्थानीय निकाय अनुदान	राहत व्यय	कुल अंतरण (कालम 2 से 6)
1	2	3	4	5	6	7
विशेष श्रेणी के राज्य						
1. अरुणाचल प्रदेश	918.22	1228.02	90.59	28.52	49.83	2315.18

1	2	3	4	5	6	7
2. असम	12362.05	110.68	132.54	254.99	420.60	13280.86
3. हिमाचल प्रदेश	2570.25	4549.26	91.16	69.56	180.20	7460.43
4. जम्मू और कश्मीर	4854.50	11211.19	127.82	90.07	144.64	16428.22
5. मणिपुर	1377.32	1744.94	58.59	23.17	11.89	3215.91
6. मेघालय	1287.01	1572.38	57.39	28.31	16.32	2961.41
7. मिजोरम	745.11	1676.30	89.84	11.70	12.32	2535.27
8. नागालैंड	827.90	3536.24	62.84	14.66	8.12	4449.76
9. सिक्किम	692.43	840.58	66.78	5.50	28.63	1633.92
10. त्रिपुरा	1832.67	2414.16	60.18	32.48	21.55	4361.04
कुल (I)	27467.46	28883.75	837.73	558.96	894.10	58642.00
अविशेष (सामान्य) श्रेणी के राज्य						
1. आन्ध्र प्रदेश	28980.25	0.00	285.23	924.90	820.80	31011.18
2. बिहार	54934.90	0.00	401.60	878.94	512.46	56727.90
3. गोवा	775.22	0.00	27.28	13.91	5.15	821.56
4. गुजरात	10615.93	0.00	234.85	480.56	668.88	12000.22
5. हरियाणा	3552.44	0.00	132.65	183.73	336.95	4205.77
6. कर्नाटक	18552.48	0.00	311.53	518.94	309.03	19691.98
7. करल	11504.04	0.00	129.14	404.88	278.66	12316.72
8. मध्य प्रदेश	33258.98	0.00	494.52	871.48	373.40	34998.38
9. महाराष्ट्र	17431.05	0.00	331.97	972.98	651.49	19387.49
10. उड़ीसा	19026.64	673.60	215.05	385.55	453.66	20754.50
11. पंजाब	4316.37	284.21	110.01	209.37	508.57	5428.53
12. राजस्थान	20595.88	1244.68	299.85	590.37	857.85	23588.63
13. तमिलनाडु	20264.72	0.00	251.86	659.49	425.36	21601.43
14. उत्तर प्रदेश	74501.56	1026.74	669.91	1570.76	740.33	78509.30
15. पश्चिम बंगाल	30540.09	3246.09	239.45	775.22	419.00	35219.85
कुल (II) :	348850.55	6475.32	4134.90	9441.08	7361.59	376263.44
सकल योग (I+II)	376318.01	35359.07	4972.63	10000.04	8255.69	434905.44

औद्योगिक लाइसेंसों की आवश्यकता

4037. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगों के लिए अभी भी लाइसेंसों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लाइसेंस नीति को और अधिक उदार बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) अब ऐसे केवल छः उद्योग ही बचे हैं जिनके लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक है। ये हैं – (i) एल्कोहलीय पेयों का आसवन और उनका मद्यकरण, (ii) तंबाकू के सिगार व सिगरेटें तथा विनिर्मित तंबाकू के विकल्प; (iii) सभी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक एयरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण; (iv) डेटोनेटिंग फ्यूजों, सुरक्षा फ्यूजों, बारूद, नाइट्रोसेल्युलोज् और दियासलाइयों सहित औद्योगिक विस्फोटक; (v) खतरनाक रसायन और औषध तथा औषधभेषज (संशोधित औषध नीति, 1994, 1999 में यथासंशोधित, के अनुसार)।

(ग) और (घ) औद्योगिक वृद्धि को सुगम बनाने की दृष्टि से, लाइसेंसीकरण संबंधी मामलों, तत्संबंधी प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन सहित औद्योगिक नीति की समीक्षा करना सरकार की एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

मांस का निर्यात/आयात

4038. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्री त्रिलोचन कानूनगो :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किन-किन देशों को मांस का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन देशों को मांस का कितना निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान मांस का आयात भी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उदारीकरण और वैश्वीकरण की आड़ में मांस के निर्यात को बढ़ाने का है;

(च) यदि हां, तो क्या ऐसे किसी प्रयास के प्रति सरकार के अन्दर ही असंतोष की स्थिति है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री (मुरासोली मारन) : (क) भारत से मांस का निर्यात, अल्बानिया, अंगोला, आर्मेनिया, आस्ट्रेलिया, बहरीन, बंगलादेश, बारबाडोस, बेल्जियम, ब्राजील, ब्रुनेई, बुल्गारिया, चिली, चीन ताइपेई, चीन जनवादी गणराज्य, कॉमरोस, कांगो, चेक गणराज्य, डेनमार्क, मिस्र का अरब गणराज्य, फिनलैंड, फ्रांस, गैबोन, जर्मनी, घाना, गुयाना, जिब्राल्टर, यूनान, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इजराइल, इटली, आइबोरी कोस्ट, जापान, जोर्डन, कजाकिस्तान, केन्या, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, कुवैत, लेबनान, लाइबेरिया, लिथुआनिया, मलेशिया, मालावी, मालदीव, मौरिटानिया, माली, माल्टा, मारीशस, मोरक्को, मोजाम्बिक, नीदरलैंड, नाइजीरिया, नार्वे, ओमान, पाकिस्तान, फिलिपीन्स, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, रूस, सऊदी अरब, सेनेगल, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सूडान, स्विटजरलैंड, थाइलैंड, टोगो, त्रिनिदाद, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूके, यूएसए; पश्चिमी सामोआ, यमन गणराज्य और जिम्बाबवे को किया जा रहा है।

(ख) भारत से मांस के निर्यात के देश-वार आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआइएण्डएस), कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी में दिए गए हैं तथा संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान भारत द्वारा किए गए मांस का कुल निर्यात निम्नानुसार है

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1997-98	184471.0	794.43
1998-99	162877.0	772.14
1999-2000* (अप्रैल-सितम्बर, 99)	77288.0	333.22

स्रोत डीजीसीआइएण्डएस, कलकत्ता

* अनन्तिम

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1997—98, 1998—99 और 1999—2000 के दौरान भारत द्वारा किए गए मांस का कुल आयात निम्नानुसार रहा है :

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रु. में)
1997—98	—	—
1998—99	0.6	4.0
1999—2000* (अप्रैल—सितम्बर, 1999)	2.7	8.7

स्रोत : डीजीसीआइएण्डएस, कलकत्ता

* अनन्तिम

(ङ) एक नीति के रूप में, सरकार भारत से मांस के निर्यात सहित निर्यातों को बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास करती आ रही है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए राजसहायता

4039. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री माधवराव सिंधिया :

डॉ. जसवंत सिंह यादव :

श्रीमती रेणुका चौधरी :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री वाई.एस.विवेकानन्द रेड्डी :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुई अन्तर—राज्यीय परिषद की 60वीं बैठक में गंभीर वित्तीय संकट, जिससे देश गुजर रहा है, का उल्लेख करते समय विद्युत, परिवहन और अन्य सेवा क्षेत्रों में बढ़ती हुई राजसहायता को कम करने पर बल दिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिषद् की बैठक में क्या निर्णय लिया गया;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर इस समय कितनी राजसहायता दी जा रही है; और

(ङ) राजसहायता में कमी करने से देश के बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे को कम करने में किस हद तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) प्रधान मंत्री ने 20 मई, 2000 को आयोजित अन्तर्राज्यीय परिषद् की छठी बैठक में अपने उद्‌घाटन भाषण में केन्द्रीय सब्सिडियों की मात्रा और संरचना के यौक्तिकरण के बारे में उल्लेख किया था। सब्सिडी का बढ़ता हुआ भार एक ऐसा मुद्दा है जिससे संयुक्त रूप से निपटना होगा और राज्यों से आग्रह किया गया कि वे अपने वित्त प्रबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें। कुछ क्षेत्र, जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है इस प्रकार है : विद्युत क्षेत्र, परिवहन और अन्य सेवा क्षेत्र, बिजली प्रशुल्कों (टैरिफ) का यौक्तिकीकरण, प्रति आर्थिक सहायता में कटौती और उपभोक्ताओं के हित में संचरण (ट्रांसमिशन) और वितरण की प्रचलनात्मक कार्यक्षमताओं में सुधार। विद्युत, परिवहन और अन्य सेवा क्षेत्रों में सब्सिडी में कटौती के मुद्दे पर राज्यों की कोई प्रतिक्रिया नहीं है और अन्तर्राज्यीय परिषद् की छठी बैठक में उपर्युक्त मुद्दे पर कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया।

कर्नाटक में चीनी का भण्डार

4040. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में विभिन्न चीनी मिलों के गोदामों में कितनी चीनी की मात्रा पड़ी है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि माल (स्टाक) के न उठाए जाने के कारण चीनी मिलों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि चीनी मिलो द्वारा किसानों को उनकी बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण किसान बैंकों का ऋण अदा नहीं कर पा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कर्नाटक में चीनी मिलों की परेशानी को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) शर्करा निदेशालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 22 जुलाई, 2000 को स्थिति के अनुसार कर्नाटक में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के पास 11,92,453 टन चीनी का स्टाक था।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम ने कर्नाटक राज्य की कुछ चीनी फैक्ट्रियों के संबंध में नवम्बर और दिसम्बर, 1999 के महीनों के लिए आबंटित 18397.7 टन चीनी का उठान नहीं किया है। इन फैक्ट्रियों की 5486.00 टन लेवी का नए सिरे से आबंटन करके प्रतिपूर्ति की गई थी और शेष 12911.7 टन मात्रा को खुली बिक्री के अग्रिम कोटे के रूप में खुले बाजार में बिक्री करने की अनुमति इस शर्त के अध्यधीन दी गई थी कि इस मात्रा का उनकी खुली बिक्री की हकदारी के प्रति समायोजन किया जाएगा और लेवी की समूची देयता को पूरा करना होगा।

(घ) 15.6.2000 को स्थिति के अनुसार चीनी मिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार, कर्नाटक की चीनी मिलों की ओर कुल 155.10 करोड़ रुपये के गन्ने के मूल्य की धनराशि बकाया थी। गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का भुगतान करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उनसे गन्ने की बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को देय धनराशि का भुगतान न किए जाने के कारण गन्ना उत्पादक बैंकों के ऋण की अदायगी करने में चूककर्ता बन गए हैं।

(ङ) चीनी उद्योग की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ताकि उद्योग गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि को कम कर सके :

(i) चीनी फैक्ट्रियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने 1.1.2000 से घरेलू चीनी फैक्ट्रियों की लेवी देयता को 40% से कम करके 30% कर दिया है जिससे ये फैक्ट्रियां गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का तत्परता से भुगतान कर सकेंगी।

(ii) देश में आयातित चीनी की आमद को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 850 रुपये प्रति टन के मौजूदा प्रतिशुल्क को बरकरार रखते हुए 9.2.2000 से सीमा शुल्क बढ़ा कर 60 प्रतिशत कर दिया है।

(iii) केन्द्रीय सरकार खुली बिक्री की चीनी के कोटों की विवेकपूर्ण ढंग से निर्मुक्तियां करके घरेलू बाजार में चीनी के मूल्यों को स्थिर और उचित स्तर पर रखने को बढ़ावा देने की नीति का भी अनुसरण कर रही है ताकि चीनी फैक्ट्रियां किसानों को देय गन्ने के मूल्य का भुगतान कर सकें।

(iv) जरूरतमंद चीनी फैक्ट्रियों को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्तियां की जा रही हैं ताकि वे गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का भुगतान कर सकें।

(v) सरकार ने 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है और निर्यात की गई मात्रा पर चीनी फैक्ट्रियों को लेवी की देयता से छूट है। निर्यात के लिए यह छूट 01 जून, 2000 से छः महीने की अवधि के लिए दी जाएगी।

[हिन्दी]

खरीद केन्द्र

4041. प्रो. दुखा भगत : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन क्षेत्रों अथवा मंडियों के पास खरीद केन्द्रों की अपर्याप्त संख्या के कारण किसानों को अपने खाद्यान्नों की बिक्री सस्ती दरों पर करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन क्षेत्रों अथवा मंडियों के पास ऐसे कितने केन्द्रों की स्थापना राज्य–वार किए जाने का विचार है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

प्रत्येक विपणन मौसम के शुरू होने से पहले राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र खोले जाते हैं ताकि किसानों को मजबूरन बिक्री ने करनी पड़े और उन्हें होने वाली असुविधाओं से बचाया जा सके।

(ख) रबी विपणन मौसम 2000–2001 और खरीफ विपणन मौसम 1999–2000 के दौरान खोले गए वसूली केन्द्रों की राज्य–वार संख्या दर्शाने वाले विवरण क्रमशः विवरण I और II पर दिए गए हैं।

विवरण-I

2000–2001 (रबी) के दौरान प्रचालित किए जा रहे क्रय केन्द्रों की सूची

राज्य	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप में	राज्य एजेंसियां	जोड़
पंजाब	446	49	1059	1554
राजस्थान	22	–	118	140
हरियाणा	40	90@	227	357
बिहार	26	–	–	26
मध्य प्रदेश	22	–	1086	1108
उत्तर प्रदेश	44	–	4881	4925
	600	139	7371	8110

@ : 90 में से 35 भारतीय खाद्य निगम के साथ संयुक्त रूप से चलाए गए।

विवरण-II

खरीफ 1999–2000 के दौरान प्रचालित किए जा रहे क्रय केन्द्रों/मंडियों की संख्या बताने वाला विवरण

धान/मोटे अनाज 1999–2000

क्षेत्र	भा.खा.नि.	संयुक्त रूप से	राज्य एजेंसियां	जोड़
पंजाब	476	61	895	1452
हरियाणा	25	1	218	244
उत्तर प्रदेश	27	–	698	725
दिल्ली	4	–	–	4
राजस्थान	12	–	–	12
आंध्र प्रदेश	172	–	–	172
मध्य प्रदेश	55	–	–	55
पश्चिम बंगाल	भा.खा.नि. और राज्य द्वारा कुल	राज्य सरकार	डी.ई.पी.टी.टी.एस.	नामित
कर्नाटक	18	–	82	100
पांडिचेरी	2	–	2	4
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
बिहार	11	–	142	153
उड़ीसा	42	–	–	42
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
महाराष्ट्र	–	–	255	255
जोड़	844	62	2292	3198

[अनुवाद]

बौद्ध स्थलों का विकास

4042. **श्री दिलीप संघाणी :** क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998 में बौद्ध स्थलों के विकास के लिए कोई कृतक बल गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितने और कौन-कौन से स्थलो के विकास के लिए पहचान की गई है; और

(ग) अब तक राज्य-वार कौन-कौन से स्थलों का विकास किया गया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1998 में बौद्ध स्थलों के विकास के लिए कोई कार्यबल गठित नहीं किया गया था। तथापि, पर्यटन विभाग ने वर्ष 1986 और 1987 में दो कार्य बल गठित किए थे जिनमें विकास के लिए 62 केन्द्र अभिनिर्धारित किए गए :

उत्तर प्रदेश : सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा, श्रावस्ती और संकसिया।

बिहार : बोधगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली।

आन्ध्र प्रदेश : नागार्जुन कोंडा, अमरावती, चन्दावरम, गुंटुपल्ली, संकरम, सलिहुंडम, जागयेपेट्टा, मट्टी प्रोलु, रामातीर्थम, घंटसला, फणिगिरि, नेलाकोंडापल्ली, बविकोंडा, मंगमरिपेटा।

अरुणाचल प्रदेश : तवांग।

हिमाचल प्रदेश : रावलसर, ताबो, ताशिजांगको, क्ये, कर्दग, गुरु घंटाल, मक्लायडगंज, बीर, त्रिलोकनाथ, चांगो।

जम्मू और कश्मीर : हेमिस, लामपुरू, मुल्लबेक, अल्ची, सानी, रंगडम, फुगटल, कारशा।

मध्यप्रदेश : सांची।

महाराष्ट्र : कन्हेरी, बेडसा, करला, भाजा, एलोरा, अजन्ता, औरंगाबाद, पीतलखोरा।

उड़ीसा : उदयगिरी, रत्नगिरी, ललितगिरि, धौली।

पंजाब : संघोल।

राजस्थान : कोल्वी, बिन्नायगा।

सिक्किम : पेमायंग्रसे, रूमटेक, फूडोंग।

तमिलनाडु : कावेरी पट्टीनम।

(ग) भारत सरकार ने जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ.ई.सी.एफ.) की सहायता से उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बौद्ध परिपथ तथा अजंता एवं एलौरा का विकास किया है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग ने राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों के परामर्श से, देश में निम्नलिखित बौद्ध स्थलों पर पर्यटक अवसंरचना के विकास हेतु परियोजनाओं के लिए भी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है :-

उत्तर प्रदेश : पिपरहवा, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर।

बिहार : बौधगया, नालन्दा, राजगीर एवं वैशाली।

मध्य प्रदेश : सांची।

सिक्किम : लाचुंग, फोडोंग, पमयांतरो तथा ताशिडिंग।

आन्ध्र प्रदेश : नागार्जुनसागर।

अरुणाचल प्रदेश : तवांग मठ, तवांग।

उड़ीसा : धौली, ललितगिरि, उदयगिरि तथा रत्नगिरि।

महाराष्ट्र : अजंता एवं एलौरा तथा करला।

जम्मू और कश्मीर : हेमिस तथा पेथाव मठ तथा लेह में चोगलामसेर।

हिमाचल प्रदेश : ताबो/काजा, रावलसर तथा मेक्लोडगंज।

उड़ीसा और असम में एल.पी.टी./एच.पी.टी.

4043. **श्री सालखन मुर्मू :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आज तक कितने कम शक्ति और उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित हैं;

(ख) उड़ीसा में स्पष्ट प्रसारण के लिए कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर अथवा अन्य तरह से दूरदर्शन द्वारा किन-किन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा और असम में नए कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) उड़ीसा में इस समय भिन्न-भिन्न क्षमताओं के 92 ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं।

(ख) उड़ीसा सहित सम्पूर्ण देश में दूरदर्शन प्रसारण उपग्रह के जरिए उपलब्ध है। तथापि, उड़ीसा के 15.9% क्षेत्र में दूरदर्शन का स्थलीय प्रसारण उपलब्ध नहीं है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अब तक उड़ीसा में 12 अल्प शक्ति ट्रान्समीटरों सहित 27 टी.वी. ट्रान्समीटर तथा असम में 3 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों सहित 5 टी.वी. ट्रांसमीटर चालू किए जा चुके हैं। इसके अलावा, नौवीं योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में 3 अ.श. ट्रांसमीटरों सहित 6 और टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

वाहनों का बीमा

4044. श्री रतन लाल कटारिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बीमा कंपनियों में वाहन चोरी के कितने मामले दर्ज दिए गए;

(ख) विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा इन मामलों का निपटारा करने में क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(ग) क्या इन बीमा कंपनियों को उनके ही अधिकारियों द्वारा वाहन चोरी के फर्जी मामले दर्ज किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना के अन्तर्गत निधियां

4045. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1998–99, 1999–2000 के दौरान और आज तक संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि प्राप्त की गई तथा किन–किन क्षेत्रों में उसका प्रयोग किया गया है; और

(ख) उक्त परियोजनाओं के क्या नाम हैं और गुजरात में उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) वर्ष 1998–2000 के दौरान भारत सरकार/यू.एन.डी.पी. देश सहयोग ढांचा–I के अन्तर्गत यू.एन.डी.पी. द्वारा भारत को दिया गया महत्त्वपूर्ण निधिपोषण निम्नानुसार है :

वर्ष	सहायता (मिलियन डालर)	क्षेत्र
1998	09.59	यू.एन.डी.पी. सहायता का उपयोग विविध आयामों को शामिल करने वाले स्थायी मानव विकास के क्षेत्रों में किया गया है, जिनमें गरीबी उन्मूलन, अच्छा अभिशासन इक्विटी निर्माण, रोजगार, अधिकारिता तथा पर्यावरणात्मक पुनःसृजन शामिल है।
1999	15.92	यू.एन.डी.पी. सहायता का उपयोग विविध आयामों को शामिल करने वाले स्थायी मानव विकास के क्षेत्रों में किया गया है, जिनमें गरीबी उन्मूलन, अच्छा अभिशासन, इक्विटी निर्माण, रोजगार, अधिकारिता तथा पर्यावरणात्मक पुनःसृजन शामिल है।
2000	25.00 (योजनाबद्ध)	यू.एन.डी.पी. सहायता का उपयोग विविध आयामों को शामिल करने वाले स्थायी मानव विकास के क्षेत्रों में किया गया है, जिनमें गरीबी उन्मूलन, अच्छा अभिशासन, इक्विटी निर्माण, रोजगार, अधिकारिता तथा पर्यावरणात्मक पुनःसृजन शामिल है।

(ख) गुजरात में यू.एन.डी.पी. सहायता प्राप्त परियोजनाओं के नाम तथा वित्तपोषण के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

	परियोजना का नाम	परियोजना के लिए आबंटित निधियां	अब तक उपयोग में लाई गई निधियां
1.	उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केन्द्र को सहायता	859,970	844,701
2.	मरुस्थल के संबंध में लोगों की सहभागिता	753,395	143,018
3.	गरीबी उन्मूलन के लिए लोगों की सामूहिक क्षमता का उपयोग करना	375,234	140,000 (वर्ष 2000 तक योजनाबद्ध)
4.	बुनियादी जल तथा सफाई सुविधाओं के लिए निम्न आय घरानों को सहायता	60,000	60,000 (वर्ष 2000 तक योजनाबद्ध)
5.	कीटनाशक छिड़काव करने वालों का तुलनात्मक परीक्षण, दर्जा–निर्धारण तथा मूल्यांकन	25,000	25,000

[अनुवाद]

बैंकों का खोला जाना

4046. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह बंगलादेश भू–क्षेत्र में स्थित भारतीय इन्क्लेव में रह रहे भारतीय नागरिकों की संख्या से अवगत हैं;

(ख) उन इन्क्लेवों के नाम क्या हैं जहां 31.12.1999 की स्थिति के अनुसार बैंकों जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में इनमें से किसी इन्क्लेव में ऐसी सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उन इन्क्लेवों के नाम और ब्यौरे क्या हैं जहां इन सुविधाओं के प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से इन भारतीय नागरिकों की उपेक्षा करने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा–उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मिट्टी के तेल पर से सब्सिडी को वापस लेना

4047. श्री आर.एल.जालप्पा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2001 से मिट्टी के तेल की सब्सिडी को वापस लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मिट्टी के तेल की सब्सिडी को वापस लेने के विरोध में कर्नाटक के वितरकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) सरकार ने नवम्बर, 1997 में निर्णय लिया था कि पेट्रोलियम क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से शासित मूल्य तंत्र को समाप्त किया जाए। इस निर्णय के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के उपभोक्ताओं के लिए भण्डारण से जारी करने के समय तय मूल्य को वर्ष 2000–2001 में 20% बढ़ाया जाना अपेक्षित है। और वर्ष 2001–2002 में दौरान इन मूल्यों में उचित समायोजन किया जाना है ताकि राजसहायता का स्तर आयात सम मूल्य के 33.33% के स्तर पर पहुंच जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटक पुलिस बल

4048. श्री चन्द्र विजय सिंह :

श्री सुबोध मोहिते :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश भर में धरोहर स्थलों पर

विदेशी पर्यटकों के उत्पीड़न के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या देश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन पुलिस बल का निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) हैरीटेज स्थलों सहित पर्यटक स्थलों पर विदेशी पर्यटकों की परेशानी सहित अपराध राज्य/संघराज्य क्षेत्र के कानून एवं व्यवस्था संबंधी विषय हैं। तथापि, पर्यटकों के मन में विश्वास बैठाने के लिए, पर्यटन मंत्रालय रिपोर्ट किए गए मामलों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर, संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से उठाता है।

(ग) से (ङ) विदेशी पर्यटकों के लिए, भारत को एक बाधा मुक्त गंतव्यस्थल के रूप में संवर्धित करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पर्यटक पुलिस बल स्थापित करने के लिए सभी राज्यों/संघराज्य प्रशासनों को लिखा है। जम्मू–कश्मीर, राजस्थान, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों ने पहले ही ऐसी पर्यटक पुलिस स्थापित कर ली है।

उड़ीसा में उद्योगों का पुनरुद्धार

4049. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में सुपरचक्रवात के पश्चात् उद्योगों के पुनरुद्धार के संबंध में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितनी हानि हुई और इसमें कितनी लागत शामिल है;

(घ) राज्य सरकार की सहायता के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) नवगठित उड़ीसा चक्रवात पुनर्गठन प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन–पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एसटीसी निधियों की आवश्यकता

4050. श्री तूफानी सरोज : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने सरकार से तम्बाकू की खरीद के लिए निधियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम से कहा कि वह तम्बाकू उत्पादकों से तम्बाकू खरीदे; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य के लिए राज्य व्यापार निगम हेतु निधियां न जुटाए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) ने वर्ष 1999 के दौरान एफ सी वी तम्बाकू की खरीद पर किए गए खर्च तथा उस स्टॉक को रखने की लागत के लिए और इसके अलावा वर्ष 2000 के दौरान किए गए बाजारी क्रियाकलापों के वित्त–पोषण के लिए 50.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

(ग) एस टी सी द्वारा भंडार के समाप्त होने के बाद लेखाओं को अंतिम रूप देने से सरकार सहायता की प्रकृति का निर्धारण करने में समर्थ होगी।

(घ) एस टी सी को यह निर्देश दिया गया कि वह आन्ध्र प्रदेश के नीलामी मंचों से एफ सी वी तम्बाकू के अमिश्रित ग्रेडों की खरीद उस समय करे जब इनके विभिन्न ग्रेडों की कीमत वर्ष 1999 में उनकी औसत कीमत से कम हो।

(ङ) एस टी सी को यह निर्देश दिया गया था कि वह बैंकों से वाणिज्यिक ऋण लेकर तम्बाकू खरीद का प्रचालन शुरू करे।

राष्ट्रीय बचत संगठन योजनाएं

4051. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक विभिन्न राज्यों में अनेक राष्ट्रीय बचत संगठन की योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि जमा की गई; और

(ख) राष्ट्रीय बचत संगठन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जमा धनराशि से राज्यों के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 1997–98 से 2000–2001 (जून, 2000 तक) के दौरान राज्य–वार निवल लघु बचत संग्रहण और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) के हिस्से के रूप में निर्मुक्त की गई राज्य–वार राशियां दर्शाने वाले विवरण-I और II संलग्न हैं।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को लघु बचत अंतरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1997–98	1998–99	1999–2000 (अनंतिम)	2000–01 31.7.2000 तक
1	2	3	4	5	6
राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	435.87	986.60	1141.07	408.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.67	12.64	12.92	3.65
3.	असम	210.77	131.97	300.27	238.89
4.	बिहार	841.74	1432.37	1463.93	530.42
5.	गोआ	36.33	78.56	82.95	20.99
6.	गुजरात	1418.14	2325.09	2594.93	815.24
7.	हरियाणा	484.03	714.62	741.69	258.73
8.	हिमाचल प्रदेश	648.88	279.29	68.88	20.45
9.	जम्मू और कश्मीर	154.16	207.86	194.65	79.1
10.	कर्नाटक	491.88	799.74	1113.85	387.6
11.	केरल	182.65	392.77	571.37	177.32
12.	मध्य प्रदेश	562.70	886.81	993.55	280.26
13.	महाराष्ट्र	2521.69	3694.10	4119.51	625.21
14.	मणिपुर	12.60	13.79	18.86	9,44
15.	मेघालय	15.16	15.54	12.93	8.47
16.	मिजोरम	3.27	5.18	7.36	4.96
17.	नागालैंड	4.68	8.15	10.56	1.36
18.	उड़ीसा	263.53	378.31	384.47	198.85
19.	पंजाब	990.26	1350.44	1711.63	551.38
20.	राजस्थान	782.64	1130.13	1705.34	740

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	4.74	7.82	8.33	4.17
22.	तमिलनाडु	396.99	780.31	1013.56	573.2
23.	त्रिपुरा	43.30	65.01	64.52	28.77
24.	उत्तर प्रदेश	1991.47	3406.49	3255.69	1506.07
25.	प. बंगाल	2550.54	3922.90	4160.40	1516.18
	जोड़	15054.69	23026.49	25753.22	8989.19
	सं.रा.क्षे(वि.मं.स.)				
1.	दिल्ली	668.32	754.66	1164.81	346.88
2.	पांडिचेरी	9.18	6.95	18.62	11.34
	जोड़	677.50	761.61	1183.43	358.22
	कुल जोड़	15732.19	23788.10	26936.65	9347.41

विवरण-II

निवल लघु बचत संग्रहण (लोक भविष्य निधि को छोड़कर)

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1997–98 निवल संग्रहण	1998–99 निवल संग्रहण	1999–2000 (प्रारंभिक) निवल संग्रहण	2000–01 (जून, 2000 तक) निवल संग्रहण
1	2	3	4	5	6
राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	661.81	1180.22	1537.15	360.31
2.	बिहार	1305.60	1690.48	1919.97	471.45
3.	जम्मू और कश्मीर	206.97	256.09	252.02	59.55
4.	कर्नाटक	325.39	1197.71	1299.81	245.51
5.	मध्य प्रदेश	753.35	1031.66	1176.54	253.42
6.	उड़ीसा	364.70	448.28	514.96	174.02
7.	राजस्थान	1044.62	1628.57	2092.96	189.98
8.	उत्तर प्रदेश	2775.77	3831.98	4236.14	774.15
9.	हरियाणा	666.53	921.08	928.85	189.03
10.	तमिलनाडु	395.25	963.09	1245.28	87.75

1	2	3	4	5	6
11.	महाराष्ट्र	2435.56	3040.29	3036.20	413.33
12.	गोआ	38.48	74.42	80.52	19.72
13.	गुजरात	1754.38	2662.07	3127.27	710.59
14.	केरल	263.44	600.60	681.11	94.09
15.	पंजाब	1213.70	1675.42	1832.57	408.73
16.	हिमाचल प्रदेश	941.95	71.18	–514.24	62.38
17.	प. बंगाल	3801.61	4560.19	5195.06	1207.07
18.	सिक्किम	7.72	10.84	12.04	*
19.	असम	274.53	200.60	449.09	129.18
20.	मणिपुर	18.82	19.88	20.57	6.02
21.	मेघालय	16.16	23.20	16.21	3.60
22.	त्रिपुरा	70.90	76.92	102.14	31.23
23.	मिजोरम	4.79	9.44	11.97	4.96
24.	नागालैंड	7.83	9.58	6.50	1.52
25.	अरुणाचल प्रदेश	12.53	16.82	11.45	1.12
सं.रा. क्षे. (विधान मंडल सहित)					
1.	दिल्ली	997.51	1354.54	914.77	188.22
2.	पाड़िचेरी	7.89	8.32	19.84	1.42
	अन्य संघ राज्य क्षेत्र आदि	44.41	55.88	40.49	–2.82
	जोड़	20412.20	27619.37	30247.24	6085.53

* उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

यूनेस्को द्वारा पर्यटक स्थलों को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया जाना

4052. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यूनेस्को ने कुछ स्थानों को विश्व धरोहर सूची से हटाने की बात की है;

(ग) यदि हां, तो ये स्थान कौन–कौन से हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क)

सोलह केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को यूनेस्को द्वारा विश्व दाय स्थल घोषित किया गया है जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) यूनेस्को ने हम्पी स्मारक समूह को, दाय स्थल के अन्दर दो पुलों के निर्माण के कारण, खतराग्रस्त स्थल घोषित किया है।

विवरण

विश्वदाय सूची में दिए गए स्मारक

क्र. सं.	स्मारक का नाम	स्थान	राज्य
1.	अजन्ता की गुफ़ाएं	अजन्ता	महाराष्ट्र
2.	एलोरा गुफाएं	एलोरा	महाराष्ट्र
3.	एलिफैंटा गुफाएं	एलिफैंटा	महाराष्ट्र
4.	आगरा किला	आगरा	उत्तर प्रदेश
5.	ताजमहल	आगरा	उत्तर प्रदेश
6.	फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह	फतेहपुर सीकरी	उत्तर प्रदेश
7.	सूर्य मंदिर	कोणार्क	उड़ीसा
8.	गोवा के गिराजाघर तथा कन्वेन्ट	पुराना गोआ	गोआ
9.	खजुराहो स्मारक समूह	खजुराहो	मध्य प्रदेश
10	बौद्ध स्मारक सांची	सांची	मध्य प्रदेश
11.	हुमायूं का मकबरा	निजामुद्दीन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
12.	कुतुब मीनार तथा उसके स्मारक	महरौली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
13.	हम्पी स्मारक समूह	हम्पी	कर्नाटक
14.	पट्टडकल स्मारक समूह	पट्टडकल	कर्नाटक
15.	बृहदीश्वर मंदिर	तन्जावुर	तमिलनाडु
16.	महाबलीपुरम स्मारक समूह	महाबली पुरम	तमिलनाडु

विशेष पर्यटन क्षेत्र

4053. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 1992 से अब तक कितने स्थानों का विशेष पर्यटन क्षेत्रों के तौर पर पहचान तथा विकास किया गया है;

(ख) 1992 से अब तक पर्यटन स्थलों के तौर पर पहचान एवं विकास हेतु राज्य सरकारों को कुल कितनी राशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार, तमिलनाडु के मुत्तुकाडू–मामाल्लापुरम तट पर एक विशेष पर्यटन क्षेत्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गई है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में तमिलनाडु सरकार से आवश्यक मास्टर प्लान प्राप्त हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) पर्यटन से संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना, 1992 के माध्यम से केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र राज्यों और दमन तथा दीव संघ राज्य में पांच स्थानों को विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए अभिनिर्धारत किया गया है।

(ख) वर्ष 1992 से, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने देश में पर्यटक रुचि के स्थलों के विकास के लिए 2001 परियोजनाएं स्वीकृति की हैं जिनके लिए राज्य/संघ राज्य सरकारो को 161.52 करोड़ रुपए की राशि स्वी कृत की गई थी।

(ग) से (ङ) पर्यटन विभाग ने तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ परामर्श करके विशेष पर्यटन क्षेत्र मुट्टूकाडू–मामल्लापुरम के विकास के लिए 48.31 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

नासिक को आधारभूत ढांचे के लिए धनराशि का आबंटन

4054. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "पर्यटन विकास योजना" के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास हेतु नासिक शहर के लिए कुछ धनराशि आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव के गुण–दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता, धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। चालू वर्ष के दौरान, नासिक शहर के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बैंक दर

4055. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री नागमणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 45.09 प्रति डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट के संदर्भ में 21 जुलाई, 2000 से बैंक दर को एक प्रतिशत बढ़ाकर अर्थात् 8 प्रतिशत और नकद जमा अनुपात को आधे प्रतिशत बढ़ाकर अर्थात् 8.5 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे किस हद तक देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी;

(ग) क्या आम आदमी के लिए सावधि जमा और मजदूरों की भविष्य निधि पर भी ब्याज दरों में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू वित्तीय बाजारों में हुई हाल ही की गतिविधियों की समीक्षा के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 जुलाई, 2000 को बैंक दर 1 प्रतिशत अंक द्वारा बढ़ाकर 7 प्रतिशत वार्षिक से 8 प्रतिशत वार्षिक कर दी है तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) को 29 जुलाई, 2000 एवं 12 अगस्त, 2000 से शुरू पखवाड़े से दो स्तरों में 0.25 प्रति अंक द्वारा बढ़ाकर 8 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत कर दिया है। सी आर आर में वृद्धि से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संसाधनों का प्रत्येक स्तर पर लगभग 1900 करोड़ रुपये का नियोजन होगा।

(ग) और (घ) सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर का अविनियमन एवं निर्धारण बैंकों द्वारा स्वयं किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंको सहित कुछ बैंकों ने अपनी सावधि जमाराशि दर को 0.50 से बढ़ाकर 0.75 आधार बिन्दु किया है। भविष्य निधि दर, जिसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, का संबंध सीधे बैंक दर से नहीं है। वर्ष 2000–01 के लिए इसे 11% वार्षिक निर्धारित किया गया है।

निजी क्षेत्र के बैंकों का कार्यकारण

4056. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के नए बैंकों के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा भविष्य में नए बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी नीतिगत ढांचे पर सुझाव देने हेतु एक आंतरिक कार्य दल गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आंतरिक कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में नए निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष कुल कितने आवेदन लंबित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर–सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए नीति की पुनरीक्षा करने तथा मौजूदा लाइसेंसिंग नीति के तहत अब तक के अनुभव को ध्यान में रखते हुए नए मार्ग–निर्देश निर्धारित करने के लिए एक आन्तरिक कार्य दल गठित किया था। कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1993 के मार्गनिर्देशों के अनुसार गैर–सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना के लिए ग्यारह आवेदनपत्र लम्बित हैं। संशोधित मार्ग–निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद गैर–सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना के लिए लंबित आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा।

खाद्य तेल की मांग

4057. श्री जी.जे. जावीया : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य तेल की मांग का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार विशेषकर गुजरात का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को खाद्य तेल का कितना कोटा प्रदान किया गया है;

(घ) क्या खाद्य तेल कोटा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार द्वारा तेल वर्ष 1999–2000 (नवम्बर 1999 से अक्टूबर, 2000) में पूरे देश के लिए खाद्य तेलों की मांग 96.43 लाख टन होने का आकलन किया गया है। तथापि, तेलों की राज्य–वार मांग का आकलन नहीं किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों के आबंटन हेतु कोई राज्य–वार कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। एक विशेष वर्ष में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त मांगों के आधार पर और स्वदेशी खाद्य तेलों के मूल्यों और उनकी उपलब्धता, केन्द्रीय पूल में तेलों की उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पिछले उठान आदि जैसे प्रासंगिक घटकों को ध्यान में रखकर आबंटन किया जाता है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग, आबंटन और उठान की राज्य–वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। खुले बाजार में तेलों की उपलब्धता और मूल्यों की संतोषजनक स्थिति के कारण पिछले वर्ष या उससे पूर्व की अवधि के दौरान राज्यों ने आबंटित मात्रा का उठान नहीं किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों की राज्य–वार मांग और आबंटन

(आंकड़े टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997–98			1998–99			1999–2000		
		मांग	आबंटन	उठान	मांग	आबंटन	उठान	मांग	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	65200	28000	11932	69000	56000	42921	98000	56700	12139
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	300	300	54	1200	800	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	3500	3500	1435	2000	2000	1741	3600	2430	851
6.	गुजरात	20000	20000	शून्य	36000	28000	24822	40330	25400	10082
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	400	400	शून्य	200	200	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	1400	1400	593	1800	1300	1171	5200	2060	737
9.	जम्मू तथा कश्मीर	400	400	20	875	616	188	1500	1262	55
10.	कर्नाटक	10000	10000	4894	10000	8000	6885	14000	13600	2341
11.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	30000	30000	25131	46000	40231	40061	56000	41800	9347
14.	मणिपुर	800	800	800	2400	1600	724	7800	5215	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	400	400	110	1000	560	26
16.	मिजोरम	800	800	150	800	270	130	600	306	45
17.	नागालैण्ड	1600	1600	1040	2400	2400	1782	4800	3740	1636
18.	उड़ीसा	7300	7300	4271	11000	9000	5490	20900	10000	956
19.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	8000	2000	320	शून्य	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	880	880	540	1480	1000	647	2200	1720	960
22.	तमिलनाडु	4000	4000	4000	5500	5000	4542	5400	3950	914
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	200	200	106	1100	660	101
24.	उत्तर प्रदेश	1700	1700	8	15000	5000	1747	5000	5000	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	20000	20000	3228	14000	14000	7691	53000	28000	5479
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	100	शून्य	400	275	शून्य	250	177	शून्य
27.	चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दादरा तथा नगर हवेली	320	320	310	560	500	390	960	808	448
29.	दमन और दीव	500	500	490	800	790	590	1850	1561	530
30.	दिल्ली	2104	2104	1478	8704	6398	6038	5900	4950	1951
31.	लक्षद्वीप	400	400	200	400	300	224	400	334	147
32.	पांडिचेरी	2000	2000	1695	6000	4000	2591	11000	6800	988
	जोड़	173304	136104	62269	245319	190480	150931	338990	217233	49789

पर्यटन और संस्कृति का विकास

4058. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन तथा संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन और संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु योजना–वार तथा राज्य–वार कितनी निधि उपलब्ध कराई गयी;

(ग) क्या इस खाते में भारी राशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन राज्यों को आबंटित निधियों के उचित उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

संवर्धनात्मक सामग्री, सी.डी. रोम तथा फिल्मों का निर्माण, विदेशी मीडिया तथा यात्रा अभिकर्ताओं के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए फमिलियराइजेशन ट्रिप का आयोजन तथा पर्यटन मंत्रालय को

आबंटित कुल योजनागत निधि के 10% का उपयोग पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए किए जाने का प्रावधान।

(ख) विवरण I तथा II संलग्न हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन को योग में लाने की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य सरकारों की है।

(ङ) स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के मद्देनजर धनराशि किश्तों में दी जाती है। दूसरी और तीसरी किश्त तभी दी जाती है, जब राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाता है। स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए हाल ही में भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों के क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि सहित एक निगरानी तंत्र गठित किया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान पूर्वोत्तर के लिए स्वीकृत परियोजना तथा स्वीकृत धनराशि के ब्यौरे (मेलों और उत्सवों सहित सभी परियोजनाएं) दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(लाख रु. में)

राज्य	1997-98			1998-99			1999-2000		
	स्वीकृत परि.की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परि.की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परि. की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
असम	14	288.88	94.20	15	457.95	146.14	17	357.35	76.96
अरुणाचल प्रदेश	9	271.00	82.50	6	216.32	65.55	11	239.28	51.03
मणिपुर	5	186.11	56.35	8	140.49	41.40	10	229.00	70.10
मेघालय	5	97.70	30.55	5	120.48	37.50	5	30.72	6.46
मिजोरम	6	142.45	43.50	8	203.34	62.90	13	292.17	94.41
नागालैण्ड	3	113.90	51.36	11	230.54	69.00	16	291.80	93.75
सिक्किम	11	73.20	36.95	15	136.03	58.92	13	118.98	43.57
त्रिपुरा	8	126.68	44.65	9	169.21	53.00	7	340.76	99.12
जोड़	61	1299.92	440.06	77	1674.36	534.41	92	1900.06	535.4

विवरण-II

परियोजनाओं/योजनाओं का विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना विकास टूरिस्ट बंगले, स्मारकों के सौंदर्यीकरण, प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन, मेलों तथा उत्सवों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

...य का ...म	स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	पूर्ण परियोजनाओं की सं.	अपूर्ण परियोजनाओं की सं.
	2	3	4	5	6
...णाचल प्रदेश	26	726.60	199.08	-	26

1	2	3	4	5	6
असम	46	1104.18	317.30	–	46
मणिपुर	23	555.59	167.85	–	23
मेघालय	15	248.90	74.51	–	15
मिजोरम	27	637.96	200.81	–	27
नागालैण्ड	30	636.24	214.11	1	29
त्रिपुरा	24	636.65	196.77	1	23
सिक्किम	39	328.21	139.44	–	39

[हिन्दी]

चिकित्सा बीमा योजना

4059. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों की तरह भारत में दुर्घटनाओं अथवा बीमारियों पर होने वाले खर्च के भुगतान हेतु कोई चिकित्सा बीमा योजना तैयार की जा रही है;

(ख) क्या गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बीमा राशि के एक हिस्से का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब से लागू किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) "मेडिक्लेम" नामक एक चिकित्सा बीमा पॉलिसी भारतीय साधारण बीमा निगम की चार अनुषंगी कम्पनियों अर्थात् (i) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, (ii) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि., (iii) ओरिएंटल इश्योरेंश कम्पनी लि. और (iv) यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. में पहले ही चल रही है। यह पॉलिसी दुर्घटना के कारण आयी चोट, रोग और बीमारी के कारण होने वाले चिकित्सा और शल्य उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती के समय हुए व्यय को कवर करती है। कोई भी व्यक्ति उचित प्रीमियम अदा करके इस पॉलिसी को खरीद सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उड़ीसा को ऋण सहायता

4060. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) 1999–2000 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौर उड़ीसा राज्य को कुल कितनी केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की ग

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने महाचक्रवात और के.बी. जिलों के लम्बे समय से सूखा प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते केन्द्र सरकार और ग्यारहवें वित्त आयोग से 1700 करोड़ रुपए केन्द्रीय सहायता को माफ करने के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रतिवर्ष दी जाने वाली 2000 करोड़ रुपए की ब्य की राशि के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने तीन वर्षों के लिए रं लगाने हेतु भी केन्द्र सरकार से अभ्यावेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रव की गई है/किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) (क) वर्ष 1999–2000 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरव को योजना सहायता के अंतर्गत 86017.15 लाख रुपए का केन्द्र ऋण उपलब्ध कराया गया है।

(ख) से (ङ) वित्त आयोग के लिए अभ्यावेदन राज्य सरकार द्व सीधे आयोग को प्रस्तुत किए जाते हैं। महाचक्रवात और के.बी. जिलों के लम्बे समय से सूखा प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा उड़ीसा के लिए किसी विशिष्ट ऋण मा की सिफारिश नहीं की गई है। तथापि, राज्य के लिए अपनी सिफा

आबंटित करते समय आयोग को उनके ऋण–भार तथा महाचक्रवात के परिप्रेक्ष्य में संसाधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा।

भारत सरकार को राज्य सरकार से वर्ष 2000–01 के दौरान देय केन्द्रीय करों की कुछ पुनःअदायगी की देनदारियों को माफ किए जाने और 2000–01 के लिए बकाया ऋण भार को पुनर्व्यवस्थित किए जाने संबंधी अनुरोध मिले हैं। भारत सरकार ने नवम्बर, 1999 से मार्च, 2000 के महीनों के लिए ऋण के भुगतान और ब्याज अदायगी को छः महीने के ऋण स्थगन सहित दो वर्ष में वसूली के लिए पुनर्व्यवस्थित कर दिया है जिसमें वसूली की पहली किस्त अक्टूबर, 2000 से शुरू होगी।

[हिन्दी]

दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की स्थापना

4061. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य–वार कौन–कौन से स्थानों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन केन्द्रों को मार्च, 2000 तक चालू कर दिया गया था; और

(ग) वे स्थान कौन–कौन से हैं जहां ऐसे केन्द्रों को मार्च, 2000 तक स्थापित किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) 1.4.1997 के बाद अनुमोदित, मार्च 2000 तक चालू किए गए तथा 1.4.2000 और 15.8.2000 के बीच चालू किए गए दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अभी तक चालू नहीं किए गए ट्रांसमीटरों को नौवीं योजना के शेष हिस्से के दौरान चरणबद्ध रूप से चालू किए जाने की संभावना है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्थान
1	2
आन्ध्र प्रदेश	**उ.श.ट्रा.**
	वारंगल
	विजयवाड़ा (डी डी–2)
	अ.श.ट्रा.
	मछलीपटनम
	मदुगुला
	मिरयालागुडा
	पुलमनगर
	पुंगानौर
	श्रीसिला
	उदयगिरि
	वेलदाना**
	वेमालवादा
	विनुकोंडा**
	जहीराबाद
	अ.अ.श.ट्रा.
	दत्तालूर
	कानिगिरि
	मादीपारदु
असम	**उ.श.ट्रा.**
	गुवाहाटी (डी डी–2)**
	सिलचर (डी डी–2)**
	अ.श.ट्रा.
	गोहपुर*
	ट्रांसपोजर
	गुवाहाटी
बिहार	**उ.श.ट्रा.**
	जमशेदपुर
	पटना (पटना डी डी-2)
	रांची (डी डी–2)**

1	2
	मुजफ्फरपुर (डी डी–2)
	अ.श.ट्रा.
	किशनगंज
	बांका
	रोसेरा**
	जमशेदपुर (डी डी–2)
	धनबाद (डी डी–2)
	अ.अ.श.ट्रा.
	रामगढ़ हिल
गोवा	उ.श.ट्रा.
	पणजी (डी डी–2)
गुजरात	उ.श.ट्रा.
	सूरत
	वडोदरा
	अ.श.ट्रा.
	जमजोधपुर*
	लुनवाडा*
	राजपीपला*
	व्यारा**
	पुनंघरो (संचल)*
	बडोदरा (डी डी–2)
	सूरत (डी डी–2)
हरियाणा	अ.श.ट्रा.
	भिवानी (डी डी–2)
	फिरोजपुर झिरका**
	करनाल**
	महेन्द्रगढ़**
	टोहाना**
	यमुनानगर**
हिमाचल प्रदेश	उ.श.ट्रा.
	शिमला (डी डी–2)
	अ.श.ट्रा.
	मण्डी (डी डी–2)**
	अ.अ.श.ट्रा.
	आशापुरी**
	बिजली महादेव
	नेहरी
जम्मू तथा कश्मीर	उ.श.ट्रा.
	जम्मू (डी डी–2)*
	श्रीनगर (डी डी–2)*
	श्रीनगर (कशीर चैनल) **
	कुपबारा
	कुपबारा (डी डी–2)
	नौशेरा
	नौशेरा (डी डी–2)
	गुरेज
	गुरेज (डी डी–2)
	तिथवाल
	तिथवाल (डी डी–2)
	रनवीर सिंह पुरा/सांवा (डी डी–2)
	पुंछ (डी डी–2)
	अ.श.ट्रा.
	बादौपोरा (सचल)*
	दरहल (सचल)*

1	2	1	2
	नौशेरा (सचल)		खताई
	कुठुआ (डी डी–2)**		रिवपु
	सचल अ.श.ट्रा.–12		कोटरनका
	अति अ.श.ट्रा.		लाटी
	अख्नान		लिंगशेद
	अश्मुकम		लोलाब घाटी
	बानेहाल		लोरन
	बसोली		मछिल
	बटालीक		मेहोर
	बेफि्लबाज		मंडी
	बोध खुरजू		मंजकोट
	बोनियार		मन्तूर,
	बुमथांग		मेंधार
	दाह		नौगाम
	दरहल		पनामिक
	धार		पेष्टा
	डोमचुक		बोनी
	गन्दोह		पुलबामा
	गूल		रामकोट
	गुलाबगढ़		रामनगर
	गुलमर्ग		रिंगदोम गोम्बा
	हन्दल		शोषिया
	हीरानगर		सोनमर्ग
	हॉट स्प्रिंग		सुन्दरबनी
	ईच्छर		तगमार्ग
	कगम		थवी
	केरन		तिलेल

1	2
	त्राल
	त्रेगाम
	तुर्तक
	गुलमर्ग
	जागला
कर्नाटक	उ.श.ट्रा.
	हसन**
	मंगलोर
	मैसूर
	रायचुर
	अ.श.ट्रां.
	मुन्दारगी
	सिंधनूर
	मैसूर (डी डी–2)
केरल	उ.श.ट्रा.
	कन्नानूर
	कोचीन (डी डी–2)
	त्रिवेन्द्रम (डी डी–2)
	अ.श.ट्रां.
	कोट्टारक्कारा
	मंजेरी
	पाला**
	अ.अ.श.ट्रा.
	ईराट्टूपेट्टा
	मुंडाक्कयाम
मध्य प्रदेश	उ.श.ट्रा.
	अम्बिकापुर
	गुना
	शहडोल
	भोपाल (डी डी–2)**
	इन्दौर (डी डी–2)**
	जबलपुर (डी डी–2)
	रायपुर (डी डी–2)*
	अ.श.ट्रां.
	आगर
	बदवानी**
	बरैली
	चाम्पा
	करैरा**
	खरोड
	कोन्टा
	कुक्शी**
	लखनाडोन
	मुलताई**
	पंडरिया
	सिंघवा
	अ.अ.श.ट्रां.
	पाथलगांव
	अलोट
महाराष्ट्र	उ.श.ट्रां.
	चन्द्रपुर
	जलगांव
	रत्नागिरि
	नागपुर (डीडी–2)**

1	2	1	2
	अ.श.ट्रा.		तिवसा*
	आकलकोट **	मणिपुर	**अ.अ.श.ट्रा.**
	अम्बाजोगई (डीडी–2)*		चुराचांदपुर*
	भामरागड	मेघालय	**उ.श.ट्रां.**
	भंडारा (डीडी–2)*		तुरा (डीडी–2)**
	दर्यापुर**		**ट्रांसपोजर**
	धाडगांव		शिलांग**
	धर्माबाद*	मिजोरम	**ट्रांसपोजर**
	खानपुर**		एजवाल
	मंगलवेध**	नागालैण्ड	**अ.अ.श.ट्रां.**
	पांढ़रकवड़ा*		श्यामटोर*
	पाटन*		**ट्रांसपोजर**
	फाल्टन**		बारा बस्ती
	पुलगांव××	उड़ीसा	**उ.श.ट्रां.**
	रावेर		बहरामपुर
	तुमसर*		सम्बलपुर (डी डी–2)
	नाशिक (डीडी–2)		**अ.श.ट्रां.**
	शोलापुर (डीडी–2)		बालेश्वर (डी डी–2)
	अ.अ.श.ट्रां.		**अ.अ.श.ट्रां.**
	अर्जुनी*		पैकमल**
	आष्टी*		सुबडेगा*
	चिमूर*	पांडिचेरी	**उ.श. ट्रां. (पांडिचेरी)**
	कारंजा*	पंजाब	**उ.श.ट्रां.**
	कुरखेड़ा*		अमृतसर (संवर्धन)
	पिम्पपलनेर–सकरी*		अमृतसर (डी डी–2)
	साकोली	राजस्थान	**उ.श.ट्रां.**
	सिन्देवाही*		अजमेर

1	2
	जयपुर (डी डी–2)
	जोधपुर (डीडी–2)
	अ.श.ट्रां.
	बाली**
	भरतपुर*
	मिनमल
	किशनगढ़ (अजमेर)
	किशनगढ वास*
	कुशलगढ**
	नागर**
	नशिराबाद
	नवलगढ़**
	पिरवा
	सागवारा*
	संचौर
	सोजत
	तारानगर**
	विजयनगर
	अजमेर (डी डी–2)
	बीकानेर (डी डी–2)
	अ.अ.श.ट्रा.
	आंधी*
	कोटरा*
	सिकराई*
	विराटनगर*
तमिलनाडु	**अ.श.ट्रा.**
	कुम्बाकोनम

1	2
	अ.श.ट्रा.
	अम्बासामुद्धरम
	अम्बूर
	देनकानिकोटा**
	कल्लाकुरची
	नटट्म**
	पलानी
	पेरनामपेट**
	पौलाची**
	बधांबासी**
	गिंजी**
	त्रिची (डी डी–2)
	कोयम्बटूर (डी डी–2)
त्रिपुरा	**अ.श.ट्रा.**
	अगरतला (डी डी–2)
उत्तर प्रदेश	**उ.श.ट्रा.**
	लखीमपुर
	आगरा (डी डी–2)
	इलाहाबाद (डी डी–2)
	लखनऊ (डी डी–2)
	वाराणसी (डी डी–2)
	गोरखपुर (डी डी–2)
	मंसूरी (डी डी–2)**
	अ.श.ट्रा.
	विधुना
	डाक पत्थर**
	गोपेश्वर

1	2
	कालागढ़**
	खेतीखान
	बरेली (डी डी–2)
	अलीगढ़(डी डी–2)
	झांसी(डी डी–2)
	रामपुर(डी डी–2)*
	अ.अ.श.ट्रा.
	अरौली
	खुबिया नांगल*
	नन्दप्रयाग*
	ओखीमठ*
	पोखरी*
	ठाकुरद्वारा(डी डी–2)
	ट्रांसपोजर
	मसूरी (डी डी–2)
पश्चिम बंगाल	**उ.श.ट्रा.**
	बालूरघाट
	खडगपुर
	कृष्णानगर
	शान्तिनिकेतन
	आसनसोल(डी डी–2)
	मुर्शिदाबाद(डी डी–2)
	अ.श.ट्रा.
	गढबेटा**
	झालदा
	कुच्छ बेहर
	अ.अ.श.ट्रा.
	बागमंडी*

* यह 31.3.2000 तक चालू की गई परियोजनाओं को दिखाता है।

** यह 1.4.2000 एवं 15.8.2000 के बीच–चालू की गई परियोजनाओं को दिखाता है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार

4062. श्री सुनील खां : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन सहित सरकारी क्षेत्र के छः अन्य उपक्रमों के पुनरुद्धार की संभावना का पता लगाने हेतु एक विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समूह ने क्या–क्या मुख्य सिफारिशें कीं; और

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. बल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 6 उपक्रमों जिन्हें सरकार ने बंद करने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, में से 4 उपक्रमों नामतः नेशनल बाईसिकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एन.बी.सी.आई.एल), वेबर्ड इंडिया लि. (डब्लयू.आई.एल), टैनरी एंड फुटवियर कॉरपोरेशन (टैफ्को) ओर रिहेब्लिटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन (आर.आई.सी.) के मामले में विशेषज्ञ दल अंततः इस निर्णय पर पहुंचा है कि सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के पुनरुद्धार के कोई पर्याप्त आसार नहीं हैं। माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन (एम.ए.एम.सी) के एक मामले में, विशेषज्ञ दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कंपनी को बिना उचित लागत और प्रयास के पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञ दल ने इन मामलों में सहकारिता/संयुक्त उद्यम/निजीकरण का गठन करने के लिए अन्य विकल्पों की सिफारिश की थी। बी.पी.एम.ई. को अजैव्य उद्यम समझा गया। सरकार ने विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और विभिन्न विकल्पों के माध्यम से पुनरुद्धार के लिए किए गए पूर्व प्रयासों को दोहराने की निरर्थकता को ध्यान में रखकर पुनरुद्धार के अगले आसार पर विचार–विमर्श करने के बाद सरकारी क्षेत्र के इन 6 रुग्ण उपक्रमों को बंद करने की कार्रवाई का निर्णय लिया है।

बंगलादेश में व्यापार और वाणिज्य

4063. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलादेश में व्यापार और वाणिज्य का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों में कोई बातचीत हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) बंगलादेश सहित सभी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य का विकास करना सरकार की नीति है।

(ग) से (ङ) भारत और बंगलादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर पर व्यापार समीक्षा वार्ताएं मई, 2000 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं। दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य के विकास के उद्देश्य से सीमाशुल्क क्रियाविधियों में सहयोग के उपायों, व्यापारियों के लिए दीर्घावधि बहुउद्देशीय प्रवेश वीजा, बुनियादी सुविधाओं में सुधार आदि पर विचार किया गया था।

शुनु सेन समिति

4064. श्री सुरेश कुरूप : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुनु सेन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को प्रसार भारती बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार ने इसमें से कौन सी सिफारिशों को स्वीकार किया है; और

(घ) सरकार किन सिफारिशों पर ढुलमुल रवैया अपना रही है तथा इसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों/सुझावों में अन्य बातों के साथ–साथ प्रसार भारती के लक्ष्य एवं उद्देश्य, प्रसार भारती की जवाबदेही एवं संरचनाओं, वित्तपोषण एवं निधियों संबंधी पद्धति, चैनलों की स्थिति, कार्यक्रम संबंधी विषयवस्तु एवं निर्माण, प्रसारण एवं इंजीनियरी सेवाओं के पुनर्निर्माण, विपणन, मानव संसाधन विकास और नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संबंधित हैं। सिफारिशों में प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में कुछ संशोधन भी शामिल हैं। उपर्युक्त रिपोर्ट की प्रति मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् एम आई बी एन आई सी इन पर उपलब्ध है। समिति की कुछ सिफारिशों पर प्रसार भारती द्वारा निर्णय लिया जाना है, जबकि कुछ अन्यों के मामले में सरकार को निर्णय लेना है। सरकार द्वारा इस विषय में कोई निर्णय लेने से पहले प्रसार भारती बोर्ड के सदस्यों, स्टॉफ के प्रतिनिधियों और कर्मचारी यूनियनों के साथ परामर्श किया जा रहा है। उपर्युक्त रिपोर्ट मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों में परिचालित कर दी गई हैं और उनके विचार भी लिए जा रहे हैं।

कर्नाटक में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो

4065. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपुओं तथा कंटेनर फ्रेट स्टेशनों की स्थापना में निजी भागीदारी को अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बंगलौर में और अधिक कंटेनर डिपुओं की स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वर्ष 1992 से निजी क्षेत्र के प्रस्तावों सहित देश में आईसीडी/सीएफएस की स्थापना हेतु प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए वाणिज्य विभाग में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तथा कंटेनर फ्रेंट स्टेशन (आईसीडी/सीएफएस) संबंधी एक अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) कार्य कर रही है। आईसीडी/सीएफएस की स्थापना करना एक सतत् प्रक्रिया है। यह अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी), जब भी कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर विचार करती है और अब तक इसकी 29 बैठकें हो चुकी हैं। इसके द्वारा निजी क्षेत्र के 47 प्रस्तावों सहित 124 प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) आईसीडी/सीएफएस संबंधी अंतर–मंत्रालयी समिति ने हाल ही में बंगलौर (वाइटफील्ड) में एक आईसीडी स्थापित करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। बंगलौर में एक आईसीडी पहले ही कार्यरत है जिसकी आईएमसी के गठन से पहले स्थापना की गई थी। वर्तमान में, अंतर–मंत्रालयी समिति के पास बंगलौर में किसी

आईसीडी/सीएफएस की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

आईआईबीआई, आईडीबीआई और आईएफसीआई द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

4066. श्री पवन कुमार बंसल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आईआईबीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई और अनुसूचित बैंकों द्वारा वित्तपोषित आरंभिक उद्यमियों के परियोजनाओं की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) ऋणों की स्वीकृति और भुगतान में कितना समय लिया गया है;

(ग) क्या ऋणों के लिए निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं होने के कारण अनेक मामलों में औद्योगिक रुग्णता आई है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति के उपचार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने प्रथम पीढ़ी के उद्यमी के लिए 1997–98 के दौरान 50 परियोजनाओं, 1998–99 के दौरान 39 परियोजनाओं तथा 1999–2000 के दौरान 40 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई) ने प्रथम पीढ़ी के उद्यमी के लिए 1997–98 के दौरान 6 परियोजनाओं, 1998–99 के दौरान 4 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है, 1999–2000 के दौरान किसी भी परियोजना का वित्त पोषण नहीं किया गया है। बताया गया है कि आईएफसीआई लि. ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा प्रायोजित किसी परियोजना का वित्तपोषण नहीं किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आईडीबीआई और आईआईबीआई द्वारा मंजूर परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

परियोजनाओं के लिए मंजूरी में सामान्यतः दो से तीन महीने के बीच का समय लगता है। संवितरण आवश्यक कागजातों के निष्पादन और अपेक्षित शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने संभावित रूप से अर्थक्षम पाए जाने वाल रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनर्वास के लिए बैंकों को व्यापक मार्ग–निर्देश जारी किए हैं रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनर्वास संबंधी समन्वय की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति (एसएलआईआईसी) भी गठित की गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के संबंध में आईडीबीआई और आईआईबीआई द्वारा मंजूर परियोजनाओं का राज्य–वार विवरण

आईडीबीआई

राज्य	1997–98	1998–99	1999–2000
आन्ध्र प्रदेश	4	7	7
असम	4	4	6
बिहार	–	–	1
गुजरात	7	3	4
हरियाणा	–	1	1
हिमाचल प्रदेश	2	–	–
कर्नाटक	6	2	5
केरल	1	3	1
मध्य प्रदेश	2	–	1
महाराष्ट्र	13	10	5
पंजाब	1	2	2
राजस्थान	3	1	3
तमिलनाडु	3	4	2
पश्चिम बंगाल	4	1	2
दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	–	1	–
कुल	50	39	40

आईआईबीआई

राज्य	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	4	2	
गुजरात	1	–	

1	2	3	4
महाराष्ट्र	–	1	
पंजाब	1	–	
तमिलनाडु	–	1	
कुल	6	4	

मीडिया इकाइयों का बन्द होना

4067. श्री किशन सिंह सांगवान :

श्री प्रभात सामन्तराय :

श्री के.पी.सिंह देव :

श्री टी. गोविन्दन :

डॉ. वी. सरोजा :

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

श्री जोरा सिंह मान :

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने कई मीडिया इकाइयों/संगठनों/कार्यालयों को बंद करने और कर्मचारियों की संख्या को भी तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की है।

(ख) यदि हां, तो जिन इकाइयों को बंद करने की सिफारिश की गई है, उनका नाम दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है और उनके हितों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा को अनुदान

4068. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक उड़ीसा सरकार को कितने प्रकार का अनुदान प्रदान किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वित्तीय संकट पर काबू पाने और मूलभूत ढांचे के पुनर्निर्माण हेतु राज्य को कितनी विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या केन्द्र से धनराशि का आगम बहुत धीमा है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या इस बात की कोई जांच की जाती है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि उसी प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जाए जिसके लिए इसे उपलब्ध कराई जाती है और उपयोग प्रमाणपत्र समय पर राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाएं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता सकल अनुदानों और सकल ऋणों के रूप में जारी करता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार वित्त आयोग के तहत भी धनराशियां प्राप्त कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा राज्य सरकार को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय से जारी की गई धनराशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण–पत्र में हैं।

(ग) और (घ) धनराशियां सामान्यतया मासिक/त्रैमासिक किस्तों अथवा निर्धारित शर्तों के अनुसार जारी की जाती हैं। कई बार राज्य सरकार को उनके नकद प्रबंधन को सुसाध्य बनाने के लिए धनराशियां अग्रिम रूप से भी जारी की जाती हैं।

(ङ) से (छ) केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जारी राशियों के रचनातंत्र और प्रबोधन तथा प्रत्येक स्कीम के लिए किए जाने वाले व्यय को भी संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित और प्रबोधित किया जाता है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

	मद	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001 अब तक
	1	2	3	4	5
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	533.63	557.13	469.66	206.83
2.	मूलभूत न्यूनतम सेवाएं	147.45	150.09	159.05	–
3.	स्लम विकास स्कीम	5.28	5.60	7.27	1.70
4.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	535.54	415.83	391.56	330.95
5.	त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना के लिए ऋण सहायता	85.00	71.50	90.25	–
6.	गैर योजना राजस्व घाटा अनुदान	38.34	7.18	–	89.62
7.	आपदा राहत निधि	48.98	30.58	42.50	30.70
8.	आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय निधि	4.00	–	828.15	–
9.	पी.एम.जी.वाई. के लिए केन्द्रीय सहायता	–	–	–	36.96
10.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	–	–	105.00	–
11.	केन्द्रीय करों में अंशदान (रेलयात्री अनुदान सहित)	1600.13	1671.04	1783.62	808.25
12.	लघु बचतों के एवज में ऋण	263.53	378.31	384.47	198.85
13.	उन्नयन और विशेष समस्या अनुदान	11.95	39.98	34.23	–
14.	स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	27.52	7.17	130.39	–

बैंकों द्वारा कृषि विशेषज्ञ शाखाओं को खोलना

4069. श्री रामजी माझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा सरकारी और निजी क्षेत्र में बैंक–वार कितनी कृषि विशेषज्ञ शाखाएं खोली गईं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसी और कितनी शाखाओं को खोलने का विचार है;

(ग) क्या बैंकों के लिए ऐसी शाखाओं को खोलने की कोई बाध्यता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) :(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 की स्थिति के अनुसार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विशेषज्ञ कृषि वित्त शाखाओं की संख्या की बैंक–वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने ऐसी 5 विशेषज्ञ कृषि वित्त शाखाओं को खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी

कर दिये हैं। ये शाखाएं अभी खोली जानी हैं क्योंकि उनका खोला जाना आधारभूत संरचना परिसर आदि की उपलब्धता जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र की शर्तों के अनुसार, बैंकों से कहा गया है कि कृषि विशेष रूप से उच्च तकनीक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, उच्च तकनीक ऋण को पर्याप्त रूप से डील करने के लिए प्रत्येक राज्य में वाणिज्यिक बैंक की कम–से–कम एक विशेषज्ञ कृषि वित्त शाखा (एसएएफबी) होनी चाहिए। तदनुसार, उन राज्यों में ऐसी शाखाएं खोलने के लिए बैंक उपयुक्त योजना तैयार कर सकते हैं जहां बैंक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) का संयोजक है।

विवरण

बैंक का नाम	की स्थिति के अनुसार शाखाओं की सं.		
	1997–98	1998–99	1999–2000
बैंक आफ बड़ौदा	5	6	6
बैंक आफ इंडिया	2	5	5
बैंक आफ महाराष्ट्र	5	5	5
केनरा बैंक	11	12	12
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1	1	1
देना बैंक	3	3	3
इंडियन बैंक	7	7	7
इंडियन ओवरसीज बैंक	1	1	1
जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	0	1	1
पंजाब एंड सिंध बैंक	0	0	1
पंजाब नेशनल बैंक	2	2	2
भारतीय स्टेट बैंक	2	2	2
स्टेट बैंक आफ मैसूर	0	1	1
स्टेट बैंक आफ पटियाला	1	1	1
यूनियन बैंक आफ इंडिया	7	7	7
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3	3	3
यूनाइटेड वैस्टर्न बैंक लि.	0	0	1
विजया बैंक	2	2	2
कुल	52	59	61

केन्द्रीय निवेश

4070. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुल केन्द्रीय निवेश वर्ष 1975 में 3795 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1998 में बढ़कर 314635 करोड़ रुपए हो गया;

(ख) क्या केरल के हिस्से में 1975 में 3.24 प्रतिशत की तुलना में 1998 में तेजी से गिरावट आई और यह घटकर 1.5 प्रतिशत रह गया जिसकी वजह से राज्य की आधारभूत सेवाएं और समग्र आर्थिक विकास रुक गया है;

(ग) यदि हां, तो यह भेदभाव करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य–वार अन्य राज्यों में पंजीकृत आधारभूत क्षेत्र में निवेश में आई गिरावट/वृद्धि संबंधी रुझान का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) दिनांक 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का सकल योग 314635.34 करोड़ रुपए था। पूर्ववर्ती सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अनुसार दिनांक 31.3.1975 को यथाविद्यमान संबंधित आंकड़ा 7423.90 करोड़ रुपए का था।

(ख) सकल योग में केरल राज्य का हिस्सा दिनांक 31.3.1975 के अनुसार 2.72 प्रतिशत और दिनांक 31.3.1998 के अनुसार 1.50 प्रतिशत था।

(ग) कोई भेदभाव नहीं है। केन्द्रीय निवेश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को तथा बाद में विभिन्न क्षेत्रों के पिछड़ेपन को तथा तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।

(घ) सभी क्षेत्रों को साथ लेते हुए, मुख्य राज्यों के लिए अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मुख्य राज्यों में सकल योग

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य	31.3.1975 की स्थिति के अनुसार	31.3.1998 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	269.00	20253.06

	2	3	4
2.	असम	198.50	14986.90
3.	बिहार	1671.80	21000.26
4.	गोवा	2.90	163.44
5.	गुजरात	301.30	23160.87
6.	हरियाणा	19.40	5248.40
7.	हिमाचल प्रदेश	0.90	5981.52
8.	जम्मू और कश्मीर	6.90	6905.11
9.	कर्नाटक	186.80	7392.14
10.	केरल	202.20	4715.80
11.	मध्य प्रदेश	837.60	22069.54
12.	महाराष्ट्र	306.40	56677.16
13.	उड़ीसा	577.00	18509.58
14.	पंजाब	77.50	2435.53
15.	राजस्थान	160.20	6635.28
15.	तमिलनाडु	384.50	15120.92
17.	उत्तर प्रदेश	256.50	22902.66
18.	पश्चिम बंगाल	785.30	21037.92

खाद्यान्नों की भंडारण सीमा

4071. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में खाद्यान्नों के भंडारण की सीमा समाप्त कर दी गई है;

(ख) क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्नों को लाने–ले जाने पर से भी पाबंदी हटा ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके फलस्वरूप देश में खाद्यान्नों की चोर बाजारी और अनुचित भंडारण को बढ़ावा मिलने की आशंका है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार चावल और मोटे अनाजों के संबध में स्टॉक रखने की कोई सीमा नहीं है। जहां तक गेहूं का संबंध है, संपूर्ण देश में खाद्यान्न स्थिति और पेश आ रही प्रमुख भण्डारण बाधाओं की दृष्टि में अप्रैल, 1999 में केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया था कि वे गेहूं और गेहूं उत्पादों के संबंध स्टॉक रखने की सीमा समाप्त कर दें। तदुपरांत सितंबर 1999 में हमने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया था कि गेहूं के खुले बाजार मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने की दृष्टि में यदि स्थिति उत्पन्न होती है तो गेहूं और गेहूं उत्पादों के संबंध में स्टॉक रखने की सीमा पुनः लागू करें।

(ख) मार्च, 1993 में केन्द्रीय सरकार ने संपूर्ण देश को खाद्यान्नों के मुक्त संचलन के लिए एकल खाद्य जोन समझने की राष्ट्रीय नीति अपनाई ताकि किसान देश में कहीं भी अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें।

(ग) चावल के मामले में आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के कारण अभी भी स्टॉक सीमा लगा रखी है। गेहूं के मामले में हमारे रिकार्ड के अनुसार वर्तमान में केवल बिहार और आंध्र प्रदेश में स्टॉक सीमा लागू है। जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने खाद्यान्नों के मुक्त संचलन की इस राष्ट्रीय नीति को लागू करने के लिए कार्रवाई की है। ये तीन राज्य स्थानीय परिस्थितियों के कारण धान/चावल पर संचलन संबंधी प्रतिबंध बनाए रखना चाहते हैं।

(घ) हमारी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं आई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एस.ई.जैड. द्वारा विदेशी मुद्रा को अपने पास रखना

4072. श्री अनंत गुढे :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर.बी.आई. को सिफारिश की है कि विशेष आर्थिक जोनों में स्थित इकाइयों को अपनी संपूर्ण विदेशी मुद्रा रखने की अनुमति दी जाए और उन्हें विदेशी मुद्रा में एक दूसरे को भुगतान करने की अनुमति दी जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी सिफारिश करने का क्या औचित्य है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक को एक सुझाव दिया गया है कि विशेष आर्थिक जोनों (एसईजैड) में स्थित इकाइयों को अपनी विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अपने ई ई एफ सी खाते में अपनी 100% निर्यात आय को रखने की अनुमति दी जाए। आर बी आई को यह सुझाव एस ई जैड में स्थित इकाइयों के कार्यचालन में सुधार लाने और सम्परिवर्तन घाटे को कम करने की दृष्टि से दिया गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

4073. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 की तुलना में 1999–2000 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना था;

(ख) 1998–99 और 1999–2000 के दौरान उपभोक्ता सामान उद्योग की तुलना में पूंजीगत सामान का कार्य–निष्पादन कितना है;

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) से (ग) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और विकास दरों सहित प्रयोग–आधारित वर्गीकरण के अनुसार सूचकांक नीचे दिए गए हैं :

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक–प्रयोग आधारित वर्गीकरण

आधार : 1993–94=100

क्षेत्र	भार	1998–99		1999–2000	
		सूचकांक	विकास दर (%)	सूचकांक	विकास दर (%)
1	2	3	4	5	6
मूल वस्तुएं	35.51	134.3	1.4	141.3	5.2
पूंजीगत वस्तुएं	09.68	151.2	11.5	159.0	5.2
मध्यवर्ती वस्तुएं	26.43	155.5	5.9	179.3	15.3
उपभोक्ता वस्तुएं	28.36	144.3	1.8	152.1	5.4
समग्र	100.00	144.4	3.8	156.1	8.1

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में विकास दर 1998–99 में 11.5% की तुलना में 1999–2000 में 5.2% दर्ज की गयी है, जबकि उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में विकास दर 1998–99 मे 1.8% की तुलना में 1999–2000 में 5.4% दर्ज की गयी है। उद्योग ने कुल मिलाकर 1998–99 की तुलना में 1999–2000 में उच्चतर विकास दर दर्ज की है।

(घ) सरकार ने औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए समय–समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। उद्योग (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति सहित), व्यापार, अवसंरचना सूचना प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय क्षेत्रों में हुए निरंतर सुधारों से इसमें सहायता मिली है जिसके कारण उद्योग को अपनी कार्य–कुशलता, उत्पादकता और अन्तरर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने में मदद मिली है।

[अनुवाद]

भारतीय पर्यटकों द्वारा विदेश यात्रा

4074. श्री अनिल बसु : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही में कितने भारतीय पर्यटकों ने विदेश यात्रा की तथा

पर्यटकों द्वारा विदेशों में लगभग कितनी धनराशि के डालर का
य किया गया; और

(ख) इसी अवधि के दौरान कितने विदेशी पर्यटक भारत आए
ा इन विदेशी पर्यटकों से भारत में डालर में लगभग कितनी विदेशी
ा अर्जित की गई ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) वर्ष 97, 1998, 1999 और 2000 (जनवरी से जून तक) के दौरान भारत अन्य देशों की यात्रा करने के लिए गए भारतीय राष्ट्रिकों की कुल ख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	विदेश जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या (मिलियन में)
1997	3.73
1998	3.81
1999	3.88
2000 नवरी से जून तक)	2.00

ऐसे पर्यटकों द्वारा विदेशों में खर्च की गई राशि के संबंध में ना नहीं रखी जाती।

(ख) वर्ष 1997, 1998, 1999 तथा 2000 (जनवरी–जून) के ान देश में भ्रमण के लिए आए विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या ा उनसे अर्जित अनुमानित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :

	विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या (मिलियन में)	अनुमानित विदेशी मुद्रा (मिलियन अमेरिकी डालर में)
97	2.37	2913.54
98	2.36	2935.15
99	2.48	3035.65
00 नवरी से जून तक)	1.26	1548.62

कॉफी का उत्पादन/खपत/निर्यात

4075. डॉ. वी. सरोजा :

श्री जी.एम.बनातवाला :

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज :

श्री एन. एन. कृष्णदास :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कॉफी का राज्य–वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में कॉफी की वर्ष–वार कितनी खपत हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आज की तारीख तक कॉफी का कितना निर्यात हुआ तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) चालू वर्ष के दौरान कॉफी का अनुमानतः कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कॉफी की फसल को समर्थन मूल्य प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार कॉफी की कीमतों में आई भारी गिरावट को देखते हुए कॉफी उत्पादकों के ऋण माफ करने का है;

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार द्वारा खुले बाजार में प्रतिस्पर्द्धा पैदा करने की दृष्टि से कॉफी की खरीददारी, भंडारण और निर्यात करने तथा कॉफी के आयात की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से घरेलू कॉफी उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए भी क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉफी का कुल उत्पादन निम्नानुसार है :–

	1997–98	1998–99	1999–2000
कर्नाटक	1,58,650	1,82,900	2,09,100
केरल	50,850	61,150	60,470
तमिलनाडु	16,500	18,300	19,400
अन्य	2,000	2,650	3,030
कुल	2,28,000	2,65,000	2,92,000

(ख) वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान देश में खपत कॉफी की मात्रा का क्रमशः 0.50 लाख टन, 0.53 लाख टन और 0.52 लाखन टन होने का अनुमान है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित कॉफी की मात्रा और अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

(मात्रा : लाख टनों में/मूल्यः करोड़ रुपए में)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1997–98	1.79	1708
1998–99	2.12	1752
1999–2000	2.44	1896
2000–2001 (जुलाई, 2000 की स्थिति के अनुसार)	0.72	376

(घ) वर्ष 2000–01 के दौरान कॉफी का अनुमानित उत्पादन 2.95 लाख टन का है।

(ङ) और (च) सरकार का कॉफी के लिए समर्थन कीमत तंत्र लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि मुक्त बाजार के युग में कीमतों का निर्धारण मुख्यतः बाजारी तत्त्वों द्वारा होता है। इसके अलावा अधिकतर कृषि फसलों, जो न्यूनतम समर्थन कीमत तंत्र (एमएसपी) के तहत हैं, के विपरीत कॉफी एक चिरस्थायी फसल है जिसके पौध की आयु लम्बी होती है और इसकी खेती सामान्यतः मिर्च इत्यादि जैसी खराब मूल्य वाली फसलों के साथ की जाती है।

(छ) और (ज) कॉफी बोर्ड ने कॉफी उत्पादकों द्वारा लिए गए विकासात्मक ऋणों पर 9.84 करोड़ रुपए की सीमा तक के दण्डात्मक ब्याज को माफ कर दिया है।

(झ) वर्ष 1996 से, कॉफी के व्यापार का उदारीकरण किया गया है और 100 प्रतिशत मुक्त बिक्री कोटे की शुरुआत की गई है। और सरकार कॉफी की खरीद अथवा बिक्री नहीं करती है। कॉफी उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, कॉफी के आयात प लगने वाले शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दि गया है।

[हिन्दी]

नए बैंकों का खोला जाना

4076. श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री अनन्त नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार राज्य–वार और श्रेणी–व कितने बैंक खोले गए;

(ख) इन बैंकों में जमा राशि और कारोबार का ब्यौरा क है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पा नए बैंक खोलने संबंधी राज्य–वार कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) (क) और (ख) बैंक राज्य–वार स्थापित नहीं किए जाते हैं। संभव मांगी गई जानकारी बैंक शाखाओं/कार्यालयों के बारे में है। मा 2000 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूि वाणिज्यिक बैंकों के बैंक कार्यालयों की राज्य–वार संख्या, जमाराशि और ऋण संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान नीति के अन्त बैंक शाखाओं का खोला जाना, बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया ग है और ऐसा वे अर्थक्षमता क्षेत्र के विकास की सम्भावना, वाणिज् संभाव्यता, आधारभूत संरचना की उपलब्धता आदि जैसे सभी सम् पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं। शाखाएं खोलने के लिए बै के पास लम्बित राज्य–वार प्राधिकार का ब्यौरा विवरण-II में दिया है। आबंटित केन्द्रों पर बैंक शाखाएं आधारभूत व्यवस्थाओं आदि पूरा होने के बाद खोली जाएंगी।

विवरण-I

मार्च 2000 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्य–वार बैंक कार्यालयों की संख्या, जमाराशियां और ऋण

	बैंक कार्यालयों की संख्या				(लाख रुपए में)	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	अर्द्ध–शहरी	शहरी/महानगरीय	कुल	जमा–राशियां	
1	2	3	4	5	6	
आन्ध्र प्रदेश	2443	1180	1488	5111	4646470	2955

1	2	3	4	5	6	7
रुणाचल प्रदेश	68	1	0	69	53694	8896
सम	819	254	159	1232	847803	266890
हार	3506	905	597	5008	3687126	830442
वा	160	151	0	311	,620494	149913
जरात	1547	809	1279	3635	4751767	2368755
रियाणा	697	351	443	1491	1705250	706138
माचल प्रदेश	657	121	0	778	617464	141372
म्मू व कश्मीर	570	77	162	809	865785	350738
र्नाटक	2216	1001	1493	4710	4580860	2794913
रल	347	2301	585	3233	3893263	1646501
ध्य प्रदेश	2679	911	902	4492	3078797	1513435
हाराष्ट्र	2309	1074	2833	6216	15299610	12820100
णिपुर	51	14	21	86	46073	16780
घालय	131	16	32	179	140917	22148
जोरम	61	9	8	78	31801	7732
गालैंड	36	33	0	69	76733	11845
.रा.क्षेत्र दिल्ली	56	17	1299	1372	8870874	6822604
ड़ीसा	1614	308	297	2219	1273396	506215
जाब	1120	655	729	2504	3857207	1506296
जस्थान	1905	730	682	3317	2378442	1110506
क्किम	36	10	0	46	51068	7049
मिलनाडु	1830	1211	1721	4762	5594317	4922967
पुरा	120	28	31	179	126599	32603
त्तर प्रदेश	5403	1509	1993	8905	8196036	2253840
. बंगाल	2274	562	1555	4391	6059339	2737058
डमान व नि. द्वीप	17	14	0	31	33431	5604
डीगढ़	9	10	151	170	629712	331111

1	2	3	4	5	6	7
दादरा व न. हवेली	5	6	0	11	16824	364
दमन व द्वीव	1	14	0	15	36630	578
लक्षद्वीप	9	0	0	9	6137	47
पांडिचेरी	23	19	41	83	139359	4571
अखिल भारत	32719	14301	18501	65521	82213277	4690317

विवरण-II

9 मई, 2000 की स्थिति के अनुसार बैंकों के पास लम्बित राज्य वार शाखा खोलने संबंधी प्राधिकार

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राधिकार की सं. जो लम्बित हैं
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	61
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	11
4.	बिहार	49
5.	गोवा	12
6.	गुजरात	61
7.	हरियाणा	53
8.	हिमाचल प्रदेश	9
9.	जम्मू व कश्मीर	10
10.	कर्नाटक	79
11.	केरल	43
12.	मध्य प्रदेश	41
13.	महाराष्ट्र	202
14.	मणिपुर	0
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	0
17.	नागालैंड	0
18.	एनसीटी दिल्ली	134
19.	उड़ीसा	15
20.	पंजाब	70
21.	राजस्थान	49
22.	सिक्किम	1
23.	तमिलनाडु	83
24.	त्रिपुरा	1
25.	उत्तर प्रदेश	118
26.	पश्चिम बंगाल	52
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
28.	चंडीगढ़	20
29.	दादरा व नगर हवेली	2
30.	दमन व दीव	2
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	0
	अखिल भारत	1179

[अनुवाद]

अन्य देशों में बैंकों की शाखाएं

4077. श्री अनंत नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृ करेंगे कि :

(क) भारत के बाहर कार्यरत सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंक कौन–कौन से हैं;

(ख) विभिन्न देशों में इन बैंकों में से प्रत्येक बैंक की शाखाएं कौन–कौन सी हैं और ये कहां स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव वर्ष 2000–2001 के दौरान विदेशों में और शाखाएं खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारत से बाहर परिचालन कर रहे आठ सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बाहर के देशों में शाखाएं खोलना कारोबार की क्षमता, मेजबान देश के साथ आर्थिक संबंधों, मेजबान देश की विनियामक नीति सहित कई मदों पर निर्भर करता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विदेशों में शाखाएं खोलने के लिए कोई वर्ष–वार लक्ष्य नहीं हैं।

विवरण

भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाओं की सूची

बैंक का नाम	प्रचालन देश	क्र. सं.	शाखा का नाम	खोलने की तारीख	पता
1	2	3	4	5	6
भारतीय स्टेट बैंक	यू.के.	1	लंदन	27.1.1921	स्टेट बैंक हाउस 1, मिल्क स्ट्रीट लंदन ईसी2पी–2 जेपी
		2	साउथ हाल	12.8.1974	किंग हाउस, द ग्रीन साउथ हाल, मिडल सेक्स लंदन, वीबी 24 क्यूएच
		3	गोल्डन ग्रीन	3.5.1976	630, फिन्चले रोड, गोल्डन ग्रीन, लंदन, एन डब्ल्यू 1117 आरआर, यूके
	यू.एस.ए	4	न्यूयार्क	8.12.1971	460, मार्क एवेन्यू, न्यूयार्क एन. वाई 10022
		5	शिकागो	29.12.1975	10, साउथ ला सेले स्ट्रीट, सूट 200, शिकागो, इलीनायस 60603
		6	लास एंजल्स	4.10.1977	707, विलशायर बोन्लेवेंड 19 फ्लोर, सूट 1995, लास एंजल्स, केलिफोरनिया, 90017, यूएसए
		7	फलशिंग	16.7.1979	42–08 मेन स्ट्रीट, फलशिंग न्यूयार्क, 11355 यू.एस.ए.
		8	डाउन टाउन		39, ब्राडवे, 8वां तल न्यूयार्क 10006 यूएसए
		12	ओसाका	5.9.1984	नोमारा फ्यूडोसन, ओसाका बिल्डिंग, 9वां तल, नं. 61 2, चोम, अजूचिमाची हिगाशीकु, ओसाका 541
	हांग कांग	13	हांग कांग	6.12.1978	3103–3107 इडनबर्ग, टावर द लेंडमार्क, 15 क्वीनस रोड, सेन्ट्रल जीपीओ, बाक्स नं 10125, हांगकांग
	सिंगापुर	14	सिंगापुर	4.6.1951	01–01 शिंग क्वान हाउस, 4 शेंटन वे, सिंगापुर 06887
	मालद्वीप	15	माले	4.2.1974	जोनाराय, मेरीन ड्राइव मेल रिपब्लिक आफ मालद्वीप
	जर्मनी	16	फ्रेंकफर्ट	16.12.1974	मेंजरलेंड स्ट्रास, 61, 60329 फ्रेंकफर्ट मेन, जर्मनी

1	2	3	4	5	6
...	बंग्लादेश	17	ढाका	7.5.1975	24–25 दिलखुश, कमर्शियल एरिया डाका 1000, पोबी. 981, बंग्लादेश
	बहामा	18	मसाउ	9.4.1975	मारफोक हाउस, फ्रेडरिक स्ट्रीट पोस्ट बाक्स न. एन 3118 नसाउ एन पी, बहामास
	बेल्जियम	19	एंटवरप	19.7.1983	कोर्टे हेरेनतलसेसट्राट 3, 2018 एंटवरपेन 1, बेल्जियम
	फ्रांस	20	पेरिस	10.4.1981	12–14 राउंड पाइंटडेस, चेम्प्स इलयीसीस, 75008 पेरिस, फ्रांस
	साउथ अफ्रीका		जोहान्स वर्ग	7.8.1997	जेएचआई हाउस, 3 फ्लोर, 11 क्रेडॉक एवेन्य, रोसबेंक 2196, जोहान्स बर्ग, साउथ अफ्रीका
	बहरीन	22	बहरीन	3.1.1977	9 फ्लोर, बहरीन टावर, गवर्नमेंट एवेन्यू, पोस्ट बाक्स नं. 5466 मानवा, बहरीन
बैंक आफ इंडिया	यू.के.	23	लंदन	1.7.1946	पार्क हाउस, 16, पिंसबरी सर्कस, लंदन, बीसी2एमवाई डीआई
		24	मन्चेस्टर	31.5.1962	डर्बी हाउस, 12–16 बूथ स्ट्रीट मन्चेस्टर एम24 ए डब्ल्यू
		25	बर्मिंघम	31.5.1965	399, स्ट्रेटफोर्ड रोड, स्पार्क हिल, बर्मिंघम, बी 11432 यू.के.
		26	लीसेस्टर	19.12.1968	105–107, बेलग्रेव रोड, लीसेस्टर, एलई 46 एएस, यूके
		27	बेम्बले	4.7.1972	293, हेरो रोड, बेम्बली, मिडिलसेक्स, यूके
		28	ईस्ट हेम	1.1.1987	320/322 बैंकिंग रोड, ईस्ट हेम लंदन इ6, 3.38 ए यूके
	यूएसए	29	न्यूयार्क	15.12.1978	277 पार्क एवेन्यू, न्यूयार्क माई 10172–0083
		30	सेन फ्रांसिस्को	6.12.1977	555, केलिफोर्निया स्ट्रीट, सूट 4646, सेन फ्रांसिस्को केलिफोर्निया 94104(यूएसए)
	जापान	31	ओसाका	20.10.1950	8–12 होन्माची, 1 चोम–चोकू, ओसाका 541
		32	टोक्यो	17.5.1950	मित्सुबिशी डेन्की, ब्रांच बिल्डिंग, 2–2–3 मुरुनौची, चियोदा–कू–टोक्यो 100
	केन्या	33	मोम्बासा	17.10.1953	बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग, निकरुमाह रोड, ट्रेयरी स्क्वेयर पोस्ट बाक्स न. 90684 मोम्बासा, केन्या
		34	नैरोबी	18.3.1954	कन्याटा एवन्यू, पो.बा. 30246 नैरोबी, केन्या
	हांगकांग	35	हांगकांग	12.4.1960	रुटोनजी सेंटर, दूसरी मंजिल 11 डोडल स्ट्रीट हांगकांग

1	2	3	4	5	6
		36	कोलून	17.6.1977	यूनिट न 407 से 409 चौथी मंजिल, हांगकांग पेसिफिक सेंटर, 28 हांको रोड, कोलून, हांगकांग
	सिंगापुर	37	सिंगापुर	4.6.1951	01–01 शींग कोन हाउस 4 शेंटन में, सिंगापुर–068807
	फ्रांस	38	पेरिस	17.5.1974	न. 3 रु स्क्राइबे, 7509 पेरिस फ्रांस
	जर्सी	39	जर्सी	2.10.1978	35–37 न्यू स्ट्रीट, सेंट हेलर जर्सी जेई 3 आर ए चेनेल आईलैण्डस
	ग्रांड केमन	40	केमन आईलैंड	29.5.1980	पी ओ बाक्स 694, ग्रेंड केमन, केमन आइलैण्डस (ब्रिटिश वेस्टइंडीज)
यूको बैंक	हांगकांग	41	हांगकांग	18.3.1952	4/एफ प्रिंसेस बिल्डिंग सेंट्रल हांगकांग जीपीओबी – 196, हांगकांग
	–तदैव	42	कोवलून	2.10.1969	2/एफ एस्टोरिया बिल्डिंग, 34, एशले रोड, टीएसटी, कोवलून पोस्ट बाक्स नं. 96195, कोवलून
	सिंगापुर	43	सिंगापुर	16.4.1951	नं. 3, रेफल प्लेस, भारत बिल्डिंग, सिंगापुर 0104
	तदैव–	44	सेरानाउन	7.3.1959	26 एण्ड 28 डनलप स्ट्रीट सिंगापुर 0820
बैंक ऑफ बड़ौदा	यू.के.	45	लंदन	25.2.1957	31/32 किंग स्ट्रीट लंदन ईसी 2, वीबीईएन यूके
		46	साउथ हाल	15.5.1967	86, द ब्राडवे साउथहाल मिडिलसेक्स यूके
		47	हेन्ड्सवर्थ	3.7.1970	175, सोहो रोड हैंन्ड्सवर्थ, ब्रिंगम, यूके
		48	स्ट्रेथम (टूटिंग)	5.7.1974	145, अपर टूटिंग रोड लंदन एसडब्ल्यू 17/7/टी जे यूके
		49	ब्रेंट (वेम्बली)	24.5.1976	32, ईलिंग रोड, वेम्बली ब्रेन्ट मिडिलसेक्स, एचएओ–4टीएल यू आई
		50	आल्डगेट ईस्ट ब्रांच	30.12.1976	30, बी कमर्शियल रोड, लंदन ई1, वाइटचेपेल, यू.के.
		51	मन्चेस्टर	29.12.1977	50, स्वान स्ट्रीट मन्चेस्टर, एम4, 5 जेयू, यू.के.
	यूएसए	52	न्यूयार्क	22.2.1979	वन पार्क एवेन्यू न्यूयार्क, एनटी 10016 यूएसए
	गुयाना	53	जार्ज टाउन	31.3.1966	पोस्ट बाक्स नं. 10768 10 रीजेंट स्ट्रीट, जार्ज टाउन गुयाना (साउथ अमरीका)
	फिजी आइलैंड	54	सुवा	5.7.1961	पोस्ट बाक्स नं 57, बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग अपोसिट सेंचुरी थियेटर मार्क स्ट्रीट, सुवा, फिजी आईलैंड
		55	नवसारी (सुवा बेस्ड मोबाइल)	22.5.1971	–तदैव

1	2	3	4	5	6
		56	बा	16.6.1969	पोस्टबाक्स नं 254, वसोलका बा, फिजी आइलैंड
		57	तवुआ (बा बेस्ड मोबाइल)	22.5.1969	–तदैव–
		58	लौताका	14.6.1963	पोस्ट बाक्स नं 42, विंटोगो परेड एण्ड विडिलो स्ट्रीट, लौताका फिजी आइलैंड
		59	सिगाटका	1.8.1976	पो. बाक्स नं. 3 क्वींस रोड सिगाटाका, फिनि आईलैंड्स
		60	लाबासा	27.3.1971	पो. बाक्स नं. 190, नासाकुला रोड, लाबासा, फिजि द्वीप
		61	नाडी	16.12.1972	पो. बा. न. 22, क्वींस रोड, नाडी पोस्ट आफिस के सामने, नाडी, फिजी आईलैंड
		62	राकी राकी	1.8.1976	पोस्ट बाक्स नं. 88, वेलेका टाउन राकी फिजी आईलैंड
	भुमास	63	मासाउ	22.2.1979	केयर आफ न्यूयार्क ब्रांच वन पार्क, एवेन्यू, न्यूयार्क, एनवाई 10014 यू.एस.ए.
	मारिसश	64	पोर्ट लुइस	19.10.1962	पोस्ट बाक्स नं 553, सर विलियम न्यूटन स्ट्रीट, पोर्ट लुईस, मारिश्यस
		65	कुरेपिप	30 5.1970	पोस्ट बाक्स नं. 28, रायल रोड, क्योरपाइप, मारिश्यस
		66	वाकोआस	17.1.1972	सेंट पाल रोड, बकोस, मारिश्यस
		67	रोजहिल	21.11.1973	रायल रोड, रोज हिल, मारिश्यस
		68	क्वाटार बोरिस	26.1.1976	सेंट जीन रोड, क्वातरे बोर्न के सामने, टाउन हाल, मारिश्यस
		69	पोर्ट लुइस (मोबाइल एजेंसी)	2.9.1965	पोस्ट बाक्स नं 553, सर विलियम न्यूटन स्ट्रीट, पोर्ट लुईस मारिश्यस
		70	पोर्ट लुइस (ओबीयू)	29.5.1990	निर्मल बिल्डिंग, 6 फ्लोर, 22 सर विलियम न्यूटन स्ट्रीट पोर्ट लुईस, मारिश्यस
		71	फ्लाक	9.3.2000	सेन्टर डी फ्लाक, रायल रोड बाउलेट ब्लॉक, मारिश्यस
	बेल्जियम	72	ब्रुसेल्स	13.9.1976	10, रुओ मानटोन्यर आफ एवेन्यू देस आर्ट्स 1040, ब्रूसेल बेल्जियम
	ओमान	73	मुथराह	30.5.1976	पोस्ट बाक्स नं 7231, कोरंच रोड, मुतराह, सल्तनत आफ ओमान
		74	रुवी	16.2.1978	ए–1 बहालवी बि., पोस्ट बाक्स नं 4610 रुवी, सल्तनत आफ ओमान

1	2	3	4	5	6
		75	सल्लाह	8.11.1979	पोस्ट बाक्स नं 18478 सल्लाह, सलतन्त आफ ओमान
	सेचेल्लस	76	सेचेल्लस	8.6.1978	श्रीनिवास कम्पलैक्स अलबर्ट स्ट्रीट, माहे सेचेल्लस
	यूएई	77	आबूधाबी	23.7.1974	ए1 हल्लामी सेंटर, हमदम स्ट्रीट, आबूधाबी
		78	दुबई	25.6.1974	शेख रशीद बिल्डिंग, 312/47 अली बिन अनी तलब रोड, दुबई
		79	डेरा	15.8.1975	पोस्ट बाक्स नं 5107, डेरा मुरशीद बाजार, यूएई
		80	शारजाह	22.4.1976	पोस्ट बाक्स नं 1671, ए1 अराबा बिल्डिंग, ए1 अराब रोड, शारजाह
		81	अलेन	6.9.1975	ए1, दरमाकी बिल्डिंग, प्लेनिंग स्ट्रीट, नियर ब्लॉक टावर, राउंड अबाउट, सिटी सेंटर, पो. बा. 16123, अलेन, यू.ए.ई.
		82	रास अक–केमाह	17.11.1977	पो. ओ. बाक्स 5294, ओमान स्ट्रीट, आरएएस–ए1 केमाह, यूएई
	साउथ अफ्रीका	83	डरबन	13.8.1997	कोवे पार्क, 91/121, कोवे रोड, बीरेय डरबन 4001, साउथ अफ्रीका
इण्डियन बैंक	श्री लंका	84	कोलम्बो मेन	नवम्बर 1947	48, मुदालिगे मवाथा, बेल्लाई स्ट्रीट, पोस्ट बाक्स नं 624 कोलम्बो, श्रीलंका
		85	एफसीबीयू कोलम्बो	6.2.1980	पोस्ट बाक्स नं 624, 899193 मेन स्ट्रीट, कोलम्बा 11
	सिंगापुर	86	सिंगापुर	सितम्बर 1945	नं. 2डी, अलमेदा स्ट्रीट, भारत बिल्डिंग, सिंगापुर 0104 (अपो. रेफ्ट्स प्लेस एम आर टी स्टेशन)
इंडियन ओवर सीज बैंक	श्रीलंका	87	कोलम्बो	17.12.1945	45, जनाधीपति मवाथा, कोलम्बो 1
		88	एफसीबीयू कोलम्बो	3.8.1979	–तदैव–
	हांगकांग	89	हांगकांग	9.6.1955	3 एफ स्टौन्जी हाउस 11, दूदेल स्ट्रीट, हांगकांग
		90	सिम शाह सूई (काबलून)	25.4.1977	42, ग्रान विला रोड बाक्स नं 5608, सिम शाह सुई, पीओ कावलून हांगकांग
	सिंगापुर	91	सिंगापुर	12.2.1941	आईओबी बिल्डिंग, सेसिल स्ट्रीट, सिंगापुर 0104

1	2	3	4	5	6
	साउथ				
	कोरिया	92	सियोल	19.9.1997	एयुन्नाक सेन्टर, 3 फ्लोर चुंग–कु 25–5, 1–केए, चुगुरु आर ओ चुगुरु कु, सिओल रिपब्लिक आफ कोरिया
सिंडिकेट बैंक	यू.के.	93	लंदन	17.8.1976	किंग विलियम हाउस 2ए ईस्ट चीप लंदन ईसी 3 एमआईएए
केनरा बैंक	यू.के.	94	लंदन	12.12.1983	14, मूर लेन लंदन ईसी 2

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उड़ीसा में निवेश

4078. श्री जगन्नाथ मलिक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में निवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में कमी का रुझान है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) जी, हां। उड़ीसा राज्य के लिए वर्ष 1997 से 1999 की अवधि के दौरान प्रदान किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों में गिरावट आई है।

(ख) स्थान का चयन निवेशकों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल करने वाली परियोजनाओं के स्थान विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं जिनमें अन्य कारकों के साथ–साथ अवसंरचना, जनशक्ति, घरेलू बाजार की उपलब्धता तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन शामिल हैं।

कतिपय वस्तुओं के आयात पर रोक

4079. श्री नारायण दत्त तिवारी :

श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय किसानों/विनिर्माताओं/व्यापारियों को आयात के मामले में मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने के बाद काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या लघु उद्योगों सहित घरेलू उद्योगों पर इसके परिणामस्वरूप बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन विनिर्माताओं/व्यापारियों/किसानों के अनुरोध के आधार पर कतिपय वस्तुओं के आयात पर पुनः रोक/प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं;

(घ) इस रोक/प्रतिबंध की समय–सीमा क्या होगी;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन वस्तुओं का आयात करने से पड़ने वाले दुष्प्रभावों से घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं;

(च) क्या इन प्रतिबंधों को लगाने से देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (छ) मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने से घरेलू किसानों/विनिर्माताओं पर कुछेक क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। भारत 1991 से आयातों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए एक सततगामी नीति का अनुसरण कर रहा है। वर्ष 1993–94 से 1999–2000 तक की अवधि के सकल आयात आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि आयातों को मुक्त किए जाने से इस अवधि के दौरान आयातों की औसत वृद्धि दर पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।

भारत की अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को देखते हुए भुगतान संतुलन कारणों से आयातों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों को फिर से लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार टैरिफ और अन्य तरीकों के समुचित उपयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है कि आयात प्रतिबंधों को हटाने के कारण घरेलू उद्योग को आयातों के कारण कोई गंभीर नुकसान या क्षति न हो। इस प्रयोजन से, सरकार ने ऐसी अनेक मदों पर लागू शुल्क में वृद्धि की है जिन मदों के आयातों में वृद्धि देखी गई थी या वृद्धि होने की आशंका थी। सरकार ने

मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने से पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन और उपयुक्त उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालयी दल भी गठित किया है। इसके अलावा मंत्रियों के एक दल को लघु उद्योग क्षेत्र को मजबूत करने के तौर–तरीकों के बारे में सुझाव देने का काम सौंपा गया है।

विदेशी निवेश संस्थाएं

4080. श्री कृष्णमराजु :

श्री सी. कुप्पुसामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान 30 जून तक विदेशी निवेश संस्थाओं ने पूंजी बाजार में कुल कितना निवेश किया है और यह गत वर्ष की इसी समय की तुलना में कितना है;

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी निवेश संस्थाओं द्वारा कुल कितना निवेश किया गया और ऋण बाजार में मंदी की स्थिति का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी निवेश संस्थाओं द्वारा अधिक निवेश करने हेतु आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के अभिरक्षकों द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास दर्ज कराई गई रिपोर्टों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान 30 जून तक 1465 मिलियन अमरीकी डालर का निवल निवेश किया गया। वर्ष 1999 की तदनुरूपी अवधि के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा किए गए निवल निवेश की राशि 898.7 मिलियन अमरीकी डालर थी।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा किया गया कुल निवल निवेश निम्नलिखित था :

वर्ष	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1997	1746.6
1998	(–) 338.2
1999	1559.9

विदेशी संस्थागत निवेशक ऋण निधियों द्वारा किए गए निवल निवेश से संबंधित ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) देश में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर आधार पर अनेक नीतिगत उपाय किए जाते हैं। हाल में की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) सेबी के पास पंजीकृत घरेलू पोर्टफोलियों प्रबन्धकों तथा सेबी द्वारा अनुमोदन प्राप्त घरेलू आस्ति प्रबन्ध कंपनियों को उप–लेखों की ओर से निवेश करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(ii) विदेशी नागरिकों तथा विदेशी कंपनी निकायों को भी विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के उप–लेखों के रूप में भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते इन निकायों द्वारा किया गया निवेश कंपनी की चुकता पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक न हो।

(iii) किसी कंपनी विशेष में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेश कंपनी की कुल चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन रखा गया था। कंपनियों को अब इस उच्चतम सीमा को कंपनी की कुल नियमित एवं चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, बशर्ते इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए तथा कंपनी की आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया जाए।

विदेशी मूल की कम्पनी को रॉयल्टी

4081. डॉ. जसवंत सिंह यादव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मूल की कम्पनियों की भारतीय अनुषंगी इकाइयों को शत–प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान करने के मामले की पुनः जांच करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने इस संबंध में कोई

दिशा–निर्देश तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) से (घ) सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की पुनरीक्षा सतत् रूप से करती है। मौजूदा नीति के अनुसार, रॉयल्टी 100% भारतीय अनुषंगी कंपनियों द्वारा उनकी अपनी मूल विदेशी कंपनियों को नहीं दी जा सकती है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के खाली गोदाम

4082. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदाम हैं तथा इनमें से कितने खाली पड़े हैं;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उक्त गोदामों हेतु कितना किराया दिया जा रहा है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने गोदाम खाली करके उनके मालिकों को लौटा दिए गए तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विशेषकर जोधपुर जिले में भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदाम हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा इनमें से कितने गोदाम खाली कर दिए गए तथा निकट भविष्य में कितने गोदामों को खाली किए जाने का प्रस्ताव है तथा इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) प्लिंथ (छः) को छोड़कर 45 गोदाम हैं। कोई भी गोदाम खाली नहीं पड़ा है।

(ख) वर्ष 1999–2000 के लिए अदा किया गया किराया 86,07,000.00 रुपए था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी गोदाम उसके मालिक को नहीं सौंपा गया था।

(घ) चार गोदाम और दो प्लिंथ हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी गोदाम खाली नहीं किया गया था। निकट भविष्य में जोधपुर जिले में किसी भी गोदाम को खाली करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों पर उदारीकरण का प्रभाव

4083. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों पर उदारीकरण/भूमण्डलीकरण के प्रभाव का अध्ययन करने और समस्याग्रस्त उद्यमियों की शिकायतों पर ध्यान देने की आवश्यकता के संबंध में कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आर्थिक–सुधारों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो लघु उद्योगों के सुधार–पश्चात् कार्य–निष्पादन की स्थिति का ब्यौरा क्या है और 714 वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लेने के बाद इसका उन पर क्या प्रभाव होगा;

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने लघु उद्योगों के हितों के संरक्षण तथा उन्हें विश्व में प्रतिस्पर्धात्मक बनने में मदद करने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाये हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, अवसंरचनात्मक सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, ऋण की समय से उपलब्धता, आधुनिक प्रबंध–व्यवस्था को अपनाना तथा उत्पादन पद्धतियां, इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना तथा सूचना प्रौद्योगिक अनुप्रयोग का इस्तेमाल, विपणन सहायता, सूचना का समय से प्रसार, व्यापार–उदारीकरण की अन्य उभरती हुई चुनौतियों से लघु उद्योगों को अवगत कराना, आदि जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना सम्मिलित है।

लघु उद्योगों के सुधार के पश्चात् उनके कार्य–निष्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण–I तथा II में दिये गये हैं।

विवरण-I

लघु क्षेत्र का कार्य – निष्पादन

वर्ष	एककों की संख्या (संख्या लाखों में)	उत्पादन (करोड़ रुपये) (मौजूदा कीमतों पर)	उत्पादन (करोड़ रुपये) (स्थिर कीमतों पर) (1990–91)	रोजगार संख्या लाखों में	निर्यात (करोड़ रुपये) (मौजूदा कीमतों पर)
1990–91	19.48 (6.86)	1,5,5,340	1,55,340 (9.46)	125.30 (4.77)	9,664 (26.74)
1991–92	20.82 (6.88)	1,78,699	1,60,156 (3.10)	129.80 (3.59)	13,883 (43.65)
1992–93	22.46 (7.88)	2,09,300	1,69,125 (5.60)	134.06 (3.28)	17,785 (28.11)
1993–94	23.81 (6.01)	2,41,648	1,81,133 (7.10)	139.38 (3.97)	25,307 (42.29)
1994–95	25.71 (7.98)	2,93,990	1,99,427 (10.1)	146.56 (5.15)	29,068 (14.86)
1995–96	27.24 (5.95)	3,56,213	2,22,162 (11.40)	152.61 (4.13)	36.470 (25.50)
1996–97	28.57 (4.88)	4,12,636	2,47,311 (11.3)	160.00 (4.84)	39,249 (7.61)
1997–98	30.14 (5.5)	4,65,171	2,68,159 (8.43)	167.20 (4.5)	43,946 (11.97)
1998–99 (पी)	31.21 (3.55)	5,27,515	2,88,807 (7.7) आर	171.58 (2.62) पी.जे.	48979 (11.45)
1999–2000	32.25 (3.33)	5,78,470	3,12,576 (8.23)	177.30 (3.33)	उपलब्ध

पी–अनंतिम

पी जे–प्रक्षेपित

आर–संशोधित

कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।

विवरण-II

लघु उद्योग विकास : लक्ष्य तथा उपलब्धियां (%)
(1990–91 की कीमतों पर)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1991–92	3.0	3.1
1992–93	5.0	5.6
1993–94	7.0	7.1
1994–95	9.1	10.1
1995–96	9.1	11.4
1996–97	9.1	11.3
1997–98	9.1	8.43
1998–99	9.1	7.7
1999–2000 (पी)	9.1	8.23

पी – अनंतिम

टिप्पणी : वर्ष 1 तथा 1998-99 के दौरान उद्योग में सामान्य मन्दी के दौर के कारण उपलब्धि लक्ष्य की तुलना में कम थी। फिर भी बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र की विकास दर अधिक थी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कार्यकरण पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

4084. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में 2000 के अपने प्रतिवेदन संख्या 11 में यह उल्लेख किया है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने 1984 से 1996 तक उत्पाद शुल्क पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं प्रभारित किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारितियों द्वारा उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क की छूट के गलत रूप से लाभ उठाने में कितनी राशि सन्निहित है;

(ग) क्या सरकार ने अभी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर नहीं दिया है;

(घ) यदि हां, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर देने में असाधारण विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, हां। कर–निर्धारितियों द्वारा संसाधित फैबरिक्स विनिर्माण में प्रयुक्त वशवर्ती "इनपुट फैबरिक्स" पर आरोप्य अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट के लाभ के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा प्रश्न उठाया गया था और अपनी कथित रिपोर्ट के लेखा परीक्षा पैरा संख्या 6.2 (i) में उल्लेख किया था। तथापि, अंतर्ग्रस्त अवधि 1994 से 1996 है न कि 1984 से 1996। उपर्युक्त लेखा परीक्षा पैरा के उपान्तिम पैरा में मुद्रण की अशुद्धि प्रतीत होती है। सही वर्ष (तारीख) का उल्लेख उक्त लेखा परीक्षा पैरा के पहले वाक्य में किया गया है।

(ख) अंतर्ग्रस्त शुल्क की राशि, जिसमें 7 निर्धारिती शामिल हैं, जैसा कि कथित रिपोर्ट में भी इंगित किया गया है, 7.85 करोड़ रुपए है। मंत्रालय इसे छूट का गलत लाभ उठाने के मामले नहीं मानता है।

(ग) सरकार ने पहले ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर दे दिया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार नहीं किया है।

[हिन्दी]

विनिवेश आयोग की सिफारिशें

4085. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को पेश कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों तथा इस पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन सिफारिशों को स्वीकार करने के पूर्व कर्मचारी संघों/परिसंघों से परामर्श किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कर्मचारी संघों/परिसंघों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम

कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर प्रयोज्य कतिपय आम अनुशंसाएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 58 उपक्रमों में विनिवेश के संबंध में विशिष्ट अनुशंसाएं की हैं। इन 58 कंपनियों में से इसने 29 कंपनियों में सामरिक बिक्री, 8 कंपनियों में शत–प्रतिशत व्यापार बिक्री, 5 मामलों में शेयरों की पेशकश के माध्यम से विनिवेश, 4 मामलों में परिसम्पत्तियों का परिसमापन/बिक्री तथा शेष 12 कंपनियों में कोई विनिवेश नहीं करने अथवा विनिवेश आस्थगित रखने की अनुशंसा की है।

(ग) वर्तमान में उन 17 कंपनियों, जिनमें विनिवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु सरकार की सहायता के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जा चुकी है, में 10 कंपनियां वे हैं जिनमें विनिवेश आयोग की अनुशंसाएं प्राप्त की गई थीं। ये हैं – भारत एल्युमीनियम कंपनी लि., इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., एच.टी.एल. लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि., नेपा लि., एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, भारत पर्यटन विकास निगम लि., मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. तथा हिन्दुस्तान कॉपर लि.। इसी तरह के 2 मामले में विनिवेश के बारे में निर्णय ले लिया गया है, लेकिन सलाहकारों की नियुक्ति अभी की जानी हैं। ये हैं हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. तथा एम.एस.टी.सी. लि. 4 मामलों में आयोग की अनुशंसाओं को सरकार ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है तथा क्रियान्वित किया है। ये माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि. में सामरिक बिक्री तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लि., महानगर टेलीफोन निगम लि. तथा कंटेनर कॉरपोरेशन आफ इंडिया लि. के मामलों में शेयरों की पेशकश से संबंधित है।

(घ) जी, नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विशेष के संबंध में विशिष्ट अनुशंसाओं को स्वीकार करते समय ऐसा नहीं किया जाता है। हाल में प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय श्रमिक संघ के नेताओं से भेंट की। रचनात्मक माहौल में विचारों का आदान–प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नवम्बर में उनके साथ पुनः बैठक करेंगे। जब कभी आवश्यकता होगी, अन्य मंत्री भी उनके साथ विचार–विमर्श करेंगे।

(ङ) कर्मचारियों के कुछ दलों ने कुछ उपक्रमों में विनिवेश नीति/प्रस्तावों का विरोध किया है। विनिवेश पर सरकार की घोषित नीति के अनुसार सभी मामलों में कामगारों की हितों की रक्षा की जाएगी।

दंगा पीड़ितों को बैंक ऋण

4086. श्री सुबोध राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 में भागलपुर में हुए दंगे के पीड़ितों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंक–वार ऋण स्वरूप कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने दंगा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु बैंकों द्वारा उन्हें दिए गए ऋण धनराशि को माफ कर देने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) बिहार राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक, बैंक आफ इंडिया द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1989 के भागलपुर दंगों के पीड़ितों को निम्नलिखित बैंकों द्वारा उपलब्ध किए गए ऋण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

बैंक	राशि (लाख रुपये में)
बैंक आफ इंडिया	1.44
यूको बैंक	24.05
भारतीय स्टेट बैंक	101.17
पंजाब नेशनल बैंक	56.00
कुल	182.66

(ख) और (ग) 1989 के भागलपुर दंगों के पीड़ितों पर बकाया ऋण को माफ करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बैंकों द्वारा आवास ऋण

4087. डॉ. बलिराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य–वार कुल कितना आवास ऋण उपलब्ध कराया गया;

(ख) इस ऋण को देने के लिए कौन से नियम और शर्तें रखी गईं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में चूक हुई; और

(घ) बैंकों द्वारा इन चूककर्ताओं से ऋण राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्ष 1996, 1997, 1998 (अद्यतन उपलब्ध) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत आवास के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राज्य–वार बकाया अग्रिम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

किसी व्यक्ति के लिए आवास निर्माण हेतु प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकार्य अधिकतम आवास ऋण ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में 5 लाख रुपए तक और शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों में 10 लाख रुपए तक सीमित है। आवास ऋणों पर ब्याज की दरों को बैंकों द्वारा स्वयं अविनियमित एवं निर्धारित किया जाता है। बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से मार्जिन राशि, प्रतिभूति और वापसी अदायगी की समय–सीमा की शर्तों के बारे में मार्ग–निर्देश तैयार करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) और (घ) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया

(आंकड़े लाख रुपए में)

राज्य का नाम	1996	1997	1998
1	2	3	4
हरियाणा	1793	5120	3477
हिमाचल प्रदेश	537	600	783
जम्मू एवं कश्मीर	277	721	680
पंजाब	2737	5258	5346
राजस्थान	6975	2440	23103
चंडीगढ़	346	445	2095
दिल्ली	22981	54656	70228
असम	179	338	487
मणिपुर	16	43	47
मेघालय	36	47	109
नागालैंड	6	9	7
त्रिपुरा	29	12	17
अरुणाचल प्रदेश	1	1	1
मिजोरम	2	2	27
सिक्किम	1	1	56
बिहार	1329	1992	1745
उड़ीसा	6364	11659	5137
पश्चिम बंगाल	2766	8903	13532
अंडमान एवं निकोबार	8	11	19
मध्य प्रदेश	3095	3844	6288
उत्तर प्रदेश	21762	26486	24832
गुजरात	8864	9247	16513
महाराष्ट्र	28129	67783	121992
दमन तथा दीव	0	2	19
गोवा	504	558	863
दादरा तथा नागर हवेली	0	7	13
आंध्र प्रदेश	23197	31362	32008
कर्नाटक	24153	33898	53165
केरल	13819	21780	36285
तमिलनाडु	10291	18648	25528
पांडिचेरी	85	163	71
लक्षद्वीप	1	1	1
कुल योग	180283	316037	444474

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

4088. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन–किन स्थानों पर कितने प्रसारण केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्रसारण सेवाएं इस राज्य की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कुछ नए केन्द्रों को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) उत्तर प्रदेश में स्थान–वार आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण/टेलीकास्ट केन्द्रों का ब्यौरा क्रमशः विवरण–I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी के संकेत 90.7 प्रतिशत क्षेत्र एवं 98.5 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध हैं जबकि दूरदर्शन की कवरेज 81.8 प्रतिशत क्षेत्र एवं 93.5 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध होने का अनुमान है।

(घ) जनजातीय क्षेत्रों सहित राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन सेवा को और सुधारने के विचार से 2 नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने, 2 पुराने आकाशवाणी ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन करने और जनजातीय जिला खेरी के लखीमपुर में उ.श.ट्रा. सहित 23 टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी के प्रसारण केन्द्र

1	2	3
1.	आगरा	20 कि. वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
2.	इलाहाबाद	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
		10 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (वि.भा.)
3.	अल्मोड़ा	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
4.	गोरखपुर	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
		50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर (विदेश सेवा)
5.	कानपुर	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (वि.भा.)
6.	लखनऊ	300 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर 10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (वि.भा.) 50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
7.	मथुरा	1 कि.वा. मी.वे. ट्रासमीटर
8.	नजीबाबाद	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
9.	रामपुर	20 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर
10.	वाराणसी	100 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर
		1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर (वि.भा.)
11.	अलीगढ़	6 कि.वा. एफ.एम. ट्रासमीटर (रिले)
		250 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर के 4 ट्रांसमीटर (विदेश सेवा)
12.	बरेली	6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (एल. आर. एस.)
13.	फैजाबाद	6 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर (एल. आर. एस.)
14.	झांसी	तथैव–
15.	ओबरा	6 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर
16.	मसूरी	10 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर (रिले)
17.	पौड़ी (गढ़वाल)	1 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर
18.	पिथौरागढ़	1 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर (रिले)
19.	उत्तरकाशी	तथैव–

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन के प्रसारण केन्द्र

उ.श.ट्रां. (10)

आगरा

इलाहाबाद

बरेली

गोरखपुर

कानपुर

लखनऊ

मऊ

मसूरी
वाराणसी
मसूरी (डीडी–2)
अ.श.ट्रां. (73)
अकबरपुर
अलीगढ़
अमरोहा
अथदामा
औरेया
बहराईच
बलिया
बलरामपुर
बांदा
बस्ती
चम्बावत
छिबरामऊ
डाक पत्थर
देवरिया
दुधीनगर
ईटाह
ईटावा
फैजाबाद
फरूखाबाद
फतेहपुर
गंज डुंडवारा
गौरीगंज
गोन्डा
हल्द्वानी
हरदोई
हरिद्वार
जगदीशपुर
झांसी
कालागढ़
कारवी
कासगंज
काशीपुर
कोटद्वार
लखीमपुर
लालगंज
(प्रतापगढ़) (डीडी–2)
लालगंज (रायबरेली)
ललितपुर
मोहाबा
महरोनी
मैनपुरी
मथुरा (डीडी–2)
मऊ रानीपुर
मोहम्मदाबाद
मुरादाबाद
नैनी दाण्डा
नैनीताल
नानपाड़ा
नौगढ़
न्यू टिहरी
ओबरा
ऊरई

पौढ़ी
पीलीभीत
पिथौरागढ़
पुरनपुर
राय बरेली
रामपुर
रासरा (डीडी–2)
रथ
रूदौली
सम्बल
शाहजहांपुर
सिकंदरपुर
सीतापुर
सुल्तानपुर
तालबेहाट
टनकपुर
थिरवा
आजमगढ़ (डीडी–2)
कानपुर (डीडी–2)
लखनऊ (डीडी–2)
मऊ (डीडी–2)
रामपुर (डीडी–2)
अ.अ.श.ट्रां. (32)
अल्मोड़ा
बागेश्वर
बसोट
भतियारी
चौखटिया

देवप्रयाग
धारचूला
डीडीहाट
गज्जा
घन्दयाल
गोपेश्वर
जोशीमठ
कलजीखाल
कर्ण प्रयाग
कौसनी
खुफिया नांगल
मानेश्वर
मानिकपुर
मन्कापुर
मुंशियारी
नन्दप्रयाग
नौगांवखल
ओखीमठ
पोखरी
प्रतापनगर
राजग्रही
रानीखेत
रूद्रप्रयाग
सैहिया
थराली
उत्तरकाशी
ठाकुरद्वारा (डीडी–2)
ट्रांसपोजर (3)

चर्क

मसूरी

श्रीनगर

स्टूडियो (6)

लखनऊ

गोरखपुर

बरेली

मऊ

इलाहाबाद

वाराणसी

आवश्यक वस्तु अधिनियम

4089. **श्री हरिभाई चौधरी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1980 के अंतर्गत कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या उक्त अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम को सुदृढ़ करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनकी वर्ष–वार संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	गिरफ्तार व्यक्ति	अभियोजित	दोष सिद्ध
1998	6245	5329	3705
1999	8780	4597	2827
2000 (31.7.2000 तक)	3265	1328	957

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को अधिक प्रभावशाली बनाने तथा साथ ही अनावश्यक उत्पीड़न की संभावना को समाप्त करने की दृष्टि से लोकसभा में आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2000 पुरःस्थापित किया गया है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी परियोजना

4090. **श्री जयभान सिंह पवैया :**

श्री ब्रजमोहन राम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार विशेषकर बिहार के डाल्टनगंज जिले में दूरदर्शन और आकाशवाणी की कौन–कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं/लम्बित हैं; और

(ख) अभी तक इनमें कितनी प्रगति हुई है और इन परियोजनाओं के परियोजना–वार कब तक पूरा हो जाने/स्वीकृति मिलने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) देश में कार्यान्वयनाधीन आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है। दूरदर्शन की एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा स्टूडियो और आकाशवाणी का एक रेडियो स्टेशन डाल्टनगंज में पहले ही काम कर रहा है और दूरदर्शन/आकाशवाणी की कोई स्कीम डाल्टनगंज में कार्यान्वयनाधीन नहीं है।

(ख) ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इनको नौवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किए जाने तथा चालू किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

विवरण-I

आकाशवाणी की कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	2

1	2	3
3.	असम	1
4.	बिहार	1
5.	दिल्ली	3
6.	गोवा	शून्य
7.	गुजरात	6
8.	हरियाणा	1
9.	जम्मू और कश्मीर	6
10.	कर्नाटक	5
11.	केरल	3
12.	मध्य प्रदेश	5
13.	महाराष्ट्र	5
14.	मणिपुर	4
15.	मेघालय	3
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैण्ड	3
18.	उड़ीसा	3
19.	पंजाब	शून्य
20.	राजस्थान	3
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	5
23.	त्रिपुरा	5
24.	उत्तर प्रदेश	4
25.	पश्चिम बंगाल	3
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1

विवरण-II

दूरदर्शन की क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं (16.8.2000) की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	स्टूडियो	ट्रांसमीटर परियोजनाओं की संख्या	
			(डीडी–1)	(डीडी–2)
1	2	3	4	5
1.	असम		1	–
2.	आंध्र प्रदेश	1	18	1
3.	अरुणाचल प्रदेश		4	–
4.	बिहार	1	6	4
5.	गोवा			1
6.	गुजरात	1	2	3
7.	हरियाणा			1
8.	हिमाचल प्रदेश		7	1

1	2	3	4	5
9.	जम्मू और कश्मीर	1	75	6
10.	केरल	2	6	2
11.	कर्नाटक		13	1
12.	मध्य प्रदेश		13	1
13.	मेघालय			
14.	महाराष्ट्र		8	2
15.	मणिपुर		1	–
16.	मिजोरम		2	–
17.	नागालैण्ड		1	–
18.	उड़ीसा	1	4	2
19.	पंजाब	1	2	1
20.	राजस्थान	1	10	4
21.	सिक्किम	1	1	–
22.	तमिलनाडु	2	7	2
23.	त्रिपुरा		3	1
24.	उत्तर प्रदेश	1	14	9
25.	पश्चिम बंगाल		5	2
26.	दिल्ली	1		
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
28.	दमन एवं दीव			
29.	पांडिचेरी		1	–
30.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह			
31.	चंडीगढ़	1		
32.	दादरा एवं नगर हवेली			
	कुल	15	204	44

[अनुवाद]

चीनी उद्योग का कार्य निष्पादन

4091. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विगत में चीनी उद्योग के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से आश्वस्त है कि इस समीक्षा से चीनी उद्योग को सुचारु रूप से चलाने और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ङ) विगत कुछ वर्षों में आमतौर पर और विशेष तौर पर महाराष्ट्र में चीनी उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है जैसा कि वर्ष 1997–98 से 1999–2000 के मौसमों में हुए चीनी उत्पादन से देखा जा सकता है :

मौसम	उत्पादन (लाख टन में) (अखिल भारत)	महाराष्ट्र में उत्पादन (लाख टन में)
1997–98	128.44	38.47
1998–99 (अनंतिम)	155.20	53.43
1999–2000 (अनंतिम)	179.20	64.68
(22 जुलाई तक)		

लगातार दो चीनी मौसमों अर्थात, 1998–99 और 1999–2000, के दौरान अधिक चीनी उत्पादन होने के कारण चीनी फैक्ट्रियों, विशेषतः महाराष्ट्र में, के पास स्टॉक में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। हाल के अनुमानों के अनुसार वर्तमान चीनी मौसम 1999–2000 के अंत तक चीनी का इतिशेष स्टॉक 96.39 लाख टन तक होगा।

(2) इन समस्याओं से निपटने के लिए चीनी मिलों की सहायता करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) चीनी फैक्ट्री की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने 1.1.2000 से चीनी फैक्ट्रियों पर लेवी की बाध्यता 30 प्रतिशत से घटाकर ३० प्रतिशत कर दी है जिससे वे गन्ने के बकाया मूल्यों का तत्परता से भुगतान कर सकेंगे।

(ii) देश में आयातित चीनी के आमद को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 9.2.2000 से सीमा शुल्क को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है जिसमें 840/– रुपये प्रति टन का वर्तमान प्रतिशुल्क भी शामिल होगा।

(iii) सरकार मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे की विवेकपूर्ण निर्मुक्ति के जरिये घरेलू बाजार में स्थिरता और चीनी के मूल्यों के उचित स्तर को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति का पालन कर रही है ताकि चीनी फैक्ट्रियां किसानों के गन्ने के बकाया मूल्यों का भुगतान कर सके।

(iv) सरकार ने 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति देने का तथा निर्यात की जाने वाली चीनी को लेवी की बाध्यता से मुक्त रखने का फैसला किया है। यह छूट 1 जून, 2000 से छः महीने की अवधि के लिए दी गई है।

(3) उपर्युक्त उपाय महाराष्ट्र में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के साथ घरेलू चीनी उद्योग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान की शाखाओं की स्थापना

4092. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (इंडियन इंस्टियूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट) की शाखाएं स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अपनी राजधानी में भी उक्त प्रबंधन संस्थान की शाखा स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1996 में भुवनेश्वर, उड़ीसा में एक शाखा स्थापित की गई है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने केन्द्र

सरकार से संबंधित राजधानियों में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान की शाखा स्थापित करने का अनुरोध किया है। संसाधनों की कमी के कारण, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी-अपनी राज्य योजना के तहत शाखाएं स्थापित करें।

विश्व आर्थिक मंच की बैठक

4093. श्रीमती रेणुका चौधरी :

श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक वैश्वीकरण हेतु विश्व आर्थिक मंच-2000 की वार्षिक बैठक में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ख) इन मुद्दों पर भारत का क्या दृष्टिकोण रहा एवं विकसित देशों द्वारा किए जा रहे वैश्वीकरण के विरुद्ध भारत द्वारा क्या चिंता व्यक्त की गई और अन्य विकासशील देशों द्वारा इस पर कहां तक सहमति जताई गई;

(ग) क्या विकासशील देशों में "बाल मजदूरी" को वहां फिर एक मुद्दे के रूप में उठाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) बैठक में विचार किए गए मुख्य मुद्दों में वैश्वीकरण, 21-वीं शताब्दी में व्यवसाय और सरकार की भूमिकाओं को पुनर्परिभाषित करने, जैव क्रान्ति तथा डिजिटल क्रान्ति के संबंध में वैश्विक स्तर की नीति के प्रति व्यक्त की गई प्रतिक्रियाएं शामिल थीं।

(ख) विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक न तो अन्तर-सरकारी सम्मेलन के रूप में और न ही यह विकसित और विकासशील देशों की होने वाली बैठकों के अनुरूप आयोजित की जाती है। भारत की भागीदारी का मुख्य जोर इसकी अपनी नीतियों, संभावनाओं और उपलब्धियों को विशेष रूप से एक आकर्षक निवेश के उद्देश्य से रूपांकित करने और सूचना प्रौद्योगिकी में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने का था। इन मुद्दों के प्रति भारत का दृष्टिकोण, भारत सरकार की नीति के अनुरूप था।

(ग) वित्त मंत्री की कार्यसूची में "बाल श्रम" का मुद्दा सामने नहीं आया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गांजे की पौध

4094. श्री के. येरननायडू :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा 1999-2000 के दौरान प्रत्येक राज्य में गांजे की खेती को नष्ट करने के लिए अभी तक कितने छापे मारे गए हैं;

(ख) स्वापक ब्यूरो द्वारा प्रत्येक राज्य में गांजे की खेती राज्य-वार अनुमानतः कितनी जगह में थी और इससे प्राप्त गांजे का अनुमानित बाजार-मूल्य कितना था; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि गांजे की अवैध खेती/तस्करी को देश के किसी भी हिस्से में अनुमति नहीं दी जाएगी, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 (जून तक) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने अवैध गांजे की पौध को नष्ट करने के लिए विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित छापे मारे थे :

क्र.सं.	राज्य का नाम	छापों की संख्या	शामिल अनुमानित क्षेत्र
1.	केरल	1	4 एकड़
2.	जम्मू और कश्मीर	6	5 एकड़
3.	पंजाब	2	4 वर्ग कि.मीटर

चूंकि, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा पता लगाई गई गांजे की पौध नष्ट कर दी जाती है, अतः उत्पाद के अनुमानित बाजार-मूल्य का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि गांजे की अवैध खेती/तस्करी न होने दी जाए, सरकार द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण उपायों में सतत निगरानी रखना, प्रवर्त्तन प्रयासों में तेजी लाना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, सीमा पर स्वापक औषधियों की धर-पकड़ के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक बल को शक्तियां प्रदान करना, सीमा के आर-पार समय-समय पर बैठकें आयोजित करना जिनमें भारत और पाकिस्तानी स्वापक ऐजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हों और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत स्वापक औषधियों के व्यापार के सिलसिले में गिरफ्तार सभी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पंचायतों को धनराशि दिया जाना

4095. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का संवितरण राज्य सरकारों के माध्यम से किए जाने के बजाए सीधे ग्राम पंचायतों को करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेरिस में भारत विकास मंच की बैठक

4096. श्री माधवराव सिंधिया :

श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस वर्ष मई में पेरिस में आयोजित भारत विकास मंच की हाल की बैठक में अपने पक्ष रखे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न दानकर्ता देशों की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या आम सहमति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) मई, 2000 में सम्पन्न भारत विकास मंच की बैठक में चर्चा का विषय था "पॉवर्टी–स्टेट्स डायमेन्शन"। कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए :

1. उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में राजकोषीय सुधार और सरकारी क्षेत्र की पुनर्संरचना
2. कर्नाटक : कर्नाटक में मानव विकास
3. आंध्र प्रदेश : आंध्र प्रदेश में ग्रामीण और शहरी निर्धनता कम करने के प्रति दृष्टिकोण।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों का विभिन्न दाताओं/विदेशी अभिकरणों ने स्वागत किया। राज्यों के प्रतिनिधियों का मंच में शामिल होना मंच के लिए उत्तम परिवर्तन के रूप में देखा गया जिसके कारण चर्चा के विषय पर बहुत लाभप्रद और रचनात्मक वाद–विवाद संभव हो गया।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा धनराशि का विनिवेश

4097. डॉ. संजय पासवान : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को म्युचुअल फंड के माध्यम से विनिवेश किए जाने वाले अपने शेयरों का भंडारण किए जाने के संबंध में निवेश करने वाले वित्तीय संस्थाओं जैसे यू.टी.आई. जी.आई.सी. और एल.आई.सी. की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनका विनिवेश किया जाना चाहिए;

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थानों के प्रस्तावों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (घ) विनिवेश विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि पूर्व में विनिवेश प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए सरकार द्वारा विनिवेश के अनेक वैकल्पिक तरीकों की जांच की गई थी। इनमें एक विशेष प्रयोजन साधन का सृजन, राष्ट्रीय शेयरधारिता ट्रस्ट का गठन तथा वित्तीय संस्थाओं के पास शेयरों का संग्रहण शामिल है। इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया था तथा विनिवेश के लिए किसी तरीके को अपनाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(ङ) किसी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में विनिवेश करने के सरकार के निर्णय विनिवेश संबंधी सरकार की घोषित नीति द्वारा अभिशासित होते हैं। जहां तक विनिवेश के तरीके तथा विनिवेश की प्रतिशतता का सम्बन्ध है, विशिष्ट प्रस्ताव मुख्यतः विनिवेश आयोग, अन्य विशेषज्ञ निकायों आदि की सिफारिशों पर आधारित होते हैं।

रूस के साथ संबंध

4098. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत–रूस के बीच सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों में वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भारत–रूस अंतर–सरकारी आयोग के अन्तर्गत भारत–रूस संस्कृति कार्यदल की छठी बैठक कार्यदल की पांचवीं बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा वर्ष 2000 के लिए सहयोग–क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के लिए 13 जनवरी, 2000 को आयोजित की गयी। दोनों पक्षकारों ने छठी बैठक के नयाचार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। नयाचार में भारत को गणतंत्र घोषित किए जाने की 50वीं वर्षगांठ को समर्पित समारोहों में भाग लेने के लिए कलाकारों, प्रदर्शनियों एवं सांस्कृतिक विभूतियों के आदान–प्रदान का प्रावधान है। इसमें अनुभव का आदान–प्रदान करने तथा सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा सेमिनारों में भाग लेने के लिए संगीत, थिएटर, ललित कलाओ, लोक साहित्य, स्मारकों, पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के परिरक्षण व पुनरोद्धार के क्षेत्र में विशेषज्ञों को अवसर प्रदान करने का भी प्रावधान है। दोनों पक्षकार दोनों देशों की राजधानियों की नगरपालिकाओं के बीच सांस्कृतिक सहयोग के विकास को जारी रखने के लिए सहमत हुए हैं।

विनिवेश आयोग की भूमिका

4099. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि विनिवेश आयोग की भूमिका सिर्फ एक "सलाहकारी निकाय" होने के कारण सीमित हो गयी है और इसकी सिफारिशों पर अंतिम निर्णय अंततः सरकार का ही होता है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसकी सिफारिशों को अनिवार्य बनाकर विनिवेश आयोग का दर्जा बढ़ाने पर विचार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नाबार्ड की शेयर राशि

4100. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शेयर राशि को 500 करोड़ तक बढ़ाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राशि जारी कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की पूंजी को वर्ष 1982–83 के 100 करोड़ रुपए से चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर वर्ष 1995–96 में 500 करोड़ रुपए कर दिया गया था। नाबार्ड की पूंजी को 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रमशः 100 करोड़ रुपए और 400 करोड़ रुपए के अंशदान के माध्यम से वर्ष 1998–99 तक बढ़ाकर 2000 करोड़ रु. कर दिया गया है। नाबार्ड अधिनियम में संशोधन किए जाने तक, वर्ष 1996–97 से 1998–99 के दौरान किए गए अतिरिक्त पूंजी अंशदान, जो कुल 1500 करोड़ रुपए था, की "पूंजी के लिए अग्रिम" शीर्ष के अधीन रखा गया है।

झाबुआ, मध्य प्रदेश में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

4101. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दूरदर्शन के एक कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या झाबुआ के आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर होने के कारण दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देख सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार झाबुआ में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित करने का है जिससे कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले और अधिक लोग दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकें; और

(घ) यदि हां, तो वहां उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) झाबू जिले में झाबू और अली राजपुर में एक–एक अर्थात दो अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा,

इन्दौर स्थित उच्च शक्ति ट्रान्समीटर द्वारा जिले के भागों को कवर किया जाता है। ये ट्रान्समीटर जिले के लगभग 60% क्षेत्र और 71% जनसंख्या को कवर करते हैं। झाबू में एक उच्च शक्ति ट्रान्समीटर स्थापित करने की वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। इस क्षेत्र में टी.वी. सेवा का और विस्तार संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

आयकर विभाग द्वारा धन वापसी आदेश जारी किया जाना

4102. श्री विनय कुमार सोराके : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में आयकर प्राधिकारियों द्वारा फर्जी धन वापसी आदेश जारी किए जाने के कुछ मामले लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो जांच किए गए मामलों तथा दण्डित/निलंबित किए गए दोषी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक जांचाधीन मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस प्रकार के फर्जी धन वापसी के मामलों की भूतलक्षी प्रभाव से जांच करेगी अर्थात् पिछले पांच वर्षों के संदेहास्पद मामले जांच के अन्तर्गत लाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (घ) सरकार की जानकारी में लाए गए फर्जी वापसी आदेशों के कुछ मामलों पर उपयुक्त कार्रवाई के लिए जांच की गई थी। 30 मामलों में उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जबकि 3 मामलों में जांच की जा रही है। जब भी ऐसे मामलों की सूचना दी जाती है। जैसे ही ऐसे मामले सरकार की जानकारी में लाए जाएंगे तो इसी तरह की कार्रवाई शुरू की जाएगी। (मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं)

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. **श्री एम एम दुबे, आशुलिपिक :** श्री दुबे को दिनांक 6.8.98 से वरिष्ठ ए.आर. आयकर अपीलीय अधिकरण, इन्दौर द्वारा निलम्बित किया गया था। यह मामला सी बी आई द्वारा उनके आर सी सं. 11 (ए)/98 के तहत् पंजीकृत किया गया है जिसकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

2. **श्री एस. आर. नायडू, आयकर अधिकारी :** दिनांक 30.3.99 से 5 वर्ष के लिए 5 चरणों द्वारा वेतन में कमी का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

3. **श्री एम एस इदनानी, आयकर अधिकारी :** अनुशासनिक कार्रवाइयां प्रगति पर है।

4. **श्री जी.जी.ए. नायडू, आयकर अधिकारी ग्रेड "ए" (सेवानिवृत्त) :** इस मामले में फाइल संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत की गई हैं।

5. **श्री जी. वेंकेटश्वरलु, आयकर अधिकारी :** सी बी आई ने मामले की जांच की थी। निचले न्यायालय ने कारावास की सजा सुनाई थी। अपील के निपटान होने तक इस सजा को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था।

6. **कर्नाटक में जाली वापसी मामले :** जांच से यह पता चला था कि इनमें कोई भी आयकर अधिकारी शामिल नहीं है।

7. **ए.स्वामी नायडू, आयकर सहायक आयुक्त (सेवानिवृत्त) :** सी.बी.आई. ने अभियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की है :

एस परमसिवम, टी ए एम शिवराज, आयकर अधिकारी, जे सी जेकब, आयकर अधिकारी	मुकदमा प्रारंभ करने के लिए सी बी आई का मामला

8. **श्री एन. राजगोपालन, आयकर अधिकारी :** अधिकारी के विरुद्ध विभागीय दण्ड कार्रवाही प्रारंभ की गई थी।

9. **श्री जी सेल्वा कुमार, आयकर अधिकारी :** अभियोजन के लिए संस्वीकृति सी बी आई को दे दी गई।

10. **श्रीमती एस जी बेलानी, आयकर अधिकारी (अवर सचिव) एवं श्री एस एल खन्ना, उच्च श्रेणी लिपिक :** श्रीमती एस. जी. बेलानी, आयकर अधिकारी और श्री एस एल खन्ना, उच्च श्रेणी लिपिक को गिरफ्तार किया गया था और दोनों को दिनांक 30.4.92 से निलम्बित किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी/420/409/467/467/एवं 471 के अन्तर्गत 24.2.92 को न्यायालय में पुलिस द्वारा एक आरोप पत्र दाखिल किया गया था और इस समय मामला न्यायालय में लम्बित है।

11. **आयकर कार्यालय वार्ड 20(3) कलकत्ता द्वारा जारी**

किया गया 12924/रुपए की वापसी का जाली नकदीकरण: संबंधित यू डी ई के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

12. **आई टी ओ, वार्ड 6(6) कलकत्ता में धन वापसी में धोखाधड़ी** : वकील एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। विभागीय पदाधिकारियों के शामिल होने की बात की जांच की जा रही है।

13. फर्जी करनिर्धारितियों के नाम में विवरणी दाखिल करके झूठी वापसियों का दावा करने और झूठे टीडीएस प्रमाण पत्र संलग्न करके धनवापसी की धोखाधड़ी का पता लगा था। विभाग के चार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई थीं। एक मामले में कार्यवाही अधिकारियों की मृत्यु के कारण समाप्त कर दी गई। एक मामले में तीन वर्ष के लिए पेंशन में 25% की कटौती का बड़ा अर्थदंड लगाया गया था। एक मामले में "निन्दा" का दंड अधिरोपित किया गया था। अन्य मामलों में संघ लोक सेवा आयोग ने वेतन में कटौती के अर्थदंड की सलाह दी है।

14. **श्री पी.के.चौधरी, आयकर अधिकारी** : दिनांक 21.12. 98 को "निन्दा" का हल्का दंड अधिरोपित किया गया।

15. **श्री के. एन. हजारिका, आयकर अधिकारी** : दिनांक 21. 12.98 को "निन्दा" का हल्का दंड दिया गया।

16. **श्री एम.एन. देव, आयकर अधिकारी** : दिनांक 21.12. 98 को "निन्दा" का हल्का दंड दिया गया।

17. **श्री के.के. दास, आयकर अधिकारी** : दिनांक 21.12. 98 को "निन्दा" का हल्का दंड दिया गया।

18. **श्री एस.आर. दास, आयकर अधिकारी** : दिनांक 21. 12.98 को "निन्दा" का हल्का दंड दिया गया।

19. **श्री एस.के.मजूमदार, आयकर अधिकारी** : दिनांक 13. 3.99 को "निन्दा" का हल्का दंड दिया गया।

20. **श्री एस. के.मजूमदार, आयकर अधिकारी** : दिनांक 31. 3.99 को "निन्दा" का हल्का दंड दिया गया।

21. **श्री ए.के. पुरकायस्थ, आयकर निरीक्षक** : दिनांक 21. 12.98 को "निन्दा" का हल्का दंड दिया गया।

22. **श्री टी.सी.दास, आयकर निरीक्षक** : दिनांक 21.12.98 को "निन्दा" का हल्का दंड दिया गया।

23. **श्री इमादुल हक, आयकर निरीक्षक** : दिनांक 21.12.98 को "निन्दा" का हल्का दंड दिया गया।

24. **श्री सपाकुतउली आलम, उच्च श्रेणी लिपिक** : दिनांक 21.12.98 को निम्न स्तर में समय वेतनमान में कटौती करने की प्रकृति का बड़ा अर्थ दण्ड दिया गया।

25. **श्री एस.के.मजुमदार, आ.क.अ.** : बड़ा अर्थ दण्ड शुरू किया गया है।

26. **श्री ए.के. पुरकायस्थ, आ.क.नि.** : बड़ा अर्थ दण्ड शुरू किया गया है।

27. **श्री ए.के.देव, आ.क.अ.** : बड़ा अर्थदण्ड शुरू किया गया है।

28. **श्री जे.चक्रवर्ती, टी.ए.** : बड़ा अर्थदण्ड शुरू किया गया है।

29. **श्री बी.आर. पुरकायस्थ, आ.क.नि.** : बड़ा अर्थ दण्ड शुरू किया गया है!

30. **श्री एन. लुंगधीम, आयकर उपायुक्त** : बड़ा अर्थदण्ड शुरू किया गया है।

31. **सर्वश्री टी. एम. फिलीपोज, पी.के.जौहर, आ.क.अ. तथा ओ.आर.एस.** : उनकी रिपोर्ट की समीक्षा की गई है तथा मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दिनांक 1. 6.2000 को उनकी प्रथम चरण की सलाह के लिए भेजा गया है।

32. **आयकर विभाग, बैंक के कर्मचारी तथा निजी प्रैक्टिशनर** : इस मामले में एक आरोप यह है कि एक आयकर प्रैक्टिशनर के मैसर्स पाण्डया एंड कं. ने आयकर कर्मचारियों तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया के एक कर्मचारी की मिली–भगत से वापसी का झूठा दावा किया है। मामले की जांच की जा रही है तथा मुख्य आयकर आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है।

33. एन.डब्ल्यू.आर. क्षेत्र के 6 आयकर अधिकारियों की अंतर्ग्रस्तता के एक मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

100 करोड़ रुपए का शुल्क का वापसी भुगतान संबंधी घोटाला

4103. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अन्वेषण महानिदेशक ने 100 करोड़ रुपए के शुल्क की वापसी भुगतान संबंधी घोटाले का पता लगाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) 100 करोड़ रुपये की प्रतिअदायगी राशि वाले प्रतिअदायगी घोटाले का कोई भी मामला नहीं पकड़ा गया है। तथापि, दिसम्बर, 1998 के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय ने करोड़ों रुपये की प्रतिअदायगी शुल्क संबंधी धोखाधड़ी का पता लगाया था।

(ख) मामले–वार अंतर्ग्रस्त प्रतिअदायगी की राशि और पार्टियों के नाम इस प्रकार हैं :

क्रम सं.	फर्म का नाम	अंतर्ग्रस्त प्रतिअदायगी राशि (रु. लाख में)
1.	मै. ब्रुक्स इंटरनेशनल	31.43
2.	मै. मानीतोबा	31.43
3.	मै. ओवरसीज विजनैस	29.54
4.	मै. कनक एक्सपोर्ट्स	145.12
5.	मै. शैलकॉम एक्सपोर्ट्स	58.58
6.	मै. रोमेल इंटरनेशनल	38.41
7.	मै. लक्ष्मी एक्सपोर्ट्स	24.64
8.	मै. पी.के. एक्सपोर्ट्स	23.73
9.	मै. हिमगिरी ओवरसीज	761.76
10.	मै. टेक्सको मास	600.87

(ग) और (घ) सरकार ने जांच–पड़ताल पूरी हो जाने के बाद कानून के तहत सभी पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अपेक्षित कार्रवाई की है। ये कारण बताओ नोटिस सक्षम प्राधिकारी के समक्ष न्याय–निर्णयन हेतु लंबित हैं।

[हिन्दी]

जाली राशन कार्ड

4104. श्री जय प्रकाश : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जनगणना के अनुसार परिवारों की संख्या से अधिक संख्या में राशन कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन जाली राशन कार्डों/यूनिटों के कारण खाद्यान्नों और खाद्यान्न राज सहायता में हुए घाटे का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इसके विरुद्ध राष्ट्र व्यापी अभियान चलाने का है; और

(च) यदि हां, तो ऐसा अभियान कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (च) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुल राशन कार्डों की संख्या 1970.63 लाख है। 1999 में प्रक्षेपित घरों की संख्या 1777.48 लाख है। राज्य–वार ब्यौरे बताने वाला विवरण संलग्न है।

केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के आबंटन पर राजसहायता दी जा रही है क्योंकि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन आर्थिक लागत पर किया जा रहा है जिसमें कोई राज सहायता अंतर्ग्रस्त नहीं है। जाली राशन कार्डों के कारण होने वाली राज सहायता की हानि का भारत सरकार द्वारा अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए राज सहायता प्राप्त खाद्यान्नों का आबंटन भारत सरकार के गरीबी सबंधी अनुमानों के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित होता है कि इन गरीबी संबंधी अनुमानों के अन्दर ही गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करें और उन्हें राशन कार्ड जारी करें।

राशन कार्ड जारी करना और उन्हें निरस्त करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाई जाने वाली सतत् प्रक्रिया है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया है कि नियमित निरीक्षण और कड़ी मॉनीटरिंग के माध्यम से फर्जी राशन कार्ड/यूनिटें समाप्त की जाएं।

विवरण

राज्य–वार घरों और राशनकार्डों की संख्या बताने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या 1999(लाख में)	घरों की संख्या 1999(लाख में)*	राशन कार्डों की संख्या (लाख में)			को स्थिति के अनुसार
			गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	746.17	156.43	113.25	51.53	164.78	अप्रैल–00
अरुणाचल प्रदेश	11.55	2.34	0.82	2.60	3.42	मार्च–00
असम	258.78	44.39	18.82	23.70	42.52	अप्रैल–00
बिहार	981.22	159.29	84.26	88.74	173.00	नवम्बर–97
गोवा	15.47	3.10	0.07	3.01	308	मई–00
गुजरात	475.51	86.30	33.90	71.95	105.85	मई–00
हरियाणा	195.46	31.03	5.68	37.74	43.42	जून–00
हिमाचल प्रदेश	65.45	12.26	2.77	9.27	12.04	अप्रैल–00
जम्मू व कश्मीर	97.00	18.42	3.36	10.12	13.48	सितम्बर–97
कर्नाटक	514.36	93.18	64.56	47.23	111.79	मई–00
केरल	319.82	60.57	20.58	41.48	62.06	मई–00
मध्य प्रदेश	783.46	138.67	43.65	134.18	177.83	मार्च–00
महाराष्ट्र	901.22	175.33	58.13	135.96	194.09	जनवरी–00
मणिपुर	24.41	4.70	0.67	1.13	1.80	जून–97
मेघालय	23.59	4.35	0.97	0.98	1.95	मार्च–97
मिजोरम	9.22	1.62	उपलब्ध नहीं	1.66	1.66	अप्रैल–00
नागालैंड	16.29	2.92	0.96	1.05	2.01	मार्च–99
उड़ीसा	355.35	67.30	41.23	39.85	81.08	दिसम्बर–99
पंजाब	232.76	39.32	4.91	49.12	54.03	मई–00
राजस्थान	526.39	87.15	22.87	80.93	103.80	फरवरी–00
सिक्किम	5.41	1.02	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.66	अक्टूबर–97
तमिलनाडु	612.55	137.65	64.88	91.59	156.47	जून–00
त्रिपुरा	36.65	6.99	2.31	4.55	6.86	मई–00

1 2	3	4	5	6	7	
उत्तर प्रदेश	1663.64	267.47	95.48	159.96	255.44	जुलाई–98
पश्चिम बंगाल	779.72	143.33	46.11	109.13	155.24	अक्टूबर–98
अंडमान और निकोबार	3.74	0.79	0.12	0.74	0.86	मई–00
चंडीगढ़	8.6	1.96	0.00	2.12	2.12	अप्रैल–00
दादरा और नगर हवेली	1.84	0.35	0.16	0.16	0.32	जून–00
दमन और दीव	1.35	0.25	0.02	0.28	0.30	मई–00
दिल्ली	134.18	26.73	उपलब्ध नहीं	36.00	36.00	मार्च–00
लक्षद्वीप	0.69	0.11	उपलब्ध नहीं	0.13	0.13	मई–00
पांडिचेरी	10.76	2.16	0.90	1.64	2.54	मई–00
जोड़	9812.70	1777.48	731.44	1238.53	1970.63	

*जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर।

[अनुवाद]

उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन हेतु सौदा मूल्य (ट्रान्जक्सन वेल्यू) का मानदंड

4105. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु "सौदा मूल्य" (ट्रान्जक्शन वेल्यू) के मानदंडों को लागू करने हेतु नियमों को बनाने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नियमों को सही ढंग से तैयार करने के लिए इस मामले में करदाता के भी विचार प्राप्त किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2000 को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है और इसे पहली जुलाई, 2000 से लागू कर दिया गया है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अशोध्य ऋण

4106. श्री सुरेश चन्देल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) औद्योगिक घरानों से देय ब्याज सहित मूलधन को वापस लेने में असफल रहा है और इस रकम को वसूल न किए जाने वाला ऋण मान लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान उन औद्योगिक घरानों/कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा लिए गए ऋणों को अशोध्य मान लिया गया है और ऐसी राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) धनराशि को न वापस लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आईएफसीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्राप्त प्रतिष्ठानों से वसूली न हो पाने के परिणामस्वरूप अनुपयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार 4102.6 करोड़ रुपए की हो गई। तथापि, सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित प्रथाओं और रीति–रिवाजों के अनुसार और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संविधियों के प्रावधानों के साथ–साथ लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुरूप अलग–अलग ग्राहकों से संबंधित और जानकारी प्रकट नहीं की जा सकती है।

(ग) और (घ) आईएफसीआई लि. के अनुसार, औद्योगिक वृद्धि

में कमी, मांग में मंदी की स्थिति, कई उद्योगों की अत्यधिक क्षमता, प्रौद्योगिकी का अप्रचलन और प्रतिस्पर्धा की कमी अनुपयोज्य आस्तियों में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। आईएफसीआई लि. द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर में कमी लाने के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं :

* पुनर्गठन, एकबारगी निपटान और कानूनी कार्रवाई।
* व्यक्तिगत और समूह उधारकर्ताओं के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंडों के अधिकतम अनुदेय एक्सपोजर में कटौती ।
* व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को दी जाने वाली नई वित्तीय मंजूरियों को 100 करोड़ रुपए तक सीमित करना।
* समग्र गारंटी एक्सपोजर को आईएफसीआई की निवल क्षमता के दोगुने तक सीमित करना।
* प्रभावी निगरानी एवं आस्ति गुणवत्ता में गिरावट पर रोक।

[अनुवाद]

एल.पी.टी. और एच.पी.टी. शुरू करना

4107. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित कम शक्ति और उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों ने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किए गए दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्टाफ की कमी के कारण इस समय आंशिक प्रसारण को रिले कर रहे 11 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के अलावा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किए गए सभी उच्च शक्ति और अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पूर्ण रूप से प्रचालन में हैं। इन ट्रांसमीटरों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नअनुसार है :

राजस्थान-8

उत्तर प्रदेश-2

हिमाचल प्रदेश-1

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू दूरदर्शन ट्रांसमीटर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ.श.ट्रा.	अ.श. ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	33	5	42
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	3	4
3.	असम	0	11	1	12
4.	बिहार	0	15	1	16
5	गोवा	0	1	0	1
6.	गुजरात	2	16	1	19
7.	हरियाणा	0	4	0	4
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	16	19
9.	जम्मू और कश्मीर	1	6	16	23
10.	कर्नाटक	1	16	2	19
11.	केरल	1	9	2	12

2	3	4	5	6
2. मध्य प्रदेश	2	18	6	26
3. महाराष्ट्र	1	26	6	33
4. मेघालय	0	3	1	4
5. मिजोरम	1	1	1	3
6. उड़ीसा	1	39	6	46
7. मणिपुर	0	1	1	2
8. पंजाब	0	2	0	2
9. नागालैण्ड	1	1	1	3
0. राजस्थान	3	27	11	41
1. सिक्किम	1	1	0	2
2. त्रिपुरा	0	1	1	2
3. तमिलनाडु	2	14	4	20
4. उत्तर प्रदेश	2	19	10	31
5. पश्चिम बंगाल	1	10	2	13
6. चण्डीगढ़	0	1	0	1
7. दिल्ली	0	2	0	2
8. लक्षद्वीप	0	1	1	2
9. पांडिचेरी	0	1	0	1
0. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	4	5
1. दमन और दीव	0	1	0	1
2. दादरा और नगर हवेली	0	1	0	1
कुल	25	285	102	412

बैंकों की विदेश स्थित शाखाएं

4108. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों को इनकी विदेश स्थित शाखाओं के प्रचालन के कारण भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं का पुनर्गठन करने तथा इन्हें औचित्यपूर्ण बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कारोबार की संभावना तथा विनियामक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेशों में विद्यमान शाखाओं को बनाए रखने की समय–समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

सेबी द्वारा पब्लिक इश्यू की स्वीकृति

4109 **श्री किरीट सोमैया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेबी द्वारा पब्लिक इश्यू की स्वीकृति संबंधी नियमों में परिवर्तन के संबंध में निदेशक संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो निवेशक संगठन द्वारा किन–किन मुद्दों को उठाया गया है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा छोटे निवेशकों के हित में पब्लिक इश्यू के मानदंडों को अधिक कठोर और सुदृढ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) और (ख) सरकार को पूंजी बाजारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर निवेशक संघों से सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ पूंजी बाजार से निधियां जुटाने की इच्छुक कंपनियों के लिये अधिक कठोर प्रवेश मानदण्ड, सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध कंपनियों के लिये एक समान प्रवेश मानदण्ड, उच्चतर प्रकटीकरण मानक, जुटाई गई निधियों की मॉनिटरिंग और निवेशकों को शिक्षित करना शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार एवं बाजार विनियामक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) पूंजी बाजार विलेखों में जोखिम–प्रतिफल व्यापार की बेहतर निवेशक--जानकारी को बढ़ावा देने तथा निवेशकों की सुरक्षा में सुधार लाने के प्रति वचनबद्ध हैं। इस संदर्भ में सरकार संबंधित अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों की निरन्तर पुनरीक्षा करती है।

सेबी ने यह प्रावधान करने के लिये प्रवेश मानदण्ड सशक्त बना दिये हैं कि निर्गमपूर्व निवल सम्पत्ति के 5 गुना तक निर्गम योग्य आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आई.पी.ओ.) की स्वीकृति तभी दी जाएगी यदि "सेबी" मार्ग–निर्देशों में विनिर्दिष्ट रूप में कंपनी का मुनाफे एवं निवल संपत्ति का पिछला रिकार्ड रहा हो, अन्य खाता–निर्माण के माध्यम से ही आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आई.पी.ओ.) कर सकते हैं, ऐसे मामले में निर्गम आकार का 60% "अर्हताप्राप्त सांस्थानिक क्रेताओं" को आबंटित किया जाएगा। सूचीबद्ध कंपनियों को निर्गम पूर्व निवल संपत्ति के 5 गुने से अधि आई.पी.ओ. एवं सार्वजनिक निर्गमों की स्वीकृति केवल खाता निर्मा माध्यम से दी जाएगी जिसमें निर्गम आकार के 60% का आबंटन अर्ह प्राप्त सांस्थानिक क्रेताओं को किया जाएगा। आरंभिक सार्वजनि पेशकश के संबध में लागू आबद्ध अवधि (लॉक इन) प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

इसके अलावा ऋण विलेखों के सार्वजनिक या अधिकार एवं निर्गम वाली सभी कंपनियों को क्रेडिट दर निर्धारण करानी होगी मूल्यांकन करने वाली एजेंसी को निर्गम खोलने से पहले अपेक्षि अंशदान प्रस्तुत करना होगा।

उर्वरक के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4110. **श्री सवशीभाई मकवाना :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक क्षेत्र में विशेषकर यूरि के क्षेत्र में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) किया गया है

(ख) इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने व लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क से (ग) 01.01.97 से 31.12.99 की अवधि के दौरान उर्वरक क्षेत्र 1.20 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के दो प्रस्ताव अनुमोदि किये गये हैं।

दिनांक 11.02.2000 के प्रेस नोट सं. 2(2000शृंखला) के द्वा एक विनिर्दिष्ट नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी क्षेत्रों में स्वतः मा के तहत 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। उर्वरक क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवे की अनुमति प्रदान की जाती है। वास्तविक निवेश निवेशक वाणिज्यिक आकलन पर निर्भर करता है, जो वाणिज्यिक व्यवहार्य और निवेश वातावरण सहित अनेक कारकों द्वारा निर्धारित होता है परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सुगम बनाने तथा उद्यमियों सामने आ रही समस्याओं के निदान हेतु विदेशी निवेश कार्यान्वय प्राधिकरण का गठन किया गया है।

बिहार में विदेशी पर्यटकों द्वारा यात्रा

4111. **श्री रघुनाथ झा :** क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री य बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पर्यटक स्थलों का ब्यौरा क्या है और पिछ

ीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष इन स्थलों पर कितने विदेशी और घरेलू र्यटकों ने यात्रा की; और

(ख) इससे राज्य सरकार को कितनी विदेशी और भारतीय ुद्रा प्राप्त हुई ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) बिहार रकार से प्राप्त सूचनानुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान बोधगया, ालंदा, राजगीर, वैशाली, गया, पटना, रांची, मधुबनी, देवघर, मशेदपुर आदि सहित बिहार में विभिन्न पर्यटक स्थलों की यात्रा करने ाले स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों की अनुमानित संख्या नीचे दिए ए अनुसार है :

र्ष	यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या		
	स्वदेशी	विदेशी	कुल
997	8369580	130375	8499955
998	768839	76567	845406
999	3722736	48261	3770997

(ख) पर्यटन से राज्य-वार आय (का ब्यौरा) नहीं रखा जाता ।

हिन्दी]

भेल में ठेके पर रखे गये श्रमिकों से संबंधित विवाद

4112. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या भारी उद्योग ौर लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), भोपाल में के पर रखे गये श्रमिकों के संबंध में लम्बे समय से विवाद चल रहा ;

(ख) श्रमिकों और प्रबंधन के बीच विवाद का विषय क्या है; ौर

(ग) श्रमिकों और प्रबंधन के बीच विवाद के विषय को सुलझाने ेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाने का विचार है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई थीरिया) : (क) बीएचईएल, भोपाल ने कामगारों को ठेकेदारी कान्ट्रेक्ट) आधार पर नियुक्त नहीं किया है। तथापि, कुछ लाइसेंस ुक्त ठेकेदारों द्वारा ठेके पर रखे गये कुछ कामगारों ने मध्य प्रदेश च्च न्यायालय, जबलपुर में दो मामले दायर किए हैं।

(ख) ठेके पर रखे कामगारों ने अपनी नौकरी (सर्विस) को ियमित करने और सेवा के अन्य लाभ लेने की मांग की है।

(ग) चूंकि, कामगारों को ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत नियुक्त किया गया है अतः बीएचईएल द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात

4113. श्री एस.डी.एन.आर.वाडियार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान किए गए कुल निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात का हिस्सा कितना रहा;

(ख) क्या सरकार विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात और कुल निर्यात नीचे दिए गए हैं :

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	कुल निर्यात	विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात
1997-98	35006	26966
1998-99	33219	26201
1999-2000*	37538	31164

*अनन्तिम

(ख) और (ग) निर्यात वृद्धि को आगे और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं विकेन्द्रीकरण के द्वारा कारोबार लागत में कमी करना, एसईजैड की स्थापना करना, क्रियाविधियों का सरलीकरण, ईपीसीजी योजना को सभी मद-क्षेत्रों और सभी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 5.5% शुल्क के भुगतान पर बिना किसी प्रारम्भिक सीमा के लागू करना और एक्जिम नीति में यथावर्णित अन्य विभिन्न उपाय। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहल करके, थ्रस्ट क्षेत्रों एवं फोकस क्षेत्रों की पहचान के द्वारा भी निर्यातों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टी.वी.टावर

4114. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में साहुहारी, पनहला, राधानगरी और भुदरगढ़ पर्वतीय क्षेत्र के लोग टी.वी. टावर लगे होने के बावजूद दूरदर्शन के प्रसारण से वंचित कर दिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) सहुहारी, पन्हाला, राधानगरी तथा मुन्दरगढ़ कोल्हापुर जिले के कोल्हापुर इचलकरनजी तथा मलकापुर स्थित दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की प्रसारण सीमा के बाहर हैं। इस क्षेत्र में नए ट्रांसमीटर लगाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। कोल्हापुर जिले के कवर न किए गए क्षेत्रों में दूरदर्शन की स्थलीय टी.वी.सेवा का और विस्तार संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। तथापि, कोल्हापुर जिले सहित सम्पूर्ण देश में दूरदर्शन का प्रसारण उपग्रह के माध्यम से उपलब्ध है जिसे उपयुक्त डिश एन्टीना प्रणाली का प्रयोग करके या केबल नेटवर्क के जरिए देखा जा सकता है।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर विदेशी मुद्रा विनिमय काउंटर

4115. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री शिवाजी माने :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विदेशी मुद्रा विनिमय काउंटरों को बंद किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या थामस कुक नामक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी को उ क्त विमानपत्तन पर विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार करने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले की जांच कराने तथा उ विमानपत्तन पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के काउंटरों को बंद नहीं कि जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) (क) से (ङ) विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए इन्दिरा गां अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली में काउंटरों का आबंटन भारत विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है जो नागरिक उड्ड मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है। सरकारी क्षेत्र के बैं ने इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली में अपने विद्यम काउंटरों को बन्द करने का अपनी ओर से कोई निर्णय नहीं लि है।

पवन हंस हेलीकॉप्टर्स का विनिवेश

4116. श्री आर.एल. भाटिया : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बत की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पवन हंस हेलिकॉप्टर लिमिटेड में अ हिस्से को कम करने के पक्ष में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत अ पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग राज्य मंत्री, तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी (क) और (ख) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. में सरकारी इक्विटी विनिवेश के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया ग है।

विनिवेश के लिए तेल क्षेत्र का पुनःवर्गीकरण

4117. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **विनिवेश** म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों में अ धारिता के विनिवेश पर कोई निर्णय लेने से पूर्व तेल उद्योग का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पुनःवर्गीकरण करने पर विचार कर रही और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्या कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पें मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में रा मंत्री, तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

"फिक्की" प्रतिनिधिमण्डल का दौरा

4118. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) का एक प्रतिनिधिमण्डल ब्रिटेन के दौरे पर जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उक्त प्रतिनिधिमण्डल के इस दौरे का प्रयोजन क्या है; और

(घ) प्रतिनिधिमण्डल ब्रिटेन में किन संभावनाओं का पता लगाएगा ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंध (फिक्की) ने सरकार को सूचित किया है कि निकट भविष्य में किसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल को ब्रिटेन भेजने की उनकी कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गोदामों को किराए पर लेना

4119. श्री बसुदेव आचार्य : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनपाडा, नवी मुंबई में गोदाम को भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियत की गई दर से बहुत ज्यादा दर पर किराए पर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दालों का आयात

4120. श्री रामटहल चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दालों का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में दालों का आयात किया गया और इस पर कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा व्यय हुई; और

(ग) सरकार ने दालों के आयात में कमी लाने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) देश में दालों की कमी है। घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से विषाक्त दालों को छोड़कर अन्य दालों का आयात मुक्त है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई दालों की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपए में)
1997–98	1008161	119464.38
1998–99	563602	70881.36
1999–2000 (अनंतिम)	203986	27377.15

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण

4121. श्री रामदास आठवले : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी/शेयर पूंजी में कमी करने के वाद भी आरक्षण को जारी रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. बल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) केन्दीय सरकार के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर की भर्ती में अनुसूचित जाति को 15% तथा अनुसूचित जनजाति को 7½% आरक्षण दिया जाता है। समूह "ग" एवं "घ" के पदों पर स्थानीय भर्ती में आरक्षण प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ क्षेत्र में अलग–अलग होगा, जो सम्बद्ध राज्य/संघक्षेत्र की आबादी में अनुसूचित

जाति/जनजाति की प्रतिशतता पर निर्भर करेगा। कतिपय शर्तों के अध्याधीन पदोन्नति में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्रमशः 15% एवं 7½% आरक्षण दिया जाता है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले सरकारी उपक्रमों में सरकारी इक्विटी/शेयर पूंजी में कमी से इस स्थिति में स्वतः तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक ये उपक्रम संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत पारिभाषित 'सरकार' की विशेषताओं से युक्त हैं। सरकारी उपक्रमों को पुनर्गठित करने/सुप्रवाही बनाने की स्थिति में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित दिशा–निर्देश, जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है, दिनांक 16.03.1994 को जारी किए गए हैं।

विवरण

संख्या 18(8)92 सा.प्र.
भारत सरकार
उद्योग मंत्रालय
सरकारी उद्यम विभाग

ब्लॉक नं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003.
दिनांक 16 मार्च, 1994

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी उपक्रमों को पुनर्गठित करने/सुप्रवाही बनाने के क्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सम्बन्ध में नीति।

1.0 सरकारी उपक्रमों को पुनर्गठित करने/सुप्रवाही बनाने के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मामले में निम्नलिखित व्यापक दिशा–निर्देशों को अपनाया जा सकता है :

(i) जब किसी सरकारी उपक्रम का पुनर्गठन बी.आई.एफ.आर. के माध्यम से अथवा अन्यथा किया जाना हो तथा पुनर्गठन से प्रभावित होने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों के पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष का सहारा लिया जाना हो, तो इस संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ii) जिन उपक्रमों का आंशिक पुनर्गठन किया जाना हो, उनमें यदि उक्त पुनर्गठन की शुरुआत के पूर्व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व विहित सीमा से कम हो तो उसे निर्धारित सीमा तक लाया जाना चाहिए।

(iii) पूर्ण पुनर्गठन के मामले में नए स्वामियों के साथ उपयुक्त पैकेज के सम्बन्ध में बातचीत का मार्ग प्रशस्त रखा जाना चाहिए, ताकि वे कर्मचारियों की छंटनी न कर सकें। बहरहाल, यदि पुनर्गठन पैकेज के एक भाग के रूप में श्रमिकों की संख्या को तर्कसंगत सीमा तक लाना आवश्यक हो तो पूर्ववर्ती पैराग्राफ में वर्णित आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को वार्तालय, बाध्यकारी एवं दिशा–निर्देशक सिद्धान्त बनाया जाना चहिए।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कामगारों का प्रशिक्षण/दक्षता उन्नयन महत्त्वपूर्ण है और यह खासकर उनके लिए रोजगार के नए अवसर पाने के लिए आवश्यक है। योजनागत कार्यक्रमों ने इन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, तथापि जिन उपक्रमों में एक तर्कसंगत अवधि तक आरक्षण सम्बन्धी मानदण्डों को कायम रखा जाना है, उनमें इन पहलुओं को वास्तविक तौर पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों का प्रतिस्थानी नहीं बनाया जाना चाहिए।

(v) पुनर्गठन और पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करते समय इस तथ्य को सुनिश्चित करने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए कि कामगारों की संख्या में कमी निम्नतम हो और इससे सम्बन्धित उपक्रम में पहले से नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के वर्तमान प्रतिनिधित्व स्तर पर कोई प्रभाव न पड़े।

(vi) पूर्ण पुनर्गठन के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को रोजगार संरक्षण तथा साथ ही आरक्षण नीति को स्वीकार करने के लिए नए स्वामियों पर बाध्यकारी शर्त लगाया जाना चाहिए, जैसा कि इस्को के मामले में किया गया था।

(vii) गैर–सरकारी क्षेत्र में, जहां कि आरक्षण नीति प्रचलन में नहीं है, उद्यमियों को इसके लिए सहमत करना वांछनीय होगा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति के कर्मचारियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की नीति उनके हित में ही है।

2.0 इस सम्बन्ध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई से इस विभाग को अवगत कराया जाए।

ह.

(सुनील खत्री)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग (सचिवों के नाम से)।

[अनुवाद]

रत्न और आभूषण कारीगरों के लिए प्रशिक्षण संस्थान

4122. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से रत्नों के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों से कारीगरों की कुशलता का उपयोग करने हेतु कोई प्रयास किया है;

(घ) क्या ऐसे कारीगरों के प्रशिक्षण हेतु किन्हीं विद्यालयों या संस्थानों की स्वीकृति दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रत्नों पर काम करने और आभूषणों के निर्यात हेतु कारीगरों को प्रशिक्षण देने हेतु अन्य संस्थानों की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या ऐसे संस्थानों को कोई राजसहायता दी गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्यात आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1999–2000 के दौरान हीरों सहित रत्नों के निर्यात का मूल्य 6987.5 मिलि. अमरीकी डालर था जो कुल भारतीय निर्यातों का लगभग 18.6% होता है। रत्नों के निर्यातों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से निर्यात और आयात नीति (1997–2002) के अध्याय–8 में निर्यात संवर्धन योजनाएं निर्धारित की गई हैं। इन योजनाओं का लाभ देश के किसी भी हिस्से से कोई भी रत्न तथा आभूषण निर्यातक उठा सकता है। तथापि, यदि निर्यात से संबंधित कोई भी राज्य/क्षेत्र विशिष्ट सुझाव अथवा समस्या वाणिज्य विभाग के नोटिस में लाई जाती है तो, आवश्यक कार्रवाई की जाती है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्, चेन्नई के दक्षिण क्षेत्र ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1999–2000 में हैदराबाद में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात् (i) डायमंड आइडेंटीफिकेशन एंड ग्रेडिंग कोर्स; और (ii) कम्परीहैंसिव कोर्स इन ज्वैलरी डिजाइनिंग में आयोजित किए हैं। इन दोनों पाठ्यक्रमों में क्रमशः 46 और 22 सहभागी थे। इसके अतिरिक्त हीरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आंध्र प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुरोध को रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् ने इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत को भेजा था। जीजेईपीसी ने यह भी सूचित किया है कि परिषद मांग के अनुसार समय–समय पर आंध्र प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर आभूषण अभिकल्प पाठ्यक्रम आयोजित करती रहेगी।

(घ) से (छ) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित व्यापार का स्वायत्त निकाय है, जिसने निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं :

(i) **इंडियन जैमोलोजिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली :** यह इंस्टीट्यूट जैमोलोजी के विभिन्न पक्षों/पहलुओं पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है।

(ii) **जैम टैस्टिंग लेबोरेटरी, जयपुर :** यह जैम आइडैंटीफिकेशन (नियमित तथा पत्राचार) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पन्नों, अपरिष्कृत रत्न पत्थर तथा नवरत्नों की पहचान संबंधी अल्पावधि पाठ्यक्रम तथा व्यापार की आवश्यकताओं के अनुसार विशेषीकृत पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

(iii) **दिल्ली, मुंबई तथा जयपुर स्थित ज्वैलरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट सैंटर (जेपीडीसी) :** ये जेपीडीसी बाजार/ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार ज्वैलरी फैब्रिकेशन में नवीनतम डिजाइनों के विकास में प्रशिक्षण देते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, रत्न एवं निर्यात संवर्धन परिषद् ने मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्वैलरी डिजाइन डेवलपमेंट सैंटर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

उपर्युक्त के अलावा, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत एक पूर्ण प्रशिक्षण संस्थान है जो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। हाल ही में आई डी आई ने सरदार वल्लभभाई पटेल सैंटर ऑफ एडवांस्ड ज्वैलरी डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जहां इस परियोजना की लागत का 50% भारत सरकार वहन करेगी वहीं शेष 50% राशि की व्यवस्था गुजरात सरकार द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् तथा व्यापारी वर्ग इसके दिन–प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन पर होने वाली लागत को पूरा करने में योगदान देगा।

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् को वाणिज्य विभाग द्वारा एकमुश्त वार्षिक अनुदान दिया जाता है, जो इसके बाद उसका एक हिस्सा जेपीडीसी तथा आईडीआई को उनके क्रियाकलापों के लिए आबंटित करती है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट (आई डी आई) को कुछ प्रत्यक्ष अनुदान देता है। पिछले 4 वर्षों के दौरान जीजेईपीसी तथा आई डी आई को वाणिज्य विभाग द्वारा दी गई सहायता–अनुदान के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	वाणिज्य विभाग द्वारा जीजेईपीसी को दी गई ग्रांट	सरकारी अनुदान का वह हिस्सा जो जीजेईपीसी द्वारा जेपीडीसी, आईडीआई आदि प्रशिक्षण	वाणिज्य विभाग द्वारा आईडीआई को दिया गया अनुदान
1	2	3	4
1996–97	100.00	28.89	53.12

1	2	3	4
1997–98	100.00	17.64	50.28
1998–99	100.00	35.09	34.36
1999–2000	120.00	42.80	6.46

इंडियन बैंक

4123. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन बैंक के लिए 1750 करोड़ रुपए को पुनः पूंजीकरण कोष को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मंजूरी के साथ कुछ शर्तें जोड़ दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बैंक के स्वामी के रूप में सरकार तथा विनियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को स्वीकार्य अर्थक्षम पुनर्गठन कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने पर पुनर्पूंजीकरण सहायता संभाव्य है।

विदेशी पर्यटक

4124. श्री अजय सिंह चौटाला :

श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में 30 जुलाई, 2000 तक राज्य–वार कितने विदेशी पर्यटक आए;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान विदेशी पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार/धोखाधड़ी और कटु व्यवहार के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में विदेशी पर्यटकों के साथ होने वाले उपर्युक्त अनावश्यक क्रियाकलापों पर रोक लगाने हेतु अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए या निकट भविष्य में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) वर्ष 1997, 1998, 1999 तथा 2000 (जनवरी से जुलाई तक) के दौरान इस देश की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या
1997	2374094
1998	2358629
1999	2481928
2000 (जनवरी 2000 से जुलाई 2000 तक)	1462927 (अ.)

अ. – अनन्तिम

विदेशी पर्यटकों के आगमन का राज्य–वार ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ख) से (घ) दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी तथा विदेशी पर्यटकों पर हमले सहित अनुचित गतिविधियां राज्य/संघ राज्य प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आने वाली कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं हैं। पर्यटकों के विरुद्ध उक्त गतिविधियों को रोकने के लिए पर्यटन विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य–प्रशासनों को पर्यटक पुलिस बल स्थापित करने के लिए लिखा है। पर्यटकों की शिकायतें जब भी विभाग के नोटिस में आती हैं उन पर संबंधित प्राधिकरणों के साथ सपर्क करके कार्रवाई की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटकों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित शिकायतों की सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1997	117
1998	100
1999	103

[हिन्दी]

नकली नोटों का प्रचलन

4125. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए गृह मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निदेश पदों का ब्यौरा क्या है और इसमें कितने सदस्य हैं; और

(ग) उक्त समिति की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) से (ग) देश में नकली नोटों की अनेकों शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय मुद्रा के नोटों की सुरक्षा के आयाम से संबंधित मुद्दों के तमाम पहलुओं की जांच करने के लिए नोट मुद्रण क्षेत्र विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है। समिति में वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय, नोट छपाई मुद्रणालयों और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं।

समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

[अनुवाद]

मारीशस के माध्यम से विदेशी निवेश

4126. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री उत्तमराव ढिकले :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारीशस के रास्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर कर छूट की सीमा को बढ़ाने का निर्णय किस तारीख को लिया गया था;

(ख) मारीशस के रास्ते से आने वाली विदेशी संस्थागत निवेशकों से भारत में आने वाले निवेश की मात्रा कितनी है; और

(ग) इस निर्णय को लागू करने से कुल कितने राजस्व की हानि हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) सितम्बर, 1992 में इस संबंध में सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के प्रतिपादन के फलस्वरूप विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। भारत और मॉरिशस के मध्य दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय, जो 1983 में अधिसूचित किया गया था, के अन्तर्गत मॉरिशस में विदेशी संस्थागत निवेशक निवासियों को कुछ कर लाभ उपलब्ध हैं।

(ख) 30 जून, 2000 तक मॉरिशस स्थित विदेशी संस्थागत निवेशकों/उप-लेखाओं द्वारा निवल निवेश 14088.9 करोड़ रुपए था।

(ग) दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ कर की गैर-अदायगी के बराबर नहीं होते हैं, जिससे राजस्व की हानि होती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसानों को ऋण

4127. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने नाबार्ड एन ए बी ए आर डी के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को राज्य-वार विशेषकर गुजरात में कितना ऋण उपलब्ध कराया है;

(ख) इससे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) ऐसे ऋण प्राप्त करने में किसानों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा राज्यों (गुजरात सहित) को संवितरित कुल ऋण और छोटे और सीमांत कृषकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को संवितरित ऋण संलग्न विवरण में दिया गया है। अन्य पिछड़े वर्ग के कृषकों के बारे में आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) छोटे और सीमांत कृषकों को ऋण के प्रवाह से तेजी लाने की दृष्टि से, प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे उधारकर्ताओं को मार्जिन राशि, अपेक्षा, जमानती मानदण्ड आदि के संबंध में कतिपय रियायतें दी गई हैं। रियायतों में ये सम्मिलित हैं :

(i) छोटे और सीमांत कृषकों को मंजूर किए गए 10,000/- रुपए तक के फसल ऋणों/सावधि ऋणों के लिए बैंकों को मार्जिन राशि पर बल नहीं देना चाहिए।

(ii) 10,000/- रुपए तक के फसल ऋणों के लिए बैंकों को समर्थक प्रतिभूति/अन्य पक्ष गारंटी पर जोर नहीं देना चाहिए। जमानत के रूप में फसलों को प्रतिभूति के रूप में बन्धक रखा जा सकता है।

(iii) जहां तक, 10,000/- रुपए से अधिक के ऋणों का संबंध है, बैंक मार्जिन/प्रतिभूति से संबंधित मामले में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं।

(iv) ब्याज के भुगतान पर केवल निर्धारित ऋण किश्तों की वापसी अदायगी के समय बल दिया जाए।

(v) बैंकों को दीर्घकालिक फसल ऋणों के संबंध में चालू देय राशियों और सावधि ऋण के संबंध में किश्तों के देय होने तक चक्रबृद्धि ब्याज नहीं लगाना चाहिए।

(vi) अल्पकालीन अग्रिमों के संबंध में, छोटे और सीमांत कृषकों के खाते में नामे डाला गया कुल ब्याज, मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संवितरित राज्य–वार ऋण

क्रम सं.	राज्य	1997–98			1998–99						1999–2000 $					करोड़ रुपए
		कुल संवितरित ऋण	कुल में से		कुल संवितरित ऋण		कुल में से				कुल संवितरित ऋण		कुल में से			
			एसएफ/एमएफ*	अ.जा./अ.ज.जा.			एसएफ/एमएफ*		अ.जा./अ.ज.जा.				एसएफ/एमएफ*		अ.जा./अ.ज.जा.	
					खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	हरियाणा	155.72	77.21	3.25	59440	179.99	33022	83.77	2980	4.23	64417	226.09	35452	98.63	2089	3.55
2.	हिमाचल प्रदेश	31.53	2.07	2.38	15303	42.83	798	1.90	1537	3.23	19660	62.09	798	1.90	1338	2.93
3.	जम्मू एवं कश्मीर	24.83	1.31	0.53	8570	27.98	388	1.28	एन.ए.	एन.ए.	9059	91.31	1088	3.63	252	0.25
4.	पंजाब	97.31	45.26	11.43	54363	112.73	29726	44.98	4658	9.51	58670	144.94	33324	62.61	4679	11.65
5.	राजस्थान	274.61	74.99	29.88	132293	338.80	35639	77.52	16202	32.92	137350	413.23	27277	66.80	15843	34.42
6.	अरुणाचल प्रदेश	11.13	एन.ए.	एन.ए.	2859	9.00	841	1.63	2062	5.16	2859	9.00	841	1.63	2062	5.16
7.	असम	40.50	6.73	3.12	29001	48.88	5875	10.68	546	0.47	27211	55.49	5692	9.48	1194	1.25
8.	मणिपुर	1.58	एन.ए.	एन.ए.	543	1.01	11	0.06	6	0.01	595	2.52	34	0.31	2	0.01
9.	मेघालय	8.01	7.91	7.90	4541	8.92	2471	2.21	4509	8.87	4541	8.92	2471	2.21	4509	8.87
10.	मिजोरम	4.81	0.12	4.81	1506	3.87	.304	0.37	1506	3.87	1506	3.87	304	0.37	1506	3.87
11.	नागालैंड	0.21	0.21	0.21	114	0.24	114	0.24	114	0.24	204	0.50	204	0.50	204	0.50
12.	त्रिपुरा	12.50	1.39	1.16	12593	16.04	2422	1.66	2113	1.73	12593	16.04	2422	1.66	2113	1.73
13.	बिहार	193.68	85.40	27.67	129803	228.04	56323	104.62	17775	27.54	107598	244.13	44911	87.51	12139	37.07
14.	उड़ीसा	243.51	91.03	40.96	233529	300.42	190321	131.32	55501	48.62	265969	354.51	118609	133.75	51434	55.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.	पश्चिम बंगाल	157.08	27.16	33.42	172475	212.64	62169	46.59	57373	85.72	200584	252.24	59445	49.28	67679	40.68
16.	मध्य प्रदेश	273.85	57.59	41.56	126178	336.14	30846	66.64	23044	33.49	123932	359.60	25643	51.87	14060	29.64
17.	उत्तर प्रदेश	629.73	269.77	66.94	467241	813.66	327279	375.82	91207	109.87	473938	954.57	253405	466.32	56568	78.97
18.	गुजरात	151.37	35.12	11.95	96496	186.20	48807	56.54	15522	14.80	100433	223.12	53229	73.82	10025	12.83
19.	महाराष्ट्र	129.42	14.00	1.57	101431	175.82	17573	17.22	3187	2.61	120080	208.35	43017	54.93	12180	10.27
20.	आंध्र प्रदेश	798.97	388.37	58.66	753164	935.95	334594	411.95	62676	67.06	829134	1131.72	345145	402.79	65310	78.87
21.	कर्नाटक	695.63	230.41	41.82	461381	779.72	159389	248.62	52377	42.15	483973	1016.46	124353	227.20	52355	48.70
22.	केरल	500.72	184.51	12.27	713162	569.00	275797	215.61	30939	14.38	705542	773.65	292627	275.76	19165	13.64
23.	तमिलनाडु	230.93	98.33	42.67	271380	232.92	104022	93.85	54782	46.89	315431	297.16	155305	121.18	70231	58.76
	अखिल भारत	4667.65	1698.90	444.15	3847366	5560.81	1718731	1995.08	500616	563.35	4065279	6849.51	1625596	2194.16	466937	538.87

एन.ए. : अनुपलब्ध

* छोटक किसान/सीमांत किसान

$ = आंकड़े अनन्तिम

= वर्ष 1997–98 के लिए लेखों की सं. उपलब्ध नहीं।

भारतीय खाद्य निगम हेतु गोदामों का निर्माण

4128. श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का अपने गोदामों के निर्माण हेतु छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमियों को आमंत्रित करने और तत्पश्चात् किराया प्रभार लेने हेतु कोई नई योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में भण्डारण उपलब्धता के सर्वेक्षण हेतु सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया है;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य–वार कितने गोदामों का निर्माण किया जाना है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भण्डारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्राइवेट सेक्टर को भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसमें वे सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूल किए खाद्यान्नों का भण्डारण और रखरखाव करेंगे जिसके लिए वे भण्डारण प्रभारों के पात्र होंगे।

(ग) इस संबंध में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–98 से 2001–2002) के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण करने के लिए प्रस्तावित भण्डारण क्षमता से संबंधित राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–98 से 2001–2002 तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण की जाने वाली प्रस्तावित भंडारण क्षमता

(हजार टन में)

राज्य का नाम	केन्द्र का नाम	प्रस्तावित क्षमता
1	2	3
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	3.33
	बारामूला	5.00
	कुपवाड़ा	5.00
	पुलवामा	2.50
	बाडगाम	2.50
	किश्तवाड़	2.50
	कारगिल	5.00
हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	1.67
	कैलांग	2.50
	चम्बा	1.67
उत्तर प्रदेश	धमोरा	25.00
	रोजा	10.00
	पिथौरागढ़	2.50
	पडरौना	2.50
	सिमली	5.00
	मल्लुपानी	2.50
दिल्ली	नरेला	50.00
पंजाब	राजपुरा	15.00
	टांडाउरमेर	18.36
हरियाणा	तरावड़ी	10.00
कर्नाटक	उडुपी	10.00
	कुशालनगर	2.50
	टुमकर	20.00
	बीजापुर	10.00
	बेलगाम	20.00
	रायचुर	15.00
	हासन	10.00
अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	2.50
केरल	एर्नाकुलम	5.00
	पेन्नूर	30.00

1	2	3
	मीनागढ़ी	5.00
आंध्र प्रदेश	नेल्लौर	30.00
	अमलापुरम	10.00
तमिलनाडु	रामनाथपुरम	10.00
मध्य प्रदेश	धामदाड़ी	10.00
महाराष्ट्र/गोवा	शोलापुर	10.00
गुजरात	राजकोट	20.00
बिहार	गुमला	3.34
उड़ीसा	झरसागुड़ा	15.00
	पारलेकेमुंडी	10.00
नागालैंड	दीमापुर	10.00
	कोहिमा	5.00
मेघालय	जोवई	3.75
	शिलांग	5.00
मिजोरम	लवंगतलाई	3.34
मणिपुर	जीरीबाम	2.50
त्रिपुरा	अगरतला	5.00
	जोड़	455.46

रुग्ण तथा घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4129. प्रो. रासा सिंह रावत :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री अनन्त नायक :

श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री दिनशा पटेल :

श्री रामदास आठवले :

श्री त्रिलोचन कानूनगो :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या तथा नाम क्या हैं जो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की स्थिति के अनुसार घाटे में चल रहे हैं, रुग्ण हैं तथा जिन्हें बन्द कर दिया गया है;

(ख) उनके घाटे पर चलने, रुग्ण होने तथा बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार पुनरुद्धार करने हेतु कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) के पास भेजा गया है, कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले बी. आई. एफ. आर. के पास लम्बित हैं साथ ही इनमें से प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति क्या है;

(घ) बन्द पड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूरों के पुनर्वास हेतु बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा समिति द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गईं; और

(छ) सरकार द्वारा इन्हें बचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. बल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) विगत 3 वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 की अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम रुग्ण थे तथा जिन्होंने घाटा उठाया है, उनके नाम तथा संख्या सम्बन्धित वर्षों की लोक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट के खण्ड-1 के अध्याय 19 तथा विवरण संख्या 7 ख में दर्शाए गए हैं। ये रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों में रखी गई हैं तथा प्रकाशित दस्तावेज हैं। 30 जून, 2000 की स्थिति तक की जानकारी उपलब्ध है, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 52 रुग्ण औद्योगिक उपक्रम प्रभावी रूप से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड में पंजीकृत थे। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 52 उपक्रमों में से 20 उपक्रमों के लिए नवीकरण योजना स्वीकृत कर दी है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन रुग्ण उपक्रमों की विस्तृत स्थिति संलग्न विवरण दी में गई है।

रुग्णता सहित घाटा उठाने के कारण उद्यम विशेष हैं। तथापि, कुछ सामान्य कारणों में अप्रचलित संयंत्र व मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, निम्न क्षमता उपयोग, संसाधन संकट, अत्यधिक ब्याज भार कर्मचारियों

की अतिरिक्त संख्या तथा कमजोर विपणन रणनीति इत्यादि शामिल हैं।

(घ) से (च) सरकार ने भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के कुछ अक्षम उपक्रमों के नवीकरण की सम्भावना की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित किया था। सरकार ने विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार किया था तथा सरकारी क्षेत्र के 6 उपक्रमों अर्थात माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन (एम. ए. एम. सी.) नेशनल बाईसिकल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एन. बी.सी. आई.एल) भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटिड (बी. पी. ई. एल.) बेबर्ड इण्डिया लिमिटेड (डब्ल्यू आई. एल.), रिहेबीलिटेशन इण्डस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन (आर. आई. सी.) तथा टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन (टी. ए. एफ. सी. ओ.) में स्वैच्छिक सम्बन्ध विच्छेद योजना पुनः प्रारम्भ करने तथा उन्हें बन्द करने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

(छ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार करने तथा नवीकरण करने के लिए उद्यम विशेष उपाय किए जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपयुक्त नवीकरण/पुनर्स्थापन योजना तैयार करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपा जाता है। सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले अन्य उपक्रमों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्रबंधन तथा कर्मचारियों के परामर्श से अनेक विकल्पों का पता लगाते हैं तथा सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के पुर्नगठन के लिए उपयुक्त उपाय तैयार करते हैं। सरकार द्वारा किए गए कुछ सामान्य उपाय लोक उद्यम सर्वेक्षण 1998–99 के खण्ड–1, पृष्ठ संख्या 104 पर दिए गए हैं, जो कि एक प्रकाशित दस्तावेज है।

विवरण

30.6.2000 की स्थिति सहित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

क्र.सं.	मामला सं.	कंपनी का नाम
1	2	3
स्वीकृत नवीकरण योजना		
1.	533/92	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
2.	538/92	बंगाल इम्युनिटी लि.
3.	526/92	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि.
4.	501/92	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि.
5.	525/92	भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि.
6.	528/92	ब्रेथवेट एण्ड कं. लि.
7.	508/94	बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि.
8.	511/92	हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.
9.	509/93	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.
10.	502/95	जेसप एण्ड कं. लि.
11.	531/92	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.
12.	503/97	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.
13.	514/92	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि.
14.	521/92	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि.
15.	506/94	आरबीएल लि.
16.	509/92	रिचर्डसन एण्ड क्रूड्डास (1972) लि.
17.	504/92	स्कूटर्स इण्डिया लि.
18.	529/92	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
19.	507/92	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
20.	512/92	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि.
मसौदा योजना परिचालित		
1.	532/92	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.
2.	501/96	सीमेंट कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
3.	534/92	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.
4.	501/94	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.
5.	536/92	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.
6.	505/93	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.
7.	523/92	टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
बंद करने का नोटिस जारी		
1.	503/95	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कॉरपो. लि.
2.	502/96	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

1	2	3
3.	535/92	नेटेका (गुजरात) लि.
4.	501/93	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.
5.	504/93	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.
6.	503/93	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.
7.	530/92	यू.पी. ड्रग्स एण्ड फार्मा. लि.
जांचाधीन		
1.	502/98	भारत इम्युनोलॉजीकल एण्ड बायोलॉजीकल कॉरपो. लि.
2.	501/99	बर्ड्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि.
3.	508/92	साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
4.	501/00	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
5.	515/92	फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
6.	501/97	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.
7.	516/92	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि.
8.	502/00	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.
9.	502/99	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कॉरपो. लि.
10.	505/94	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं. लि.
11.	506/93	नेशनल जूट मैन्यु. कॉरपोरेशन लि.
12.	502/98	नेपा लि.
13.	504/98	प्रागा टूल्स लि.
14.	503/99	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि.
असफल एवं पुनः प्रारंभ		
1.	507/94	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि.
2.	503/92	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
3.	504/94	सदर्न पेस्टीसाइड्स कॉरपो. लि.
न्यायालय द्वारा स्थगनादेश		
1.	510/92	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कॉरपो. लि.

बंगलादेश में रहने वाले भारतीय

4130. श्री अमर रायप्रधान : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश की सीमा में आने वाले भारतीय एन्क्लेवों में बहुत से भारतीय नागरिक रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन एन्क्लेवों में आकाशवाणी केन्द्र, आदि जैसी सुविधाएं प्रदान कराई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो 31.12.99 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो निकट भविष्य में इन एन्क्लेवों में से किसी में ऐसी सुविधाएं दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन एन्क्लेवों के नाम क्या हैं और ऐसी सुविधाएं कब तक प्रदान की जायेंगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) बांग्लादेश में भारतीय विदेशी अन्तःक्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) बांग्लादेश में भारतीय विदेशी अन्तःक्षेत्रों पर भारत का न तो कोई प्रशासनिक नियंत्रण है और न ही उन तक पहुंच है।

भारतीय सीमेंट निगम (सी.सी.आई.) का कार्य-निष्पादन

4131. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम (सी.सी.आई.) रुग्ण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रुग्णता के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड की कार्य–निष्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए इकाई–वार क्या कदम उठाये गये हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लगातार घाटा होने और धन संकट की समस्याओं तथा अन्य संबंधित कारकों की वजह से रुग्ण हो गई है।

(ग) सीसीआई को बीआईएफआर को संदर्भित किया गया है और बीआईएफआर कंपनी के पुनरुद्धार की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आना

4132. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तेजी से होने के लिए उद्योग का संयुक्त ग्रुप गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या अधिक निवेश किये जाने वाले 37 क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वागत किया गया था जैसाकि हाल ही में प्रधानमंत्री के लिस्बन दौरे से पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो अधिक निवेश किए जाने वाले क्षेत्रों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) 27 जून, 2000 को लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित भारत–यूरोप व्यापार सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह उल्लेख किया है कि एक संयुक्त सरकार–उद्योग समूह गठित किया जायेगा जिसके दो लक्ष्य होंगे – विशिष्ट परियोजना संबंधी कठिनाइयों को दूर करना और इस बात को सुनिश्चित करना कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदन के बाद निवेश राशि अपेक्षाकृत कम फलनावधि में प्राप्त हो।

(ख) और (ग) माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया था कि देश के विभिन्न राज्यों में, निजी निवेश हेतु निर्माण, संचालन व स्वामित्व (बी ओ ओ) तथा निर्माण, संचालन व अन्तरण (बी ओ टी) आधार पर अधिक निवेश किये जाने वाले कतिपय क्षेत्रों का अभिज्ञान किया गया है जिनका विवरण संलग्न है।

विवरण

चार/छः लेनों की आवश्यकता वाले पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों के गैर–एन आई आई डी पी भागों की सूची

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कि.मी. से	कि.मी. तक	से	तक	यातायात (पी सी यू) अधिकतम	यातायात (पी सी यू) न्यूनतम	लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मध्य प्रदेश	3	116.00	324.00	ग्वालियर	गुना	47590	21440	208.00
2.	मध्य प्रदेश	3	324.00	570.00	गुना	देवास	32391	9577	246.00
3.	मध्य प्रदेश	3	0.00	168.30	इन्दौर	जुलवानिया	24209	19637	168.30
4.	महाराष्ट्र	3	257.39	539.50	मालेगांव	भिवडी	47453	26934	282.11
5.	मध्य प्रदेश	6	88.00	310.00	सरायपल्ली	दुग	19049	54827	222.00
6.	मध्य प्रदेश	6	342.00	405.00	राजनन्द गांव	देवरी	29529	45567	63.00
7.	महाराष्ट्र	6	405.00	554.00	देवरी	नागपुर	68077	33849	149.00
8.	महाराष्ट्र	6	0.00	527.60	नागपुर	धुलिया	55389	21198	527.60
9.	महाराष्ट्र	9	0.00	244.12	पुणे	सोलापुर	60878	16060	244.12
10.	कर्नाटक	9	348.72	423.70	मरग	जाहिराबाद	24667	19265	74.98
11.	आंध्र प्रदेश	9	476.00	543.85	सदासपैट	हैदराबाद	70342	25404	67.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	आंध्र प्रदेश	9	0.00	270.30	हैदराबाद	विजयवाड़ा	54803	19343	270.30
13.	हरियाणा	10	29.70	315.55	बहादुरगढ़	मालौत	53718	19111	285.85
14.	पंजाब	10	375.24	424.56	अबोहर	पाक बोर्डर	15885	15885	49.32
15.	उत्तर प्रदेश, राजस्थान	11	0.00	118.00	आगरा	माहवा	27233	17806	118.00
16.	राजस्थान	11	158.00	386.00	घूबी	हर्षवा	54740	15892	228.00
17.	मध्य प्रदेश	12	275.00	311.00	भोपाल	ओबाइदुल्हागा	27929	27828	36.00
18.	राजस्थान	12	0.00	73.00	जयपुर	चक्षु	27661	18044	73.00
19.	महाराष्ट्र, कर्नाटक	13	0.00	290.00	सोलापुर	होसपेट	33695	18597	290.00
20.	कर्नाटक	13	0.00	82.50	चित्रदुर्ग	होसपेट	25218	22215	82.50
21.	पंजाब, राजस्थान	15	0.00	399.67	पठानकोट	श्रीगंगानगर	58052	16914	399.67
22.	राजस्थान	15	0.00	248.65	बीकानेर	श्रीगंगानगर	26029	17669	248.65
23.	राजस्थान, गुजरात	15	0.00	260.00	बीकानेर	लकाडिया	18702	15512	260.00
24.	महाराष्ट्र	17	0.00	72.00	पानवेल	कोलाट	30782	21648	72.00
25.	गोवा	17	0.00	93.80	मापुसा	अंकोला	32857	17520	93.80
26.	कर्नाटक	17	93.80	315.90	अंकोला	उडुपी	63388	20193	222.10
27.	कर्नाटक, केरल	17	0.00	406.70	मंगलौर	कोडुमगलौर	25840	17584	406.70
28.	पंजाब	21	0.00	82.00	चण्डीगढ़	गारामोरा	67298	21387	82.00
29.	हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश	22	0.00	62.60	अम्बाला	परवान	73903	18483	62.60
30.	उड़ीसा	23	211.30	288.00	बीरामरितपुर	बानागढ़	20681	19825	76.70
31.	उत्तर प्रदेश	24	56.00	184.00	हापुड़	रामपर	67037	41131	128.00
32.	उत्तर प्रदेश	24	210.00	499.00	मिलक	लखनऊ	55630	30697	289.00
33.	उत्तर प्रदेश	29	37.00	211.32	सैदपुर	गोरखपुर	21060	16988	174.32
34.	बिहार	30	0.00	230.30	कोघास	बख्तारपुर	25883	25883	230.30
35.	बिहार	31	0.00	476.10	बरही	दालखोला	40188	18736	476.10
36.	बिहार	33	0.00	119.00	बरही	तामार	60790		119.00
37.	पश्चिम बंगाल	34	0.00	200.00	कलकत्ता	बरहामपुर	46958	16207	200.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	पश्चिम बंगाल	34	200.00	452.70	बरहामपुर	दालखोला	25619	18129	252.70
39.	उड़ीसा	42	0.00	147.00	धेंकनाल	नुआता	18718	15717	147.00
40.	मध्य प्रदेश	43	0.00	110.00	रायपुर	चारमा	29238	16805	110.00
41.	आंध्र प्रदेश	43	473.28	563.62	सकी	विजयीनगरम	174711	14156	90.34
42.	तमिलनाडु	45	54.00	198.00	चींगलपेट	उलंदरूपेट	38619	28817	144.00
43.	तमिलनाडु	45	198.00	263.00	उलंदरूपेट	पेरमबलूर	18994	17095	65.00
44.	तमिलनाडु	45	263.00	417.25	परमबलूर	डींडीगुल	27800	20207	154.25
45.	केरल	47	359.20	655.00	कोचीन	कन्याकुमारी	39784	19883	295.80
46.	कर्नाटक	48	27.60	148.00	नीलमंगला	हसन	19150	16927	120.40
47.	महाराष्ट्र	50	144.00	208.65	संगमानेर	नासिक	44489	14285	64.65
48.	महाराष्ट्र	50	12.19	45.00	पुणे	खेड	35059		32.81
						कुल लम्बाई (कि.मी.)			8249.82

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों के लिए वेबसाइट

4133. श्री ब्रह्मानंद मंडल : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को भारतीय पर्यटन–स्थलों और वहां पहुंचने के तरीकों और साधनों के बारे में सूचना देने के लिएं एक वेबसाइट तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस वेबसाइट की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ताकि पर्यटकों को पर्यटन स्थलों से संबंधित सूचना मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो इस वेबसाइट का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) विदेश एवं भारत स्थित भारत सरकार के कुछ पर्यटक कार्यालयों ने अपना वेबसाइट शुरू किया गया है। इनसे विश्व भर के पर्यटक सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

इन वेबसाइटों के अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी, 1999 में एक विरतृत वेबसाइट शुरू किया है। तथापि, वेबमास्टर मेसर्स इनेट इंडिया ने, वेबसाइटों के अनुरक्षण तथा अद्यतन रखने के लिए जिम्मेदार था, मंत्रालय को बिना सूचना दिए अपने को कार्य से हटा लिया। परिणामस्वरूप, विस्तृत "टूरिज्म पोर्टल" के अनुरक्षण तथा विकास के लिए दूसरी एजेंसी को इस कार्य पर लगाने की कार्रवाई की गयी है। इस टूरिज्म पोर्टल में पर्यटन एवं यात्रा संबंधी सभी सूचनाएं उपलब्ध होंगी तथा वह सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में अन्य पर्यटन वेबसाइटों से सम्पर्क कराएगा। इस पोर्टल के लग जाने पर इसका स्वदेशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति

4134. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

श्री सी.पी. राधाकृष्णन :

श्री सुशील कुमार शिन्दे :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

श्री पी.डी. एलानगोवन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2000 से आज तक सरकार/एफ.आई.पी.बी.

द्वारा प्राप्त/स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले परियोजनाओं की क्षेत्र-वार और देश-वार संख्या और ब्यौरा क्या है और उन राज्यों का नाम क्या हैं जिनके लिए उक्त परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना में देश-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि का विदेशी निवेश हुआ है;

(ग) पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान और सितम्बर-दिसम्बर, 1999 में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, इन्टरनेट सेवा, मशीन और उपकरणों का निर्माण और वस्त्रों के निर्यात पर उक्त स्वीकृति का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अन्य क्षेत्रों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और चमड़े के सामानों आदि को शामिल करने के लिए ऐसे और मामलों को स्वीकृत करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) से (ग) सरकार ने जनवरी, 2000 से जून, 2000 के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कुल 1105 वित्तीय और तकनीकी प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है, जिनमें 14,640.06 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है। देश-वार, क्षेत्र-वार और राज्य-वार सूचियां क्रमशः विवरण I, II और III में दी गयी हैं।

जनवरी, 2000- जून, 2000, जनवरी, 1999-जून, 1999 और सितंबर, 1999-दिसंबर, 1999 के दौरान अनुमोदित किये गये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष	अनुमोदनों की संख्या	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (रु. करोड़ में)
2000 (जन.-जून)	1105	14640.06
1999 (जन.-जून)	967	16238.87
1999 (सितंबर-दिसंबर)	850	7826.83

(घ) विशिष्ट क्षेत्रों पर समग्र प्रभाव की सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती।

(ङ) और (च) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण-I

जनवरी 2000 से जून 2000 के दौरान अनुमोदित किये गये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	देश का नाम	अनुमोदनों की संख्या कुल	तकनीकी	वित्तीय	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आस्ट्रेलिया	18	2	16	33.84
2.	आस्ट्रिया	3	1	2	0.10
3.	बहामास	1	0	1	3.10
4.	बहरीन	2	0	2	16.60
5.	बेल्जियम	12	0	12	22.96
6.	बरमडा	6	0	6	8.35
7.	बांग्लादेश	1	0	1	0.53
8.	कनाडा	13	2	11	87.49
9.	केमेन आइलैंड	3	0	3	2.15
10.	चैनल आइलैंड	1	0	1	1.00
11.	चीन	1	1	0	0.00
12.	साइप्रस	3	0	3	1.09
13.	डेनमार्क	14	3	11	10.37
14.	फिनलैंड	1	1	0	0.00
15.	फ्रांस	37	10	27	29.44
16.	जर्मनी	100	31	69	333.76
17.	हांगकांग	18	0	18	48.27
18.	इंडोनेशिया	1	0	1	0.10
19.	आयरलैंड	4	2	2	1.07

1	2	3	4	5	6
20.	आइल आफ मैन	3	0	3	4.31
21.	इजराइल	2	1	1	0.99
22.	इटली	31	16	15	13.87
23.	जापान	47	14	33	736.41
24.	कोरिया (दक्षिणी)	17	3	14	18.00
25.	कुवैत	2	1	1	0.30
26.	लैंटविया	1	0	1	0.10
27.	लक्षमबर्ग	1	0	1	0.00
28.	मलेशिया	7	0	7	7.83
29.	मोरीशस	113	2	111	4209.55
30.	मालदीव	2	0	2	0.15
31.	एन.आर.आई.	110	0	110	580.07
32.	नीदरलैंड	42	4	38	170.50
33.	न्यूजीलैंड	2	1	1	0.05
34.	नार्वे	5	3	2	2.07
35.	पनामा	2	0	2	0.13
36.	पोलैंड	1	1	0	0.00
37.	रोमानिया	1	0	1	0.10
38.	सऊदी अरब	2	0	2	0.20
39.	सिंगापुर	37	5	32	127.10
40.	दक्षिण अफ्रीका	1	0	1	2.50
41.	स्पेन	8	2	6	4.42
42.	श्रीलंका	3	0	3	6.85
43.	स्वीडन	7	3	4	96.58
44.	स्विट्जरलैंड	25	5	20	63.55
45.	ताइवान	5	3	2	5.10
46.	थाइलैंड	4	3	1	0.00
47.	तुर्की	1	0	1	0.22
48.	संयुक्त अरब अमीरात	3	0	3	0.54
49.	इंग्लैंड	84	21	63	291.50
50.	संयुक्त राज्य अमेरिका	262	49	213	2660.63
51.	यूरो निर्गम (जी. डी. आर.)	16	0	16	5011.98
52.	ब्रिटिश वर्जीनिया	3	0	3	3.90
53.	उल्लिखित न किये गये देश	11	0	11	20.15
54.	ईरान	4	0	4	0.33
55.	जॉर्डन	1	0	1	0.06
	योग	1105	190	915	14640.06

विवरण-II

नई नीति की अवधि के बाद (अर्थात् 1.1.2000 से 30.6.2000 तक) की अवधि में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रवार ब्यौरे

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित	कुल राशि
		जोड़	तकनीकी	वित्तीय	एफ.डी.आई. की राशि	का %
1	2	3	4	5	6	7
1.	**धातुकर्मी उद्योग**					
	लौह	9	7	2	0.03	0.00
	विशेष अलोय	4	3	1	0.43	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	खनन सेवा	9	2	7	1751.05	11.96
	विविध (अन्य मद) धातुकर्मी	3	1	2	0.15	0.00
	जोड़	25	13	12	1751.66	11.96
2.	ईंधन					
	विद्युत	17	0	17	1900.81	12.98
	तेल शोधक कारखाना	17	8	9	182.22	1.24
	विद्युत (अन्य)	12	0	12	336.69	2.30
	तेल शोधक कारखाना (अन्य)	14	7	7	19.79	0.14
	अन्य (ईंधन)	2	1	1	0.00	0.00
	जोड़	62	16	46	2439.52	16.66
3.	वैद्युत उपकरण					
	वैद्युत उपकरण	45	19	26	152.46	1.04
	कंप्यूटर साफ्टवेयर उद्योग	268	2	266	3904.45	26.67
	इलेक्ट्रॉनिक	25	3	22	203.37	1.39
	कंप्यूटर हार्डवेयर	1	0	1	0.71	0.00
	अन्य (एस/डब्ल्यू)	3	3	0	0.00	0.00
	जोड़	342	27	315	4261.01	29.11
4.	दूरसंचार					
	दूरसंचार	26	2	24	149.86	1.02
	सेल्युलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा	17	2	15	1407.08	9.61
	दूरसंचार (आई. एण्ड बी.)	15	1	14	101.19	0.69
	अन्य (दूरसंचार)	1	0	1	0.00	0.00
	जोड़	59	5	54	1658.13	11.33
5.	परिवहन उद्योग					
	ऑटोमोबाइल उद्योग	29	5	24	302.09	2.06
	वायु/समुद्री परिवहन	16	3	13	133.62	0.91
	यात्री कारें	3	0	3	100.42	0.69
	ऑटो सहायक सामान/पुर्जे	17	7	10	45.92	0.31

1	2	3	4	5	6	7
	पत्तन	2	0	2	0.49	0.00
	अन्य (परिवहन)	6	1	5	17.29	0.12
	जोड़	73	16	57	599.83	4.10
6.	औद्योगिक मशीनरी	26	13	13	31.90	0.22
7.	मशीनी औजार	5	0	5	0.13	0.00
8.	कृषि मशीनरी	4	0	4	18.00	0.12
9.	अर्थ मूविंग मशीनरी	4	2	2	20.56	0.14
10.	विविध यांत्रिक व अभियांत्रिक	58	22	36	75.67	0.52
11.	वाणिज्य, कार्यालय और घरेलू उपकरण	7	1	6	85.15	0.58
12.	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	5	0	5	47.49	0.32
13.	औद्योगिक उपकरण	4	2	2	1.95	0.01
14.	वैज्ञानिक उपकरण	1	0	1	4.00	0.03
15.	**रसायन (उर्वरक के अतिरिक्त)**					
	रसायन	46	16	30	79.08	0.54
	रंग तथा वार्निश	3	2	1	0.00	0.00
	औद्योगिक गैस	1	1	0	0.00	0.00
	जोड़	50	19	31	79.08	0.54
16.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म और कागज	4	1	3	6.90	0.05
17.	औषध और भेषज	26	8	18	455.75	3.11
18.	वस्त्र (रंगे और छपे सहित)	36	5	31	174.37	1.19
19.	कागज उत्पाद सहित कागज और लुग्दी	2	0	2	120.25	0.82
20.	किशवन उद्योग	2	0	2	0.00	0.00
21.	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**					
	खाद्य उत्पाद	23	3	20	199.09	1.36
	मेराईन उत्पादन	1	1	0	0.00	0.00
	विविध (खाद्य उत्पाद)	2	0	2	1.71	0.01
	जोड	26	4	22	200.80	1.37
22.	साबुन, कास्मेटिक और टायलेट का सामान	3	2	1	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
23.	रबड़ की वस्तुएं	6	2	4	1.34	0.01
24.	चमड़ा/चमड़े का सामान और पिकर्स	7	1	6	0.39	0.00
25.	कांच	6	0	6	8.60	0.06
26.	सिरेमिक	12	2	10	16.10	0.11
27.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	3	0	3	299.65	2.05
28.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	4	0	4	17.14	0.12
29.	रक्षा उद्योग	1	1	0	0.00	0.00
30.	**परामर्शी सेवाएं**					
	डिजाइन और इंजी. सेवाएं	6	0	6	2.20	0.02
	प्रबंधन सेवाएं	24	3	21	16.73	0.11
	विपणन	1	0	1	0.00	0.00
	निर्माण	2	0	2	4.28	0.03
	अन्य (परामर्श सेवाएं)	3	0	3	21.50	0.15
	जोड़	36	3	33	44.70	0.31
31.	**सेवा क्षेत्र**					
	वित्तीय	35	0	35	1066.40	7.28
	गैर–वित्तीय सेवाएं	6	0	6	41.09	0.28
	बैंकिंग सेवाएं	3	0	3	–3.51	–0.02
	अस्पताल और डायग्नोस्टिक केन्द्र	12	3	9	4.90	0.03
	अन्य सेवाएं	4	0	4	3.34	0.02
	जोड़	60	3	57	1112.22	7.60
32.	**होटल व पर्यटन**					
	होटल और रेस्टोरेंट	15	4	11	15.38	0.11
	पर्यटन	9	2	7	36.76	0.25
	अन्य (होटल व पर्यटन)	3	0	3	20.25	0.14
	जोड़	27	6	21	72.39	0.49
33.	**व्यापार**					
	व्यापार (निर्यात के लिए)	12	0	12	12.38	0.08

1	2	3	4	5	6	7
	व्यापार (कार्यकलाप)	8	0	8	50.10	0.34
	ई--कामर्स	15	0	15	468.59	3.20
	जोड़	35	0	35	531.08	3.63
34.	**विविध उद्योग**					
	बागवानी	3	0	3	19.55	0.13
	कृषि	8	0	8	14.69	0.10
	पुष्प खेती	4	1	3	0.10	0.00
	हीरा	2	0	2	1.79	0.01
	आभूषण और सोना	1	0	1	1.50	0.01
	निर्माण कार्य--कलाप	9	1	8	8.47	0.06
	चाय/कॉफी	2	0	2	317.25	2.17
	पुस्तकों आदि की छपाई	2	1	1	0.42	0.00
	कॅयर	4	1	3	2.19	0.01
	अन्य (विविध उद्योग)	49	12	37	138.34	0.94
	जोड़	84	16	68	504.31	3.44
	जोड़	1105	190	915	'14640.06	

विवरण-III

जनवरी, 2000 से जून, 2000 तक अवधि में अनुमोदित विदेशी सहयोग और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों, के राज्यवार ब्यौरे।

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (रुपये करोड़ में)	प्रतिशत
	जोड़	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	72	8	64	698.29	4.77
बिहार	3	1	2	20.50	0.14
गुजरात	34	21	13	19.40	0.13
हरियाणा	34	13	21	22.58	0.15
हिमाचल प्रदेश	3	1	2	0.35	0.00
कर्नाटक	110	18	92	1026.94	7.01
केरल	12	3	9	12.70	0.09

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	8	4	4	60.67	0.41
महाराष्ट्र	298	61	237	5209.93	35.59
उड़ीसा	2	1	1	0.00	0.00
पंजाब	9	2	7	9.88	0.07
राजस्थान	8	3	5	49.76	0.34
तमिलनाडु	145	19	126	2770.84	18.93
उत्तर प्रदेश	41	10	31	298.43	2.04
पश्चिम बंगाल	32	10	22	195.45	1.34
अंडमान और निकोबार	1	0	1	0.00	0.00
चंडीगढ़	3	0	3	1.55	0.01
दादरा और नगर हवेली	2	2	0	0.00	0.00
दिल्ली	153	7	146	825.01	5.64
गोवा	7	0	7	2.00	0.01
पांडिचेरी	7	3	4	0.90	0.01
दमन और दीव	3	0	3	2.11	0.01
राज्य जिनका उल्लेख नहीं किया गया है	118	3	115	3412.76	23.31
जोड़	1105	190	915	14640.05	

[हिन्दी]

चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करना

4135. **श्री उत्तमराव ढिकले :**

मोहम्मद शहाबुद्दीन :

श्री चन्द्र विजय सिंह :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी आयातकों की तुलना में घरेलू चीनी उत्पादकों को समान अवसर प्रदान करने हेतु चीनी उद्योग को कुछ हद तक नियंत्रण मुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन मुख्य कदमों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को चीनी निर्यात का अधिकार देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) महाजन समिति ने, अन्य बातों के साथ–साथ, चीनी के चरणबद्ध विनियंत्रण की सिफारिश की है। इस मंत्रालय ने समिति की उक्त सिफारिश की जांच की है और सरकार का निर्णय शीघ्र ही घोषित कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार ने लाइसेंसिंग वर्ष 2000–2001 के दौरान चीनी फैक्ट्रियों और आयातकों द्वारा 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है जो कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) में पंजीकृत होने के अधीन होगा।

[अनुवाद]

मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरनेशनल बिजनेस

4136. श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, (आईआईएफटी) प्रति वर्ष "मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरनेशनल बिजनेस" पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उक्त पाठ्यक्रम हेतु कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत किए गए और उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति थे और कुल संख्या में उनका प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति पर्याप्त संख्या में उक्त पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) आईआईएफटी के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में मास्टर्स प्रोग्राम के अपेक्षित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	कुल	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	
		संख्या	प्रतिशत
1998	78	11	14.10
1999	91	14	15.38
2000	92	11	11.95

(ग) और (घ) यह कमी इस तथ्य के कारण रही कि दाखिले के लिए पर्याप्त संख्या में अनु.जाति/अनु. जनजाति के अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया। इसके अलावा, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिकांश निर्धारित अंकों में 10% तक की कमी करने के बाद भी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके।

व्यापार मेलों में भारत की भागीदारी

4137. श्री जी. जे. जावीया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने वर्ष 1999–2000 के दौरान कितने व्यापार मेलों और कितने देशों में भारत की सहभागिता का आयोजन किया था;

(ख) क्या भारत के भाग लेने से इसकी व्यापारिक स्थिति में सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो व्यापार विकास प्राधिकरण के भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में विलय के बाद पिछले वर्षों की तुलना में उक्त अवधि के दौरान वास्तविक रूप से कितना कारोबार हुआ ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1999–2000 के दौरान, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) ने विदेशों में 49 मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी की। शामिल देश हैं – जर्मनी, हांगकांग, जिम्बाबे, स्विट्जरलैंड, बुलगारिया, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएसए, तुर्की, सिरिया, फ्रांस, स्पेन, रूस, इरान, उगांडा, अल्जीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, ईराक, पेरू, मिश्र, पनामा, जापान, फिलिपीन, तथा मोरिशस।

(ख) जी, हां।

(ग) पूर्व व्यापार विकास प्राधिकरण का भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के साथ विलय हो जाने के पश्चात् आईटीपीओ द्वारा किए गए संवर्धनात्मक क्रियाकलापों की संख्या में वृद्धि हुई है और भारतीय व्यापार एवं उद्योग द्वारा इन आयोजनों में भागीदारी बढ़ी है। व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से सृजित व्यापार की सही मात्रा बताना कठिन है क्योंकि इनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है और भागीदारों द्वारा ऐसे आंकड़े उपलब्ध करवाने के बारे में आमतौर पर अनिच्छा रहती हैं। तथापि, आईटीपीओ द्वारा आयोजित इन आयोजनों में बढ़ी भागीदारी का स्तर इनकी उपयोगिता का स्पष्ट संकेत है।

[हिन्दी]

रुग्ण चाय बागान

4138. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' तथा कुछ निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे चाय बागान रुग्ण हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन चाय बागानों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रुग्ण चाय बागानों को फिर से चालू करने तथा इनका पुनर्गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड (टीटीसीआई) एमटीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो पश्चिम बंगाल और असम

राज्य के पांच चाय बागानों के प्रशासनिक कार्य का प्रबंध करती है। इस कंपनी को घाटा होने के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और यह अपने दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ रही है। दिनांक 31.1.1997 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी की कुल देयता लगभग 36 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। टीटीसीआई प्रबंधन ने कंपनी को बंद करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। यह मामला न्यायालय में लंबित है। टीटीसीआई की आर्थिक स्थिति खराब है और कंपनी के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने बागानों की पुनरुद्धार करने के लिए निधियों का सृजन कर सके।

वर्ष 1998 के अंत में चाय बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, मुख्यतः असम की बराक घाटी और पश्चिम बंगाल की लगभग 46 चाय बागानों को रुग्ण/कमजोर पाया गया है। इन चाय बागानों की रुग्णता/कमजोर स्थिति के मुख्य कारण हैं—स्वामित्व विवाद, प्रबंधकीय कमी, वित्तीय कुप्रबंधन और दीर्घकालिक मुकदमे। रुग्ण/कमजोर चाय बागानों का पुनरुद्धार और नवीकरण के उद्देश्य से, चाय बोर्ड ने निम्नानुसार लाभ प्रदान किए हैं :

- किसी नए प्रबंधन द्वारा रुग्ण चाय बागानों को अपने अधिकार में लेने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान में अंशदान देने से छूट;
- वित्तीय सहायता के लिए ऐसे बागानों के आवेदनों पर विचार करना भले ही उनकी संचित भविष्य निधि देयता 10,000 रुपए से अधिक हो (नियमित बागानों के लिए सामान्य) परिस्थिति में बोर्ड की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होती है यदि बकाया भविष्य निधि देयता 10,000/—रुपए से अधिक है);
- नए प्रबंधन द्वारा कार्यभार ग्रहरण करने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए तकनीकी सहायता का लाभ लेने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें चाय अनुसंधान एसोसिएशन की सदस्यता में रियायत देना;
- बोर्ड की चालू योजनाओं के अधीन विगत में लिए गए सभी ऋणों के संबंध में बकाया देयता के पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन अवधि को बढ़ाना।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में आकाशवाणी/दूरदर्शन

4139. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य—वार कितने दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र निर्माणाधीन हैं;

(ख) पूर्वोत्तर में निर्माणाधीन दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और प्रसारण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) इन केन्द्रों के निर्माण कार्य पूरा होने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) देश में कार्यान्वयनाधीन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन स्टेशनों/केन्द्रों का राज्य—वार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) इन परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चरणबद्ध रूप से पूरा किए जाने/चालू किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ग) कुछ परियोजनाएं मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा स्थल देरी से सौंपने, विद्युत आपूर्ति एवं पहुंच मार्ग जैसी आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध न होने तथा स्थानीय कानून और व्यवस्था की समस्याओं आदि के कारण निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	1
4.	बिहार	1
5.	दिल्ली	3
6.	गोवा	शून्य
7.	गुजरात	6
8.	हरियाणा	1
9.	जम्मू और कश्मीर	6
10.	कर्नाटक	5
11.	केरल	3
12.	मध्य प्रदेश	5

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	5
14.	मणिपुर	4
15.	मेघालय	3
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	3
19.	पंजाब	शून्य
20.	राजस्थान	3
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	5
23.	त्रिपुरा	5
24.	उत्तर प्रदेश	4
25.	पश्चिम बंगाल	3
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	स्टूडियो	ट्रांसमीटर (डीडी-1)	परियोजनाओं की संख्या (डीडी-2)
1	2	3	4	5
1.	असम		1	–
2.	आंध्र प्रदेश	1	18	1
3.	अरुणाचल प्रदेश		4	–
4.	बिहार	1	6	4
5.	गोवा			1
6.	गुजरात	1	2	3
7.	हरियाणा			1
8.	हिमाचल प्रदेश		7	1
9.	जम्मू और कश्मीर	1	75	6
10.	केरल	2	6	2
11.	कर्नाटक		13	1
12.	मध्य प्रदेश	–	13	1
13.	मेघालय			
14.	महाराष्ट्र		8	2
15.	मणिपुर		1	–
16.	मिजोरम		2	–
17.	नागालैंड		1	–
18.	उड़ीसा	1	4	2
19.	पंजाब	1	2	1
20.	राजस्थान	1	10	4
21.	सिक्किम	1	1	–
22.	तमिलनाडु	2	7	2
23.	त्रिपुरा		3	1
24.	उत्तर प्रदेश	1	14	9
25.	पश्चिम बंगाल		5	2
26.	दिल्ली	1		
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
28.	दमन एवं दीव			
29.	पांडिचेरी		1	–
30.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह			
31.	चंडीगढ़	1		
32.	दादरा एव नगर हवेली			
	कुल	15	204	44

कॉफी/चाय/इलायची/काली मिर्च का उत्पादन

4140. श्री विक्रम केशरी देव : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कॉफी, चाय, इलायची और काली मिर्च के कुल उत्पादन में पिछले वर्ष से बढ़ोतरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के उत्पादन में परम्परागत और गैर-परम्परागत उत्पादक राज्यों का कितना योगदान है;

(ग) इन वस्तुओं के विश्व—बाजार में व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था की नीतियों के आने के बाद से उक्त वस्तुओं के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जहां कॉफी और काली मिर्च के उत्पादन में वृद्धि हुई है, वहां चाय और मोटी इलायची के उत्पादन में पिछले वर्ष से कमी आई है।

(ख) पिछले वर्ष कॉफी, चाय, मोटी इलायची तथा काली मिर्च के उत्पादन में परम्परागत/गैर—परम्परागत उपज करने वाले राज्यों का योगदान निम्नानुसार है :

कॉफी

परम्परागत राज्य — कर्नाटक (71.6%), केरल (20.7%), तमिलनाडु (6.6%)

गैर—परम्परागत राज्य—आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य (1.1%)

चाय

परम्परागत राज्य— असम (51.4%), पश्चिम बंगाल (22.38%) तमिलनाडु (15.54%), केरल (8.42%)

गैर—परम्परागत राज्य — उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्य (2.26%)।

मोटी इलायची और काली मिर्च : परम्परागत अथवा गैर—परम्परागत के रूप में राज्यों का वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन मदों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा आय के बराबर रुपए निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

	1998—99	1999—2000
कॉफी	1752	1896
चाय	1291	1796
इलायची (छोटी)	25.21	27.60
काली मिर्च	638.11	864.98

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान इलायची, काली मिर्च, चाय तथा कॉफी के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा के बराबर अनुमानित रुपए निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

मद	1998—99	1999—2000
इलायची (छोटी)	8.38	4.34*
इलायची (बड़ी)	14.32	7.28*
काली मिर्च	39.56	29.69*
चाय	64.71	59.00
कॉफी	9.00	9.00

*अप्रैल—सितम्बर, 99

पर्यटन उद्योग को घाटा

4141. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन उद्योग को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विशेषकर राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर जिले में पर्यटन स्थलों के लिए उपलब्ध कराई जा रही/प्रस्तावित निधियों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है और इस प्रकार देश में पर्यटन उद्योग को लाभार्जन हो रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय से पर्यटन उद्योग का सकारात्मक विकास परिलक्षित होता है। पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(करोड़ रु. में)

1997	1998	1999
10,725.64	11,950.78	13,041.81

(ग) और (घ) प्रारूप पर्यटन नीति में देश में पर्यटन विकास को प्रमुखता दी गई है। पर्यटन का विकास मुख्यतः राज्य/संघ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, तथापि केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य/संघ राज्य सरकारो के साथ परामर्श करके विशिष्ट पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। चालू नौंवी योजना

के पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य के लिए 712.03 लाख रुपए की 49 पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें से 50.37 लाख रुपए की 4 पर्यटन परियोजनाएं राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबद्ध है। सूची विवरण स्वरूप संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
	वर्ष 1997-98	
1.	सवाई माधोपुर स्थिति कैसल झूमर बावरी का उन्नयन	23.35
2.	मंगलवार में मार्गस्थ सुविधाएं	21.31
3.	भरतपुर स्थित दीघ किले का सौंदर्यीकरण	3.20
4.	टोंक स्थित सुनहरी कोठी का सौंदर्यीकरण	4.00
5.	जैसलमेर किले के रानी के महल का सौंदर्यीकरण	9.20
6.	अमेर स्थित पैलेस काम्पलैक्स का संरक्षण और सौंदर्यीकरण	13.30
7.	जयपुर स्थित नाहरगढ़ किले का सौंदर्यकरण	14.00
8.	जैसलमेर किले की चारदिवारी	12.97
9.	पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी में सुविधाओं का उन्नयन	28.00
10.	बीकानेर पर्व	1.00
11.	नागौर पर्व	1.00
12.	डेजर्ट फैस्टीवल	2.00
13.	बूंदी पर्व	1.00
14.	मारवाड़ पर्व	1.00
	कुल जोड़ (1997–98)	135.33
		(क) 135.33
	वर्ष 1998-99	
1.	पुष्कर घाट तीर्थ स्थल का समेकित विकास	51.65
2.	हदोटी क्षेत्र (बूंदी और कोटा के निकट) के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों का समेकित विकास	82.00
3.	पुष्कर रोड़ अजमेर स्थित विश्राम स्थली का समेकित विकास	46.70
4.	माउंट आबू स्थित शिखर टूरिस्ट बंगले का उन्नयन	25.00
5.	सरिस्का स्थित टूरिस्ट बंगले का उन्नयन	18.00
6.	गंगौर, जयपुर स्थित टूरिस्ट बंगले का उन्नयन	15.00
7.	खादीम, अजमेर स्थित टूरिस्ट बंगले का उन्नयन	5.00
8.	जोधपुर स्थित टूरिस्ट बंगले का उन्नयन	25.00
9.	सिलीशेर, अल्वर जिला स्थित लेक पैलेस होटल का उन्नयन	17.65
10.	कजरी, उदयपुर स्थित टूरिस्ट बंगले का उन्नयन	25.00
11.	बैहरोर, अल्वर जिले के मुख्य मार्ग का उन्नयन	13.55
12.	जैसलमेर स्थित मूमल टूरिस्ट बंगले का उन्नयन	25.00
13.	पाली स्थित म्यूजियम के लॉनों तथा शौचालयों का विकास	3.20
14.	विराटनगर स्थित मुगल गेट स्थल पर शौचालय सुविधा और जल–आपूर्ति सहित भू–सुन्दरीकरण	3.20
15.	जयपुर स्थित चन्द्रावती में शौचालय तथा जल–आपूर्ति सहित विकास कार्य	3.20
16.	जैसलमेर स्थित म्यूजियम स्थल पर सामान्य शौचालय सुविधा तथा जल–आपूर्ति व्यवस्था एवं लॉनों का विकास कार्य	3.20
17.	कोटा स्थित म्यूजियम स्थल पर सामान्य शौचालय और लॉनों का विकास	3.20
18.	भरतपुर स्थित म्यूजियम स्थल पर सामान्य शौचालय और भू–सुन्दरीकरण कार्य	7.72
19.	मंदौर स्थित म्यूजियम स्थल पर सामान्य शौचालय और विकास कार्य की परियोजना	3.20
20.	आमेर, जयपुर में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	54.00

1	2	3
21.	शिल्पग्राम उत्सव	2.50
22.	आमेर स्थित अकबर के किले में सामान्य शौचालय और लॉनों का विकास	3.31
23.	रानी के महल का सौंदर्यकरण	9.20
	कुल जोड़ (1998–99)	445.48
	(ख)	445.48
	वर्ष 1999-2000	
1.	नागौर स्थित अमरसिंह राठौर की छतरी का निर्माण और विकास कार्य	13.33
2.	जयपुर स्थित महारानी की छतरी का सौंदर्यकरण	05.37
3	धौलपुर स्थित तालाब शाही बाडी स्थल पर शौचालय सुविधा का निर्माण	01.25
4.	चितौड़गढ़ स्थित सरकारी म्यूजियम स्थल पर शौचालय सुविधा का निर्माण तथा जल–आपूर्ति व्यवस्था	01.88
5.	गतोर की छतरी का सौंदर्यकरण	01.97
6.	जयपुर स्थित हवामहल का सौंदर्यकरण	18.00
7.	मंडोर स्थित सैनोटाप्स का संरक्षण	20.00
8.	जयपुर स्थित जन्तर मंतर का सौंदर्यकरण	13.30
9.	सागर अल्वर स्थित मोसी रानी सैनोटाप्स का विकास तथा उपलब्ध सुविधाओं का विकास	13.30
10.	अजमेर स्थित तारागढ़ के सीढ़ियों का विकास	09.33
11.	चुरू जिले के सलसार धाम तीर्थ केन्द्र का विकास	12.79
12.	अतीशया स्थित श्री दिगम्बर जैन तीर्थ केन्द्र का विकास	20.70
	कुल जोड़ (1999–2000)	131.22
	(ग)	131.22
	कुल जोड़ (क)+(ख)+(ग)	712.03

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

4142. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है और कितनी कम्पनियां पंजीकृत की गई हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत सी गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं लोगों का पैसा हड़प कर अब अपनी संस्था बंद कर चुकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) वर्ष 1997 में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में हुए संशोधन के अनुसरण में जून, 2000 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास 9,130 गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियां पंजीकृत हुई हैं। उन गैर–बैंककारी वित्तीय क़ंपनियों की संख्या पांच है जिनका रजिरट्रेशन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने भारतीय रिजर्व बैंक को अगस्त, 1999 में गायब हो गई 80 कंपनियों की सूची उपलब्ध कराई है जिनमें से 27 प्रथमदृष्टया गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियां जैसी थीं। यह पाया गया कि इन 27 गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों में से 3 ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने के पश्चात् अपने कार्यालय का स्थान बदल दिया था और तदनुसार ही उनके रजिस्ट्रेशन को अनुमोदित किया गया है। ग्यारह कंपनियों के आवेदन पहले ही रद्द किए जा चुके हैं और शेष 13 कंपनियों के नाम जिन पर संदेह था कि वे रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए/रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिए बगैर गैर–बैंककारी वित्तीय कारोबार में लिप्त थे, समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य की पुलिस को भेजे गए हैं। उपलब्ध अतिरिक्त जानकारी के अनुसार, 18 और गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों को भी गायब कंपनियों की सूची में शामिल किया गया था। इन 18 गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों में से 8 के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी और यह सूचित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र (सीओआर) को रद्द कर दिया है दो गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन नहीं किया और एक गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनी अब गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनी नहीं रही है।

समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापन

4143. श्री सुनील खां :

प्रो. रासा सिंह रावत :

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री बाबूभाई के. कटारा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचारपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति और मानदंड नियत किए गए हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान अंग्रेजी, स्थानीय भाषाओं की पत्रिकाओं तथा समाचारपत्रों (आवधिक) में सरकारी विज्ञापनों का अनुपात क्या है;

(ग) अंग्रेजी, स्थानीय भाषाओं की पत्रिकाओं और समाचारपत्रों में विज्ञापनों हेतु पृथकतः कितनी धनराशि दी गई है और विज्ञापनों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं की पत्रिकाओं में विज्ञापनों के निर्धारण के मामलों में भिन्नता के क्या कारण हैं;

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे, मझोले आकार के समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की क्या नीति है;

(च) पत्र सूचना कार्यालय/जनसंपर्क विभाग को मजबूत करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है;

(छ) समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को जारी की गई अग्रिम धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या विज्ञापन निकालने में कोई भेदभाव पाया गया है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वि. एवं दृ.प्र.नि.) विभिन्न समाचारपत्रों/पत्रिकाओं में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की ओर से विज्ञापन प्रकाशित करता है। उन समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी नहीं किए जाते हैं जो साम्प्रदायिक मनोभावों को उत्तेजित करते हों या उत्तेजित करने का प्रयास करते हों, हिंसा का प्रचार करते हों, भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता को ठेस पहुंचाते हों, या सार्वजनिक शालीनता तथा नैतिकता के सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य मानकों का उल्लंघन करते हों।

सरकारी विज्ञापनों हेतु समाचारपत्रों/प्रकाशनों का चयन करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :

(1) विशेष रूप से राष्ट्रीय अभियानों के मामले में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के दर्शकों संबंधी कवरेज।

(2) प्रेषित किए जाने वाले संदेश पर निर्भर करते हुए विभिन्न वर्गों के लोगों तक पहुंच/प्रेरक/शिक्षाप्रद अभियानों के संबंध में लघु तथा मध्यम समाचारपत्रों को प्रमुखता दी जाती है।

(3) अन्य श्रेणी के समाचारपत्र/पत्रिकाएं/प्रकाशन जिन्हें सरकार समय–समय पर यथार्थपूर्ण कारणों से उपयुक्त समझें।

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों संबंधी संहिता की मुख्य विशेषताएं विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान अंग्रेजी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को जारी सरकारी विज्ञापनों का स्थान–वार अनुपात क्रमशः 23.81% तथा 25.83% था। 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान स्थानीय भाषायी पत्रिकाओं एवं समाचारपत्रों का हिस्सा क्रमशः 76.19% तथा 74.17% था।

(ग) वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान अंग्रेजी और स्थानीय भाषायी पत्रिकाओं एवं समाचारपत्रों के लिए विज्ञापनों हेतु नियत राशि निम्नानुसार है :

	1998–99	1999–2000
अंग्रेजी	27.34 करोड़ रुपए	36.50 करोड़ रुपए
स्थानीय भाषायी	37.68 करोड़ रुपए	44.60 करोड़ रुपए

वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान जारी विज्ञापनों की संख्या क्रमशः 17443 तथा 21155 थी।

(घ) अंग्रेजी और स्थानीय भाषायी समाचारपत्रों में विज्ञापनों को नियत करने संबंधी मामलों में कोई भिन्नता नहीं है। समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन प्रचार अपेक्षाओं, लक्षित दर्शकों एवं क्षेत्र तथा बजटीय प्रावधानों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

(ङ) प्रेरक और सामाजिक–आर्थिक विषयों से संबंधित प्रदर्शन विज्ञापनों के मामले में लघु और मध्यम समाचारपत्रों, विशेष रूप से भाषायी समाचारपत्रों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ताकि ये जिलों तथा अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। वि. एवं दृ.प्र.नि. के पैनल में शामिल करने के मामले में पिछड़े, सीमावर्ती या दूरवर्ती क्षेत्रों से प्रकाशित अथवा मुख्य रूप से जनजातीय पाठकों के लिए नियत जनजातीय भाषाओं में प्रकाशित और जम्मू तथा

कश्मीर से प्रकाशित एवं प्रति अंक 500 प्रतियों के न्यूनतम प्रदत्त परिचालन वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को छूट दी जाती है। संस्कृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं एवं विशिष्ट/समाचारपत्रों को समान छूट दी जाती है।

(च) नौवीं योजना में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा ईटानगर में अपना शाखा कार्यालय स्थापित करने की अनुमोदित स्कीम है। संचार नेटवर्क को सुदृढ़ करने की दृष्टि से "पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण" संबंधी स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। "मिनी मीडिया सेन्टरों की स्थापना के माध्यम से पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालयों के आधुनिकीकरण" नामक स्कीम के अन्तर्गत प.सू.का. के कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

(छ) विज्ञापनों के लिए समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को कोई अग्रिम प्रदान नहीं किया जाता है।

(ज) जी, नहीं।

(झ) और (ञ) ऊपर भाग (ज) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन संबंधी संहिता की प्रमुख विशेषताएं

दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन संबंधी संहिता की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

1. विज्ञापन देश के कानूनों के अनुरूप होने चाहिए और नैतिकता, शालीनता एवं लोगों की धार्मिक भावनाओं के विपरीत नहीं होने चाहिए।

2. निम्नलिखित प्रकार के विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी जाएगी :

   (1) जो किसी प्रजाति, जाति, रंग, पंथ तथा राष्ट्रीयता का उपहास उड़ाते हों;

   (2) जो भारत के संविधान में निहित नीति–निदेशक सिद्धांतों या अन्य प्रावधानों के विरुद्ध हों;

   (3) जो लोगों में अपराध की भावना उत्पन्न करें, जिनसे हिंसा या अव्यवस्था उत्पन्न हो अथवा कानून का उल्लंघन हो या किसी भी तरह हिंसा या अश्लीलता को महिमा–मंडित किया गया हो;

   (4) आपराधिकता को वांछनीयता के रूप में प्रस्तुत किया जाए;

   (5) विदेशों के साथ मैत्री संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़े;

   (6) राष्ट्रीय चिन्ह अथवा संविधान के किसी हिस्से या राष्ट्रीय नेता या राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुचित प्रयोग किया गया हो;

   (7) सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों, शराब तथा अन्य मद्य पदार्थों से संबंधित हो या उन्हें प्रोत्साहित करते हों;

   (8) महिलाओं के चित्रण के मामले में, सभी नागरिकों को प्राप्त स्थिति एवं अवसर की समानता और प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा जैसी सांविधिक गारंटियों का उल्लंघन करते हों। विशेष रूप से महिलाओं की अपमानजनक छवि को प्रस्तुत करने वाले किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिलाओं को इस तरह प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए कि उनके वश्य और अकर्मण्य गुणों पर अधिक बल दिया जाए और उन्हें परिवार तथा समाज में अधीनस्थ, गौण भूमिका अदा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। पुरुषों तथा महिलाओं के चित्रण से पारस्परिक अनादर की भावना को प्रोत्साहन न मिले। विज्ञापक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं का चित्रण सुरुचिपूर्ण एवं सौन्दर्यपरक हो और सुरुचि तथा शालीनता के सुस्थापित मानकों के अनुसार हो।

3. किसी भी विज्ञापन में निहित संदेश को समाचार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

4. ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसके उद्देश्य पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति के हों; विज्ञापनों का कोई धार्मिक या राजनीतिक प्रयोजन नहीं होना चाहिए अथवा वे किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित होने चाहिए।

5. विज्ञापित वस्तुओं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उल्लेखानुसार कोई दोष या कमी नहीं होनी चाहिए।

6. ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो; अथवा उनमें हानिकारक कार्यकलापों के प्रति रुचि पैदा होती हो या उन्हें भीख मांगते हुए अथवा अपमानजनक या अशोभनीय रूप से दिखाया जाए।

7. किसी भी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ नहीं होने चाहिए जिनसे आम जनता द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाए कि विज्ञापित उत्पाद या उसके किन्हीं अवयवों में ऐसे कुछ विशेष या चमत्कारी अथवा अलौकिक गुण हैं जिन्हें सिद्ध करना कठिन हो जैसे कि गंजेपन का इलाज, स्किन वाइट्नर आदि।

8. विज्ञापन की पिक्चर और श्रव्य सामग्री अधिक तीव्र नहीं होनी चाहिए।

9. ऐसे किसी विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो आकाशवाणी तथा टेलीविजन प्रसारण संहिता का उल्लंघन करता हो जिसे नीचे उद्घृत किया जाता है :–

(1) मित्र देशों की आलोचना;

(2) धर्मों या सम्प्रदायों पर आक्षेप;

(3) कोई भी अश्लील या अपमानजनक बात;

(4) हिंसा को प्रेरित करने वाली या कानून एवं व्यवस्था के प्रतिकूल कोई बात;

(5) न्यायालय की अवमानना;

(6) राष्ट्रपति तथा न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा की निन्दा;

(7) देश की अखण्डता को प्रभावित करने वाली कोई बात; और

(8) नाम से किसी व्यक्ति की आलोचना।

10. सभी विज्ञापनों में अशोभनीय, अश्लील, अभिव्यंजक, घृणास्पद या आपत्तिजनक विषयों अथवा निरूपण का समावेश नहीं होना चाहिए।

विदेशी दौरों पर व्यय

4144. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री और मंत्रियों के विदेशी दौरों पर प्रतिवर्ष कितना व्यय हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

पुनरीक्षित आईपीपी व्यवस्था

4145. श्री रामजी लाल सुमन :

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री जय प्रकाश :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जुलाई, 2000 के "द हिन्दु में "डाउट्स रेस्ड् ओवर न्यू इंडस्ट्रियल इंडेक्स" शीर्षक से प्रकाशि समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने औद्योगिक उत्पादन विकार दर का सूचकांक निर्धारित करने वाले आधार वर्ष को बदल दिया है

(ग) यदि हां, तो क्या इस बदलाव के बाद सरकार द्वारा तैया किए गए संशोधित सूचकांक के कारण औद्योगिक कार्यनिष्पादन के संबंध में परस्पर विरोधी तथ्य सामने आ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस नई व्यवस्था के विरुद्ध संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो ये संदेह किस प्रकार के हैं और इनका स्रोत क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने हाल ही में थोक बिक्री मूल्य सूचकांक क आधार वर्ष संशोधित करके 1981–82 से 1993–94 कर दिया है थोकबिक्री मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष के इस संशोधन के कारण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 1993–94=100) क परिकलन करने के लिए अप्रैल, 1994 से और इसके बाद नये अपस्फीतिकारकों का प्रयोग किया गया है।

(ग) जी, नहीं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा 12 जुलाई, 2000 को जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमानों के अनुसार, माह अप्रैल, 2000 के लिए उद्योग की समग्र विकास दर सी.एस.ओ. द्वारा 12 जून, 2000 के प्रेस नोट में सूचित की गयी पहले की 12.2% की तुलना में संशोधित करके 5.7% कर दी गयी थी। माह अप्रैल, 2000 की उद्योग की विकास दर में यह संशोधन, उत्पादन एककों की अधिक प्रतिक्रिया के आधार पर

स्रोत एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पादन के आंकड़ों में संशोधन के कारण हुआ है। औद्योगिक उत्पादन के संशोधन में माह अप्रैल और मई, 2000 में औद्योगिक निष्पादन के संबंध में सही तथ्यात्मक स्थिति दर्शायी गयी है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) सरकार उचित समय पर आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की आंकड़ा संग्रहण तथा सूचना प्रणाली की निगरानी कर रही है।

जम्मू और कश्मीर में 'सिडबी' की भूमिका

4146. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में 'सिडबी' की क्या भूमिका है;

(ख) सिडबी द्वारा मुहैया कराये गये ऋण से राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार कितनी लघु उद्योग इकाइयां स्थापित की गईं/पुनरुद्धार किया गया;

(ग) क्या सिडबी का विचार राज्य में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त पोषण योजनाओं के माध्यम से बैंक लघु क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। बैंक ने जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम (जेकेएसएफसी) और जम्मू और कश्मीर लघु उद्योग विकास निगम (जेकेएसआईडीसी) को विशेष रियायतें दी हैं।

सिडबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर में पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त लघु उद्योग एककों की संख्या, मंजूर तथा संवितरित ऋण निम्नानुसार हैं :

(रुपए लाख में)

वर्ष	सहायता प्राप्त एककों की संख्या	मंजूर राशि	संवितरित राशि
1997–98	544	1683	1290
1998–99	567	2020	1684
1999–00	877	1790	1690

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से सिडबी ऋण अभि–नियोजन के नए क्षेत्रों की पहचान कर रहा है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में अवसंरचनात्मक विकास हेतु विश्व बैंक से ऋण

4147. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक से उड़ीसा में विशेषकर महाचक्रवात से प्रभावित राज्य के तटीय जिलों में अवसंरचनात्मक विकास हेतु अधिक धनराशि प्रदान करने हेतु संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारत सरकार ने उड़ीसा चक्रवात शमन तथा पुनर्निर्माण परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु उसके समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस परियोजना को एक संशोधन द्वारा वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है जो विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना से सम्बद्ध है तथा जिसकी लागत 46.00 मिलियन अमरीकी डालर है। प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में तकनीकी विचार–विमर्श 7 जून, 2000 को भारत सरकार तथा विश्व बैंक के मध्य सम्पन्न हुआ।

उड़ीसा राज्य राजमार्ग परियोजना पर इस समय विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी सहायता परियोजना ऋण सं. 4114–इन के अधीन कार्रवाई चल रही है।

तथापि, वर्तमान में उक्त वर्णित परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु विश्व बैंक द्वारा कोई वचनबद्धता नहीं दी गयी है।

रुग्ण और बंद पड़ी चीनी मिलें

4148. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

श्री राजो सिंह :

श्री निखिल कुमार चौधरी :

श्री बृजलाल खाबरी :

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में चल रही चीनी मिलों के नाम क्या हैं और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार रुग्ण और बंद चीनी मिलों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा रुग्ण/बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) राज्य–वार और क्षेत्र–वार उन चीनी मिलों का उनकी उत्पादन क्षमता सहित ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है जिन्होंने 1999–2000 मौसम के दौरान कार्य किया है।

(ख) 30.6.2000 को स्थिति के अनुसार देश में बीआईएफआर के पास पंजीकृत रुग्ण चीनी मिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या विवरण–II में दी गई है। देश में बंद चीनी मिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या विवरण–III में दी गई है।

(ग) चीनी उद्योग की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- 1.1.2000 से लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी के अनुपात को 40:60 से बदल कर 30:70 कर दिया गया है।
- 9.2.2000 से आयातित चीनी पर शुल्क बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।
- आयातित चीनी को रिलीज व्यवस्था के अधीन लाया गया है।
- 17.2.2000 से आयातकों के पास पड़े आयातित चीनी के स्टॉक पर 30% की दर से लेवी लगाई गई है।
- 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त, बंद पड़ी चीनी मिलों को स्वयं जीवनक्षम/पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाएं तैयार करनी होंगी और संबंधित संस्थानों से उन्हें मंजूर करवाना होगा। पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से उनकी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ब्याज की रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

विवरण-I

देश में संस्थापित चीनी मिलों का राज्य–वार, क्षेत्र–वार, नाम तथा स्थान दर्शाने वाला विवरण (20.6.2000 को स्थिति)

क्रम सं.	फैक्ट्री का नाम तथा स्थान	क्षेत्र	चीनी उत्पादन क्षमता (लाख टन)
1	2	3	4
1.	दी सरस्वती शुगर मिल्स, डाकखाना–यमुनानगर, जिला–अम्बाला	निजी	1.126
2.	दी हरियाणा सहकारी शुगर मिल्स लि., डाकखाना–रोहतक, जिला–रोहतक	सहकारी	0.246
3.	दी पानीपत सहकारी शुगर मिल्स लि., पानीपत, जिला–पानीपत	सहकारी	0.253
4.	दी करनाल सहकारी शुगर मिल्स लि., करनाल, जिला–करनाल	सहकारी	0.176
5.	सोनीपत सहकारी शुगर मिल्स लि. सोनीपत, जिला–सोनीपत	सहकारी	0.176
6.	शाहाबाद सहकारी शुगर मिल्स लि., शाहाबाद, तहसील–धानेश्वर जिला–कुरूक्षेत्र	सहकारी	0.176
7.	दी जीन्द सहकारी शुगर मिल्स लि., तहसील एवं जिला–जीन्द	सहकारी	0.176
8.	दी पलवल सहकारी शुगर मिल्स लि., तहसील–पलवल, जिला–फरीदाबाद	सहकारी	0.176
9.	दी कैथल सहकारी शुगर मिल्स लि., कैथल, जिला–कुरूक्षेत्र	सहकारी	0.352
10.	दी महम सहकारी शुगर मिल्स लि., महम, जिला–रोहतक	सहकारी	0.352
11.	दी भूना सहकारी शुगर मिल्स लि., भूना, तहसील–फतेहाबाद, जिला–हिसार	सहकारी	0.352

1	2	3	4
12.	मै. पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लि., सेक्टर–17–ए, एस.सी.ओ. 40–41, चंडीगढ़, स्थान इंद्री जिला–करनाल	निजी	0.352
13.	मै. नारायणगढ़ शुगर मिल्स लि., नारायणगढ़, जिला–अम्बाला	निजी	0.352
	पंजाब		
14.	दी मोरीन्डा सहकारी शुगर मिल्स लि., मोरीन्डा, जिला–रोपड़	सहकारी	0.314
15.	ओसवाल एग्रो मिल्स लि., फगवाड़ा, जिला–कपूरथला	निजी	0.349
16.	भगवानपुरा शुगर मिल्स लि. धूरी, जिला–संगरूर	निजी	0.349
17.	दी भोगपुर सहकारी शुगर मिल्स लि., भोगपुर जिला–जालंधर	सहकारी	0.142
18.	दी दोआबा सहकारी शुगर मिल्स लि., नवांशहर, जिला–जालंधर	सहकारी	0.349
19.	दी बटाला सहकारी शुगर मिल्स लि., बटाला, जिला–गुरदासपुर	सहकारी	0.209
20.	गुरदासपुर सहकारी शुगर मिल्स लि., (पनिआर), जिला–गुरदासपुर	सहकारी	0.175
21.	जीरा सहकारी शुगर मिल्स लि., जीरा, जिला–फिरोजपुर	सहकारी	0.349
22.	मै. फाजिल्का सहकारी शुगर मिल्स लि., फाजिल्का, जिला–फिरोजपुर	सहकारी	0.175
23.	मै. पटियाला सहकारी शुगर मिल्स लि., गांव रखड़ा, तहसील एवं जिला–पटियाला	सहकारी	0.175
24.	मै. बुढ़ेवाल सहकारी शुगर मिल्स लि., दोराहा, तहसील–समराला, जिला–लुधियाना	सहकारी	0.175
25.	मै. तरन तारन सहकारी शुगर मिल्स लि., सिरोन, तहसील–तरन तारन, जिला–अमृतसर	सहकारी	0.175
26.	मै. राना शुगर मिल्स लि., बटर–सयान, तहसील–बाबा–बकाला, जिला–अमृतसर	निजी	0.698
27.	मै. सतलुज सहकारी शुगर मिल्स लि., तहसील–नकोदर, जिला–जालंधर	सहकारी	0.175
28.	दी जगरांव सहकारी शुगर मिल्स लि., हथूर, कमलपुर, जिला–लुधियाना	सहकारी	0.349
29.	दी बुधलाडा सहकारी शुगर मिल्स लि., तहसील–मन्सा, जिला–भटिंडा	सहकारी	0.349
30.	दी अजनाला सहकारी शुगर मिल्स लि., भालापिंड, तहसील–अजनाला, जिला–अमृतसर	सहकारी	0.349
31.	दी फरीदकोट सहकारी शुगर मिल्स लि., रोरी, चटसिंहवाला, जिला–फरीदकोट	सहकारी	0.349

1	2	3	4
32.	ओसवाल शुगर्स लि., मुकेरियां, जिला–होशियारपुर	निजी	0.349
33.	मै. पिकाडिली शुगर्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि., पटरान, तहसील–समाना, जिला–पटियाला	निजी	0.349
34.	मै. नाहर शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि., अमलोह, तहसील–नाभा, जिला–पटियाला	निजी	0.349
35.	मै. दी पंजाब स्टेट फेडरेशन ऑफ कोप. शुगर मिल्स लि., स्थान और तहसील–दसूया, जिला–होशियारपुर	सहकारी	0.349
	उत्तर प्रदेश		
36.	दी मोदी इंडस्ट्रीज लि., मोदीनगर जिला–गाजियाबाद	निजी	0.332
37.	दी सिंभौली शुगर मिल्स प्रा. लि., सिंभौली, जिला–गाजियाबाद	निजी	0.664
38	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट–मोहीउद्दीनपुर, जिला–मेरठ	सार्वजनिक क्षेत्र	0.332
39.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., मलियाना, जिला–मेरठ	सार्वजनिक क्षेत्र	0.162
40.	दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, जिला–मेरठ	निजी	0.598
41.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट–सखौटी टांडा, जिला–मेरठ	सार्वजनिक क्षेत्र	0.199
42.	मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, जिला–मेरठ	निजी	0.564
43.	दी बागपत सहकारी शुगर मिल्स लि., बागपत, जिला–मेरठ	सहकारी	0.332
44.	दी रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि., रमाला, जिला–मेरठ	सहकारी	0.332
45.	दी त्रिवेणी इंजिनियरिंग वर्क्स लि., शुगर यूनिट दी अपर इंडिया शुगर मिल्स, खतौली, जिला–मेरठ	निजी	1.328
46.	मंसूरपुर शुगर मिल्स लि., मंसूरपुर जिला–मुजफ्फरनगर	निजी	0.332
47.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., रोहाना–कलां, डाकखाना–रोहाना मिल्स, जिला–मुजफ्फरनगर	सार्वजनिक क्षेत्र	0.223
48.	दी अपर दोआब शुगर मिल्स लि., शामली, जिला–मुजफ्फरनगर	निजी	0.664
49.	दी गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., तहसील–जानसठ, जिला–मुजफ्फरनगर	सहकारी	0.332
50.	मोनेट इंडस्ट्रीज लि., उन, तहसील कैराना, जिला–मुजफ्फरनगर	निजी	0.332
51.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., पन्नीनगर जिला–बुलंदशहर	सार्वजनिक क्षेत्र	0.332
52.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., अनूपशहर, जिला–बुलंदशहर	सहकारी	0.332
53.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., डोइवाला, जिला–देहरादून	सार्वजनिक क्षेत्र	0.332
54.	गंगेश्वर लि. देवबंद, जिला–सहारनपुर	निजी	1.328
55.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट–सहारनपुर जिला–सहारनपुर	सार्वजनिक क्षेत्र	0.332

1	2	3	4
56.	किसान सहकारी चीनी फैक्ट्री लि., सरसावा, जिला–सहारनपुर	सहकारी	0.332
57.	शाकुम्बरी शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि., स्थान टोडर (राघर), जिला–सहारनपुर	निजी	0.332
58.	राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स (प्रा.) लि., लक्सर, जिला–हरिद्वार	निजी	0.465
59.	दी महालक्ष्मी शुगर मिल्स कं. लि., इकबालपुर जिला–हरिद्वार	निजी	0.398
60.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., ननौता, जिला–सहारनपुर	सहकारी	0.332
61.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट–बिजनौर, जिला–बिजनौर	सार्वजनिक क्षेत्र	0.332
62.	अपर गंगेज शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि., सिहोरा, जिला–बिजनौर	निजी	0.486
63.	दी धामपुर शुगर मिल्स लि., धामपुर जिला–बिजनौर	निजी	1.195
64.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., चांदपुर, जिला–बिजनौर	सार्वजनिक क्षेत्र	0.266
65.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., स्नेह रोड, फजलपुर नजीबाबाद, जिला–बिजनौर	सहकारी	0.332
66.	द्वारिका शुगर इंडस्ट्रीज लि., बुंदकी, जिला–बिजनौर	निजी	0.664
67.	दी अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर जिला–मुरादाबाद	निजी	0.332
68.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट–अमरोहा, जिला–मुरादाबाद	सार्वजनिक क्षेत्र	0.398
69.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., गजरौला, जिला–मुरादाबाद	सहकारी	0.332
70.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट–रामपुर, जिला–रामपुर	सार्वजनिक क्षेत्र	0.404
71.	रूद्र बिलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., बिलासपुर, जिला–रामपुर	सहकारी	0.266
72.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., बरेली, जिला–बरेली	सार्वजनिक क्षेत्र	0.135
73.	दी केसर इंटरप्राइजिज लि., बहेरी, जिला–बरेली	निजी	0.465
74.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सेमी खेड़ा, तहसील और जिला–बरेली	सहकारी	0.332
75.	रोजा शुगर वर्क्स लि., (प्रोप. अवध शुगर मिल्स लि.), रोजा, जिला–शाहजहांपुर	निजी	0.332
76.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., तिलहर, जिला–शाहजहांपुर	सहकारी	0.332
77.	एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज लि., पीलीभीत, जिला–पीलीभीत	निजी	0.332
78.	दी किसान सहकारी चीनी फैक्ट्री लि., मझौला, जिला–पीलीभीत	सहकारी	0.266
79.	बिसालपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., बिसालपुर जिला–पीलीभीत	सहकारी	0.332
80.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., तहसील–पूरनपुर, जिला–पीलीभीत	सहकारी	0.332

1	2	3	4
81.	डी.एस.एम. शुगर (काशीपुर) लि., काशीपुर, जिला—नैनीताल	निजी	0.664
82.	दी बाजपुर सहकारी चीनी फैक्ट्री लि., बाजपुर, जिला—नैनीताल	सहकारी	0.398
83.	किच्छा शुगर कं. लि. किच्छा, जिला—नैनीताल	सार्वजनिक क्षेत्र	0.398
84.	किसान सहकारी चीनी मिल्स — लि., राजापुर पूरनपुर—नदेही, डाक—जसपुर, जिला—नैनीताल	सहकारी	0.266
85.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., तहसील—सितारगंज, जिला—नैनीताल	सहकारी	0.332
86.	दी नियोली शुगर फैक्ट्री, मनपूरनीगरिया, नियोली, जिला—एटा	निजी	0.332
87.	दी अवध शुगर मिल्स लि., हरगांव, जिला—सीतापुर	निजी	0.664
88.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., महौली, जिला—सीतापुर	सार्वजनिक क्षेत्र	0.202
89.	दी सेक्सरिया बिसवां शुगर फैक्ट्री लि., बिसवां, जिला—सीतापुर	निजी	0.664
90.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., महमूदाबाद, जिला—सीतापुर	सहकारी	0.332
91.	बजाज हिन्दुस्तान लि., गोला गोकरननाथ, जिला—खीरी	निजी	0.637
92.	दी गोबिन्द शुगर मिल्स लि., डाकखाना—ऐरा एस्टेट, जिला—खीरी	निजी	0.664

1	2	3	4
93.	दी सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि., बेलरायां, जिला—खीरी	सहकारी	0.332
94.	बजाज हिन्दुस्तान लि. पालियाकलां, जिला—खीरी	निजी	0.332
95.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सम्पूर्णानगर, तहसील—निगासन, जिला—लखीमपुर खीरी	सहकारी	0.332
96.	*उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., हरदोई, जिला—हरदोई	सार्वजनिक क्षेत्र	0.243
97.	दी यूनाइटेड प्रोविन्सेस शुगर कं. लि., स्योराही, जिला—पडरौना	निजी	0.332
98.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट—बेतालपुर, जिला—देवरिया	सार्वजनिक क्षेत्र	0.121
99.	*कानपुर शुगर वर्क्स लि., डाकखाना—गौरीबाजार, जिला—देवरिया	निजी	0.098
100.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट—देवरिया, जिला—देवरिया	सार्वजनिक क्षेत्र	0.128
101.	दी कनोरिया शुगर एंड जनरल मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि., कप्तानगंज, जिला—पडरौना	निजी	0.664
102.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., डाक. राजाबाजार यूनिट—खड्डा, जिला—पडरौना	सार्वजनिक क्षेत्र	0.166
103.*	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., छितौनी, जिला—पडरौना	सार्वजनिक क्षेत्र	0.108
104.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट लक्ष्मीगंज, जिला—देवरिया	सार्वजनिक क्षेत्र	0.119

1	2	3	4
105.	गंगेश्वर लि., यूनिट—रामकोला, जिला—देवरिया	निजी	0.332
106.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट—रामकोला, जिला—देवरिया	सार्वजनिक क्षेत्र	0.105
107.*	कानपुर शुगर वर्क्स लि., पडरौना, जिला—पडरौना	निजी	0.239
108.*	कानपुर शुगर वर्क्स लि., कठकुंइया, जिला—देवरिया	निजी	0.133
109.	दी प्रतापपुर शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि., प्रतापपुर, जिला—देवरिया	निजी	0.332
110.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट—भटनी, जिला—देवरिया	सार्वजनिक क्षेत्र	0.135
111.*	सराया शुगर मिल्स (प्रा.) लि., सरदारनगर जिला—गोरखपुर	निजी	0.425
112.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., पिपराइच, जिला—गोरखपुर	सार्वजनिक क्षेत्र	0.108
113.*	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., घुघली, जिला—महाराजगंज	सार्वजनिक क्षेत्र	0.135
114.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., सिसवा बाजार, जिला—महाराजगंज	सार्वजनिक क्षेत्र	0.332
115.*	स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कं. लि., आनंदनगर, जिला—महाराजगंज	निजी	0.162
116.*	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., मुंडेरवा, जिला—बस्ती	सार्वजनिक क्षेत्र	0.094
117.	दी बस्ती शुगर मिल्स कं. लि. डाकखाना—जिला बस्ती	निजी	0.332
118.	गोविन्दनगर शुगर लि., डाकखाना—कलक्टरगंज, जिला—बस्ती	निजी	0.108
119.*	खलीलाबाद शुगर मिल्स (प्रा.) लि., खलीलाबाद, जिला—बस्ती	निजी	0.093
120.	दी बलरामपुर चीनी मिल्स लि., बभनान, जिला—गोंडा	निजी	0.7304
121.*	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., नवाबगंज, जिला—गोंडा	सार्वजनिक क्षेत्र	0.202
122.	बलरामपुर चीनी मिल्स लि., बलरामपुर जिला—गोंडा	निजी	1.328
123.	तुलसीपुर शुगर कं., लि. तुलसीपुर, 0.664 जिला—गोंडा		निजी
124.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट—बाराबंकी, जिला—बाराबंकी	सार्वजनिक क्षेत्र	0.332
125.	सरस्वती किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., नानपारा, जिला—बहराइच	सहकारी	0.332
126.*	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट—बाराबंकी, जिला—बाराबंकी	सार्वजनिक क्षेत्र	0.133
127.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट—बुढ़वल, बाराबंकी	सार्वजनिक क्षेत्र	0.108
128.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट—शाहगंज, जिला—जौनपुर	सार्वजनिक क्षेत्र	0.135
129.	कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स प्रा. लि., डाकखाना—मोतीनगर, जिला—फैजाबाद	निजी	0.332
130.	काशी सहकारी चीनी मिल्स लि., ओराई, जिला—वाराणसी	सहकारी	0.166
131.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., रसड़ा, जिला—बलिया	सहकारी	0.166

1	2	3	4
132.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., कायमगंज, जिला—फरूखाबाद	सहकारी	0.166
133.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सठियान, जिला—आजमगढ़	सहकारी	0.166
134.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., घोसी, जिला—मऊ	सहकारी	0.332
135.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., डाकखाना—साथ, हरदेवगंज, जिला—अलीगढ़	सहकारी	0.166
136.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., बदायूं, जिला—बदायूं	सहकारी	0.166
137.	छाता शुगर कं. लि., डाकखाना छाता, जिला—मुथरा	सार्वजनिक क्षेत्र	0.332
138.	नंदगंज सिहोरी शुगर कं. लि., दरियापुर जिला—रायबरेली	सार्वजनिक क्षेत्र	0.166
139.*	नंदगंज सिहोरी शुगर कं. लि., पो.ऑ.—नंदगंज, जिला—गाजीपुर	सार्वजनिक क्षेत्र	0.166
140.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सुल्तानपुर, अवध	सहकारी	0.166
141.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., गदरपुर, जिला—नैनीताल	सहकारी	0.332
142.	घाटमपुर शुगर कं. लि., तहसील—घाटमपुर जिला—कानपुर	सार्वजनिक क्षेत्र	0.166
143.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., पोवायां, जिला—शाहजहांपुर	सहकारी	0.166

1	2	3	4
144.	चड्ढा चीनी मिल्स प्रा. लि., धनौरा, जिला—मुरादाबाद	निजी	0.332
145.	श्रीराम इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजिज लि. तितावी, जिला—मुजफ्फरनगर	निजी	0.664
146.	धामपुर शुगर मिल्स लि., रोजागांव, तहसील—राम स्नेही घाट, जिला—बाराबंकी	निजी	0.332
147.	वीनस शुगर लि., मझावली (भारतरा), तहसील—सम्बल, जिला—मुरादाबाद	निजी	0.332
148.	विलार्ड इंडिया लि., शुगर डिवीजन (अगौता शुगर एंड केमिकल्स), अगौता, जिला—बुलंदशहर	निजी	0.332
149.	डालमिया सीमेंट (भारत) लि., (यूनिट—रामगढ़ चीनी मिल्स), तहसील—मिसरिख, जिला—सीतापुर	निजी	0.332
150.	धामपुर शुगर मिल्स लि., असमोली, तहसील—सम्भल जिला—मुरादाबाद	निजी	0.332
151.	किटप्लाई इंडस्ट्रीज लि., रूपापुर, जिला—हरदोई	निजी	0.332
152.	जे.के. इंडस्ट्रीज लि., मीरगंज, जिला—बरेली	निजी	0.332
153.	इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लि., मैजापुर, जिला—गोंडा	निजी	0.332
154.*	चिलवरिया शुगर एंड केमिकल्स लि., चिलवरिया, जिला—बहराइच	निजी	0.332

1	2	3	4
155*	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स फेडरेशन, धुरियापार, ब्लाक–उरवा, जिला–गोरखपुर	सहकारी	0.332
156.	ओसवाल ओवरसीज लि., नवाबगंज, जिला–बरेली	निजी	0.332
157.	घाघरा शुगर लि., अजबापुर जिला–लखीमपुर खीरी	निजी	0.332
158.	एस.बी.ई.सी. शुगर लि., मलकपुर तहसील बड़ौत, जिला बागपत	निजी	0.332
159.	तिकौला शुगर मिल्स लि., तिकौला, तहसील जनसाठ, जिला मुजफ्फरनगर	निजी	0.332
160.	दया शुगर, नयाबांस, तहसील गागलहेरी, जिला सहारनपुर	निजी	0.332
161.	दिवान शुगर्स लि., अगवानपुर जिला मुरादाबाद	निजी	0.332
162.	कमलापुर शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि., कमलापुर, जिला सीतापुर	निजी	0.332
163.	जे.एच.वी. शुगर कॉरपोरेशन लि., गडौरा, तहसील निचलौल, जिला महाराजगंज	निजी	0.332
	बिहार		
164.*	बिहार राज्य चीनी निगम लि., लोहट, जिला मधुबनी	सार्व. क्षेत्र	0.125
165.*	बिहार राज्य चीनी निगम लि., सकरी, जिला मधुबनी	सार्व. क्षेत्र	0.077
166.*	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., यूनिट रियाम, जिला दरभंगा	सार्व. क्षेत्र	0.087
167.	न्यू इंडिया शुगर मिल्स लि., हसनपुर रोड़, पो. हसनपुर शुगर मिल्स, जिला समस्तीपुर	निजी	0.125
168.*	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., समस्तीपुर यूनिट, जिला समस्तीपुर	सार्व. क्षेत्र	0.076
169*	दि मोतीपुर शुगर फैक्ट्री (प्रा.) लि., मोतीपुर जिला मुजफ्फरपुर	निजी	0.115
170.	रिघा शुगर कं. लि., रिघा, जिज़ा सीतामढ़ी	निजी	0.236
171.*	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., यूनिट गरौल, जिला वैशाली	सार्व. क्षेत्र	0.077
172.	मै. मोतीहारी चीनी उद्योग लि., लीज ऑफ मै. ईस्टर्न शुगर्स इंडस्ट्रीज लि., मोतीहारी, जिला ईस्ट चम्पारण	निजी	0.165
173.	मोतीलाल पदमपत उद्योग लि., मझौलिया, जिला वेस्ट चम्पारण	निजी	0.236
174.*	चम्पारण शुगर क. लि., चनपतिया, जिला वेस्ट चम्पारण	निजी	0.151
175.*	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., लौरिया, जिला वेस्ट चम्पारण	सार्व. क्षेत्र	0.153
176.	बगहा चीनी मिल्स लि., पो. नारायणपुर जिला वेस्ट चम्पारण	निजी	0.236
177.	दि अवध शुगर मिल्स लि., नरकटियागंज, जिला वेस्ट चम्पारण	निजी	0.472
178.	हरिनगर शुगर मिल्स लि., हरिनगर, जिला वेस्ट चम्पारण	निजी	0.661
179.*	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., सुगौली, जिला ईस्ट चम्पारण	सार्व. क्षेत्र	0.086
180.*	चम्पारण शुगर कं. लि., बाराचकिया, जिला ईस्ट चम्पारण	निजी	0.088
181.*	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., प्रो. न्यू सिवान, जिला सिवान	सार्व. क्षेत्र	0.086

1	2	3	4
182.*	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि. पो. सिवान, जिला सिवान	सार्व.क्षेत्र	0.067
183.*	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., पो. मीरगंज, जिला गोपालगंज	सार्व. क्षेत्र	0.168
184.	भारत शुगर मिल्स लि., सिधवलिया, जिला गोपालगंज	निजी	0.165
185.	सासा मूसा शुगर वर्क्स (प्रा.) लि., सामा मूसा, जिला गोपालगंज	निजी	0.165
186.	दि विष्णु शुगर मिल्स लि., पो. विष्णु शुगर मिल्स, जिला गोपालगंज	निजी	0.236
187.*	कानपुर शुगर वर्क्स लि. मढ़ौरा, जिला सारण	निजी	0.089
188.*	बिहार राज्य चीनी निगम लि., यूनिट गरारू, जिला गया	सार्व. क्षेत्र	0.082
189.*	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., यूनिट वारीसालीगंज, जिला नवादा	सार्व. क्षेत्र	0.067
190.*	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., बनमंखी, जिला पूर्णिया	सार्व. क्षेत्र	0.096
191.*	दि बिहार राज्य चीनी निगम लि., यूनिट बिहटा, जिला पटना	सार्व. क्षेत्र	0.162
	महाराष्ट्र		
192.	पांडुरंग एस.एस.के. लि., पो. श्रीपुर, जिला शोलापुर	सहकारी	0.4348
193.	दि ससवाडमाली शुगर फैक्ट्री लि., पो. मालीनडार जिला शोलापुर	निजी	0.3043
194.	सहाकार महर्षि शंकरराव मोहिते पाटिल एस.एस.के. लि., अकलुज, जिला शोलापुर	सहकारी	0.7826
195.	श्री शंकर एस.एस.के. लि., सदाशिवनगर, जिला शोलापुर	सहकारी	0.4348

1	2	3	4
196.	श्री सिद्धेश्वर एस.एस.के. लि., कुमाथे, पो. टिकावाडी, जिला शोलापुर	सहकारी	0.3478
197.	विठ्ठल एस.एस.के. लि., गुरसाले, ता. पंडारपुर जिला शोलापुर	सहकारी	0.6086
198.	भीमा एस.एस.के. लि., सिकन्दर तकली, तह. माहोल, जिला शोलापुर	सहकारी	0.4348
199.	भोगवती एस.एस.के. लि., इरले वैराग ता. बारसी, जिला शोलापुर	सहकारी	0.2174
200.	श्री संत दोमाजी एस.एस.के. लि., शिरानादागी तालुक करमाली, जिला शोलापुर	सहकारी	0.4348
201.	मै. आदीनाथ एस.एस.के. लि., लावे भालवानी, तहसील करमाला, जिला शोलापुर	सहकारी	0.4348
202.	दि रावलगांव शुगर फार्म लि., रावलगांव, जिला नासिक	निजी	0.3478
203.*	गिरना एस.एस.के. लि., पो. भावसाहेबनगर, जिला नासिक	सहकारी	0.2608
204.	कर्मवीर काकासाहेब वाघ एस.एस.के. लि., रनवाड़ ता. निफाड़, जिला नासिक	सहकारी	0.2174
205.	गडवा एस.एस.के. लि., मतेरवाड़ी, ता. दिनडोरी, जिला नासिक	सहकारी	0.2174
206.	नासिक एस.एस.के. लि., पालसे, जिला नासिक	सहकारी	0.2174
207.	वसन्तराव दादा एस.एस.के. लि., विधेवाड़ी (लोहनेर), जिला नासिक	सहकारी	0.4348
208.*	श्री चांमडे शुगर मिल्स लि., चांगदेवनगर, जिला अहमदनगर	निजी	0.1414

1	2	3	4
209.	दी कोपरगांव एस.एस.के. लि., कोलपेवाड़ी, जिला अहमदनगर	सहकारी	0.3826
210.	निफाड एस.एस.के. लि., पो. भावसाहेबनगर, जिला नासिक	सहकारी	0.6086
211.	चन्द्रभागा एस.एस.के. लि., भलवानी, जिला शोलापुर	सहकारी	0.4348
212.	दि प्रवारा एस.एस.के. लि., प्रवारानगर, जिला अहमदनगर	सहकारी	0.6956
213.	अशोक एस.एस.के. लि., अशोकनगर, पो. श्रीरामपुर जिला अहमदनगर	सहकारी	0.4521
214.	श्री गणेश एस.एस.के. लि., गणेशनगर, पो. रजनगांव खुर्द, जिला अहमदनगर	सहकारी	0.3043
215.	दि संजीवनी (तकली) एस.एस.के. लि., ता. कोपरगांव, जिला अहमदनगर	सहकारी	0.3652
216.	दि राहुरी एस.एस.के. लि., पो. राहुरी फैक्ट्री, जिला अहमदनगर	सहकारी	0.5652
217.	दि श्रीगोंडा एस.एस.के. लि., पो. श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर	सहकारी	0.3478
218.	संगमनेर भाग एस.एस.के. लि., अमृतनगर ता. संगमनेर जिला अहमदनगर	सहकारी	0.6086
219.	दानेश्वर एस.एस.के. लि., ता. नेवासा, जिला अहमदनगर	सहकारी	0.5217
220.	श्री जगदम्बा एस.एस.के. लि., रशीन, तहसील करजाट, जिला अहमदनगर	सहकारी	0.1397
221.	श्री वृद्धेश्वर एस.एस.के. लि., पो. वृद्धेश्वर साखर कारखाना ता. वथारडी, जिला अहमदनगर (पिम्पलगांव)	सहकारी	0.4348
222.	दि मूला एस.एस.के. लि., सोनाई, ता. नेवासा, जिला अहमदनगर	सहकारी	0.4348
223.	पारनेर तालुका एस.एस.के. लि., पारनेर जिला अहमदनगर	सहकारी	0.2174
224.	मै. भाऊसाहेब महादेव हांडे अगस्ती एस.एस.के. लि., जामगांव, तहसील अकोला, जिला अहमदनगर	सहकारी	0.4348
225.	भोगवती एस.एस.के. लि. शाहूनगर पो. पराते, जिला कोल्हापुर	सहकारी	0.3478
226.	दि कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लि., कसौड़ा, भवाडा, जिला कोल्हापुर	निजी	0.3826
227.	श्री पंचगंगा एस.एस.के. लि., गंगानगर, इचलकरन्जी, जिला कोल्हापुर	सहकारी	0.8696
228.	श्री वर्ना एस.एस.के. लि., पो. वर्नानगर, जिला कोल्हापुर	सहकारी	0.6956
229.	कुंभी केसरी एस.एस.के. लि., कुदीतरे ता. कारवीर, जिला कोल्हापुर	सहकारी	0.5217
230.	श्री दूधगंगा वेदगंगा एस.एस.के. लि., बिदरी, पो. मौनीनगर ता. कागल, जिला कोल्हापुर	सहकारी	0.6086
231.	श्री दत्ता एस.एस.के. लि., असुरले, ता. पन्हाला, जिला कोल्हापुर	सहकारी	0.4348
232.	श्री दत्ता एस.एस.के. लि., सिरोल, जिला कोल्हापुर	सहकारी	0.8696
233.	दौलत सेतकारी एस.एस.के. लि., पो. हलकारनी, ता. चंडगाड जिला कोल्हापुर	सहकारी	0.3478

1	2	3	4
234.	गांधीगलाज ता. एस.एस.के. लि., ता. गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर	सहकारी	0.2174
235.	छत्रपति शाहू एस.एस.के. लि., कागल, जिला कोल्हापुर	सहकारी	0.4348
236.	जवाहर शेतकारी एस.एस.के. लि., हुपारी, ता. हतकांगले, जिला कोल्हापुर	सहकारी	0.4348
237.	इंदापुर एस.एस.के. लि., बीजावाडी ता. इंदापुर, जिला पुणे	सहकारी	0.3092
238.	श्री छत्रपति एस.एस.के. लि., भवानीनगर ता. इंदापुर, जिला पुणे	सहकारी	0.4348
239.	दि मालेगांव एस.एस.के. लि., मालेगांव बी.के., जिला पुणे	सहकारी	0.3478
240.	श्री सोमेश्वर एस.एस.के. लि., पो. सोमेश्वरनगर, जिला पुणे	सहकारी	0.4348
241.	यशवंत एस.एस.के. लि., चिन्तामणिनगर, पो. थेऊर जिला पुणे	सहकारी	0.6086
242.	भीमा एस.एस.के. लि., पटास, ता. डाउंड, जिला पुणे	सहकारी	0.4348
243.	विघ्नहर एस.एस.के. लि., जूनार, जिला पुणे	सहकारी	0.4348
244.	रजद एस.एस.के. लि., निफाड़े, ता. भोर, जिला पुणे	सहकारी	0.1767
245.	भगोर एस.एस.के. लि., पो. रघुनाथनगर, जिला औरंगाबाद	सहकारी	0.3478
246.	सिद्धेश्वर एस.एस.के. लि., सिलोड, जिला औरंगाबाद	सहकारी	0.3478

1	2	3	4
247.	दि कन्नड एस.एस.के. लि., कन्नाड़, जिला औरंगाबाद	सहकारी	0.4348
248.	दि विनायक एस.एरा.के. लि., परसोडा, ता. वैजापुर जिला औरंगाबाद	सहकारी	0.2174
249.	श्री संत एकनाथ एस.एस.के. लि., पैथन, जिला औरंगाबाद	सहकारी	0.4348
250.	श्री नामदेव राव बी. गडकर, देयगिरी एस.एस.के. लि., फुलंबरी, ता. तथा जिला औरंगाबाद	सहकारी	0.4348
251.	कृष्णा एस.एस.के. लि., रेथारे बुडरूक, पो. शिवनगर, जिला सतारा	सहकारी	0.8696
252.	श्रीराम एस.एस.के. लि., पलटन, जिला सतारा	सहकारी	0.2261
253.	न्यू फल्टन शुगर्स वर्क्स लि., ता. फलटन पो. शाखरवाड़ी, . जिला सतारा	निजी	0.2608
254.	किसानवीर सतारा एस.एस.के. लि., भूंज, ता. वाई, जिला सतारा	सहकारी	0.3478
255.	बालासाहेब देसाई एस.एस.के. लि., दौलतनगर मराली, ता. पटन जिला सतारा	सहकारी	0.2174
256.	किसानवीर सतारा एस.एस.के. यशवंतनगर ता. करोड़, जिला सतारा	सहकारी	0.8696
257.	अजिक्यात्रा एस.एस.के. लि., शेन्द्रे जिला सतारा	न्हकारी	0.4348
258.	वसन्तदादा शेतकारी एस.एस.के. लि., पो. और जिला सांगली	सहकारी	0.8696

1	2	3	4
259.	गोदावरी मनार एस.एस.के. लि., शंकरनगर, पो. रामतीर्थ, जिला नानदेड़	सहकारी	0.4348
260.	मै. शंकर एस.एस.के. लि., फूलेनगर तह. भोकर, जिला नानदेड़	सहकारी	0.2174
261.*	श्री पंजारकन एस.एस.के. लि., भादने, ता. सकरी, जिला धूलिया	सहकारी	0.2174
262.	श्री सतपुड़ा तापी परिसर एस.एस.के. लि., ता. सहारा, पो. पुरुषोत्तमनगर, जिला धूलिया	सहकारी	0.6086
263.*	मै. संजय एस.एस.के. लि., शूले, सिंदखेड़ा, अमलनेर लि. विजयनगर ता. और जिला धुले	सहकारी	0.2174
264.	शीरपुर सेतकारी एस.एस.के. लि., डाहीवाड़ ता. शीरपुर जिला धुले	सहकारी	0.4348
265.	जीजामाता एस.एस.के. लि., दूसारबीड़, ता. महकर जिला बुलढाना	सहकारी	0.2174
266.	वसन्त एस.एस.के. लि., पुसाड़, जिला यवतमाल	सहकारी	0.4348
267.*	मै. जय किसान एस.एस.के. लि., बोडेगांव, तह. दरवाह, जिला यवतमाल	सहकारी	0.4348
268.	राजराम बापू पाटिल एस.एस.के. लि., राजारामनगर, पो. सखराले, ता. वाल्वा, जिला सांगली	सहकारी	0.6956
269.	विश्वास एस.एस.के. लि., यशवंतनगर, पो. चिखाली, ता. सिराला जिला सांगली	सहकारी	0.2174

1	2	3	4
270.	हुतात्मा किसान अहीर एस.एस.के. लि., वाल्वे, जिला सांगली	सहकारी	0.2174
271.	यशवंत एस.एस.के. लि., नागेवाड़ी, ता. खानापुर, जिला सांगली	सहकारी	0.2174
272.	महाकाली एस.एस.के. लि., कवाथे, महाकाली, जिला सांगली	सहकारी	0.2174
273.	तसगांव ता. एस.एस.के. लि., तसगांव (त्रुची पहाटा) पो. त्रुची ता. तसगांव, जिला सांगली	सहकारी	0.4782
274.	धामनगंगा एस.एस.के. लि., सुनारसिद्धनगर जिला सांगली	सहकारी	0.2174
275.	तेरना शेतकारी एस.एस.के. लि., तेरनानगर, ता. धोकी, जिला उस्मानाबाद	सहकारी	0.3826
276.	कलाम्बर विभाग एस.एस.के. लि., कलाम्बर पो. गांधीनगर जिला नानदेड़	सहकारी	0.2174
277.	मै. श्री शंकर शेतकारी एस.एस.के. लि., गांव मंगरूल, जिला यवतमाल	सहकारी	0.2174
278.	दि अम्बाजोगई एस.एस.के. लि., पो. अम्बा साखर, ता. अम्बा जोगई, जिला बीड	सहकारी	0.2174
279.	जय भवानी एस.एस.के. लि., गोराय, जिला बीड	सहकारी	0.4348
280.	काडा एस.एस.के. लि., काडा ता. अशति, जिला बीड	सहकारी	0.2174
281.	गजानन को. शुगर फैक्ट्री लि., स्थान ता. और जिला बीड	सहकारी	0.2174

1	2	3	4
282.	मधुकर एस.एस.के. लि., पो. फैजपुर, जिला जलगांव	सहकारी	0.2174
283.*	वसंत एस.एस.के. लि., कसोडा, जिला जलगांव	सहकारी	0.2174
284.	बेलगंगा एस.एस.के. लि., ता. चालीसगांव, जिला जलगांव (भोरस)	सहकारी	0.4348
285.	मै. श्री चोपड़ा एस.एस.के. लि., मछाले, तह. चोपड़ा जिला जलगांव	सहकारी	0.4348
286.*	मराठवाड़ा एस.एस.के. लि., पो. डोगरखारा, ता. पठारी, जिला पारभनी	सहकारी	0.2174
287.	दि गोदावरी दूधाना एस.एस.के. लि., देवनंद्रा ता. पठारी जिला पारभनी	सहकारी	0.2174
288.	पूर्णा एस.एस.के. लि., बासमथनगर, जिला पारभनी	सहकारी	0.4348
289.	समर्थ एस.एस.के. लि., महाकाल, ता. अम्बाड जिला जालना	सहकारी	0.4348
290.	जय जवान जय किसान एस.एस.के. लि., नालेगांव, ता. अहमदपुर, जिला लातूर	सहकारी	0.2174
291.	शेतकारी एस.एस.के. लि., किल्लाड़ी, जिला लातूर	सहकारी	0.2174
292.	मै. मंजारा शेतकारी एस.एस.के. लि., ता. चिंचौलीराव जिला लातूर	सहकारी	0.2174
293.	मै. तुलजा भवानी शेतकारी एस. एस. के. लि. नलदुर्ग, ता. तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद	सहकारी	0.2174
294.*	मै. शेतकारी एस.एस.के. लि., धामनगांव, ता. चन्दूर रेलवे, जिला अमरावती	सहकारी	0.2174
295.	मै. जालना एस.एस.के. लि., गांव रामनगर, तह. व जिला जालना	सहकारी	0.2174
296.*	मै. श्रीराम एस.एस.के. लि., बाबदेव तह. मौदा, जिला नागपुर	सहकारी	0.2174
297.	मै. महात्मा एस.एस.के. लि., जमानी, ता. सालू, जिला वर्धा	सहकारी	0.2174
298.	माजलगांव एस.एस.के. लि., निथरूड़ तह. माजलगांव, जिला बीड	सहकारी	0.4348
299.	दि वेनगंगा एस.एस.के. लि., तह. माहोली रोड़, जिला बान्द्रा	सहकारी	0.2174
300.	मै. बालाजी एस.एस.के. लि., मसालापेन, ता. रिसोड़, जिला अकोला	सहकारी	0.2174
301.*	मै. सिंदखेड़ा एस.एस.के. लि., स्थान देगांव, तह. सिंदखेड़ा, जिला धुलिया	सहकारी	0.4348
302.	मै. अकोला जिला एस.एस.के. लि., विजोरा, जिला अकोला	सहकारी	0.4348
303.	मै. जेठ तालुक शेतकारी एस.एस.के. लि., स्थान तिप्पेहाली जठ, ता. जठ, जिला सांगली	सहकारी	0.4348
304.	घोड़गंगा एस.एस.के. लि., नाहनोर्य, जिला पुणे	सहकारी	0.4348
305.	पुष्पावती एस.एस.के. लि. चिखाली, जिला यवतमाल	सहकारी	0.4348

1	2	3	4
306.	नरसिम्हा एस.एस.के. लि., लोहगांव, जिला पारभनी	सहकारी	0.4348
307.	श्री बागेश्वरी एस.एस.के. लि., वारपल, जिला जालना	सहकारी	0.4348
308.	पुष्पदंतेश्वर एस.एस.के. लि., शमशेरपुर जिला धुलिया	सहकारी	0.4348
309.	अजारा शेतकारी एस.एस.के. लि., गवेश, जिला कोल्हापुर	सहकारी	0.4348
310.	केदारेश्वर एस.एस.के. लि., बोधगांव, जिला अहमदनगर	सहकारी	0.4348
311.	श्री भाऊरावचवन एस.एस.के.लि., मानखेड़, जिला नानदेड़	सहकारी	0.4348
312.	इंदिरा एस.एस.के. लि., दहिताने, ता. अकालकोट, जिला शोलापुर	सहकारी	0.4348
313.	श्री संत तुकाराम एस.एस.के. लि., कसारसई, ता. मुलसी, जिला पुणे	सहकारी	0.4348
314.	जरनदेश्वर एस.एस.के. लि. चिमनगांव, ता. कोरेगांव, जिला सतारा	सहकारी	0.4348
315.	जय अम्बिका एस.एस.के. लि., मोहननगर कुन्दूर ता. विलोली, जिला नानदेड़	सहकारी	0.4348
316.	जयवंत पाटील एस.एस.के. लि., हदसनी, ता. हदगांव, जिला नानदेड़	सहकारी	0.4348
317.	सोनहीरा एस.एस.के. लि., वांगी, ता. कानापुर, जिला सांगली	सहकारी	0.4348
318.	मै. नेचुरल शुगर एंड एलाएड इंडस्ट्रीज, कलाम्बी, जिला ओस्मानाबाद	निजी	0.2609

1	2	3	4
319.	वैद्यनाथ एस.एस.के. लि., पंगारी, ता. अम्बाजोगई, जिला बीड	सहकारी	0.4348
320.	श्री संत मुक्ताबाई एस.एस.के. लि., घादगंज, तह. इदलाबाद, जिला जलगांव	सहकारी	0.4348
321.	वाराशिव हनुमान एस.एस.के. लि., ज्वालाबाजार ता. बासमतनगर, जिला पारभनी	सहकारी	0.4348
322.	मै. शिवाजीराव पाटील निलांगेकर एस.एस.के. लि. अम्बूलगा (बी.के.) ता. निलांगा, जिला लातूर	सहकारी	0.4348
323.	श्री कोंदेश्वर एस.एस.के. लि., रामनगर ता. फबगांव, जिला अमरावती	सहकारी	0.4348
324.	रामगणेश गडकड़े एस.एम.के. लि., सावनेर जिला नागपुर	सहकारी	0.4348
325.	सहकारी महर्षि श्री बापूजी देशमुख एस.एस.के. लि., बेला, तह. हिंगांगघेट, जिला वर्धा	सहकारी	0.4348
प. बंगाल			
326.	खेतान एग्रो इंडस्ट्रियल लि., प्लासे, जिला नाडिया	निजी	0.046
327.	वेस्ट बंगाल शुगर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पो. लि. अहमदनगर, जिला बीरभूम	सार्व.क्षेत्र	0.022
असम			
327.	*दि असम कोप शुगर मिल्स लि., डाकघर बरूआबामनगांव, जिला शिवसागर	सहकारी	0.045
329.	*अरिहन्त शुगर लि., डाकघर राताबाडी, चारगोला, जिला करीमगंज	निजी	0.069
330.	नौगोंग कोप. शुगर मिल्स लि., कामपुर, जिला नौगोंग	सहकारी	0.069

1	2	3	4
	राजस्थान		
331.	*दि मेवाड़ शुगर मिल्स लि., भूपालसागर, जिला चितौड़गढ़	निजी	0.093
332.	दि गंगासागर शुगर मिल्स लि., श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर	सार्व.क्षेत्र	0.063
333.	श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि., केशोरायपाटन, जिला बूंदी	सहकारी	0.077
	उड़ीसा		
334.	*जैपोर शुगर क.लि., रायागाडम, जिला कोरापुट	निजी	0.035
335.	दी अस्का कोप. शुगर इंडस्ट्रीज लि., अस्का, जिला गंजम	सहकारी	0.096
336.	दी बारागढ़ कोप. शुगर मिल्स लि., (पोनी शुगर्स एंड केमिकल्स लि. के प्रबंध के अधीन) डाकघर टोरा, (बारागढ़) जिला सम्बलपुर	सहकारी	0.098
337.	मैसर्स दी कोप. शुगर इंडस्ट्रीज लि. (घरानी शुगर एंड केमिकल्स लि. के प्रबंध के अधीन) तह. नयागढ़, जिला पुरी	सहकारी	0.098
338.	बदाम्बा कोप. शुगर इंडस्ट्रीज लि. (शक्ति शुगर्स लि. के प्रबंध के अधीन), तह. बंकी, जिला कटक	सहकारी	0.098
	गुजरात		
339.	श्री खादत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., सरदार बाग, बारदोली, जिला सूरत	सहकारी	1.704
340.	श्री माधी विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., डाकघर मादी, जिला सूरत	सहकारी	0.852
341.	श्री चलथान विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., चलथान, जिला सूरत	सहकारी	0.852
342.	श्री सयान विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., सयान, जिला सूरत	सहकारी	0.596
343.	श्री महुआ प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि. जरवावरा, जिला सूरत	सहकारी	0.596
344.	श्री उकाई प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि. स्थान और डाकघर पनियारी, जिला सूरत	सहकारी	0.426
345.	दी सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., गनदेवी, वाया बिलीमोरा, जिला बलसाड	सहकारी	0.596
346.	मैसर्स वेस्टर्न इंडिया शुगर एंड कैमीकल्स इंडस्ट्रीज लि., धर्मगढ़ जिला कालाहांडी	निजी	0.197
347.	मैसर्स पोन्नी शुगर्स एंड केमीकल्स लि., स्थान बोलांगीर जिला बोलांगीर	निजी	0.197
348.	मैसर्स शक्ति शुगर्स लि., हरिपुर गांव, तह. धानकनाल जिला धानकनाल	निजी	0.197
349.	श्री मारोली विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., कल्याण नगर जिला बलसाड	सहकारी	0.426
350.	श्री बलसाड सहकारी खांड उद्योग मंडली लि. पारनेरा–परथी, जिला बलसाड	सहकारी	0.426
351.	श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., धारीखेड, नांदेड़, जिला भडौच	सहकारी	0.426

1	2	3	4
352.	श्री बिलेश्वर खांड उद्योग खेदूत सहकारी मंडली लि., कोडीनाग, जिला अमरेली	सहकारी	0.443
353.	श्री ऊना तालुक सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., ऊना (सोराठ), जिला जूनागढ़	सहकारी	0.213
354.	श्री तलाला तालुक सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., डाकघर तलाला, जिला जूनागढ़ (गीर)	सहकारी	0.213
355.	श्री कामरेज विभाग शेतकारी खांड उद्योग मंडली लि., कामरेज, जिला सूरत	सहकारी	0.426
356.	चरोतर सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., गांव पलाज तालुका पेटलाड, जिला कैरा	सहकारी	0.213
357.	सरदार वल्लभभाई पाटिल खांड उद्योग कोप. सोसायटीज लि., डाकघर घोराजी, जिला राजकोट	सहकारी	0.213
358.	श्री गणेश खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., तालुका वाल्लिया, जिला भड़ौच (वटारिया)	सहकारी	0.426
359.	मैसर्स श्री रीवा खांड उद्योग एस. मंडली लि., स्थान और डाक–अमोड, तालुका अमोड, जिला भड़ौच	सहकारी	0.426
360.	मैसर्स श्री खेदुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., स्थान कोसांबा, तह. मंगराल, जिला सूरत	सहकारी	0.426
361.	मैसर्स श्री वलोड प्रदेश खांड उद्योग सहकारी सहकारी मंडली लि. वीरपुर, तालुक वलोड़, जिला सूरत	सहकारी	0.426
362.	मैसर्स बड़ोदरा जिला सहकारी गन्ना उत्पादक यूनियन लि., स्थान एवं डाकघर गंधारा, कार्जन, जिला बड़ोदरा	सहकारी	0.426
363.	सरदार सहकारी शुगर इंडस्ट्रीज लि., लाडोड तह. सांखेड़, जिला बडोदरा	सहकारी	0.426
	आंध्र प्रदेश		
364.	दी किरलामपुडी शुगर मिल्स लि., डाकघर पिथामपुरम, जिला ईस्ट गोदावरी	निजी	0.099
365.	श्री सर्वराय शुगर्स लि., डाकघर चेल्लूरू तालुक रामचंद्रपुरम, जिला ईस्ट गोदावरी	निजी	0.245
366.	नवभारत फेरो एलायज लि., समलकोट जिला ईस्ट गोदावरी	निजी	0.147
367.	आंध्रा शुगर्स लि., टनूकू, जिला ईस्ट गोदावरी	निजी	0.490
368.	दी पल्लाकोई कॉप. शुगर्स लि., पूल्लारोली, पालाकोल जिला ईस्ट गोदावरी	सहकारी	0.099
369.	वी.वी.एस. शुगर्स (दी जयपोर शुगर कं. लि.) डाकघर चागल्लू, जिला वेस्ट गोदावरी	निजी	0.49
370.	दी आंध्रा शुगर्स लि., टुडवाई, जिला वेस्ट गोदावरी	निजी	0.245
371.	वेस्ट गोदावरी कॉप. शुगर्स लि., भीमाडोले, तालुक इलूरू, जिला वेस्ट गोदावरी	सहकारी	0.123

1	2	3	4
372.	दी चोदवरम कॉप. शुगर्स लि., गोवड़ा, जिला विशाखापटनम	सहकारी	0.245
373.	अंकापल्ले कॉप. एग्रीकल्चरल एण्ड इंडस्ट्रीयल सोसायटी लि., अंकापल्ली, जिला विशाखापटनम	सहकारी	0.098
374.	दी इतिकोपका कॉप. एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीयल सोसायटी लि., इतिकोपका, जिला विशाखापटनम	सहकारी	0.147
375.	दी थांडवा कॉप. शुगर्स लि. पायाकारोपेटा, जिला विशाखापटनम	सहकारी	0.123
376.	श्री विजयारामा गजपति कॉप. शुगर्स लि., कुमारम, तालूक ग्रुंगावरपुकोटा, भीमासिंधी जिला विशाखापटनम	सहकारी	0.123
377.	अमादावालसा कॉप. एग्रीकल्चरल एण्ड इंडस्ट्रीज सोसायटी लि., अमादावालसा, जिला सिरकाकुलम	सहकारी	0.098
378.	दी के.सी.पी. लि., व्यूरू, जिला कृष्णा	निजी	0.588
379.	दी के.सी.पी. लि. लक्ष्मीपुरम, जिला कृष्णा	निजी	0.245
380.	श्री हनुमान कॉप. शुगर फैक्ट्री, हनुमान जंक्शन जिला कृष्णा	सहकारी	0.123
381.	दी निजाम शुगर फैक्ट्री लि., शाकर नगर, जिला निजामाबाद	सार्व. क्षेत्र	0.457
382.	दी निजामाबाद कॉप. शुगर फैक्ट्री लि., निजामाबाद जिला	सहकारी	0.099
383.	दी चित्तूर कॉप. शुगर लि., चित्तूर डाकघर तसावतेपल्ली, जिला चित्तूर	सहकारी	0.157
384.	श्री वेंकटेश्वर कॉप. शुगर फैक्ट्री लि. गाजुलामंडयम (तिरुपति), रेनीगुंटा, जिला चित्तूर	सहकारी	0.123
385.	दी निजाम शुगर फैक्ट्री लि. डाकघर डिडगी तालूका जहीराबाद, जिला मेढक	सार्व. क्षेत्र	0.245
386.	दी निजाम शुगर फैक्ट्री लि. मिरयालगुडा, जिला नालगोंडा	सार्व. क्षेत्र	0.123
387.	दी कुडप्पा सहकारी चीनी लि., तालूक दौलतपुरम जिला कुडप्पा	सहकारी	0.123
388.	दी कोबूर कॉप. शुगर फैक्ट्री लि., कोबूर जिला नेल्लोर	सहकारी	0.123
389.	मैसर्स निजाम शुगर फैक्ट्री लि., डाकघर मेटपल्ली जिला करीम नगर	सार्व. क्षेत्र	0.245
390.	मैसर्स नंदयाल कॉप. शुगर लि., डाकघर पून्नापुरम, नंदयाल, जिला कुरनूल	सहकारी	0.123
391.	दी नन्नापानेनी वेंकटराव कॉप. शुगर्स लि., तनाली जिला गुंटूर	सहकारी	0.123
392.	दी नागार्जुन कॉप. शुगर्स लि., गुरूजला, जिला गुंटूर	सहकारी	0.123
393.	दी प्लेयर कॉप. शुगर लि., राजेश्वरपुरम, जिला खम्माम	सहकारी	0.123
394.	दी निजाम शुगर फैक्ट्री लि., तालूका और जिला मेढक	सार्व. क्षेत्र	0.123
395.	एमपी शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि., अयप्पारेड्डी पालेम, नाडुपेट, मंडलम, जिला नेल्लोर	निजी	0.245
396.	श्री वानी शुगर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि. कुमारअनंथन, जिला चित्तूर	निजी	0.245

1	2	3	4
397.	श्री कैलाश शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि. पेरूवंचा, तह. कल्लूरमंडल, जिला खम्माम	निजी	0.245
398.	मैसर्स प्रूडेंशियल मौली शुगर्स लि., स्थान निन्द्रा, गांव तह. निन्द्रामंडल, जिला चित्तूर	निजी	0.245
399.	मैसर्स निजाम शुगर फैक्ट्री लि., पी.बी. नं. 1, खैरताबाद, हैदराबाद स्थान वोबिली, जिला विजयानगर	सार्व. क्षेत्र	0.245
400.	मैसर्स गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि., कुलबगूर सांगारेड्डी जिला मेढक	निजी	0.245
401.	एन.सी.एस. गायत्री शुगर (पी.) लि., एडलूरयेटलारेड्डी, तह. सदाशिव नगर मंडल, जिला निजामाबाद	निजी	0.245
402.	वरूलक्ष्मी शुगर्स लि., संकीली रेजिड अमादावालसा	निजी	0.245
403.	मैसर्स सुदुलागुंटा शुगर्स लिमिटेड, स्थान और गांव बुटचीनायडूकंद्रिगा, जिला चित्तूर	निजी	0.245
404.	गायत्री शुगर कम्पलैक्स लि., राभागिरीपटनम, पोडालाकूर मंडल, जिला नेल्लोर	निजी	0.245
	कर्नाटक		
405.	पांडवपुरा एस.एस.के. लि., पांडवपुरा, जिला मांडया	सहकारी	0.2019
406.	मैसूर शुगर कं. लि., मांडया, जिला मांडया	सार्व. क्षेत्र	0.6732
407.	चामुंडेश्वरी शुगर्स लि., के.एम. डोडली, तालू. मदौर जिला मांडया	निजी	0.3230
408.	दी इंडिया शुगर एण्ड रिफाइनरीज लि., डाकघर चिटवाडगी, होसपेट, जिला बेल्लारी	निजी	0.2692
409.	सुंदरी शुगर्स लि., कामपली, जिला बेल्लारी	सहकारी	0.1641
410.	सिरूगुप्पा शुगर्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि., सिरूगुप्पा तालूक, जिला बेल्लारी	निजी	0.1683
411.	सिलारगंज शुगर मिल्स लि. मुनीराबाद, जिला रायचूर	निजी	0.1367
412.	गंगावती शुगर्स लि., प्रगति नगर तालु. गंगावती जिला रायचूर	सार्व. क्षेत्र	0.3366
413.	दी उग्र शुगर वर्क्स लि., उग्रखुर्द, जिला बेलगाम	निजी	0.6732
414.	श्री मालप्रभा कॉप. शुगर फैक्ट्री लि. मुगुथन हुबली जिला बेलगाम	सहकारी	0.470
415.	रेनूका शुगर्स लि., मनोली, जिला बेलगाम	निजी	0.1683
416.	श्री दूधगंगा कृष्णा एस.एस.के. नियामित, पिकोडी, जिला बेलगाम	सहकारी	0.4711
417.	रायबाग एस.एस.के. नियामित, तालुक रायबाग जिला बेलगाम	सहकारी	0.3366
418.	दी घटाप्रभा एस.एस.के. नियामित, गोकाक जिला बेलगाम	सहकारी	0.1683
419.	तुंगभद्रा शुगर वर्क्स प्रा. लि., शिमोगा, जिला शिमोगा	निजी	0.3366
420.	मैसूर पेपर मिल्स लि., भद्रावती, जिला शिमोगा	सार्व. क्षेत्र	0.3366

1	2	3	4
421.	गौरी बिदनूर एस.एस.के. लि., गौरी बिदनूर जिला कोलार	सहकारी	0.1709
422.	बिदार एस.एस.के. लि., हल्लीखेड, जिला बिदार	सहकारी	0.2692
423.	वाणी विलास कॉप. शुगर फैक्ट्री लि., हीरीयूर जिला चित्रदुर्ग	सहकारी	0.1683
424.	भद्रा एस.एस.के. नियामित, डोडाबाठी, तालुक देवनगरे जिला चित्रदुर्ग	सहकारी	0.1683
425.	देवनगरे शुगर कं. लि. देवनगरे कुक्काबाड़ा, जिला चित्रदुर्ग	निजी	0.3366
426.	श्री भाग्यलक्ष्मी एस.एस.के. लि., मंसापुर तहसील खानापुर, जिला बेलगाम	निजी	0.3366
427.	दी गोदावरी शुगर मिल्स लि., समीरवाडी, मुधोल, जिला–बीजापुर	निजी	0.673
428.	मैसर्स नन्दी एस.एस.के. लि. नजदीक चिक्का गालागली, जिला–बीजापुर	सहकारी	0.336
429.	खोडे डिस्टलरीज लि., कोल्लेगल, जिला–मैसूर	निजी	0.168
430.	मैसर्स श्रीरामा एस.एस.के. लि., चुनचनकाटे, के.आर.नगर, जिला–मैसूर	सहकारी	0.16
431.	कर्नाटक एस.एस.के. लि., हावेरी, जिला–धारवाड़	सहकारी	0.16
432.	दी हेमतथी एस.एस.के. लि., हसन, जिला–हसन	सहकारी	0.16
433.	दक्षिण कन्नड़ सहकारी कारखाना लि., मंगलौर ता. और जि. साउथ कैनारा	सरकारी	0.168
434.	मैसर्स श्री हलसिद्धनाथ एस.एस.के. लि., निपानी, तह. चिकोडी, जिला बेलगाम	सहकारी	0.168
435.	मैसर्स एस.एस.के. नियामित, तह. अलन्द, जिला–गुलबर्गा	सहकारी	0.168
436.	श्री हिरन्यकाशी एस.एस.के. नियामित, शंकेश्वर, जिला–बेलगाम	सहकारी	0.471
437.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., अलगांची गांव, तालु. नन्जनगुड, जिला–मैसूर	निजी	0.3366
438.	आई.सी.एल. शुगर्स लि. माकावली, तालु. कृष्णराजपेट जिला माण्डया	निजी	0.3366
439.	शामनूर शुगर्स लि., दुर्गावती, तालु. हरयापानहली, जिला–बेलारी	निजी	0.3366
440.	रायतारा एस.एस.के. नियामित राणानगर, तालु. मुधोल, जिला–बीजापुर	सहकारी	0.3366
441.	प्रभुलिंगेश्वर शुगर वर्क्स लि., सिधापुर, तालु. जामखण्डी, जिला–बेगालकोट	निजी	0.3366
	तमिलनाडु		
442.	नवभारत फेरो अलाय लि., डाकघर पुगलूर शुगर फैक्ट्री, जिला–तिरूचिरापल्ली	निजी	0.472
443.	कावेरी शुगर्स एंड केमीकल्स लि., पेटायवयताली, जिला–तिरूचिरापल्ली	निजी	0.393

1	2	3	4
444.	कोठारी शुगर्स एंड केमीकल्स लि. कट्टूर लालगुडी, जिला–तिरूचिरापल्ली	निजी	0.236
445.	पेराम्बलूर शुगर मिल्स लि., इरायूर, तालुका पेराम्बलूर, जिला–तिरूचिरापल्ली	सार्व. क्षेत्र	0.472
446.	ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लि., नैल्लीकुप्पम, जिला–साउथ अरकाट	निजी	0.786
447.	दी साउथ इंडिया शुगर्स लि., मुडियापक्कम, जिला–साउथ अरकाट	निजी	0.393
448.	श्री अम्बिका शुगर्स एंड एन्टरप्राइजिज लि., पेन्नाडम, जिला–साउथ अरकाट	निजी	0.786
449.	कल्लाकुरीचि कोप. शुगर मिल्स लि., डाकघर–मुंगिलथूरीपट्टू, तालुका कल्लाकुरीचि, जिला–साउथ अरकाट	सहकारी	0.196
450.	चेंगलरायां कोप. शुगर मिल्स लि., पेरियासेवालसी ऊलुन्दरुपेट तालुक, जिला–साउथ अरकाट	सहकारी	0.472
451.	तमिलनाडु शुगर कार्पो. लि. पांडियाराजपुरम, जिला–मदुरै	सार्व. क्षेत्र	0.196
452.	दि नेशनल कोप, शुगर मिल्स लि., मेटूपटटी, अलगनाल्लूर, जिला–मदुरै	सहकारी	0.393
453.	अमरावती कोप., शुगर मिल्स लि., डाकघर कृष्णापुरम, जिला–कोयम्बटूर	सहकारी	0.314
454.	दी थीरू अरूरन शुगर्स लि., कोल्लुमनमुड्डी गांव इन पेरालाम/ अगारामिरूमलम फिरका इन मान्नीलम तालुक नगायवाड–ई–मिलेथ	निजी	0.393
455.	अरिगनर अन्ना शुगर मिल्स लि., कुरूनगुलम, जिला–थंजावूर	सार्व. क्षेत्र	0.393
456.	दी अम्बर कोप. शुगर मिल्स लि., वेडापूड्डूपेट, जिला–नार्थ अरकाट	सहकारी	0.346
457.	एस.वी. शुगर मिल्स लि., वालजाबाद फरिका, जिला–चैन्गलपट्टू एम.जी.आर.	निजी	0.393
458.	थिरूपट्टूर कोप. शुगर्स मिल्स लि., कोथानडापट्टी गांव, वनियमवाडी तालुक, जिला–नार्थ अरकाट	सहकारी	0.196
459.	दी वेल्लोर कोप. शुगर मिल्स लि., अमून्डी, डाकघर वेल्लोर शुगर मिल्स, जिला–नार्थ अरकाट	सहकारी	0.393
460.	दि मथुरान्तकम कोप. शुगर मिल्स लि., पडलम, जिला–चेंग्गलपट्टू	सहकारी	0.275
461.	तिरूतानी कोप. शुगर मिल्स लि., तिरूतानी जिला, चेंग्गलपट्टू	सहकारी	0.196
462.	दि शक्ति शुगर लि., शक्तिनगर, डाकघर इरोड, जिला–पेरियार	निजी	0.629
463.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., गांव अलाथुकोम्बई, तह. साधुमंगलम, जिला–पेरियार	निजी	0.39

1	2	3	4
464.	दि सेलम कोप. शुगर मिल्स लि., मोहनपुर जिला सेलम	सहकारी	0.393
465.	पोन्नी शुगर एंड केमीकल्स लि., पल्लीपलयम, ता. तिरूचेनगोडे, जिला सेलम	निजी	0.393
466.	धर्मपुरी जिला कोप. शुगर मिल्स लि., थिम्मनहाल्ली, पालाकोड, जिला–धर्मपुरी	सहकारी	0.393
467.	सुब्रमण्यम शिव सहकारी चीनी मिल लि., तह. हरूर, जिला–धर्मपुरी	सहकारी	0.393
468.	नाडीपिप्पसाई पुलावर के आर रामासामी शुगर मिल्स लि., मइलाडुथुरई, जिला–थंजावुर	सहकारी	0.197
469.	धरनी शुगर्स एंड केमीकल्स लि., तालु. शिवगिरी, जिला–तिरूनेलवेल्ली	निजी	0.393
470.	शक्ति शुगर्स लि., ता. शिवगंगा, जिला–पासुमपन मूथुरामलिंगन	निजी	0.393
471.	राजश्री शुगर्स एंड केमीकल्स लि., पेरियाकुलम, जिला–मदुरै	निजी	0.393
472.	थिरू अरूनन शुगर्स लि. पापनासम, जिला थंजावूर	निजी	0.786
473.	एम.आर. कृष्णामूर्ति कोप., शुगर मिल्स लि., सेथियाथोपे तह. चिदम्बरम, जि. साउथ अरकाट	सहकारी	0.393
474.	तमिलनाडु कोप. शुगर फ़ैड. लि., चरूयार/वांडेवास, जिला–नार्थ अरकाट	सहकारी	0.393
475.	दि कल्लाकुरुची शुगर मिल्स लि., पी.ओ. मुंगीलिथूरूपट्टू तालु. कल्लाकुरूची, जिला साउथ अरकाट	सहकारी	0.393

1	2	3	4
476.	धरनी शुगर्स एंड केमीकल्स लि., करायपुंडी, तालु. पलूर, जिला–नार्थ अरकाट	निजी	0.393
477.	श्री अम्बिका शुगर लि., कोटूर तालु. थियूरविडाईमामथूर जिला थंजावुर	निजी	0.393
478.	मै. ई. आई. डी. पेरी (इंडिया) लि., अरनतंगी, जिला–पुडुकोटई	निजी	0.393
	मध्य प्रदेश		
479.	दी ग्वालियर शुगर क. लि., दोबरा, जिला–ग्वालियर	निजी	0.134
480.	मैसर्स जौरा शुगर मिल्स, जौरा जिला–रतलाम	निजी	0.191
481.	दी भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लि., डाकघर और जिला–सिहोर	निजी	0.223
482.*	दी जिवाजी राव शुगर क. लि., दालाउदा, जिला–मंदसौर 0.045 डाकघर मोहिद्पुर रोड, जिला–उज्जैन	निजी	0.049
484.	मोरना मंडल एस.एस.के.लि., कैलारस, जिला–मोरेना	सहकारी	0.112
485.	मालवा एस.एस.के.लि., बरलाय (काशीपारा) जिला–इन्दौर	सहकारी	0.112
486.	नवलसिंह एस.एस.के. मर्यादित, नवलनगर, दुरहानपुर, जिला खांडवा	सहकारी	0.112
487.	मैसर्स गिरधारी लाल शुगर एंड ऐलाइड इंडस्ट्रीज लि., स्थान–घटवा, तह. थिकरी, जिला–खरगौन	निजी	0.223

1	2	3	4
	केरल		
488.*	दी ट्रावनकोर शुगर एंड केमीकल्स लि., वलानजावतम, डाकघर–विरूवल्ला, जिला–क्विलोन	निजी	0.034
489.	दी कोप. शुगर्स लि. चित्तूर, मेननपारा, डाकघर और जिला–पालघाट	सहकारी	0.068
	पांडिचेरी		
490.	न्यू होरीजन शुगर मिल्स प्रा. लि., सगरूर (अरियूर), डाकघर–कांडामंगलम, जिला–पांडिचेरी	निजी	0.209
491.	दी पांडिचेरी कोप. शुगर मिल्स लि., स्थान–लिंग्गारेड्डीपलयम, मानडीपट काम्यून	सहकारी	0.174
	नागालैंड		
492.*	नागालैंड शुगर मिल्स कं. लि., दीमापुर, जिला–कोहिमा	सार्व. क्षेत्र	0.064
	गोवा		
493.	संजीवनी एस.एस.के. लि., दयानन्दनगर, पोस्ट तिस्का, जिला–गोवा	सहकारी	0.093

टिप्पणी :– उपर्युक्त 493 चीनी फैक्ट्रियों में से जिन 69 फैक्ट्रियों पर (*) चिन्ह अंकित है, उन्होंने 1999-2000 मौसम के दौरान कार्य नहीं किया है।

विवरण-II

30.6.2000 को स्थिति के अनुसार बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत रुग्ण चीनी मिलों की राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्रम सं.	राज्य	मिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	बिहार	3
3.	केरल	1
4.	कर्नाटक	5
5.	मध्य प्रदेश	3
6.	महाराष्ट्र	3
7.	उड़ीसा	1
8.	पंजाब	1
9.	राजस्थान	1
10.	तमिलनाडु	3
11.	उत्तर प्रदेश	14
12.	पश्चिम बंगाल	1
		39

विवरण-III

देश में उन चीनी मिलों, जो 1999–2000 के दौरान बंद पड़ी थीं, की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	बंद चीनी मिलों की संख्या
1	2	3
1	पंजाब	1
2.	राजस्थान	1
3.	उत्तर प्रदेश	19
4.	मध्य प्रदेश	2
5.	गुजरात	4
6.	महाराष्ट्र	10
7.	बिहार	18
8.	असम	2
9.	उड़ीसा	1
10.	नागालैंड	1
11.	आंध्र प्रदेश	6

1	2	3
12.	कर्नाटक	3
13.	केरल	1
	कुल	69

[हिन्दी]

एजेंट एक्ट, 1972

4149. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एजेंट एक्ट, 1972 का निरसन कर दिया गया है और नया एजेंट एक्ट, 2000 लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो एजेंट एक्ट, 1972 का किस तारीख से निरसन किया गया है और नया एजेंट एक्ट, 2000 किस तारीख से लागू किया गया है/लागू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या नए एजेंट अधिनियम के लागू होने से एजेंटों की संख्या में कमी आएगी और इसके परिणामस्वरूप बीमा कंपनियों की आय प्रभावित होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम किन–किन देशों में अपना कारोबार चला रही है; और

(च) भारतीय जीवन बीमा निगम को आज की स्थिति के अनुसार सहायक कम्पनी–वार हुए लाभ का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेन्ट) नियमावली, 1972 का निरसन नहीं किया गया है। बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकारण (बीमा एजेंटों को लाइसेंस देना) विनिमय, 2000 अधिसूचित कर दिए हैं जो सभी बीमाकर्त्ताओं के लिए प्रतिमान विनियम होंगे। ये विनियम 19 जुलाई, 2000 से लागू हो गए हैं। जीवन बीमा निगम तदननुसार ही जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जारी की गयी जीवन बीमा निगम (एजेंट) नियमावली, 1972 को संशोधित करेगा।

(ग) और (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम के अनुसार वर्तमान में बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विनियमों के कार्यान्वयन के कारण एजेंटों की संख्या में कमी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस अवस्था में निगम की प्रीमियम से होने वाली आय में किसी प्रकार की कमी का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है।

(ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम यूनाइटिड किंगडम, फिजी, मारीशस तथा बहरीन में अपना कारोबार कर रहा है।

(च) भारतीय जीवन बीमा निगम की कोई अनुषंगी कम्पनी नहीं है। जीवन बीमा कारोबार में लाभ/हानि कारोबार की अन्य श्रेणियों के समान/की तरह नहीं होता है और इस प्रकार किसी जीवन बीमा कम्पनी के लेखापरीक्षित लेखों से इसे ज्ञात/निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जीवन बीमा कारोबार के मामले में अधिशेष/घाटे को केवल बीमा मूल्यांकन करके ही निर्धारित किया जा सकता है। 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए जीवन बीमा कारोबार के मूल्यांकन ने 5300.49 करोड़ रुपए का अधिशेष दर्शाया है जिसमें से 5035.47 करोड़ रुपए उन पॉलिसी धारकों को आबंटित किए गए जिनके पास लाभ–युक्त पॉलिसियां थीं और 265.02 करोड़ रुपए जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अदा किए गए थे।

[अनुवाद]

भारत की शिकायतों की अमरीका द्वारा जांच करने की पेशकश

4150. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डब्ल्यू टी ओ में असंतुलन और असमानताओं के मुद्दे को अमरीकी सरकार के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी प्रशासन भारत द्वारा असंतुलन के संबंध में उठाये गये मुद्दों की जांच करने पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस सीमा तक जांच करने पर सहमत हुआ है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) भारत और अन्य विकासशील देश डब्ल्यू टी ओ के मौजूदा डब्ल्यू टी ओ करारों में असंतुलन और पक्षपातों को प्रत्यक्ष सनाधान के मुद्दे को उठाते रहे हैं। भारत ने 11 अन्य समान विचार वाले देशों के साथ मिलकर, अन्य बातों के साथ–साथ, कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। भारत इन मुद्दों को अमरीका के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी उठाता रहा है।

(ग) और (घ) 30.11.99 से 3.12.99 के दौरान हुए डब्ल्यू टी ओ के सिएटल मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की विफलता के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि विकसित देश विश्वास उत्पन्न करने वाले उपाय प्रारम्भ करेंगे जिनमें एक समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का समाधान करना शामिल होगा ताकि विकासशील देशों को स्थगित

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को पुनः आयोजित करने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 22 जून, 2000 को डब्ल्यू टी ओ की महापरिषद् की बैठक में महापरिषद् के विशेष सत्र के जरिए विकासशील देशों की कार्यान्वयन संबंधी चिन्ताओं का समाधान करने के लिए एक कार्यक्रम पारित किया गया था ताकि कथित प्रक्रिया डब्ल्यू टी ओ के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के चौथे सत्र से पहले पूरी की जा सके, जैसा कि 3 मई, 2000 को हुई महापरिषद् की बैठक में पहले ही निर्णय लिया गया था।

कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर विचार–विमर्श करने का वास्तविक कार्य 22 जून, 2000 को आयोजित महापरिषद् के विशेष सत्र के जरिए शुरू हो गया है और यह विचार–विमर्श 18–19 अक्टूबर 2000 तथा 7–8 दिसम्बर, 2000 को होने वाले महापरिषद् के विशेष सत्रों में भी जारी रहेगा।

आईआरडीए अधिनियम, 1999

4151. श्री टी. गोविन्दन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से आईआरडीए अधिनियम, 1999 में इस प्रकार संशोधन करने का प्रस्ताव भेजकर अनुरोध किया है जिससे सहकारी क्षेत्र भी देश में बीमा व्यापार में शामिल हो सके और बीमा व्यापार करने हेतु सहकारी बीमा समिति को लाइसेंस जारी करने के लिए अनुकूल और शीघ्र निर्णय लिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महानिदेशक, विदेश व्यापार के कार्यालय को बंद करना

4152. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक, विदेश व्यापार का कार्यालय बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कैरी सेफ डिपॉजिट स्कीम

4153. डॉ. जसवंत सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा "कैरी सेफ डिपॉजिट स्कीम" आरम्भ किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब से आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे ग्राहकों को कितना फायदा होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) बैंकों को अपने बोर्डों के अनुमोदन से नई जमा संग्रहण योजनाएं शुरू करने की स्वतंत्रता है। बैंकों द्वारा जमा संग्रहण योजनाएं बैंकों के वाणिज्यिक प्रतिफल तथा जिस खंड के लिए ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं, उसके बैंक ग्राहकों को लाभ प्रदान करते हुए बैंकों की जमा राशि को बढ़ाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, शुरू की जाती हैं।

[हिन्दी]

खाद्य तेल उद्योग

4154. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आयात नीति के कारण खाद्य तेल उद्योग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खाद्य तेल उद्योग के पुनरुद्धार के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) खाद्य तेलों का बड़ी मात्रा में आयात किए जाने से खाद्य तेल उद्योग के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के संबंध में उनसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

सरकार ने खाद्य तेल की स्थिति का गहराई से पुनरीक्षण किया है और स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं। देश में घरेलू प्रसंस्करण उद्योग को बेहतर क्षमता उपयोग और मूल्यवर्धिता के संबंध में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से खाद्य तेलों और वनस्पति के संसाधकों को शुल्क की रियायती दर पर अपरिष्कृत खाद्य तेलों

के आयात की अनुमति दी गई है। 12 जून, 2000 से कच्चे तेलों पर शुल्क 15 प्रतिशत (मूल) के बढ़ाकर 25 प्रतिशत (मूल) कर दिया गया है। परिष्कृत तेलों पर शुल्क 25 प्रतिशत (मूल) से बढ़ाकर 35 प्रतिशत (मूल) कर दिया गया है। अन्य तेलों पर शुल्क बढ़ाकर 45 प्रतिशत (मूल) कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्वदेशी खाद्य तेलों की विपणन–योग्यता में सुधार लाने तथा किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वनस्पति के विनिर्माण में प्रयुक्त तेल–मिश्रण में न्यूनतम 25 प्रतिशत स्वदेशी तेलों के प्रयोग को अनिवार्य बना दिया गया है। वनस्पति के विनिर्माण में 30 प्रतिशत तक एक्सपैलर सरसों तेल के प्रयोग की अनुमति दी गई है।

शैक्षिक चैनल

4155. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण बच्चों के लिए प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा टी.वी. पर उपलब्ध कराने हेतु शैक्षिक चैनल आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा बनाई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान गैर–सरकारी संगठनों और उद्योगों के सहयोग से निजी चैनलों द्वारा सभी राज्यों में इसी तरह की योजना आरम्भ करने की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से 26 जनवरी, 2000 से 'ज्ञान दर्शन' नाम एक शैक्षणिक चैनल शुरू किया है। इन चैनल की अभिकल्पना तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्रों में एक मिश्रित पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रम देने के लिए की गई है। इस चैनल का उद्देश्य दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, शारीरिक रूप से विकलांग और सामाजिक आर्थिक लाभ से वंचित लोगों सहित विभिन्न वर्गों के लोगों को इस चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों के द्वारा लाभ पहुंचाना है। इस समय इस चैनल पर प्रतिदिन लगभग 17 घंटे के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

फिल्मों से जुड़े व्यक्तियों की परिसंपत्तियां

4156. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों से जुड़े कुछ व्यक्तियों के पास आय के ज्ञात स्रोतों से अत्यधिक परिसंपत्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसी कितनी फिल्मी हस्तियों के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने ऐसे मामलों का आकलन किया गया है और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकले; और

(ङ) शेष मामलों का कब तक आकलन कर लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) वित्त वर्ष 1997–98, 98–99 तथा 99–2000 के दौरान फिल्मी हस्तियों के मामलों में तलाशी कार्रवाईयां की गई थीं तथा तलाशी के अन्तर्गत आच्छादित ऐसे व्यक्तियों की संख्या तथा जब्त की गई परिसंपत्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) तलाशी के परिणामस्वरूप, 11 मामलों में खण्ड करनिर्धारण पूरा कर लिया गया है जिसमें गत तीन 9 वर्षों के दौरान 619.13 लाख रुपए की अघोषित आय का निर्धारण किया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 में यथाविहित समय–सीमाओं के भीतर शेष मामलों का कर–निर्धारण पूरा किया जाना है।

विवरण

वित्त वर्ष	तलाशी के अंतर्गत आने वाले फिल्मी हस्तियों की संख्या	जब्ती का ब्यौरा (लाख रुपये में)			
		नकदी	आभूषण	अन्य	योग
1997–98	15	22.00	29.74	शून्य	51.74
1998–99	08	25.42	10.32	2224.74	2260.48
		अमेरिकी डालर		1160000	1160000
1999–2000	18	80.50	22.17	116.53	219.20

चीनी उद्योग को प्रोत्साहन

4157. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू चीनी उद्योग को वर्तमान में दिए जा रहे प्रोत्साहन और छूट इस उद्योग को इसकी बदहाली से ७बारने के लिए पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में चीनी उद्योग को दिए जा रहे प्रोत्साहनों/छूट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने घरेलू चीनी उद्योग को कुछ विशेष सहायता/प्रोत्साहन देने हेतु सरकार से सिफारिश और अनुरोध किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) नई/विस्तार परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से सरकार 11.9.98 से पूर्व लाइसेंसशुदा नई और विस्तार परियोजनाओं को उनके सामान्य मुक्त बिक्री के कोटे के अलावा मुक्त बिक्री के अतिरिक्त कोटे के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करती रही है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने चीनी उद्योग की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) 1.1.2000 से लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी के अनुपात को 40:60 से बदल कर 30:70 कर दिया गया है।

(ii) 9.2.2000 से आयातित चीनी पर शुल्क बढ़ा कर 60% कर दिया गया है ताकि घरेलू मूल्यों को स्थिर रखा जा सके।

(iii) आयातित चीनी को रिलीज व्यवस्था के अधीन लाया गया है।

(iv) 17.2.2000 से आयातकों के पास पड़े आयातित चीनी के स्टॉक पर 30% की दर से लेवी लगाई गई है।

(v) 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी गई है

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों का दौरा

4158. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संस्कृति विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा किए गए विदेशों के दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिकारियों या समूह द्वारा किए गए प्रत्येक दौरे का देश–वार उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या हाल ही में पुरातत्व विशेषज्ञों और प्रशासकों के समूह के एक प्रतिनिधिमंडल ने कंबोडिया, चीन, फ्रांस, जापान और वियतनाम में स्मारकों और शिलालेखों का अध्ययन करने के लिए उक्त देशों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास विदेशों और यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता से देश में पुरातात्विक स्मारकों के पुनरुद्धार और संरक्षण हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास को अमल में लाने हेतु कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो वर्तमान में ऐसी परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है और निकट भविष्य में ऐसी कितनी परियोजनाएं प्रारंभ करने की योजना है; और

(छ) देश में ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संबंध में दौरों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) इस संबंध में भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा पद	दौरा का देश	दौरा की अवधि	दौरा का उद्देश्य
1	2	3	4	5
1.	एस. के.कपूर, डेस्क अधिकारी	कज़ाकस्तान	3–9 सितम्बर 1997	कजाकस्तान तथा किरगिज़्तान में डेज आफ इण्डियन कल्चर की देखभाल के लिए तकनीकी दल के सदस्य के रूप में।
2.	कल्पना दास गुप्ता, निदेशक	बेल्जियम	30.08.97 से 06.09.1997	63वें आई एफ एल ए सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
3.	श्री बी.पी. सिंह, सचिव तथा श्री रवि कांत चोपड़ा, निदेशक	बुल्गारिया तथा इटली	6–9.9.1997 से 10–14.9.1997	इटली में भारत महोत्सव के आयोजन के लिए भारत–बुल्गारिया सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।
4.	अंजलि सेन, निदेशक	मास्को	7–12.10.1997	निकोलस के रोरिक के महान संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए।
5.	श्री एस. के. कपूर, डेस्क अधिकारी	किरगिस्तान	20–26.10.1997	कजाकस्तान तथा किरगिजतान में डेज आफ इण्डियन कल्चर की देखभाल के लिए तकनीकी दल के सदस्य के रूप में।
6.	बी.पी.सिंह, सचिव	युगाण्डा	04–11.10. 1997	प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्यं
7.	एस. सत्यपूर्ति, संयुक्त सचिव	सिंगापुर	12–15.11.1997	1997–99 की अवधि के लिए भारत तथा सिंगापुर के बीच कार्यपालक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने के लिए।
8.	कस्तूरी गुप्ता मेनन, संयुक्त सचिव	किरगिज़्तान	17–24.10.1997	"डेज आफ इण्डियन कल्चर" के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए।
9.	एस. के.कपूर, डेस्क अधिकारी	किरगिज़्तान	17–24.10.1997	"डेज ऑफ इण्डियन कल्चर" के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए।
10.	कस्तूरी गुप्ता मेमन, संयुक्त सचिव	पेरिस	2–6.11.1997	यूनेस्को कॉंग्रेस में भाग लेने के लिए।
11.	एस. सत्यमूर्ति, संयुक्त सचिव	जर्मनी	15–18.11.1997	भारत–जर्मनी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए
12.	एस. सत्यमूर्ति, संयुक्त सचिव	पुर्तगाल	09–12.3.1998	1998–2000 के लिए भारत–पुर्तगाल सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।
13.	डॉ. आर.वी.वी. अय्यर, सचिव	स्टॉकहोम	23.3.98 से 02.4.98	विकास के लिए सांस्कृतिक नीतियों के संबंध में अन्तर सरकारी सम्मेलन में भाग लेना।
14.	एल. एम. सिंघवी, विशेषज्ञ	स्टॉकहोम	23.3.98 से 02.4.98	विकास के लिए सांस्कृतिक नीतियों के संबंध में अन्तर सरकारी सम्मेलन में भाग लेना।
15.	अंजलि सेन, निदेशक	स्टॉकहोम	23.3.98 से 02.4.98	विकास के लिए सांस्कृतिक नीतियों के संबंध में अन्तर सरकारी सम्मेलन में भाग लेना।
16.	हुमेरा अहमद, निदेशक	भूटान	24–25.5.98	सार्क की तकनीकी समिति की बैठक में भाग लेना

1	2	3	4	5
17.	हुमेरा अहमद, निदेशक	मलेशिया	25–27.06.98	अभिलेख प्रबंध न्यास लदन द्वारा आयोजित अभिलेखागार सम्मेलन में भाग लेना।
18.	कस्तूरी गुप्ता मेनन, संयुक्त सचिव	बर्लिन/बोन	05–09.4.98	बर्लिन संग्रहालय के साथ करार को अन्तिम रूप देना।
19.	आर.के भट्ट, ए.ई.ए.	लंदन	17–21.07.98	दक्षिण एशियाई भाषाओं के विश्लेषण संबंधी बैठक में भाग लेना।
20.	विश्वास मेहता, उप सचिव	ब्रिटेन	19–20.08.98	गोष्ठी में भाग लेना।
21.	श्री एस. सत्यमूर्ति, संयुक्त सचिव	हंगरी	22–26.9.98	1999–2000 के लिए भारत–हंगरी सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।
22.	कस्तूरी गुप्ता मेनन, संयुक्त सचिव	मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया)	अक्टूबर, 1998 (18 दिन)	प्रतिनिधि के रूप में आईकॉम सम्मेलन में भाग लेना।
23.	रवि कपूर, मानव संसाधन मंत्री के निजी सचिव	हंगरी	25–27.11.98	भारत–हंगरी सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम को अन्तिम रूप देना।
24.	रवि कपूर, मा.सं. मंत्री के निजी सचिव	मॉरिशस	2–03.10.98	अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में भाग लेना।
25.	वी.के. लखनपाल, निदेशक	हेग	14–26.03.99	सांस्कृतिक सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए यूनेस्को कन्वेन्शन की बैठक में भाग लेना।
26.	हुमेरा अहमद, निदेशक	पेरिस	19–24.04.99	यूनेस्को की बैठक में भाग लेना।
27.	श्रीमती कस्तूरी गुप्ता मेनन, संयुक्त सचिव	जापान	जून 1999 (6 दिन)	सिल्क रोड और जुआन जांग की दुनिया प्रदर्शनी के उद्घाटन में संस्कृति विभाग का प्रतिनिधित्व करना।
28.	उमंग नरूला, उपसचिव	थाईलैंड	23–26.02.99	संगोष्ठी में भाग लेना।
29.	कल्पना दास गुप्ता, निदेशक	थाईलैंड	19.08.1999 से 29.08.1999	बैंकाक में आई.एफ.एल.ए.आई की 65वीं बैठक में भाग लेना।
30.	आर.वी.वी. अय्यर, सचिव	इटली	03.10.99	आई सी सी आर ओ एम
31.	वी के. लखनपाल, निदेशक	इटली	03.10.99	आई सी सी आर ओ एम
32.	नवनीत सोनी, उपसचिव	सिओल (दक्षिण कोरिया)	13–18.10.99	वर्तमान मानव कोष प्रणाली पर यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेना।
33.	एस. सत्यमूर्ति, संयुक्त सचिव	तुर्कमेनिस्तान	11–15.05.99	बैरम खान की 500वीं वर्षगाठं समारोह में भाग लेना।
34.	उमंग नरूला, उपसचिव	बैंकाक	22–27.2.99	पारम्परिक लोक प्रदर्शन कलाओं के परिरक्षण तथा संवर्धन पर ए सी सी यू द्वारा आयोजित गोष्ठी में भाग लेना।
35.	एम.एम.के. सरदाना, अपर सचिव	पेरिस	26–31.10.99	यूनेस्को
36.	कल्पना दास गुप्ता, निदेशक	कोलम्बो	17.10.99 से 23.10.1999	आई एफ एल ए द्वारा आयोजित नेटवर्किंग की कार्यशाला में भाग लेना।

1	2	3	4	5
37.	आर.वी.वी.अय्यर, सचिव	पेरिस	7–13.11.99	यूनेस्को
38.	वी.एस. रामचन्द्रन, पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री के अपर निजी सचिव	पेरिस	31.10.99	यूनेस्को
39.	श्री एस. सत्यमूर्ति, संयुक्त सचिव	ग्रीस	25–28.10.99	भारत–ग्रीस सी.ई.पी. पर हस्ताक्षर किए गए।
40.	श्रीमती कल्पना दासगुप्ता, निदेशक	येरूसलम (इस्रायल)	12–19.8.2000	66वें आई एफ एल ए आम सम्मेलन में भाग लेना।
41.	श्रीमती कस्तूरी गुप्ता मेनन, संयुक्त सचिव	ट्यूनीसिया तथा सूडान	3–10.4.2000	सांस्कृतिक तथा तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा करने और ट्यूनीसिया और सूडान के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्य मंत्री (विदेश मंत्रालय) के नेतृत्व में संयुक्त आयोग के एक सदस्य के रूप में।
42.	श्री उमंग नरूला, उप सचिव	सिंगापुर	5–14.2.2000	ए सी सी यू द्वारा आयोजित संगोष्ठी में भाग लेना।
43.	श्रीमती कस्तूरी गुप्ता मेनन, संयुक्त सचिव	ट्यूनीसिया तथा सूडान	3.4.2000 से 10.4.2000	ट्यूनिसिया और सूडान के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करना।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों तथा विशेषज्ञों द्वारा किए गए विदेश दौरों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	अधिकारी और विशेषज्ञ का नाम	जिस देश में दौरा किया गया	अवधि	उद्देश्य
1	2	3	4	5
1	श्री अजय शंकर महानिदेशक (भा.पु.सर्वे.)	पाकिस्तान	13.09.1997 से 17.09.1997	इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में मोहन जोदड़ों के अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा–उपायों के लिए कार्यकारी समिति के 13 वें सत्र में भाग लेने के लिए।
2.	श्री एस. बी.माथुर अपर महानिदेशक (भा.पु.सर्वे.)	थाईलैंड (बैंकाक)	19.11.1997 से 23.11.1997	यूनेस्को, एशिया तथा प्रशान्त महासागर के लिए प्रधान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित एशिया/प्रशान्त महासागर विरासत स्थल प्रबंध कार्यशाला में भाग लेने के लिए।
3.	श्री अजय शंकर महानिदेशक (भा.पु.सर्वे.)	इंग्लैंड	22.01.1998 से 25.01.1998	पुरावशेषों के अवैध निर्यात की रोक–थाम से संबंधित मामलों पर संबंधित ब्रिटिश अधिकारियों के साथ आपसी विचार–विमर्श के लिए।

1	2	3	4	5
4.	श्री अजय शंकर महानिदेशक (भा.पु.सर्वे.) तथा हरि मांझी, निदेशक	इटली	26.01.1998 से 29.01.1998	पुरावशेषों के अवैध निर्यात की रोकथाम से संबंधित मामलों पर इतावली प्राधिकारियों के साथ आपसी विचार–विमर्श के लिए।
5.	डॉ. आर.सी. अग्रवाल, निदेशक, और श्री आर.के. वर्मा, सहायक पुरातत्वविद्	ताशकंद उजवेकिस्तान और बिस्केक, किरगिस्तान	01.04.1998 से 11.04.1998 11.04.1998 से 18.04.1998	उजवेकिस्तान– पूर्व इस्लामिक स्थल पर संयुक्त उत्खनन परियोजना की सम्भावनाओं को खोजने के लिए। किरगिस्तान – पुरातत्व के क्षेत्र में उस देश में शुरू किए जाने वाले कार्यों का पता लगाने के लिए।
6.	श्री एस.बी.माथुर, अपर महानिदेशक (भा.पु.सर्वे.)	फ्रांस	29.06.1998 से 02.07.1998	पानी के अन्दर सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ड्राफ्ट कन्वेंशन पर विचार–विमर्श के लिए यूनेस्को की बैठक में भाग लेने के लिए।
7.	श्री आर.एस. विष्ट निदेशक (ई.ई. तथा प्रकाशन)	संयुक्त राज्य अमेरिका	13.10.1998 से 27.10.1998	निम्नलिखित स्थानों पर सिंधु–धाटी सभ्यता पर भाषण देने के लिए : 1. विस्कोन्सिन विश्वविद्यालय, मेडिसन 2. पेन्सिल्वानिया विश्वविद्यालय 3. हारवर्ड विश्वविद्यालय 4. मैट्रोपोलिटन कला संग्रहालय, न्यूयार्क।
8.	कैप्टन, पी.आर.प्रसाद, सुरक्षा अधिकारी	नेपाल	06.01.1998 से 09.10.1998	अन्तर्राष्ट्रीय संवीक्षा और सुरक्षा प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
9.	श्री आलोक त्रिपाठी, उप अधीक्षण पुरातत्वविद्	फ्रांस	29.10.1998 से 31.10.1998	संग्रहालय डी एल इफिवी कैंप डी'' अगडे, फ्रांस द्वारा फ्रांस में आयोजित भूमिगत जल पुरातत्व पर संगोष्ठी में भाग लेने के लिए।
10.	श्री ए.सी. ग्रोवर निदेशक (संरक्षण)	कंबोडिया और लाओस	12.12.1998 से 22.12.1998	अंकोरवाट के ऐतिहासिक स्थल के सुरक्षापायों तथा विकास के लिए अन्तरर्राष्ट्रीय तकनीकी समिति में भाग लेने के लिए और लाओस के दक्षिण चम्पासक प्रांत में पुरातात्विक सर्वेक्षणों के परिरक्षण पर इंडो–लाओस सहयोग की सम्भावनाओं को तलाशने के लिए।
11.	श्री एस.बी.माथुर अपर महानिदेशक (भा.पु.सर्वे.)	स्विट्ज़रलैंड	31.01.1999 से 09.02.1999	पुरावशेषों से संबंधित मामलों के संबंध में।

1	2	3	4	5
12.	कु. अरुन्धती बनर्जी उप–अधीक्षण पुरातत्वविद्	बंगलादेश	15.02.1999 से 21.02.1999	अन्तरराष्ट्रीय बंगला कला अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित बंगला क पर तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने के लिए
13.	श्री एस.बी.माथुर अपर महानिदेशक, (भा.पु.सर्वे.)	स्विट्ज़रलैंड	28.03.1999 से 01.04.1999	पुरावशेषों से संबंधित मामलों के संबंध में।
14.	श्री आर.के.वर्मा, सहायक पुरातत्वविद्	जापान	09.03.1999 से 19.03.1999	विदेश मंत्रालय, जापान द्वारा आयोजित ग्लोबल युवा विनिमय कार्य के संबंध में।
15.	श्री हरि मांझी निदेशक (पुरावशेष)	संयुक्त राज्य अमेरिका	20.03.1999 से 24.03.1999	पुरावशेषों से संबंधित मामलों के संबंध में।
16.	श्री जे. वाराप्रसादा राव, उप अधीक्षण पुरातत्वविद्, श्री मंगी राज, सहायक अधीक्षण पुरातत्व रसायनज्ञ तथा श्री जी.वी. पिल्लई, फोरमैन	पुर्तगाल	17.05.99 से 15.7.99	फन्डाकाव आरिएन्टे लिस्बन (पुर्तगाल) में दो महीने की अवधि के लि संरक्षण, परिरक्षण एवं भू–दृश्य निर्माण में प्रशिक्षण प्राप्त करने वास्ते।
17.	श्री अजय शंकर महानिदेशक (भा.प्र.स.)	स्पेन	17.05.1999 से 22.05.1999	अन्तर्राष्ट्रीय स्मारक तथा स्थल परिषद स्पेन एवं अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पर्क समिति द्वारा आयोजित "स्पेनीज–पुर्तगा किलेबंदी पांचवें महाद्वीपों में एक विश्व सम्पर्क के रूप में" नामक ए विशेष विषय पर विश्वव्यापी सांस्कृतिक सम्पर्क पर एक अन्तर्राष्ट्री कांग्रेस में भाग लेने के लिए।
18.	श्री सी.बी.मिश्रा, उप अधीक्षण पुरातत्वविद् श्री सी.बी.पाटिल, सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद्	सिंगापुर	21.05.1999 से 02.06.1999	भगवान बुद्ध के अवशेषों की मार्ग सुरक्षा एवं सिंगापुर में उनका प्रदश करने और वापस लाने के लिए।
19.	श्री एस.बी.माथुर, अपर महानिदेशक (भा.प्र.स.)	सिंगापुर	23.05.1999 से 31.05.1999	भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु।

2	3	4	5
सर्व/श्री ए.सी. ग्रोवर, निदेशक (योजना) तथा आर.के.शर्मा निदेशक (विज्ञान)	फ्रांस	31.05.1999 से 10.06.1999	भारत में विश्वदाय स्थलों के परिरक्षण के लिए यूनेस्को विशेषज्ञों के साथ बैठकें।
श्री एस.के.तिवारी, सहायक पुरातत्व रसायनज्ञ तथा श्री बी.पी. नौनी, सहायक पुरातत्व रसायनज्ञ	फ्रांस	31.05.1999 से 25.06.1999	आगरा स्थित भा.पु.स. की वायु प्रदूषण रसायनशाला के लिए अद्यतन उपकरण संचालन के वास्ते पेरिस में वैज्ञानिक प्रशिक्षण के संबंध में।
श्री अजय शंकर महानिदेशक (भा.प्र.स.)	नीदरलैंड	05.07.1999 से 09.07.1999	इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट फार एशियन स्टडीज (आई आई ए एस) लीडन द्वारा लीडन विश्वविद्यालय में आयोजित 15वें दक्षिण एशिया पुरातत्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
श्री आर.एस. विष्ट, निदेशक	दक्षिण कोरिया	29.07.1999 से 02.08.1999	वर्ल्ड मेगालिथिक एसोसिएशन, सिओल, दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित विश्व महापाषाणी संस्कृति की द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए।
श्री एस.वी.पी. हलकट्टी, अधीक्षण पुरातत्वविद तथा श्री ए.जैड. अरशद, उप अधीक्षण पुरातत्व अभियंता	म्यांमार	31.08.1999 से 15.09.1999	भारत–म्यांमार सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के प्रावधानों के तहत मंदिरों की संरक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए।
श्री धनपत राय, निदेशक (सीईपी)	टर्की	27.09.1999 से 08.10.1999	भारत–टर्की सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के प्रावधानों के तहत।
डॉ. अमरेन्द्रनाथ निदेशक	इटली	04.10.1999 से 07.10.1999	इटली सरकार द्वारा फ्लोरेंस में "कल्चर काउन्ट्स" पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
श्री अजय शंकर महानिदेशक (भा.प्र.स.)	इटली	13.10.1999 से 15.10.1999	विदेश मंत्रालय इटली तथा फ्लोरेंस में पियागियो फाउंडेशन द्वारा आयोजित गोवा के मकबरों के जीर्णोद्धार पर सेमिनार में भाग लेने के लिए।

1	2	3	4	5
28.	श्री अजय शंकर महानिदेशक (भा.प्र.स.)	श्री लंका	13.12.1999 से 19.12.1999	यूनेस्को – श्रीलंका संस्कृति त्रिकोणीय कार्यक्रम के अन्तर्राष्ट्री कार्यकारी समूह के समापन सत्र में भाग लेने के लिए।
29.	श्री एस.बी.माथुर अपर महानिदेशक	चीन	08.04.2000 से 15.04.2000	भारत चीन सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने के लि भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के रूप में भाग लेने के लिए।
30.	श्री डी.एन.डिमरी उप अधीक्षण पुरातत्वविद्	फ्रांस	18.05.2000 से 24.05.2000	एसोसिएशन पाउर ला मिशन 2000, एविगनोन, फ्रांस द्वारा आयोजि "ला ब्यूटे" नामक प्रदर्शनी के संबंध में।
31.	श्री एस.बी.माथुर अपर महानिदेशक	फ्रांस	03.07.2000 से 07.07.2000	जल के अन्दर सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक ड्राफ कनवेंशन पर विचार–विमर्श करने के लिए यूनेस्को की बैठक में भा लेने के लिए।
32.	श्री के.टी.नरसिम्हन अधीक्षण पुरातत्वविद् और श्री एम.एम.कनाडे, उप अधीक्षण पुरातत्वविद् इंजीनियर	वियतनाम	25.04.2000 से 05.05.2000	इंडो–वियतनाम सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के प्रावधानों के तह चाम प्रांत में मंदिरों के संरक्षण की सम्भावनाओं का पता लगाने व लिए।
33.	श्री किशन चंद नौटियाल, उप–अधीक्षण पुरातत्वविद्	जापान	23.07.2000 से 06.08.2000	टोकियो में जापान प्रसारण निगम द्वारा आयोजित "विश्व की चार महा सभ्यताएं सिंधु सभ्यता प्रर्दशनी" नामक प्रदर्शनी के सम्बन्ध में।
34.	श्री अशोक कुमार पटेल, उप अधीक्षण पुरातत्वविद्	जापान	16.07.2000 से 26.07.2000	–वही–
35.	डॉ. बी.आर.मणि, अधीक्षण पुरातत्वविद्	ब्रिटेन	26.07.2000 से 26.10.2000	विक्टोरिया और अल्वर्ट संग्रहालय, लन्दन में नेहरू भारतीय कलेक्श न्यास द्वारा आयोजित अध्ययन, अनुसंधान और व्यावसायिक प्रशिक्ष हेतु यू.के.विजिटिंग फेलोशिप के लिए।
36.	श्रीमती कोमल आनंद, महानिदेशक (भा.पु.सर्वे.) श्री आर.एस.बिष्ट, निदेशक (ई.ई.)	जापान	30.07.2000 से 06.08.2000	टोकियो में एन.एच.के. (जापान प्रसारण निगम) द्वारा "विश्व की चा महान सभ्यताएं : सिंधु सभ्यता प्रदर्शनी" के उद्घाटन समारोह में भा लेने के लिए।

1	2	3	4	5
37.	डॉ. के.पी.पुनाचा, निदेशक (स्मारक) श्री डी.वी.शर्मा, अधीक्षण पुरातत्वविद्	चीन	12.08.2000 से 16.08.2000	"पीपल्स डेली" के अंतर्राष्ट्रीय विभाग और चीन की बदलिंग महान दीवार के विशेष अंचल द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए।

राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी का अतिरिक्त कोटा

4159. श्री आर.एस. पाटिल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी के अतिरिक्त कोटे के आबंटन के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्राप्त हुए अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार के पास फालतू स्टॉक होने के बावजूद महाराष्ट्र और कर्नाटक को अतिरिक्त वांछित कोटे का आबंटन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां। कुछ राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को प्राप्त हुए अनुरोधों और उन पर की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) लेवी खाते में चीनी के उपार्जन को ध्यान में रखते हुए, केवल इस आधार पर राज्यों को लेवी चीनी के अतिरिक्त आबंटन करना संभव नहीं है कि फैक्ट्रियों के पास खुली बिक्री की चीनी का अधिशेष स्टॉक उपलब्ध है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान लेवी चीनी के कोटे में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों और उन पर प्रतिक्रिया का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का नाम	अनुरोध प्राप्त होने की तारीख	अनुरोध का कारण	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	18.11.98	जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण लेवी कोटा बढ़ाना	लेवी चीनी के अपर्याप्त उपार्जन के कारण तब राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था, लेकिन समायोजन की शर्त के अध्यधीन 1800 टन मात्रा का एक समय का अग्रिम आबंटन किया गया था। राज्य सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया गया था। तथापि, 1991 की जनगणना की बजाय 1.3.99 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर अब 1.3.2000 से लेवी चीनी का मासिक कोटा बढ़ा गया है।
2.	त्रिपुरा	20.7.98	-वही-	लेवी चीनी के अपर्याप्त उपार्जन के कारण तब राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था और राज्य सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया गया था। तथापि, 1991 की जनगणना की बजाय 1.3.99 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर अब 1.3.2000 से लेवी चीनी का मासिक कोटा बढ़ा दिया गया है।

1	2	3	4	5
3.	असम	21.10.98	—वही—	—वही—
4.	मिजोरम	27.11.98	—वही—	—वही—
5.	हिमाचल प्रदेश	23.3.98	—वही—	—वही—
6.	राजस्थान	5.6.99	—वही—	—वही—
7.	महाराष्ट्र	4.4.98 और 13.11.98	—वही—	—वही—
8.	हरियाणा	25.6.99	जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मासिक लेवी कोटा बढ़ाना	लेवी चीनी के अपर्याप्त उपार्जन के कारण तब राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था और राज्य सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया गया था। तथापि, 1991 की जनगणना की बजाय 1.3.99 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर अब 1.3.2000 से लेवी चीनी का मासिक कोटा बढ़ा दिया गया है।
9.	उड़ीसा	24.8.99	अतिरिक्त त्यौहार कोटा	लेवी चीनी के अपर्याप्त उपार्जन के कारण तब राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था और राज्य सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया गया था। उड़ीसा के लोगों को चक्रवात के कारण हुई कठिनाई को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक विषेष मामले के रूप में 2.11.99 को राहत कार्यों के रूप में वितरित करने के लिए राज्य के लेवी चीनी के सामान्य कोटे के अलावा 1000 टन लेवी चीनी का अतिरिक्त कोटा रिलीज किया था।
10.	जम्मू व कश्मीर	16.11.98	—वही—	पंचांग वर्ष 1998 के दौरान राज्य को 500 टन अतिरिक्त त्यौहार कोटा रिलीज किया गया था। अतः इस संबंध में अतिरिक्त त्यौहार कोटा देने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था और इस निर्णय से राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था।
11.	नागालैण्ड	15.9.98	—वही—	चूंकि पंचांग वर्ष 1998 के दौरान राज्य को 250 टन अतिरिक्त त्यौहार कोटा रिलीज किया गया था, इसलिए और अतिरिक्त त्यौहार कोटा देने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था और इस निर्णय से राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था।
12.	उत्तर प्रदेश	9.5.2000	जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मासिक लेवी कोटा बढ़ाना	चूंकि 1.3.1999 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर मार्च, 2000 से कोटा पहले ही बढ़ा दिया गया है, इसलिए इस समय कोटे में और अधिक वृद्धि करना संभव नहीं है तथा इस बारे में राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।
13.	तमिलनाडु	2.10.99	त्यौहारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 8610 टन की अग्रिम लेवी।	अग्रिम लेवी कोटे के रूप में 8610 टन चीनी इस शर्त के अध्यधीन रिलीज की गई थी कि परवर्ती मासिक कोटों से इस मात्रा का समयोजन किया जाएगा।
		7.12.99 और 19.1.2000	जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण	लेवी चीनी के अपर्याप्त उपार्जन के कारण तब राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था और राज्य सरकार को इस बारे

1	2	3	4	5
			मासिक लेवी कोटा बढ़ाना	में सूचित कर दिया गया था तथापि, 1991 की जनगणना की बजाय 1.3.99 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर अब 1.3.2000 से लेवी चीनी का मासिक कोटा बढ़ा दिया गया है।
14.	कर्नाटक	31.10.98, 18.12.98 और 25.1.99	—वही—	—वही—
15.	केरल	29.7.98, 4.1.99	क्रिसमिस के लिए अतिरिक्त त्यौहार कोटा	लेवी चीनी के अपर्याप्त उपार्जन के कारण तब राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था और राज्य सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया गया था।
		10.3.99	जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मासिक लेवी कोटा बढ़ाना	लेवी चीनी के अपर्याप्त उपजार्न के कारण तब राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था और राज्य सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया गया था। तथापि, 1991 की जनगणना की बजाय 1.3.99 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर अब 1.3.2000 से लेवी चीनी का मासिक कोटा बढ़ा दिया गया है।
		20.7.2000	ओणम तैयार के दौरान अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 8000 टन मात्रा का अग्रिम लेवी कोटा।	8000 टन लेवी चीनी अग्रिम तौर पर इस शर्त के अध्यधीन रिलीज की गई है कि परवर्ती मासिक कोटों से इस मात्रा का समायोजन किया जाएगा।
16.	आन्ध्र प्रदेश	24.3.98	बकरीद के लिए अतिरिक्त त्यौहार कोटा	यद्यपि लेवी चीनी के अपर्याप्त उपार्जन के कारण राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था, तथापि, पंचांग वर्ष 1998 के लिए राज्य का वार्षिक त्यौहार कोटा 30.3.98 को रिलीज कर दिया गया था ताकि राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और दिल्ली को धनराशि

4160. डॉ. बलिराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उक्त राशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या इन राज्य सरकारों ने उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को उनकी वार्षिक योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता सकल अनुदानों और सकल ऋणों के रूप में जारी की जाती है और यह सहायता विशेष स्कीमों और परियोजनाओं के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार को आबंटित धनराशियां निम्न प्रकार हैं :

(करोड़ रुपयों में)

उत्तर प्रदेश	1997–98	1998–99	1999–2000
सकल अनुदान	1037.15	1140.55	1356.49
सकल ऋण	2035.08	2050.57	2451.78

दिल्ली	1997–98	1998–99	1999–2000
सकल अनुदान	79.78	79.78	87.78
सकल ऋण	186.15	186.15	204.81

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठा रहे अवैध प्रवासी

4161. श्री रामजीवन सिंह :

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी नागरिक और देश में आए अवैध प्रवासी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति या मार्ग–निर्देश निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राशन कार्ड जारी करने, पात्रता मानदण्ड तय करने, राशन कार्डों का नवीकरण करने आदि के बारे में निर्णय लेने संबंधी ऐसे मामले हैं जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक क्षेत्रधिकार में आते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वास्तविक निवासी को राशन कार्ड जारी करते हैं। राशन कार्ड जारी करने का तात्पर्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं प्रदान करने के अलावा कोई अन्य लाभ प्रदान करना नहीं है। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को राशन कार्ड जारी नहीं किए जाते। यह संभव है कि कुछ राज्यों में झूठी घोषणा के आधार पर कुछ अवैध प्रवासियों ने राशन कार्ड बनवा लिए हों। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के पूर्ववृत्त का विस्तृत सत्यापन करने के पश्चात ही राशन कार्ड जारी करें ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन दिया जाने वाला लाभ अपात्र व्यक्तियों को न मिले। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को केन्द्र सरकार यह परामर्श भी देती रही है कि जाली राशन कार्डों की छंटाई की जाए।

खाद्यान्न का नष्ट होना

4162. श्री चिंतामन वनगा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटों, कुतरने वाले जंतुओं, नमी, पक्षियों और फफूंद वगैरह के कारण प्रतिवर्ष भारी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के घाटे का ब्यौरा क्या है साथ ही प्रतिवर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने मूल्य का खाद्यान्न नष्ट हो गया;

(ग) क्या भविष्य में इस प्रकार के घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) फार्म स्तर पर फसल कटाई के बाद की अवधि के दौरान कीटों, मूषकों, नमी, पक्षियों, फफूंद आदि से खाद्यान्नों को होने वाली हानियों की सही मात्रा ज्ञात नहीं है। तथापि, डॉ. वी.जी. पानसे की अध्यक्षता वाली समिति ने 1968 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि खाद्यान्नों में फसल कटाई उपरांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली हानि 9.33% है। इसमें थ्रेसिंग (1.68%), ढुलाई (0.15%), प्रसंस्करण (0.92%), मूषक (2.50%), पक्षी (0.85%), कीट (2.55%) और नमी (0.68%) से होने वाली हानि शामिल है। वर्ष 1973–74 के दौरान विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि खाद्यान्नों में फसल कटाई उपरांत होने वाली हानियां लगभग 5% हैं जिसमें से भण्डारण हानियां 2.7% होने का अनुमान लगाया था। उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में 1985–88 के दौरान भारतीय कृषि सांख्यकीय अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय अनाज संचयन प्रबन्धन और अनुसंधान संस्थान ने संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण में अनुमान लगाया था कि फसल कटाई उपरांत की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न घटकों के कारण खाद्यान्नों में कुल हानि लगभग 4.12% होती है।

(ग) और (घ) फसल कटाई उपरांत की अवधि के दौराम खाद्यान्नों में होने वाली हानियों को कम करने के लिए भारत सरकार ने 1969–70 में अन्न सुरक्षा अभियान चलाया था। इस स्कीम की गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र फार्म स्तर पर खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण के क्षेत्रों में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और प्रचार है। अन्न सुरक्षा अभियान किसानों के

लाभ के लिए अनाज संग्रह ढांचों में सुधार करने और धातु बिन, पक्की कोठी तथा आर.सी.सी. रिंग बिनों जैसे वैज्ञानिक भण्डारण ढांचों को लोकप्रिय बनाने संबंधी गतिविधियां तथा अन्य गतिविधियां चलाता है।

एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

4163. श्री चन्द्रकांत खैरे :

श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने उसके द्वारा वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में असाधारण देरी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है;

(ख) कुल कितनी परियोजनाएं अपने निर्धारित समयानुसार चल रही हैं और कितनी अपने निर्धारित समय से पीछे हैं; और

(ग) विभिन्न परियोजनाओं को समयानुसार पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक ने उसके सहयोग से चलाई जा रही कुछ परियोजनाओं के परियोजना कार्यान्वयन में हो रहे विलम्ब पर चिन्ता व्यक्त की है। विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का सुनिश्चय करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिल्ली में समय-समय पर कार्यकारी एजेंसियों और एशियाई विकास बैंक के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन करने के अलावा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने, शत प्रतिशत योग्य रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को जारी करने, राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को अग्रिम रूप से जारी करने, बोली लगाने से सम्बद्ध दस्तावेजों का मानकीकरण तथा अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को कारगर बनाने, आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना मॉनीटरिंग यूनिट की स्थापना, और केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी सहायता के प्रवाह में मध्यस्थों की समाप्ति सम्बन्धी कुछ कदम उठाए गए हैं।

जून, 2000 की स्थिति के अनुसार चल रही 26 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ रही हैं जबकि आठ परियोजनाएं निर्धारित समय से पिछड़ रही हैं। छह परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी प्रसारण क्षेत्र में शामिल न किए गए इलाके

4164. श्री राजो सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी तक राज्य-वार किन-किन इलाकों को दूरदर्शन और आकाशवाणी प्रसारण क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी भागों, विशेषकर बिहार के शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर और जमुई जिलों में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्थलीय नेटवर्क द्वारा कवर न किए गए क्षेत्र के प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। देश में आकाशवाणी/दूरदर्शन का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है जिसे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर विशेष पैकेज के तहत आने वाली परियोजनाओं सहित 40 आकाशवाणी ट्रांसमीटर परियोजनाएं और 255 दूरदर्शन ट्रांसमीटर परियोजनाएं, आकाशवाणी और दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार के लिए देश के विभिन्न भागों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। दो अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रा.) अर्थात मुंगेर जिले के मुंगेर एवं सिकन्दरा में एक-एक और शेखपुरा, लखीसराई तथा बेगूसराय में एक-एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पहले से ही कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में, इन स्थानों में रेडियो केन्द्र तथा नए टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	कवर न किए गए क्षेत्र (%)	
		आकाशवाणी*	दूरदर्शन**
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.0	20.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.0	83.5
3.	असम	5.1	25.4
4.	बिहार	1.0	5.6
5.	गोवा	1.0	0.1
6.	गुजरात	1.0	15.7
7.	हरियाणा	1.0	3.2

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	50.0	57.1
9.	जम्मू और कश्मीर	69.0	66.3
10.	कर्नाटक	3.8	31.0
11.	केरल	0.4	13.1
12.	मध्य प्रदेश	4.0	31.9
13.	महाराष्ट्र	2.0	20.8
14.	मणिपुर	31.0	67.9
15.	मेघालय	2.5	5.4
16.	मिजोरम	12.0	32.4
17.	नागालैंड	23.0	31.5
18.	उड़ीसा	2.0	15.9
19.	पंजाब	1.0	0.1
20.	राजस्थान	8.5	29.9
21.	सिक्किम	28.0	22.6
22.	तमिलनाडु	1.0	8.8
23.	त्रिपुरा	1.0	6.5
24.	उत्तर प्रदेश	9.3	18.2
25.	पश्चिम बंगाल	1.0	4.1
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप स.	20.0	73.8
27.	चण्डीगढ़	1.0	0.1
28.	दादरा और नगर हवेली	1.0	34.8
29.	दिल्ली	1.0	0.1
300	दमन और दीव	1.0	0.1
31.	लक्षदीप एवं मिनीकाय दी.स.	1.0	1.0
32.	पांण्डिचेरी	1.0	0.1

* ये आंकड़े मीडियम वेव एवं एफ.एम. कवरेज से ही सम्बन्धित हैं। शार्ट वेव पर आकाशवाणी सेवा, देश के लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र को उपलब्ध है।

** ये आंकड़े डी. डी. । स्थलीय कवरेज से सम्बन्धित हैं। दूरदर्शन उपग्रह चैनल, सम्पूर्ण देश में डिस एन्टिना के जरिए उपलब्ध हैं।

हरियाणा में ऐतिहासिक स्मारक

4165. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन हरियाणा में स्थान-वार कितने ऐतिहासिक स्मारक हैं;

(ख) इन स्मारकों के अनुरक्षण हेतु सरकार ने कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(ग) हरियाणा में पुरातात्विक स्थलों और सामग्री का पता लगाने के लिए पुरातत्व विभाग किन-किन स्थानों पर खनन कार्य करवा रहा है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हरियाणा में 88 ऐतिहासिक स्मारक तथा स्थल हैं। उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 2000-2001 के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा स्थित संरक्षित स्मारकों के रखरखाव के वास्ते 37 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

(ग) हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग फतेहाबाद जिले के कुनाल तथा यमुनानगर जिला के सुग स्थलों के उत्खनन में लगा हुआ है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हरियाणा में ऐतिहासिक स्मारकों/स्थलों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	कोस मीनार	अम्बाला	अम्बाला

1	2	3	4
2.	प्राचीन स्थल	नौरंगाबाद	भिवानी
3.	कोस मीनार सं. 18	आलापुर	फरीदाबाद
4.	बंध अथवा बांध	अनंगपुर	फरीदाबाद
5.	कोस मीनार सं. 22	औरंगाबाद	फरीदाबाद
6.	कोस मीनार सं. 24	बंचारी	फरीदाबाद
7.	कोस मीनार सं. 25	बंचारी	फरीदाबाद
8.	कोस मीनार सं. 27	फुलवाना	फरीदाबाद
9.	कोस मीनार सं. 16	गाधपुरी	फरीदाबाद
10.	कोस मीनार सं. 17	गाधपुरी	फरीदाबाद
11.	कोस मीनार सं. 26	होडल	फरीदाबाद
12.	कोस मीनार सं. 23	खटियाला	फरीदाबाद
13.	कोस मीनार सं. 21	खेड़ा सराय (बामनी) खेड़ा	फरीदाबाद
14.	कोस मीनार सं. 20	खुसरोपुर (कुशालीपुर)	फरीदाबाद
15.	कोस मीनार सं. 10	ख्वाजा सराय (धोसीपुर सराय)	फरीदाबाद
16.	बुरिया नाला पर मुगल पुल	ख्वाजा सराय (अतमाद पुर)	फरीदाबाद
17.	सूरज कुंड मैसोनरी	लकड़पुर	फरीदाबाद
18.	कोस मीनार सं. 11	मावल (फरीदाबाद सेक्टर 29)	फरीदाबाद
19.	कोस मीनार सं. 13	मजेसर	फरीदाबाद
20.	कोस मीनार सं. 19	पलवल	फरीदाबाद
21.	कोस मीनार सं. 15	सीकरी	फरीदाबाद
22.	प्राचीन स्थल	बनवाली (सजोतर)	फतेहबाद
23.	हुमायूं का मकबरा	फतेहबाद	फतेहबाद
24.	फीरोजशाह की लाट	फतेहबाद	फतेहबाद
25.	बाउली घास अलीशाह	फर्रूखनगर	गुड़गांव
26.	अली वर्दी खान मस्जिद	सराय अलीवर्दी खान	गुड़गांव
27.	टीला	अग्रोहा	हिसार
28.	बरसी गेट	हांसी	हिसार
29.	ध्वस्त किला (पृथ्वी राज चौहान का किला)	हांसी	हिसार

1	2	3	4
30.	फीरोजशाह महल तथा तहखाना	हिसार	हिसार
31.	गुजरी महल	हिसार	हिसार
32.	लाट की मस्जिद	हिसार	हिसार
33.	प्राचीन स्थल	राखीगढ़ी	हिसार
34.	कोस मीनार	मैणी कलान	करनाल
35.	कोस मीनार	दाहा	करनाल
36.	पुरानी मुगल सराय के दरवाजे	घरोंडा	करनाल
37.	कोस मीनार	घरोंडा (उत्तरी)	करनाल
38.	कोस मीनार	घरोंडा (दक्षिण)	करनाल
39.	चर्च टावर छावनी	करनाल	करनाल
40.	यूरोपियन सैनिकों की कब्रें	करनाल	करनाल
41.	कोस मीनार	करनाल (नमस्ते चौक)	करनाल
42.	कोस मीनार	करनाल (सिटी एरिया)	करनाल
43.	कोस मीनार	कोहन्डे	करनाल
44.	कोस मीनार	कुतैल	करनाल
45.	कोस मीनार	तीरावरी (उत्तरी)	करनाल
46.	कोस मीनार	तीरावरी (दक्षिणी)	करनाल
47.	कुषाण स्तूप	असँद	करनाल
48.	थेह पोलर	सिवान (पोलर)	कैथल
49.	शिव का ईंट का मंदिर	कलायात	कैथल
50.	कोस मीनार	एमिन	कुरुक्षेत्र
51.	प्राचीन टीला	एमिन	कुरुक्षेत्र
52.	कोस मीनार	अधौन	कुरुक्षेत्र
53.	कोस मीनार	भवानी खेड़ा	कुरुक्षेत्र
54.	कोस मीनार	फातुपुर	कुरुक्षेत्र
55.	कोस मीनार	मोहरी	कुरुक्षेत्र
56.	प्राचीन टीला (जिसे राजा कर्ण के नाम से जाना जाता है)	थानेसर (मिर्जापुर)	कुरुक्षेत्र
57.	कोस मीनार	थानेसर (दाराकलां)	कुरुक्षेत्र

1	2	3	4
58.	पत्थर मस्जिद	थानेसर	कुरुक्षेत्र
59.	शेख चिल्ली का मकबरा	थानेसर	कुरुक्षेत्र
60.	राजा हर्ष का टीला	थानेसर	कुरुक्षेत्र
61.	कोस मीनार	सराय सुखी	कुरुक्षेत्र
62.	कोस मीनार	शाहबाद	कुरुक्षेत्र
63.	कोस मीनार	जैनपुरा	कुरुक्षेत्र
64.	जल महल और आसपास की भूमि	नारनुल	महेन्द्रगढ़
65.	शाह इब्राहिम का मकबरा	नारनुल	महेन्द्रगढ़
66.	शाह कुली खान का मकबरा	नारनुल	महेन्द्रगढ़
67.	कोस मीनार	जाटीपुर	पानीपत
68.	पानीपत की तीसरी लड़ाई के सूच्याकार स्मारक	काला अम्ब	पानीपत
69.	कोस मीनार	कीवाना	पानीपत
70.	कोस मीनार	मनाना	पानीपत
71.	बाब–ए–फैज गेट	पानीपत	पानीपत
72.	काबुली बाग मस्जिद तथा साथ की दीवार	पानीपत	पानीपत
73.	इब्राहिम लोदी का मकबरा	पानीपत	पानीपत
74.	कोस मीनार	पानीपत शहर	पानीपत
75.	कोस मीनार	पानीपत (दक्षिण)	पानीपत
76.	कोस मीनार	सिवाह	पानीपत
77.	प्राचीन स्थल	खोकरा कोट	रोहतक
78.	शाह जहान–की–बावली	महम	रोहतक
79.	थेर टीला	सिरसा	सिरसा
80.	मुगल कोस मीनार	अकबरपुर बरोटा	सोनीपत
81.	मुगल कोस मीनार	गन्नौर	सोनीपत
82.	मुगल कोस मीनार	जगदीश पुर	सोनीपत
83.	मुगल कोस मीनार	जावा हारी	सोनीपत
84.	मुगल कोस मीनार	पांची गुजरान	सोनीपत

1	2	3	4
85.	मुगल कोस मीनार	राजपुर	सोनीपत
86.	ख्वाजा खिजर का मकबरा	सोनीपति	
87.	मुगल कोस मीनार	सोनीपत	सोनीपत
88.	कोस मीनार	बयानपुर	सोनीपत

[अनुवाद]

अमरीका के खिलाफ पेटेंट का मामला

4166. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेटेलाइट आधारित संचार प्रणाली हेतु प्रसारण के रूप में इक्विटोरिपल और ध्रुवीय परिक्रमक सैंटेलाइटों की आवधारणा के लिए अमरीकी फर्म लियोवन के खिलाफ पेटेन्ट का मामला जीत लिया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीकी फर्म के दावों का ब्यौरा क्या है और इसके खिलाफ भारतीय मामला क्या था; और

(ग) "नीम" पेटेट के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) अंतरिक्ष विभाग द्वारा दायर की गयी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, अमरीकी कंपनी "लियोवन", जिसने सैटेलाइट संचार प्रणाली हेतु प्रसारण के रूप में इक्विटोरियल और ध्रुवीय परिक्रमक सैटेलाइटों की अवधारणा पर एक भारतीय पेटेंट के लिए आवेदन दायर किया था, ने अपना आवेदन छोड़ दिया है। उक्त अमरीकी कंपनी का दावा आंकड़ों के संप्रेषण एवं प्रसारण के लिए सैटेलाइटों को नक्षत्र में शामिल करने की अवधारणा पर आधारित था।

अंतरिक्ष विभाग ने यह आपत्ति की थी (क) पेटेंट के लिए दावे में कोई नयी बात प्रकट नहीं की गयी है, अर्थात उक्त अवधारणा प्रकाशित सूचना में पहले ही से निहित है और (ख) पेटेंट के आवेदन में सुझायी गयी प्रणाली में क्षेत्र की घोषित संभावनाओं के लिए सैटेलाइट को नक्षत्र में शामिल करने की परिभाषा के पूर्ण ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

(ग) एक अमरीकी कंपनी मै. डब्ल्यु. आर. ग्रेस एंड कंपनी और अमरीकी कृषि विभाग को यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (ई.पी.ओ.) द्वारा "हाइड्रोफोबिक से निकाले गए नीम के तेल की सहायता से पौधों पर फफूंदी नियंत्रित करने की पद्धति" शीर्षक से मंजूर किए गए पेटेंट संख्या ई.पी. 0436257 को ई.पी.ओ. द्वारा निरस्त कर दिए जाने की सूचना है, क्योंकि सार्वजनिक पूर्व प्रयोग को देखते हुए, जो भारत में घटित हो चुका है, दावे नये नहीं थे।

कर्नाटक के हम्पी स्थित पुल को दूसरे स्थान पर बनाया जाना

4167. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ऐतिहासिक स्थल हम्पी स्थित पुल को दूसरे स्थान में बनाने के लिए कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने निर्देश का पालन किया;

(ग) क्या यूनेस्को के विश्व हेरीटेज केन्द्र ने हम्पी से संबंधित कर्नाटक की कोशिशों को सहायता प्रदान करने की सहमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो यदि कोई सहायता दी गई या दिए जाने का विचार है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने पुलों को विखण्डित करने और अन्य स्थान पर बनाने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस सम्बन्ध में यूनेस्को द्वारा किसी वित्तीय सहायता के लिए सहमति नहीं हुई है।

व्यापार के वैश्वीकरण को खतरा

4168. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समृद्ध देशों के जोरदार विरोध के कारण व्यापार के सार्वभौमीकरण को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक में भी गड़बड़ी कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे देशों द्वारा विकास की प्रक्रिया में शामिल न होने की स्थिति में सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) डब्ल्यू टी ओ के सिएटल मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की विफलता का मुख्य कारण सदस्य देशों के बीच मुख्य मुद्दों पर व्यापक मतभेद था। व्यापार के वैश्वीकरण को मुख्यतः उन कुछेक गैर–सरकारी संगठनों (एन जी ओ) द्वारा एक खतरे के रूप में समझा गया था जिन्होंने सिएटल में डब्ल्यू टी ओ के तृतीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अवसर पर डब्ल्यू टी ओ प्रणाली के खिलाफ सिएटल की सड़कों पर अनेक प्रदर्शन भी किए थे, जिसके कारण 30 नवम्बर, 1999 को सिएटल में डब्ल्यू टी ओ के तृतीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र विलंब से शुरू हुआ।

(घ) भारत सरकार व्यापार नीति में सुधारों सहित अपने आर्थिक सुधारों को स्वतः ही जारी रख रही है। दूसरी ओर, डब्ल्यू टी ओ में भारत तथा विकासशील देशों ने जोर देकर कहा कि डब्ल्यू टी ओ को अपने कार्य में प्रगति करने के लिए अपनी कार्यसूची में गैर–व्यापारिक मुद्दों को शामिल नहीं करना चाहिए और मौजूदा डब्ल्यू टी ओ करारों को कार्यान्वित करने के बारे में विकासशील देशों की चिन्ताओं का ध्यान रखना चाहिए। भारत अनिवार्य वार्ताओं तथा अनिवार्य समीक्षाओं में भी कारगर रूप से भाग लेता रहा है जैसा कि डब्ल्यू टी ओ के विभिन्न करारों में निहित हैं।

[हिन्दी]

बिहार में रिले केन्द्रों की स्थापना

4169. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थान–वार संख्या कितनी है;

(ख) नौवीं योजना के दौरान किन स्थानों पर ऐसे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें गत तीन वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है; और

(घ) ये केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जाने और पूरा कर दिये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) नौवीं योजना के दौरान चालू किए गए ट्रांसमीटर सहित बिहार में मौजूदा 56 ट्रांसमीटरों का स्थान–वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) नौवीं योजना अवधि के दौरान पहले ही चालू किए जा चुके टीवी ट्रांसमीटरों और कार्यान्वयनाधीन तथा नौवीं योजना के दौरान इनके पूरा किए जाने के लिए प्रत्याशित ट्रांसमीटरों का स्थान–वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) रामनगर में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का निर्माण कार्य पिछले वर्ष से चल रहा है और इसके 2000–2001 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

विवरण-I

बिहार में मौजूदा दूरदर्शन रिले केन्द्र

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

1. डाल्टन गंज
2. कटिहार
3. मुजफ्फरपुर
4. पटना
5. रांची
6. रांची (डीडी–2)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

1. औरंगाबाद
2. भरवहा
3. बेगुसराय
4.
5. भागलपुर
6. बोकरो
7. बक्सर
8. चाईबासा
9. दरभंगा
10. दाऊदनगर
11. दुर्ग

12. धनबाद
13. धुमका
14. फोरबसगंज
15. गया
16. घाटचिला
17. गिरिडीह
18. गोड्डा
19. गोपालगंज
20. गुमला
21. हजारीबाग
22. जमशेदपुर
23. जगोई
24. खगड़िया
25. कोडरमा
26. लखीसराय
27. लोहारडागा
28. मधेपुरा
29. मधुबनी
30. मोतिहारी
31. मुंगेर
32. मुशाबानी
33. नवादा
34. नावमुंडी
35. फूलपरस
36. रक्सौल
37. रौसेरा
38. सहरसा
39. सरायकेला
40. सासाराम
41. शेखपुरा
42. सिकन्दरा
43. सिमरी भक्तियारपुर
44. सीतामढ़ी
45. सिवान
46. सुपौल
47. पटना (डीडी—2)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

1. गरवा (डीडी—2)
2. सिमदेगा

ट्रासंपोजर

रामगढ़ हिल

विवरण-II

नौवीं योजना के दौरान बिहार में चालू किए गए ट्रांसमीटर (1.4.97—15.8.2000)		बिहार में क्रियान्वनाधीन ट्रांसमीटर	
उ.श.ट्रा.	रांची (डीडी—2)	उ.श.ट्रा.	जमशेदपुर मुज्जफ्ऱपुर (डीडी—2) पटना (डी डी—2)
अ.श.ट्रा.	बारहरवा	अ.श.ट्रा.	रामनगर
	दौदनगर		चतरा
	कोदरमा		किशनगंज
	मुशवानी		बांका
	रौसेरा		जमशेदपुर (डीडी—2)
	सिमिरी भक्तियारपुर		धनबाद (डीडी—2)
अति अ.श.ट्रा.	गरहवा (डीडी—2)	अति.अ.श.ट्रा.	रामगढ़ पखाड़ी

[अनुवाद]

बीमा क्षेत्र में बैंकों का प्रवेश

4170. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रवेश हेतु इच्छुक बैंकों के लिए बुनियादी नियमों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बीमा क्षेत्र में प्रवेश हेतु किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) बीमा कारोबार में बैंकों के प्रवेश के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिनांक 9.8.2000 को जारी किए गए मार्ग-निर्देशों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य बैंकों ने मार्ग-निर्देशों की अधिसूचना जारी होने से पहले ही बीमा कारोबार में प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने अथवा बीमा कम्पनियों के एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय रिर्जव बैंक से आवेदन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक तभी अनुमति प्रदान करेगा जब मार्ग-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित होगा।

विवरण

तार : बैंकधालान मुबंई	**भारतीय रिजर्व बैंक**	टेलीफोन सं
	केन्द्रीय कार्यालय	2189131-39
टेलेक्स 011-86135	बैंकिंग परिचालन और	
	विकास विभाग	पोस्ट बाक्स
फैक्स सं. 0091-22-2183785	केन्द्र-1 विश्व	सं 6089
2188770	व्यापार केन्द्र	
	कफ परेड, कोलाबा,	
	मुंबई -400 005	

संदर्भ : बैंपविवि. स. एफएससी. बीसी. 16/24.01.018/2000-2001

9 अगस्त 2000

18 श्रावण 1922 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बीमा कारोबार में बैंकों का प्रवेश

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर गवर्नर महोदय के 'वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति' संबंधी वक्तव्य का पैराग्राफ 58 देखें। यह वक्तव्य आपको 27 अप्रैल, 2000 के परिपत्र एमपीडी सं. बीसी. 196/07.01.279/99-2000 के साथ भेजा गया है।

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने भारतीय बीमा कंपनियों के पंजीकरण के लिए विनियम हाल ही में जारी किये हैं। भारत सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें 'बीमा' का ऐसे अनुमत कारोबार के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसे बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 (1) (ओ) के अंतर्गत कर सकते हैं।

3. बैंको को विभागीय रूप से बीमा कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी। जो बैंक अनुबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार बीमा कारोबार करना चाहते हों, उन्हें इस प्रकार का कारोबार हाथ में लेने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन लेना चाहिए। इसलिए बैंक उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट मापदंडों, संयुक्त उद्यम/कार्य नीतिगत निवेश में प्रस्तावित इक्विटी अंशदान के पूरे ब्यौरे तथा बीमा कारोबार आदि में किसी भी ढंग से अन्य कंपनी के साथ संलग्न होने की व्यवस्था करने पर कंपनी का नाम आदि बताते हुए आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करें। निदेशक मंडल का संबंधित नोट और पारित संकल्प एवं इस संबंध में तैयार की गयी संभावित क्षमता रिपोर्ट के साथ बैंक के प्रस्ताव का अनुमोदन भी भेजा जाये।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना भिजवायें।

भवदीय

अमलेन्दु घोष
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

अनुबंध

बीमा क्षेत्र में बैंकों के प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश

1. किसी भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक को बीमा कंपनियों के एजेंट के रूप में शुल्क के आधार पर, किसी जोखिम में सहभागिता के बिना बीमा कारोबार करने की अनुमति होगी। बैंकों की सहायक संस्थाओं को भी एजेंसी आधार पर बीमा, उत्पाद के वितरण का कार्य करने की अनुमति होगी।

2. जो बैंक नीचे दिये गये पात्रता मानदंड पूरे करते हैं, उन्हें सुरक्षा उपायों की शर्त पर जोखिम में सहभागिता सहित बीमा कारोबार करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने की अनुमति होगी। संयुक्त उद्यम कंपनी में ऐसे बैंक के धारण के लिए अधिकतम इक्विटी अंशदान सामान्यतः बीमा कंपनी की चुकता पूंजी का 50 प्रतिशत होगा। चयनात्मक आधार पर, निर्दिष्ट अवधि के भीतर इक्विटी का विनिवेश

होने तक भारतीय रिजर्व बैंक प्रारंभ में प्रवर्तक बैंक द्वारा अधिक इक्विटी अंशदान की अनुमति दे सकता है।

संयुक्त उद्यम सहभागिता के लिए पात्रता मानदंड 31 मार्च, 2000 को निम्न प्रकार होंगे :

(i) बैंक की शुद्ध मूल्यवत्ता 500 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

(ii) बैंक का पूंजी और जोखिम आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

(iii) अनर्जक आस्तियों का स्तर तर्कसंगत होना चाहिए।

(iv) बैंक को पिछले तीन लगातार वर्षों में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

(v) संबंधित बैंक की सहायक संस्थाओं, यदि कोई हों, के कार्य-निष्पादन का पिछला रिकार्ड संतोषजनक होना चाहिए।

3. जिन मामलों में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारण (आईआरडीए)/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन से कोई विदेशी भागीदार इक्विटी के 26 प्रतिशत का अंशदान करता है वहां एक से अधिक सरकारी क्षेत्र के या निजी क्षेत्र के बैंक को संयुक्त बीमा उद्यम की इक्विटी में सहभागिता करने की अनुमति होगी। ऐसे सहभागी को भी बीमा जोखिम हो सकता है, अतः वही बैंक पात्र होंगे जो ऊपर पैराग्राफ 2 में दिये गये मानदंडों को पूरा करेंगे।

4. किसी एक बैंक या दूसरे बैंक की सहायक संस्था को सामान्यतः जोखिम में सहभागिता के आधार पर बीमा कंपनी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। सहायक संस्थाओं में बैंक की ऐसी सहायक संस्थाएं शामिल होंगी कि जो मर्चेंट बैंकिंग, प्रतिभूति, म्युच्युअल फंड, लीजिंग, फाइनेंस, आवास वित्त कारोबार आदि कर रही हैं।

5. ऊपर दिये गये अनुसार जो बैंक संयुक्त उद्यम सहभागिता के लिए पात्र नहीं हैं, वे बीमा कंपनी में मूलभूत सुविधाएं और सेवा सहायता प्रदान करने के लिए बैंक की शुद्ध मूल्यवत्ता के 10 प्रतिशत अथवा 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक का निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार की सहभागिता को निवेश के रूप में समझा जायेगा और वह बैंक के लिए किसी आकस्मिक देयता के बिना होगी।

इन बैंकों के लिए पात्रता मानदंड निम्न प्रकार होंगे :

(i) बैंक का पूंजी और जोखिम आस्ति अनुपात 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए;

(ii) अनर्जक आस्तियों का स्तर तर्कसंगत होना चाहिए;

(iii) बैंक को पिछले तीन लगातार वर्षों में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

6. बीमा कारोबार में प्रवेश करनेवाले सभी बैंकों को रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। रिजर्व बैंक आवेदक बैंक की अनर्जक आस्तियों के स्तर के संबंध में स्थिति सहित सभी संबंधित तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग मामले के आधार पर बैंकों को अनुमति देगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनर्जक आस्तियां भविष्य में बैंक के समक्ष उसकी वर्तमान या प्रस्तावित गतिविधियों अर्थात् बीमा कारोबार के संबंध में कोई खतरा खड़ा न करें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बीमा कारोबार में निहित जोखिम बैंक को अंतरित नहीं होगा और बैंकिंग कारोबार बीमा कारोबार के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाले किसी जोखिम द्वारा संसर्गित नहीं होगा। बैंक और बीमा कारोबार के बीच 'निश्चित दूरी' का संबंध होना चाहिए।

नोट :

1. किसी बीमा कंपनी में प्रवर्तक बैंक द्वारा इक्विटी का धारण या बीमा कारोबार में किसी रूप में सहभागिता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुपालन की शर्त पर होगी। इसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर चुकता पूंजी के 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी के विनिवेश के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम की धारा 6 क क का अनुपालन शामिल होगा।

2. पात्रता मानदंडों की गणना करने के लिए 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र पर विचार किया जायेगा। बाद के वर्षों के लिए पात्रता मानदंडों की गणना पिछले वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध लेखा-परीक्षित तुलनपत्र के संदर्भ में की जायेगी।

3. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 5 के अधीन निवेश करनेवाले और बाद में बीमा कारोबार में जोखिम में सहभागिता के लिए (दिशा-निर्देश के पैरा 2 के अनुसार) पात्र बैंक जोखिम सहभागिता के आधार पर बीमा कारोबार करने की अनुमति के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करने के पात्र होंगे।

खनिज व धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम का कार्य-निष्पादन

4171. श्री अनन्त नायक : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड और राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य–निष्पादन का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रम किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) तथा राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्त्ता कंपनियां हैं, के कार्य निष्पादन की समीक्षा समझौता ज्ञापन के अनुसार मुख्यतः अर्द्ध–वार्षिक आधार पर की जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए इन निगमों का कार्य–निष्पादन निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

	एम एम टी सी			एस टी सी		
	1997–98	1998–99	1999–2000 (अनंतिम)	1997–98	1998–99	1999–2000
कारोबार	4473.00	4253.00	4805.00	2867.00	1894.00	1163.00
कर पश्चात लाभ	17.00	18.00	25.00	3.00	12.50	23.00
निवल मूल्य	645.00	653.00	667.00	439.52	445.44	467.48

(ग) वर्तमान में एम एम टी सी विभिन्न उत्पादों के निर्यात एवं आयात में कार्यरत है, अर्थात् :

निर्यात : खनिज (मैगनीज तथा क्रोम अयस्क), कृषि उत्पाद, अभ्रक अवशिष्ट, रत्न एवं आभूषण, भवन–निर्माण सामग्री तथा औद्योगिक उत्पाद। **आयात** : जिंक, लीड, टिन, निकेल जैसी अलौह धातुएं; एस्बेस्टोस तथा एंटीमनी जैसे औद्योगिक कच्ची साम्रगी; परिष्कृत उर्वरक, कच्ची सामग्री जैसे यूरिया, डी ए पी, एम ओ पी, सल्फर तथा रॉक फॉस्फेट; स्वर्ण एवं चांदी वाली बेशकीमती धातुएं; गेहूं तथा खाद्य तेलों जैसी कृषि मदों सहित कोयला एवं सर्वोतम मिट्टी का तेल।

एस टी सी इन क्षेत्रों में कार्यरत है, **निर्यातः** निस्सारण, चावल, चाय, जूट सामान, दालें/मोटे अनाज, अरंडी का तेल/बीज, कॉफी काजू, तम्बाकू, चीनी, रसायन, औषध एवं भेषजीय, इंजीनियरिंग तथा निर्माण सामग्री, उपभोक्ता/खेल–कूद का सामान, खाद्य उत्पाद, मांस एवं समुद्री उत्पाद, मसाले, वस्त्र एवं परिधान, आभूषण, प्राकृतिक रबड़, पीतल एवं चमड़े का सामान; **आयात** : खाद्य तेल, चीनी, स्वर्ण/चांदी, उर्वरक, हाइड्रोकार्बन, रसायन, ऊन, कच्चा काजू, फैटी एसिड, गेहूं दालें, वैज्ञानिक उपकरण, हस्पताल उपकरण इत्यादि।

दोनों निगम विभिन्न उत्पादों के घरेलू व्यापार में भी कार्यरत हैं।

[हिन्दी]

आधारभूत क्षेत्र में निवेश

4172. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायीकरण संबंधी विशेषज्ञ दल ने आधारभूत क्षेत्र में भारी निवेश पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में जून, 1996 से आज तक कुल कितना घरेलू और विदेशी निवेश किया गया; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किए गए निवेश का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के व्यावसायीकरण से संबंधित विशेषज्ञ दल का अनुमान है कि कुल बुनियादी ढांचा निवेश आवश्यकताएं 1996–97 से 2000–01 बीच लगभग 4300 बिलियन रुपए और 2001–02 से 2005–06 के दौरान लगभग 7,500 बिलियन रुपए होगी।

(ख) घरेलू और विदेशी निवेश के विवरण नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	घरेलू निवेश (करोड़ रुपए)	विदेशी निवेश (मिलियन अमरीकी डालर)
1996–97	248054	6133
1997–98	240959	5385
1998–99	259935	2401
1999–2000	उ.न.	5181

(ग) निवेश अनुमानों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

औद्योगिक निवेश प्रस्ताव (राज्य वार)
अगस्त, 1991 से मार्च, 2000

	कुल प्रस्ताव		औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम)						आशय पत्र (एल ओ आई)					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(आई ई एम+ एल ओ आई)	प्रतिशत	दर्ज संख्या	प्रतिशत	प्रस्तावित निवेश (करोड रु.)	प्रतिशत	प्रस्तावित रोजगार (संख्या)	प्रतिशत	जारी संख्या	प्रतिशत	प्रस्तावित निवेश (करोड रु.)	प्रतिशत	प्रस्तावित रोजगार (संख्या)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
महाराष्ट्र	8299	19.59	7802	20.02	184988	23.01	1376921	12.51	497	14.58	12215	11.64	121291	15.54
गुजरात	5666	13.38	5264	13.51	137320	17.08	856226	7.78	404	11.85	20099	19.16	60305	7.72
उत्तर प्रदेश	4144	9.78	3789	9.72	67163	8.35	617409	5.61	355	10.41	9908	9.44	102448	13.12
तमिलनाडु	4059	9.58	3448	8.85	51164	6.36	551093	5.01	611	17.92	10601	10.11	117579	15.06
आन्ध्र प्रदेश	2909	6.87	2537	6.51	57792	7.19	421498	3.83	372	10.91	10151	968	73698	944
हरियाणा	2578	608	2384	6.12	26606	3.31	365566	3.32	194	5.69	4153	3.96	55452	7.10
मध्यप्रदेश	2344	5.53	2195	5.63	61778	7.68	462449	4.20	149	4.37	3638	3.47	33251	4.25
राजस्थान	2046	4.83	1956	5.02	32596	4.05	379113	3.45	90	2.54	1608	1.53	14953	1.92
पंजाब	1994	4.71	1849	4.75	35072	4.36	4446616	40.41	145	4.25	4567	4.35	47301	6.05
प.बंगाल	1792	4.23	17.10	4.39	28112	3.50	276439	2.51	82	2.41	3956	3.77	18652	2.39
कर्नाटक	1623	3.83	1422	3.65	37246	4.63	236288	2.15	201	5.90	9266	8.83	65904	8.44
दादरा व नगर हवेली	1233	2.91	1211	3.11	16757	2.08	137016	12.5	22	0.65	148	0.14	2576	0.33
दमन व दीव	585	1.38	568	1.46	3626	0.45	43326	0.39	17	0.50	66	0.06	3307	0.42
दिल्ली	476	1.12	457	1.17	6450	0.80	46711	0.42	19	0.56	30	0.03	1622	0.21
केरल	466	1.10	411	1.05	7231	0.90	66632	0.61	55	1.61	2513	2.40	13447	1.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पांडिचेरी	413	0.97	396	10.2	4394	0.55	379996	3.45	17	0.50	1254	1.20	2868	0.37
हिमाचल प्रदेश	399	0.94	367	0.94	8367	1.04	85046	0.77	32	0.94	476	0.45	6140	0.79
बिहार	384	0.91	342	0.88	7805	0.97	55222	0.50	42	1.23	1806	1.72	15704	2.01
गोवा	387	0.87	334	0.86	4773	0.59	34191	0.31	33	0.97	151	0.14	3287	0.42
उड़ीसा	304	0.72	267	0.69	18263	2.27	100563	0.91	37	1.09	5444	5.19	11882	1.52
असम	107	0.25	96	0.25	3554	0.44	15019	0.14	11	0.32	2430	2.32	4278	0.55
जम्मू व कश्मीर	78	0.18	74	0.19	589	0.07	35122	0.32	4	0.12	66	0.60	1705	0.22
चंडीगढ़	29	0.07	28	0.07	422	0.05	5151	0.05	1	0.03	0	0.00	9	0.00
मेघालय	23	0.05	23	0.06	309	0.04	2644	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
सिक्किम	11	0.03	10	0.03	28	0.00	780	0.01	1	0.03	5	0.00	204	0.03
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	9	0.02	9	0.02	332	0.04	2610	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
अरुणाचल प्रदेश	7	0.02	3	0.01	40	0.00	172	0.00	4	0.12	1	0.00	522	0.07
नागालैण्ड	6	0.01	5	0.01	158	0.02	972	0.01	1	0.03	0	0.00	0	0.00
त्रिपुरा	5	0.01	5	0.01	1041	0.13	1372	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
लक्षद्वीप	1	0.00	1	0.00	4	0.00	278	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.	0.00
मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
एक से अधिक राज्य	13	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	038	355	0.34	2293	0.29
जोड़	42372	100.00	38963	100.00	803980	100.00	6660441	100.00	3409	100.00	104908	100.00	780678	100.00

[अनुवाद]

साइकिलों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क

4173. श्री जी.एस.बसवराज : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 अप्रैल, 2000 से खुले सामान्य लाइसेंस के तहत पूरी तरह से एकीकृत साइकिलों के आयात को और उदारीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मिनी साइकिलों का बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है और उन्हें सस्ते में बेचा जा रहा है;

(ग) क्या देशी साइकिल उद्योग ने समान अवसर देना सुनिश्चित करने हेतु आयातित साइकिलों पर अतिरिक्त प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाने संबंधी मामला सरकार के समक्ष रखा है;

(घ) क्या कम शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुओं के उदारीकृत आयात से देशी उद्योग इकाइयों की उत्तरजीविता पर खतरा मंडरा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) साईकिलों (एक्जिम कोड सं. 871200 01) पर से निर्यात प्रतिबंध दिनांक 31.03.2000 से हटा लिए गए थे। ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें देश में चीनी साईकिलों के संभावित आयात और घरेलू विनिर्माताओं पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है।

साईकिलों के आयात पर कुल 44.04% सीमाशुल्क लगता है। इससे घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण मिलना चाहिए। तथापि, सरकार आयातों पर लगातार निगरानी रख रही है और वह टैरिफ के समुचित इस्तेमाल तथा डब्ल्यू टी ओ के अन्य संगत तंत्रों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है कि आयात प्रतिबंध हटा लिए जाने के कारण आयातों से घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति अथवा नुकसान नहीं पहुंचता है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने ऐसी अनेक मदों पर शुल्कों में वृद्धि कर दी है जिनके आयातों में अत्यधिक वृद्धि देखी गयी थी अथवा उसकी आशंका थी। सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के संभवित प्रभाव का आकलन करने एवं समुचित सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी दल का भी गठन किया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रियों के एक दल को लघु उद्योग क्षेत्र को समर्थ बनाने हेतु तौर–तरीके सुझाने का कार्य सौंपा गया है।

उपभोक्ता संबंधी मामलों के लिये कार्यक्रम

4174. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एम.आर.टी.पी. और उपभोक्ता संरक्षण परिषदों द्वारा निपटाये गये मामलों और विज्ञापनदाताओं द्वारा उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन संबंधी इन निकायों को महत्वपूर्ण निर्णयों पर कार्यक्रम प्रसारित करने की व्यवस्था की है;

(ख) क्या सरकार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों मीडिया में सभी वाणिज्यिक विज्ञापन कार्य पर उपकर लगाने संबंधी कोई उपयुक्त विधेयक लायेगी जिससे कि उसी मीडिया में जहां से विज्ञापन, उनमें विज्ञापनदाताओं द्वारा किये गये झूठे और अनैतिक दावों का खंडन करने के लिये एक उपभोक्ता मीडिया कोष की स्थापना की जायेगी;

(ग) क्या सरकार नियमित रूप से एक साप्ताहिक दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रयास करेगी जिसमें सभी उपभोक्ता शिकायतों का सीधा प्रसारण हो सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उपभोक्ताओं के अधिकारों को नियमित रूप से किन–किन कार्यक्रमों में उजागर किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) एक लोक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेटवर्कों पर उपभोक्ता मामलों सहित सभी सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित करता है। जब कभी किसी महत्त्वपूर्ण मामले में जनता से संबंधित कोई निर्णय घोषित किया जाता है तो ऐसी मदों को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा समाचारों एवं समाचार आधारित कार्यक्रमों में कवर किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) हालांकि उपभोक्ता मामलों से संबंधित कार्यक्रम नियमित रूप से एक नियत समय स्लॉट पर प्रसारित नहीं किए जाते हैं तथापि, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने तथा सूचना देने का प्रयास करते हैं।

[हिन्दी]

नैनीताल बैंक लिमिटेड का बैंक आफ बड़ौदा में विलय

4175. श्री जय प्रकाश : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनीताल बैंक लिमिटेड का बैंक आफ बड़ौदा लिमिटेड में विलय किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विलय के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

इंजीनियर्स प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड

4176. श्री सुरेश रामराव जाधव :

डॉ. जसवन्त सिंह यादव :

क्या भारी **उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंजीनियर्स प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड (ईपीआई) के पूंजीगत और वित्तीय पुनर्गठन के किसी व्यापक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जाएगा ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) जी, हां। प्रस्ताव में शामिल है – योजना/गैर योजना ऋण तथा उस पर बने ब्याज के एक भाग को इक्विटी में बदलना, देय ऋण का आंशिक पुनर्भुगतान करना और बकाया ऋण पर ब्याज त्यागना। ईपीआई की मौजूदा वित्तीय संरचना संलग्न विवरण में दी गई है। सरकार का निर्णय प्राप्त करने के लिए अंतर–मंत्रालयी परामर्श प्रक्रियाधीन है।

विवरण

ईपीआई की पूंजीगत संरचना (31.3.2000 की स्थिति के अनुसार)

प्राधिकृत पूंजी	रुपये 10.00 करोड़
प्राधिकृत पूंजी	रुपये 10.00 करोड़
प्रदत्त पूंजी	रुपये 8.00 करोड़
योजना ऋण	रुपये 6.00 करोड़
गैर–योजना ऋण	रुपये 219.49 करोड़
सरकारी ऋण पर बकाया ब्याज	रुपये 801.91 करोड़
31.3.2000 तक संचित हानि (अलेखापरीक्षित)	रुपये 887.17 करोड़
निवल पूंजी	रुपये (–) 818.66 करोड़

[हिन्दी]

बैंकिंग प्रणाली में सुधार

4177. श्री सुरेश चन्देल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकिंग प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बैंकिग सुधार आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो बैंकिंग क्षेत्र में किस तरीके से सुधार किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार शुरू किए गए थे, इस समिति ने 1991 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अप्रैल, 1998 में, श्री एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति ने संस्थागत पर्यवेक्षी, विधायी तथा बैंकिंग नीति पक्ष सहित कई अनुशंसाएं की थीं। ये अनुशंसाएं पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, अनुपयोज्य आस्तियां, प्रत्यक्ष ऋण, विवेकपूर्ण मानदण्ड, प्रकटीकरण अपेक्षा, बैंकों में प्रणाली एवं पद्धतियां, ढांचागत मुद्दे, ग्रामीण तथा लघु उद्योग ऋण, विनियमन तथा पर्यवेक्षण, कानूनी तथा विधायी रूपरेखा से संबंधित हैं। ये अनुशंसाएं जिनमें से कुछ का कार्यान्वयन किया जा चुका है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की अविरत प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगदान करती हैं।

[अनुवाद]

डी.आई.सी.जी.सी.

4178. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश राज्य वित्त निगमों द्वारा उच्च

प्रीमियम, निम्न कवरेज और असंतोषजनक सेवाओं के कारण डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के साथ अपना कारोबार बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार/आई.डी.बी.आई. द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने डी.आई.सी.जी.सी. की वर्तमान योजना को समाप्त करने तथा इसे "सिडबी" (एस.आई.डी.बी.आई.) के माध्यम से उपभोक्ता अनुकूल बनाने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने तथा "सिडबी" के माध्यम से योजना चलाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने बताया है कि उनकी योजनाओं में 22 राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) ने भाग लिया था और अब वे सभी इन योजनाओं से हट गए हैं। जबकि कुछ एसएफसी प्रीमियम नहीं दे रहे थे और इसलिए बिना कोई कारण बताए उन्होंने भागीदारी समाप्त कर दी थी, तथापि कुछ अन्यों ने ऋण गारंटी सहायता के स्थान पर अपनी स्वयं की आरक्षित निधि स्थापित करने, गारंटी शुल्क से होने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार से मुक्त होने, डीआईसीजीसी द्वारा सभी अग्रिम राशियों पर अप्रैल 1989 से समान रूप से गारंटी बढ़ाने आदि जैसे कारण बताते हुए योजनाओं से हटने का विकल्प दिया था।

(ख) और (ग) मौजूदा डीआईसीजीसी योजना तथा लघु उद्योग इकाइयों के उद्यमियों द्वारा बैंक ऋण प्राप्त करने में होने वाली समस्याओं की जांच करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की थी। समिति ने जून, 1998 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की थी कि मौजूदा डीआईसीजीसी योजना के स्थान पर अधिक उद्देश्य वाली और उपयुक्त योजना नए निगम द्वारा संचालित की जानी चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक को सिडबी में इसे स्थापित करने के लिए पहल की जानी चाहिए। लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार ने लघु उद्योगों के लिए नई प्रत्यय गारंटी निधि (योजना) (सीजीएफएसआई) संचालित करने के लिए पहल की है। सीजीएफएसआई को सरकार और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित लघु उद्योगों के लिए प्रत्यय गारंटी निधि न्यास के जरिए संचालित किया जा रहा है, जो 27 जुलाई, 2000 को मुम्बई में पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) का कुल परिसम्पत्ति मूल्य

4179. श्री किरीट सौमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.)–64 का कुल परिसम्पत्ति मूल्य कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून के अनुसार 1996 से 2000 तक इसका कुल परिसम्पति मूल्य क्या था;

(ग) कुल परिसम्पत्ति मूल्य मे कमी आने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) की इकाई संख्या–64 के कुल परिसम्पत्ति मूल्य में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासहिब विखे पाटिल) : (क) से (घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट स्कीम 1964 निवल परिसम्पत्ति मूल्य चालित योजना नहीं है। यूनिट स्कीम–64 के बिक्री तथा पुनः खरीद मूल्यों की घोषणा सामान्यतया प्रत्येक माह के आरम्भ में एक बार की जाती है। अगस्त, 2000 में बिक्री तथा पुनः खरीद मूल्य क्रमशः 13.65 रुपए तथा 13.35 रुपए है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अब त्रैमासिक आधार पर यूनिट स्कीम–64 के इक्विटी पोर्टफोलियो विवरणों का प्रकाशन आरम्भ कर दिया है।

यूनिट स्कीम–64 के कार्यकरण की व्यापक पुनरीक्षा करने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अक्टूबर, 1998 में नियुक्त दीपक पारेख सम्मिति ने अन्य बातों के अलावा यह अनुशंसा की थी कि यूनिट स्कीम–64 को तीन वर्षों के भीतर निवल परिसम्पत्ति मूल्य चालित बन जाना चाहिए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट इस दिशा में कार्य कर रहा है इसके अतिरिक्त, अभिवृद्धि इक्विटी स्टॉकों के भारांशों के संवर्धन के लिए स्कीम के पोर्टफोलियों की पुनः संरचना की गई है।

स्वीडन के साथ आर्थिक संबंध

4180. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वीडन के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में भारत–स्वीडन के बीच व्यापार/आर्थिक संबंध स्थापित किये जाने हैं;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों के अंतर्गत

अनेक मद–क्षेत्र आते हैं, जिसमें शामिल हैं–दूरसंचार, कागज, प्लास्टिक, मशीनरी, लोहा तथा इस्पात, भेषज सामग्री, वस्त्र, चमडे से बने सामान इत्यादि। भारत तथा स्वीडन के बीच 4 जुलाई, 2000 को निवेश को बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए एक द्विपक्षीय करार किया गया है। इससे स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में निवेश बढ़ाने की उम्मीद की जाती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विज्ञापनों के द्वारा अर्जित राजस्व

4181. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा विज्ञापनों के द्वारा वर्ष–वार तथा केन्द्र–वार कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों के रख–रखाव तथा नवीकरण हेतु पृथक–पृथक कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में दूरदर्शन/आकाशवाणी के कोई नए केन्द्र स्थापित करने हेतु कार्य आरंभ हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त नए केन्द्र कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में राजस्व अर्जक स्टेशनों/केन्द्रों द्वारा अर्जित राजस्व और इनके अनुरक्षण तथा नवीकरण हेतु खर्च की गई राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जबकि पिछले तीन वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में कोई नया रेडियो केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है तथापि, दूरदर्शन द्वारा उक्त अवधि के दौरान मुम्बई, नागपुर तथा पुणे में 3 स्टूडियो परियोजनाएं और 31 ट्रांसमीटर परियोजनाएं (उच्च शक्ति ट्रासमीटर–2, अल्प शक्ति ट्रांसमीटर–17, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर–12) चालू की गई हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा इस समय महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

आकाशवाणी : उरोस (1 कि.वा.मी.वेव ट्रांसमीटर) तथा अमरावती (10 कि.वा. एफ.एम.ट्रासंमीटर) में स्थानीय रेडियो केन्द्र।

दूरदर्शन : उच्च शक्ति ट्रांसमीटर : चन्द्रपुर, जलगांव तथा रत्नागिरी;

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर : रेबर, धारगांव, मागरागढ़ नासिक (डीडी–2) तथा शोलापुर (डीडी–2)

अति अल्प शक्ति ट्रासंमीटर : अम्बेट तथा सकोली

उपर्युक्त सभी ट्रांसमीटर परियोजनाओं को चरणवद्ध रूप से 9वीं योजना अवधि के अन्त तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

(लाख रुपए में)

स्टेशन/केन्द्र	1997–98		1998–99		1999–2000	
	अर्जित राशि	नवीकरण/अनुरक्षण पर व्यय की गई कुल राशि	अर्जित राशि	नवीकरण/अनुरक्षण पर व्यय की गई कुल राशि	अर्जित राशि	नवीकरण अनुरक्षण पर व्यय की गई कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
मुम्बई	132.69	47.21	212.32	58.82	345.65	67.48
पुणे	125.50	7.59	81.74	10.34	87.29	14.26
नागपुर	73.77	15.50	26.79	19.17	15.03	27.73
सांगली	94.15	4.52	63.21	6.42	50.14	9.86

1	2	3	4	5	6	7
जलगांव	49.36	4.67	20.59	7.89	9.48	7.83
औरंगाबाद	44.85	3.90	22.50	4.95	12.62	8.83
परभणी	31.05	3.44	15.57	3.28	8.95	4.20
रत्नागिरी	25.60	3.81	12.77	5.00	5.79	5.82
अकोला	1.30	2.45	3.46	2.59	2.19	2.99
अहमदनगर	2.56	1.78	4.82	2.68	2.87	3.34
बीड	0.49	1.39	2.22	0.99	1.38	1.78
चन्द्रपुर	1.10	0.60	2.20	3.36	1.69	3.70
धुले	0.70	0.38	3.32	1.44	1.87	2.70
कोल्हापुर	1.56	2.84	9.95	4.38	2.70	5.32
नासिक	2.42	0.86	7.28	2.34	2.66	4.62
नान्देड़	0.77	1.21	2.37	2.05	1.15	2.36
उस्मानाबाद	0.98	–	1.17	3.21	1.09	2.90
शोलापुर	4.99	1.97	6.48	4.65	5.46	7.31
सतारा	2.20	0.54	3.17	1.30	1.63	2.25
यवतमाल	0.76	–	2.24	3.46	1.05	3.63
मुम्बई	1449.00	47.19	1425.00	51.06	1476.00	46.74

[अनुवाद]

बैंक खातों में नामांकन सुविधा

4182. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक, बैंक खाता पासबुक/आवधिक जमा प्राप्ति कर नामांकन सुविधा को दर्ज करने से संबधित भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी.आई.) के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) बैंक जमाकर्ताओं को दी जाने वाली नामांकन सुविधाओं के बारे में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय–समय पर मार्ग–निर्देश जारी किए हैं। मई, 1999 में, बैंकों से कहा गया था कि वे नामांकन से संबंधित जानकारी पास बुक के आवरण और सावधि जमा रसीदों पर मुद्रित करवाएं। इस प्रकार की सूचना नहीं है कि बैंक इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं।

केन्द्रीय भण्डारण निगम कर्मचारी यूनियनों को मान्यता

4183. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डारण निगम कर्मचारी यूनियन परिसंघ, मुम्बई को शीर्ष स्तर पर मान्यता प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रबंधन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य परिसंघ को मान्यता दी गई है;

(ग) क्या प्रबंधन अखिल भारतीय स्तर के मामलों के निपटान हेतु अनुशासन संहिता, 1958 का पालन कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) दूसरे मजदूरी संशोधन से पूर्व केवल एक शीर्ष स्तर की ट्रेड यूनियन नामतः द फेडरेशन ऑफ सी.डब्ल्यू. सी.एम्पलायज यूनियन, मुम्बई थी जिसे केन्द्रीय भण्डारण निगम से मान्यता प्राप्त थी। दूसरे मजदूरी संशोधन के उपरांत अंतर्यूनियन विरोध के कारण यह परिसंघ दो घटकों (फेडरेशन ऑफ सी.डब्ल्यू.सी. एम्पलायज यूनियन, मुम्बई और फेडरेशन ऑफ एम्पलायज यूनियन, दिल्ली) में बंट गया, जिनमें से प्रत्येक अपना बहुमत बताकर वास्तविक फेडरेशन होने का दावा करता रहा। इसी बीच तीसरा शीर्ष निकाय नामतः आल इंडिया सी.डब्ल्यू. सी. एम्पलायज यूनियन फ्रंट, लखनऊ भी बन गया और इससे सम्बद्ध एक क्षेत्रीय ट्रेड यूनियन के सदस्यों का सत्यापन करने के पश्चात् उसे मान्यता प्रदान कर दी गई थी। केन्द्रीय भण्डारण निगम ने उनके बहुमत के स्तर के बारे में निर्णय करने के लिए सदस्यों का सत्यापन करने का मामला दिनांक 2 जनवरी, 1997 को श्रम मंत्रालय के साथ उठाया था। श्रम मंत्रालय ने अभी तक सत्यापन करने का काम नहीं किया है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय स्वरूप के मुद्दों पर कार्रवाई करने के समय केन्द्रीय भण्डारण निगम का प्रबंधन अनुशासन संहिता अपना रहा है।

उदारीकरण प्रक्रिया के संबंध में अर्थशास्त्रियों का पैनल

4184. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री शिवाजी माने :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उदारीकरण प्रक्रिया के संबंध में "हाऊ टू प्रोसीड" नामक एक दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों के एक दल और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य राजनैतिक दलों के वैचारिक बहमताओं के आर्थिक निर्णयों को सन्निहित करने और सुधार प्रक्रिया के विरोधियों को कोई संकेत देने का है;

(ग) यदि हां, तो इस दल द्वारा सरकार को अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस निर्णय से सरकार को किसी राजनैतिक भेदभाव के बगैर आर्थिक सुधारों को जारी रखने में सहायता मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की 17 जुलाई, 2000 को आयोजित पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुधार संबंधी कार्यसूची की रूपरेखा को स्पष्ट करने के लिए एक आम नीति पत्र तैयार किया जाए।

[हिन्दी]

पर्यटक जिले

4185. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों में कतिपय जिलों को पर्यटक जिले घोषित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में प्रसिद्ध ऐतिहासिक रणथम्भौर बाघ परियोजना को ध्यान में रखते हुए इस जिले को "पर्यटक जिला" घोषित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) पर्यटन विभाग, देश के विभिन्न राज्यों के जिलों को पर्यटक जिलों के रूप से घोषित नहीं करता है। तथापि, पर्यटन विभाग देश में अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके प्रत्येक वर्ष पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। वर्ष 1997-98 के दौरान राजस्थान में दुर्ग झूमर बावड़ी, सवाई माधोपुर के उन्नयन के लिए 23.35 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की गई थी।

[अनुवाद]

नकदी फसलों का निर्यात

4186. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा और मूल्य की विभिन्न नकदी फसलों का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त निर्यात में नकदी फसल उगाने वाले विभिन्न बड़े राज्यों का राज्य-वार हिस्सा कितना है;

(ग) विश्व में नकदी फसलों के निर्यात के संदर्भ में भारत की वर्तमान स्थिति कैसी है; और

(घ) नकदी फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या ठोस उपाय किये गये हैं और नौंवी योजना के दौरान किन उपायों पर बल देने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न नकदी फसलों का निर्यात, मात्रा और मूल्य के रूप में निम्नानुसार है :

अवधि : अप्रैल–मार्च
मात्रा : टनों में
मूल्य : लाख रुपए में

मद	1999–2000		1998–99		1997–98	
	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा
तंबाकू	99253	138022	76178	88964	107024	144697
मसाले	170192	195793	163252	209828	140966	230531
काजू	245361	93215	163160	79169	140708	81348
चीनी	1076.5	7043	1735.9	12735	24445	173282
चाय	176577	183807	226489	210395	187629	193700
कॉफी	136407	165309	172792	193610	169614	160272
रूई	8067.1	16750	20692	41960	82189	157534
रबड़	लागू नहीं	5989	559.18	1840	512.28	1415

(ख) केन्द्र सरकार समग्र रूप में देश के लिए निर्यात आंकड़े रखती है न कि राज्य वार।

(ग) विश्व बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा लगभग 1% है। विश्व बाजार में जिन कुछेक नकदी फसलों का हिस्सा काफी अधिक है उनमें शामिल हैं—काजू गिरी लगभग 66%, मसाला लगभग 50%, चाय लगभग 15.74%, कॉफी लगभग 4.13%, और तम्बाकू लगभग 4.7%।

(घ) नकदी फसल सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उठाये गए प्रस्तावित कुछेक कदमों में शामिल हैं :

(1) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करने, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीनीकरण, क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता में सुधार लाना और किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) उन्नत पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण और प्रसंस्करण एककों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(3) क्रेता–विक्रेता बैठकों और महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(4) डाटा बेस के विकास में और बाजार सूचना मुहैया कराने के लिए सहायता प्रदान करना;

(5) गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्रदूषण को हटाने एवं फंगी और जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए उत्पादों की जांच हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना।

प्रिंटिंग प्रेसों का आयात

4187. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्व आसूचना निदेशालय (डी आर आई) ने निर्यात–आयात नीति के

वास्तविक प्रयोक्ता खण्ड का उल्लंघन कर सैकड़ों प्रिंटिंग प्रेसों का आयात किए जाने और पुनः बेचे जाने की धोखाधड़ी का भन्डाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत इस मामले की जांच पड़ताल की है और संबंधित आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

(घ) सीमाशुल्क विभाग और राजस्व आसूचना निदेशालय के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों को चौकसी रखने और ऐसी धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए और अधिक आसूचना एकत्र करने और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ियों की रोकथाम हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

विदेशी-कम्पनियों द्वारा सीमेंट संयंत्रों की खरीद

4188. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उदारीकरण नीति के चलते विदेशी कम्पनियों के लिए भारतीय सीमेंट संयंत्रों की खरीद करना आसान हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के परिणामस्वरूप भारतीय सीमेंट उद्योग, भारतीय व्यापार घरानों के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) उदारीकरण नीति के अनुसार विदेशी कंपनियां किसी विद्यमान भारतीय कंपनी को केवल तब ही खरीद सकती हैं, जब प्रस्ताव का समर्थन कंपनी के बोर्ड के संकल्प द्वारा किया गया हो और यह सेबी/भारतीय रिजर्व बैंक के संबद्ध दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।

(ख) और (ग) सरकार की नीतिगत पहलों का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करने की दृष्टि से आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, उत्पादकता और दक्षता को बढ़ावा देना है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय सीमेंट उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार आने की संभावना है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा।

बौद्धकालीन ऐतिहासिक स्थलों का विकास

4189. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौद्धकालीन ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए किसी विदेशी राष्ट्र अथवा किसी वित्तीय संस्था से किसी वित्तीय सहायता का चयन अथवा धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से ऐतिहासिक महत्त्व के ऐसे स्थलों के विकास के लिए योजनाएं प्रस्तुत करने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों से संबंधित ब्यौरा क्या है जिन्होंने बौद्धकालीन स्थलों के विकास के लिए ऐसी विदेशी सहायता का उपयोग करने के संदर्भ में योजनाएं प्रस्तुत की हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में अजन्ता और एलोरा के संरक्षण तथा विकास के लिए जनवरी, 1992 में जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ ई सी एफ) के साथ एक ऋण समझौता किया था। इस कोष से सहायता की राशि 3745 मिलियन जापानी येन है। परियोजना के मुख्य घटक हैं – वृक्षारोपण, औरंगाबाद के विमानपत्तन पर उपलब्ध सुविधाओं का उन्नयन, सड़कों का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण, जलापूर्ति तथा सीवेज़ में सुधार, विद्युत आपूर्ति में सुधार, स्मारकों का संरक्षण तथा पर्यटक प्रबंध सुविधाएं। इस परियोजना के मार्च, 2002 तक पूर्ण हो जाने की सभावना है।

सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में विनिर्दिष्ट बौद्ध परिपथों सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित करने के लिए जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ ई सी एफ) के साथ दिसम्बर, 1988 में भी एक ऋण समझौता किया था। समझौते के तहत कोष द्वारा 7.7 बिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता दी जानी थी। इस परियोजना के मुख्य घटकों में शामिल थे – राष्ट्रीय राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण, भू सुन्दरीकरण, जल एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार, मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान आदि। इस परियोजना के तहत शामिल स्थल हैं – उत्तर प्रदेश राज्य में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा और श्रावस्ती तथा बिहार में बोधगया, नालन्दा, राजगीर और वैशाली। यह परियोजना दिसम्बर, 1998 में पूर्ण हो गयी है जिस पर 251.050 करोड़ रुपए की लागत आई है।

(ग) और (घ) विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ ई सी एफ) इस समय भारत की किसी भी नयी परियोजनाओं के लिए सहायता नहीं दे रहा है क्योंकि जापान सरकार ने मई 1998 में किए गए नाभिकीय परीक्षणों के अनुसरण में किए गए आर्थिक उपायों के अनुसार सभी नयी परियोजनाओं के लिए येन ऋण बंद कर दिया है।

बुनियादी सुविधाओं हेतु वित्त पोषण की नई प्रणाली

4190. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने बुनियादी सुविधाओं के वित्त पोषण हेतु नई प्रणालियां उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आर.बी.आई. द्वारा इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ने मूलभूत परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु कोई नयी विधि तैयार नहीं की है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1999 में परिचालनात्मक मार्ग–निर्देश जारी किए हैं जिनमें मूलभूत परियोजनाओं के वित्तपोषण से संबंधित पहलुओं का उल्लेख किया गया है और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से कहा गया है कि वे निर्धारित मानदंडों के अध्यधीन तकनीकी रूप से व्यवहार्य वित्तीय रूप से अर्थक्षम तथा बैंक योग्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण मंजूर करें।

मूलभूत परियोजनाओं को संस्थागत ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सावधि ऋण की प्रमात्रा पर अधिकतम सीमा से संबंधित शर्त समाप्त कर दी है जो किसी एक परियोजना (ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए तथा अन्य परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए) के लिए बैंकों द्वारा दी जा सकती है। बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे 50 प्रतिशत के समूह एक्सपोजर को 10 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं बशर्ते कि, अतिरिक्त एक्सपोजर मूलभूत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए हो।

विदेशी राष्ट्रों को ऋण

4191. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी राष्ट्रों, जिनमें यूगांडा, तंजानियां, केन्या और सूडान शामिल हैं, ने भारत सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए ऋणों की अदायगी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन ऋणों की वसूली के संबंध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक देश पर ब्याज सहित कितना ऋण बकाया है और यह किस–किस तारीख से बकाया है;

(घ) क्या सरकार का इन देशों द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाने के मद्देनजर इनमें काम कर रहे निजी उद्योगों में अशोध्य ऋणों का निवेश करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (च) भारत सरकार ने विभिन्न देशों को ऋणों की श्रृंखलाएं प्रदान की हैं। परन्तु भारत सरकार द्वारा सूडान सरकार को कोई ऋण–श्रृंखला प्रदान नहीं की गई है। यूगांडा, तंजानियां और केन्या जैसे कुछ देशों, जो अत्यधिक ऋणग्रस्त गरीब देश (एचआईपीसी) हैं, को अपना कर्ज वापस चुकाने में दिक्कतें हो रही हैं। हम द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए बकाया ऋण की इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिन कुछ विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, वे हैं –भारतीय कंपनियों द्वारा स्थानीय निवेश, वस्तुओं के रूप में पुनःअदायगी और निजी हाथों में सौंपी जा रही सरकारी स्वामित्वाधीन कंपनियों में इक्विटी सहभागिता। हमने तंजानियां के संबंध में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के एक प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है।

इन देशों के संबंध में भारत सरकार को देय बकाया राशियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

देश	मूलधन	ब्याज
यूगांडा	3.207 मिलियन अमरीकी डालर (31.12.1999 की स्थिति के अनुसार)	1.189 मिलियन अमरीकी डालर (31.12.1999 की स्थिति के अनुसार)
तंजानियां	9.17 करोड़ रुपए (30.6.2000 की स्थिति के अनुसार)	7.61 करोड़ रुपए (30.6.2000 की स्थिति के अनुसार)
केन्या	2.72 करोड़ रुपए (30.6.2000 की स्थिति के अनुसार)	1.62 करोड़ रुपए (30.6.2000 की स्थिति के अनुसार)

[हिन्दी]

अप्रयुक्त नमक उत्पादन भूमि

4192. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई के निकट नमक उत्पादन हेतु एक विशाल भूमि नमक के न बनाए जाने के कारण अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस भूमि के इष्टतम उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किसी आयोग का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस भूमि के निपटान के लिए क्या कोई कदम उठा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) जी, नहीं। नमक विनिर्माण न किये जाने के कारण मुबंई के निकट (थाणे जिले में) केन्द्र सरकार की नमक–भूमि का बड़ा क्षेत्र अप्रयुक्त नहीं पड़ा है। तथापि, वहां मौजूद नमक–पटल–भूमि के कुल 6359 एकड़ क्षेत्र में से राय नमक फैक्टरी में मात्र 51 एकड़ भूमि अप्रयुक्त पड़ी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के कार्यकरण की निगरानी

4193. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों के कार्यकरण की निगरानी के लिए एकीकृत तंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीआईएफआर के पास औद्योगिक पुनरुत्थान के लंबित मामले

4194. श्री बिक्रम केशरी देव :

श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

श्री सुबोध मोहिते :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य–वार निजी क्षेत्र के किन उद्योगों और सरकारी क्षेत्र के किन उपक्रमों को बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया है;

(ख) इनमें से किन उद्योगों के लिए पुनर्वास योजना को मंजूरी दे दी गई है;

(ग) लंबित मामलों के निपटारे में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) किन औद्योगिक इकाइयों के पुनरुत्थान के मामले अस्वीकार कर दिए गए हैं; और

(ङ) किन इकाइयों को कैबिनेट द्वारा बंद घोषित किया जा चुका है और कौन सी ऐसी इकाई है जो पहले से ही बंद होने की सूची में है, किन्तु कैबिनेट के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क), (ख), (घ) और (ङ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैर–सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से 2894 संदर्भ और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से 174 संदर्भ [74 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) तथा 100 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (एसपीएसयू)] प्राप्त हुए है और रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अधीन बोर्ड के पास पंजीकृत कराए गए हैं।

इनमें से गैर–सरकारी क्षेत्र की 551 रुग्ण कंपनियों तथा सरकारी क्षेत्र की 52 रुग्ण कंपनियों (24 सीपीएसयू और 28 एसपीएसयू) के पुनरुज्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाएं मंजूर की गई थीं।

बीआईएफआर ने 626 कंपनियों [गैर–सरकारी क्षेत्र की 595 रुग्ण कंपनियों तथा सरकारी क्षेत्र की 31 कंपनियों (5 सीपीएसयू एवं 26 एसपीएसयू)] के मामले को रख–रखाव योग्य न मानकर रद्द कर दिया है।

बीआईएफआर ने गैर–सरकारी क्षेत्र की 708 कंपनियों तथा सरकारी क्षेत्र की 33 कंपनियों (11 सीपीएसयू और 22 एसपीएसयू)

की परिसमापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत संबंधित उच्च न्यायालय के पास सिफारिश की है।

लोक वित्तीय संस्थाओं के बीच प्रचलित प्रथाओं और रीति–रिवाजों और लोक वित्तीय संस्थाओं के प्रावधानों को नियंत्रित करने वाले कानूनों, साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार, अलग–अलग घटकों से संबधित अतिरिक्त विवरण प्रकट नहीं किये जा सकते हैं।

बोर्ड के पास पंजीकृत इन 3068 रुग्ण कंपनियों का राज्य–वार विवरण संलग्न है।

(ग) बाइफर ने सूचित किया है कि बोर्ड द्वारा मामलों के निपटारे में निम्नलिखित कारकों के कारण देरी हुई :

- सभी हितबद्ध पार्टियों को अवसर देने की आवश्यकता।
- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की ओर से रुग्ण कंपनी में अपने निवेश को बढ़ाने में हिचकिचाहट।
- पुनर्वास में अंतर्ग्रस्त सभी एजेंसियों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता।
- रुग्ण कंपनियों, परिचालन एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा बोर्ड के निदेश की अनुपालना न करना अथवा देरी से अनुपालना करना।

विवरण

बाइफर के पास संदर्भित गैर सरकारी उद्योगों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या
1	2
असम	14
आंध्र प्रदेश	337
बिहार	66
चंडीगढ़	8
दादरा एवं नगर हवेली	5
गोवा	13
गुजरात	269
हरियाणा	110
हिमाचल प्रदेश	41
जम्मू एवं कश्मीर	6
केरल	77
कर्नाटक	186
मध्य प्रदेश	163
महाराष्ट्र	545
मणिपुर	3
मेघालय	4
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	99
नागालैंड	3
उड़ीसा	53
पांडिचेरी	12
पंजाब	122
तमिलनाडु	267
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	277
पश्चिम बंगाल	257
राजस्थान	129

[हिन्दी]

दूरदर्शन में पुराने उपकरण

4195. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्रों में दूरदर्शन कैमरे और अन्य उपकरण पुराने हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुराने उपकरणों और कैमरों को बदलने और अत्याधुनिक उपकरण और यंत्र संस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं; और

(ङ) इस वास्ते कितनी धनराशि आबंटित/खर्च की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूरदर्शन केन्द्रों में सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और इस बारे में स्कीमें संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए समय–समय पर तैयार एवं कार्यान्वित की जाती हैं। दूरदर्शन द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए पूरी की गई कुछ परियोजनाएं नीचे दी गई हैं :

(1) मुम्बई, नागपुर एवं राजकोट में नए आधुनिक स्टूडियो।

(2) डीडी–1, डीडी–2, डीडी–न्यूज डीडी–स्पोर्ट्स और डीडी इन्टरनेशनल के लिए डिजिटल उपग्रह अपलिंक सुविधाएं;

(3) दूरदर्शन केन्द्र, मुम्बई, कलकत्ता, चैन्नई, बैंगलूर, गुवाहाटी एवं त्रिवेन्द्रम में डिजिटल एवं एनालॉग दोनों में एक साथ अपलिंक सुविधाएं;

(4) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में स्वचालन सुविधा।

इसके अतिरिक्त, कई केन्द्रों को नवीनतम उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं और कुछ पुराने ट्रांसमीटरों के स्थान पर नए ट्रांसमीटर लगा दिए गए हैं।

(ङ) नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन की आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्थापन स्कीमों पर 123.44 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल समझौता

4196. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल की कई कंपनियों ने भारत–नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, पर्यटन और रसायन जैसे कई विविध क्षेत्रों में अनेक करार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कंपनियों ने हाल ही में संयुक्त उद्यम स्थापित करने अथवा भारत से माल का निर्यात करने के बारे में नेपाल की कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मुख्य करार किए गए हैं; और

(घ) इससे भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने में किस हद तक मदद मिलने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) अप्रैल, 2000 के प्रथम सप्ताह में नेपाल के निर्यात संवर्धन बैठक, जिसके लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) नेपाल में एक शिष्टमंडल ले गया था, के समय ऐसे करार किए गए हैं।

(ख) और (ग) अगस्त, 2000 के प्रथम सप्ताह में नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ नेपाली व्यापारियों का एक विशाल शिष्टमंडल आया था। इस यात्रा के दौरान, फिक्की और नेपाल वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (एफ एन सी सी आई) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि व्यापार से संबंधित क्षेत्रों में भारतीय और नेपाली व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संबंध और संयुक्त उद्यम साझेदारी बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेपाल में भारतीय संयुक्त उद्यमों का और संवर्धन करने और सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं, उत्पादकता एवं गुणवत्ता समेत भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने के अपने प्रयासों को तेज करने हेतु 2 अगस्त, 2000 को एफ एन सी सी आई और भारतीय उद्योग परिसंघ (सी सी आई) के बीच एक करार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

(घ) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में निजी क्षेत्र द्वारा ऐसी सक्रिय भूमिका से अवश्य सहायता मिलेगी।

विश्व बैंक द्वारा पत्तन न्यासों को ऋण

4197. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा पत्तन न्यासों को प्रतिवर्ष कितना ऋण उपलब्ध कराया गया;

(ख) ऋण की अदायगी हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या पत्तन न्यासों द्वारा ऋण की अदायगी संतोषजनक है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक ने भारत में पत्तन न्यासों को कोई ऋण सहायता उपलब्ध नहीं करायी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आई.सी.आई.सी. आई. में त्रुटियां

4198. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिर्जव बैंक को भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई.सी.आई.सी.आई.) द्वारा दिए गए ऋण, इसकी आस्तियों, निवेशों, निधि प्रबंधन और आय के संबंध में कतिपय त्रुटियों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम में किस–किस विशिष्ट अवधि में इन त्रुटियों का पता चला है;

(ग) क्या कतिपय ऋण दिए जाने में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा पक्षपात किए जाने का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा वर्ष 1994 से 1997 तक किए गए सभी वित्तीय कारोबार की जांच करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1999 की स्थिति के संदर्भ में, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड का वित्तीय निरीक्षण मई से अगस्त, 1999 की अवधि के दौरान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं के अधिकांश निरीक्षणों के मामलों में संस्थान के कार्यकारण में कतिपय कमियों का पता चला है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों के मूल्यांकन की तुलना में आईसीआईसीआई लि. द्वारा किए गए आस्तियों के मूल्य में हानि के मूल्यांकन में कुछ अन्तर पाया जाना सम्मिलित है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यटक आधारगत विकास योजना

4199. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक आधारगत विकास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई;

(ख) संबंधित राज्य सरकारों को उनकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है और किन शर्तों के आधार पर यह केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस संबंध में निधियों का दुरुपयोग किए जाने और अनियमितताएं किये जाने की ओर दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी परियोजनाओं को पूरा किया गया और शेष परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार द्वारा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग अवसंरचना के विकास के लिए, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों के परामर्श से, अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यों को निधियां प्रदान करता है। वर्ष 1997–2000 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघराज्यों के लिए 226.89 करोड़ रुपयों की राशि की 1016 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। विवरण–पत्र संलग्न है परियोजनाओं की स्वीकृति संबंधी निबंधन और शर्तें निम्नानुसार हैं :

(1) परियोजना को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/लोक निर्माण विभाग द्वारा विधिवत तैयार किए गए विधीक्षित किए गए परियोजना के ब्ल्यू प्रिंट के साथ निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत किया जाए,

(2) परियोजना की कुल लागत के 30 प्रतिशत की प्रथम किश्त स्वीकृति के समय रिलीज की जाती है,

(3) 50 प्रतिशत की दूसरी किश्त उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति पर और 20 प्रतिशत की तीसरी किश्त परियोजना के पूर्ण होने तथा चालू होने के प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति पर रिलीज की जाती है।

(ग) से (च) परियोजनाओं को पूरा करने और निधियों की उपयोगिता करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघराज्यों की है। परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं। परियोजना स्वीकृति की तारीख से 30 महीनों की अधिकतम अवधि के भीतर पूरी

होनी चाहिए। तथापि, कभी–कभी राज्य सरकारों/संघ राज्य–प्रशासनों को भूमि के हस्तांतरण, राज्य के हिस्से की निधियों की समय पर रिलीज आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे परियोजनाओं को पूरा करने में अक्सर देरी हो जाती है। परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटर करने के उद्देश्य से एक मॉनिटरिंग समिति स्थापित की गई है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए, क्षेत्रीय निदेशकों/भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों के निदेशकों तथा राज्य सरकारों वाली क्षेत्रीय समितियां गठित की गई हैं। पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए, विभिन्न राज्यों में उनके दौरों के दौरान, निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं। विभिन्न अन्य फोरमों में भी राज्य सरकारों को परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने का परामर्श दिया जाता है।

देश के पर्यटक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त विभिन्न देशों में स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालय प्रचार अभियानों, पर्यटन एक्सपो आदि के माध्यम से पर्यटन का संवर्धन करते हैं। सूचना प्रोद्योगिकी का प्रयोग करना तथा कियोस्कों की स्थापना करना भी इस दिशा में उठाए गए कदम हैं।

विवरण

वर्ष 1997–1998–99 और 1999–2000 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं तथा स्वीकृति धनराशि (परियोजनाओं में मेले और उत्सव शमिल हैं) के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

(रुपए लाखों में)

क्रम सं.	राज्य	1997–98			1998–99			1999–2000		
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आध्र प्रदेश	12	206.70	69.10	10	244.08	87.85	14	222.22	59.49
2.	असम	14	288.88	94.20	15	457.95	146.14	17	357.35	76.96
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	271.00	82.50	6	216.32	65.55	11	239.28	5'.03
4.	बिहार	11	233.07	76.37	11	237.29	86.68	5	89.71	21.00
5.	गोवा	8	144.62	56.76	14	319.98	114.07	11	279.82	66.43
6.	गुजरात	7	111.84	41.90	15	449.57	126.04	19	327.64	75.59
7.	हरियाणा	6	98.62	44.83	12	333.93	128.10	9	238.33	63.07
8.	हिमाचल प्रदेश	5	119.00	57.50	10	318.00	164.50	17	691.29	191.79
9.	जम्मू एवं कश्मीर	10	293.35	173.25	6	192.85	84.50	16	334.58	94.93
10.	कर्नाटक	10	130.78	60.66	12	399.82	117.47	38	856.40	135.73
11.	केरल	11	287.00	115.00	13	653.05	117.95	19	699.28	137.45
12.	मध्य प्रदेश	10	141.85	55.37	18	441.39	169.72	16	431.08	45.70
13.	महाराष्ट्र	12	169.84	49.14	18	496.27	179.67	30	1003.69	169.02
14.	मणिपुर	5	186.11	56.35	8	140.49	140.40	10	229.00	70.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेघालय	5	97.70	30.55	5	120.48	37.50	5	30.72	6.46
16.	मिजोरम	6	142.45	43.50	8	203.34	62.90	13	292.17	94.41
17.	नागालैण्ड	3	113.90	51.36	11	230.54	69.00	16	291.80	93.75
18.	उड़ीसा	28	552.05	180.00	6	178.60	56.30	19	301.90	78.79
19.	पंजाब	6	52.87	15.72	7	242.14	150.33	8	175.00	42.51
20.	राजस्थान	14	135.33	76.05	22	436.28	146.90	12	131.12	34.34
21.	सिक्किम	11	73.20	36.95	15	136.03	58.92	13	118.98	43.57
22.	तमिलनाडु	7	59.74	22.86	17	316.20	115.85	26	493.85	99.51
23.	त्रिपुरा	8	126.68	44.65	9	169.21	53.00	7	340.76	99.12
24.	उत्तर प्रदेश	13	221.10	78.17	41	869.85	350.14	36	755.45	176.11
25.	पश्चिम बंगाल	7	125.76	35.00	12	211.13	65.37	6	194.01	12.73
26.	अण्डमान और निकोबार	—	—	—	4	162.50	49.50	1	32.37	16.18
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	3	55.18	17.95	4	69.59	13.91
28.	दादरा और नगर हवेली	1	5.20	2.60	2	20.00	6.00	1	30.00	9.00
29.	दिल्ली	8	233.43	143.34	13	223.89	104.43	5	24.50	12.20
30.	दमन और द्वीव	4	60.17	17.25	—	—	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	1	5.00	2.50	1	29.00	13.80	—	—	—
32.	पांडिचेरी	4	35.64	12.83	2	15.00	4.50	10	163.89	52.04
	जोड़	256	4722.88	1823.26	346	8520.36	2992.03	414	9445.78	2137.92

[अनुवाद]

ए.एस.आई. द्वारा संरक्षित तमिलनाडु के स्मारक

4200. श्री पी.डी.एलानगोवन : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तमिलनाडु में संरक्षित स्मारकों की वस्तु–सूची क्या है और गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक स्मारक के संरक्षण पर कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या सलेम जिले में संकगिरी स्थित संकगिरी किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष–वार किले के संरक्षण के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या संकगिरी किले के पास पिछले दिनों उत्खनन/विस्फोट किया गया;

(ङ) यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) तमिलनाडु में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 403 स्मारक तथा स्थल हैं। तमिलनाडु के इन संरक्षित स्मारकों पर पिछले तीन वर्षों में किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

1997–98	1,00,76,24.00	रुपए
1998–99	88,10,025.00	रुपए
1999–2000	1,10,57,449.00	रुपए

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान संकगिरि किला के परिरक्षण, संरक्षण हेतु निधियों का नियतन निम्न प्रकार है :

1995–96	504.00	रुपए
1996–97	8,937.00	रुपए
1997–98	2,594.00	रुपए
1998–99	3,959.00	रुपए
1999–2000	2,67,894.00	रुपए

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मिनी टूल रूम

4201. श्री आर.एस.पाटिल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र प्रायोजित 'मिनी टूल रूम' परियोजना हेतु मार्ग–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1998 में कर्नाटक में हरिहर और हुबली में दो 'मिनी टूल रूम' बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई एक आदर्श योजना राज्य सरकारों को विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए भेजी गयी है। उक्त योजना में मशीनरी की लागत के 90 प्रतिशत के बराबर एक बार अनुदान की परिकल्पना है। मशीनरी की शेष लागत, भूमि तथा भवन की लागत और आवर्ती खर्चे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ग) से (च) केन्द्र सरकार को वर्ष 1998 में कर्नाटक के अन्तर्गत हरिहर और हुबली में लघु औजार कक्ष (मिनी टूल रूम) स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित परियोजना के ब्यौरों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

राजकोषीय घाटा

4202. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2000 की प्रथम तिमाही अर्थात् (अप्रैल–जून 2000) की समाप्ति तक उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इन कारणों को उन व्यर्थ के स्रोतों जिन पर धड़ल्ले से धन खर्च होता है; तथा सरकारी परिवहन, टेलीफोन, मनोरंजन के साधनों, समयोपरि भत्तों के व्यय, यात्रा–व्यय, फर्नीचर, कागज और कागजी–उत्पादों इत्यादि के निरंकुश उपयोग को किस प्रकार नियंत्रित रखने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा अप्रैल–जून, 2000 की अवधि के दौरान 25073 करोड़ रुपए था जबकि इसकी तुलना में अप्रैल–जून, 1999 की अवधि के दौरान यह 33512 करोड़ रुपए था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में कमी अधिक प्राप्तियों के साथ–साथ न्यूनतर गैर–योजना व्यय को प्रतिबिम्बित करती है। राजकोषीय स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है और उभरती हुई राजकोषीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, जब कभी जरूरी हो, राजत्व और व्यय, दोनों पक्षों में समुचित उपाय किए जाते हैं। गैर–योजना व्यय में मितव्ययता लाने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को समय–समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं जिनमें नए पदोंके सृजन पर रोक लगाना, खाली पदों को भरे जाने से पूर्व उनकी समीक्षा करना, कार्यालय खर्चों में कटौती वाहनों की खरीद पर और मनोरंजन/आतिथ्य व्ययों, आदि पर रोक लगाना शामिल है।

पर्यटन के क्षेत्र में विदेशों के साथ समझौते

4203. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के क्षेत्र में विदेशों के साथ कुछ समझौते किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे समझौतों से महाराष्ट्र में पर्यटन का लाभ होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित देशों के साथ द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन/प्रोटोकाल करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं – ईराक, पुर्तगाल, सीरिया, हंगरी, बेलारूस, इजराइल, उजबेकिस्तान, कोरिया (दक्षिणी) गणतंत्र, सिंगापुर, बुलगारिया, रोमानिया, रूस, तुर्की, ईरान, किर्गीस्तान, मेक्सिको, सैशल्स, साइप्रस, पेरू, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, यूनान, मंगोलिया, मोरक्को, इंडोनेशिया, कम्बोडिया और इटली।

पर्यटन सहयोग पर उक्त करार/समझौता ज्ञापन दोनों देशों के मध्य विद्यमान मैत्री संबंधों को बढ़ाने और पर्यटन में व्यापक सहयोग स्थापित करने में गहरी सूझ–बूझ को प्रोत्साहन देने के लिए वचनबद्ध करते हैं। यह पर्यटन संवर्धन तथा प्रचार के संबंध में सहयोग पर विचार करते हैं। यह करार/समझौता ज्ञापन दोनों देशों के मध्य पर्यटन बढ़ाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हो सकते हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर ऐसे करार/समझौता ज्ञापन महाराष्ट्र सहित समूचे भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

500 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों की प्रमाणिकता

4204. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आम लोगों में 500 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों की प्रमाणिकता को लेकर भ्रम का वातावरण है;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापारियों/दुकानदारों/बैंकों द्वारा 500 रुपए के नोटों को लोगों द्वारा अस्वीकार करने के मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आम लोगों तथा व्यवसायी वर्ग में भी ऐसे नोटों की प्रमाणिकता का पता लगाने की कोई विधि नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आम लोगों के बीच प्रमाणिक नोटों की जांच करने के संबंध में जागरूकता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) 500 रुपए मूल्यवर्ग के असली नोटों में अन्तर्निहित कुछ सुरक्षा विशेषताएं जाली नोटों में नहीं पाई जातीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रचार माध्यमों द्वारा दूरदर्शन के जरिए इन सुरक्षा विशेषताओं का व्यापक प्रचार किया है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, नकद धनराशि का लेन–देन करने वाले सरकारी विभागों और व्यापारी संघों, दुकानदारों आदि को असली नोटों की पहचान करने में सहायता करने के लिए इन प्रतिभूति विशेषताओं के विवरण उपलब्ध कराए गए हैं।

सेबी को प्राप्त शिकायतें

4205. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 के दौरान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को कंपनियों के छोटे निवेशकों/शेयरधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) कितने मामलों में शेयरधारक "सेबी" द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट थे; और

(ग) "सेबी" के शिकायतें दूर करने वाले तंत्र को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे छोटे शेयरधारकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि वर्ष 1999–2000 के दौरान, उसे निवेशकों से कंपनियों के विरुद्ध कुल 98,605 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें लघु निवेशकों की शिकायतें भी शामिल हैं। इसी अवधि के दौरान सेबी द्वारा किए गए प्रयासों के अनुसरण में कंपनियों द्वारा कुल 1,46,553 शिकायतों का निवारण किया गया। समाधान की गई शिकायतों में पिछले वर्ष से अग्रेषित की गई शिकायतें भी शामिल हैं।

(ग) सेबी ने सूचित किया है कि वर्तमान में सेबी द्वारा स्थापित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत, इसके द्वारा निवेशकों से प्राप्त शिकायतें अभिस्वीकृत की जाती हैं तथा शिकायतकर्ता को एक संदर्भ संख्या भेजी जाती है। इन शिकायतों को उचित निवारण के लिए संबंधित कंपनियों को भेजा जाता है।

[हिन्दी]

पर्यावरण संरक्षण हेतु आई.डी.बी.आई. ऋण

4206. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी. बी.आई.) पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण नियंत्रण और प्रदूषण निवारण हेतु चलाई जा रही परियोजनाओं को अलग–अलग ऋण उपलब्ध कराता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया और इसकी राशि कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि वे ऋण की निम्नलिखित दो श्रेणियों के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण के अधीन प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रदूषण निवारण के लिए चल रही परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराते हैं।

(i) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के साथ परिचालित औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना (आईपीसीपी) आईबीआरडी – 3334;

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के साथ परिचालित औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना (आई पी पी पी) आई बी आर डी – 3779

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपनी प्रत्यक्ष वित्त योजना के अन्तर्गत प्रदूषण निवारण/नियंत्रण के लिए औद्योगिक परियोजनाओं को भी सहायता उपलब्ध कराता है।

(ख) उप–परियोजनाओं की संख्या एवं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा पिछले तीन वर्षों (1997–98 से 1999–2000) के दौरान उन्हें उपलब्ध करवाई गई राशि की सूचना नीचे दी गई है :

(लाख रुपये)

क्रम सं.	ऋण की श्रेणी	परियोजनाओं की सं.	संवितरित राशि
1	2	3	4
1.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना (आई पी सी पी) आई बी आर डी–3334	21	700.3
2.	आई पी पी पी. की मंजूरी के लिए औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना (आई पी पी पी) आई बी आर डी–3779	8	427.8
3.	आई पी पी पी की मंजूरी	2	8.4
4.	प्रत्यक्ष वित्त योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त प्रदूषण नियंत्रण/निवारण परियोजनाएं	4	27.2
	कुल	35	1163.7

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

4207. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) ये कार्यक्रम उपभोक्ता अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने में किस हद तक मददगार सिद्ध होगा ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) 15 मार्च, 2000 को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सरकार ने देश में उपभोक्ता जागरूकता का प्रसार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए एक आउटडोर प्रचार अभियान चलाया गया।

(ii) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से उपभोक्ता संरक्षण के बारे में कार्यक्रम प्रसारित तथा टेलीकास्ट करने के लिए कहा गया।

(iii) उपभोक्ता जागरूकता का प्रसार करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्रीय मंत्रालयों, व्यापार और उद्योग एसोसिएशनों और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से समुचित तरीके से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का अनुरोध किया गया।

(iv) उपभोक्ता संरक्षण पर नई दिलली में एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

(v) क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों भाषाओं के सभी प्रमुख समाचार–पत्रों में विज्ञापन निकाला गया, जिसमें उपभोक्ता के अधिकारों पर प्रकाश डाला गया।

ऐसे कार्यक्रमों से देश में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने में उल्लेखनीय योगदान की अपेक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

विनिवेश के कारण रोजगार में कमी

4208. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के अंत तक विनिवेश योजना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण और नियोजित विनिवेश को पूरा कर लिये जाने के पश्चात होने वाली रोजगार में कमी के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे; और

(ग) इस प्रकार से प्रभावित लोगों को उचित रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कार्य योजना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) सरकार के विनिवेश संबंधी सभी निर्णय संबंधित सरकारी क्षेत्र की कंपनी के कामगारों के कार्यों को प्रभावित नहीं करते। जब किसी कंपनी में विनिवेश संबंधी सरकार के निर्णय में कंपनी के प्रबन्ध तथा स्वामित्व का हस्तान्तरण शामिल होता है तो कर्मचारियों संबंधी मुद्दे उठते हैं। ऐसे मामलों में बिक्री की शर्तों तथा निबंधनों में प्रासंगिक मुद्दों का समुचित निवारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्वामित्व तथा प्रबन्ध के हस्तान्तरण को शामिल करने वाले विनिवेश के मामलों में, प्रत्येक तथा हरेक कर्मचारी का कार्य प्रभावित नहीं होता। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रभावित होने वाले सम्भावित कर्मचारियों की संख्या का अग्रिम परिकलन करना संभव नहीं है।

(ग) सरकार कामगारों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

किफायती पैकेज टूर्स

4209. श्री टी. गोविन्दन : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के माध्यम से देश में सहस्राब्दि वर्ष में प्रमुख पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाले विभिन्न किफायती पैकेज टूर्स की शुरुआत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने, सहस्राब्दि वर्ष में एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस के सहयोग से अनिवासी भारतीयों और युवाओं के लिए व्यापक यात्रा पैकेज शुरू किए हैं। पैकेजों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टिकटिंग, होटल बुकिंग्स, ग्राउंड हैण्डलिंग, यात्रा पैकेज तथा देश के महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की यात्रा करने वाले स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष प्रबंध शामिल हैं।

भारतीय उद्योग

4210. श्री आर.एल. भाटिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण, आर्थिक सुधार और संरचनात्मक समायोजन के बाद भारतीय उद्योग को विश्व मंच पर प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र की इकाईयों से अक्षमता, अदक्षता, निम्न उत्पादन और निम्न लाभप्रदता को दूर करना होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ रमण) : (क) से (ग) नई औद्योगिक नीति, 1991 के प्रमुख लक्ष्यों और उद्देश्यों में से एक लक्ष्य भारतीय उद्योग को अंतरर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सुधार करने की शुरुआत की गई जिसमें अक्षमता, अकुशलता, कम–उत्पादन और कम लाभदेयता को हटाने के उपाय और उन्हें निरंतर जीव्यक्षम तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाये रखने के उपाय शामिल हैं।

सरकार ने 'नवरत्न' उद्यमो का पता लगाया है जिनके पास विश्व बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की क्षमता है और उनको प्रबंधात्मक, वित्तीय व संचालन स्वायत्ता की मंजूरी दी है ताकि वे वाणिज्यिक निर्णय ले सकें और घरेलू तथा अंतरर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्द्धी बन सकें। इसी प्रकार कुछ अन्य लाभकारी उद्यमों को 'मिनीरत्न' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ताकि वे भी स्वायत्ता का प्रयोग कर सकें किंतु इसके लिए उन्हें कुछ निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त सामान्य तौर पर, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को अधिक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति सरकारी नीति के मूल तत्त्वों में ये हैं– संभाव्य जीव्यक्षम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना व उन्हें पुनः जीवित करना, सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों को जीवित नहीं रखा जा सकता है उनको बंद करना, सभी गैर–सामरिक सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों में आवश्यकतानुसार सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत या उससे भी कम करना और कामगारों के हितों का पूरी तरह से संरक्षण करना।

विदेशी टी.वी. चैनलों द्वारा कर का भुगतान

4211. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुमानित लाभ दर पर विदेशी टी.वी. कंपनियों द्वारा कर के भुगतान से संबंधित 1996 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि विदेशी टी.वी. कंपनियां वास्तविक अर्जित राजस्व पर कर का भुगतान करती हो और 1996 के परिपत्र के आधार पर कर वंचन नहीं हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) 1996 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत में विदेशी प्रसारंण कंपनियों की कराधेय आय का निर्धारण भारत में उनकी सकल प्राप्तियों के 10% पर किया जाता है जिसमें विज्ञापन एजेन्टों तथा भारतीय एजेन्टों द्वारा रखी गई राशि को शामिल नहीं किया जाता है। इन दिशा–निर्देशों में विदेशी प्रसारण कंपनियों द्वारा अनुरक्षित देश–वार खातों के अभाव में प्रकल्पित लाभ दर का प्रावधान किया गया था।

(ख) उपर्युक्त दिशा–निर्देशों की सामान्य प्रक्रिया में समीक्षा की जा रही है और ऐसी समीक्षा अपने आम में कर अपवंचन के किसी मामले पर किसी भी प्रकार से आधारित नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा अर्जित लाभ

4212. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम लि. ने कितना लाभ अर्जित किया;

(ख) क्या उक्त निगम में सभी भर्तियां कर दी गयी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(घ) उक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) भारतीय खाद्य निगम अपने प्रचालन लाभ के उद्देश्य से नहीं चलाता क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर खाद्यान्नों की वसूली करके इन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लागत मूल्य से कम मूल्य पर वितरित करके केन्द्रीय सरकार की खाद्य नीति के क्रियान्वयम अंग के रूप में कार्य कर रहा है।

(ख) से (ङ) विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पड़े पद निम्नानुसार हैं :

श्रेणी-I	72
श्रेणी-II	100
श्रेणी-III	3454
श्रेणी-IV	7196

पदों को भरने पर भारत सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंध के कारण और विभिन्न उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश होने के कारण ये पद नहीं भरे जा सके।

राज्य वित्त आयोग

4213. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की पांच वर्ष बीतने के पूर्व ही राज्य वित्त आयोग के गठन के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य–वार कितने अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय वित्त आयोग (ग्यारहवें वित्त आयोग) और राज्य वित्त आयोग के समक्रमिक अवधि के प्रसंग का संदर्भ दिया था। ग्यारहवें वित्त आयोग ने इस मामले का संदर्भ देते हुए कहा है कि प्रतिवेदनों की समकालिकता की उपलब्धता या तो केन्द्रीय विधायिका अथवा संविधान में एक समुचित प्रावधान द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से ऋण

4214. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने इस वर्ष मई में पेरिस में हुए भारत विकास मंच (आईडीएफ) के सम्मेलन के उपरांत 2 बिलियन डॉलर ऋण की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितनी मांग की गई थी;

(ग) इस ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(घ) उन योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन पर इस राशि को खर्च किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) मई, 2000 में पेरिस में सम्पन्न भारत विकास मंच की बैठक में विश्व बैंक ने 2 बिलियन अमरीकी डालर की कोई औपचारिक वचनबद्धता नहीं की थी। इस बैठक की कार्यसूची भारत में विकास-योजना के ढांचे में विदेशी सहायता की कारगरता और प्रासंगिकता तथा विदेशी सहायता को देश की आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने की जरूरत से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रित थी। इस वर्ष भारत विकास मंच की बैठक में चर्चा का विषय था "पावर्टी-स्टेट्स डाइमेन्शन"।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चीनी विकास निधि

4215. श्री राजो सिंह : क्या उपभोक्ता, मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चीनी मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक चीनी विकास निधि से वर्ष-वार किन-किन चीनी मिलों को सहायता प्रदान की गई हैं;

(ग) तत्संबंधी नियम और शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या इन चीनी मिलों ने उनको उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) 1997-98 से 1999-2000 के वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु चीनी विकास निधि से ऋण के लिए चीनी इकाइयों से प्राप्त आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) 1997-98 से 1999-2000 के वर्षों के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2000-2001 में अब तक आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए जिन चीनी इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया गया है उनका ब्यौरा विवरण-II में है।

(ग) चीनी इकाइयों को आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए स्वीकृत किया गया ऋण निम्नलिखित निगमों और शर्तों के अधीन है :

(i) केन्द्र सरकार चीनी इकाई और वित्तीय संस्थान के बीच त्रिपक्षीय करार का निष्पादन।

(ii) केन्द्र सरकार के पक्ष में चीनी इकाई की अचल और चल परिसम्पत्तियों पर द्वितीय प्रभार का निर्माण।

(iii) चीनी इकाई चीनी विकास निधि और लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि को देय सभी राशियों का पूर्णरूप से भुगतान करेगी।

(iv) चीनी इकाई स्वीकृत धनराशि की पहली किस्त स्वीकृति जारी किए जाने की तारीख से दो वर्षों के अवधि के अंदर प्राप्त कर लेगी।

(v) चीनी इकाई अलग से खाते तैयार करेगी।

(घ) से (च) स्वीकृति राशि, वितरित राशि और ऋण के उपयोग की स्थिति का ब्यौरा विवरण-II में दर्शाया गया है।

जिन चीनी मिलों के संबंध में वितरित राशि स्वीकृत राशि से कम है उनका ब्यौरा और उनको वितरित राशि के उपयोग की स्थिति भी विवरण-II में दर्शाई गई है।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	कर्नाटक	4
3.	बिहार	5
4.	महाराष्ट्र	8
5.	गुजरात	3

1	2	3
6.	पंजाब	1
7.	हरियाणा	1
8.	तमिलनाडु	1
9.	उत्तर प्रदेश	18

विवरण-II

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	चीनी इकाई	स्वीकृति राशि	वितरित राशि	उपयोग की स्थिति
1	2	3	4	5
	1997-98			
1.	यशवंत एस.एस.के.लि. महाराष्ट्र	403.90	403.90	पूरा उपयोग किया गया
2.	अजिक्यात्रा एस.एस.के.लि. महाराष्ट्र	884.00	884.00	—वही—
3.	गोविन्द शुगर मिल्स लि. उत्तर प्रदेश	900.00	900.00	—वही—
4.	विघ्नहर एस.एस.के.लि. महाराष्ट्र	960.00	960.00	—वही—
5.	सरस्वती इंडस्ट्रीज सिंडिकेट लि. हरियाणा	368.67	368.67	—वही—
6.	धामपुर शुगर मिल्स लि. उत्तर प्रदेश	474.00	474.00	—वही—
7.	बस्ती शुगर मिल्स लि., उत्तर प्रदेश	1196.60	1196.60	—वही—
8.	गणदेवी कुसम, गुजरात	620.16	620.16	—वही—
9.	सकसरिया बिसवान शुगर फैक्ट्री, उत्तर प्रदेश	880.00	880.00	—वही—
10.	राणा शुगर्स लि., पंजाब	1010.40	1010.40	—वही—
11.	के.एस.सी.एम. बेलरायन, उत्तर प्रदेश	1950.00	1950.00	—वही—
12.	के.एस.सी.एम. ननौटा, उत्तर प्रदेश	1950.00	1950.00	—वही—
13.	के.एस.सी.एम. सम्पूर्णनगर उत्तर प्रदेश	1721.25	1721.25	—वही—
14.	इंदापुर एस.एस.के. महाराष्ट्र	398.00	398.00	—वही—
15.	चंद्रभाग एस.एस.के. महाराष्ट्र	840.00	840.00	—वही—
16.	उगार शुगर वर्क्स लि. कर्नाटक	570.88	0	परियोजना लागत मिल द्वारा संशोधित
17.	बजाज हिन्दुस्तान लि., पालियाकलां, उत्तर प्रदेश	174.48	0	आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा न किए जाने के कारण निर्मुक्त नहीं की गई
18.	बजाज हिन्दुस्तान लि., गोला गोरखनाथ, उत्तर प्रदेश	300.00	0	—वही—

1	2	3	4	5
19.	खलिलाबाद शुगर मिल्स प्रा.लि., उत्तर प्रदेश	160.00	0	—वही—
1998-1999				
1.	मोतीलाल पद्मपत उद्योग लि., बिहार	762.00	762.00	पूरा उपयोग किया गया
2.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., तमिलनाडु	420.00	420.00	— वही—
3.	कनोरिया शुगर्स एंड जनरल मैन्युफैक्चरिंग लि., उ.प्र.	630.00	583.00	वितरित राशि का पूरा उपयोग किया गया। स्वीकृत राशि की तुलना में वितरण में कमी का कारण लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि के बकायों का समायोजन किया जाना है।
4.	श्री रेणुका शुगर्स लि., कर्नाटक	1580.48	1580.48	पूरा उपयोग किया गया।
5.	मंजारा शेतकर एस.एस.के.लि., महाराष्ट्र	608.49	304.245	निर्मुक्त की गई पहली किस्त का पूरा उपयोग किया गया।
6.	हरिनगर शुगर्स मिल्स लि., बिहार	620.00	620.00	पूरा उपयोग किया गया।
7.	तुलसीपुर शुगर कं.लि., उत्तर प्रदेश	2210.60	2210.60	—वही—
8.	गोविंद नागर शुगर्स लि. उत्तर प्रदेश	222.80	222.80	—वही—
9.	आर.बी.एन.एस. शुगर मिल्स लि., उत्तर प्रदेश	1235.19	617.595	निर्युक्त की गई पहली किस्त का पूरा उपयोग किया गया।
10.	के.एम. शुगर मिल्स लि. उत्तर प्रदेश	584.34	292.17	निर्मुक्त की गई पहली किस्त का पूरा उपयोग किया गया।
11.	श्री वलसाड एस.के.यू.एम.लि. गुजरात	1522.00	1522.00	पूरा उपयोग किया गया।
12.	दि अवध शुगर मिल्स लि., बिहार	1800.00	1800.00	—वही—
13.	रीगा शुगर कम्पनी लि., बिहार	1605.00	1605.00	—वही—
14.	विष्णु शुगर मिल्स लि., बिहार	1069.79	1069.79	—वही—
15.	बस्ती शुगर मिल्स लि. उत्तर प्रदेश	137.90	137.90	—वही—
16.	सर शादीलाल इंटरप्राइजेज लि. उत्तर प्रदेश	409.96	409.96	—वही—
17.	श्री दत्ता एस.एस.के., असुरले—पोरले, महाराष्ट्र	484.17	487.17	—वही—
18.	श्री मारोली विभाग एस.के.यू.एम. गुजरात	831.26	0	आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा न किए जाने के कारण निर्मुक्त नहीं की गई।

1	2	3	4	5
1999-2000				
1.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि. कर्नाटक	1800.00	1800.00	पूरा उपयोग किया गया।
2.	श्री गोंडा एस.एस.के.लि., महाराष्ट्र	813.20	406.60	निर्मुक्त की गई पहली किस्त का पूरा उपयोग किया गया।
3.	दावनगेरे शुगर कम्पनी लि. कर्नाटक	788.86	788.86	पूरा उपयोग किया गया।
4.	गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि., आन्ध्र प्रदेश	1375.90	1350.90	वितरित की गई राशि का पूरा उपयोग किया गया। स्वीकृत राशि की तुलना में वितरण में कमी का कारण चीनी विकास निधि से अल्पकालिक ऋण से बकाया राशि की वापसी का समायोजन किया जाना है।
5.	एल.एच. शुगर फैक्ट्री लि., उत्तर प्रदेश	633.70	0	आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा न किए जाने के कारण जारी नहीं किया गया।
2000-2001				
1.	ईस्टर्न शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि., बिहार	1337.00	0	आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा न किए जाने के कारण जारी नहीं किया गया।
2.	पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लि., हरियाणा	711.22	0	आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा न किए जाने के कारण जारी नहीं किया गया।

राजस्थान में नमक का उत्पादन

4216. डॉ. जसवन्त सिंह यादव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सूखे की स्थिति से नमक उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकार राजस्थान में, राज्य-वार कितनी मात्रा में नमक का उत्पादन किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा सूखे से प्रभावित नमक उद्योग को पुनर्जीवित करने और इस उद्योग के कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1997 से देश में सामान्य नमक-उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

सामान्य नमक उत्पादन

(आंकड़े '000 टन में)

क्र.सं.	राज्य	नमक उत्पादन 1997	1998	1998	2000 (मई तक)
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	10096.2	8716.8	10048.3	7110.6

1	2	3	4	5	6
2.	तमिलनाडु	2532.9	1565.6	2159.9	353.0
3.	राजस्थान	1031.6	1120.5	1711.1	621.3
4.	आन्ध्र प्रदेश	273.4	238.2	278.1	66.7
5.	महाराष्ट्र	200.6	218.7	157.6	150.1
6.	उड़ीसा	63.8	38.4	29.2	7.9
7.	प. बंगाल	5.6	6.8	13.2	0.9
8.	दीव और दमन	27.3	42.7	38.3	48.7
9.	कर्नाटक	14.0	14.1	12.0	14.1
10.	हिमाचल प्रदेश	3.1	2.4	3.0	1.0
11.	गोवा	2.6	0.2	2.0	2.2
	जोड़	14251.1	11964.4	14452.7	8376.5

(घ) ऊपर प्रश्न (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क विभाग में रिक्तियां

4217. श्री जी. जे. जावीया :

श्री आर.एस. पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों से सीमा शुल्क विभागों और उत्पाद शुल्क विभागों में महत्वपूर्ण रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) गत दो वर्षों से सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में कोई महत्त्वपूर्ण पद (आयुक्त के समकक्ष अथवा उससे ऊपर का) रिक्त नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय फिल्मों के नकली सी.डी. कैसेटों की तस्करी

4218. डॉ. बलिराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ दुबई स्थित कंपनियां कराची के रास्ते भारत में भारतीय फिल्मों की नकली सी.डी. कैसेटों की तस्करी कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों ने इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर ऐसी कैसेटों और दवाइयों की बरामदगी की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) प्राप्त रिपोर्टों/आसूचना से अवश्य ही इस बात का पता चलता है कि कराची के रास्ते भारतीय फिल्मों की नकली सी.डी. कैसेटों की तस्करी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, दुबई स्थित कंपनियों के इस धन्धे में शामिल होने की बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) जी, हां। इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सीमाशुल्क अधिकारियों ने हाल में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली पर सी.डी. (वीडियो/आडियो) कैसेटों के तीन मामलों में अभिग्रहण किया है। इन अभिग्रहणों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	अभिग्रहण के मामलों की संख्या	अभिगृहीत माल की मात्रा	अभिगृहीत माल का मूल्य (लाख रुपयों में)
1999-2000	1	4212 वीडियो सी.डी.	12.28
2000-2001	2	(क) 35490 वीडियो/	27.57
(30.7.2000 तक)		आडियो सी.डी.	
		(ख) दवाइयां	39.55

(घ) सीमाशुल्क विभाग और राजस्व आसूचना महानिदेशालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालय निषिद्ध माल.की तस्करी का पता लगाने और

उसकी रोकथाम के लिए हमेशा चौकस और सतर्क रहते हैं। इसके अलावा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली पर तैनात अधिकारियों को भारतीय फिल्मों के नकली सी.डी. कैसेटों की तस्करी की रोकथाम के लिए निरन्तर निगरानी रखने हेतु चौकस कर दिया गया है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव की आयोजन तिथि में परिवर्तन

4219. श्री सुबोध मोहिते : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष जनवरी के स्थान पर अक्टूबर में होगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फिल्म उद्योग ने इस परिवर्तन के बारे में विरोध प्रकट किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अगला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव कहां और कब होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की तारीख 10–20 जनवरी से बदलकर 10–20 अक्टूबर कर दी गई है क्योंकि क्रिसमस और नववर्ष आयोजनों की तारीखें साथ–साथ होने के कारण फिल्मों और फिल्मी विभूतियों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी संतोषजनक नहीं थी।

(ग) और (घ) शुरू में इस सम्बन्ध में कुछ समाचारपत्रों में ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित हुई थीं और कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सरकार को एक पत्र भेजा था। तथापि, भारतीय फिल्म संघ जो फिल्म उद्योग का एक सर्वोच्च निकाय है, ने भी अब सरकार के इस निर्णय का समर्थन किया है।

(ङ) अगला भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 से 20 अक्टूबर, 2001 तक बंगलोर में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

राज्य व्यापार निगम में घाटा

4220. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इसके पुनरुद्धार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे है;

(ग) 'राज्य व्यापार निगम' को क्या कर्तव्य सौंपे गए हैं और इन कर्तव्यों और आयात–निर्यात के निर्धारण हेतु जिम्मेदार प्राधिकारी कौन हैं;

(घ) राज्य व्यापार निगम में इस समय कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं और श्रेणी–वार इसमें कितने पद रिक्त हैं;

(ङ) क्या राज्य व्यापार निगम कई मुकदमों में संलिप्त है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इन मुकदमों में कितनी धनराशि शामिल है;

(छ) इसके क्या कारण हैं और देश में तिलहन और खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद राज्य व्यापार निगम द्वारा हाल ही में कितना पामोलीन तेल आयात किया गया; और

(ज) उक्त के कारण देश को हुए घाटे के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एस टी सी एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरकर्त्ता कंपनी है और एस टी सी तथा वाणिज्य विभाग के बीच वार्षिक रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। एस टी सी के वर्ष 2000–2001 के समझौता ज्ञापन के अनुसार निगम को गैर–सरणीकृत आयातों, गैर–सरणीकृत निर्यातों एवं घरेलू व्यापार के विविधिकरण तथा संवर्धन के द्वारा एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घराने के रूप में उभरने के लिए कड़ा प्रयास करना है।

(घ) आज की तिथि के अनुसार एस टी सी में 1574 कर्मचारी (768 अधिकारी एवं 806 कर्मचारी) तथा छः रिक्तियां [2 सहायक प्रबंधक (वित्त), 3 कनिष्ठ आशुलिपिक तथा 1 ग्रेड–1 (चपरासी)] हैं।

(ङ) और (च) एस टी सी के विरुद्ध दायर मामलों की संख्या 48 है जिसमें 20471 लाख रुपए शामिल हैं जबकि एस टी सी द्वारा दायर मामले 40 हैं जिनमें 5031 लाख रुपए शामिल हैं।

(छ) और (ज) हालांकि एस टी सी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) हेतु किसी पामोलीन तेल का आयात नहीं किया है, तो भी इसने अपने वाणिज्यिक खाते से 0.82 लाख मी. टन पामोलीन तेल का आयात किया है। उपरोक्त आयात के कारण एस टी सी को कोई घाटा नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कृषि राज सहायता के लिए अनुमति

4221. श्री चिंतामन वनगा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन से विकासशील देशों को कृषि राजसहायता जारी रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन ने अनुरोध को स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) डब्ल्यू टी ओ में कृषि संबंधी करार के अधीन विकासशील देशों को उत्पाद विशिष्ट घरेलू सहायता और गैर उत्पाद विशिष्ट घरेलू सहायता देने की अनुमति है बशर्ते कि उक्त सहायता की समग्र सहायता माप क्रमशः मूल कृषि उत्पादों के उत्पादन के कुल मूल्य का 10% से अधिक और कुल कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का 10% से अधिक नहीं होगी।

यद्यपि भारत विकसित देशों द्वारा व्यापार को अवरुद्ध करने वाली राजसहायता का उपयोग किए जाने का विरोध करता है क्योंकि इसका व्यापार पर, खासकर विकासशील देशों से कृषि निर्यातों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है फिर भी भारत विकासशील देशों, विशेषकार भारत जैसे विशाल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए अपनी खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण रोजगार संबंधी चिन्ताओं के समाधान के लिए राजसहायता या घरेलू सहायता देने में कुछ सीमा तक ढील देने की जरूरत पर भी जोर देता रहा है।

कृषि संबंधी करार पर चल रही तयशुदा वार्ताओं के दौरान इस माग पर जोर देने का प्रस्ताव है।

फैरो सिलिकॉन को डंप किया जाना

4222. श्री अनन्त नायक : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूस, चीन और ईरान द्वारा फैरो सिलिकॉन को डंप किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच से किन–किन तथ्यों का पता चला है; और

(घ) फैरा सिलिकॉन को डंप किए जाने के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को सुलझाने हेतु तैयार की गयी योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में रूस, चीन, और ईरान के विरुद्ध भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर दिनांक 5 जून, 2000 की सार्वजनिक सूचना के द्वारा पाटनरोधी जांचों की शुरुआत की गई है।

(ग) और (घ) कथित देशों से फैरो सिलिकोन के आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जांच का कार्य प्रगति पर है और निष्कर्ष नियमानुसार अधिसूचित किए जाएंगे।

सऊदी अरब के साथ व्यापार

4223. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में भारत और सऊदी अरब के बीच कुल कितना व्यापार होता है;

(ख) क्या मार्च 2000 में सऊदी अरब के एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने भारतीय निर्यातकों के साथ कोई बातचीत की थी;

(ग) यदि हां, तो उस बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सऊदी शिष्टमंडल की राय थी कि भारत उन्हें टायरों मशीनरी, बासमती चावल का निर्यात कर सकता है क्योंकि इन चीजों के बाजार पर जापान, पाकिस्तान और अमरीका का वर्चस्व है; और

(ङ) यदि हां, तो सऊदी अरब को इन मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1997–1998, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच कुल व्यापार क्रमशः 3198 मिलि. अमरीकी डालर, 2648 मिलि. अमरीकी डालर तथा 3020 मिलि. अमरीकी डालर का रहा।

(ख) से (घ) मार्च 2000 में सऊदी अरब से किसी भी सरकारी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा नहीं किया।

(ङ) सऊदी अरब को निर्यातों को बढ़ाने के लिए उपायों में ये शामिल हैं — व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आदान–प्रदान, संयुक्त आयोग की नियमित बैठकें, व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता, बाजार सर्वेक्षण, क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करना आदि।

जन सेवाओं के विषय में कार्य नीति

4224. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक परामर्शदात्री समिति ने विशेषकर जन सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और लघु उद्योगों जैसे क्षेत्रों में एक आम कार्य नीति तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, और यदि नहीं, तो इन्हें कब तक मंजूर कर लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की 17 जुलाई, 2000 को आयोजित पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुधार संबंधी कार्यसूची की रूपरेखा को स्पष्ट करने के लिए एक आम नीति–पत्र तैयार किया जाए।

विदेशी सहयोग वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4225. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग से स्थापित उन भारी उद्योगों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी है, और जो पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रहे हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कितना घाटा हुआ;

(ग) ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) सूचना सिर्फ केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में रखी जाती है। वर्ष 1998–99 तक की जानकारी उपलब्ध है और विगत तीन वर्षों अर्थात 1996–97, 1997–98 एवं 1998–99 के दौरान घाटा उठाने वाले एवं रुग्ण उद्यमों की श्रेणी में आने वाले केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की संख्या एवं उनके नामों का उल्लेख सम्बद्ध वर्षों के लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड–1 के विवरण सं. 7 ख तथा अध्याय 19 में दिया गया है। इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया है और ये प्रकाशित दस्तावेज हैं। इस विवरण में भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत आने वाले भारी उद्योग शामिल हैं। विदेशी सहयोग वित्तीय या तकनीकी अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है। यह सम्पूर्ण उद्यम या कोई विशेष प्रक्रिया/क्रियाकलाप अथवा किसी एक उत्पाद से सम्बद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार का सहयोग जारी हो सकता है अथवा हो सकता है कि किसी खास समय में इसका लाभ उठाया गया हो और अब यह निष्पन्न हो चुका हो।

(ग) घाटा उठाने एवं रुग्णता के कारण उद्यम सापेक्ष होते हैं। तथापि, कुछ सामान्य कारणों में पुराने एवं अप्रचलित संयंत्र एवं मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, क्षमता का कम उपयोग, संसाधनों की कमी, ब्याज का अधिक बोझ, अत्यधिक श्रमशक्ति, दुर्बल विपणन रणनीति आदि शामिल हैं।

(घ) सरकारी उपक्रमों के पुनरुद्धार या उनमें आमूलचूल परिवर्तन के लिए उद्यम सापेक्ष उपाय किए जाते हैं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत रुग्ण औद्योगिक सरकारी उपक्रमों के पुनरुद्धार/पुनर्वास के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने के लिए उनके मामले बी.आई.एफ.आर. को भेज दिए जाते हैं। घाटा उठाने वाले अन्य सरकारी उपक्रमों के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय सम्बद्ध उपक्रम के प्रबन्धन तथा कामगारों के परामर्श से विविध विकल्पों का पता लगाते हैं और इन सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन के लिए उपयुक्त उपाय करते हैं। सरकार द्वारा सामान्य तौर पर किए जाने वाले उपायों का उल्लेख लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1998–99 नामक प्रकाशित दस्तावेज के खण्ड–I के पृष्ठ संख्या 104 पर किया गया है।

पांच सितारा होटलों पर बकाया आयकर

4226. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महानगरों में स्थित कितने और कौन–कौन से पांच सितारा होटलों पर आयकर के रूप में सरकार की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) इनसे बकाया आयकर की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार चार महानगरों में दस पांच सितारा होटलों ने सरकार को आयकर देना था।

इन मामलों में बकाया आयकर धनराशियों के मामलों का विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ख) करों की वसूली एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विस्तृत सांविधिक प्रक्रियाएं अन्तर्ग्रस्त हैं। इनमें ब्याज प्रभारित करना, अर्थदंड लगाना, बैंक खातों की कुर्की, चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की और बिक्री इत्यादि शामिल हैं। उच्च मांग वाले मामलों की उच्च अधिकारियों द्वारा सतत आधार पर आवधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है और कर वसूली करने के लिए समय–समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

विवरण

क्र. सं.	व्यवसाय, संस्था/होटल का नाम	दिनांक 31.3.98 को बकाया मांग (रुपए लाख में)	दिनांक 31.3.99 को बकाया मांग (लाख में)	दिनांक 31.3.2000 को बकाया मांग (रुपए लाखों में)	टिप्पणी
1.	इंडियन होटल लि. मुंबई	1512.00	7564.00	10053.00	कर निर्धारण वर्ष 1993–94 और 1999–2000 के लिए उद्भूत वापसियों के साथ समायोजित किया जा रहा है जिससे मांग शून्य हो जाएगी।
2.	सन. एंड सैंड होटल मुंबई	49.06	138.25	181.64	अपीलीय आदेश को लागू करने के पश्चात मांग शून्य हो गई ।
3.	पायम होटल्स लि. (होटल प्रेसिडेन्ट्स, मुंबई)	शून्य	शून्य	188.47	188 लाख रुपए की वापसी को इस मांग में समायोजित किया जा रहा है।
4.	ईलेल होटल्स एंड इन्वे. लि., मुंबई	शून्य	384.09	403.09	वसूली कार्य प्रगति पर है। होटल गैर–प्रचालनात्मक है क्योंकि भवन 1992 में बम विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गया था।
5.	मैसर्स एशियन होटल्स, नई दिल्ली	शून्य	278.00	303.00	212 लाख रुपए की वापसी पहले ही समयोजित कर दी गई है। शेष मांग पर कार्यवाही की जा रही है।
6.	मैसर्स सी.एच.एल.लि. (होटल सूर्या वैस्टर्न, नई दि.)	शून्य	शून्य	119.00	35 लाख रुपए का चैक 2.8.2000 को प्राप्त हो गया है। शेष मांग 31.12.2000 तक स्थगित कर दी गई है।
7.	मैसर्स आई.टी.सी. लि. (होटल मौर्या शेराटन नई दि.)	521.63	शून्य	7592.78	यह पूर्ण रूप से एक वर्ग की मांग है और सभी बकायों को होटल व्यवसाय के साथ आरोपित नहीं किया जा सकता है। वसूली कार्यवाहियां प्रगति पर हैं।
8.	पार्क होटल लि. कलकत्ता	शून्य	शून्य	35.80	ये मांग वापसी देय में समायोजित की जा रही हैं ।
9.	ए.पी.जे.सुरेन्द्र पार्क होटल्स लि. नई दिल्ली,	शून्य	34.79	51.72	ये मांग वापसी देय में समायोजित की जा रही हैं।
10.	मैसर्स ओरियन्टल होटल (प्रा. (लि.) होटल ताज कोरोमण्डल, चेन्नई)	शून्य	172.84	38.05	कुल मांग को वापसी देय में समायोजित किया गया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2227/2000]

(3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2228/2000]

(5) (एक) सलारजंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलारजंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2229/2000]

(7) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2230/2000]

(9) (एक) इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2231/2000]

(11) (एक) खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2232/2000]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964

की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 2000 जो 12 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई.पी. 41(1)/2000 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम (विभिन्न न्यायालयों, अधिकरणों, प्राधिकरणों और मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभिवचनों और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2000 जो 1 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.नं. 32/1(98)–विधिक, में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2233/2000]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) आयकर (33वां संशोधन) नियम, 1999 जो 15 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1239 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (34वां संशोधन) नियम, 1999 जो 27 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1292 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 289 (अ) जो 28 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निर्धारण वर्ष 2000–2001 के प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र की मार्फत) निर्गमन स्कीम, 1993 विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2000 जो 6 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 352(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 6 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 353(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 372(अ) जो 10 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनार्थ 79 क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 373 (अ) जो 10 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित अचल संपत्तियों को आयकर अधिनियम, 1961 के खंड (एक) के प्रयोजनार्थ अचल संपत्तियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 24 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 403(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2000 जो 24 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 404 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2000 जो 11 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 453(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2000 जो 11 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 456(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2000 जो 11 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 455(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2000 जो 11 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 459(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2000 जो 11 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 460(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2000 जो 11 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 457(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2000 जो 5 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 639(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2000 जो 11 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 640(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ. 586(अ) जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2000–2001 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक विनिर्दिष्ट किया गया है और 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2234/2000]

(2) धन–कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अंतर्गत धन–कर (पहला संशोधन) नियम, 2000 जो 11 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 458 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल. टी. 2235/2000]

(3) व्यय–कर अधिनियम, 1987 की धारा 31 की उपधारा (4) के अंतर्गत व्यय–कर (पहला संशोधन) नियम, 2000 जो 11 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 454(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 2236/2000]

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 648(अ) जो 4 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित डाई सोडियम कार्बोनेट पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 649(अ) जो 4 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 24 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 132/99–सी.शु. को रद्द करना है तथा अभिहित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर मैसर्स फस्ट्र इन्टरकॉटिनेंटल कॉरपोरेशन, यू.एस.ए. द्वारा निर्यातित और भारत में आयातित बिस्फिनॉल–ए के सभी अनंतिम निर्धारणों को अंतिम रूप देने का आदेश देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2237/2000]

(5) बैंकाकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 15 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी.ओ.पी.आर.एस : 2000–2001/384 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन ओवरसीज बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2000 जो 15 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी/पीईएन/226/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विजया बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 15 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआरई/ईएसटी/4127/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 15 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/लीगल/0561 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1998 जो 16 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या क्रम संख्या पीईएन/1/99 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 28 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/ओएसआर/स्टाफ/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) बैंक आफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 13 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्सआई/स्टाफ/ओएसआर/7608/99 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 17 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 3 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी/एसयूपी/177 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 1 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी : आई आर : एसएएस : 1890 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 2238/2000]

(6) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2000 जो 8 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 654 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण में अपील) संशोधन नियम, 2000 जो 8 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 655 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2239/2000]

(7) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 की उपधारा (11) के अंतर्गत सिक्किम बैंक लिमिटेड (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेलन) योजना, 1999 जो 21 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1256 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इसका एक शुद्धि–पत्र जो 23 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1284 में प्रकाशित हुआ था (केवल हिन्दी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2240/2000]

(8) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1257 (अ) जो 21 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें सिक्किम बैंक लिमिटेड, गंगटोक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेलन करने की योजना के संबंध में 22 दिसम्बर, 1999 को नियत तिथि के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2241/2000]

(9) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) देना बैंक के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) आन्ध्र बैंक के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) कॉरपोरेशन बैंक के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छः) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2242/2000]

(10) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1999 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक आफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2243/2000]

(11) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गांरटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2244/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री उमर अब्दुल्ला) : महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2245/2000]

(3) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1998–99 के सामान्य निधि लेखाओं और वर्ष 1997–98 के पूल निधि लेखाओं के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2246/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) दि स्टैटिक एण्ड मोबाईल प्रेशर वैसल्स (अनफायर्ड) (संशोधन) नियम, 1999 जो 18 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 141 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विस्फोटक (संशोधन) नियम, 1999 जो 8 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 197(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2247/2000]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप (पैक की गई वस्तुएं) संशोधन नियम,

2000 जो 22 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 631(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2248/2000]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

"(एक) राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसरण में 17 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

"(दो) राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसरण में 17 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, राज्य सभा द्वारा 17 अगस्त, 2000 को यथा पारित संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 तथा संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 को भी मैं सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों में रुग्णता के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (बारहवीं लोक सभा) के की–गई–कार्यवाही संबंधी पहले प्रतिवेदन के अध्याय–I में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, मैं उन विस्थापित परिवारों, जिनकी भूमि दक्षिण–पूर्व रेलवे की तलचर–सम्बलपुर रेलवे लिंक परियोजना के लिए अधिग्रहित कर ली गई है, को रोजगार देने के बारे में अंगुल (उड़ीसा) के श्री प्रताप चन्द्र बेहरा और अन्य द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि मानसून सत्र, 2000 की बाकी अवधि के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :

   (क) वर्ष 1997–98 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल)

   (ख) वर्ष 2000–2001 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

   (क) मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2000

   (ख) पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ का विस्तार) संशोधन विधेयक, 2000

   (ग) वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2000।

4. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार पारित करना :

   (क) संविधान (88वां संशोधन) विधेयक, 2000

   (ख) संविधान (86वां संशोधन) विधेयक, 2000

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2000

(ख) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन विधेयक, 2000

(ग) भारतीय बायलर (संशोधन) विधेयक, 1994

(घ) माल बहुविध परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2000

(ङ) समपहरण (निरसन) विधेयक, 2000।

6. समयोपरि भत्ते की दरों में संशोधन के संबंध में माध्यस्थम् बोर्ड की सी.ए. संदर्भ संख्या 1981 का 6 में दिए गए अधिनिर्णय को नामंजूर करने के सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर विचार और पारित करना।

7. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "घ" के वेतनमानों में उपरिमुखी संशोधन के संबंध में माध्यस्थम बोर्ड की सी.ए. संदर्भ 1992 का 11 में दिए गए अधिनिर्णय को नामंजूर करने के सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर विचार और पारित करना।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता हूं :

1. रांची शहर की आबादी लगभग 15 लाख की है, परन्तु अभी तक बाई पास सड़क नहीं बनी है, जिससे शहर की सड़क बराबर जाम रहती है और बराबर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। अतः स्पेशल पैकेज देकर रांची शहर का बाई पास सड़क का निर्माण अविलम्ब कराया जाए।

2. झारखंड क्षेत्र के गरीब आदिवासी, दलित पिछड़े वर्ग के छोटे किसानों का सरकार द्वारा घोषणा करने के बाद भी ऋण माफ नहीं किया गया, जिससे सूद दस–बीस गुना बढ़ गया। जिसे गरीब किसान कभी दे नहीं पाएंगे।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि झारखंड, वनांचल क्षेत्र के सभी बैंकों के छोटे किसानों का ऋण माफ किया जाए।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :

सीतामढ़ी–मुजफ्फरपुर रेल लाइन का गत वर्षों में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए बड़े जोर–शोर से शिलान्यास किया गया था किन्तु अभी आधा दशक समाप्त होने को आया, परियोजना का निर्माण कार्य शून्य के बराबर ही पूरा हो पाया है। परियोजना के निर्माण के लिए वार्षिक रेलवे बजट में राशि आबंटित नाम मात्र के लिए ही होती है। अतः निर्माण कार्य में कोई प्रगति सम्भव नहीं। अतः मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा की जाये कि विकास के प्रति सरकारी इस सम्मान पर आगामी सप्ताह विचार किया जाये।

गये वर्षों की भांति इस वर्ष भी पुनः उत्तरी बिहार को नेपाल से आने वाली बरसाती नदियों के अतिरिक्त जल के कुप्रभाव को झेलना पड़ रहा है। इस वर्षा के अतिरिक्त जल के सुप्रबंध के लिए नेपाल सरकार से वार्ता आवश्यक है। अतः मेरा अनुरोध है कि जल सुप्रबंध हेतु परियोजना बनाने संबंधी वार्ता में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय जन–प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये।

[अनुवाद]

डॉ. वी. सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, अगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को भी सम्मिलित किया जाए।

कुछ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के रेलवे कार्मिकों को अनुशासन और अपील नियमों के तहत आरोपपत्र दिए गए हैं और उन्हें उन्हीं के अन्तर्गत सजा दी गई है। यह सजा विनिर्धारित नियमों के तहत मिलने वाली सजा से अधिक है।

डॉ.ए.डी.के. जयशीलन (तिरूचेंदूर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :

1. तिरूचेंदूर निर्वाचन क्षेत्र के कुलासेखरपत्तनम् में विश्व में अपनी तरह के प्रथम समुद्री लहरों पर आधारित ऊर्जा संयंत्र को शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता।

2. पर्याप्त धनराशि का आबंटन करके कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और विस्तार करने और वहां से देश के विभिन्न भागों में अनेक रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :

1. छः केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों नामतः एम.ए.एम.सी., बी.पी.एम.ई.एल., एन.बी.सी.आई.एल., डब्ल्यू.आई.एल., आर.आई.सी. और टी.ए.एफ.सी.ओ. को बंद करने का सरकार का निर्णय।

2. दिल्ली में झुग्गी–झोंपड़ियों में रह रहे निर्धन और दलित लोगों की झुग्गियों को गिराया जा रहा है। हजारों निर्धन लोगों को बिना किसी वैकल्पिक प्रबंध के उनके घरों से निकाल कर सड़कों पर फेंका जा रहा है। इन झुग्गी–झोंपडियों को गिराना तुरन्त रोका जाना

चाहिए। बिना किसी वैकल्पिक प्रबंध के झुग्गी–झोंपड़ियों को नहीं गिराया जाना चाहिए।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :

1. ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें और विकासशील राज्यों पर उनका कुप्रभाव।

2. कृषि मंत्री द्वारा संसद में राष्ट्रीय कृषि नीति संबंधी रखे गए दस्तावेज पर चर्चा।

[हिन्दी]

डॉ. बलिराम (लालगंज) : अध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाये :

उत्तर प्रदेश में स्थित आजमगढ़ व मुहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन सैकड़ों वर्ष पुराने हैं लेकिन इन स्टेशनों पर नागरिक सुविधाओं जैसे प्रथम–द्वितीय श्रेणी के विश्राम कक्ष, पीने के पानी, टायलट–बाथरूम, रेलवे कैंटीन आदि सुविधाएं नहीं हैं। यहां से अन्य स्थानों दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता व मद्रास के लिए भी कोई रेलगाड़ी नहीं है। मुहम्मदाबाद स्टेशन पर तो प्लेटफार्म ही नहीं है।

अतः वहां पर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न मदों को शामिल किया जाए :

1. हेपेटाइटिस 'बी' वाइरस के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना।

2. सूचना प्रौद्योगिकी को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी/इन्टरनेट कार्यक्रमों, साफ्टवेयर कार्यक्रमों को सभी भारतीय भाषाओं में विकसित करना।

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीणा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें :

1. अनावृष्टि के कारण राजस्थान के किसानों की बढ़ती चिन्ता एवं पेय जल संकट को दूर करने के लिए शीघ्र व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता।

2. महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोक कर महिलाओं को समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलाए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा शून्य–काल संबंधी मुददों पर चर्चा करेगी। श्री मुलायम सिंह यादव, मैं आपके द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले के संबंध में दिए गए नोटिस पर विचार कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, कल आपने जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसकी वजह से हमें मुश्किल से एटा की जिला प्रशासन विरोधी सभा में पहुंचने का अवसर मिला। मैं संक्षेप में दो बातें कहना चाहता हूं।

एटा जनपद के डी.एम. श्री अजित कुमार टंडन और एटा के एस.एस.पी. श्री शीतला प्रसाद मिश्र के उत्पीड़न और दमनकारी हरकतों के सम्बन्ध में समाजवादी पार्टी ने एटा में रैली आयोजित की। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता कि विधायकों के साथ क्या हुआ ? जिला बदर किया गया, रासुका की कार्रवाई की गई और मकान तोड़कर नष्ट किए गए। यह उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ छः महीने से लगातार चल रहा है। मैं यह बात आपके नोटिस में इसलिए लाना चाहता हूं कि इसके विरोध में एक रैली 17 अगस्त को आयोजित की गई थी। इसी रैली के कारण मैंने सभी नेताओं और आपसे यह निवेदन किया था कि कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के समय जिन तीर्थयात्रियों की हत्या हुई, उस पर 21 तारीख को चर्चा कराई जाए। हम जब एटा पहुंचे तो मुझे टॉयलट के लिए निरीक्षण भवन में जाना था। उसके चारों तरफ बैरिकेट्स लगाकर रोक लगा दी। पी.ए.सी. के सैकड़ों जवान निरीक्षण भवन भेजने से रोकने हेतु लगा दिए गए। वहां करीब 20–25 जिलों की पुलिस बुलाई गई थी। यह बात रिकॉर्ड में भी है। सभा को रोकने के लिए पूरे जनपद में लगभग एक हजार बैरिकेट्स लगाकर रोक लगाई गई। मैं वहां पौने ग्यारह बजे पहुंच गया। पर्चे छपे हुए थे। ग्यारह बजे की सभा थी। जब मेरे साथियों ने बैरिकेट्स हटाए, तब मैं पी.डब्लू डी. निरीक्षण भवन पहुंचा लेकिन वहां कोई कर्मचारी नहीं था। मुझे एक चपरासी मिला लेकिन वह भी भाग गया। उसने कहा कि वह कलैक्टर साहब की इंतजार में है और एस.एस.पी. का आदेश है कि वहां कोई नहीं रुकेगा। किसी तरह एक दरवाजा खुला रह गया। हम वहां पहुंचे। हम चार सांसद थे। श्री बलराम सिंह यादव, रघुनाथ सिंह शाक्य, अखिलेश यादव और मैं था। उत्तर प्रदेश विधान सभा के ऑपोजिशन लीडर, एक दर्जन विधायक, अन्य तमाम कार्यकर्त्ता और वहां के लोकल एम.एल.सी. थे। ये सब लोग वहां पहुंचे। बाथरूम तीन दिन से गंदा पड़ा था। वहां

न तौलिया था, न साबुन था। तीन प्रेस वाले किसी तरह प्रवेश कर गए। हम जिस रास्ते से आए थे, वह गंदा था और वहां से बदबू आ रही थी। किसी तरह सुरक्षा बल के आदमी के पास से साबुन मिल गया। मैंने उससे हाथ-मुंह धोया, फ्रैश हुआ और चलने लगा। हम जिस बैरिकेट से आए थे उस जगह पी.ए.सी. की बसें लगा दी गईं। उसके आगे आगरा रोड़ होकर एक रास्ता था। वहां भी बैरिकेट्स लगा दिए गए और पुलिस को खड़ा कर दिया गया। हमें पता लगा कि कलैक्टर के यहां से होकर कचहरी की तरफ से एक रास्ता जाता है। वहां भी बैरिकेट्स और पी.ए.सी. की बसें लगा दी गईं। तीसरा रास्ता जी.टी. रोड़ जाता था। लोग वहां पहुंचे तो देखा कि बैरिकेट्स, तमाम पी.ए.सी., पुलिस और ट्रक लगा दिए गए। हमें हर तरह सभा में जाने से रोका जा रहा था जो सभा में जा रहे थे उन पर डंडे और लाठी बरसाए गए। किसी को जोर-जोर से थप्पड़ मारे जा रहे थे। हमारे साथ दो लाउड स्पीकर की गाड़ियां चल रही थी। उनको वहीं रोक दिया गया। सभा में ग्यारह बजे जाना था। जनता के सहयोग से सभा स्थल तक मैं 2.30 बजे पहुंच सका।

वहां के अधिकारियों ने भी कहा, वे नाम नहीं लेना चाहते कि एस.पी. और डी.एम. का दिमाग खराब हो गया है। जनता व नेताओं को रोककर समस्यायें पैदा कर रहे हैं। वहां के स्थानीय अधिकारी भी दुखी थे कि आखिर जनता व नेताओं को क्यों रोका जा रहा है। साढ़े तीन घंटे सभा में जाने से रोका गया। जब यहां पता चला और पत्रकारों ने बताया तो अध्यक्ष महोदय ने हमारे कुछ नेताओं के कहने पर संसदीय कार्य मंत्री तथा गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, तब मैं सभा में पहुंच सका। जो सभा एक बजे समाप्त होनी थी, वह शाम साढ़े चार बजे खत्म हुई।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद साक्षीजी महाराज के बारे में कहा गया। मैं इस बात को नहीं कहना चाहता क्योंकि यह उससे संबंधित मामला नहीं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी का पत्र मेरे सामने है। मैं और श्री अमर सिंह जी आज से तीन महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से मिले और उसके बाद फिर दो महीने पहले मिले। एक पत्र भी लिखा है। उसके साथ एक चार्जशीट दी थी जिसमें हमने जिक्र किया था कि दो डी.आई.जी., आई.जी., दोनों इलैक्शन कमिश्नर ने भी डी.एम. और एस.एस.पी. के बारे में लिखा है। ये सारे दस्तावेज़ हमने सुपुर्द कर दिये। इसके बाद 25 जुलाई को राज्य सभा में समाजवादी पार्टी के नेता श्री राम गोपाल यादव ने सवाल उठाया तथा गृह मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया। उसके बाद गृह मंत्री जी ने 28 जुलाई को उत्तर दिया :

"प्रिय यादव जी,

उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कथित अनियमितताओं एवं अनैतिक कार्यों की जांच कराये जाने के संबंध में आपका दिनांक 25 जुलाई, 2000 का पत्र मिला मैं इस मामले की जांच करवा रहा हूं"

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में माननीय नेताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो साक्षीजी का मामला है, वह 31 जुलाई का है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी, अब आपने विशेषाधिकार संबंधी नोटिस दे दिया है। मैं इस संबंध में तथ्यों को एकत्रित करवा रहा हूं। यह मेरे विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : इसलिये जब तक सदन के सामने सभी तथ्य नहीं आयेंगे हमें कैसे सहयोग मिलेगा। हमारा अपमान किया गया, हमें सभा में जाने से रोका गया। वहां पीने के लिये पानी नहीं था। आपको एक तस्वीर से पता चलेगा कि हमने एवं श्री धनी राम वर्मा, नेता विरोधी दल ने किसी तरह एक हैंडपंप से पानी पिया। हमारे साथियों और नेता विरोधी दल उ.प्र. विधानसभा को प्रोटोकोल नहीं दिया गया। हमें जिस कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है, उस प्रक्रम की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। हमारा अपमान किया गया और हमारे विशेषाधिकार का हनन किया गया है। एटा के डी.एम.एवं एस.एस.पी. ने अलोकतंत्रीय आचरण किया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाए। इसके साथ ही हमारी मांग है कि एटा के डी.एम.व एस. एस.पी. द्वारा किए गए उत्पीड़न की जांच हेतु लोकसभा की एक सर्वदलीय समिति एटा भेजी जाए। इसमें न केवल हमारा अपमान हुआ बल्कि हमारे चार सांसद साथियों और विधायकों और नेता विरोधी दल (उ.प्र.) का भी अपमान किया गया है। इस तरह से विशेषाधिकार का हनन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, साक्षी जी का मामला 31 जुलाई का है। जबकि एटा के स.पा. नेता का उत्पीड़न पिछले छः माह से किया जा रहा था। उस मामले में जो उत्पीड़न हुआ, वह तीन महीने पहले इस संबंध में उ.प्र. विधानसभा में भी सवाल उठाया गया था। आज डी.एम. और एस.एस.पी. द्वारा कहा जा रहा है कि उनके पास दो महिलायें हैं, जो उनका विरोध करेगा उसे किसी केस में फंसवा दिया जायेगा। इसमें केवल मेरा सवाल नहीं, उन महिलाओं और बहिनों का भी है जिनको अपमानित करके, लालच देकर, आतंक पैदा करके गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिये मेरा कहना है कि पूरे सदन की एक कमेटी बना दी जाये जो इन सवालों की जांच करे कि किस प्रकार से हमारा और हमारे साथियों के विशेषाधिकार का हनन किया गया है, इस बात को सरकार स्वीकार करे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा के एक वरिष्ठ सदस्य और दल के नेता यह महसूस करते हैं कि जब वह अन्य संसद सदस्यों के साथ गए थे तो संसद सदस्यों के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते समय उनका जान-बूझकर अपमान किया गया था। जनता के साथ संबंध स्थापित करना भी हमारा कर्त्तव्य है। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जबकि पुलिस अधिकारियों तथा अन्य लोगों द्वारा संसद सदस्यों का अपमान किया गया है। उनके मामले विशेषाधिकार समिति को भेज दिए गए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा दिए गए सुझाव उनके द्वारा की गई प्रार्थना पर अनुग्रहपूर्वक विचार करें....*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं श्री मुलायम सिंह यादव की बात से सहमत हूं....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता श्री मुलायम सिंह जी ने सदन में जो बयान दिया है कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। लोकतंत्र में किसी को भी रैली करने का या सभा करने का अधिकार है, लेकिन माननीय नेता और उनके विधायकों को वहां रोककर रखा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। यह सीधा विशेषाधिकार का मामला बनता है। वहां का कलक्टर, एस.पी. या जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, उनका सस्पैन्शन होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र बच सके।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव ने जो मामला उठाया है, वह मेरे विचाराधीन है

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में, श्री मुलायम सिंह यादव ने वह मुददा उठाया है जिससे संसद के न केवल विपक्षी दलों बल्कि सत्ता पक्ष के भी सभी निर्वाचित सदस्यों के अधिकार प्रभावित होते हैं। सत्ता पक्ष के सदस्यों सहित हम सब अपने राज्यों और अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में होने वाली रैलियों और प्रदर्शनों में शामिल होते हैं मेरे विचार में, यदि इसमें कोई सत्य है, जो कि श्री मुलायम सिंह यादव के अनुसार होना चाहिए तो इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने में क्या नुकसान है ? विशेषाधिकार समिति को इस संबंध में विचार करने दीजिए और उन्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने दीजिए। मेरे विचार में यह एक ऐसा मामला है, जिससे यहां बैठे सभी लोग प्रभावित होते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री कुमारमंगलम जी जो इस समय जिदंगी और मौत से लड़ रहे हैं...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री कुमारमंगलम जी जो इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पीटल उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हम 15 मैम्बर्स ने आपको लिखकर दिया है। हम अपने सहयोगी कुमारमंगलम जी की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार तत्वों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उनके परिवार वालों, मित्रों तथा औरों से मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह स्पष्ट संकेत मिले हैं कि अगर शुरू में ही इस बीमारी को ठीक से डॉयग्नोस कर लिया जाता और उचित इलाज हो जाता तो आज उनकी यह हालत न होती। 20 दिन तक कुमारमंगलम जी अपोलो अस्पताल में भर्ती रहे। हमें बताया गया है कि उनसे शुरू में कहा गया कि यह साधारण मलेरिया है। उसके बाद कहा गया कि फेफड़ों में टी.बी. है। लगभग डेढ़ लाख रुपये लेकर उन्हें 20 दिन के बाद छुट्टी दे दी गई। अभी 'एम्स' के डॉक्टरों ने उन्हें ब्लड कैंसर (ल्यूकीमिया) बताया है और बताया है कि यह लास्ट स्टेज पर है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर शुरू में ही उनकी बीमारी की निशानदेही कर दी जाती, डॉयग्नोस कर दिया जाता और इसका इलाज होता तो शायद आज जैसी स्थिति में वह हैं, वैसी स्थिति में न होते।

अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली में रहता हूं और कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जिसमें मेरे पास इस अस्पताल के तीन-चार ऐसे केसेज न आते हों, जिन्हें ये बिगाड़ देते हों। अभी 15-20 दिन पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री श्री कालिया के फर्स्ट कजन यहां इलाज के लिए आये। उनसे कहा गया कि इस अस्पताल में इलाज कराने के दस लाख रुपये लगेंगे। वह दस लाख रुपये देने को तैयार हो गये। उन्हें 26 लाख रुपये का बिल देकर उनकी डैड बॉडी दे दी गई। मेरे कहने के उपरांत उनके ऊपर केवल छः लाख रुपये छोड़े गये और 20 लाख रुपये लेकर एक मिनिस्टर के भाई की डैड बॉडी दे दी गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर सैंटर के एक मिनिस्टर को डॉयग्नोस करने में यह स्थिति है तो आम आदमी की हालत क्या होगी।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समय यह अस्पताल खुला था, इसका यह उद्देश्य था कि दिल्ली और देश के लोगों को अपोलो में एक अच्छी मेडिकल सुविधा मिलेगी। इनको बहुत रियायती मूल्यों पर जमीन दी गई। मुख्य मंत्री के नाते मैंने कई करोड़ रुपये इनको सहायता दी। लेकिन जो एम.ओ.यू. साइन हुआ कि इतने परसेंट फ्री बेड होंगे, वह भी लागू नहीं किया गया। आज यह अस्पताल कॉमर्शियल शॉप बनकर रह गया है। मुझे बताया गया, मैंने जो केस दिया है, कम–से–कम दवाइयों के पैसे लिखे होते हैं कि यह मैक्सिमम चार्ज इसमें है। यहां जो दवाएं दी जाती हैं, जैसे फाइव स्टार में चाय की कीमत सौ रुपया होती है, वैसे ही यहां दवाओं की कीमतें भी कई गुना बढ़ाकर उनसे ली जाती हैं। मेरा कहना है कि एक जांच कमेटी बैठाई जाए और खासकर कुमारमंगलम जी के बारे में जिस तरह से इन्होंने किया है, या तो सदन की कमेटी बनाई जाए ताकि इस तरह की हालत फिर न हो। आज दिल्ली और देश के लोग त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। यह अस्पताल जिस मकसद से बनाया गया था, उस मकसद को पूरा कर सके, यही मेरा निवेदन है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, मैं इसकी इनक्वायरी चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मैं अपोलो हॉस्पिटल नहीं चला रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आप नहीं चला रहे हैं लेकिन...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैं आपसे नहीं कह रहा हूं खुराना जी। आपके आग्रह पर मैं खड़ा हुआ हूं और आप मुझसे झगड़ा कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपोलो के मामले के सबंध में बात नहीं कर रहा हूं जो कि एक ऐसा मामला है, जिस पर निश्चय ही हम सब को एक राय कायम करनी होगी।

लेकिन हमारे एक साथी और मंत्रिमंडल के एक सदस्य की स्थिति के संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त करने का यह सही समय है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हम अपनी ओर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और यह भी कामना करते हैं कि भगवान उनके परिवार को इस संकट से उबरने की शक्ति दे। हमारे साथी और मंत्रिमंडल के एक सदस्य के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। समूची सभा अपने साथी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : महोदय, हमें प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। मेरे विचार में संसद को इस बात की जानकारी लेनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य के संबंध में हमें सूचित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, कुमारमंगलम जी के स्वास्थ्य के बारे में हम सबको चिन्ता होना स्वाभाविक है और मैं समझता हूं कि माधवराव जी ने अभी जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके साथ सदन का हर सदस्य अपने आपको जोड़ना चाहेगा और हम चाहेंगे कि उनके स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार हो और वह फिर हम सबके बीच में काम करने के लिए आएं।

खुराना जी ने भी बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। आज के समाचार–पत्रों में भी कुमारमंगलम जी के पुत्र ने अपोलो हॉस्पिटल में ढंग से उनका उपचार नहीं हुआ इस प्रकार की शिकायत सार्वजनिक रूप से की है और जैसे अभी कहा गया कि अपोलो को या कोई भी बड़े–बड़े हॉस्पिटल जब बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से सरकार की ओर से बहुत भारी सुविधाएं इसलिए दी जाती हैं कि हम अपेक्षा करते हैं कि वहां गरीबों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित होगा जिसके कारण सरकार की सुविधाएं मिलती हैं, और उसके साथ–साथ स्वास्थ्य सेवाएं हमें मिलें।

अध्यक्ष जी, जिस दिन कुमारमंगलम जी की तबियत बहुत बिगड़ गई, उस दिन मैं सुबह वहां दो–ढाई घंटे तक रहा था। तब भी यह लग रहा था, चूंकि वे इस सत्र के शुरू से ही बीमार चल रहे थे इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखकर मुझे रोस्टर ड्यूटी पर न रखा जाए, यह कहा था और दो महीने से वे मामूली बुखार की शिकायत से पीड़ित थे, लेकिन तब से लेकर अब तक वे इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वे जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, वे कोई देहात के अस्पताल में इलाज नहीं करा रहे हैं, बल्कि देश की राजधानी के एक बड़े अस्पताल में उपचार करा रहे हैं और भारत सरकार के मंत्री के नाते उपचार करा रहे हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि उनका उपचार जिस ढंग से और बीमारी का निदान जिस प्रकार से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हुआ है।

महोदय, बहुत सारे अस्पतालों के बारे में यह शिकायत है जिसको खुराना जी ने ठीक शब्दों में कहा कि पंचतारा होटल चलाने और हॉस्पीटल चलाने में आज कोई अन्तर नहीं है। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। मैं खुराना जी से सहमत हूं। इसलिए किसी एक अस्पताल का नाम लेकर कि वहां क्या हुआ, उपचार नहीं हुआ, या वह ठीक नहीं है, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल मंत्री महोदय के वक्तव्य को ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक विचार कीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं एक विशिष्ट मुद्दे का जवाब दे रहा हूं। मैं देश में स्वास्थ्य सेवाओं के सामान्य ह्रास का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो कि श्री रंगराजन कुमार मंगलम् के स्वास्थ्य से संबंधित है। इस स्थिति में मैं स्वयं को उस मुद्दे तक ही सीमित रखना चाहता हूं। मैं सरकारी अस्पताल बनाम प्राइवेट अस्पताल अथवा अस्पताल 'क' बनाम अस्पताल 'ख' के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल अपने एक साथी से संबंधित एक गंभीर मुद्दे के संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कुमार मंगलम जी के स्वास्थ्य के निदान में अगर कोई गलती हुई है, उसमें किसी प्रकार की चूक हुई है, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उसकी जांच करने के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी हमारी प्रायर्टी, उनके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार हो, यह होनी चाहिए और इस दृष्टि से मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें शीघ्र स्वस्थ करें। मैं माननीय सदस्यों की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री महोदय तक पहुंचाने की कोशिश अवश्य करूंगा।

अपराह्न 12.35 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

श्री के.ई.कृष्णमूर्ति (कुरनूल) : महोदय, आन्ध्र–प्रदेश के कुरनूल जिले में केवल एक यूनानी क्लिनिकल रिसर्च यूनिट कार्य कर रहा है जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। मुझे मालूम है कि इस यूनिट को वहां से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। मैं यह बात आपके ध्यान में लाता हूं कि यह भारत के सबसे बड़े यूनिटों में से एक है जो कि पिछले 21 वर्षों से वहां कार्य कर रहा है। इस यूनिट में एक ओ.पी.डी., पांच बिस्तर का अस्पताल, एक एक्स रे और एक निदान एकक और 16 जीव रसायन परीक्षणशालाएं हैं। इस यूनानी एकक को कुरनूल जिले से स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं सरकार से अपील करूंगा कि जनहित में इस एकक को स्थानांतरित न किया जाए। सरकार एक क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान के रूप में इसका दर्जा बढ़ाए जाने के संबंध में कार्यवाही कर सकती है और इसके उपयुक्त कार्य संचालन के लिए पर्याप्त अनुदान प्रदान कर सकती है। यह यूनिट कुरनूल और महबूब नगर जिलों दोनों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस यूनिट को स्थानान्तरित न करे और एक अनुसंधान एकक के रूप में इसका दर्जा बढ़ाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, आज सत्र का अन्तिम शुक्रवार होने के नाते, मैं एक महत्त्वपूर्ण मामला सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि यह एक छोटा सा मामला है जिससे सरकार भी मुझसे सहमत होगी।

भा.ज.पा., कांग्रेस तथा अन्य दलों के संसदीय दल कार्यालयों का स्टाफ, जो कि अपने–अपने दलों की लोकतंत्रात्मक कार्यप्रणाली के लिए निरन्तर कार्य कर रहे हैं, को अक्टूबर तक अपने आवास खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं। जब मैंने यह मुद्दा संसद में उठाया तो माननीय मंत्री महोदय श्री जगमोहन ने यह आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि वह इस मामले पर विचार करेंगे। फिर भी, एक अन्य नोटिस आ गया है जिसमें यह कहा कया है कि उन्हें 22 अगस्त तक अपने क्वार्टर खाली करने हैं। मैंने फिर श्री जगमोहन को पत्र लिखा जिसमें उन्हें सभा में दिए गए आश्वासन के बारे में याद दिलाया गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से लगभग सोलह बार उनसे मिलने के लिए समय भी मांगा और मैंने हर बार उन्हें इस बारे में याद दिलाया लेकिन मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार ही नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि भा.ज.पा. कार्यालय भी इसका एक हिस्सा है लेकिन वे श्री आडवाणी द्वारा सहायता मांग रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि जिन कर्मचारियों ने 18 अथवा 20 वर्ष से अधिक समय के लिए कार्य किया है, वह संसद का सत्र समाप्त होने के बाद वापस चले जायेंगे। वह सड़कों पर आ जायेंगे।

मेरी यह मांग है कि श्री जगमोहन ने सभा में जो आश्वासन दिया था उसको वह पूरा करें और इन लोगों को क्वार्टर खाली करने को

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

न कहें, अन्यथा, हम कार्य कैसे करेंगे ? ....*(व्यवधान)* माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात समझिए। यदि हमारा स्टाफ सड़कों पर आ जाएगा तो हम संसद में कैसे कार्य करेंगे ? यह उपयुक्त नहीं है... .*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, सभा में आश्वासन दिया गया था। चूंकि अन्तिम तिथि दे दी गई है इसीलिए मंत्री महोदय को जवाब देना होगा...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कृपया सरकार से जवाब देने के लिए कहिए। यह एक गंभीर मामला है। मैंन इसे अनेक बार संसदीय कार्य मंत्री के ध्यान में भी लाया था। ऐसा हो रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : माधव राव जी, यह बहुत सीरियस मामला है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय मंत्री महोदय संसद से ऊपर नहीं हैं।

श्री प्रमोद महाजन : संसद से ऊपर कोई नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : जगमोहन जी मंत्री हैं।... *(व्यवधान)* सब पार्टी वालों को उठाकर फेंक रहे हैं। हमको पहले ही उठाकर फेंक दिया है।...*(व्यवधान)* गरीबों की झोंपड़ी हटा दी और अब पार्टी पर हमला किया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, मंत्री जी के रिस्पांड करने के टाइम आप इंटरप्ट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : आप लोगों को भी खत्म किया था।...*(व्यवधान)* राजीव गांधी के जमाने में आपकी पार्टी का नाश कर दिया था। इसी तरह इस सरकार का भी नाश कर देंगे...*(व्यवधान)* मैं ठीक बात कह रहा हूं। इनका बाहुबल ऐसा है कि इन्होंने राजीव गांधी के जमाने में जो किया, उससे सारे देश में बावेला मच गया था। हम साफ कह रहे हैं कि अब यह एन.डी.ए. गवर्नमेंट का नाश करके छोड़ेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : मैं शहरी विकास मंत्री, श्री जगमोहन से इस बारे में पता करूंगा। यदि उन्होंने सभा में कुछ आश्वासन दिए हैं तो उसका कार्यान्वयन होना चाहिए। मैं आज ही पता करूंगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम जीरो ऑवर में बोलने के लिए बुलाया गया था चूंकि कुमारमंगलम जी के इश्यू पर श्री प्रमोद महाजन जी जवाब देने के लिए खड़े हो गये इसीलिए मैं बैठ गया था। मेरा नाम पहले बुलाया जा चुका है।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही सीरियस मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। परसों के "द इकोनॉमिक टाइम्स" में लिखा है कि 'ऑयल रैमपेजेस टू 10 ईअर पीक आफ 32.75 डालर्स सप्लाई फीयर्स'।

ओपैक की जेनेवा में 7 अगस्त को मीटिंग हुई थी। 11 कंट्रीज ने डिसीजन लिया कि 1.27 डालर पर सैंट दाम बढ़ाने वाले हैं ओपैक एक वौलंट्री ऑर्गनाईजेशन है। ऑर्गनाईजेशन ऑफ् दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फॉर ऑयल ने यह डिसीजन लिया है।...*(व्यवधान)* अभी पेट्रोल, डीजल, गैस और कैरोसीन तेल के दाम बढ़ सकते हैं। ....*(व्यवधान)* ओपैक में इराक नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार को क्या करना चाहिए, वह बताइए।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : मैं बोल रहा हूं। आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। उस मीटिंग में इराक ने कहा है, ओपैक का कहना है कि प्रोडक्शन कम करेंगे। प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगी और दाम बढ़ जाएंगे इराक प्रोडक्शन कम करने के लिए राजी नहीं है और ओपैक जो दाम दे रहा है, उससे कम दाम में इंटरनेशनल मार्किट में हमें ऑयल देने के लिए राजी हैं। मेरी भारत सरकार से विनती है कि उससे सम्पर्क करें और जो दाम बढने वाले हैं, उसे रुकवाया जाए। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो.ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, केरल सरकार ने जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन आने वाले दो प्रोजेक्टों को भारत के भूमिगत जल परिवहन प्राधिकरण के पास भेज दिया है। उनके नाम हैं–बाडागर। माहे और माहे वाल्लिपल्लम नौ परिवहन नहर प्रोजेक्ट।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. प्रेमाजम जो कुछ कह रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

प्रो.ए.के. प्रेमाजम : महोदय, यह नहर बन जाने पर 130 किमी. की दूरी को अपने दायरे में लेगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 167 करोड़ रुपए है। यह 50% केंद्र प्रायोजित योजना है। चाहे परिवहन का मामला हो, रेलवे का हो या अन्य कोई मामला हो भारत सरकार केरल सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यह प्रोजेक्ट कुछ समय से सरकार के पास पड़ी हुई है और भारत सरकार विशेषकर जल–भूतल परिवहन मंत्रालय ने इस मामले में कुछ नहीं किया है। इसके बन जाने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और नदी जल पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मैं भारत सरकार से विशेषकर माननीय जल–भूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करें।

श्री पी. मोहन (मदुरै) : महोदय, मैं विशेष उल्लेख के अधीन इस सभा में 10 मई, 2000 को तमिलनाडु के कुम्भकोणम में स्थित सीटी यूनियन बैंक में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप का मुद्दा उठा चुका हूं। मैंने इस मामले में केंन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की मांग भी की थी। इस विषय में मैं माननीय वित्त मंत्री को एक पत्र भी लिख चुका हूं। मुझे यह कहने में अफसोस है कि इस मामले में की गई कार्रवाई पर सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध तथाकथित अभियान के विषय में भ्रम पैदा होता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पहले कमिटमेंट ले लें कि तेल के दाम बढ़ाएंगे तो ठाकरे जी को बुलाकर सपोर्ट विदड्रा कर लेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, यह क्या है? मैंने श्री चक्रवर्ती जी को बुलाया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्तब्ध और विस्मृत हूं कि यह सरकार किस तरह काम कर रही है।...*(व्यवधान)* हिन्दुस्तान के सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक खजुराहो है। वहां के लिए विदेशों से लाखों लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, अगस्त और सितम्बर से लेकर...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

पी. मोहन : महोदय, इससे यह संदेह पैदा होता है कि सार्वजनिक निधि से संबंधित भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को उन शक्तियों से बल मिल रहा है।

कथित 15 करोड़ रुपए के बट्टे खाते में डालने के अतिरिक्त सीटी यूनियन बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मोहन की तरह के और लोग इसी प्रकार की बात करते हैं। आप समाचार पत्र से क्यों पढ़ रहे हैं ? 'शून्य काल' के दौरान सदस्यों को पढ़ने की अनुमति नहीं है।

[हिंदी]

बहुत देर से रीडिंग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चतुर्वेदी की बात के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, विश्व और भारत के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल को यहां से जोड़ने के लिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चतुर्वेदी जी की बात के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : खजुराहो इस देश के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। विदेशों से जो विदेशी पर्यटक आते हैं, दिल्ली से प्रतिदिन एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट उनके लिए खजुराहो के लिए चलती थी। समय–समय पर वहां से मांग उठी है कि एक

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से अधिक बार फ्लाइट जानी चाहिए। जयपुर और मुम्बई से भी खजुराहो को फ्लाइट से जोड़ना चाहिए। यह तो दूर रहा, बल्कि जब इस समय अगस्त–सितम्बर से मार्च तक के लिए टूरिस्ट सीजन की शुरुआत हो रही है, ठीक इसी समय आठ अगस्त से खजुराहो जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को 28 अक्टूबर तक के लिए इंडियन एयरलाइंस ने पूरी तरह बन्द कर दिया है और पूरे के पूरे स्टाफ को वहां से वापस बुलाने के लिए आदेश दे दिया है। इससे पूरा पर्यटनस्थल ध्वस्त हो जायेगा और पर्यटनस्थल की विश्वसनीयता एक बार अगर ध्वस्त हो जायेगी तो बड़ी मुश्किल होगी। यह पर्यटनस्थल खतरे में है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : इसमें सरकार पक्षपात कर रही है। जो सुविधा है, इसे बन्द कर दिया गया। यह क्या तरीका है ? *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यह सरकार जान–बूझकर पर्यटनस्थल को नष्ट कर रही है।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, आप स्वयं उस क्षेत्र के हैं जो कि एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। यदि वे 28 अक्टूबर तक इस उड़ान को बंद कर देते हैं तो इससे संपूर्ण पर्यटक सुविधाएं और पर्यटक सेवाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी और इससे खजुराहो का दिल्ली से होकर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वह खत्म हो जाएगा। मेरे विचार में यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे सीजन की शुरुआत हो रही है। मेरे विचार में मंत्री महोदय को कुछ कहना चाहिए और सोमवार तक उन्हें माननीय सदस्यों को कुछ उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप की तरफ से यह आश्वासन मिल सके कि यह उड़ान पुनः शुरू की जाएगी। अन्यथा पूरा सीजन बीत जाएगा।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : सरकार जान–बूझकर पक्षपात कर रही है। जो सुविधा पहले से मिल रही थी, उसको समाप्त करने का प्रयत्न कर रही है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : भूरिया जी, मिनिस्टर खड़े हो गये हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैंने उसी दिन शरद यादव जी से बात की, फोन पर चर्चा की। उनसे चर्चा करने के बाद मैं आज तक प्रतीक्षा कर रहा हूं कि उनकी तरफ से मुझे कोई जवाब मिले।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यही बीमारी है। जब मिनिस्टर रिप्लाई देने के लिए खड़े हो गये तो आप बोलने लगे।

श्री प्रमोद महाजन : खजुराहो बहुत ही महत्त्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हैं। वैसे भी हमारे देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 10–12 सालों से वह बढ़ी नहीं है। ऐसी स्थिति में एक ऐसा स्थान जो विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक है, वहां अगर एयरलाइंस की सुविधा बन्द हुई होगी तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि जीरो ऑवर में तो बिना नोटिस क्वश्चंस आते हैं, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि फ्लाइट बन्द हुई है। जब आप कह रहे हैं तो उसमें काफी तथ्य, सच्चाई और ताकत होगी। मैं नागरिक उड्डयन मंत्री से इस सम्बन्ध में बातचीत करके कोई रास्ता निकालने के लिए प्रार्थना करूंगा।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक प्रस्ताव किया है कि पश्चिम बंगाल को 'बांग्ला' और कलकत्ता को कोलकत्ता' के नाम से पुनः जाना जाए। लेकिन यह आश्चर्य है कि पहले ही कुछ माह बीत गए हैं लेकिन भारत सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं प्रदान कर रही है। पहले ही मद्रास का नाम 'चेन्नई' और बाम्बे का 'मुम्बई' कर दिया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को भारत सरकार अनुमोदन नहीं प्रदान कर रही है।

अतः मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी यह अपील करता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार के पश्चिम बंगाल के नाम को 'बांग्ला' और कलकत्ता के नाम को 'कोलकत्ता' करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोल इंडिया की आनुसंगिक कम्पनियों में कार्यरत शिक्षकों की बहाली के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस मद में लगभग 28 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आबंटित किया जाता है। जिसमें केवल 4 करोड़ रुपया इन शिक्षकों को दिया जा रहा है वर्तमान में यह पैसा किस मद में खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को शायद होगी।

वहां पर जो शिक्षक कार्यरत हैं, उनकी स्थिति बंधुआ मजदूरों जैसी है। उनको लगभग 800 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में मिलते हैं। जो अधिकारी हैं, उनके बच्चों के लिए बड़े–बड़े स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन मजदूर तबके के बच्चों के लिए जो विद्यालय हैं उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की तनख्वाह बहुत कम है। 1993 से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जब संगमा जी कोयला मंत्री थे तो उनके जमाने में भी आबंटन किया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर उचित कार्यवाही कराएं।

[अनुवाद]

***श्री के.के. कलिअप्पन (गोबिचेट्टिपालयम)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में पाये जाने वाले पॉवर एल्कोहल का प्रयोग बहुत हद तक ईंधन के रूप में हो सकता है। लेकिन हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इस प्रकार के ईंधन और अन्य पेट्रोलियम ईंधनों का आयात करते हैं। इस सरकार द्वारा उन्मुक्त रूप से बहुत अधिक धनराशि व्यय करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। हमारा देश अपने विदेशी मुद्रा भण्डार को खर्च करके विदेश से गाड़ियों में प्रयोग किये जाने वाले ईंधन का आयात करता है जबकि अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, फीलीपाइन्स, केन्या, मेक्सिको जैसे देश मोटर स्पिरीट के लिए पावर एल्कोहल को परिशोधित करने जा रहे हैं। गन्ने की बेकार सीठी से प्राप्त इस प्रकार के परिशोधित एल्कोहल का प्रयोग ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेट्रोल के स्थान पर किया जा सकता है। इससे वातावरण के प्रदूषण को दूर करने में भी सहायता मिलेगी। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने भी औद्योगिक एल्कोहल से इस प्रकार के ईंधन प्राप्त करने की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए अनेक शोध किए हैं। ये परीक्षण सफल भी हुए हैं। इसके लिए रसायन, पेट्रोलियम, बिजली, वातावरण, खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि मंत्रालयों और अनेक राज्य सरकारों और ऑयल निगमों के बीच तालमेल की जरूरत है। इस दिशा में संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए। अपने देश के चीनी संयंत्रों में लगभग 400 मेट्रिक टन अतिरिक्त एल्कोहल उपलब्ध है। सीरा के एल्कोहल को जब मोटर स्पिरीट के रूप में बदल दिया जाता है तो गाड़ियों के इंजन में किसी परिवर्तक की आवश्यकता नहीं होती है। इन बेकार पड़े पदार्थों से पशुओं का चारा भी पैदा किया जा सकता है, इसलिए अनेक क्षेत्रों में इसके उपयोग को जानने के लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता है। यद्यापि हमारे पास चीनी उत्पादन की पर्याप्त क्षमता है फिर भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त चीनी मिलें बन्द होने के कगार पर हैं। उस समय जबकि हमारी चीनी उत्पादन की क्षमता अधिक है, व्यर्थ में ही हमने पाकिस्तान से वहां से चीनी आयात करने का समझौता किया है। भारत में उत्पादित लगभग 170 मेट्रिक टन चीनी पड़ी हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि चीनी उत्पादकों और किसानों को देय का भुगतान नहीं हो पाया है।

ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी के संस्थापक नेता डॉ. एम.जी.आर. ने यह कहा था, "क्या ऐसा नहीं है कि हमारी महान भूमि पर प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं ? तो हमें दूसरे देशों के सामने भीख का कटोरा लेकर क्यों जाना चाहिए ?"

मैं इस सरकार को बताना चाहता हूं; मैं इस सरकार से अपील करना चाहता हूं कि गन्ने से प्राप्त सीरे, सीठी के रूप में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने के लिए और अधिक शोध करने की दिशा में आगे बढ़े।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लि. पुनवायर पंजाब सरकार के अधीन एक ख्यातिप्राप्त सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। यह रक्षा सेनाओं, अर्ध सैनिक बलों और पुलिस के लिए रैपिड रेडियो ट्रांकिंग सिस्टम, रेडियो लिंक सिस्टम और हैंड–हेल्ड रेडियो का उत्पादन करता रहा है। रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों को आपूर्ति किए जाने वाले इन रेडियो में अति छोटे–छोटे पुर्जे (मशीनें) लगी होती हैं जिनका उत्पादन कोई अन्य संस्थान नहीं कर सकता है।

कुप्रबन्धन के कारण हाल ही में ये इकाइयां गंभीर समस्याओं से ग्रस्त हो गई हैं और शीर्ष प्रबन्धकों के एक वर्ग ने इस इकाई को छोड़ दिया है तथा फरार हो गया है। इस स्थिति में पंजाब सरकार एक प्रबन्धक के रूप में पुनवायर इकाई में शेयरधारी भारतीय उद्योग विकास बैंक और आई.एफ.सी.आई. के पास गई है। जब वे इकाइयां समस्याओं का सामना कर रही हैं तो मैं केंद्र सरकार विशेषकर वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वे भारतीय उद्योग विकास बैंक और आई.एफ.सी.आई. को सहायता देने के लिए राजी करें ताकि उन इकाइयों को पुनर्जीवित किया जा सके और ये ख्यति प्राप्त इकाइयां पुनः चालू हो सकें तथा रक्षा सेवाओं और अर्ध सैनिक बलों को अपनी आपूर्ति जारी रख सकें।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : फिजी में भारतीय मूल के लोगों के घरों पर हमला हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मौका मिलेगा।

श्री के. येरननायडू (श्रीकामुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा। यह अच्छा है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। मैंने पिछले सत्र में भी यह मुद्दा उठाया था।

अन्य पिछड़े वर्गों संबंधी कोई संसदीय स्थायी समिति नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए संसदीय स्थायी समिति है। भारत सरकार सरकारी सेवाओं में उन्हें 27% आरक्षण देती है। लेकिन उसकी निगरानी करने के लिए कोई संसदीय स्थायी समिति नहीं है। यह मेरी पहली मांग है।

दूसरे, इस देश में अन्य पिछड़ा वर्गों के सम्बंध में कोई जनगणना नहीं है। लोग मात्र कर रहे हैं कि वे 70% है 50% है 30% है आदि–आदि। फिर भी हम 2001 में जनगणना के लिए कार्य कर रहे हैं। अतः अ.ज., अज.जा. और महिलाओं जैसे भारत सरकार ने कई समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अनुमोदित किया है। उसी के आधार पर आगामी जनगणना में आप अ.पि.व. के रूप में एक कालम और जोड़ सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि देश में अ.पि.व. की जनसंख्या क्या है।

तीसरे, नहीं शैक्षिक संस्थाओं में अ.पि. व. के लिए कोई आरक्षण है। यदि हम शिक्षा के बिना रोजगार में उन्हें 27% आरक्षण दे सकते हैं तो वे इन स्थानों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? शिक्षा के बिना रोजगार को 27% आरक्षण का कुछ मूल्य नहीं है। अतः रोजगार के अनुसार शैक्षिक सस्थाओं में भी उसी प्रकार का आरक्षण प्रदान किया जाए तांकि अ.पि.व. को आरक्षण का पूरा-पूरा लाभ मिले।

मेरा आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मन्त्री से विनम्र निवेदन है कि वह यह सन्देश सम्बद्ध मंत्री तक पहुंचा दें।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय जहां तक अन्य पिछड़े वर्ग का सम्बन्ध है श्री येरननायडू द्वारा उठाए गए मुद्दे के समय हम साथ को सम्बद्ध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय नायडू जी ने चर्चा की है, उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह एसोशिएट कर रहे हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र) : उपाध्यक्ष महोदय, कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन द्वारा प्रमुख कन्नड़ अभिनेता राजकुमार के अपहरण के बाद जब से पांच दुर्दांत आतंकवादियों की रिहाई की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, तब से छात्रों, नौजवानों की मानसिकता में परिवर्तन आया है। आज सम्पूर्ण देश के अंदर छात्र अपनी मांगों के लिए जगह-जगह आंदोलनरत हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित महाराजगंज महाविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश संख्या में आधे से ज्यादा कटौती करके और छात्रों की फीस में बेतहाशा वृद्धि की है जिसके कारण वहां लगातार 15 दिन से छात्र आंदोलनरत हैं। छात्रों ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाकर एक रिकार्ड बनाने का काम किया है। आज छात्र वहां चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि अगर हमारे अहिंसात्मक आंदोलन से सरकार की नींद नहीं खुलती और हमारी जायज मांगें पूरी नहीं की जातीं तो निश्चित तौर से हमें वीरप्पन के रास्ते पर चलकर किसी व्यक्ति को अगवा करके अपनी मांगों को मनवाना पड़ेगा। हम आज आपके माध्यम से मांग करते हैं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निर्देशित करे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्रों की प्रवेश सीटों को कम कर दिया गया है, उसे गत वर्ष की तुलना में बढ़ाया जाये तथा छात्रों की बढ़ी हुई फीस को वापस लिया जाये।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक अरसे से यह मांग रही है कि उनके परिवारों को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाये। राष्ट्रीय परिवार घोषित होने से उनके परिवारों को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती है लेकिन उनके पुरखों के द्वारा की गई तमाम सेवा और त्याग के बदले उन्हें केवल सम्मान मिलता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को और उनके परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित कर दिया जाये और आने वाले समय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो पीढ़ी लगभग समाप्त हो रही है, इससे उनके बच्चों और उनके परिवार को आने वाले समय में सम्मान प्राप्त होता रहेगा।

अपराह्न 1.00 बजे

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय गर्व की बात है कि हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय प्रो. एन.जी. रंगा की जन्मशताब्दी 7 नवम्बर, 2000 और 7 नवम्बर, 2001 में मनाई जाएगी। प्रो. रंगा महान किसान नेता, सक्षम सांसद और भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी थे। जैसाकि हम सभी को मालूम है उन्होंने इस संसद में छः दशकों से भी अधिक लम्बी विस्तृत अवधि तक कार्य किया। छः दशकों तक इस भूतपूर्व नेता द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह उचित होगा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में प्रो. रंगा शताब्दी समारोह के लिए राष्ट्रीय स्तरीय समिति गठित की जाए।

यह उचित होगा कि आचार्य रंगाजी की शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए जाएं। इसके अतिरिक्त यह भी उचित होगा कि देश का उच्चतम सिविलियन अवार्ड "भारत रत्न" स्वर्गीय प्रो. रंगा को प्रदान किया जाए। मैं सरकार से प्राथमिकता के आधार पर इस मामले की छानवीन करने का अनुरोध करता हूं।

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, हमें टेलीफोन ठीक प्रकार से नहीं मिलते हैं और कभी-कभी तो वे बिल्कुल काम नहीं करते हैं अथवा हमें गलत बिल भी मिलते रहते हैं। लेकिन बिल ठीक समय पर भेजे जा रहे हैं।

समस्या टेलीफोन बिलों के भुगतान से सम्बंधित है क्योंकि कई स्थानों पर उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। मेरे क्षेत्र में ही जहां उपभोक्ताओं की संख्या 400 थी वह घटकर 2000 हो गई है। अतः संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन समस्या यह है कि बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में सुविधा में सुधार नहीं हुआ है। डाकघर वह स्थान है जहां बिलों का भुगतान किया जाता है। जैसा कि केरल में सरकारी बैंक व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है अतः सरकारी बैंकों को टेलीफोन बिलों का भुगतान स्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को लम्बी कतार में खड़े होकर कठिनाई न झेलनी

पड़े। लगभग सभी राज्यों में लम्बी कतार के कारण उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है, मैं सरकार से इस सम्बंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए सुझाव और अपील करता हूं।

श्री वाई. वी. राव (गुंटूर) : महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र गुंटूर जिले में प्रतिपाडू, निल्कालूरीपेट, सेटनापल्ली आदि जैसे क्षेत्रों में भूमि जल में फ्लूराइड की मात्रा अधिक होने के कारण पेयजल की भारी कमी पाई गई है फ्लोरोसेस को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों को टैंक के पानी की आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गांव के लोगों को फ्लोराइड रहित जल की आपूर्ति की जाए। इसलिए इन क्षेत्रों में जलापूर्ति किये जाने हेतु बड़े टैंकों की आवश्यकता है।

मैं कृष्णा नदी से गुंटूर तक नई पाइपलाइन बिछाने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध करता हूं और गुंटूर के लिए राजीव गांधी त्वरित योजना के अधीन प्रस्तुत की गई 20 करोड़ रुपये मूल्य की पेयजल परियोजना को मंजूरी देने के लिए भी अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय और सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में 17000 शिक्षक अपनी 29 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 9 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि यूजीसी वेतनमान आज बिहार के शिक्षकों पर लागू नहीं हुए हैं, जिससे पूरे के पूरे शिक्षा जगत में इस बात से आक्रोश है। सेन्ट्रल पे–स्केल और यूजीसी के पे–स्केल बिहार में लागू नहीं होने के कारण पूरे शिक्षा जगत में आक्रोश व्याप्त है और शिक्षक हड़ताल पर हैं। पूरे बिहार में पढ़ाई–लिखाई बाधित है। इसलिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि बिहार सरकार इस समस्या का कोई निदान निकाले।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, विगत सोमवार की रात को जम्मू व कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर–ए–तोइबा के बीच लड़ाई हुई। लश्कर–ऐ–तोइबा के आतंकवादियों में से एक आतंकवादी मारा गया और एक घायल हो गया। यह सुरनकट में नीकी मोरी डोक के ग्रामीणों पर लश्कर–ए–तोइबा द्वारा जुल्म करने और तंग करने के कारण ही घटित हुआ है। हाजीलाल हुसैन की लश्कर–ए–तोइबा द्वारा हत्या कर दी गई थी। कि मैं संसदीय कार्य मंत्री से केवल यह पूछना चाहता हूं यदि उन्हें इस सम्बंध में कोई सूचना मिली है। क्या यह तथ्य सच है सरकार इस स्थिति से कोई लाभ उठाएगी ?...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं समझता हूं कि उन्हें सरकार से वहां चल रही तथ्यात्मक स्थिति के बारे में पूछना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया भी मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : हम नियम 184 के अधीन 21 तारीख को इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस पहलू पर यदि कोई सूचना होगी तो गृह मंत्री सभा में बताएंगे।

श्रीमती संध्या बौरी (विष्णुपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय दूरसंचार के क्षेत्र में सेवाओं को सुधारने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज के उन्नयन के सम्बन्ध में हमें आए दिन समाचार पत्रों में देखने को मिलता है। दूरसंचार विभाग भी उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान दे रहा है। जिसकी घोषणा सरकार द्वारा नियमित रूप से की जाती है। लेकिन असल में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

मुझे सूचित करते हुए दुःख होता है कि इंडपुर — जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ब्लाक मुख्यालय है—में टेलीफोन सेवाएं पिछले दो महीनों से पूरी तरह ठप्प हैं। इंडपुर, जिला बांकुरा के निवासियों ने टेलीफोन सेवाओं के पूरी तरह चरमराने के सम्बन्ध में जुलाई में अभ्यावेदन भी दिये थे। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और वे टेलीफोन सेवाओं के ठप्प होने को झेल रहे हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इंडपुर में दूरभाष सुविधाओं को बनाने के लिए अविलम्ब कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य के गोपालगंज क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां विगत दो वर्षों में लगभग चार दर्जन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। उनमें एक दर्जन समता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। विगत आठ अगस्त को शाम को साढ़े छः बजे गोपालगंज शहर के अंदर थाने से मात्र सौ मीटर की दूरी पर कथवलिया ग्राम निवासी श्री गिरीश सिंह, श्री अशोक सिंह एवं अन्य दो लोगों की आधुनिक हथियारों से हत्या कर दी गई। वहां ऐसा कोई दिन नहीं जाता, जिस दिन ये एक–दो निर्दोष लोगों की हत्या न करते हों।

महोदय, 16.8.2000 को कटेया प्रखंड के जनता बाजार लोहटी ग्राम निवासी श्री आनन्द पांडेय को पुलिस ने घर से लेकर गोली मारने का काम किया। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव कह रहे थे, ... *(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बिहार के एक दर्जन गांवों में

घुसकर लोगों को मारा-पीटा। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया।...*(व्यवधान)* वहां की पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार करके रखा हुआ है और दो दिन से उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में जांच करा कर सदन को अवगत कराएं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झा, आपको क्या हो गया है, आप चांस मिलने के बाद भी इंटरप्ट कर रहे हैं।

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य से आता हूं। बिहार पुनर्गठन के बाद अब शेष बिहार की स्थिति ऐसी है, जहां चलना मुश्किल है। वहां रेलवे लाईन की स्थिति बहुत खराब है। पिछले पांच साल के अंदर बिहार में 1997-98, वित्तीय वर्ष में कई नई रेल लाईन के निर्माण के फैसले लिए गए थे। उनका शिलान्यास हुआ और दोहरीकरण तथा आमान परिवर्तन का फैसला भी लिया गया। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर नई रेलवे लाईन का 1997 में शिलान्यास हुआ। इसलिए एक लाख रुपया दिया गया, हर वर्ष एक लाख रुपए ही दिए जाते हैं। अभी तक जमीन अधिग्रहण भी नहीं हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं। सुश्री ममता बनर्जी रेल मंत्रालय में जब से आई हैं तब से बिहार की योजना में रुपए नहीं दिए गए हैं। उसकी उपेक्षा की जा रही है।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि बिहार को उन योजनाओं में राशि दिलवाकर उसे पूरा करवाने की कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई (कालियाबोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान असम में चावल की कम बिक्री की ओर दिलाना चाहता हूं। यह अच्छी बात है कि असम ने चावल में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। परंतु यह किसानों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अधिक फसल होने के कारण किसानों को अपना चावल बहुत कम दाम पर बेचना पड़ता है। यद्यपि असम सरकार ने असम कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से चावल प्राप्त करने का वचन दिया है फिर भी वे उनसे चावल प्राप्त नहीं कर सके हैं। राज्य सरकार ने भी प्रति क्विंटल 600 रुपए की दर से चावल का आश्वासन दिया है परंतु यह केवल कागजों में ही है। भारतीय खाद्य निगम ने भी इस संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। यह भारतीय खाद्य निगम का भी कर्त्तव्य है कि किसान अपने चावलों को कम मूल्य पर न बेचें।

इसलिए मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करके उचित उपाय करें ताकि किसानों को अपने चावल मजबूर होकर कम दामों पर नहीं बेचने पड़ें।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में औद्योगिक वातावरण स्वस्थ नहीं है और धीरे-धीरे वहां के उद्योग बंद होते जा रहे हैं। एन.टी.सी. द्वारा संचालित मिलें बंद हुई हैं और अब चीनी मिलों पर संकट खड़ा हो गया है तथा दूसरे उद्योग भी धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण समय पर बिजली न होने के कारण तथा अन्य साधनों के अभाव में आम आदमियों का और श्रमिकों के लिए जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है। साथ-ही-साथ चीनी मिलों के सामने भयंकर संकट खड़ा हो गया है तथा गन्ना विकास परेशान है क्योंकि आने वाला सीजन उनके सामने खड़ा है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इन चीनी मिलों और गन्ना किसानों की सहायता करें, क्योंकि केन्द्र सरकार की सहायता से ही इन चीनी मिलों और गन्ना किसानों को बचाया जा सकता है। वरना राज्य सरकार तो इस मामले में हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि वह इन चीनी मिलों की सहायता करे जिससे गन्ना किसान लाभान्वित हो सकें और चीनी मिलें चल सकें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रुपचंद पाल (हुगली) : गृहमंत्री जी किस समय उत्तर देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : अपराह्न 2.30 बजे

डॉ. रंजीत कुमार पांजा : उपाध्यक्ष महोदय, 16 अगस्त को 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय झंडा फहराने के संबंध में काफी बहस हुई थी। मैं आज झंडे के बारे और झंडे की स्थिति के बारे में ही बोलूंगा। मैंने देश भर में देखा है कि झंडे के रंग फीके पड रहे हैं; यहां तक की सफेद रंग भी मैला हो गया है। परंतु मैं चक्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं।

संविधान सभा में पंडित नेहरू ने अपने यादगार भाषण में कहा था कि कांग्रेस ने झंडे में चरखे की जगह चक्र को क्यों चुना। अगर चक्र को उल्टी ओर से दिखाया जाए तो बड़ा अजीब दिखेगा। इसलिए केवल चक्के वाला भाग लिया गया और सबसे अच्छा चक्र देश में अशोक चक्र ही था। अशोक भारत के राजाओं में सबसे बड़ा था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप मुख्य बात पर आएं। आप सरकार के ध्यान में तुरंत कौन सी बात लाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

डॉ. रंजीत कुमार पांजा : मैं यह बताना चाहता हूं कि अशोक चक्र को पूरी तरह दिखाया जाना चाहिए। अशोक चक्र में बत्तीस छड़ें हैं परंतु हमारे राष्ट्रीय झंडे में केवल 24 छड़ें हैं। क्या यह गलती

कलाकार की है या पिछले 54 वर्षों में इसमें ध्यान ही नहीं दिया गया ? क्या सरकार इसकी समीक्षा करने के लिए कोई समिति बनाएगी क्योंकि राष्ट्रीय झंडा देश का चिन्ह है।

श्री कोडिकुनील सुरेश (अडूर) : मुझे यह मामला उठाते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे माननीय संसदीय मंत्री केरल के मलयाली व्यक्ति लग रहे हैं। आज उन्होंने धोती कुरता पहना हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : विषय पर आएं।

कोडीकुनील सुरेश : महोदय यह विषय भी आपके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है कि त्रिवेंद्रम दूरदर्शन केन्द्र ने दो वर्ष पहले मलयालम भाषा के क्षेत्रीय कार्यक्रम का समय डेढ़ घंटा घटा दिया है। इसके साथ ही शाम के समय मलयालम में क्षेत्रीय भाषा के समाचार 7 बजे दिखाए जाते थे और उसके बाद डेढ़ घंटे तक दूरदर्शन मलयालम में कार्यक्रम दिखाया करता था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे ? मेरे पास समय नहीं है।

श्री कोडीकुनील सुरेश : मैं बहुत महत्त्वपूर्ण बात करने वाला हूं राष्ट्रीय नेटवर्क पर रात्रि 8.30 के बाद ही हिंदी और अंग्रेजी के समाचार आया करते हैं।

परंतु अब सायं 7.15 बजे मलयालम खबरों के बाद तिरुवनंतपुरम का दूरदर्शन केन्द्र मलयालम कार्यक्रमों के बदले हिंदी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम दिखा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां केबल नेटर्वक नहीं है वहां हम डीडी–4 के कार्यक्रम नहीं देख सकते। अधिकांश लोग शाम को ही टेलीविजन देखते हैं और उस समय मलयालम कार्यक्रम नहीं दिखाया जाता जिसके कारण केरल के लोग बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं। यही बात तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो अब क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। परंतु केरल राज्य को छोड़ दिया गया है। इसलिए मैं एक बार फिर भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि 7.15 से 8.30 बजे के बीच मलयालम कार्यक्रम दिखाना आरंभ करे।...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ से भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं बोल सकता हूं।

श्री ए.सी. जोस : महोदय जहां तक मलयालम भाषा के कार्यक्रम दिखाए जाने का संबंध है लक्षद्वीप की स्थिति भी ऐसी ही है। 7.00 बजे से 7.15 बजे तक मलयालम खबरें दिखाई जाती हैं और उसके बाद कोई भी मलयालम कार्यक्रम नहीं दिखाया जाता और यही स्थिति अब तक चल रही है।

श्री प्रमोद महाजन : इस समय क्या दिखाया जाता है ?

श्री ए. सी. जोस : इस समय हिंदी और अंग्रेजी कार्यक्रम दिखाए जाते हैं।

महोदय, केरल के प्रत्येक गांव में हमारे पास काफी टेलिविजन हैं परंतु केबल नेटवर्क के बिना हम दूरदर्शन के कार्यक्रम ही देख सकते हैं। इस समय 7.15 बजे से लेकर 8.30 बजे तक मलयालम के कार्यक्रम नहीं दिखाए जाते इसलिए केरल के लोग उपेक्षित समझते हैं। इसलिए फिर से मलयालम के कार्यक्रमों को इस समय दिखाया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप कृपया इस पर गौर करें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, जब आपने आदेश दे दिया है तो मैं इस पर गौर करूंगा और मैं यह बात सूचना और प्रसारण मंत्री के ध्यान में लाऊंगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए। अब व्यवधान नहीं डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के निर्माता, दलितों और गरीबों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फिल्म 1998 में बनी थी। इस फिल्म के लिए भारत सरकार ने पांच करोड़ रुपए और महाराष्ट्र सरकार ने एक करोड़ 75 लाख रुपए दिए लेकिन यह फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि यह फिल्म अपने देश में रिलीज होनी चाहिए। यह फिल्म इंग्लिश में है। मेरा निवेदन है कि इस फिल्म को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्दी रिलीज करना चाहिए।

अपराह्न 1.18 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.05 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए)*

अविलंबनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये के मूल्य में कथित गिरावट

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 12 पर चर्चा करेंगे।

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर-पूर्व) : मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं तथा यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें।

> "विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए के मूल्य में तथाकथित गिरावट से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपाय।"

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : सभापति महोदय, भारत में अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। रुपए और अमरीकी डालर की नामांकित विनिमय दर भारत में विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थितियों तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अन्य मुख्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर की मजबूती के आधार पर दिन–प्रतिदिन के आधार पर दोनों ही दिशाओं में घटती बढ़ती रहती है।

विनिमय दर के उतार–चढ़ाव पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ही कड़ी निगरानी रखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यथा आवश्यक विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करता है और सुगम विदेशी मुद्रा बाजार स्थिति सुनिश्चित करने तथा बढ़ती घटती मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए संभावित दबावों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए आवश्यक मौद्रिक और अन्य उपाय करता है।

प्राधिकारियों द्वारा किए गए दीर्घकालीन उपायों में बृहद आर्थिक स्थायित्व की गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग और उचित नीतिगत उपाय शुरू करना शामिल है जिससे वर्तमान लेखा घाटे का स्तर वहनीय सीमा के अन्दर रखा जा सके तथा विदेशी वित्त पोषण की देश की आवश्यकताओं के अनुरूप पूंजी प्रवाह को व्यवस्थित किया जा सके एवं विदेशी मुद्रा रिजर्व रखी जा सके। विदेशी दबावों की अवधियों के दौरान रुपए के बाहरी मूल्य के उचित स्थायित्व बनाए रखने तथा भारत की विदेशों के साथ प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने एवं उसके संरक्षण के अनुरूप विनिमय दर का स्तर बनाए रखने में इन उपायों से मदद मिली है।

अभी हाल ही में अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर मई, 2000 के मध्य से मध्य जून, 2000 तक और पुनः जुलाई, 2000 के तीसरे सप्ताह से अधोमुखी दबाव में बनी रही है। विनिमय दर में अप्रैल, 2000 के अन्त में 43.655 रुपए प्रति अमरीकी डालर से अवमूल्यन होकर यह 17 अगस्त, 2000 को 45.785 रुपए हो गई, जो लगभग 4.7 प्रतिशत अवमूल्यन था। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इसी अवधि के दौरान अमरीकी डालर के मूल्य में अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भी अधिमूल्यन हुआ है। उदाहरणार्थ, 1 जुलाई, 2000 और 2 अगस्त, 2000 के बीच डालर का यूरो की तुलना में लगभग 4.0 प्रतिशत, जापानी येन की तुलना में 3.2 प्रतिशत और पौंड स्टर्लिंग की तुलना में लगभग 1.5 प्रतिशत का अधिमूल्यन हुआ। इन मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर के उतार–चढ़ाव के फलस्वरूप रुपया यूरो की तुलना में 2.5 प्रतिशत और येन की तुलना में 1.5 प्रतिशत मजबूत हुआ तथा पौंड स्टर्लिंग की तुलना में स्थिर मूल्य पर रहा। ये मुद्राएं (यूरो, पौंड एवं येन) भारत के अन्य बड़े व्यापारिक एवं निवेश भागीदारों की हैं।

इस प्रकार जहां यह सही है कि पिछले नौ सप्ताह या उससे अधिक के दौरान डालर की तुलना में रुपए का मूल्यह्रास हुआ वहां यह भी सत्य है कि यूरोप, ब्रिटेन और जापान में इसके अन्य बड़े व्यापारी भागीदारों की मुद्राओं की तुलना में रुपए में तेजी से मूल्यवृद्धि हुई या यह स्थिर बना रहा। दक्षिण एशिया एवं पड़ोसी देशों में हमारे प्रतिस्पर्द्धियों की मुद्राओं के तेजी से मूल्यह्रास से उत्पन्न कुछ प्रतिस्पर्धी नुकसानों को भी विनिमय दर का बाजार–सुधार प्रतिसंतुलित करेगा। इससे हमारे उन निर्यातों में मदद मिलने की आशा है जिनका विकास हाल के वर्षों में लड़खड़ा गया था। रुपए के अवमूल्यन से आयातों के नियंत्रित रहने की भी आशा है और जिसे लागत–प्रभावी आयात प्रतिस्थापन के हमारे प्रयत्नों को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

श्री किरीट सोमैया : माननीय सभापति महोदय, मैं, माननीय वित्त मंत्री जी को सकारात्मक ढंग से उत्तर देने के लिए धन्यवाद देता हूं, किंतु मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि कल ही, एक बार फिर रुपया, डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरा है। संपूर्ण राष्ट्र, उद्योग और अर्थव्यवस्था का ध्यान इसी ओर लगा हुआ है। क्या यह विश्वास का संकट है ?

[हिन्दी]

यह रुपया कहां जाकर रुकेगा ? मई महीने से यह गिरावट, डीवेल्यूएशन, डेप्रिशिएशन प्रारम्भ हुई है।

[श्री किरीट सौमया]

मई से लेकर आज तक जो अप्रैल 2000 में रुपये की वेल्यू डॉलर के मुकाबले 43.65 रुपये थी वह कुछ दिन पहले 46 रुपये क्रॉस कर चुकी थी। यह कहां जाकर रुकेगा ? मई और जून महीने में रिजर्व बैंक और वित्त मंत्री ने इस प्रकार के रियैक्शन दिये थे कि यह एक टैम्पोरेरी फेज है। मैं जानना चाहता हूं

[अनुवाद]

कि क्या यह टेम्पोरेरी फेज हे। टैम्पोरेरी फेज़ है तो कब तक रहेगा क्योंकि योजना आयोग के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व अधिकारियों और उसके भूतपूर्व गवर्नर ने अपनी राय दी है। कि यह 47 रु. को भी पार कर सकता है।

[हिन्दी]

देश की इंडस्ट्री और इकोनॉमी के ऐक्सपर्ट जानना चाहते हैं कि रुपया कहां तक जाएगा, कैसे रुकेगा, रिजर्व बैंक और सरकार ने क्या ऐक्शन लिये हैं और क्या लेने वाले हैं ? उसके साथ-साथ सबसे बड़ा प्रश्न है क्राइसेज़ ऑफ कॉनफिडेन्स का। जो कॉनफिडेन्स रुपये में डगमगाया है, उसको कैसे रोका जाएगा ? यह जो डेप्रिसियेशन है मार्च 1998 में रुपये की वैल्यू 39.45 थी। एक साल तक वह गिरावट कंटीन्यू रही थी लेकिन 1999 से लगभग मार्च 2000 तक आठ-दस महीने रुपया बहुत स्ट्रॉंग था। वह किस कारण था और अचानक ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई कि मार्च से डेप्रिसियेशन शुरू हुआ और वह कहीं रुक नहीं रहा है।

रिज़र्व बैंक ने अनेक प्रकार के स्टैप्स लिये हैं। कुछ का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है और कुछ का नहीं किया है। लेकिन इन सबके बावजूद भी गिरावट रुक नहीं रही है। एक कारण यह भी बताया गया है कि यूरो, येन और पाउंड स्टर्लिंग के सामने हमारी रुपी मजबूत है लेकिन

[अनुवाद]

यदि हम इसकी तुलना पिछले साल से करें, तो मेरे ख्याल से यह मूल्यह्रास है, अवमूल्यन है।

[हिन्दी]

इसी के साथ-साथ चिन्ता यह भी व्यक्त की जा रही है कि क्या इसका कारण ऑयल पूल अकाउंट है ? क्या यह बात सही है कि पिछले वर्षों में 75,000 करोड़ रुपये का ऑयल हमे इंपोर्ट करना पड़ा था जिसके कारण हमारे फॉरेन ऐक्सचेन्ज की परिस्थिति ज्यादा से ज्यादा नाजुक होती जा रही हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ऑयल के भाव क्या बढ़ने जा रहे हैं ? कल ही माननीय पेट्रोलियम मंत्री महोदय ने सदन में कहा कि दस साल में हाइयैस्ट रेट है। इसको हम कैसे कोप अप कर पाएंगे ? आने वाले साल में भी यह बढ़ने वाला है। मैं एक फिगर देना चाहूंगा।

[अनुवाद]

1997-98 में तेल का आयात 15,883 करोड़ रुपए का था। 1998-99 में यह 14,920 रुपए का हुआ। 1999-2000 में यह 30,582 करोड़ रुपए का हुआ। तो यह लगभग दोगुना है।

[हिन्दी]

उसके कारण मार्च 1998 में जो रुपया 39.45 था, वह आज 46 रुपये है। दो साल में सात रुपया डॉलर के सामने गिरावट हुई है। मुझे लगता है कि यह देश की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या यह बात सही है कि देश का इंपोर्ट पिछले अनेक वर्षों में बहुत प्रमाण में बढ़ा है?

[अनुवाद]

1994-95 में व्यापार घाटा 9,045 करोड़ रुपए का था। और वर्ष 2000-2001 में हमें यह घाटा लगभग दोगुना 18,500 करोड़ रुपए की उम्मीद है।

[हिन्दी]

एक कारण यह भी है कि इंपोर्ट जो 35,904 करोड़ था, वह 62,000 करोड़ है।

मैं एक बात की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसा भी ध्यान में आया है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिपार्टमेंट और फाइनेन्स मिनिस्ट्री में भी थोड़ा ज्यादा कोआर्डिनेशन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है क्योंकि हमने देखा है कि इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। उसका एक कारण यह है कि अनेक इंडियन इंडस्ट्रीज़ में ऐसा है कि फिनिश्ड गुड्ज की कस्टम ड्यूटी वित्त मंत्रालय ने कम कर दी है। अनेक गुड्ज की इंपोर्ट ड्यूटी 20 परसेंट है और उसका रॉ मैटीरियल, जो यहां पर प्रोसेस किया जाता है उस पर मैक्सिमम 42.5 प्रतिशत है। उसके कारण इंपोर्ट बढ़ा है। जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं।

[अनुवाद]

मैं वित्त मंत्री जी की चिंता समझ सकता हूं कि हमें कोर उद्योगों, मूलभूत विकास और प्रोद्योगिकी आयात को बढ़ावा देना होगा।

[हिन्दी]

लेकिन कंज्यूमर गुड्ज का जिस प्रकार से इंपोर्ट बढ़ा है, उसके लिए हम किस प्रकार से कदम उठाएंगे इसके ऊपर भी मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अन्त में मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये जो रुपए का डाउनफाल कंटीन्यू है उसके कारण हमारा जो फारेन एक्सचेंज रिजर्व है, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। यह बात सही है कि आज तक पांच–छः साल में फारेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वह कभी ऊपर और कभी नीचे जा रहा था, लेकिन इस साल कितना फारेन एक्सचेंज निगेटिव आया है, इस साल फारेन एक्सचेंज रिजर्व में कितनी कमी आएगी, यह बताने की कृपा करें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : श्रीमन्, मुझे माननीय वित्त मंत्री जी के आज के इस महत्त्वपूर्ण वक्तव्य के संबंध में खेद पूर्ण आश्चर्य हुआ। आश्चर्य यह कि जिस प्रकार पिछले महीनों में विदेशी मुद्रा की जो संवेदनशीलता, वोलेटिलिटी है, जिस तरह से मुद्रा मूल्य नीचे रहा है और जिस तरह से रुपये में गिरावट आ रही है उसमें बिलकुल स्पष्ट है कि सरकार रिजर्व बैंक की घोषणा, जो आज हुई है, उसमें विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आज बयान दिया, उसके बारे में कहते हुए मुझे दुख होता है कि उन्होंने रुपए की गिरावट का समर्थन किया है। आज के उनके वक्तव्य की जो भाषा और वाणी है, जो जोर है, थ्रस्ट है वह यह है कि रुपए के डैप्रिसिएशन से फायदा हो रहा है। इससे इम्पोर्ट कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और जो हमारा दक्षिण एशिया के दूसरे देशों से व्यापार में कंपटीशन है, उस मुकाबले में हम ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे, ज्यादा अच्छी मार्केटिंग होगी यह उन्होंने कहा है।

सभापति महोदय, उन्होंने यह भी कहा कि डॉलर की तुलना में आज यदि हमारा रुपया गिर रहा है, तो क्या हुआ, येन से तो हम ऊंचे हो रहे हैं, यूरो से ऊंचे हो रहे हैं, पाउंड स्टर्लिंग के हम बराबर हैं। श्रीमन् हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आज भारत की व्यापार मुद्रा डॉलर में है न कि येन, यूरो या पाउंड स्टर्लिंग। अभी–अभी जो माननीय सदस्य, किरीट सोमैया जी ने कहा कि हमारी ऑयल पेमेंट यूरो में नहीं होती, तेल की कीमत येन में नहीं होती, वह डॉलर में होती है और आज सूचनाओं के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह बढ़ती उुई कीमत एक हमारा यह सबसे बड़ा महंगाई का आधार है।

[अनुवाद]

यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का मूल्य इसी तरह बढ़ता रहा तो तेल का आयात बिल, पिछले साल के 12.3 बिलियन डॉलर के मुकाबले 16 बिलियन डॉलर तक हो जाने की आशा है।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अपराह्न 2.19 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल ही माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने यह कहा कि कीमतें बढ़ाई भी जा सकती हैं क्योंकि हमारा जो ऑयल प्राइस पूल है, उसमें जिस तरह से गिरावट आ रही है, उसको देखते हुए हमें कीमत बढ़ानी पड़ सकती हैं। अगर तेल की कीमत रुपए में बढ़ती है, यदि रुपया नीचे आता है, तो हमारे बाजारों में मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल हर चीज का रेट बढ़ जाएगा। महंगाई बढ़ेगी। इसलिए हमें डॉलर की तुलना येन और पाउंड स्टर्लिंग से नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान मूल्य स्थिति के बारे में जो सूचना मैंने मांगी तो है उसके अनुसार फारेन एक्सचेंज आज दोपहर तक रुपया 46.95 डॉलर तक पहुंच गया है। अब इसके बारे में हम अगर यह कहें कि डॉलर का मूल्य अभी बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। हालांकि हम यह नहीं करना चाहते, स्केयर क्रिएट नहीं करना चाहते और हम संसद में इस बात का उल्लेख करके मार्केट में भय का वातावरण नहीं बनाना चाहते, लेकिन आखिर हो क्या रहा है। मीडिया में बार–बार कहा जा रहा है स्टेट मैनहेटन बैंक ने भी कहा है कि इस साल के अन्त तक रुपए की कीमत घट कर 50 रुपए प्रति डॉलर तक आ जाएगी। रिजर्व बैंक और वित्त विभाग द्वारा क्यों उसका प्रतिरोध नहीं किया गया?

[अनुवाद]

माननीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, दोनों ने यह दावा किया है कि फारेन एक्सचेंज मार्किट पर पूरी नजर रखे हुए हैं।

[हिन्दी]

उधर कई समाचार पत्र घोषणा करते जा रहे हैं कि भारत का रुपया और गिरेगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपये के गिरने का कारण क्या है? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट, करेंसी फाइनेंस और उस पर आधारित हाल की एक टिप्पणी में बताया गया है :

[अनुवाद]

> "भारत के शेयर बाजार से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की व्यापक निकासी के चलते कारपोरेट मांग और आपूर्ति मांग में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है।"

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

[हिन्दी]

फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का विश्वास स्टॉक मार्किट पर कमजोर क्यों पड़ रहा है? इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले दिनों लगभग 700 मिलियन डालर हमारे स्टॉक एक्सचेंज से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने वापस ले लिये हैं। माननीय मंत्री जी ने आज जो नीति घोषणा की है, उससे मुझे इस बात का भय है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कहीं और अधिक मात्रा में शेयरों में लगा रुपया विदड्रा न करने लगें। आज के रिजर्व बैंक के बयान में जो कहा गया है मुझे उसकी सफाई चाहिए। वित्त मंत्री जी के वक्तव्य के पहले सेन्टेन्स में कहा गया है :

[अनुवाद]

"भारत में अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर बाजार पर आधारित है।"

[हिन्दी]

यह वित्त मंत्री जी आज कह रहे हैं। उधर आज ही के अखबारों में रिजर्व बैंक के वक्तव्य में कहा गया है कि – रिजर्व बैंक रुपये की मजबूती के अपन इरादे पर कायम है। अगर रुपया मार्केट ओरियेन्टेड है, मार्किट डिटरमेंड है और बाजार तय करता है तो फिर रुपये को डिफेंड करने की क्या जरूरत है ? रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। जो रूल्स में लिखा है, वही क्लेरीफिकेशन मैं पूछ रहा हूं। आज के बयान में, आज के अखबारों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि :

[अनुवाद]

वह रुपये को डॉलर के मुकाबले अपना स्तर तलाशने देने के पक्ष में नहीं है। रिजर्व बैंक रुपये को गिरने नहीं देगा। तो रुपये की दर मार्किट ओरिएंटेड कैसे है ?

[हिन्दी]

मंत्री जी जरा बतायें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बयान सही है या मंत्री जी ने जो डेप्रीसिएशन ऑफ रुपी का समर्थन किया है, वह सही है। मुझे खेद है कि जिन लोगों ने भी यह सलाह दी है कि वक्तव्य आज दिया जाये, उन्होंने आज की स्थिति सुधारने में कोई मदद नहीं की है। हमारा डालर का भंडार घटता जा रहा है। देश में मार्च 2000 में 35 बिलियन डालर का रिजर्व था जबकि वह 28 जुलाई, 2000 को घटकर 33.2 बिलियन डालर रह गया। लगभग दो बिलियन डालर इसी बीच खर्च हो गया। निकल गया। जिसके लिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि यह वोलैटैतिटी मार्केट की वजह से है। मार्च के बाद अप्रैल 2000 में 65 मिलियन डालर और ज्यादा घट गया, मई में 601 मिलियन डालर की घटौती हुई, जुलाई में 534 मिलियन डालर की घटौती हुई और कुल मिलाकर मार्च में 28 जुलाई तक करीब 1.8 बिलियन डालर की घटौती हुई है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कितना खतरा है। तेल की कीमत बढ़ रही है। एक तरफ डिफेंस का खर्चा है। इसलिए भारत सरकार को रिजर्व बैंक से मिलकर आज बाजार को विश्वास में लेना चाहिए। कैपिटल मार्केट को विश्वास में लेना चाहिए क्योंकि इससे मंहगाई बढ़ते रहने का खतरा है। मैं जानता हूं कि मंत्री जी स्वयं कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि महंगाई बढ़े लेकिन अगर पॉलिसी कंट्राडिक्शन होता रहे, नीति में परस्पर विरोध होता रहे तो यह मामला कैसे रुकेगा। इस अवमूल्यन खतरे से हम कैसे बच सकेंगे? मुझे आशा है कि मैंने जो नीतिगत प्रश्न पूछा है, जो मुख्य प्रश्न है, उसे मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी के सामने रख रहा हूं।

[अनुवाद]

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने का बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं चिंतित हूं क्योंकि वित्त मंत्र।लय ने मामले को जिस हल्के–फुल्के ढंग से लिया था। मामला उससे कहीं गंभीर हो गया है।

मई से ही रुपया गिरता ही जा रहा है और उसे रोकने के सभी प्रयास विफल हो गए हैं। इस गिरावट को रोकने का कोई प्रयास नज़र ही नहीं आ रहा है। मुद्दा यह है कि यदि रुपया इसी तरह गिरता रहा और इसे रोका नहीं गया तो काफी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

यदि इस गिरावट को रोका नहीं गया, तो मुझे डर है, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, तेल की मूल्य वृद्धि से यह अगले साल 16.5 मिलियन डालर हो सकता है। इस घाटे की पूर्ति हो सकेगी। इस स्थिति से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए हमें एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे।

महोदय, मेरे विचार से भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा डीलरों, विशेषतः विदेशी और दूसरे बैंकों पर अनुवीक्षण और पर्यवेक्षण का कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, जिनका रुपये और डॉलर को बदलने पर पूरा नियंत्रण रहता है। इसलिए, अभी समय है कि भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की डीलरों और खास तौर पर विदेशी बैंकों पर कड़ी नज़र रखे।

दूसरा, सॉफ्टवेयर या दूसरे उद्योगों से जुड़े, निर्यातक अपनी आय का बड़ा हिस्सा विदेशों में रखते हैं। मेरे ख्याल से, अब समय आ गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक बार फिर, सतर्कता नीति का पालन कर निर्यात की आय भारत में रखना सुनिश्चित कर ले ताकि जहां तक संभव हो यह घाटा पूरा किया जा सके।

तीसरा, मेरे विचार से निर्यातकों को मिलने वाली फिस्कल कंसेशन जैसे 88 (ज) (ध) ने निर्यातकों की निर्यात में बहुत सहायता की है क्योंकि मूलतः भारतीय उद्योग निर्यात में कम ही रुचि रखते हैं जब तक कि उन्हें कुछ अच्छा प्राप्त होने की आशा न हो। यह कंसेशन, मेरे ख्याल से करीब दस साल पहले शुरू किए गए थे जब श्री एन.डी. तिवारी, वित्त मंत्री थे। तत्पश्चात् कुछ समय के लिए मैंने भी बजट संभाला था। राजसहायता देने से तो यह कंसेशन देना ही अच्छा है। यदि वित्त मंत्री मेरे सुझाव पर विचार करें तो– क्या, पिछले बजट में अचानक हटाए गए कुछ कंसेशनों को दुबारा दिया जा सकता है ताकि निर्यातक दीर्घकालीन आधार पर योजनाएं बना सकें न कि वे योजनाएं ठप्प होने पर वे भी अपने निर्यात अचानक ही बंद कर दें।

महोदय, विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। मुझे वर्तमान आंकड़े ज्ञात नहीं हैं। मेरा विश्वास है कि वह लगभग 50–60 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। मगर हमारी अपनी प्रक्रियागत और नौकरशाही अड़चनों के कारण उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए।

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, यह प्रश्न ही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन परियोजनाओं को शीघ्र चलाना सुनिश्चित किया जा सकता है ताकि तयशुदा विदेशी मुद्रा को असल चलन में लाया जा सके।

अंत में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ब्याज दर को बढ़ाना चाहेगी। मैं अस्थाई उपाय के रूप में यह कह रहा हूं। मैं निम्न ब्याज के साधारण सिद्धांत को ही मानता हूं जो कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल के लिए अच्छा है, मगर अभी हम आने वाली आपात स्थिति के करीब हैं।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने यह मुद्दा उठाया है।

मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि इस संबंध में निश्चिंत बैठने का मेरा इरादा नहीं है। यह परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है जिसे कोई वित्त मंत्री या केन्द्रीय बैंक का गवर्नर संभालना चाहेगा। परिस्थिति कठिन है मगर इससे आतंकित नहीं होना चाहिए। यही मैं यह कहना चाहता हूं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पहला मौका नहीं है। 1993 में मार्च के बाद भी रुपये की विनिमय दर मार्किट डिटरमिनेंट हो गई थी और वह पूरी तरह परिवर्तनीय हो गई थी। बाजार की यह स्थिति और रुपये का यह अवमूल्यन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास गवाह है कि अक्टूबर, 1995 में भी बाजार की ऐसी ही स्थिति थी और रुपया गिर रहा था। उस समय रुपये ने डॉलर के मुकाबले 36 रुपये को छुआ था। इसी प्रकार, जनवरी, 1996 में और फिर अगस्त, 1997 में भी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता गया था। नवम्बर 1997 में भी विदेशी मुद्रा बाजार में काफी समस्याएं देखनी पड़ी थीं।

1998 की गर्मियों में, जब प्रतिबंध लगाए गए थे, तब विदेशी मुद्रा बाजार भी प्रभावित हुआ था और तत्पश्चात् अब हम 2000 में इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसलिए, इन दिनों बाज़ार प्रभावित रहा है, मांग व आपूर्ति में असंतुलन की स्थिति रही है और रुपये का मूल्यह्रास हुआ है।

दूसरा मुद्दा यह है, जिस पर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक शांत नहीं बैठा। दरअसल, समाचार कुछ भी कहें या अनुमान लगाएं पर भारतीय रिजर्व बैंक ने इस स्थिति पर कम–से–कम चार या पांच बार बहुत ही महत्त्वपूर्ण नीतिगत वक्तव्य जारी किए हैं। मई से अगस्त तक उन्होंने बड़े ही विस्तार से स्थिति के बारे में और उस पर अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया है।

[अनुवाद]

कोई भी विद्यार्थी, जो इस बात को समझ रहा होगा, वह जानता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण क्या है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण में और सरकार के दृष्टिकोण में बिल्कुल भी अन्तर नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था – और सरकार का दृष्टिकोण भी वही था कि जब विदेशी मुद्रा बाज़ार में रुपए का लेन–देन होता है, तो यह बाज़ार निर्धारक होता है। जो कुछ श्री नारायण दत्त तिवारी ने कहा था, उसके बावजूद मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हम एक विशिष्ट विनिमय दर को लक्ष्य नहीं बना रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि डॉलर की तुलना में रुपये का मूल्य इस स्तर पर होना चाहिए अथवा किसी अन्य स्तर पर होना चाहिए। हमारा लक्ष्य यह नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार की नीति यह है कि हम बाज़ार में बहुत अधिक उतार–चढ़ाव को रोकें। हम बाज़ार पर सट्टेबाजों का कब्ज़ा नहीं होने देंगे। हम यही चाहते हैं। हम विदेशी मुद्रा बाज़ार में सुव्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनेक कदम उठाए हैं।

[श्री यशवंत सिन्हा]

श्री किरीट सोमैया मुझसे पूछ रहे थे कि रुपया किस स्तर पर जाकर रुकेगा उसी तरह से श्री नारायण दत्त तिवारी ने कहा था कि कुछ लोग यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि डॉलर का मूल्य 50 रुपए हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। मैंने 28–29 महीनों तक यह स्थिति देखी है। मुझे याद है कि वर्ष 1998 में कुछ लोग ऐसे थे जो यह भविष्यवाणी कर रहे थे कि वर्ष 1998 के अन्त तक डॉलर का मूल्य 50 रुपए तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। अतः हम गलत भविष्य वक्ताओं पर विश्वास न करें। इसमें डरने का कोई कारण नहीं है।

जहां तक विदेशी मुद्रा भंडार का संबंध है, मुझे कहने दीजिए कि मार्च, 1998 से हमारे पास...*(व्यवधान)*

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेरा प्रश्न यह था कि किसी ने स्टेट मानहाटन बैंक के उस वक्तव्य का खंडन क्यों नहीं किया। इसका उसी समय खंडन कर देना चाहिए था। किसी को उसका खंडन करना चाहिए था।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बार–बार अपनी नीति और अपनी स्थिति स्पष्ट की है। यहां काफी लोग ऐसे हैं जो कि भारत में और बाहर भविष्यवाणियां कर रहे हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति को चुनौती न दीजिए और न ही उनकी बात मानिए। इसमें कई बार अपनी हार हो जाती है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों अर्थात् 1998–99 और 1999–2000 के दौरान, हमारे द्वारा कार्यभार संभालने के बाद हमने अपने भंडारों में 9 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा और जोड़ ली है। हमने पिछले चार वर्षों में अपने भंडारों में सोलह बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा और जोड़ ली है। अतः, मार्च, 2000 के अन्त तक, जबकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार 38 बिलियन डॉलर से अधिक थे, तो यह हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था तथा हमारे द्वारा निरन्तर अपनाई जा रही नीतियों के संबंध में एक शुभ संकेत था। नरसिंहराव सरकार के समय हम अपने भंडारों में वृद्धि ही कर रहे हैं। मुझे यह बताने दीजिए कि एक बार फिर न कि पहली बार विदेशी मुद्रा भंडारों में कमी हो रही है। मार्च, 1994 में हमारे भंडारों में 25 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा थी और मार्च 1996 में अर्थात् एक वर्ष बाद, यह भंडार कम होकर 21.6 बिलियन डॉलर हो गया। इनमें 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक की कमी हुई है। अब यदि इस वर्ष दो बिलियन डॉलर की कमी होती है, तो इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार अन्ततः इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए ही होते हैं। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश का आर्थिक मूलाधार काफी मज़बूत है।

श्री किरीट सोमैया जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस वर्ष ऐसी क्या विशेष बात है और यदि हमारे आर्थिक मूलाधार मज़बूत हैं, तो डॉलर की तुलना में रुपए पर दबाव क्यों पड़ रहा है। इसका कारण देश से बाहर की परिस्थितियों में तलाशना होगा, यहां नहीं। देश के बाहर की स्थिति यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका की अर्थव्यवस्था किसी तरह से संकट में पड़ने वाली है ऐसा भय व्याप्त था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संयुक्त राज्य अमरीका संघीय राजकोष ने संयुक्त राज्य अमरीका की अर्थव्यवस्था में मंदी लाने के लिए अपनी दरों को बढ़ा दिया है। अब हमारी ब्याज दरों और उनकी ब्याज दरों में कम अन्तर रह गया है। धन विश्व भर से वापस संयुक्त राज्य अमरीका में आ गया है और यही कारण है कि रुपए सहित विश्व की सभी मुख्य मुद्राओं पर दबाव पड़ रहा है। अतः यह एक अस्थायी स्थिति है।

तेल के आयात का प्रश्न उठाया गया था। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में हमारे पास 7 माह के आयात करने जितना भंडार है। इसलिए घबराने की क्या बात है? मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे आर्थिक मूल–तत्त्व मज़बूत हैं, औद्योगिक उत्पादन लगभग पिछले वर्ष के समान है, अच्छी कृषि की संभावना है, खरीफ की फसलों के लिए वर्षा अच्छी हुई है और इसलिए फसल सामान्य होगी। यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। सरकार ऐसा नहीं कह रही है बल्कि सभी लोग 6.5 प्रतिशत वृद्धि दर की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कुछ अन्य लोग हैं जो कि यह कह रहे हैं कि हम....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष जी, यह आज तुलना का सवाल नहीं है कि नरसिंह राव जी के जमाने में इतना बढ़ा या इतना घटा। आप इतना ले आये हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। वास्तविक बात यह है जो तिवारी जी ने या उधर के सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है कि देश की अर्थ–व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और महंगाई तो बढ़ेगी। वित्त मंत्री जी को घबराने की जरूरत नहीं है, वह तो मुकाबला करना ही पड़ेगा। आज भी आपके सामने सारे नतीजे आ चुके हैं। आज किसानों की हालत क्या है? महंगाई बढ़ती जा रही है, उनकी कीमतें गिरती चली जा रही हैं। आप आटा मंगाते चले जा रहे हैं। यह सारी वास्तविकता है। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे और अगर कोई रास्ता निकालेंगे तथा आप कहेंगे तो मैं मानता हूं कि इसमें महत्त्वपूर्ण सुधार होगा ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह कॉलिंग अटेंशन है। जिन–जिन के नाम हैं, उन्हीं को बुला रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप वास्तविकता स्वीकार कीजिए और सदन को विश्वास में लीज़िए तो हम उसमें सहयोग करेंगे। ... *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : मुझे खेद है कि मैं मुलायम सिंह यादव जी की बात से सहमत नहीं हूं। ... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : यह देश का सवाल है। ... *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : यह रुपये डॉलर का सवाल है।

[अनुवाद]

उदाहरण के तौर पर हम डॉलर तथा अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपए के मूल्य पर विचार करते हैं। मुझे पूरे परिदृश्य का उल्लेख करने दीजिए। इस वर्ष जनवरी से आज तक रुपये का कितना मूल्य ह्रास हुआ है ? रुपए में 5.13% का मूल्य ह्रास हुआ है। डॉलर की तुलना में ब्रिटिश पाउंड में 9.16% का मूल्य ह्रास हुआ है। यूरो में 10.97% का मूल्य ह्रास हुआ है। येन में 3.88%का मूल्य ह्रास हुआ है। येन ही केवल एक ऐसी मुद्रा है जिसमें रुपए से थोड़ा सा कम मूल्य ह्रास हुआ है अतः हमें इतनी अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं होंगे। हम इसके बारे में चिंतित हैं लेकिन स्थिति में सुधार हो रहा है।

देश के निर्यात में पहली तिमाही में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निर्यात के संबंध में उल्लेख किया गया था। मेरी जानकारी के अनुसार अगस्त माह में एक बार फिर उनका रुख सकारात्मक हो गया है। अतः इन परिस्थितियों में चिन्ता की बात मात्र इतनी है कि तेल के मूल्यों में वृद्धि हो रही है क्योंकि यदि इसका मूल्य प्रति बैरल 33 डालर हो जाता है तो स्वाभाविक है कि तेल आयात का बिल बढ़ जाएगा। लेकिन महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं इस सभा तथा इस राष्ट्र को आश्वासन देता हूं कि हमारे पास स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। यह स्थिति अस्थिर क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा अनुभव यह कहता है कि इस तरह की स्थिति कभी भी लम्बे समय तक नहीं रही। हम इस स्थिति का फायदा उठाते आए हैं। हम इस बार भी निश्चय ही इस स्थिति का फायदा उठायेंगे।

महोदय, अन्त में मैं यह कहूंगा कि जहां तक कि नीति का संबंध है – सरकार की नीति – भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति का संबंध है – इस नीति के दो पहलू हैं।

इस नीति का प्रथम भाग यह है कि हम अनुमानों और बाजार में अस्थिरता को रोकने के लिए कदम उठाते रहेंगे। इस नीति का दूसरा पहलू यह है कि हमारे पास देश में आयातकों तथा अन्य लोगों की उपयुक्त मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। डॉ. नीतिश द्वारा एक सुझाव दिया गया है कि हमें ब्याज दरें बढ़ा देनी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले से ही प्रति शतांक तक ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। महोदय, माननीय सदस्य जानते होंगे कि मैंने अपने शासन–काल में द्वि शतांक तक ब्याज दरें घटा दी थीं। अब हमने इससे आधी ब्याज दरें तो बढ़ा दी हैं। मैं नहीं समझता कि वह स्थिति आ गयी है जबकि हमें पुनः ब्याज दरों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह ऐसी स्थिति है जिससे हमें सावधानीपूर्वक निपटना है क्योंकि यदि हम अधिक कदम उठाते हैं तो एक ओर हम अपनी अर्थव्यवस्था के विकास को नुकसान पहुंचायेंगे। यदि हम पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं तो बाजार में बहुत अधिक अस्थिरता हो सकती है। इन बाधाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमें उत्तम नीति के विकल्प का चुनाव करना है। मुझे विश्वास है कि अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाज़ार में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और उन्होंने इस संबंध में अपनी और सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : महोदय, मैं निर्यात के लिए आदेश प्राप्त करने वालों के विदेशी मुद्रा खाते के संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि रुपये के गिरते हुए मूल्य से अधिक चिन्ता का विषय है, बरबादी की राह में खड़े वित्त मंत्री का विश्वास।

अपराह्न 2.41 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, मेरे विचार से मैं सम्भवतः नया संसदीय कार्य मंत्री हूं अथवा ऐसा ही कुछ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित नहीं हैं इसलिए इस प्रस्ताव को आप प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 17 अगस्त, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 17 अगस्त, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, महिला आरक्षण विधेयक को इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है। अतः हम इस प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, इसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने के बाद, मैं यह कहना चाहता हूं कि महिला आरक्षण को भी इसमें शामिल करना चाहिए ...*(व्यवधान)* महोदय, हम इस मामले को उठा रहे हैं क्योंकि हम महिला आरक्षण विधेयक को इसमें शामिल करना चाहते हैं। हमने इस संबंध में कार्य मंत्रणा समिति में अपने विचार व्यक्त किए थे और हम इस मामले को पुनः उठायेंगे ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, हम इस मामले पर मतदान करवाना चाहते हैं। आप इसे सभा में मतदान के लिए रखिए ...*(व्यवधान)* महोदय, हमने 'नहीं' कहा था ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 17 अगस्त, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.42 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : महोदय, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 43/2000–के.उ.शु. जो 18 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसका आशय इन्दिरा आवास योजना और 'हुडको' पुनर्वित आवास योजना के अंतर्गत उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में मकानों के निर्माण में प्रयोग हेतु सप्लाई किए गए सीमेंट और इस्पात को संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2248–ए/2000]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आभारी हैं कि उड़ीसा को ये रियायतें दी हैं और हम इसके लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हैं।

अपराह्न 2.44 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चूंकि हमारे पास अधिक समय नहीं है इसलिए कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं आपको इसकी अनुमति बाद में दूंगा।

अब क्या सभा माननीय मंत्री को जवाब देने के लिए गैर सरकारी सदस्यों के समय से दस से पंद्रह मिनट का समय लेने की अनुमति देती है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, जब तक माननीय मंत्री जी अपना भाषण पूरा नहीं कर लेते तब तक उनके लिए समय बढ़ा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : तदनुसार गैर सरकारी सदस्यों का समय 5.30 बजे के बाद बढ़ा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : उपाध्यक्ष जी, मोइनुल हसन जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बहस को करने का सदन को यह अवसर दिया है। मैं मानता हूं कि बहस अच्छी हुई। दोनों तरफ से जो दृष्टिकोण रखना था, वह कई सदस्यों ने बहुत प्रभावी रूप से रखा। संतोष मोहन देव जी यहां बैठे हैं, शायद वह उन लोगों में से थे जिन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की।

अधिकांश चर्चा धार्मिक अल्पसंख्यकों की थी। लेकिन जिन कुछ सदस्यों ने इस भाषायी अल्पसंख्यकों के बारे में भी बहुत प्रभावी रूप से अपनी बात रखने की कोशिश की, उनमें श्री संतोष मोहन देव, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा और श्री पूर्णो संगमा जी थे। इन्होंने बहुत ही तीखे रूप में देश में ईसाइयों के असुरक्षा भाव को प्रकट किया। उसी प्रकार से उन्होंने आरोप जितने लगाए, उनका काफी प्रभावी उत्तर यहां विजय कुमार मल्होत्रा जी, सुश्री उमा भारती जी ने दिया और जिनको मैं पहली बार सुन रहा था, इस सदन के नामांकित एंग्लो–इंडियन सदस्य, जिनको मैंने पहले कभी नहीं सुना था, श्री डेन्ज़िल एटकिन्सन। जिसको अच्छी चर्चा कह सकते हैं, वैसी चर्चा कल हुई, वाद–प्रतिवाद, कोई तर्क देना, तो उसको काटना। मुझे स्वयं को लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं लोगों की आलोचना का प्रतिवाद करता रहा हूं, उत्तर देता रहा हूं। उसके बजाए मैं कल की बहस में से शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करूंगा। मुझे स्वयं को लगता है, खासकर करके, पूर्णो संगमा जी सदन में उपस्थित नहीं है, श्री संगमा जी जब अध्यक्ष थे, मैं तब भी उनका आदर करता था और आज भी आदर करता हूं, बल्कि एक प्रकार से मेरा आदर उनके प्रति और बढ़ गया है। मैंने जब देखा कि जिनके साथ उनका जीवन भर संबंध रहा, जिस पार्टी के साथ, उस पार्टी से संबंध विच्छेद किए। इस कारण नहीं कि उनको

कोई पद नहीं मिल रहा था, उनको वहां पर कोई योग्य सम्मान नहीं मिल रहा था, लेकिन वे एक सिद्धान्त मानते थे और जिस सिद्धान्त को जब पार्टी ने नहीं माना, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में नहीं रह सकता हूं। इसीलिए मैं स्वयं मानता हूं कि कल की चर्चा, यद्यपि, वह ईसाइयों के बारे में नहीं थी, वह प्रमुख रूप से कुल मिलाकर धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके पर अत्याचार के बारे में थी। लेकिन चर्चा का सारा केन्द्र बिन्दु बन गया ईसाइयों के प्रति देश में व्यवहार और सरकार का उनके प्रति रवैया। पूर्णो संगमा जी कहते हैं, सही हो या गलत, लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया गया लगना चाहिए। इसीलिए आज सर्वसामान्य ईसाई के मन में असुरक्षा भाव का निर्माण हुआ है कि मैं इस देश में असुरक्षित हूं। जब वे कहते हैं, तो मैं उसे स्वीकार करके अपनी सरकार के लिए टासक मानता हूं कि मेरी सरकार का काम है कि इस असुरक्षा के भाव को निकालो। मैं उसका कोई उत्तर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, उत्तर तो बहुत सारे मेरे साथियों ने दे दिया है, वाद–प्रतिवाद के चलते।

महोदय, मैं अपनी बात इस बात से आरम्भ करूंगा कि आज से ढाई साल पहले जब हमारी सरकार बनी, तब हम लोगों के लिए, जो वर्षों से जनसंघ में थे, बाद मे भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करते रहे, एक नया अनुभव था। पचास साल तक हम प्रायः विपक्ष में रहे। थोड़े समय के लिए जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी भाई की, तब सरकार के हिस्से हुए। लेकिन वह कोई हमारी सरकार वैसी नहीं थी, जैसी यह सरकार है। हमारे लिए सरकार में आना, यह बड़ी कठिनाई के साथ था। हमने एक बड़ी कठिनाई के साथ शुरू किया। मैं केवल इस बात की चर्चा नहीं करता हूं कि हमको स्पष्ट बहुमत नहीं था। शायद हमसे पहले की जो दो सरकारें हुईं, उनको न्युमैरिकल हैंडकैप हमसे ज्यादा था। लेकिन जिस प्रकार का हेंडिकैप हमारी सरकार का रहा है, वैसा हेंडिकैप किसी पहले की सरकार का नहीं रहा है।

इस नाते यह सबसे बड़ा हेंडीकेप्ड है। आप किसी छवि से आरम्भ करते हैं। इमेज़ और रिएलिटी में बहुत अंतर है। मैं उसे कह सकता हूं, यह एक विकृत छवि है। मेरे विपक्ष के लोग नहीं मानेंगे, मैं उसे प्रमाणित कर सकता हूं। यह पूरी तरह से विकृत छवि है।

हमारी पार्टी और सरकार की इमेज़ यह है कि यह सरकार सेक्युलरिज़्म के खिलाफ है। यह साम्प्रदायिक सरकार है। यह ऐसी सरकार है, जिसमें मुसलमान असुरक्षित रहेंगे। वर्षों का एक इमेज बनाने में समय लगता है। मैं पिछले दिनों रफ़ीक ज़कारिया की एक पुस्तक पढ़ रहा था, जो मुंबई के हैं और कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे हैं। उनकी पुस्तक सरदार पटेल के बारे में है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है :

[अनुवाद]

"15 दिसंबर, 1950 को सरदार के देहांत के बाद आल इंडिया रेडियो, जो अपने आप में उस समय संचार का अकेला माध्यम था दूरदर्शन को आने में दो दशक से अधिक का समय लगा, ने पहले सूचना और प्रसारण मंत्री की याद में सरदार पटेल स्मारक भाषणों का आयोजन करने का फैसला किया। इस स्मारक भाषण का उद्‌घाटन राज गोपालाचारी ने किया जिन्हें लोग राजाजी के नाम से जानते हैं। 1996 में जब आकाशवाणी ने इस स्मारक भाषणों के लिए भाषण देने का मुझसे (अर्थात् रफीक जाकारिया) से संपर्क किया तो मैंने "सरदार पटेल और भारतीय मुसलमान" विषय चुना।"

उन्होंने आगे कहा :

"जो विषय मैंने चुना था वह विवादास्पद था। पहले मैं इसके बारे में डरा हुआ था। एक विद्यार्थी और भारतीय राजनीति में भाग लेने वाले के रूप में सरदार पटेल के जीवन और उनके समय तथा उनकी विभिन्न क्षेत्रों में यादगार उपलब्धियों के बारे में मुझे काफी ज्ञान था। परंतु मेरे कई सहधर्मियों की तरह मेरे अंदर भी यह भावना थी कि वे (अर्थात् सरदार) मुसलमानों को नहीं चाहते थे। वास्तव में मैंने समझा कि वे पूरी तरह मुस्लिम विरोधी थे। परंतु मैंने जितनी ही अधिक खोज की उतना ही अधिक मुझे विश्वास हो गया कि यह लौह पुरुष कई तरीकों से गलत समझा जा रहा था और भारतीय मुसलमानों के प्रति उनके रवैये के बारे में जो गलतफहमी थी उसे दूर किये जाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि मैंने यथा संभव अपनी संतुष्टि के हिसाब से इस कार्य को अंजाम दिया। इसका यह परिणाम हुआ। उन्होंने अपने भाषणों को संकलित करके छापा तथा उसे एक पुस्तक का रूप देकर "सरदार पटेल और भारतीय मुसलमान" नाम दिया।

इसकी प्रस्तावना नानी पालकीवाला ने की। इसमें कहा गया है :

"भारत की एकता और अखंडता तथा हिंदू–मुसलमान भाईचारे के लिए सरदार की समर्पण भावना एक उदाहरण थी। उनकी देशभक्ति संदेह से परे थी और उनका राष्ट्रवाद भी विवाद से परे था। फिर भी झूठे धर्मनिरपेक्ष लोग सांप्रदायिकता और हिंदू पक्षपाती होने के कारण उनको खुलकर दोष देते थे। यहां तक कि मौलाना अबुल कलाम आजाद और जयप्रकाश नारायण जैसे उनके अपने ही साथी ऐसा करते थे। इतना ही नहीं अंत में उन दोनों ने अपनी गलती भी मान ली।"

राजाजी ने भी इस पुस्तक में यह कहा है :

"पटेल के बारे में यह धारणा बन गई थी कि वह मुसलमानों के प्रति कड़े होंगे। यह बात गलत थी परंतु यह पूर्वधारणा बनी हुई थी।"

मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रकार की कठिनाई के साथ इस सरकार ने काम करना शुरू किया।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : क्या आप अपने आपको सरदार पटेल के बराबर समझ रहे हैं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, मैं इस सरकार की बात कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने इस बारे में शुरू से ही ध्यान रखा है।

[हिन्दी]

मेरे संदर्भ में जब सरदार पटेल की बात की जाती है तो मैं विचलित फील करता हूं क्योंकि वह बहुत महान आदमी थे।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : आपने हमें भी तो हिंदू विरोधी बना दिया है। अब धीरे–धीरे वह बात खत्म हो रही है। आप हमारी तरह ही चलें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपको मौका मिले तो आप शिकायत कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 16 दिसम्बर, 1998 में भी इसी प्रकार की चर्चा इस सदन में हुई थी और उस समय ईसाइयों का जिक्र था लेकिन मुख्य रूप से तो वही बात थी कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। उस समय श्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे मंत्रिमंडल के साथी थे। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी इस प्रकार की बहस में भाग लेता रहा हूं। मैं स्वयं तो राज्य सभा में 1970 में आया था। उस समय से लेकर आज तक साम्प्रदायिक दंगों और साम्प्रदायिक तनावों की चर्चा न हुई हो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहले की जितनी बहस हुआ करती थीं तो विपक्ष के लोग या उन्हीं की अपनी पार्टी के लोग लाशें गिनवाते थे कि कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे। लेकिन यह पहली बहस है जिसमें किसी ने दंगों की चर्चा नहीं की है, कितने लोग दंगों में मारे गये, इसकी चर्चा नहीं की है। हां, चर्चा हुई तो यह कहा है कि फलां व्यक्ति ने यह कहा या यह वक्तव्य दिया। जैसे कल मेरा नाम लेकर माननीय मार्ग्रेट आल्वा जी ने कह दिया कि हेट–कैम्पेन में ये भी शामिल हो जाते हैं। मुझे यह अच्छी तरह से याद है, आपने मेरा नाम उस संदर्भ में लिया, जब हेट–कैम्पेन की बात आप कर रही थीं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : मैंने संविधान के ऊपर छपे किसी पैम्फलेट के बारे में कहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि आपने हाईहेट कैंपेन में भाग लिया था। परंतु अगर आप ऐसा समझते हैं तो मुझे दुःख है। परंतु मेरा आशय यह नहीं था। मैं क्षमा चाहती हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जो कुछ आपने कहा मैंने वह मान लिया है क्योंकि संविधान के गठन के बाद मैंने कोई पत्र नहीं लिखा है। परंतु पहले मैंने संविधान के ऊपर कई भाषण दिए थे परंतु उसका क्या किया जाना चाहिए।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : मैं आपसे एक सरल सा प्रश्न पूछता हूं। मैं किसी और तरीके का व्यवधान नहीं डालना चाहूंगा।

क्या यह सच है या यह सच नहीं है कि आप गृह मंत्री जी उस स्थान पर मौजूद नहीं थे जब बाबरी मस्जिद को तोड़ने जैसा आपराधिक काम हो रहा था? अगर यह सच है तो आपकी बात पर विश्वास नहीं किया किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय माधवराव जी हमारे मित्र हैं हमारे साथी रहे हैं। मैं वहां था, इसमें मुझे इन्कार करने की कोई बात नहीं लगती। लेकिन उस समय की मेरी जो दशा थी, उसका वर्णन मैंने दस दिन के बाद जब मैं कारावास में था, अपने एक आर्टिकल में किया कि मेरे जीवन का अगर कोई सबसे दुःखद दिन था तो वह दिन था। ठीक है, उन्होंने अपनी बात कही। उनको जानकारी है कि मैं वहां था। जानकारी न होने के कारण दुनिया भर के निष्कर्ष निकाले जाते। यह बात मैं आज नहीं कह रहा हूं। अगर कोई उस महीने की 20–25 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस को आज भी पढ़ेगा तो मेरा आर्टिकल उसको मिलेगा। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो फैसला देगा वह मुझे स्वीकार होगा। मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से गलतफहमियों के आधार पर छवियां बनती हैं और उस व्यक्ति के बारे में भी बनती हो जिसने देश को एक बनाया। सन् 1959 में मई महीने में राजेन्द्र प्रसाद जी ने कहा था; "कि आज के भारत के बारे में ही सोचना और बोलना चाहिए।"

अपराह्न 3.00 बजे

ऐसे व्यक्ति के बारे में भी ऐसी धारणाएं हैं कि वह मुस्लिम विरोधी थे। वह सैकुलरिज्म को नहीं मानते थे।....*(व्यवधान)* महोदय, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बराड़, वे सहमत नहीं है कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने 1998 की उस बहस की चर्चा की। मैंने मुख्तार अब्बास नकवी के बयान की चर्चा इसलिए की, यदि

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं आंकड़ों में जाऊंगा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे पास 1990 से लेकर 2000 तक के आंकड़ों को पूरा चार्ट है कि कितने दंगे हुए, कितनी घटनाएं हुई, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए? 1998–99 और 2000 वे साल हैं, जिस दौरान साम्प्रदायिक दंगे कम से कम हुए, हत्याएं कम से कम हुईं, घटनाएं कम से कम हुईं। अलबत्ता मैं इस बात को इन्कार नहीं करूंगा जैसा संगमा जी ने कहा कि ईसाइयों के संदर्भ में घटनाएं बढ़ी हैं। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि थोड़ी बढ़ी हैं, कम बढ़ी हैं लेकिन बढ़ी है। यह गलत बात है। यही नहीं होना चाहिए। जो बात संगमा जी ने कही, मैंने 28 जून को लगभग उन्हीं शब्दों में कही। मैं 25 मई को किसी कार्यक्रम के लिए हैदराबाद गया था। उसके चार दिन पहले मछलीपट्टनम में डिस्ट्रिक्ट कृष्णा में ईसाइयों की एक गैदरिंग थी। वह चैप्पल में थी, कैथेड्रल में थी या चर्च में थी लेकिन बम विस्फोट हुआ। उसमें कुछ लोग घायल हुए लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की और कहा कि वहां क्या बैकग्राउंड है? उन्होंने कहा कि यहां कभी ईसाइयों और हिन्दुओं के बीच कोई तनाव नहीं रहा। मैंने पूछा कि क्या अन्दाजा है, किसी को पकड़ा या नहीं? उन्होंने कहा कि पकड़ नहीं पाए, हमें कुछ अन्दाजा है लेकिन उसे आज नहीं कह सकते। उसके थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि लगातार एक के बाद एक घटनाएं हुई।

[अनुवाद]

21 मई और जुलाई के आरम्भ के बीच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा में संभवतः 12 बम विस्फोट हुए थे।

[हिन्दी]

12 बम विस्फोट होते हैं और कुछ लोग घायल होते हैं। 28 जून को इंटरनल सिक्योरिटी के इशू को डिसकस करने के लिए डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें चीफ सैकेट्रीज भी आए थे। वहां इस बात का जिक्र हुआ।

[अनुवाद]

आखिर, हमारी मशीनरी काफी बड़ी है और स्थिति ऐसी है कि एक के बाद एक बम विस्फोट हो रहे हैं। मैंने कहा, "अगर आप उन लोगों को पता लगा सकते हैं जिनका संबंध किसी ऐसे संगठन से है जिसे मैं समझता हूं कि मेरे वाले से संबंधित है तो चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हमें पकड़ना चाहिए। हमें इन लोगों को भी खोजना चाहिए।

[हिन्दी]

उन्हें खोज निकालें। पॉलिटिकल एफिलिएशन या रिलीजियस एफिलिएशन की चिन्ता किए बगैर आप उनको खोज निकालें, जो लोग ये सब काम कर रहे हैं, मुझे उसका डिजाइन दिखाई देता है। एक दिन सुबह मेरे पास कर्नाटक के मुख्यमंत्री का टेलीफोन आता है कि इस प्रकार की घटना एक चर्च में हुई है। हमारे यहां से लोगों को जो जानकारी है उसके आधार पर उन्होंने उसे फॉलो–अप किया और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा सेंन्ट्रल एजेंसियों ने मिलकर इतने बड़े रहस्य का, षडयंत्र का भंडाफोड़ किया। यदि ऐसा भंडाफोड़ किसी और देश में होता, इस बारे में मोइनुल हसन साहब ने सही कहा कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि देश के प्रधानमंत्री को रोम में वैटिकन में पोप से मिलकर कहना पड़ा कि ये बातें हो रही हैं।

[अनुवाद]

वे बिखरे हुए हैं; उन्हें किसी भी प्रकार से संगठित नहीं समझा जाना चाहिए, परन्तु वे गलत हैं। सरकार इस बारे में काफी उत्सुक है कि उन्हें बंद किया जाए।

[हिन्दी]

एक पखवाड़े के अन्दर जब देश को इस प्रकार की जानकारी मिली कि बाकायदा कोई संस्था है :

जिसका नाम दीनदार अंजुमन है। मैंने इस दीनदार अंजुमन के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मैंने पिछले दिनों डॉ. के.एम. मुंशी की एक पुस्तक देखी है।

[अनुवाद]

यह हैदराबाद को देश के साथ जोड़े जाने के संबंध में है। यहां तक कि दीनदार अंजुमन में भी डेढ़ पेज छपा है।

[हिन्दी]

शायद उस समय यह एक संस्था थी। उस दीनदार अंजुमन संस्था के 35 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शायद 60 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। वे लोग कौन–कौन से काम करते रहते हैं, इसके बारे में यहां चर्चा होती है लेकिन मारग्रेट जी ईसाई की घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं करतीं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : शेम शेम।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : रावले जी इसमें शेम की कोई बात नहीं है। इस बात में किसी के लिये पाइंट स्कोर करने की कोई बात नहीं क्योंकि समस्या हल नहीं होगी। उस समस्या को कोई सरकार निपटा नहीं सकती। जब तक सरकार को विपक्ष का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक देश का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हम पाकिस्तान के सारे षड्यंत्रों का मुकाबला नहीं कर सकते और इसीलिये हम लोग बहस करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : हमने सरकार को आई एस आई के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा षड्यंत्र किए जाने के प्रश्न पर पूरा समर्थन दिया है। जब तक आपको हमारा समर्थन मिल रहा है तब तक यह मत कहिए। हम देश की एकता और अखंडता तथा राष्ट्र की सांप्रदायिक सद्भावना को कायम रखने के लिए सरकार का समर्थन करने के लिए वचनबद्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : जिन्होंने हमला किया है, वे आई.एस.आई. के लोग हैं और वे एक्सपोज हुये हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस बात को मान रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : रावले जी, मैंने उन्हें रिक्वैस्ट किया है, आप क्यों बोल रहे हैं? हमारी पार्टी हमेशा देश हित में रही है लेकिन सरकार ने स्थिति को सही बनाये रखने में सहयोग नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव : लोग तो बाहर जाकर हमें मौलाना मुलायम सिंह कहते हैं। गृह मंत्री जी यह बात सच है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : हमने कहा कि आप आई.एस.आई. के खिलाफ पूरी कार्यवाही करें। जहां पर दीनदार अंजुमन का ताल्लुक है, मुसलमान तो उसे मुसलमान भी नहीं समझते हैं बल्कि वे अलग ख्याल के हैं, अलग अकायद के लोग हैं। उन्हें ख्वामख्वाह मुसलमानों से न जोड़ा जाये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपने जो बात कही है, उसे मैंने नोटिस में ले लिया है। मैं बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में बनातवाला जी भी सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इस संस्था के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये और सारे देश के सामने हमने कहा कि इस समय यह मामला इनवेस्टीगेशन स्टेज में है। इस इन्वेस्टीगेशन के पूरा होते ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जहां ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, उन राज्य सरकारों से कहा है कि वे कार्यवाही जरूर करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन ईसाइयों के संदर्भ में जिनका जिक्र किया गया है और मैं उनका उत्तर यहां दे चुका हूं। मुझे इस बात का अफसोस जरूर हुआ कि अगर माइनोरटीज कमीशन पांचों स्थानों पर जाता है, जहां उत्तर प्रदेश में घटनायें हुई हैं जहां बड़े-बड़े बैनर्स छपे हैं, दुर्भाग्य की बात है कि अगर किसी कालेज में डकैती हो गई और डाकुओं ने हमला करके प्रिंसीपल की हत्या कर दी तो वह अखबार में प्रमुख हैडलाइन्स आती हैं।

[अनुवाद]

'ईसाई कालेज के प्रिंसिपल की हत्या' शीर्षक के अंतर्गत समाचार छपा है। अगर यह किसी अन्य कॉलेज का प्रिंसिपल होता तो ठीक था। अगर किसी ईसाई के प्रिंसिपल की हत्या होती है तो उसका वर्णन अलग तरीके से किया जाता है।

[हिन्दी]

लेकिन ईसाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं और जब माइनॉरटीज कमीशन जांच करने जाता है तो पांच केसों में कैटोगोरीकली रिपोर्ट देता है और उसके बाद कहा जाता है कि यह हैंडमेड संस्था है।

[अनुवाद]

कल अल्पसंख्यक आयोग पर भी टिप्पणियां की गई थीं। मुझे हैरानी हुई। इस विधायी संस्था का गठन संसद ने किया है। इसका गठन कार्यपालिका ने नहीं किया है। एक समय यह कार्यपालिका का भाग होती थी। परंतु बाद में संसद ने कानून बनाकर उस कानून के अंतर्गत अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर) : इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसका गठन चाहे संसद ने किया हो परंतु इसके सदस्यों की कोई विश्वसनीयता नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे खेद है परंतु ऐसी बात नहीं है। उस तरह तो किसी भी आयोग की कोई विश्वसनीयता नहीं होगी। हमने वधवा आयोग का गठन किया था जिसने यह निर्णय दिया कि दारा सिंह का किसी हिंदू संगठन से कोई लेना-देना नहीं है। वधवा आयोग ने यह आलोचना भी की थी ....*(व्यवधान)* श्रीमती आल्वा आपकी बात ठीक नहीं है। मैंने रिपोर्ट से पता लगाया है और उस रिपोर्ट से संबंधित कार्यवाही रिपोर्ट भी सभापटल पर रख दी गयी है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर समय होगा तो मंत्री जी के उत्तर के बाद तो मैं सदस्यों को स्पष्टीकरण के लिए अनुमति दूंगा।

श्री जी. एम. बनातवाला : पहले के अल्पसंख्यक आयोगों ने यह स्पष्ट किया था कि ईसाई विरोधी लहर चल रही थी। कमीशन की भी रिपोर्ट थी। यह केवल आयोग ही है जिसका अब पुनर्गठन किया गया है, जो अब कुछ स्वीकृत तथ्यों वाली रिपोर्ट लेकर आगे आया है परंतु आयोगों की पहले की रिपोर्ट भी हैं। सरकार आयोग की पहले की रिपोर्टों को क्यों नहीं देखती ?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : दारासिंह का उनके साथ कोई संबंध हो या न हो ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी पूरी बात सुनिए। गृह मंत्री को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप मंत्रीजी को अपना उत्तर पूरा क्यों नहीं करने देते ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री बनातवाला जी कहते हैं कि पहले जो उन्होंने कहा कि देश में एंटी क्रिश्चियन वेव है तो उसे गलत कहा। इस कमीशन ने भले ही न कहा हो। केवल मात्र संगमा जी के कहने पर मैंने इस बात को स्वीकार किया कि सरकार की जवाबदारी होगी कि देश में जो ईसाई बसते हैं, उन ईसाइयों के मन से असुरक्षा का भाव निकाला जाए, यह सरकार का कर्त्तव्य होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो केवल मात्र स्टेटिस्टिक्स देकर हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मंत्री महोदय के उत्तर के बाद, यदि समय होगा, तो मैं सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, मैं एन.डी.ए. का घोषणा पत्र कोट नहीं करता हूं लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी सेक्युलरिज्म के प्रति प्रतिबद्धता है और देश में जितने अल्पसंख्यक हैं, उनका आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास करना हमारा कर्त्तव्य होगा। लेकिन मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि कांस्टीटुएंट असेम्बली की डिबेट्स को देखा जाए, माइनोरिटीज के लिए सेफगार्ड्स प्रोवाइड करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण क्या था। जिस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन पेश किया तो 23 नवम्बर, 1948 को भाषण देते हुए उन्होंने कहा :

[अनुवाद]

"इस देश में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों ने गलत रास्ता अपनाया है। बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को नकारना गलत है। अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा अपने आपको अल्पसंख्यक मानते रहना भी गलत है। कोई हल अवश्य निकालना होगा जो कि दोहरा उद्देश्य पूरा करे। इसका हल निकालने के लिए अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को पहचानना होगा। यह भी इस तरह से होना चाहिए कि एक दिन बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक एक हो जायें।"

[हिन्दी]

उसी प्रकार की बात सरदार वल्लभभाई पटेल ने की, जो माइनॉरिटीज सब कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्हें जो ड्राफ्ट दिया गया था, उसमें प्रोपोजल था कि सब सैक्शंस के लिए और रिजर्वेशन्स हों और उन्होंने वहां चर्चा करके यह निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन केवल मात्र शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देंगे, बाकी का जो माइनॉरिटीज का प्रावधान है कि सबको होगा रिजर्वेशन, वह उन्होंने काट दिया। वह इस प्रतिवेदन के साथ संविधान सभा में आए और उसको रिपोर्ट देते हुए सरदार पटेल ने फिर से दोहराया :

[अनुवाद]

"लम्बे समय के बाद यह भूलना सब के हित में होगा कि इस देश में बहुसंख्यक अथवा अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज है और भारत में केवल एक समुदाय है।"

इतना ही नहीं, सरदार पटेल के इस प्रस्ताव पर जब पंडित नेहरू बोले तो,

[अनुवाद]

उन्होंने इस प्रस्ताव को नीयति का ऐतिहासिक मोड़ कहा। उन्होंने कहा जहां पर निरंकुश विदेशी शासन हो वहां पर इस प्रकार के सुरक्षोपाय का कुछ उद्देश्य होता। इससे राजा एक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरुद्ध लड़ाता है। किंतु जहां पर एक जीवन्त लोकतंत्र हो, यदि आप किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुरक्षोपाय करना चाहते हो वहां पर आप उसे अलग कर देंगे, हो सकता है आप उसे कुछ सीमा तक संरक्षण दें, किंतु इसकी कीमत क्या होगी? यह इसे अलग करने और उसे मुख्यधारा से अलग रखने की कीमत पर होगा जिसमें बहुसंख्यक समुदाय जा रहा है। मैं यह राजनीतिक मंच पर निश्चिततौर पर बहुसंख्यक समुदाय की दिली सहानुभूति और भाईचारे की भावना खोने की कीमत पर बोल रहा हूं।"

[हिन्दी]

मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि हमको माइनॉरिटीज की चिन्ता पूरी करनी चाहिए और इस सरकार की भी जवाबदेही है। लेकिन हमको माइनॉरिटीज की चिन्ता करते हुए, माइनॉरिटिज्म को प्रमोट करते हुए माइनॉरिटीज़ एक वैस्टेड इंटरस्ट डैवलप करें अपने माइनॉरिटी होने में, यह स्थिति लाना कोई देश की एकता के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इस बात पर बल देना

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

चाहूंगा और उस दृष्टि से डॉ. अंबेडकर, सरदार पटेल और पंडित नेहरू का जो दृष्टिकोण कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में प्रकट हुआ, उसका मैं बहुत महत्त्व मानता हूं।

अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि यह सवाल देश में हर नागरिक को सुरक्षा देने का है चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। कोई एक प्रदेश में अल्पसंख्यक है तो कोई दूसरे प्रदेश में। जैसे आज कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक हैं कश्मीर में और उनकी चर्चा ध्यान में बहुत कम आती है। इतने लोग एक बार वहां से हटा दिये गये। ... *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं कि हम सबकी चिन्ता करें, एक–एक नागरिक की चिन्ता करें। हम केवल उनकी चिन्ता ही न करें जिनके मन में असुरक्षा का भाव पैदा हो और वह असुरक्षा का भाव कोई सरकार नहीं देती, कोई पार्टी नहीं देती। यह एक प्रकार से अगर हमने सेक्यूलरिज़्म स्वीकार किया 1947 में तो क्यों स्वीकार किया और वह ऐसे समय में स्वीकार किया जब देश का विभाजन हुआ था और हिन्दू और मुसलमान के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान ने अपने को मज़हबी राष्ट्र घोषित किया लेकिन भारत ने नहीं किया। उसका कारण यह है कि भारत अगर करता तो भारत अपनी संस्कृति और इतिहास के खिलाफ जाता। भारत ने सेक्यूलरिज़्म स्वीकार किया क्योंकि यह यहां की परंपरा, यहां का इतिहास, यहां की संस्कृति है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मुझे खुशी है कि आज 50 वर्ष बाद इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री दासमुंशी, मैं लगभग 30 वर्ष से संसद में हूं। यदि आप 10 वर्ष पहले अथवा 15 वर्ष पहले के मेरे भाषण पढ़ेंगे तो भी आपको वही बातें पढ़ने को मिलेंगी। मैंने इस संबंध में इतना लिखा है कि भारत में धर्म–निरपेक्षता के अतिरिक्त, पश्चिमी दृष्टिकोण को छोड़कर, जिसका धीरे–धीरे पता चला है ...*(व्यवधान)* काफी समय से

[हिन्दी]

सेक्यूलरिज़्म का अर्थ हो गया इर्रिलीजियस स्टेट। धर्म से कुछ लेना–देना नहीं है।

[अनुवाद]

यह संकल्पना नहीं है। आरम्भ से ही यह संकल्पना रही है कि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए, और राज्य धर्म के आधार पर एक नागरिक और अन्य नागरिक के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है।

[हिन्दी]

यह जो परंपरा है यहां की, यह 1947 की नहीं है, यह तो शताब्दियों की है और हमेशा से यही परंपरा रही है। इसीलिए संविधान सभा ने जब देश को सेक्यूलर राज्य बनाया तो उन्होंने अपने इतिहास का आदर किया, अपनी परंपरा और संस्कृति का आदर किया। इसके अलावा राज्य कुछ और कर ही नहीं सकता। धन्यवाद।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपका यह निवेदन अगर 50 साल पहले नाथूराम गौडसे सुनता तो महात्मा गांधी की मौत नहीं होती।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : मैंने चर्चा में भाग लिया है। मुझे खुशी है कि हमने एक बदले हुए आडवाणी जी को देखा है इस सभा में एक बदली हुई प्रणाली देखी है। यह अच्छी बात है। यदि आप और आपकी सरकार वास्तव में उस रास्ते का अनुगमन करते हैं जिसके बारे में आपने अभी कहा है तो उससे धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों को कुछ राहत मिलेगी।

माननीय गृह मंत्री जी, मैंने तथ्य और आंकड़े देकर कुछ मुद्दे उठाए हैं जो कि भारत के नागरिकों को दिए गए भारत छोड़ो के नोटिस को प्रमाणित करते हैं। मैंने आपका ध्यान देशज मुद्दों की ओर भी आकर्षित किया है जिस पर आपकी सरकार ने एक ऐसे दल को विश्वास में लिए बिना जिसमें असम से 14 संसद सदस्य हैं; आल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ विचार–विमर्श किया था।

क्या मुझे आपसे कोई उत्तर मिल सकता है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : काश वर्तमान में असम में जो कानून अधिशासित है वह वही होते जो कि पूरे देश में लागू हैं तो शायद मैं कुछ कर पाने की स्थिति में होता। चूंकि मूल रूप से यह राज्य सरकार है जो कि उन कानूनों को लागू करती है, न कि केन्द्र सरकार के कानूनों को। चूंकि आपने कुछ तथ्यों का उल्लेख किया है, इसलिए मैंने अपने मंत्रालय को पहले से ही उन पर विचार करने के निर्देश दे दिए हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं पुनः रिकार्ड के संबंध में उल्लेख करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी की हत्या के मामले में पचास वर्ष बाद आज विनिर्णय प्रस्तुत किया गया है लेकिन आपने उस समय नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की थी।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : कृपया कुछ अच्छी पुस्तकें और कुछ अच्छे भाषण पढ़िए ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में बहुत शोरगुल है। जो सदस्य बाहर जाना चाहते हैं वह चुप–चाप बाहर जा सकते हैं।

अब सभा गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्यों पर चर्चा करेगी। डॉ॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय अपना भाषण जारी रखें।

अपराह्न 3.22 बजे

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में ग्राम सभा की भागीदारी के बारे में संकल्प

[हिन्दी]

डॉ॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह जी के संकल्प पर चर्चा करते हुए निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार से ग्राम सभाओं को सशक्त किया जाना चाहिए उस प्रकार से नहीं किया गया है। हमने ग्राम सभाओं की संस्थापना के बारे में विचार अवश्य किया है, जो संविधान की मंशा के अनुरूप है।

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं*)

अपराह्न 3.23 बजे

सभापति महोदय, जब पिछले दिनों "राजनैतिक शक्तीकरण दिवस" के रूप में विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसमें जिन लोगों ने भागीदारी की थी, दो–तीन दिन की बहस के बाद कुछ निष्कर्ष सामने निकल कर आए थे, उन निष्कर्षों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित सभी कार्यों को पंचायती राज अधिनियम में साफ तौर से परिभाषित किया जाए, विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं को पंचायत के नियंत्रण में लाया जाए, केन्द्र तथा राज्य द्वारा पंचायत के अपने कैडर का गठन किया जाए, पंचायत कार्य प्रणाली पारदर्शी हो और इस दृष्टि से विधान सभा तथा संसद की तरह सवाल–जवाब करने का भी प्रावधान हो। इसके अतिरिक्त आश्वासन समिति भी गठित की जाए। इन सिफारिशों में एक सिफारिश और भी थी, जो माननीय सदस्य डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह के संकल्प को बल देती है कि ग्राम सभाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए संस्था को उतने ही अधिकार होने चाहिए जितने अधिनियम 1996 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों को दिए गए हैं। मैं इस बात पर इसलिए बल दे रहा हूं कि निश्चित रूप से जब हम पंचायती राज की कल्पना और पंचायतों को सशक्त करने की बात करते हैं, तो हम ग्राम सभा को छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ग्राम सभा का जो स्वरूप है वह उतना ठीक नहीं है जितना कि हम चाहते हैं। मैंने इस बात का भी यहां उल्लेख किया था कि पिछले समय में मध्य प्रदेश में ग्रामीण सचिवालयों की स्थापना की गई थी और इन सचिवालयों में सप्ताह के एक दिन सभी क्षेत्रीय अधिकारी वहां इकट्ठे होकर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनते थे, लेकिन लंबे समय तक वह स्थिति चली नहीं और इस प्रकार की व्यवस्था संभव नहीं हो सकी। मैं मानकर चलता हूं कि इस समय केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं तब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी उनमें नहीं होती तब तक हम उनकी उपादेयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करते रहेंगे।

दो दिन पहले यहां इंदिरा आवास योजना के बारे में चर्चा उठी थी कि किस प्रकार से केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया पैसा जो राज्य सरकारों के माध्यम से व्यय किया जाता है, उसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिह्न खड़े किये गये थे और उसकी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की बात भी कही गयी थी। यह भी कहा गया था कि जन–प्रतिनिधियों की इसमें कहीं न कहीं, किसी रूप में भी हो, एक विशिष्ट भागीदारी होनी चाहिए जो आज नहीं है। बहुत सारी योजनायें हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो जवाहर योजना के नाम से पहले थी, दूसरी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, स्वर्ण जयंती सहकारी योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, इंदिरा महिला योजना आदि ऐसी अनेक योजनायें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को प्रगति की ओर ले जाकर उन्हें समृद्ध बनाने में सहायक हो सकती हैं। लेकिन प्रश्न वही है जो मूल रूप से, जिन्होंने यहां संकल्प प्रस्तुत किया है, उनके द्वारा उठाया गया है कि आखिर उसके लिए व्यवस्था कौन सी हो।

यह बात ठीक है कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत भी उनका आरक्षण सुनिश्चित हुआ है। आज बड़ी संख्या में सभी प्रदेशों के अंदर महिलायें सरपंच हैं, जनपद की अध्यक्षा हैं, जिला परिषद् या जिला पंचायतों में भी हैं लेकिन कुल मिलाकर उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, उन अधिकारियों का नियंत्रण उसमें है। उस नियंत्रण से आज भी न तो हमारे सरपंच मुक्त हैं और न ही जनपद अध्यक्ष मुक्त हैं। जब तक प्रशासनिक अधिकारियों का नियंत्रण समाप्त नहीं होगा, व्यावहारिक रूप से नियंत्रण समाप्त है, अधिनियम के अन्तर्गत भी समाप्त है लेकिन जिस प्रकार से वे प्रशासनिक व्यवस्था में दखल देते रहे थे, उसी तरह आज भी उनका दखल यथावत है। इसलिए इन व्यवस्थाओं को ठीक करने की दृष्टि से ग्राम सभायें समय पर हों, वे ठीक ढंग से व्यवस्थित हों, केवल सरपंच अपने पक्ष के कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर लेकर यह प्रदर्शित करना कि ग्राम सभा हो चुकी है और हमने निम्न प्रस्ताव पारित किये हैं, उससे काम नहीं चलेगा। इसे भी देखा जाना चाहिए और उसके लिए किसी न किसी प्रकार

[डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय]

की मॉनीटरिंग व्यवस्था प्रारंभ में हो, बाद में कोई आवश्यकता नहीं है, पहले यह आवश्यक है कि इस प्रकार की मॉनीटरिंग उसके लिए सुनिश्चित की जाये।

मैं अधिक लम्बी बात न करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी योजनायें हैं, उन योजनाओं की उपयोगिता बहुत अधिक है। जो सुनिश्चित रोजगार की आश्वासन योजना है, इम्पलायमेंट गारंटी स्कीम है, उसमें पैसा बहुत जाता है। केन्द्र सरकार उसके लिए बहुत पैसा देती है लेकिन कई बार हमारी राज्य सरकारें उसे खर्च ही नहीं कर पातीं। उस तरह का प्रावधान नहीं कर पाती। कई बार वे योजनाएं जैसी क्रियान्वित होनी चाहिए वैसी नहीं होती। इसलिए यहां पर माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं कि ऐसी योजनाओं में जो रोजगार से संबंधित हैं, ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की योजनायें देकर वहां की उन्नति में सहायक हो सकती हैं, उनमें कहीं न कहीं जन–प्रतिनिधियों की जिनमें विधायक भी हो सकते हैं, सांसद भी हो सकते हैं, किसी न किसी प्रकार की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए तभी हम इसे व्यावहारिक रूप में ठीक कर पायेंगे और इसका लाभ उठा पायेंगे। मैं इस प्रस्ताव का इस रूप में समर्थन करते हुए मैंने जो बातें इसकी उपयोगिता के संबंध में प्रारंभ में कही हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से आवश्यकता अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से जो लाभार्थियों की दृष्टि से हितग्राही है, उनकी पहचान करने की दिशा में इन ग्राम पंचायतों की व्यवस्था बहुत आवश्यक है, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति जी, सदन के संसदपटु और ग्रामीण विभाग के बारे में जानकारी रखने वाले संसद सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी पंथ प्रधान थी, उस वक्त ग्रामीण विभाग में केन्द्र का हिस्सा 17 प्रतिशत था।

जब सम्माननीय राजीव गांधी आए, उस वक्त केन्द्र से 22 प्रतिशत हिस्सा गया। जब श्री वी.पी. सिंह आए और श्री दंडवते अर्थ मंत्री बने, उस वक्त 50 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण विभागों में गया। उस वक्त ग्रामीण विभाग स्कूल बना लेते थे। ग्रामीण विभाग के मंत्री को सब मालूम है। देश का पैसा ग्रामीण विभाग में देकर बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ग्रामीण विभाग में जो कार्यक्रम चलता है, वह ठीक ढंग से नहीं चलता। वहां जो मीटिंग होती है, उसमें सिर्फ 2–4 लोग ही आते हैं और सारा काम सैक्रेटरी कर लेते हैं। वहां की पंचायत नागरिकों को सुविधाएं प्राप्त करवाने वाली बड़ी संस्था होती है। वह आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करवाने वाली सहकारी संस्था होती है। जब ये दोनों संस्थाएं ठीक चलेंगी तब काम भी ठीक से होगा।

अपराह्न 3.31 बजे

(डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

एक बार मैं एक ग्राम सभा में उपस्थित हुआ। मैंने देखा कि वहां सिर्फ पांच लोग ही आए हुए थे। सभा हो गई लेकिन फिर भी लोग नहीं आए और सब काम ग्राम सेवक ने निपटा लिया। यह ठीक नहीं है। उसे ठीक ढंग से चलाने के लिए ग्राम सभा को ज्यादा महत्त्व देना चाहिए। उसमें सख्ती करनी चाहिए। ग्रामीण विभाग में यह संस्था बहुत महत्त्वपूर्ण है।

आपने वितरण के बारे में कहा। ग्रामीण पंचायत वितरण के बारे में भी व्यवस्था करती है। कौन लोग दरिद्रता से नीचे हैं, यह भी देखती है। कभी–कभी ऐसा हो जाता है कि जिसके पास ट्रैक्टर या ट्रक है, वह भी दरिद्रता के नीचे की श्रेणी में आ जाता है। इस बारे में भी सोचना चाहिए। ग्रामीण विभाग को सुधारना चाहिए। अर्थ मंत्री जी बैठे हुए हैं। ग्रामीण विभाग के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिए, यही मेरी विनती है।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभापति महोदय, भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन योजना को सार्थक बनाने हेतु, लोकतंत्र की प्रारंभिक इकाई ग्रामीण पंचायत या ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों के चयन को सुनिश्चित करना, यह प्रस्ताव इस माननीय सदन के माननीय सदस्य डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने प्रस्तुत किया है। मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। गरीबों के संबंध में, उनके हित में डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम उनका धन्यवाद करना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा। उन्होंने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए बड़े विस्तार से अपनी बात कही। मैं उसके अधिकांश भाग से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कुछ बिन्दुओं तक ही अपनी इस चर्चा को सीमित रखूंगा।

महोदय, जहां तक ग्राम सभा का संबंध है, एक बार नहीं, अनेकों बार यह कहा गया है क्योंकि ग्राम सभा अराजनैतिक है। इसलिए लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा करे तो उचित रहेगा, भले ही चाहे मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हो और भले ही प्रांतीय सरकारें हों। जब बार–बार इस बात की चर्चाएं हुई हैं और बार–बार इस बात को कहा गया है लेकिन सर्वसाधारण की ग्राम सभा में उपस्थिति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है जो कि चिंता का विषय है। इस बात को जानना आवश्यक हो गया है कि इस कम उपस्थिति होने के क्या कारण हैं? उन लोगों की रुचि कम हो गई या मतदाताओं को सूचना नहीं मिलती? कौन से इसके कारण हैं? यह जानना अति आवश्यक है। दो दिन पूर्व इसी माननीय सदन में शिवराज सिंह चौहान जी ने इंदिरा आवास

योजना को लेकर आधे घंटे की चर्चा उठाई और जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज कुछ भी करने में उनका मंत्रालय या भारत सरकार बिल्कुल असहाय है। भले ही चाहे पैसा केन्द्र से जाता है और अगर उसका सदुपयोग प्रान्तीय सरकारें न करें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। वह मूक दर्शक बनकर बैठी ही रहेगी, यह अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि जब पैसा केन्द्र से जाता है तो मुझे लगता है कि सरकार को कुछ न कुछ इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए जिससे इस पैसे का सदुपयोग हो।

यह सही है कि प्रान्तीय सरकारों ने निर्देश दिये हैं कि चयन ग्राम सभा करे लेकिन ग्राम सभा की नियमित रूप से बैठक हो, इसे कौन सुनिश्चित करेगा? वैसे तो यह कहा गया है कि हर ग्राम सभा वर्ष में कम से कम दो बार मिले, यूं तो चार बार मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब पंचायतों को इसी माननीय सदन ने एक संवैधानिक दर्जा दिया है तो आज क्यों नहीं यहां अमेंडमेंट लाते? क्यों नहीं संविधान में अमेंडमेंट लाते कि वर्ष में कम से कम दो बार ग्राम सभा की बैठक बुलानी अनिवार्य है। और जो ग्राम पंचायत इसमें असफल हो जाये तो उस पंचायत को ही भंग कर देना चाहिए। मैंने आरम्भ में कहा कि हमें इसके कारण जानने चाहिए कि क्या लोगों की रुचि कम हो गई या लोगों को समय रहते कुछ स्वार्थी लोग सूचना नहीं देते?

ग्राम सभा के लिए जो कोरम रखा गया है, आज जो प्रावधान है, वह कुल मतदाता का बीस प्रतिशत रखा गया है और पोस्ट पोंड मीटिंग में केवल दस प्रतिशत है और उसके बाद पोस्ट पोंड मीटिंग में कोरम पूरा नहीं हुआ तो जो उपस्थिति होती है, वह सारा चयन कर देती है। इसीलिए कुछ स्वार्थी लोग पंचायत या सरपंच या कभी–कभी ऐसा भी हो रहा है कि जान–बूझकर ऐसा सुनिश्चित करते हैं कि ग्राम सभा आये ही नहीं ताकि अपने ही चहेतों का चयन कर सके। ग्राम सभा को बुलाना मात्र औपचारिकता है। आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर चुने हुए लोग चाहें तो क्या कम से कम मतदाता के 25 प्रतिशत लोगों को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं है ? क्या कम से कम अपने मतदाता को सूचित करें तो उनको इकट्ठा नहीं कर सकते? इसलिए मैं पुनः दोहराऊंगा कि इस बात की आवश्यकता है कि संविधान में आज इस प्रकार का संशोधन लाया जाये कि जो पंचायत, ग्राम सभा न बुला सके उस ग्राम सभा को ही भंग कर दिया जाये। ऐसा करने से निश्चित तौर पर ग्राम पंचायतों का पंच या सरपंच इस कोशिश में जुटेगा कि ग्राम सभा में लोगों की उपस्थिति हो यह भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि जब तक ग्राम सभा का 25 प्रतिशत मतदाता जिस ग्राम सभा में उपस्थित न हो वहां जो चयन होता है, उस चयन को मान्यता ने दी जाये। यह भी आवश्यक है कि इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि ग्राम सभा को आकर्षक कैसे बनाया जाये? आज जितनी भी गरीबी उन्मूलन योजनाएं भारत सरकार की हैं, उन सब योजनाओं का चाहे विकास कार्य हो, उसका चयन भी ग्राम सभा में होना चाहिए। इसी तरह जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य गांव में बसे हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था लेकिन जब भी यह पैसा सीधा पंचायतों को जाता है तो अधिकांश योजनाओं को ठेके पर दिया जाता है और स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता। उसका अधिकांश हिस्सा जिला परिषद के माध्यम से देते हैं लेकिन कुछ पैसा सीधा ग्राम सभा को भी जाता है। क्या कभी ग्राम सभा से पूछा जाता है कि कौन सा विकास कार्य इसमें लिया जाये? इसी प्रकार जो ई.ए.एस. का पैसा जाता है, उसका उद्देश्य था कि जो खेतिहर मजदूर है, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस संकल्प पर जो समय निर्धारित किया गया है, वह समय पूरा हो रहा है। अभी भी कुछ माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं। यदि सदन सहमत हो तो इसका समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : क्या मैं निवेदन करूं कि अगला संकल्प प्रस्तुत करना है?

सभापति महोदय : यह प्रस्ताव आपका है।

श्री ई. अहमद : मैं आशा करता हूं कि यह सत्र का अन्तिम दिन है।

सभापति महोदय : हमने एक घंटा समय और बढ़ा दिया है।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : मैं कह रहा था कि एम्पलॉयमेंट जनरेशन स्कीम का उद्देश्य क्या था? जो उस पंचायत में रहने वाले खेतिहर मजदूर हैं, जब उसकी फसल का काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी उसे रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या कभी इस बात की जानकारी ली गई कि क्या वाकई पंचायत के जो खेतिहर मजदूर है, उन्हें रोजगार सुनिश्चित किया जाता है या नहीं? यह काम भी ठेके पर किया जा रहा है क्योंकि ग्राम सभा की कहीं भागीदारी नहीं है कि कौन से काम का चयन किया जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सही मायने में यदि ई. एंड एस. का प्रोग्राम चलाना है तो अधिक से अधिक पैसा देना होगा। यह रिकार्ड देख सकते हैं कि पिछले साल हिमाचल जो छोटा प्रांत है, उसे 25 करोड़ रुपया दिया गया था। लेकिन क्या किया गया क्योंकि जनसंख्या आधार कर दी गई। इसलिए पैसे में इतनी कटौती कर दी कि केवल इस साल पांच

[श्री महेश्वर सिंह]

करोड़ मिल रहा है। कहां पच्चीस करोड़ रुपया और कहां पांच करोड़ रुपया? क्या इस प्रकार से जो गांव में गरीब बैठा है, उसे रोजगार मिल सकेगा? इन कार्यक्रमों को ज्यादा आकर्षित बनाना चाहिए। इसलिए यह भी आवश्यक है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्राम सभा में कम से कम बी.डी.ओ. उपस्थित हो। यह आवश्यक नहीं है कि सारी पंचायतों की ग्राम सभाएं इकट्ठी बुलाई जायें। चरण बद्ध तरीके से भी काम किया जा सकता है और ऐसा होना चाहिए कि पटवारी भी वहां जाये। विधवा पेंशन, अपंग पेंशन तथा बुढ़ापा पेंशन के लिए जिन लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए घूमना पड़ता है, ग्राम सभा में उस क्षेत्र का डॉक्टर भी उपस्थित रहे तब वह ठीक होगा जिससे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी वहां हो सकता है। पटवारी उनकी इनकम का सर्टिफिकेट दे सकता है तभी यह कार्य सफल होंगे नहीं तो ऐसा हो रहा है कि अपने चहेतों के चयन का नाम ही ग्राम सभा है और ऐसा कहा जाता है कि "अंधा बांटे रेबड़ी, मुड़–मुड़ अपने को देय।" बाद में लोग कहते रहते हैं कि गलत चयन हो गया।

इंदिरा आवास योजना की चर्चा हुई है, उसमें कुल कितना पैसा दिया जाता है? उससे किस गरीब को लाभ होगा? पहाड़ी क्षेत्रों में 22000 रुपया और मैदानी क्षेत्रों में 20000 रुपया दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जवाब देते हुए यह कहा जाता है कि यह पैसा नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर मैटीरियल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो सकती तो वह गरीब कहां से मैटीरियल खरीदेगा? एक मकान बनाने के लिए कम से कम डेढ़ ट्रक ईंटों का लगेगा और कम से कम 16000 रुपया ईंटों का चला जाएगा। पांच हजार रुपये का सरिया लगेगा। बीस हजार रुपया खत्म हो गया और बाकी जो सीमेंट है, रेत है, बजरी है, उसका खर्च कहां से गरीब लाएगा? यह भी सही है कि सही लोगों का चयन नहीं होता क्योंकि पंचायत भी जानती है कि गरीब तो बना ही नहीं सकेगा। जब मैटीरियल कंपोनेंट की कीमत पूरी नहीं करेगा तो फिर कहां से काम होगा? लेबर कंपोनेंट तो वह करेगा लेकिन मैटीरियल कंपोनेंट तो दीजिए, इसलिए उस पैसे को बढ़ाइए। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि योजनाओं की संख्या में वृद्धि करके लोगों का लाभ नहीं होगा। कितनी योजनाएं चली हैं। एक होते–होते नयी योजना चल पड़ी जिसे ग्राम उदय योजना कहते हैं, उसमें भी आवास सुविधा का प्रावधान है। कुछ प्रांतीय सरकारों ने गांधी कुटीर योजना चलाई है। इतनी योजना बढ़ाने का क्या मतलब है? एक योजना रखिए, ताकि गरीबों का घर बन सके और सुनिश्चित हो सके कि गरीब को लाभ मिलेगा तथा वह ग्राम सभा में उपस्थित होगा।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और माननीय सदस्यों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैं धन्यवाद देता हूं। जहां मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं माननीय सदस्य रघुवंश प्रसाद जी को भी धन्यवाद देता हूं, वे जब भी सदन में बोलते हैं, तो गांवों के प्रति उनके मन में पीड़ा होती है। उनकी इस भावना का मैं समर्थन करता हूं। हां, कुछ बातें वे भावावेश में कह जाते हैं, जिनका मैं समर्थन नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मैं भी माननीय सदस्य रघुवंश प्रसाद जी ने जो प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए रखा है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, ग्राम सभा गांव के विकास की जड़ है। ग्राम सभा का यदि विकास हो गया, तो मैं समझता हूं कि देश का विकास हो जाएगा। मैं जब भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में जाता हूं, 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी कहीं कोई विकास नजर नहीं आता है। सड़कें टूटी हुई हैं, रोशनी का इंतजाम नहीं है। कई गांव तो ऐसे हैं, जहां आज तक भी एक बल्ब नहीं जला है। मेरे जयपुर संसदीय क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं, जहां न सड़कें हैं, न बिजली है और न बल्ब जला है। अब देश का विकास कैसे हो गया, यह समझ में नहीं आता है। विधान सभा में ताली बज गई या लोकसभा में ताली बज गई, लेकिन वास्तव में देखने को मिलता है कि गांव का विकास बिल्कुल जीरो हुआ है। सारे का सारा पैसा लोक सभा के सांसदों के बंटवारे में चला गया या विधान सभा के बंटवारे में चला गया। मुझे इस बात को कहने के लिए क्षमा करेंगे, देश में पांच वर्ष तक चुनाव न हों और गर्वनर महोदय काम करें या राष्ट्रपति महोदय काम करें, विधान सभा और लोकसभा न हो, तथा उस पैसे का उपयोग गांवों के विकास में हो, तब जाकर कुछ विकास हो सकता है, वरना विकास नहीं हो सकता है। मुझे मालूम है, मेरी यह बात कटु लगेगी, लेकिन यह सत्य है।

इसी प्रकार से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद बनती है। कई प्रकार की योजनायें राजस्थान और भारत सरकार ने प्रारम्भ की हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है। आपने कहा था कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में तय हुआ था कि ग्राम सभाओं को और अधिकार दिए जाने चाहिए, लेकिन वे अधिकार आज तक नहीं दिए गए हैं। चाहे मकान की समस्या हो, चाहे पढ़ाई की समस्या हो, चाहे दवाइयों की समस्या हो और अन्य समस्यायें हों, मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि ग्राम सभा वास्तव में विधान सभा है, क्योंकि ग्राम सभा में प्रस्ताव पास होता है कि यह काम होना चाहिए और समस्याओं का निदान होता है तथा पैसा मंजूर होता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि विधान सभाओं का औचित्य नहीं है और संसद का भी कहीं पर कोई औचित्य नहीं है। ग्राम सभा ही एक प्रकार से विधान सभा है और संसद है। संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया। इसके बाद सरकार ने कई योजनायें बनाईं, इंदिरा आवास

योजना बनी, जवाहर योजना बनी और इन योजनाओं के माध्यम से पैसा खर्च किया गया। आपने स्वयं कहा है कि पैसा सरपंच के माध्यम से खर्च होता है। सरपंच ठीक प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको भी देखा जाना चाहिए। आपने स्वयं एक तालाब का उदाहरण दिया। तालाब बनने के बाद जब आपने स्वयं वहां जाकर देखा, तो खड्डा मिला, तालाब नहीं था। इसलिए इस विषय पर भी विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार बीडीओ जनप्रतिनिधियों की अवहेलना करता है। वह जनप्रतिनिधियों की खातिर नहीं करता है। वह कहता है, प्रस्ताव दे दीजिए, कौन सी योजना ग्राम सभा चाहती है या नहीं चाहती है, वे देख लेंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि सरपंच के काम का भी ऑडिट होना चाहिए, भारत सरकार से पैसा राज्य सरकार को समय पर मिल जाए और उस पैसे का ठीक प्रकार से उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, इस संबंध में भी विचार किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने जो खर्चा किया है, उस खर्चे का भी ऑडिट समय-समय पर होना बहुत जरूरी है। जहां तक ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का प्रश्न है, यह मीटिंग भी एक साल में चार बार बुलाई जानी चाहिए। मीटिंग नहीं बुलाने से कई प्रकार की दिक्कतें पैदा होती हैं। न तो एमएलए को सूचना होती है और सांसद बेचारा दिल्ली में बैठा रहता है, उस गरीब को तो यह भी नहीं मालूम कौन सी योजना पर सरपंच ने काम ठीक किया। इसलिए ग्राम की योजनाओं की जानकारी एमएलए और सांसद को दी जानी चाहिए। उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

यहां पेंशन के तरीके के बारे में कहा गया। पेंशन का तरीका आज भी वही का वही है। एक औरत 80 साल की हो गई, उसके लिए कहा जाता है कि वह जीवित भी है या नहीं, जब कि उसकी फोटो मौजूद है और वह खुद मौजूद है। उससे कहा जाता है कि तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली है। क्या 80 साल की औरत दूसरी शादी करेगी। 80 साल की औरत ने दूसरी शादी की या नहीं, वह जीवित है या नहीं, उसका प्रमाण-पत्र चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत बेहूदा कानून है। इस कानून को जिन-जिन राज्य सरकारों ने अपना रखा है, उसे आप समाप्त करें।

महोदय, यह लाल कार्ड बनेगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 70 प्रतिशत लोग आज भी अनपढ़ हैं। सरकार लाख योजना बना ले, गांव चलो या स्कूल चलो अभियान चला ले, लेकिन मैं समझता हूं कि उसकी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। भारत सरकार ने जो पैसा दिया, राजस्थान सरकार ने उसका सदुपयोग स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर किया। राजीव गांधी के नाम की पाठशालाएं खोली गईं, उससे कई भवन बन गए और भवन बन जाने के बाद यह कहा गया कि दसवीं क्लास पास व्यक्ति को राजीव गांधी पाठशाला का हैड मास्टर बना दो। दसवीं क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति राजीव गांधी पाठशाला का हैड मास्टर बन गया तो वह क्या शिक्षा देगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम जब ग्रामसभा को सशक्त बनाएंगे तभी इस देश का विकास हो सकता है, अन्यथा कई प्रकार की योजनाएं लागू हो जाएं तब भी कुछ नहीं होगा। अगर गांवों का विकास नहीं हुआ तो देश का विकास नहीं हो सकेगा। हमारे भाई रघुवंश जी कई बार अच्छी-अच्छी बातें जोश में कह देते हैं। मैं उन्हें फिर से धन्यवाद देता हूं। वह अच्छा प्रस्ताव लाए हैं, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का सिर्फ स्वागत ही नहीं करता, बल्कि मैं रघुवंश जी को धन्यवाद भी देता हूं, जिन्होंने यह संकल्प सदन में पेश किया है। अगर हम सही मायनों में देश में जम्हूरियत को मजबूत करते हैं तो यह आवश्यक होगा कि बिलकुल नीचे गांव और शहर में ग्रास रूट लेवल पर भी जम्हूरियत की मान्यताओं को मजबूत करना चाहिए। इसी के मद्देनजर 73वें और 74वें जो संशोधन हुए थे, उसमें अनुसूची 11 में 29 मुद्दे ऐसे लिखे गए हैं और अनुच्छेद 243-जी के तहत यह कहा गया है कि अपनी-अपनी पंचायतों के लिए योजनाएं बनाना और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अधिकार दिए जाने चाहिए। पिछले बहुत वर्षों से हमारी जो भावना थी वह संविधान के अनुरूप में है। अफसोस इस बात का है कि अभी तक भी उस पर हमारी जो मनोवृत्ति बदलनी चाहिए थी, वह नहीं बदली है। हम एक तरफ तो पंचायतों को अधिकार देने की बात करते हैं, यह कहते हैं कि लोगों के हाथ में सत्ता हो, बहुत से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं। शायद यहां के योजना भवन के एयर कंडीशन कमरों में बैठे लोगों को मालूम न हो कि गांवों में लोगों की जरूरत क्या है। इसलिए वहां उन्हें यह अधिकार दिए जाएं। देखने में यह आता है कि ऐसा नहीं हुआ। लोगों की भावनाएं जो हैं और उनकी मुश्किलातें हैं, उन्हें जाहिर करने के लिए जो यह संकल्प लाया गया है, यह सचमुच में ही बहुत सराहनीय है।

महोदय, एक बहुत छोटे से मुद्दे का जिक्र किया है। सार्वजनिक प्रणाली में यह देखने में आया है कि जो लोग अपना राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, वे आसानी से नहीं बनवा पाते। उन्हें एक आफिसर के पास नहीं, बल्कि कई आफिसरों के पास धक्के खाने पड़ते हैं। उनके दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राशन कार्ड प्राप्त नहीं हो पाता। कितना उसको फायदा है, कितना नहीं है, यह तो एक अलग बात है। लेकिन इन अधिकारों के लिए भी पंचायत समिति, ग्राम-सभा या जिला परिषद् के चुने हुए लोगों के जो नुमाइंदे हैं, उनकी कोई पूछ न हो, तो यह अफसोस की बात है। बहुत से मुद्दों का यहां जिक्र किया गया है जिसमें उनके पास अधिकार होने चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारा जो सिस्टम है उसको आसान बनाने के लिए विकेन्द्रीकरण करने की बहुत जरूरत है।

[श्री पवन कुमार बंसल]

मैं जिस जगह से आता हूं वहां बहुत गांव तो नहीं हैं लेकिन जितने हैं वहां भी कोई काम आसानी से नहीं होता है। उनको फंड आसानी से नहीं मिल पाता है। उदाहरणार्थ, गांवों की सफाई का काम पंचायतों पर छोड़ा गया है। वे अपनी मर्जी से सफाई कर्मचारी रख सकते हैं और उनकी तनख्वाह दी जाती है। लेकिन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके प्रोजैक्ट्स को क्लीयर नहीं किया जाता है और तनख्वाह देने के लिए भी उनको पैसा नहीं मिलता है।

शैडयूल्ड 11 में 29 मुद्दे लिखे हुए हैं। अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि ग्राम–स्वराज्य आये तो हमें उनको ये अधिकार देने चाहिए और हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय में हमारे साथ भागीदार होंगे।

साथ ही साथ बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लाभ की स्कीमों में ग्राम सभा को अधिकार होना चाहिए और इनमें उनका रोल होना चाहिए।

अंग्रेजी का एक शब्द है हाउस–ट्रेनिंग और एक शब्द है गोन–नेटिव। यह इंग्लैंड की प्रणाली से लिये गये शब्द हैं। कोई स्कीम हम यहां से बनाते हैं लेकिन अफसर का माइंड इस तरह से सेट होता है कि उसके हाथ से कोई अधिकार न छिन जाए। वह मंत्री जी को इसके लिए तैयार कर ले कि वह जैसा चाहता है वह मान जाए तो इसका वहां हाउस–ट्रेनिंग कहा जाता है लेकिन अगर अफसर के मुताबिक ही मिनिस्टर सोचना शुरू कर दे तो उसको गोन–नेटिव कहते हैं। हमारे बहुत से मंत्री गोन–नेटिव हैं। जो ऑफिसर चाहते हैं वह बात ये पूरा कर देते हैं। कानून क्या है, उसकी परवाह नहीं। लेकिन छोटे–छोटे मसले गरीब लोगों के हल नहीं होते। अगर टाइम फिक्स किया कि तीन बजे जाना है तो तीन बजे ऑफिसर नहीं मिलता है। अगर इस तरह से गरीब आदमी को धक्के खाने पड़ें तो हमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम सही मायने में अपनी डैमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यह ग्राम सभा के रोल के बिना नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : आदरणीय सभापति जी, ग्रामीण लोगों को ज्यादा अधिकार देने के बारे में जो महत्त्वपूर्ण और गंभीर बहस चल रही है, उस पर आपने मुझे भी कुछ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

हमारे भाई माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने इस मुद्दे को हमारे सामने लाकर बहस करने के लिए जो हमें मौका दिया, इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं उत्तर भारत के बोडोलैंड से एम.पी. चुन कर आया हूं। वहां के लोगों की पंचायती राज सिस्टम के बारे में जो सोच है, मैं उसकी एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर भारत ट्राइबल लोगों का एरिया है। वहां पुराने जमाने से ट्रेडिशनल विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है और वह अभी भी चल रहा है लेकिन बड़े दुख की बात है कि ट्रेडिशनल विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन्स को अभी तक हिन्दुस्तान की सरकार ने कांस्टिट्यूशनलाइज नहीं किया उसे कॉन्स्टीट्यूशनल पावर्स जिस ढंग से देनी चाहिए, नहीं दी गई। पंचायत शब्द उत्तर भारत के लोगों के लिए अच्छा शब्द नहीं है, पापुलर शब्द नहीं है। उत्तर भारत में जितनी विलेज काउंसिल्स और एरिया काउंसिल्स हैं, उन्हें मान्यता देना स्वीकार करना चाहिए और संविधान के मुताबिक दर्जा देना चाहिए। इसका मतलब है कि,

[अनुवाद]

पंचायती राज प्रणाली के स्थान पर सभी विद्यमान परम्परागत ग्रामीण प्रशासनिक एककों और संस्थानों को पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए। संविधान के अनुसार अथवा उप नियमों, नियमों तथा विनिमयों के अनुसार और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको अधिकार और कार्य पहले ही दे दिए गए हैं। लेकिन जितने अधिकार और कार्य पंचायती राज प्रणाली में दिए जाने चाहिए उतनी पंचायत निधियों का सृजन नहीं किया गया है।

इसी कारण लाखों दलित ग्रामवासी आगे नहीं बढ़ सके हैं, निर्धारित मानदंडों के अनुसार उनका विकास नहीं हुआ है जबकि भारत–सरकार ने गांवों को अधिकार प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं अथवा परियोजनाएं आरम्भ की हैं अथवा दृष्टिकोणों पर विचार किया है।

[हिन्दी]

मैं अपनी तरफ यह सलाह देना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया में जितनी विलेज काउंसिल्स हैं, उन्हें संविधान के मुताबिक पंचायती राज सिस्टम का दर्जा देना चाहिए।

[अनुवाद]

उनका निचले स्तर पर निम्नतम एकक होगा।

[हिन्दी]

इन्हें सैकिंड कैटेगिरी का दर्जा मिलना चाहिए। ब्लॉक लेवल पर जो रीजनल काउंसिल्स है उनसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होनी चाहिए। बोडोलैंड में यह दिक्कत हो रही है कि बोडोलैंड ऑटोनमस काउंसिल को जो ऑटोनॉमी दी गई, यदि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में

पंचायती सिस्टम लागू किया गया तो काफी मतभेद होगा मेरा कहना है कि बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल में पंचायती सिस्टम को लागू नहीं करना चाहिए। इसके बदले में जितने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं, उन्हें संविधान के मुताबिक अधिक से अधिक पावर्स देनी चाहिए। पंचायती सिस्टम के लिए जितना रुपया केन्द्र सरकार की तरफ से जाता है, वह वहां ठीक ढंग से यूटिलाइज नहीं होता है।

इसलिये मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर पैसे का ज्यादा प्रावधान होना चाहिये नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शीश राम ओला (झुंझुनूं) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पंचायती राज संस्थाओं पर होने वाली चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

हमारे देश में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू किया गया था। मैं राजस्थान राज्य से आता हूं जहां भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था। मैं उस वक्त जिला परिषद् का प्रमुख था। इसके माध्यम से गांव-गांव में यह संदेश और संकेत दिया गया था कि पंचायती राज से गांव का विकास होगा। उस समय पंचायती राज की प्रत्येक मीटिंग में तहसीलदार स्तर के अधिकारी शामिल होते थे और कभी-कभी तो एस.डी.एम. तक आता था। उसमें पंचायत समिति स्तर के सभी अधिकारी आते थे। जिला परिषद् की मीटिंग में सारी समस्याओं के समाधान के लिये जिला स्तर के अधिकारी आते थे। उसमें राज्य तथा डिवीजन स्तर के अधिकारी भी आते थे। जिला परिषद् की मीटिंग में बजट पास करने के लिये राज्य स्तर के अधिकारी जाते थे। इससे पंचायती राज संस्था का अच्छा असर पड़ा और विकास के कई कार्य भी हुये। यहां जो प्रस्ताव लाया गया है, उसके माध्यम से रघुवंश प्रसाद सिंह साहब ने 75 प्रतिशत जनता की भलाई कैसे हो, विकास कार्य किस गति से आगे बढ़े, उसके लिये सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने अपने प्रस्ताव में ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिये बात कही है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सभापित महोदय, मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि ग्राम सभाओं का जो स्वरूप पहले था अर्थात् ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद् में पास जो ताकत थी या जो अधिकार थे, वे अब प्रायः समाप्त हो गये हैं। उस समय के स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषद् को होता था जिसमें डिस्ट्रिक्ट इस्टेबलिशमेंट कमेटी होती थी। उसका चेयरमैन स्टेट लेवल का कमिश्नर होता था जो टीचर्स बाबू, ग्राम सेवक को सेलेक्शन किया करता था लेकिन आज स्थिति बिलकुल भिन्न हो गई है। हम लोग आज ज्यादा अधिकारों की बात करते हैं यदि उस मीटिंग में जिला परिषद्, पंचायत समिति में जिला, राज्य अथवा डिवीजन स्तर का कोई अधिकारी नहीं आता था तो उसके खिलाफ एक्शन होता था परन्तु आज कोई पूछता नहीं है। आज जिला परिषद्, पंचायत समिति की मीटिंग में कोई अधिकारी नहीं आता। ग्राम सभा की मीटिंग में किसी अधिकारी के आने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि चाहे जिला परिषद् की मीटिंग हो, चाहे पंचायत समिति की मीटिंग हो, उसमें पहले की तरह स्टेट लेवल अथवा डिवीजन लेवल का अधिकारी आये।

पंचायत समिति में आने वाले पंचायत समिति में आये, ग्राम पंचायत में आने वाले ग्राम पंचायत में आये, ताकि समस्याओं का समाधान वहीं हो सके। मेरा दूसरा निवेदन यह है ...

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। इसे 16.40 पर समाप्त करना है।

श्री शीश राम ओला : सभापति महोदय, मुझे दो मिनट और दे दीजिए। मैं इस पर बहुत बोलना चाहता था, आपका हुक्म है, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं निवेदन कर रहा था कि यहां सार्वजनिक प्रणाली की बात कही गई, राशन कार्ड की बात कही गई। पहले ग्राम सेवक राशन कार्ड बनाता था। आज डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर बनाता है। गांव वालों का जो काम आसानी से होता था, वह आज वापिस सरकार को दे दिया गया है। पावर को जहां डीसैंट्रलाइज कर दिया गया था, वहां आज फिर से सैंट्रलाइज कर दिया गया है। यह राष्ट्र की 75 परसेन्ट आबादी से संबंधित मामला है। इसलिए इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इस पर सरकार गौर करे कि जो पहले अधिकार थे, उनसे ज्यादा अधिकार मिलें। पंचायत समिति और जिला परिषद को सशक्त बनाया जाए।

सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक प्रधान ने अपने एक्सटेंशन ऑफिसर से कहा कि मुझे अमुक कागज के बारे में जानकारी दीजिए। उसने कहा कि लिखकर दे दो। प्रधान ने लिखकर दे दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि एक्सटेंशन ऑफिसर ने वापिस लिखकर दे दिया कि हम अपने विभाग को जानकारी दे सकते हैं, आपको नहीं देंगे। प्रधान पंचायत समिति का चेयरमैन होता है। प्रधान को अगर उसका एक्सटेंशन ऑफिसर यह लिखता है तो पंचायती राज कैसे चल सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा, हालांकि समयाभाव के कारण मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत राज को सशक्त बनाया जाए, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिल सके।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति जी, जो प्रस्ताव रघुवंश जी लाये हैं, मैं उन्हें बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर ग्राम सभा गांव की एक गैर राजनीतिक सभा है। ... *(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, यह बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है, हमें भी इस पर बोलने का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बिल्कुल भी समय नहीं है। माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देना है और डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह को भी कुछ कहना है।

[हिन्दी]

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : ग्राम सभा को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो वहां पर चुने हुए सरपंच हैं तथा अन्य लोग हैं, वे मनमाने ढंग से अपने चहेते लोगों को शासकीय योजनाओं का फायदा दिलाते हैं। इसलिए ग्राम सभा को मजबूत करना आवश्यक है।

सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में ग्राम सभा और पंचायत राज अधिनियम की धज्जियां उड़ाई गई हैं। वहां एक जिला सरकार बनाई गई है। वहां जो ग्राम सभा के अधिकारी थे, जो ग्राम सभा को प्रस्ताव देते थे और ग्राम सभा की कार्य योजना बनाते थे, वह ग्राम पंचायत जनपद पंचायत को देती है। जनपद पंचायत जिला पंचायत को देती है। लेकिन इन्होंने प्रभारी मंत्री की नियुक्ति करके उसके द्वारा कार्य निष्पादन करने के सारे अधिकार केन्द्रित करने के बाद ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सारे अधिकारों को हनन कर दिया है। मध्य प्रदेश में श्री दिग्विजय सिंह ने पंचायत राज का मखौल उड़ाया है। इसलिए मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं की ताकत को बहाल करने के लिए यहां से कार्रवाई हो। केन्द्र सरकार से जो शासकीय योजना प्रसारित हो रही हैं, उनका लाभ वहां के गरीब लोग तथा ग्रास रूट के लोग उठा सकें। इसके लिए ग्रास रूट लेवल पर एक ही संस्था ग्राम सभा है, उसे ताकतवर बनाया जाए। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति जी, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने यह प्रस्ताव – गरीबी उन्मूलन में ग्राम सभा की भागीदारी – सदन के सामने रखा।

हमारा भारत देश छोटे–छोटे गांवों का देश है। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमारे देश का विकास करना है तो देहात की ओर चलो। हमको आज आज़ादी मिले 53 साल हो गए लेकिन अभी भी हम देहात में 80 फीसदी रहने वाले लोगों का विकास नहीं कर पाए हैं। इसका एक ही कारण है कि चाहे केन्द्र सरकार की स्कीम हो, राज्य सरकार की स्कीम हो या जिला परिषद् स्तर की, तहसील स्तर की स्कीम हो, अभी तक हमने उसमें देहात के विकास के बारे में बात नहीं की और ग्राम सभाओं को कुछ अधिकार नहीं दिया गया है। देश के जो 80–90 फीसदी लोग ग्रामीण देहातों में झुग्गी–झोंपड़ियों में रहते हैं, जिन तक योजना का पैसा ही नहीं पहुंचता है तो हम देश का विकास कैसे कर पाएंगे, और जब तक इन लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे देश का विकास कैसे होगा यह एक बड़ा प्रश्नचिह्न हमारे सामने है। जो ग्राम सभाएं हैं इनको कुछ ठोस अधिकार देने की जरूरत है। इनको कुछ ऐक्जीक्यूटिव पावर देने की जरूरत है और यह भी देखना जरूरी है कि एक ग्राम सभा में अगर प्रस्ताव पारित होता है तो वह ब्लाक स्तर पर चला जाता है, तहसील स्तर पर ग्राम सभा भेजती है। वह प्रस्ताव जिला परिषद् कलैक्टर को वापस आता है लेकिन ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है कि ग्राम सभा के मेम्बर्स को मानना है। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि सरकार ऐसे ठोस कदम उठाए कि ग्राम सभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया जाए ब्लाक लेवल या तहसील लेवल पर, वह बंधनकारक हो और उसका कुछ वेटेज हो।

हमारे यहां गरीबी उन्मूलन की जितनी स्कीमें हैं चाहे पीडीएस हो या और कोई हो, इन सब स्कीमों में ग्राम सभा और ग्रामीण जनता को विधान सभा में लाना बहुत जरूरी है। उधर उनके लिए पी.डब्ल्यू.डी. के कुछ काम होते हैं, इर्रीगेशन के कुछ काम होते हैं, फॉरेस्ट के कुछ काम होते हैं, पीडीएस की कुछ स्कीमें हैं और दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक इंदिरा आवास योजना के अंदर स्कीम है। ग्राम सभा को मालूम नहीं होता है कि हमारे देहात में इंदिरा आवास के अंतर्गत किसको मकान मिला। इसका मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेट्स ही देश का कारोबार चला रहे हैं और जो 80–90 फीसदी लोग किसान और मजदूर हैं, देहात में रहते हैं, उनकी जानकारी में वह स्कीम नहीं रहती है। इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि लोगों को स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर ग्राम सभा मजबूत होगी तो भ्रष्टाचार भी कम होगा और गरीबों को फायदा मिलेगा। एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सॉइल कंजर्वेशन की जो स्कीम चलती है देहात वालों को मालूम नहीं होता है और जब देहात में पेड़ लगते हैं तब गांव के लोग चर्चा करते हैं कि कौन सा पेड़ लगना चाहिए था। हर स्कीम में वही हाल है। ग्राम सभा को छोड़कर सब स्कीमों पर अमल होता है जिससे भ्रष्टाचार

को बढ़ावा मिलता है। मेरा कहना है कि ग्राम सभाओं को मजबूत किया जाएगा तो भ्रष्टाचार भी कम होगा।

सभापति महोदय, अगर सही मायने में भारत को आगे बढ़ाना है, तो हमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा, देहात की ओर जाना पड़ेगा तथा ग्राम सभा को स्वस्थ और मजबूत करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जय भारत।

श्री रामदास आठवले : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बिल इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। अगर भारत सरकार चाहती है कि गांवों की गरीबी दूर हो, तो वहां के आदमी की स्थिति को सुधारना होगा। जब गांव का आदमी मजबूत होगा, तो गांव भी मजबूत होगा और जब देश के गांव मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। गांवों के विकास के लिए जो भी स्कीमें सरकार मंजूर करती है और उनके लिए जितना भी धन मुहैया कराती है वह गांवों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वह पैसा गांवों तक नहीं पहुंचता। इसीलिए गांव का आदमी कमजोर है।

सभापित महोदय, एक अनुमान के अनुसार गांवों में मुश्किल से 30–35 प्रतिशत धन ही पहुंच पाता है और 65–70 प्रतिशत धन गांवों में नहीं पहुंचता बल्कि बिचौलिये और अधिकारी मिलकर हजम कर जाते हैं इसीलिए इस सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। हम अपने देश की तरक्की के बारे में डींग मारने का जो प्रयत्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वह सत्य नहीं है। जितनी बातें हम आगे बढ़ने की कर रहे हैं, उतना ही हम पीछे हट रहे हैं। गांवों में आज भी भूख–प्यास व्याप्त है। उनके पास अनाज खरीदने के लिए भी धन नहीं है। आज भी गांवों में स्कूल के बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। यदि देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें देश के गांवों के बच्चों को भूखा नहीं रहने देना चाहिए। इस बारे में सरकार को कोई न कोई योजना बनानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के विकास के लिए इस प्रकार का सिस्टम बनाने की आवश्यकता है जिससे हम जितना पैसा केन्द्र या राज्य सरकारों की ओर से स्वीकृत करें वह उन तक पहुंचे। जो अधिकारी हैं वे बीच में पैसा खा नहीं जाएं, ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों को जो पगार मिलती है उस पैसे को वे खाएं लेकिन ग्रामों के विकास के लिए, ग्रामीण जनता के विकास के लिए जो धन केन्द्र सरकार की ओर से जाए, उस धन को उन्हें नहीं खाना चाहिए। ग्राम सभाओं को हमें हर हालत में स्ट्रेंग्थन करना चाहिए।

सभापति महोदय, अन्त में मैं एक बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। देश में जो बिलो पावर्टी लाइन के लोगों का सर्वेक्षण हुआ है वह दुबारा होना चाहिए। जो वास्तव में गरीब लोग हैं, उनमें से बहुतों के नाम उसमें नहीं आए हैं। इसी प्रकार जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है। अपना देश तो अन्न–धान के मामले में दुनिया में सदैव ऊपर रहा है। चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। इसे समाप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। समय कम है इसीलिए गरीबी बढ़ती जा रही है। अतः समय बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी गरीबी दूर होगी।

सभापति महोदय, माननीय रघुवंश बाबू ने जो ग्राम सभाओं को सशक्त करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और पुरजोर मांग करता हूं कि ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए और मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस बिल को स्वीकार करे। यदि देश से गरीबी नहीं हटी, तो हमें इस सरकार को हटाना पड़ेगा। आपको बिना हटाए हम चुप नहीं रहने वाले हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि गरीबी को देश से जल्दी से जल्दी हटाया जाना चाहिए।

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा) : सभापति महोदय, रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो बिल सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। चूंकि मैं प्रधान से जिला परिषद तक का अध्यक्ष रह चुका हूं इसलिए तजुरबे के आधार पर कहता हूं कि जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा हैं, हमारे नौकरशाह नहीं चाहते के वे मजबूत हों। जिला परिषद और ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभाओं को मजबूत करने के काम में नौकरशाह लोग हमेशा अड़ंगा लगाने की कोशिश में रहते हैं। आप कागजों में देख लीजिए। सिर्फ कागजों में ही ये संस्थाएं मजबूत होंगी, लेकिन वास्तव में सरपंच और प्रधान कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो नौकरशाह होते हैं, वे उनकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं करते हैं। इसलिए व्यापक रूप से इस बात की जरूरत है कि पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करना चाहिए।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तो नौकरशाह बिलकुल नहीं चाहते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने गांवों में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति के बारे में बताया कि जो प्राथमिक स्कूल गांवों में चलते हैं उनकी देख–रेख करने वाला कोई नहीं है।

पंचायती राज की संस्था पर उसका नियंत्रण था। यह चाहते हैं कि मिल–जुलकर इसे कमजोर करें और यह कमजोर हुआ है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी कोशिश करें क्योंकि बरसों से इसकी चर्चा होती आ रही है और न जाने कितने अमेंडमेंट हुए हैं। अभी हमारे

[श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह]

माननीय सदस्य ने कहा कि ग्रामों में पैसा नहीं पहुंच पाता है, इसमें सच्चाई है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने आपसे केवल दो मिनट मांगे थे और उसी समय के मुताबिक मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में बहुत जोरदार विचार-विमर्श चला। पिछले दिन भी जब इस सदन में ग्राम सभाओं की, जो कि पूरे देश में करीब ढाई लाख है, भागीदारी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में ज्यादा रूप से हो, इसके ऊपर विभिन्न सदस्यों ने जो सुझाव दिये, उन सुझावों में वाकई बहुत से ऐसे सुझाव आये हैं, जो पूरे देश को, हमारी ग्राम पंचायतों को, हमारी ग्राम सभाओं को और आम आदमी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। यह विकास की दिशा में अति महत्त्वपूर्ण है।

माननीय सदस्य डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने यह प्रस्ताव रखा कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न ग्रामीण उपशमन कार्यक्रम और सार्वजनिक प्रणाली एवं अन्य कार्यक्रमों में लाभार्थियों की पहचान के लिए ग्राम सभाओं की उसमें अधिक से अधिक भागीदारी हो। इस सुझाव के ऊपर जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये, उनमें आदरणीय श्री रघुवंश प्रसाद जी, प्रभुनाथ सिंह, रासा सिंह रावत, रामजी लाल सुमन, खारबेल स्वाइं, पासवान जी, डॉ. वी. सरोजा, श्री अनादि चरण साहू, नवल किशोर राय और डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय के सुझाव पिछले शुक्रवार जब इस सदन में चर्चा हो रही थी उस समय दिये गये थे। आज जो सुझाव दिये गये, उन सदस्यों के सुझावों के ऊपर गौर करने के बाद हम वाकई ही उन सभी सदस्यों के सुझावों का इस संसद सभा में, अपने सभी कार्यक्रमों में ठीक तरह से पालन करने के लिए, उनकी निश्चित रूप से भागीदारी करने के लिए सृजन करेंगे।

महोदय, ग्राम पंचायतों के काम में पारदर्शिता लाने के लिए, लाभ का समान वितरण करने के लिए जहां सामुदायिक परिस्थितियों का सृजन है, उनसे ठीक सामंजस्य स्थापित करने के लिए ग्राम सभा की महत्त्वपूर्ण भूमिका केन्द्र सरकार पूर्ण रूप से स्वीकार करती है। ग्राम सभाओं को गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। उन योजनाओं को दिशा-निर्देश में विशेष रूप से शामिल किया गया है। इस सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए मैं संक्षेप में विभिन्न योजनाओं की जानकारी बताना चाहूंगा। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, गरीबी रेखा के नीचे जनगणना के माध्यम से जो चयन किये गये हैं, उन परिवारों की सूची जिस ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित की जाती है, एस.जे.वाई. के.अन्तर्गत सहायता के लिए परिवारों की पहचान के अधिकार पर काम में लिया जाता है। व्यक्तिगत स्वरोजगारियों का चयन ग्राम में होता है। एस.जे.वाई. में स्वसहायता समूह के आधार पर योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। स्वसहायता समूह में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में जिन लोगों का नाम होता है, उन्हीं को उसमें लिया जाता है लेकिन इस योजना के अर्न्तगत बसावट के आधार पर एक तीन सदस्यीय समिति का सृजन किया गया है जिसमें सरपंच सहित ब्लॉक अधिकारी एवं बैंक के अधिकारी भी होते हैं। लिया जाता है। ब्लॉक के अधिकारी को उसमें लिया जाता है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना - इस योजना के कार्य वास्तविक कार्य योजना तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए ग्राम पंचायत एकमात्र उपाधीकरण है। लेकिन योजनाओं की क्रियान्विती के लिए ग्राम सभा से अनुमोदित होना उसमें आवश्यक रूप से रखा गया है।

इस सदन में इंदिरा आवास योजना को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के दौरान विभिन्न प्रकार के सुझाव मिले हैं। लेकिन इंदिरा आवास योजना के तहत केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से ग्राम सभाओं को संपूर्ण रूप से अधिकार दिया हुआ है। ग्राम सभा ही इंदिरा आवास के लिए चयन करती है और उसका चयन ही आखिरी चयन माना जाता है। आज से लगभग एक साल पहले इस प्रकार के निर्देश भी जारी किए गए हैं लेकिन उसके बावजूद तरह-तरह की शिकायतें ब्लॉक स्तर पर हमें सुनने को मिलती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में इंदिरा विकास में धांधली की शिकायत मिलती है। ...*(व्यवधान)* इंदिरा आवास योजना में केन्द्र सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जिला परिषद और डी.आर.डी.ए. द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को इंदिरा आवास योजना में आवास का निर्णय लेना पड़ता है कि किस पंचायत में कितने मकान बनेंगे। इसकी सूचना प्रत्येक ग्राम पंचायत को भेजी जाती है और सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा दिशा-निर्देश के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है। ग्राम सभा के अलावा अन्य अनुमोदित की हुई किसी भी इंदिरा आवास योजना को ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : मंत्री जी जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ग्राम सभा जो प्रस्ताव भेजती है, उसे ब्लॉक लेवल पर जिला परिषद, डी.आर.डी.ए. नहीं मानती। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए, उसके बाद पूछ लीजिए।

श्री महेश्वर सिंह : मंत्री जी यील्ड कर रहे हैं तो मेरा एक प्रश्न है। मूल प्रस्ताव इस बात को लेकर है कि ग्राम सभा चयन करे, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए। बाकी योजनाओं का प्रोसीजर तो सबको मालूम है। सदन की मूल चिन्ता यह है कि ग्राम सभा बुलाई जाए और

वह इसे पारित करे। कागजों में तो है कि ग्राम सभा करेगी लेकिन जब ग्राम सभा नहीं कर रही है तभी यह प्रस्ताव आया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुभाष महरिया : यह सही बात है कि ग्राम सभाओं में उपस्थिति कम रहती है। हम सब किसी भी स्टेट में ग्राम सभा की मीटिंग के बारे में जानकारी लेते हैं तो वहां सदस्यों की संख्या कम रहती है। अलग–अलग प्रदेशों में प्रदेश की सरकारों ने विभिन्न प्रकार के प्रावधान कर रखे हैं। असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, अंडमान–निकोबार, दमन एवं दीव में वहां ग्राम सभा के सदस्यों की 10 प्रतिशत संख्या निर्धारित की हुई है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पांचवें हिस्से की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। महाराष्ट्र में 15 प्रतिशत इलेक्टोरेट के लिहाज से भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

वेस्ट बंगाल में 20 प्रतिशत सदस्यों का इसमें उपस्थित होना आवश्यक है। इसी प्रकार केरल में 50 से कम सदस्यों की भागीदारी को ग्राम सभा में स्वीकृति नहीं है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा में अभी कोरम के लिहाज से कोई प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ग्रामसभाओं में जो भागीदारी बनाई गई है ...*(व्यवधान)* रामदास जी, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। ग्राम सभा में सदस्यों की उपस्थिति संख्या होनी चाहिए। इसमें अवेयरनैस आज भी कम है, उस अवेयरनैस की जानकारी देश के लिए, पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार की हमारी जो योजनाएं हैं, उनकी जानकारी देने के लिए ग्रामसभाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकारों को समय–समय पर दिशा–निर्देश दिये जाते हैं। प्रदेश सरकारों द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को करने के लिए हमारी तरफ से मार्गदर्शन भी दिये जाते हैं और उन्हें बराबर निर्देश भी दिये जाते हैं। इसके बावजूद मैं इस बात से सहमत हूं कि ग्रामसभाओं की खानापूर्ति की जाती है, वह कागजों में की जाती है। प्रदेश सरकार की ही इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि ग्रामसभाओं का आयोजन प्रदेश की सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार अपनी ओर से ग्रामसभाओं को करने के लिए निर्देश दे सकती है और उन्हें पालन करने के लिए रिपोर्ट भी मंगवाती रहती है। समय–समय पर केन्द्र की ओर से किन प्रदेशों में कितनी ग्रामसभाओं का आयोजन हुआ, इसकी जानकारी भी ली जाती है। इन सब बातों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने एक आवश्यक निर्देश पालन करने के लिए विभिन्न प्रदेशों में लिखित रूप से निर्देश दिये हैं और उनके आवश्यक रूप से पालन करने के लिए निर्देशित किया है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, एक मई को श्रमिक दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में और दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर आवश्यक रूप से ग्रामसभाओं का आयोजन हो और उन ग्रामसभाओं में गांव की विभिन्न योजनाओं के साथ–साथ गांव के विकास के लिए बात हो। इस प्रकार से हम भागीदारी कर सकते हैं। इसको सुनिश्चित किया जाये, लेकिन बहुत से प्रदेशों में इसका पालन नहीं हो रहा है। प्रदेश की सरकारों को हम पुनः जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, उनके सुझावों के आधार पर और हमारी ओर से भी हम निर्देशित करेंगे कि समयबद्ध कार्यक्रम अवश्य ही ग्रामसभाओं का हो। ग्रामसभाओं में ही निर्णय हो और उन निर्णयों पर क्रियान्विति करें। आज तीन प्रकार की ग्रामसभाओं को पंचायत सभा के रूप में मान्यता दी जा रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि ग्रामसभाएं एक तरह से ग्राम पंचात की सभा मात्र बनकर रह गई हैं। यह बात सही है जिस गांव की आबादी 2000 की हो, उस आबादी के परिवारों की संख्या अगर 500 हो, वहां पर 100 व्यक्ति भी उस ग्रामसभा में भाग नहीं लें और जब पंचायत के चुनाव हों तो उनमें से 1600 सदस्य उसमें भाग लें तो इसमें हमारी ग्रामसभाओं की कमी नहीं, अपितु ग्राम पंचायतों के सरपंचों के द्वारा ग्रामसभाओं की अनदेखी की जाती है। इसमें सुधार लाने के लिए हमारी ओर से पूरा प्रयास रहेगा। प्रदेश की सरकारों को इस बात के लिए हम पाबन्द करेंगे कि वे समयबद्ध ग्रामसभाओं का आयोजन करायें। ग्रामसभाओं का आयोजन नहीं कराने की स्थिति में केन्द्र सरकार ने अभी ई.एस. के पैसे को रोकने का प्रावधान किया है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : कृपया यह बता दें कि बिहार में कैसे ग्रामसभाओं का चुनाव हो सकेगा, इस बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री सुभाष महरिया : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बिहार के बारे में पूछा है, माननीय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने यह प्रस्ताव रखा है। ग्रामसभाओं की भागीदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों में हो और गांव के विकास में हो। इस मामले में बिहार का खास तौर से आपने जब जिक्र किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में पंचायत चुनाव 20–22 वर्षों में नहीं हुए हैं, यह बात आप सब को पता है। माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने इस बारे में काफी जिक्र इस सदन में किया है।

राज्य सरकार किस प्रकार से पंचायतों के चुनाव की अनदेखी कर रही है और बिना पंचायत चुनाव के ग्राम सभा का होना दुष्कर ही नहीं अपितु बल्कि निश्चित तौर से असंभव है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : रघुवंश जी ने यह प्रस्ताव रखा है। यह आश्वासन दें कि बिहार में ग्राम सभा का चुनाव होगा, ग्राम सभा सम्पन्न बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जायसवाल वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं। कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सब बता देंगे।

श्री सुभाष महरिया : केन्द्र सरकार ने बिहार प्रांत में पंचायत चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से पेटीशन दाखिल कर रखी है और उसके लिए कार्रवाई भी की है जिससे बिहार में पंचायत चुनाव हो। सब यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि पंचायत चुनाव के बाद वहां भी ग्राम सभा का आयोजन हो और भागीदारी निश्चित तौर से हो। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : संविधान के मुताबिक हो, यह भारत सरकार बता दे। ... *(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और हैं। अपने क्षेत्र में कुछ कहते हैं और यहां आकर बिहार के उत्थान का भाषण देते हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : संविधान में क्या किया और हाइ–कोर्ट ने क्या किया, दोनों की दो राय हैं। किस कानून के मुताबिक चुनाव हो? ... *(व्यवधान)*

श्री सुभाष महरिया : माननीय सदस्य रासा सिंह रावत जी ने ग्राम सभा को सुदृढ़ बनाने के लिए तीन चरणों की व्यवस्था के ऊपर काफी प्रकाश डाला है। ये तीन चरण ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत हैं। इन तीनों के अधिकारों के बारे में किस प्रकार से राज्य सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति इन तीनों की रूपरेखा अवश्य रखी है लेकिन अधिकारों के नाम पर उन्हें काफी सीमित रखा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि जब माननीय मंत्री जी का उत्तर चल रहा है और रघुवंश बाबू को भी उस पर कुछ कहना है तो इसके लिए निर्धारित समय थोड़ा और बढ़ा दिया जाये। दस मिनट का समय और बढ़ा दिया जाये ताकि यह पूरा हो जाये और जिससे हम अहमद जी का प्रस्ताव ले सकें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बीच–बीच में व्यवधान न पैदा करें।

श्री सुभाष महरिया : रासा सिंह जी ने जो सुझाव दिये हैं, अन्य माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उसके ऊपर हमारा मंत्रालय अवश्य ही राज्य सरकारों को दिशा–निर्देश जारी करेगा और उनसे बराबर सम्पर्क करेगा तथा अपनी ओर से क्रियान्वयन कराने के लिए भरपूर प्रयास करेगा। खारबेल स्वाइं जी ने उड़ीसा के बारे में जानकारी दी कि ब्लॉक ऑफिस और ग्राम सभा किस प्रकार से एक–दूसरे के साथ सामंजस्य के रूप में काम नहीं कर रही है, यह चिंता का विषय है। माननीय सदस्य के प्रस्तावों को हम एम.एल.ए., एम.पी., सब लोग मिलकर तय करके सबके बीच में उन बातों को लायें, इस प्रकार का भी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। ग्राम सभा के प्रस्ताव पंचायत को दिये जाते हैं, पंचायत समिति के सुझावों को पंचायत समिति और समिति के सुझावों को जिला परिषद को दिये जाते हैं। होने को तो जिला परिषद में माननीय सदस्य और विधायक गण उसके सदस्य हैं लेकिन उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। वह भागीदारी सुनिश्चित नहीं है। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है लेकिन उसमें उनके सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है और प्रदेश की सरकारों को चाहिए कि ऐसे समय में मीटिंगों का आयोजन करें तो कम से कम सांसद उसमें भाग ले सकें। बहुत से प्रदेशों से इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि जब मीटिंग के आयोजन होते हैं तो उस समय संसद का सत्र चल रहा होता है। इस मामले में हमारे मंत्रालय की ओर से सभी प्रदेशों को यह बता दिया गया है और राइटिंग में भेज दिया गया है कि इस प्रकार के मौके पर मीटिंग कतई न करें और जब संसद का सत्र चालू हो तो हमारे माननीय सदस्यों की भागीदारी और उनके सुझाव अवश्य इसमें लेकर ही उन पर कार्रवाई करें।

श्री सुरेश रामराव जाधव : इस पर अमल नहीं हो रहा है।

श्री सुभाष महरिया : अमल करने के लिए निर्देश जारी हो रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, जिला परिषद् और पंचायतों की मीटिंग होती है, लेकिन इंदिरा आवास योजना या पेंशन से संबंधित मामलों पर निर्णय उधर नहीं होता है। यह निर्णय डीआरडीओ में भी नहीं होता है। वे अपने आप कर लेते हैं।

सभापति महोदय : मंत्री जी, हमारे सामने समय की सीमा है।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय यह गंभीर विषय है। इस पर कोई डिसीजन तो होना चाहिए।

श्री सुभाष महरिया : महोदय, पांडेय जी ने कहा कि योजनाओं का लाभ गांव के गरीब को मिले और वे लाभान्वित हों। मैं बताना चाहता हूं कि सन् 1999–2000 ग्राम सभा का वर्ष रहा है और ग्राम सभा से संबंधित योजनायें 2000–2001 में जारी रखेंगे और उन्हें कार्यान्वित कराने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार सन् 1999–2000 में कार्यवाही

हुई। ग्रामीण सचिवालय योजना कामयाब नहीं रही, जैसा कि मध्य प्रदेश के माननीय सदस्य ने भी कहा। इस बारे में मैं आपसे सहमत हूं कि वाकयी ग्रामीण सचिवालय योजना कामयाब नहीं हुई है और इसी कारण से इस योजना में काफी शिथिलता आ गई है।

माननीय सदस्य हरिशंकर जी, माननीय महेश्वर सिंह जी, श्री गिरधारीलाल भार्गव जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों और विभिन्न उपायों के बारे में हम मंत्रालय की ओर से प्रयास करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : मंत्रीजी, बीपीएल फैमिलीज के बारे में बताइए।

श्री सुभाष महरिया : जहां तक बीपीएल फैमिलीज का सवाल है, जैसा आठवले जी पूछ रहे हैं, कि हम इनकी जनगणना या सर्वे करायें, यह तो मुझे संभव नहीं लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश की सभी सरकारों से जानकारी लेकर और जिन लोगों को बीपीएल फैमिलीज में ले लिया गया है, लेकिन वे बीपीएल फैमिलीज से ऊपर हैं, अमूमन ऐसी शिकायतें होती हैं, इस संबंध में आपकी तरफ से जो सुझाव आए हैं या आयेंगे, उनको निश्चित रूप से प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर दूर करायेंगे। इसमें कहीं सन्देह की आवश्यकता नहीं है।

ग्राम सभाओं का सही अर्थों में 73वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया था, ताकि ग्राम सभाओं में ग्रामीण निर्धनों, महिलाओं और सीमान्त किसानों को निर्णय करने का अवसर मिले, जिनका संबंध उनके रोज–मर्रा के जीवन के साथ रहा है। ग्राम सभायें सक्रिय हो, निचले स्तर पर उनकी पारदर्शिता हो और उपलब्धि के आधार पर सुनिश्चित की जा सकें, इस आधार पर माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों को हम केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न प्रदेशों में हमारे जो ग्रामीण विकास के विभाग हैं, उनके साथ ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायत स्तर तक, इन योजनाओं की जानकारी ग्राम सभा में निश्चित रूप से हो, ऐसा प्रयास करेंगे। ग्राम सभाओं के मापदंड हमारी जो ढाई लाख ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर भेजी जाएंगी, भेजी गई हैं, लेकिन जहां कहीं अधूरी रही हैं और 75 प्रतिशत जनसंख्या जो इस पर निर्भर है, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें कहीं कोई सन्देह की आवश्यकता नहीं है। ... *(व्यवधान)*

महिलाओं की भागीदारी को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रदेशों में महिला सरपंचों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पंचायत समितियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ग्राम सभाओं में असली ड्रामा यह है कि महिलाएं ज्यादा होती हैं और पुरुष कम होते हैं। कई प्रदेशों में यह भी स्थिति देखी गई है। इस संबंध में माननीय सदस्य सुझाव दें, तो हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों का पता लगाने और उनकी भागीदारी सुनिश्चत करने के लिए पहले ही उपाय शुरू कर दिए हैं।

यह जो प्रस्ताव रखा गया है, इसके लिए हम पहले से इस प्रकार का काम कर रहे हैं और जो विभिन्न सुझाव सदस्यों के आए हैं, उन्हे हम लागू करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। अतः सरकार माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती है। ... *(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह : महोदय, मैंने अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात कही थी कि ग्रामसभा बुलाई जाए। ...*(व्यवधान)* जब आपने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है तो संविधान में प्रावधान क्यों नहीं करते कि जो ग्राम पंचायत ग्राम सभा न बुला सके, ... *(व्यवधान)* उसका कोरम तय कर दिया जाए। ... *(व्यवधान)* आपने खुद कहा कि कोरम अलग–अलग हैं– कहीं दस प्रतिशत और कहीं 25 प्रतिशत है। ... *(व्यवधान)*

श्री सुभाष महरिया : माननीय सदस्य द्वारा जो यह बताया गया है, ऐसे केरल में आज की तारीख में लागू भी है। केरल में ग्राम पंचायत के वार्ड है वहां अलग से सभा होती है। उन्हें केरल सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से जो समय दिया गया है, उस समय म अगर ग्रामसभा की दो मीटिंगें लगातार नहीं होती हैं तो वार्ड पंच को निलम्बित कर दिया जाएगा। यह प्रदेश का विषय है। केन्द्र सरकार अपनी ओर से उन्हें सुझाव दे सकती है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव का समर्थन करता हूं और इस कार्यवाही करने के लिए भी हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे।

मैं अंत में रघुवंश प्रसाद जी से कहना चाहूंगा कि आपने जो प्रस्ताव रखा है, इसका हम आदर करते हैं, चूंकि आपके इस प्रस्ताव में ग्रामसभाओं को व्यापक अधिकार दिए जाएं, उनके द्वारा जो भी योजनाओं का अमलीजामा पहनाना है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, इसके लिए हमारी ओर से माननीय सदस्यों के सुझावों पर अमल किया जाएगा और दिशा–निर्देश दिए जाएंगे। मेरा निवेदन है कि आप इस प्रस्ताव को वापस लें और आपके सुझावों को हम अपनी ओर से पूर्ण रूप से लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : **डॉ.** रघुवंश प्रसाद सिंह क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ?

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, सभी पक्ष के लोगों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया है हम यह प्रस्ताव वापस ले लेते हैं और मंत्री जी का सुझाव मान लेते हैं। इसका सम्पूर्ण सदन के लोगों ने समर्थन किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुभाष महरिया : हमने बिहार की बात तो मान ली है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, माननीय सदस्य असली सरजमीन से संबंध रखते हैं। जब मंत्री जी भाषण दे रहे थे तो हमने यही अनुभव किया–

"तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी।"

कागज में तो मंत्री जी ने लिखा–पढ़ी वाला बयान दे दिया कि ग्रामसभा सब कर रही है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। गांवों में पैसा नहीं जा रहा और अगर जा रहा है तो बहुत कम जा रहा है। कम से कम 15 माननीय सदस्यों ने इसमें रुचि ली– जिसमें रासासिंह जी, प्रभुनाथ सिंह जी, वी. सरोजा जी, रामजीलाल सुमन जी, स्वाइं जी, साहू जी, पांडेय जी, मोहले जी, महेश्वर सिंह जी, भार्गव जी, बंसल जी, बैसीमुथियारी जी, शीशराम ओला जी, जाधव जी, तिलकधारी सिंह जी, आठवले जी, इन सभी को मैं ह्रदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इन्होंने गरीब आदमी की पीड़ा को समझा है और इसका समाधान कैसे होगा, इसके लिए सुझाव दिए। हमारा ख्याल है कि सरकार भी उन सुझावों पर अमल करेगी। श्री शंकर प्रसाद जायसवाल बड़े चिन्तित थे। लोग बिना जाने हुए धारणा बना लेते हैं, वह कृपा करके समझ लें। सन् 1978 में हमारा ही राज था। स्व. कर्पूरी ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे। वहां सन् 1978 में 17–18 वर्ष के बाद पंचायत का चुनाव हुआ था। उसके बाद सन् 1980 से 90 तक कांग्रेस पार्टी का राज हुआ, उन दस वर्षों में चुनाव नहीं हुए।

सन् 1990 में फिर हम लोगों का राज आ गया। सभापति महोदय, आप शुरू से इस हाउस के सदस्य रहे हैं और आपको याद होगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस संदर्भ में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया। बिहार सरकार ने प्रतीक्षा की कि हम संविधान संशोधन के अनुसार बिहार में चुनाव करवाएंगे। संविधान संशोधन सन् 1993 में हुआ और इस बीच तीन साल चले गये। आपको याद होगा कि सन् 1990 से पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और संविधान संशोधन की धारा 243 में ग्राम–सभा को अधिकार दिया गया है, वह सबको मालूम ही है।

भारत के संविधान में कहा गया कि पंचायत के सभी पदों पर आरक्षण होगा। महिलाओं को एक–तिहाई पदों पर तथा आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति सब को आरक्षण का लाभ मिलेगा। पिछड़ी जाति का आरक्षण अगर राज्य सरकार चाहे तो करे, उस पर कोई रोक नहीं है। यह संविधान में प्रावधान किया गया। बिहार की सरकार ने संविधान के मुताबिक आदिवासियों को, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं का आरक्षण किया। साथ ही उसके प्रावधान के मुताबिक पिछड़ी जाति का भी आरक्षण किया। प्रमुख, जिला प्रमुख, मुखिया आदि सभी पदों पर आरक्षण किया और कानून बनाकर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी। बिहार सरकार ने कमीशन से बक्से मांगे कि चुनाव के लिए उधार बक्से दे दीजिए। उन्होंने जब मना कर दिया तो बिहार सरकार का 38 करोड़ रुपया बक्से बनवाने में खर्च हुआ। लेकिन आरक्षण वाले प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गयी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रमुख, जिला प्रमुख और मुखिया का पद संविधान में एक ही है। एकल पद के चलते उस पर आरक्षण नहीं हो सकता। मुखिया, प्रमुख, जिला प्रमुख तीनों के लिए कहा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार के सामने संकट आया कि संविधान में जो प्रावधान है उसके मुताविक चुनाव करवायें या हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार चुनाव करवाएं। अब हाईकोर्ट का कानून लागू करें तो संविधान की अवहेलना होती है और अगर संविधान को लागू करें तो हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, यह सभी जानते हैं। अब कोई भी संविधान का विशेषज्ञ, समाजशास्त्री यह बताये कि राज्य सरकार कैसे कसूरवार है?

इस पर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया कि हाईकोर्ट के मुतबिक चुनाव करवाया जाये या संविधान के मुताबिक करवाया जाये, इस पर हमें निर्देश दिया जाये। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा–फेसी मानकर फुल–कांस्टीट्यूशन में उसको भेज दिया। इनके सॉलिसिटर उसमें हाजिर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाईकोर्ट के फैसले को हम स्टे करते हैं। अब भारत सरकार कहे कि संविधान के मुताबिक चुनाव हों या हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक चुनाव हों तो राज्य सरकार को चुनाव करवाने में कोई एतराज नहीं है। ...*(व्यवधान)* अब जायसवाल जी को बार–बार समझाना पड़ेगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल सभापति जी, एक सवाल है।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस प्रकार भारत सरकार ने बहाना बनाया और यह नहीं कहा कि इसे संविधान और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक करिए। उसने बहाना बना कर गरीब राज्य के सवा छः सौ करोड़ रुपया रोका। हमने कहा कि लोक सभा भंग हो सकती है, विधान सभा भंग हो सकती है लेकिन संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम सभा भंग होने का प्रावधान नहीं है। इसलिए ग्राम सभा को मजबूत किया जाए। पंचायतें रहे तो ठीक बात होगी लेकिन ग्राम सभा में पैसा जाए। इसका मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। केन्द्र सरकार ने इस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष माना है या नहीं?

श्री सुभाष महरिया : केन्द्र सरकार ने 1999–2000 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया है। सन् 2000 में सभी कार्यक्रमों को ठीक उसी प्रकार जारी रखा जाएगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ईमानदारी और सच्चाई की बात है कि यह ग्राम सभा वर्ष है लेकिन कितने माननीय सदस्य जानते हैं कि यह ग्राम सभा वर्ष है? क्या गांव के अनपढ़ लोग जानते हैं कि यह ग्राम सभा वर्ष है? आपने इसका प्रचार नहीं किया।

श्री सुभाष महरिया : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो कहा मैंने उसे सुना। ग्राम सभा पंचायतें ढाई लाख हैं। वहां इस बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनैस रहे, ग्राम सभा वर्ष की उन्हें जानकारी रहे, इसके बारे में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचना भेजी। इस पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, राजस्थान में समय–समय पर ग्राम सभाएं होती हैं।

श्री सुभाष महरिया : सभी जगह होती हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : पत्र लिखने से ही प्रचार नहीं होगा। प्रचार के दो जरिए हैं – एक प्रिन्ट मीडिया और दूसरा विजुअल मीडिया। इनका टेलीविजन अच्छी चीजें नहीं दिखाता है। मंत्री द्वारा जाली शिलान्यास कराने पर करोड़ों रुपया खर्चा आता है। क्या आप ग्राम सभाओं के लिए अखबारों में विज्ञापन नहीं निकल सकते थे? इसका टी.वी. और प्रिन्ट मीडिया के जरिए देश भर में प्रचार करें। ग्राम सभा को जो अधिकार मिले हैं, वे सब चीजें एक किताब में आएं। आप गाइडलाइन्स बना कर दीजिए। मैंने रूरल डेवलपमेंट का लीफ लैट देखा है। इंदिरा आवास के मामले में लीफ लैट प्रकाशित हुआ था। उसमें गाइडलाइन्स हैं। ग्राम सभा बैनिफिशरीज के नाम तय करे। इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों की जो लिस्ट है इसका निर्णय ग्राम सभा करती है या नहीं ?

श्री सुभाष महरिया : इस बारे में डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को ज्यादा चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हम ग्रास रूट के हैं। हम इसमें कतई कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप टी.वी. और प्रिन्ट मीडिया के जरिए इसका प्रचार करिए क्योंकि 15 से 20 हजार करोड़ रुपया इसके लिए जा रहा है लेकिन वह गांव में नहीं पहुंचता। हम यह चाहते हैं कि वह पैसा ग्राम सभा में चला जाए। आप ग्राम सभा को विलेज असेम्बली का दर्जा दें। वहां इसकी कोई सूचना नहीं होती। माइक से इसका प्रचार नहीं होता। उसमें पांच–दस आदमी बैठ जाते हैं। इस बात को सभी ने स्वीकार किया है कि ग्राम सभा की बैठकें नहीं होतीं। क्लॉज 243 (ए) में लिखा है कि ग्राम सभा होगी और उसे अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए राज्य कानून बनाएंगे। अब स्टेट ने कानून बनाया या नहीं, आप इसकी मॉनिटरिंग करें और जिसने यह कानून नहीं बनाया, उसके लिये कार्यवाही करें कि ग्राम सभा को अधिकार दिया गया या नहीं। ग्राम सभा को अधिकार दिये जाने की सूचना माइक द्वारा की जाये या लोगों के हस्ताक्षर करके की जाये। ग्राम सभा की बैठक सुनिश्चित हो। यह देखा जा रहा है कि कई राज्यों में कोरम तक नहीं होता। जो प्रस्ताव पारित किये गये, उनको रजिस्टर में लिखा जा रहा है या नहीं, उनकी अनुपालना हो रही है या नहीं, यह कौन देखेगा? उसका क्या निर्णय हुआ और वह क्रियान्वित हुआ या नहीं?

सभापति महोदय, जवाहर रोज़गार योजना के अंतर्गत आबादी के अनुसार गांवों को पैसा भेजा जाता है लेकिन वह पहुंचता है या नहीं, यह लोगों को मालूम ही नहीं होता।

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप प्रस्ताव पर आयें, इस पर बहस हो गई है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं ग्रामसभा के प्रस्ताव पर आ रहा हूं। आप ग्रामसभा की भागीदारी सुनिश्चित करें। आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 8 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं।

सभापति महोदय : इस विषय पर फिर से बहस नहीं होगी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं यह बात बता रहा हूं कि पी.डी.एस. को ग्रामसभा द्वारा लागू करना चाहिये। उसमें 6 करोड़ परिवारों को लाल कार्ड दिया गया है जबकि 2 करोड़ परिवार छूट गये हैं। इसलिये हमने कहा कि यह ग्रामसभा तय करे कि कौन गरीबी रेखा के नीचे है। जिनके नाम छूट गये हैं, उनका नाम दुबारा दर्ज किया जाये अन्यथा असली गरीब आदमी का नाम छूट जायेगा। माननीय सदस्य गांवों में जाते हैं और लोग उनसे कहते होंगे कि उन्हें लाल कार्ड नहीं मिला। 1993 में आई.आर.डी.पी. बना था जिसमें जाली लोगों की सूची तैयार हुई थी। और उसे ही लाल कार्ड का आधार मान लिया गया। इसलिये मैं कहता हूं कि जिन दो करोड़ परिवारों के नाम छूट गये हैं, उन्हें लाल कार्ड दिया जाये। चूंकि मंत्री जी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिये आग्रह करूंगा कि फूड विभाग को लिखें कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, उन्हें लाल कार्ड दिया जाये। इसके लिये लकड़ावाला कमेटी हो या प्लानिंग कमीशन क्या कहता है, उसके मुताबिक फूड विभाग को लिखें कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सूची फिर से तैयार की जाये। यदि उस सूची में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के नाम नहीं हैं तो दर्ज किये जायें। ग्राम सभा यह देखे कि उसको मिला या नहीं। अफसर ग्रामसभा की बैठक करे और पूछे कि दो महीने में गेहूं, चावल या अन्य सामान मिला या नहीं, अच्छा मिला है या खराब मिला है, कितना मिला? सरकार मिट्टी का तेल गांवों के लिये भेजती है लेकिन डिपो वाला बीच में बेच देता है और गांव के लोगों को मिलता ही नहीं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये। अब दूसरा प्रस्ताव लेना है और आपका समय समाप्त हो गया है। आप तो चेयरमन पैनल में भी हैं, कृपया सहयोग करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मंत्री जी फूड विभाग को लिखें कि जिनको लाल कार्ड नहीं मिला, उसे दिलाया जाये। ऊपर बैठकर नाम जोड़ने से काम नहीं चलेगा। जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर जवाहर समृद्धि स्वरोजगार योजना कर दिया गया है। इसके लिये ग्राम सभा को तय करना चाहिये कि कहां स्कूल बनाना है, सड़क का निर्माण करना है। इसमें पहले कौन सा बनना चाहिये, यह वह तय करे। यहां से पैसा जाता है लेकिन खर्च कहां होता है, यह ग्राम सभा को देखना चाहिये। यदि ग्रामसभा को सब कुछ जायेगा तो अच्छा होगा। अब मैं इंदिरा आवास योजना पर आता हूं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम इंदिरा आवास योजना के लिये न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं लेकिन घूस देने पर ही गरीब का नाम उस सूची में लिखा जाता है।

यह सरजमीन की असली बात है। स्वाइं जी कह रहे थे कि यह ब्लाक में तय कर देते हैं, गांव सभा को मालूम नहीं होता है। जो घूस देता होगा, उसका बन जाता होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : सभापति जी, ऐसी बात सदन में नहीं कही जा सकती। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं उसमें ढाई कांस्टीटुएंसी बिहार की है और बिहार के लोगों की बात को इस तरीके से यहां रखना और किसी सदस्य को अपमानित करने का काम यहां नहीं किया जा सकता। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जिन प्रदेशों में ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हुए...

सभापति महोदय : आप बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। आप इस पर नई बहस शुरू मत कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने कहां किसी का अपमान किया है। वह कैसे गलत समझ गये। हमने कहा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इंदिरा आवास योजना की जो सूची बनती है उसमें गड़बड़ी होती है।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, अब आप समाप्त कीजिए, फिर से नई बहस शुरू मत कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ब्लाक के पैमाने पर गड़बड़ी होती है, माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि हम सदस्य का अपमान कर रहे हैं। इनको सीखना चाहिए कि कैसे किसी सदस्य का सम्मान किया जाता है, सदन का सम्मान किया जाता है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन योजना, ऐसा गांव के लोग बोलते हैं। गरीब आदमी दौड़ रहा है, उससे दस रुपये ठग लिये, उससे 50 रुपये ठग लिये, वह बेचारा दौड़ रहा है। उसका ब्लाक में कोई नोटिस नहीं लेता है। जांच नहीं हुई। भारत सरकार से भी पैसा जाता है ...*(व्यवधान)* इसलिए सामाजिक सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण योजना के लाभ के अभाव में गांव के लोग कर जाते हैं।

सभापति महोदय : यह नियमों के प्रतिकूल हैं, आप नये सिरे के चर्चा कर रहे हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, इसलिए ग्राम सभा को ताकत देनी चाहिए। लिखा-पढ़ी और व्यवहार में माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। वीजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया में इसका प्रचार होना चाहिए। देश में सौ करोड़ लोगों की आबादी, उन्हें सर्वप्रथम जानकारी होनी चाहिए। गांव के लोग नहीं जानेंगे कि हमारे क्या अधिकार हैं तो यह कैसे होगा। इसलिए उन्हें अधिकार देने का काम होना चाहिए और सब माननीय सदस्यों को जानकारी देने का काम होना चाहिए। इस पर मेरा सीधा मत है, सारे दुखों का एक इलाज है— लाख दुखों की एक दवा, सबसे ऊपर ग्राम सभा।

एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए ग्राम सभा को पूरे अधिकार दिये जाएं और ग्राम सभा तथा गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। ट्रांसपेरेन्सी पारदर्शिता भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा इलाज है। लोग जानें कि असलियत क्या है। जब उन्हें जानकारी हो जायेगी कि हमारे गांव में पचास हजार रुपये खर्च होने हैं, गांव के लोग मुस्तैद हो जायेंगे। पचास हजार रुपया गांव में खर्च होगा, फिर क्या कमीशनखोरी रहेगी, रिश्वतखोरी रहेगी। सारी गड़बड़ी का इलाज ग्राम सभा है। आप गांव में उसका हिस्सा पहुंचाइये और इसे ट्रांसपेरेन्ट बनाइये। माननीय मंत्री जी दावा करते हैं कि वे गांव के हैं। लेकिन गांव के लोग अफसरों को पढ़ा-लिखा वाला बोलते हैं। असलियत में आपको बोलना चाहिए कि सरजमीन पर क्या है। सर्वश्री महात्मा गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौ. चरण सिंह, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, विवेकानन्द इन सबने तथा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने संवैधानिक दर्जा दिलवाने का काम किया। इस सब महान लोगों का मत था कि इससे गांवों को ताकत मिलेगी, विकेन्द्रित व्यवस्था होगी, तब गांव का कल्याण होगा। जो आठ हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप फिर से नई चर्चा शुरू कर रहे हैं। आप प्रस्ताव के बारे में बोलिये। इस पर नई चर्चा नहीं हो सकती।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारे इस प्रस्ताव पर सबका समर्थन है। आप वोट करा दीजिए। इस पर हमें समर्थन है या नहीं। सारे लोगों

ने हमारा समर्थन किया है और यही असलियत है। सरकार इसे मानने से क्यों पीछे हट रही है। सरकार कह रही है सब बातें ठीक हैं, संशोधन पास कर दिया जाए। लेकिन वोटिंग को नहीं मानेगी। महोदय, इस विषय पर माननीय सदस्यों ने जो राय रखी है, सब लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है कि ग्राम सभा को सारे अधिकार मिलें। जो उनके गांवों पर खर्च होना है, जिसे बीमारी है, उसी के हाथ में इलाज दिया जाए, वह अपना इलाज करेगा। विभिन्न सामाजिक अध्ययन संस्थानों ने कहा है कि यहां से जाते--जाते रुपये में 15 पैसे ही पहुंचते हैं, शेष रास्ते में गायब हो जाते हैं। श्री मणि शंकर अय्यर जी हिसाब पढ़कर बता रहे थे कि गरीबी बढ़ रही है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या बढ़ रही है। आप इधर करोड़ों--करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और उधर गरीबी बढ़ रही है।

इसका मतलब यह है कि बीच में कहीं--न--कहीं गड़बड़ी है। सबका इलाज है ग्राम सभा। इसीजिए हमने यह संकल्प रखने का प्रयत्न किया और माननीय सदस्यों ने जो इसका स्वागत किया और समर्थन किया, उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि जो सवाल हमने और माननीय सदस्यों ने उठाए हैं, उनका असली रूप में कार्यान्वयन करें।

श्री सुभाष महरिया : माननीय सभापति महोदय, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो सुझाव दिये हैं और अन्य माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिए हमारा मंत्रालय कटिबद्ध है और जो सुझाव दिये गए हैं, उनके आधार पर हमारी ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि ग्राम सभाएं सुदृढ़ हों और 'एकै साधै सब सधै' की कहावत को चरितार्थ करें, इसका पूरा प्रयास रहेगा। इसमें कहीं संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी ओर से सभी सदस्यों को जैसे आपने कहा कि हमें लिट्रेचर की आवश्यक जानकारी नहीं मिलती है, सबको लिट्रेचर पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियम 183 को उल्लिखित कर रहा हूं। इसमें कहा गया है :

> "सभा द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प की एक प्रति संबंधित मंत्री महोदय को भेजी जानी चाहिए।"

अतः इस संकल्प को वापस लेने की बजाय पारित करना सही है। मंत्री महोदय को एक ऐसे संकल्प को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है जिसके एक--एक शब्द से वह सहमत हैं? हम केवल यह चाहते हैं कि यदि सभा इस संकल्प को पारित करती है और फिर इसे संबंधित मंत्री महोदय को भेजा जाता है तो हमें विश्वास है कि इस पर अधिक गंभीरता से कार्यवाही की जाएगी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि आप अपने प्रस्ताव को विदड्रा करें चूंकि सरकार सारी कार्रवाई करने जा रही है और आपके विचारों से सहमत हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : मेरा कहना है कि आप अनुरोध कर सकते हैं लेकिन इस सदन को तय करना है कि सरकारी आश्वासन के आधार पर हम इस सदन को चलाएं या जो सर्वसम्मति से हमारा एक ही मत है, जिस मत से सरकार बिल्कुल सहमत है, कोई एक शब्द भी आपके प्रस्ताव में इनकार नहीं कर रही है, स्वीकार कर रही है। जब ऐसा है तो बेहतर होगा जबकि हमारे रूल्स के अंतर्गत नियम 183 के अंतर्गत हम इसको पारित कर सकते हैं तो हम इस प्रस्ताव को पारित करें और फिर देखें कि कार्रवाई कैसे हो रही है।

सभापति महोदय : मणि शंकर जी, आप उस समय सदन में नहीं थे जब मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकार की ओर से सभी प्रकार के प्रयास किये जाएंगे, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में सरकार समर्थ नहीं है -- यह वे पहले कह चुके हैं और इसीलिए मैंने प्रस्ताव को विदड्रा करने की बात कही है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मेरा कहना है कि यदि रघुवंश जी विदड्रा भी करना चाहें तो भी सदन से पूछना चाहिए। बेहतर होगा कि आप इसको पारित करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : पंचों की जो राय होगी, वही हम करेंगे।

श्री सुभाष महरिया : सभापति जी, माननीय सदस्य मणि शंकर जी सदन में पधारे, उससे पूर्व इस ग्राम सभा से संबंधित सभी बातों पर जो चर्चा हुई, उसके अंत में मैंने व्यक्तिगत रूप से और सरकार की ओर से डॉ. रघुवंश जी से निवेदन किया कि इस प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें और आप सभी सदस्यों की जो भावनाएं और सुझाव हैं उस पर क्रियान्वयन निश्चित रूप से किया जाएगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : जब मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है तो उनको क्या ऐतराज है कि इस प्रस्ताव को पारित करें। यदि आपके कहने में कुछ कमी रही हो या आप सहमत नहीं हों तो मैं समझता हूं कि आपने कह दिया कि यह हमारा आश्वासन है, कृपया आप इसको पारित न कीजिए। लेकिन जबकि सरकार सहमत है और रूल्स में इसको पारित करने का प्रावधान है तो क्यों नहीं करें? ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी सरकार ने जो अनुरोध किया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्तावक से पूछ रहा हूं कि क्या वे अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, सरकार ने जो कहा है और हमारी बात को अक्षरशः स्वीकार किया है तथा कहा है कि वे सभी सही हैं और सरकार उनको क्रियान्वित करने के लिए तैयार है तथा इस प्रस्ताव पर इस सदन में जो भी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए हैं सरकार उनको कार्यान्वित करेगी। सरकार के इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपने रिजोल्यूशन को वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा पेश किए गए संकल्प को वापस ले लेने की अनुमति देती है ?

संकल्प सभा की अनुमति से वापस किया गया,

अपराह्न 5.24 बजे

सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब सभा, श्री ई. अहमद द्वारा पेश किए जाने वाले प्रस्ताव जिसका संबंध सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से है को लेगी। इस प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व हमें चर्चा के लिए समय नियत करना है, क्या हम इसके लिए दो घंटे का समय नियत करें ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय नियत किया जाता है। अब श्री ई. अहमद।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह आरक्षण के प्रतिशत की अधिकतम सीमा सहित किसी न्यायालय के किसी विनिर्णय में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, जिसमें मुसलिम भी सम्मिलित हैं, के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध करने के लिए एक उपयुक्त विधान बनाये।"

हमारे देश में आरक्षण–नीति का अपना इतिहास है। यह संवेदनशील मुद्दा है जो हमारे देश के बहुसंख्यकों से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने देश के पूर्ण विकास के लिए योजना और कार्यक्रम बनाते हैं तो उन लोगों पर विचार करना अत्यावश्यक हो जाता है जो कि देश के कार्यों में अपनी विधिवत भागीदारी से वंचित किए गए हैं।

अपराह्न 5.25 बजे

(डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए)*

सर्वांगीण विकास का जो हमारा दृष्टिकोण है उसे तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि हम इन सुविधा–रहित और अल्प–विकसित लोगों को अन्य लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ाते।

इन लोगों के कुछ वर्गों की उपेक्षा के कारण ऐतिहासिक हैं। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इस सुविधा–रहित वर्ग के प्रति अन्यायपूर्ण और अनुचित व्यवहार किया गया और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के परिणामस्वरूप विकास क्षेत्र में असमानता और असन्तुलन पैदा हुआ और हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग की घोर उपेक्षा हो गयी। इन सामाजिक और शैक्षिक दृष्ठि से पिछड़े लोगों की विधिमान्य भागीदारी को भी नकार दिया गया। ये लोग हमेशा से ही पिछड़े रहे जबकि अन्य लोगों को विकास का लाभ मिल गया और उसे कायम रखे हुए हैं, अन्तोगत्वा, न्याय की पुकार और देश के शासन में बराबर की भागीदारी, हमारी जनसंख्या के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए समाजिक न्याय की लड़ाई बन गई है, सेवाओं में आरक्षण का प्रश्न बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। जैसा कि मैंने कहा था कि सेवाओं और शैक्षणिक सस्थाओं में आरक्षण का अपना इतिहास है। इन पिछड़े वर्गों के लोगों के वैध अधिकारों को कैसे संरक्षित किया गया है को ऐतिहासिक आधार पर देखा जाएगा।

स्वतन्त्रता पूर्व भारत के इतिहास में जिन लोगों को सत्ता में भागीदारी से वंचित रखा गया और जिन्हें पहले ही यह भागीदारी मिल गई और वह भी उनको देन से अधिक के बीच की लड़ाई के सुस्पष्ट उदाहरण मिल जाएंगे। सामान्य तौर पर यह लड़ाई लोगों के अगड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के बीच की लड़ाई है। इस लड़ाई से लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच अदृश्य व्यवहार पैदा हो गए हैं। दक्षिण भारत में भूतपूर्व मद्रास प्रेसीडेन्सी जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक का दक्षिणी कन्नड़ जहां सामाजिक न्याय की समस्या थी को छोड़कर वर्तमान तमिलनाडु, वर्तमान केरल का मलावार क्षेत्र और आन्ध्र प्रदेश शामिल था वहां का इतिहास है और वहां प्रशासन में लोगों के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के मामले में समानता मिली थी, जस्टिस पार्टी के आगमन के साथ जो कि 1920 में इस भूतपूर्व मद्रास प्रेसीडेन्सी में सत्ता में आई थी सरकारी सेवाओं में आरक्षण आरम्भ हुआ था। यद्यपि यह सु–सन्तुलित नहीं था फिर भी तमिलनाडु में लोगों के पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण ने इस आन्दोलन या पिछड़े वर्गों के प्रदर्शन को गति दी। महान तमिल नेताओं जिनमें थिरू अन्नादुरई भी शमिल हैं की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है।

मैसूर राज्य में पिछड़े वर्गों के विभिन्न वर्गों ने लड़ाई जारी रखी जिसके फलस्वरूप सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में

अन्ततः आरक्षण की बात स्वीकार हो गयी। 1921 में 'प्रजाति मंडल' द्वारा दिए गए अयभावेदन पर मैसूर के महाराजा ने सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के लिए पिछड़े वर्गों के लोगों को योग्य करार दिया। त्रावणकोर राज्य में आरक्षण व्यवस्था 1935 में आरम्भ हुई जबकि वहां एक दशक बाद कुछ गैर ब्राह्मणों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया, वर्ष 1935 में त्रावणकोर के महाराजा ने घोषणा की और इसके बाद ही उसकी प्रजा–पिछड़े वर्गों से संबंधित लोग–सरकारी सेवाओं में आरक्षण पाने की हकदार बनी।

बाद में, दक्षिण भारत के पिछड़े वर्ग ने आरक्षण की व्यवस्था को स्थायी बनाने की कोशिश की और आरक्षण के लाभ को देश के अन्य भागों में भी दिए जाने के लिए लड़ाई जारी रखी। तमिल नाडु में उन्होंने इस मामले में अन्य राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, केरल के सहयोग से जो भूमिका अदा की उसका इस आन्दोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

उत्तरी भारत में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यद्यपि पिछड़े वर्गों के नेताओं ने सत्ता में अपने अधिकार में भागीदारी के दावे को रखने की कोशिश तो की लेकिन प्रशासन में एकाधिकार रखने और उसे कायम रखने वाले लोगों के मजबूत और शक्तिसम्पन्न वर्ग ने इसे नकार दिया और उसका विरोध किया।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, हाफ ऐन आवर डिस्कशन का समय हो गया है।

सभापति महोदय : प्राईवेट मैम्बर्स बिजनस बीस मिनट देर से शुरू हुआ था। इसलिए बीस मिनट देर तक चलेगा।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : डॉ. राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने पिछड़े वर्ग के लोगों को जगाया लेकिन उनके प्रयास स्थाई परिणाम नहीं ला सके। मंडल आयोग में इसका प्रांसगिक उल्लेख किया गया है। इस प्रकार दक्षिण ने आरक्षण की सुविधा प्राप्त की जबकि उत्तर की इस मामले में अत्यधिक उपेक्षा की गई थी।

इन नेताओं के प्रयासों ने पिछड़े वर्गों के विभिन्न वर्गों को यह महसूस करवाने में सहायता की कि उन्होंने क्या खो दिया और इन प्रयासों से उन्हें निद्रा से उठकर सरकारी सेवाओं में ऐसे वैध अधिकार के लिए संगठित होने में भी सहायता मिली। आजादी के दो दशकों के बाद उत्तर भारत के लोग पिछड़े वर्ग की ताकत को महसूस कर सके। यहां तक कि 1997 में उ. प्र. और बिहार में क्या हुआ मैं उसका उल्लेख मात्र ही करूंगा। उ.प्र. में राम नरेश यादव की सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए 15 प्रतिशत और बिहार में कर्पूरी ठाकुर सरकार ने 1978 में इस वर्ग के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन इसका कार्यान्ययन नहीं किया जा सका या यह साकार नहीं हो सका क्योंकि समाज के अगड़े वर्ग ने इसका तीव्र विरोध किया।

वास्तविकता तो यह है कि संविधान को अपनाने के साथ ही यह बात हो सकी कि अगड़े लोगों के साथ–साथ पिछड़े लोग भी चर्चा में शामिल हुए। एक बार डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने निम्नलिखित टिप्पणी की जिसे मैं यहां उद्धृत करना प्रासांगिक समझता हूं। उन्होंने ने कहा —

"प्रत्येक व्यवस्था में सामाजिक क्रम में ऊपर बैठे लोगों को सम्मानपूर्ण माना जाता है लेकिन वास्तविक परीक्षण तो यह है कि नीचे के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।"

इन लोगों की सत्ता में भागीदारी, जन कार्यों में उनकी भूमिका और उनको मिल पाने वाली स्थिति के संबंध में जहां तक भारत के लोगों का संबंध है तो यही वास्तविक परीक्षण है।

यह सच है कि सामाजिक न्याय के प्रश्न की उपेक्षा को मंडल आयोग की नियुक्ति तथा सरकार को आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपने तक 30 वर्ष का समय लगा। जैसा की सभा को विदित है कि मंडल आयोग के गठन से पूर्व 29 जनवरी, 1953 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत प्रथम पिछड़ा आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था।

यद्यपि इस आयोग ने विभिन्न कल्याण कारी उपायों जिनमें पिछड़े वर्गों के लिए सरकार और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण भी शामिल है, लेकिन उस समय सरकार ने इस आधार पर आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की थी क्योंकि उन्होंने पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए कोई वस्तुनिष्ठ जांच लागू नहीं की थी, और तो और कालेलकर आयोग के 11 सदस्यों में से 5 सदस्यों ने असहमति जताई थी। तत्पश्चात, सरकार को यह भी महसूस हुआ कि पहले पिछड़े वर्ग आयोग ने जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को पिछड़ों की श्रेणी में रखा और इस बारे में सरकार की अस्वीकृति का कारण बताया जाता है कि वास्तविक लोगों को इससे कुछ नहीं मिल पाएगा। उस समय सरकार भी इसलिए राजी नहीं हुई क्योंकि पिछड़ेपन की कसौटी को जाति नहीं माना गया और उसने अधिक कसौटी की धारणा को वरीयता दी, इस भूमिका में हमें इस बात की जांच करनी होगी कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुरक्षा के लिए संविधान में क्या व्यवस्था है।

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध है। यदि हम अनुच्छेद 15(4) को देखें तो हमें पता चलेगा कि पिछड़े वर्गों के विशेषाधिकार के संरक्षण के लिए क्या उपबंध किए गए हैं, संविधान में पहला संशोधन अनुच्छेद 15 में किया गया है और यह कहता है :

[श्री ई. अहमद]

" इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

संविधान लागू होने के उपरान्त, पहला मामला अनुच्छेद 15 के तहत निहित प्रावधानों के विरुद्ध था, मद्रास उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यह कुछ लोगों के वर्गों पर लागू नहीं होगा और यह संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध नहीं होगा। इस संबंध में, पहला संशोधन मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रत्यादेश करने के लिए किया गया।

अनुच्छेद 16(4) के अनुसार :

"इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

इसलिए, यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया था कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर तथा यदि उनका प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नहीं है तभी किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 16(4) में टकराव की स्थिति में कानून विदों ने कई टिप्पणियां की हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में 'विधि के समक्ष समानता' इस मूल अधिकार की गारंटी है किंतु समानता का सिद्धांत दोधारी तलवार है और यह बात मंडल कमीशन ने भी स्वीकारी है। इससे समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। सामाजिक न्याय का सूत्र तो यह है कि समानता केवल समान स्तर पर ही संभव है। असमान को समान मानने से असमानता बनी रहेगी।

समाज की मानवता इससे निर्धारित होती है कि कमजोर, विकलांगों और साधनहीन सदस्यों को कितना संरक्षण प्राप्त होता है।

इस संबंध में मैं, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 15(4) और 16(4) की वैधता पर की गई टिप्पणियों को पढूंगा। इस बारे में उच्चतम न्यायालय ने भी कई निर्णय दिए हैं। इंदिरा साहनी केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रभाव पर निर्णय दिया था और माननीय न्यायाधीश ने इन उपबंधों पर की गई डॉ. अम्बेडकर की उक्तियों को भी उद्धृत किया था। सभापति महोदय, क्या मैं, ए.आई.आर. 1993 में रिपोर्ट किये गये, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस पर दिए गए निर्णय के पृष्ठ 520 का पैरा 26 पढ़ सकता हूं ? उन्होंने संविधान सभा की टिप्पणियों को भी उद्धृत किया। सभापति महोदय, मेरे ख्याल से यदि मैं यह पढ़ूं तो यह पूरी सभा के लिए रुचिकर होगा :

"कुछ समय तक चर्चा हो जाने के पश्चात, प्रारूप समिति के सदस्य श्री के.एम.मुंशी 'पिछड़े' शब्द की व्याख्या के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, इस खण्ड के द्वारा हम दो चीजों की सुरक्षा करना चाहते हैं। मौलिक अधिकारों में, पहले खण्ड में हम राज्य की सेवाओं में अति कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं – जिससे ये सेवाएं बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। इसी के साथ, हमारे देश के कई प्रदेशों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम ये देखना चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग, जो असल में ही पिछड़े हुए हैं उन्हें राज्य सेवाओं में अवसर दिए जाने चाहिए। इससे यह भी स्थापित हो सकेगा कि राज्य सेवाएं, देश सेवा के लिए एक हैसियत और अवसर प्रदान कर रही है और यह अवसर, प्रत्येक समुदाय यहां तक कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भी मिलना चाहिए। इसलिए, हमें एक वर्ग संबंधी शब्द तलाशना होगा और शब्द "पिछड़े वर्ग" सबसे उत्तम संभव शब्द है।"

वाद–विवाद के दौरान डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की उक्तियों को, इंदिरा साहनी के महत्त्वपूर्ण केस में आरक्षण के मामले पर निर्णय लेते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी ध्यान में रखा था सभापति महोदय, उन्होंने कहा था :

"अंततः प्रारुप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मामले को स्पष्ट करने के लिए उठे। उनका भाषण, जिससे सभी चर्चाओं पर पूर्णविराम लग गया और जिससे प्रारूप के अनुच्छेद 10(3) को ग्रहण करने में सहायता मिली। इसे उद्धृत करना सही रहेगा क्योंकि यह इससे संबंधित कई प्रश्नों पर रोशनी डालता है। डॉ. अम्बेडकर कहते हैं "तीन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जो समझौता करने के लिए हमारे लिए आवश्यक हैं, यदि हम व्यवहार्य प्रस्ताव करें जो सभी को स्वीकार्य हो इन तीन बिंदुओं में से एक तो यह है कि सभी नागरिकों को अवसर समान रूप से मिलने चाहिए। इस सभा के कई सदस्यों की यह इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो उस विषेष पद की योग्यता रखता है उसे, उस पद हेतु आवेदन करने परीक्षा देने, अपनी योग्यताएं सिद्ध करने कि वह इस पद के योग्य भी है या नहीं की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

तथा इसकी सीमाएं नहीं होनी चाहिए; समानता या अवसर की समानता के सिद्धांत में कोई छुपाव भी नहीं होना चाहिए।"

"सभा में जो दूसरी बात महसूस की गई है वह है, यदि इस सिद्धांत को व्यवहार्य बनाना है तथा उनके निर्णयों में इसे पूरी तरह व्यवहार्य बनाना है तो इसमें किसी भी जाति या वर्ग के लिए कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। जहां तक लोक सेवाओं का संबंध है यदि वे योग्य हैं तो वे भी समानता के दायरे में ही आने चाहिए। यही दूसरा मुद्दा

है। एक और राय यह है कि सिद्धांत रखना तो अच्छा है कि अवसर की समानता होनी चाहिए, इसी के साथ-साथ कुछ वर्गों के प्रवेश का प्रावधान भी होना चाहिए जो प्रशासन से बहुत दूर हैं। जैसा कि मैंने कहा है, प्रारूप समिति को एक सूत्र बनाना चाहिए था जिससे तीनों मुद्दों को एक साथ रखा जा सकता। पहला अवसर की समानता होनी चाहिए, दूसरा प्रशासन से हमेशा हटे रहे कुछ वर्गों के लिए आरक्षण होना चाहिए।''

इसलिए, प्रारूप समिति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने आरक्षण को कानूनी स्वीकृति प्रदान की, भले ही इसके पीछे कोई भी दार्शनिक व्याख्या रही हो। हम इससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि इस देश को जनता का बड़ा भाग शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ये सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं जिन्हें शक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं – उन पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यही एक बात मैं कहना चाहूंगा।

एक मुददा और, जो में प्रस्तुत करना चाहूंगा वह है कि मण्डल कमीशन ने भी क्या कहा। उन्होंने आरक्षण के कुछ पहलुओं पर सिफारिशें की थी। मण्डल कमीशन में भी सामाजिक न्याय का प्रश्न ही मुख्य रहा था। पिछड़े वर्ग के लोगों को जो भी विशेषाधिकार था आरक्षण प्राप्त है, इससे इस देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त अवसर की समानता के सिद्धांत से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

इस संबंध में, मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री के. सुब्बा राव द्वारा 'सामाजिक न्याय व विधि' पर दिए गए भाषण की उक्तियों को उदधृत करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से जब, मेरे द्वारा प्रस्तावित संकल्प पर हम चर्चा करेंगें तो यह उसमें सहायक रहेगा। माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्बा राव के अनुसार :

''सीमित बोध में, सामाजिक न्याय का अर्थ है – कमजोर, बूढ़े, बेसहारा, गरीब औरतों, बच्चों और दूसरे अधिकार वंचित लोगों को जीवन की सख्त प्रतियोगिता से सुरक्षा। अधिकांश वंचित लोगों को यह आवश्यक लाभकारी सहायता देगा ताकि जीवन में आगे बढ़े लोगों के साथ इनहें समान अवसर प्राप्त हो सकें। यह अधिकारों का गट्ठर है, दूसरे अर्थ में, यह दूसरे अधिकारों का संरक्षक है। यह अधिकार प्राप्त और अधिकार वंचितों के बीच संतुलन पहिया है।''

इसलिए, इनके बावजूद, और अपनाई गई इस आरक्षण नीति के बाद भी असमानताएं व्याप्त हैं और ऐसे लोग हैं, जिन्हें पीछे धकेला गया है और जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से उपेक्षित हैं। यहां तक कि स्वतंत्रता के बाद आरक्षण नीति के इतिहास में यह ध्यान देना चाहिए कि मण्डल कमीशन सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में दस सालों से 1980 में ही अस्तित्व में आया था और इसकी सिफारिशें ठंडे बस्ते में थी। सिर्फ 1991 के बाद जब श्री नरसिंह राव की सरकार सत्ता में आई तभी उन्होंने मण्डल कमीशन की सिफारिशों का पहला आदेश जारी किया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कितने मिनट और बोलेंगे ?

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : मैं आधा घण्टा और लूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपका भाषण जारी रहेगा। अब समाप्त कीजिए। अब हॉफ एन ऑवर होगा।

अपराह्न 5.50 बजे

आधे घण्टे की चर्चा
भारत-इजराइल संबंध

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा के मद सं. 22 को प्रारंभ करेंगे। श्रीमती श्यामा सिंह।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : माननीय सभापति महोदय, आज हम भारत-इजराइल वार्ताओं पर बात कर रहे हैं, जो कि करीब एक या दो महीने पहले हमारे माननीय विदेश मंत्री और माननीय गृह मंत्री के बीच हुई थीं।

महोदय, कुछ सप्ताह पहले एक तारांकित प्रश्न पर चर्चा के दौरान, मैंने, युद्ध समय में प्रयोग होने वाले सुरक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर, जिनकी हमें लम्बे अरसे से आवश्यकता भी थी माननीय विदेश मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछे थे। इजराइल के जनक, डेविड बिन गुरियान, गांधी जीर के अहिंसा और सत्य के प्रेरक थे और वे इस दर्शन के आधार पर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक थे।

भारत को लेकर एक और चीज जिसक, उन्होंने प्रशंसा की वह थी, घरेलू यहूदी समुदाय के प्रति भारत का व्यवहार जो हमारे देश में बस गए हैं। भारत-इजराइल के सौहार्दपूर्ण संबंधों की सुदृढ़ता के लिए माननीय, विदेश मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों की मैं सराहना करती हूं।

महोदय, इसी संबंध में, मैं माननीय विदेश मंत्री को यह सूचित करना चाहूंगी कि उन्हें पता होगा कि भारत इजराइल को सितम्बर, 1950 से मान्यता दे चुका है। तभी से, भारत ने मुम्बई में व्यापार और वाणिज्य दूत जारी रखा है। इसलिए दूतावास स्तर पर द्विपक्षीय संबंध कांग्रेस काल के दौरान 1992 में स्थापित हो गए थे। प्रश्न यह नहीं

[श्रीमती श्यामा सिंह]

है कि पहल किसने की और कुछ साल पहले इजराइल से हमारे संबंध कैसे थे। मगर एक चीज़ तो स्पष्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारी स्वतंत्रता के दौरान, एक पंडित नेहरू ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया था कि वे तटस्थ स्थिति बनाए रखेंगे या अलग-अलग स्थिति के किसी भी इसलिए, इजराइल के स्तर पर हमें पहली बार कांग्रेस के शासन के दौरान ही 1992 में मान्यता मिली।

मैंने अपने तारांकित प्रश्न, जो अधूरा रहा, में माननीय विदेश मंत्री को यह प्रश्न पूछा था कि हमें यह बताया गया है कि इजराइल ने हमें एक मानव रहित विमान देना था जिसका उपयोग वामपंथी आतंकवाद मिटाने के लिए किया जाएगा। यह अच्छी बात है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा को पेश खतरों को दूर करने के लिए एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका अपनाया जा रहा है। परंतु मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि आधुनिकीकरण के लिए आधुनिकीकरण किया जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे किसी विमान को लेने से पहले क्या सरकार इस बात से आश्वस्त है कि यह प्रभावी रहेगा क्योंकि यह अत्यंत महंगा सौदा होगा ? क्या आतंकवादियों के लिए विमान की नजरों से खुद को छिपाना और विमान को गिराना आसान नहीं होगा ? पहला प्रश्न यह था।

दूसरा प्रश्न मैंने माननीय विदेश मंत्री से यह पूछा था कि हमें इस बात की खुशी है कि माननीय गृह मंत्री और माननीय विदेश मंत्री इजराइल के दौरे पर गए थे। हमारी तरह इजराइल को भी आतंकवाद का सामना करना पड़ा था और इसने सफलतापूर्वक उसका मुकाबला किया है। उसने विदेशी आतंकवादियों को वापस अपने देशों में जाने के लिए मजबूर किया और उन्हें इस अत्यधिक महंगे तरीके से युद्ध छेड़ने की निरर्थकता का बोध करा दिया। चूंकि हमारे माननीय गृहमंत्री अभी-अभी इजराइल से वापस लौट आए हैं इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कठोर उपायों की नीति की सफलता या आंकलन पर कोई चर्चा हुई है। मुझे याद है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि सरकार जम्मू कश्मीर में सक्रिय कार्रवाई की नीति अपनाएगी। इसलिए जम्मू-कश्मीर और अन्य जगहों में सीमा पार के आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर उपायों की कोई नीति अपनाएगी जिसका समर्थन आर एस एस ने भी किया है ?

महोदय, एक अन्य प्रश्न जो मैंने माननीय गृह मंत्री जी से पूछा था वह हमारी निगरानी प्रौद्योगिकी सहित परिष्कृत रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में था। इजराइल भारत को अपने हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली वाले विमान जिन्हें ए डब्ल्यू ए सी एस (एवाक्स) कहते हैं, बेच रहा है।

यह बात समाचारपत्रों में आई थी। इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह फाल्कन नामक समग्र आसूचना प्रणाली से सुसज्जित है। मुझे बताया गया है कि यह वैसी ही प्रणाली चीन को भी बेचने का वचन दे चुका है और वाशिंगटन ने इस विकसित उपकरण की इजराइली चीन और भारत दोनों को की जाने वाली बिक्री पर आपत्ति प्रकाट की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है।

मैं यरूशलम टाइम्स में प्रकाशित एक छोटा लेख पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि स्थान की कमी कारण इज़राइल भारत को अपने विकसित उपकरणों के परीक्षण के लिए प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। तथा दूसरा कारण यह है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन खत्म हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अब उन्हें उतना महत्त्व नहीं दे रहा है जिसके कारण वे आधुनिक रक्षा और अन्य निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए भारत की भूमि या हवाई सीमा का उपयोग करना चाहते हैं।

पचास या साठ के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने शासनकाल में तत्कालीन खाद्यमंत्री श्री ए.पी. जैन और तत्कालीन सामुदायिक विकास मंत्री श्री एस.एन. दे को इज़राइल में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भेजा था, तब से अब तक कई वर्ष बीत गए हैं, मैं सरकार से केवल इतना जानना चाहूंगा कि क्या मिश्रित बीज, खेती इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकियों के विशेषीकृत और विस्तृत ब्यौरों का ही ध्यान रखा जाता है और यदि हां तो हम इन क्षेत्रों में क्या प्रगति कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : सभापति जी, जैसा अभी बताया गया कि प्रश्न संख्या 44 भारत-इज़राइल संबंधों के बारे में है। विदेश मंत्री जी और गृह मंत्री जी की इज़राइल यात्रा हुई थी, उस संदर्भ में यह प्रश्न श्यामा सिंह जी द्वारा पूछा गया था। इस संदर्भ में विदेश मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें बताया गया कि भारत और इज़राइल के बीच में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए तथा व्यापार इकोनोमी, इनवेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टूरिजम, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलोजी के बारे में चर्चा हुई, यह मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया था। यह भी बताया था कि द्विपक्षीय संबंधों में बात होते-होते आतंकवाद की समस्या के बारे में भी हुई, ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, वैसे तो यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि लम्बे समय तक उपेक्षित रहे इज़राइल की ओर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में गठित सरकार का ध्यान गया। उसके साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए मैं एनडीए सरकार को बधाई देना चाहूंगा।

महोदय, भारत और इज़राइल में कई समानताएं हैं दोनों को

आतकवाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दोनों देशों में रेगिस्तान है और कम वर्षा होती है। दोनों देश प्राचीनतम संस्कृति और प्राचीन धर्म वाले हैं। दोनों देशों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्रुसेडर्स धर्म युद्ध के नाम पर आतंकवाद फैलाने वालों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनकी यात्रा के दौरान क्या इज़राइल के अधिकारियों, मंत्रियों और इज़राइल सरकार से रक्षा के बारे में भी कोई बात हुई। जैसे कल समाचार-पत्रों में आया कि गृह मंत्री जी गृह मंत्रालय और कई राज्यों के बड़े-बड़े पुलिस के अधिकारियों को अपने साथ लेकर गए और गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को भी वहां लेकर गए थे। इज़राइल के मोस्साड के बारे में सारे संसार में चर्चा होती है कि उनका कोई सानी नहीं और यह जो हौट-परसूट वाली बात है,...*(व्यवधान)* यह आतंकवाद युगांडा और दूसरे देशों में जाकर, जहां आतंकवादी थे, जो इज़राइलियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनका खात्मा करने के लिए उन्हें सात समुद्र पार भी जाना पड़ा तो वे गए।

सायं 6.00 बजे

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर जो भाड़े के विदेशी आतंकवादियों से ग्रसित है, उनके खिलाफ सर्वेलेंस तकनीक, राडार तकनीक और खतरे को पहले से बता देने वाली युद्ध की तकनीक के बारे में भी इज़राइल सरकार से बात हुई। साथ ही पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए और आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए भी बात हुई। अगर हां, तो उसका ब्यौरा बताएं।

दूसरे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। राजस्थान में भी रेगिस्तान है और इज़राइल में भी रेगिस्तान है जहां वर्षा कम होती है। इज़राइल ने अपने रेगिस्तान को हरा-भरा करके हरियाली में बदल दिया है। कम सिंचाई, कम लागत से अधिक उत्पादन बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। क्या इस बारे में भी इज़राइल सरकार से कोई समझौता हुआ है। अगर हां, तो बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, इज़राइल की तरह भारत को भी सीमा पार से बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ते हुए खतरे का सामना करना पड़ रहा है और इनका जल्दी ही पर्याप्त दूरी पर पता लगाने के लिए एक शक्तिशाली रेडार की आवश्यकता है। 1998 में भारतीय फौज ने इजराइली रेडार, 'ग्रीन पाइन' खरीदने का फैसला किया। मेरा माननीय विदेश मंत्री से यह प्रश्न है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका इज़राइल को भारत को वह ग्रीन पाइन रेटार डिटेक्शन प्रणाली बेचने से मना कर रहा है ? मैं एक अन्य प्रणाली के संबंध में ऐसा ही प्रश्न पूछना चाहूंगा अर्थात् सही आकाश से जमीन पर मार करने वाली मिसाईल पेपेये और खोजी टोही विमान यू.ए.वी. जिसकी मदद से भारत कश्मीर में अपनी सीमाई गश्त में सुधार करना चाहता है। ये तीनों उपकरण भारत को बेचे जाने हैं परन्तु बिक्री नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका इज़राइल को सौदा करने से रोकना चाहता है।

यद्यपि पिछले कई वर्षों से दोनों ही देशों की समान समस्याएं हैं जैसा कि प्रो. रासा सिंह रावत ने बताया है फिर ऐसा क्यों हैं कि भारत और इज़राइल के संबंध पहले अच्छे नहीं थे ? इसका क्या कारण है? अगर अब इज़राइल के साथ हमारे नए संबंध बनते हैं तो क्या इससे मध्य पूर्व के इस्लामी देशों के साथ हमारे संबंध को खतरा होगा ? यह मेरा दूसरा प्रश्न है। मेरा अंतिम प्रश्न यह है। क्या इजराइल गुप्तचर एजेन्सी मोसाद भारत में सीमा पार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने में मदद करती है ?

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, इज़राइल ने कई संघर्षों का सामना किया है और सभी विकासशील देश इज़राइल के अंदर होने वाले विकास की सराहना कर रहे हैं। आज, अधिकांश गांवों में हम इज़राइली प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि के विकास की बात करते हैं जिसमें कम पानी का प्रयोग करके अधिक उत्पादन किया जा सकता है।

इसके अलावा, उनके पास काफी हथियार हैं जिनके साथ उन्होंने अन्य देशों से होने वाले संघर्ष में उनका का मुकाबला किया है। उनके इर्द-गिर्द कई अरब देश हैं। कई वर्षों से यह काफी सफलतापूर्वक चला है। क्या यह सच है कि यद्यपि हमने 1950 में ही इज़राइल को मान्यता दे दी थी फिर भी हम इसके साथ 1992 तक अर्थात 42 वर्षों तक कूटनीतिज्ञ संबंध नहीं बना सके हैं क्योंकि इसके कई सामाजिक कारण हैं ? हम अपने पड़ोसियों या अरब मित्रों, मध्य पूर्व के मित्र देशों या पश्चिम एशिया के राष्ट्रों को नाराज नहीं करना चाहते हैं।

पर अचानक ही इज़राइल हमें हथियारों की आपूर्ति कैसे कर रहा है ? क्या यह 'महाशक्ति' अमेरिका के अप्रत्यक्ष अनुमोदन के कारण है ? मैं नहीं समझता कि हमें महाशक्तियों से समर्थन कि बिना ये हथियार मिलते।

दूसरी बात यह है कि हमारे विदेश मंत्री इज़राइल और पश्चिम एशियाई देशों के बीच संतुलन कैसे बनाएं रखेंगे क्योंकि कल हमें उनसे तेल और अन्य वस्तुएं भी खरीदनी होंगी ? केवल आतंकवाद से निपटने के लिए क्या हम मुस्लिम देशों को छोड़कर केवल इज़राइल से ही दोस्ती करें या हम संतुलन बनाएं ? मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : सभापति महोदय, इस विषय पर विदेश मंत्री ने अपने इज़राइली समकक्षों से वार्ता की थी, जैसा कि उन्होंने श्रीमती श्यामा सिंह को दिए अपने तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया है, मुझे पता लगा कि इसमें इज़राइल–फिलीस्तीन संबंधों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है कि हमारे विदेश मंत्री ने फिलीस्तीन के प्रति हमारे रवैये के बारे में अपने इजराइली समकक्ष को बताया भी है या नहीं। इसका भी उल्लेख नहीं है कि विदेश मंत्री ने फिलीस्तीनियों के लिए स्वतंत्र फिलीस्तीन राज्य के लिए 50 वर्षों से भी अधिक के हमारे पक्ष को दोहराया है अथवा नहीं ? महोदय मुझे यह बात काफी परेशान और व्याकुल कर रही है।

इसलिए विदेश मंत्री से मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने इज़राइलियों के साथ उनके फिलीस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ संबंधों, शांति वार्ता विशेषकर वार्ता के अंतिम चरण तथा विशेष रूप से, स्वतंत्र फिलीस्तीन राज्य की स्थापना के प्रश्न पर चर्चा की थी या नहीं ? क्या उन्होंने ऐसा किया था या नहीं ? अगर हां, तो क्या उन्होंने न केवल स्वतंत्रता से भारत की परम्परागत स्थिति परन्तु काफी पहले के महात्मा गांधी के उन अमर शब्दों को दोहराया कि फिलीस्तीन उसी तरह फिलीस्तीनियों का है जैसे इंगलैंड अंग्रेजों या फ्रांस फ्रेंचों का है ? क्या उन्होंने इस स्थिति पर बल दिया है कि नहीं या फिर उन्होंने फिलीस्तीन राज्य बनने के प्रश्न पर भारत की नीति में परिवर्तन किया है ?

मेरा दूसरा प्रश्न एक रिपोर्ट से संबंधित है जो अखबारों में छपी है कि विदेशी भूमि पर विदेश मंत्री ने कहा कि यह मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के उद्देश्य से इज़राइल को पूर्ण कूटनीतिज्ञ मान्यता मिलने में लगभग आधी सदी तक का विलम्ब हुआ। विदेश मंत्रालय में मेरे पूर्व सहकर्मियों से जो पूछताछ मैंने की उससे पता चलता है कि यह विदेश मंत्री ने किसी औपचारिक वक्तव्य में नहीं कहा है। पर जेरूसलम में किसी संगोष्ठी के प्रश्न उत्तर संत्र के दौरान जब उन्हें ऐसा प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि इज़राइल को पूर्ण मान्यता मिलने में विलम्ब का कारण यह है कि तत्कालीन भारत सरकार मुसलमान मतदाताओं को अपने पक्ष में करना चाहती थी। इस तथ्य से कि यह टिप्पणी तत्काल की गई थी यही साबित होता है कि यह काफी विवादास्पद है क्योंकि यह अत्यन्त संवेदनशील मामले पर विदेश मंत्री के रवैये की जानकारी देता है और उनके द्वारा ऐसी टिप्पणी करना तथा फिर किसी प्रकार का स्पष्टीकरण न देना या इसे अस्वीकार नहीं करना, ये बातें हमें चिंतित करती हैं।

महोदय, फिलीस्तीन का प्रश्न ऐसा प्रश्न है, जैसा कि मैंने बताया है, जिसके बारे में हम अपने स्वतंत्रता संग्राम से ही जुडे हुए हैं क्यों जायोवादी इस बारे में स्पष्ट थे कि इजराइल राज्य की स्थापना के लिए औपनिवेशिक समर्थन पाने में वे उपनिवेशवाद के एक एजेन्ट के रूप में कार्य करना चाहते थे। उन्होंने निःसंकोच यह बात कही थी। वर्ष 1896 में हुई विश्व जाओवादी कांग्रेस के समय से ही विश्व जाओवादी संगठन की यही स्थिति रही है।

इसलिए जब वर्ष 1947 में हमारा देश "दो राष्ट्र के सिद्धान्त" के परिणामस्वरूप धार्मिक आधार पर बंटने जा रहा था तो भारत ने स्वतंत्रता से भी पहले संयुक्त राष्ट्र में एक सैद्धान्तिक निर्णय लिया कि किसी राष्ट्र को और इसके लोगों को सिद्धान्त रूप में धर्म के नाम पर बांटना गलत है।

इसलिए 1947 में "दो राष्ट्र सिद्धान्त" के परिणामस्वरूप भारत को धार्मिक आधार पर दो भागों में बांटा जा रहा था। भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व ही संयुक्त राष्ट्र ने सैद्धान्तिक निर्णय लिया था कि धर्म के आधार पर किसी देश और उसके लोगों को बांटा जाना गलत है। यदि "दो राष्ट्र सिद्धान्त" भारत में लागू नहीं होता तो इसे फिलीस्तीन पर भी लागू नहीं किया जाना चाहिए। अतः समिति में, जिसे 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित किया गया था, भारत ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि किसी देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां संघीय स्वरूप होना चाहिए जहां एक भाग में यहूदियों तथा दूसरे में आरबों की बहुतलता हो और संघीय सरकार में दोनों पक्षों के लोग शामिल हों।

यह संयुक्त राष्ट्र की असफलता थी कि उसने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। इसी कारण फिलीस्तीन में 50 वर्षों से संघर्ष चल रहा है और उसी दो राष्ट्र सिद्धान्त के कारण हमारे उपद्वीप में भी 50 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। यह तब हुआ जब "स्टर्न गैंग" और "हेगाना" नामक आतंकवादी गुट वहां है। इन्हीं गुटों ने फिलीस्तीन में आतंकवाद छेड़ दिया – इजराइल में यहूदियों के साथ राजनीतिक हथियार के रूप में आतंकवाद का जन्म हुआ। इन्हीं परिस्थितियों में भारत ने निर्णय लिया। स्थिति यह थी कि जब तक यहूदियों को फिलीस्तीन नहीं दिया जाता, भारत द्वारा इजराइल को राजनीतिक मान्यता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन चूंकि 1949 में ही संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के अस्तित्व को मान्यता दे दी थी हमने भी इजराइल को तथ्यतः मान्यता दे दी और उसके साथ वाणिज्य सम्बन्ध स्थापित किये।

महोदय, इन सभी बातों को भूलकर, यह भूलकर कि स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के समय पर बिट्रेन और फ्रांस के साथ मिलकर इजराइल के 1956 में मिश्र पर धावा बोला यह कि संयुक्त राष्ट्र में रंगभेद के रूप में 'जियोनिज्म' पर भारत के पक्ष को भुला दिया जाए; पिछले कई दशकों से चलाए जा रहे संस्थागत भेदभाव के रूप में

इजराइल सरकार द्वारा इजराइली अरबों पर थोपे गए अपमान और चोट को भुला दिया जाए; लाखों फिलीस्तीनीयों जो अब कई लाख हो गए हैं – इजराइल से खदेड़कर बेघरों के रूप में आवास खोजने के लिए मजबूर करने को भुला दिया जाए; फिलीस्तीनी – राष्ट्रीय प्राधिकरण पर लगाये गये प्रतिबंधों को भुलाकर यह कहा जाए कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए भारत ने फिलीस्तीन को पूर्ण मान्यता प्रदान न करना भारत के राष्ट्र पिता का अपमान किया है। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू का अपमान है और उस विदेशी नीति का भी अपमान है जिसे इस सरकार के आसीन होने तक कई विभिन्न सरकारों के अधीन भारत जोरदार तरीके से अनुपालन करता रहता है। यह साम्प्रदायिकता का ही रूप है जिसे वर्तमान विदशे मंत्री विदेश नीति में ला रहे हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं क्या विदेश मंत्री विदेशी भूमि पर भारतीय विदेश नीति का अपमान करने और राष्ट्रीय जनमत के आधार पर विदेशी नीति तैयार करने पर स्वदेशी दलगत राजनीति लाने के लिए इस सभा में क्षमा याचना मांगेंगे।

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं अत्यन्त साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नियम नहीं कहता है कि चार से ज्यादा माननीय सदस्य बोलें। केवल एक सदस्य के खड़े रहने पर ख्याल किया जाता परन्तु बहुत से माननीय सदस्य खड़े हैं। मैं श्री बंद्योपाध्याय जी को चांस दूंगा। आप एक सवाल पूछ लीजिये।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम) : महोदय, मैंने सूचना दी हुई है मेरा नाम वहां होना चाहिए।

सभापति महोदय : यह विशेष मामले के रूप में है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय नेताओं को तेल अवीव का दौरा करके प्रसन्नता होती है। श्री एल के अडवाणी ने तेल अवीव का दौरा किया, माननीय विदेश मंत्री ने तेल अवीव का दौरा किया और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत के प्रथम मार्क्सवादी नेता श्री ज्योति बासु ने 29 जून से 6 जुलाई, 2000 तक तेल अवीव का दौरा किया।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : इसमें हैरानी की बात क्या है ? सोवियत संघ ने उनके उद्देश्य को समर्थन दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। लेकिन कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

महोदय, भारत के प्रथम मार्क्सवादी नेता ने 29 जून से 6 जुलाई 2000 तक तेल अवीव का दौरा किया।

क्या भारत सरकार अब इजराइल के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनमत बनाने का प्रयास कर रही है ? क्या भारत सरकार ने श्री ज्योति बसु को स्वंय तेल अवीव के दौरे का भुगतान करने का अनुरोध किया है ? क्या श्री बसु ने विदेश मंत्रालय को अपने दौरे के परिणाम का ब्यौरा दिया है ? मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं।

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मुद्दे को स्पष्ट करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय सदस्यों का अति आभारी हूं।

माननीय श्रीमती श्यामा सिंह ने चार पांच प्रश्न पूछे थे। यू. ए.वी. का प्रश्न – यदि उन्होंने कोई हानि पहुंचाई है, क्या इस मामले में इजराइल के साथ कोई बातचीत हुई है – यह पहलू मेरे दौरे के दौरान नहीं आया। यह ऐसा पहलू नहीं है जो विदेश मंत्रालय की परिधि के भीतर आता हो। यह वास्तव में रक्षा मन्त्रालय का मामला है। इसके अलावा शस्त्रों का अधिग्रहण, चाहे एक देश में हो अथवा अन्य देश में हो, वह मुद्दा नहीं है जिस पर सभा में मैं चर्चा कर रहा हूं।

अन्य स्पष्टीकरण जिसे उन्होंने मांगा है वह आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करने के बारे में है। नहीं, महोदय आतंकवाद से निपटने के लिए ऐसी कोई नीति नहीं है। भारतीय सेना ने कारगिल ऑपरेशन के दौरान भी कभी नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी। अतः भारतीय सेनाओं द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में या अन्यत्र आतंकवादियों ठिकानों पर हमला करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यूएवी के लिए और 'आवक्स' की प्राप्ति से सम्बन्धित प्रश्न के लिए भी यही उत्तर है।

इजराइल अथवा इजराइली सशस्त्र सेना द्वारा भारत को परीक्षण हेतु अथवा शस्त्र व्यवस्था का प्रयोग करने के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने सम्बन्धी सुझाव विल्कुल गलत धारणा है। भारत किसी के लिए अड्डा नहीं है और इजराइल अथवा अन्य देशों के लिए हथियारों के भारत में परीक्षण का कोई सवाल नहीं उठता।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, हमें इजराइल के कृषि मंत्री की भारत यात्रा के दौरान दिसम्बर 1993 में कृषि के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किये हैं। तब से विचारों के आदान–प्रदान और विशेष परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए प्रत्येक देश की संस्थाओं से बड़ी मात्रा में विशेषज्ञों ने एक दूसरे के देश का दौरा किया है। हमने इजराइल के साथ लगभग 170 समझौता ज्ञापन किये हैं और इसमें से कम–से–कम आधे से अधिक कृषि से सम्बन्धित हैं। ऊतक कृषि, शंकर बीजों, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई और शुष्क भूमि खेती जैसे क्षेत्रों में 65 संयुक्त उद्यम हैं। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली में इजराइली कृषि अनुसंधान संगठन द्वारा प्रदर्शन फॉर्म स्थापित किया

[श्री जसवन्त सिंह]

गया है और निसेन्दह तकनीकी आदान–प्रदान के दौरे भी किये जाते हैं।

[हिन्दी]

माननीय रासा सिंह रावत जी ने आतंकवाद के बारे में जानना चाहा था। आतंकवाद के बारे में चर्चा अवश्य हुई, माननीय गृह मंत्री जी से भी हुई, मुझसे भी हुई। जैसा कई अन्य देशों के साथ हो रहा है, इजरायल के साथ भी हुआ। माननीय गृह मंत्री जी ने लौटने के बाद एक वक्तव्य भी जारी किया था। आप इजाजत दें तो मैं संक्षेप में उस वक्तव्य को पढ़ देता हूं, पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसमें जो संबंधित प्वाइंट्स हैं, वहीं पढूंगा। चूंकि यह अंग्रेजी में है, श्री रासा सिंह जी मुझे इजाजत देंगे, मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ देता हूं।

[अनुवाद]

यह गृह मंत्री का वक्तव्य है। यह कहता है :

"यह दौरा सीमा पार आतंकवाद की समस्याओं को मुख्य रूप से केन्द्र में रखकर किया गया था। इजराइल और भारत पिछले दो दशकों के दौरान इससे जूझ रहे हैं। आतंकवादी संगठन स्थापित किये जाते हैं और उनसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध होते हैं। ऐसे आतंकवाद को झेल रहे देशों के लिए यह आवश्यक है कि वह एक दूसरे के अनुभव से सीख लें। शान्ति और प्रगति के सवंर्द्धन और आतंकवाद को दबाने के हित में ऐसे राष्ट्रों को इस समस्या से निपटने के लिए एक– दूसरे के निकट सहयोग से काम करने की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

उसमें कोई जॉइंट ऑपरेशन की बात इजराइल से की जाए टैररिज़्म के संदर्भ में, यह नहीं है और अन्य इसके क्या डीटेल्स हैं यह गृह मंत्रालय में विचार होगा। एक निर्णय लिया गया है कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप टैररिज़्म पर होगा और यह कई अन्य देशों के साथ भी किया है और उसी तरह इजराइल के साथ भी यह निर्णय है।

[अनुवाद]

एक प्रश्न था क्या यह मानवरहित यूएवी था। मैं रडार के प्रश्न पर कुछ प्रकाश नहीं डाल सकता हूं। तत्पश्चात् एक अन्य प्रश्न था क्या मोस्साद के साथ कोई संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके लिए जबाव है– नहीं महोदय।

यह भी पूछा गया था कि क्या इज़राइल के साथ हमारे सम्बन्ध किसी अन्य सरकारों की कीमत पर हैं ? तो इसका उत्तर है 'नहीं, महोदय'।

किसी माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या इजराइल के साथ भारत ने अपने सम्बन्ध सुधारने के लिए उसे अमरीका के अनुमोदन की आवश्यकता है? उसके लिए जवाब है "नहीं, महोदय।" हम न तो संयुक्त राष्ट्र अमरीका के अनुमोदन पर कार्य करते हैं और न ही दिमाग में इस सम्बन्ध में उनके रुझान के अनुरूप कार्य करते हैं।

तत्पश्चात् एक अन्य प्रश्न था। क्या यह किसी अन्य देश की कीमत पर है तो इसका जवाब है, "नहीं, ऐसा नहीं है महोदय।"

महोदय, सन्तुलन कार्यवाही के बारे में सुझाव दिया गया था क्या एक देश और अन्य के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध किसी अन्य देश की कीमत पर करना आवश्यक है। यह अस्वीकार्य है। यह इसलिए है क्योंकि द्विपक्षीय सम्बन्धों का विकास किसी की कीमत पर नहीं होता है।

माननीय श्री मणिशंकर अय्यर जानना चाहते थे कि क्या फिलीतीन पर भारत की स्थिति पर चर्चा की गई थी। वह यह भी जानना चाहते थे क्या कैम्प डेविड शक्ति वार्ता के बारे में कोई चर्चा की गई थी। इन दोनों प्रश्नों का जवाब है "जी हां", महोदय। इजराइल के नेता के रूप में राष्ट्रपति यासर अराफात के साथ मेरी भेंट में होने वाली कैम्प डेविड शान्ति वार्ता का जिक्र हुआ था। राष्ट्रपति अराफात के साथ–साथ इजराइली नेतृत्व ने भी मेरे साथ अपने विचारों का आदान–प्रदान किया था उस समय यह निर्धारित नहीं था कि वार्ता होगी या नहीं होगी लेकिन फिलीस्तीन के राष्ट्रपति की स्थिति और उनके पहलुओं, कि फिलीस्तीनी नेता निरन्तर पहल कर रहे हैं, के बारे में और इजराइली नेता ने भी मेरे साथ विचार–विमर्श किया था।

जहां तक भारत की स्थिति का सम्बन्ध है तो यह स्पष्ट किया गया था। राष्ट्रपति अराफात को पुनः इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, निसन्देह, उनके प्रधानमत्री और उनके विदेश मन्त्री के साथ क्षेत्रीय स्थिति के बारे में भी विचार–विमर्श हुआ था। फिलीस्तीन के उद्देश्य पर भारत की स्थिति स्पष्ट है। यह दोहराया गया था कि फिलीस्तीन के लोगों ने अहरणीय अधिकारों और अन्तर्राष्ट्रीय मान्य सीमाओं के साथ फिलीस्तीन की स्थापना पर भारत का पक्ष क्या है। उन्होंने विस्तार से मेरे साथ इस पर विचार–विमर्श किया था।

माननीय मणिशंकर अय्यर ने सुझाव दिया था कि जवाब में यह गायब था। शायद प्रश्नकर्ता ने यह नहीं पूछा था। अन्यथा इस सभा में इसका जवाब दिया गया होता। इजराइल और फिलीस्तीन के सम्बन्ध में भारत की ऐतिहासिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा करने के पश्चात् वह पूछते हैं, क्या मैं क्षमा याचना करूगां। नहीं, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा।

मेरे से पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री की यात्रा के बारे

में तीसरा प्रश्न पूछा गया था। यह यात्रा माननीय मुख्य मंत्री ने अपने स्वयं के खर्चे पर की थी। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय जनमत बनाये जाने की बात वांछनीय उद्देश्य है और हम निस्सन्देह इस पर कार्य करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री अत्यन्त भले हैं और उन्होंने मुझसे शिष्टता दिखाई चूंकि हमारी यात्राएं संयोगवश एक ही समय में हुई और उन्होंने मुझसे बातचीत की। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और पूछा कुछ ऐसा कार्य है जिसे मैं इजराइल में उनसे करवाना चाहता हूं। मैंने उन्हें शुभ कामनाएं दी।

जहां तक उस यात्रा के परिणाम का सम्बन्ध है वह वहां पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के रूप में गये थे। मुझे विश्वास है कि वे इजराइल के विकास सहित उन क्षेत्रों को देखने गए थे जिनमें पश्चिम बंगाल की रुचि हो सकती थी जिसमें कृषि भी शामिल है। मैं पश्चिम बंगाल की सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे आशा है कि वहां हुई चर्चा के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल की सरकार मेरे साथ उनको बांटेगी। मैं अभी भी उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं।

मैं विश्वास करता हूं कि मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, जहां तक मैं उनके उत्तर दे सकता था।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 21 अगस्त, 2000/30 श्रावण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/9/18/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार, 18 अगस्त, 2000/27 श्रावण, 1922 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
आवरण पृष्ठ	5	'रहवी	तेरहवीं
8	2	श्री के. गलयसामी	श्री के. मलयसामी
31	13	........सी.ए.	ए.पी.सी.ए.
427	34 के पश्चात्	----	'(क) और (ख) जी हाँ' जोड़िए
427	नीचे से 2	(क) और (ख)	(ग) और (घ)
484	23	श्रीकामुलम	श्रीकाकुलम
492	23	पंढरपुर	पंढरपुर